

Presidential address

**Concurrent Synergy of Development:
Rajasthan and Mughal India**

Dr. Inayat Ali Zaidi

Dear scholars and friends,

Nearly one month earlier when my honourable teacher Professor G.S.L. Devra telephoned me to be the next President of the Rajasthan History Congress, it was impossible for me to decline. Though there were constraints of time, I gave my consent. Obviously, my nomination to the Presidentship was decided after the approval by the members of the executive committee of the Congress. I am grateful to all of them. Here, I have tried to meet the expectations of my well-wishers.

The present Rajasthan is historically understood by different identities, such as suba of Ajmer, Rajputana, Rajwara and thereby Rajasthan. These identities with time and context changed. Before the creation of the suba of Ajmer, the different regions were controlled and governed by the different Rajput dynasties. Before these Rajput dynasties, the different parts of Rajasthan were controlled by the indigenous or aborigin people. These local people, such as Jats, Meenas and Bhils were predominant in Bikaner (Jangla Pradesh), Dhundhar (Amber Jaipur) and Mewar. Though in Rajasthan, the process of social formation of Rajputra as the ruling class is traced from the 7th century.¹ The local emerging Rajputra, such as the Chamanas, Parmaras, Gurjara Pratiharas, Guhilas could not develop to the extent of being able to resist the coming of the emigrant Rajputs from the different corners of India and established their political hegemony. Those who came to Rajasthan were Kachawahas from Narwar–Gwalior to Amber–Jaipur, Rathors from Kannauj to Jodhpur and thereafter Bikaner, the Sisodias from Narmada to Mewar and the Bhatias to Jaisalmer from the North-West India.

These Rajput groups, who arrived with political heritage, began the formation of their states. Thus, two significant processes of state formation are visible, which D.D. Kosambi calls:

- (i) Feudalism from below, and
- (ii) Feudalism from above,

The local social groups or tribes who were emerging as tribal chiefs attempting to establish tribal monarchies could be seen as feudalism from below. Other Rajput chiefs who came from outside Rajasthan and established or super-imposed political hegemony could be termed as feudalism from above. Obviously, it was a progressive socio-political development in Rajasthan. These Rajput chiefs began to organize military power based on Kinship (Bhai bant). Religious legitimacy was earned from the self-created or constructed Kul Devi and Devta. In lieu of this legitimacy, the religious classes such as Raj Purohit were assigned revenue free grants like Punya Udak and Sasan.

The political and religious powers played an invisible role of complementary and supplementary to each other. Thus, it was dynasty-based polity and local-based feudal economy. Inter and intra conflicts were the characteristics of the newly emerging states. For the expansion, inter-state political conflicts with the neighbouring chiefs were the hallmark of the time. Patricide and fratricide cases for controlling sovereign power were the traits of intra-dynastic polity.

The coming of the Turks and establishment of the Delhi Sultanate created a notion or concept of centralized government. The success of the Turks was certainly due to their superiority in war technology.² Like any other power, the Sultans of Delhi began to expand their political authority. Rajasthan, being close to Delhi, was one of these.

Sultan Iltutmish (1210-1236 A.D.) had his first encounter with the chiefs of Rajasthan. In 1226 and 1227, he is known to have conquered the fort of Ranthambhore, and thereafter, Mandor. Sultan Alauddin Khalji (1296-1316 A.D.) was developing centralized state infrastructure, therefore, powerful chiefs namely Rai Sital Deva of Siwana, Rai Kanhad Deva of Jalor were subdued. In addition, many parts of Rajasthan, such as Jaisalmer, Ranthambhore, Chittor,

Mandalgarh, Bundi, Mandor and Marwar were brought under the Delhi government. It is corroborated from the popular Rajasthani literature. From the Rajasthani Vaat Sahitya, it is known that Satal Somvas Chauhan and Balo Kachawaha³ were in Sultan Alauddin's service. In the Satal-Som-re vat, it is written, "सू सातल-सोम दिल्ली अलाउद्दिन पातसाह री चाकरी करें। पातसाह-री-तरवार पकड़ें।"⁴ It suggests that the people of Rajasthan began to come into contact with the Delhi Sultanate from the 13th century. It is important to point out that such contacts are also known from the Rajasthani sources. An interaction between the Mughal Emperor Humayun and Rai Jaitsi of Bikaner (1526-1542 A.D.) is known from Chhand rau Jaitsi rau Vithu Sujai rau Kahiyo.⁵ Thereafter, Surs, particularly Sher Shah Suri after overpowering Mughal Emperor Humayun, emerged powerful⁶ and organized centralized government. Many of his innovations or initiatives in the different spheres of administration became path-breaking and torch-bearing for the descendant centralized governments. He is known to have controlled Ranthambhore and the western part of Rajasthan. Sher Shah's advance into the region of Marwar was challenged by Rao Maldeo of Jodhpur. Sher Shah faced unexpected fierce resistance from Maldeo. Eventually after his victory, Sher Shah heaved a sigh of relief. It is evident from the following popular historical saying that Sher Shah on several occasions used to say that "I have sold the empire of the whole of Hindustan for a handful of millet (bajra)."⁷

However, this kind of relationship was based on power. As far as the pressure of power continued, the relations sustained between victorious and vanquished. The latter had to pay peshkash to the former as a hallmark of subordination. From time to time, the central government became feeble because of its own internal dichotomies and strifes, consequently, the vanquished used to become independent. This relationship was one-sided, favouring the central government. It remained unstable, devoid of mutual understanding and benefits.

An innovative progressive phase of development was established by Emperor Akbar. We call it the innovative developing phase owing to its significant departure from the traditional relationship between the central government and the local powers.

Till Akbar, the Mughals had no firm establishment. Both Babur and Humayun faced problems from the Turani and Irani nobles. Therefore, Babur and Humayun were both conscious of cementing relations with the local potentates, but their outlook was traditional, limited and narrow. For instance, they established matrimonial ties with an aim to cement the relations with the local chiefs. The language and words which they used indicate their vision and thought, for these relations. For instance, in January 1519, Babur married Mubarak Begum, a daughter of Malik Shah Manzoor, the chief of the Yusufzais with a view 'to conciliate the Yusufzai horde'.⁸ Similarly, in 1555, Humayun married the daughter of Jamal Khan Mewati 'to soothe the mind of the zamindars'.⁹ The words like 'to conciliate', 'to soothe' and 'zamindars' clearly suggest the traditional political considerations. But Akbar's approach beyond these relations was far-reaching. He wanted to materialize these relations for the expansion and construction of the Mughal state. For the expansion, he needed human resources. This is the reason that in the official language, the reason behind establishing matrimonial ties with Raja Bharmal of Amber is explained in words such as, 'he was 'Buzurgi-Kalantaran', chief of a large 'ulus' (tribe). The consciousness about the significance of human resources in the Mughal ruling family is also known from the following contemporary source. Rafiuddin Ibrahim Shirazi, a Persian trader and traveller wrote in his travelogue, *Tazkirat-ul Muluk*, that every year, about two lakh persons captured in the course of military operations were exported from the Mughal empire as slaves. It was pointed out to Akbar by one of his Hindu wives (obviously Rajput wives from Rajasthan) that if slaves continued to be exported on such a large scale, after sometime there would be a shortage of manpower in the empire. This argument appealed to Akbar and he promulgated a ban on the sale and purchase of the slaves.¹⁰ The significance of Rajasthan can also be gauged from the military human resources or manpower as Jahangir highlighted, saying that it maintained nearly 90,000 cavalry.¹¹ If this figure is seen in the light of the total cavalry¹² strength maintained by the zamindars in the entire Mughal state under Akbar, it comprised nearly a quarter of the cavalry.

Further, it seems to be a part of 'Social Polity' or 'Socio-Political Synergy' of the Mughal state. This socio-political synergy

of establishing matrimonial relations is discerned from Akbar's horoscope. A related part of the horoscope is reproduced here:

“As the lord of Cusp of the Seventh House is Saturn and he is in exaltation, the Native will in his (Akbar's) first youth, marry chaste veiled ones from the ruling families of India. And Saturn is in the Second House, this may indicate that those chaste, curtained and holy ones will belong to his tributary (Hukkam-i-malguzar) and wealth increasing princes. And as part of friendship and love in this House, this signifies increasing relish of friendship and love, especially as the part of affection is in Pisces which is the House of Jupiter and the exaltation of Venus.”¹³

Thus, contracting matrimonial alliances was the state's well conceived policy. One can glean three important principles from the horoscope:

- (i) Akbar will marry women from the ruling families of India.
- (ii) These women will belong to his (Akbar) tributary and wealth-increasing princes.
- (iii) This relation signifies the increasing bond of friendship and love.

Further, according to an anecdote, Shah Tahmasp Safavi advised Humayun, while he was in Iran, to prefer Rajput zamindars to Afghans for political ties strengthening with matrimonial relations (Nisbatha Kard).¹⁴ The policy of conciliation adopted by Akbar is rationally explained by a contemporary historian Arif Qandhari, He says that there were some two or three hundred rajas (Raja-i zamindar, ruling chiefs) who possessed very strong forts and each fort would have taken one or half a year to conquer; it was not possible for an Emperor of Hindustan to conquer all the forts of rajas by force; it was thought better by Akbar to conciliate them. This was all the more advantageous, says Arif Qandhari, since the Rajputs had determined to be sincere and loyal to the Emperor.¹⁵

In the light of the above, one can see the importance of these marriages which took place between the Mughal ruling families and the Rajput ruling families. These should not be confined to the Mughal-Rajput families but should be seen in the larger social framework between the central ruling power and the local chiefs

irrespective of caste, sect and religion as also stated in Akbar's horoscope.

However, such matrimonial relations between the Rajput chiefs and Muslim rulers can be traced even before the Mughals. Just to cite a few examples, such as in 1445 A.D., Bhan of Idar married his daughter to Mahmud Shah of Gujarat.¹⁶ Rao Jodha, the chief of Marwar gave his daughter in marriage to Shams Khan Qiyam Khani.¹⁷ Ratnavati, the daughter of Rao Maldeo was married to Haji Khan, a commander of Salim Shah Sur.¹⁸ There are many more marriages of such a nature.¹⁹ In fact, these marriages should be seen in the light of the feudal polity of the time and space. In the light of this comment, I would like to refer to the marriage of Babur's elder sister Khanzada Begum. Babur records in his autobiography, known as Babur Nama that, "Umar Shaikh Mirza's eldest daughter was Khanzada Begum, my full sister, five years older than I. The second time I took Samarkand (1500 A.D.), in spite of defeat at Sar-i pul, I went back and held it through a five months' siege, but as no sort of help or reinforcement came from any Beg or ruler thereabouts, I left it in despair and got away; in that throneless time, Khanzada Begum fell to Muhammad Shaibani Khan. She had one child by him named Khurram Shah".²⁰

However, in brief, such marriages or matrimonial relations were prevalent in the pre-13th and the post-17th century India. In the 18th and 19th centuries, English and French or rather Europeans married Indian women irrespective of their being Muslim, Hindu or Rajput women.²¹ It was a global trait of feudal society. Thus for a better understanding of a synergy of sociopolitical developments and to suppress the false notions and prejudices, one should study these marriages, particularly the Mughal-Rajput marriages in the light of the concepts of 'long duree' and 'total history'.

Establishing matrimonial relations by the sovereign power with the local Rajput chiefs was an instrument of continuity for concurrent synergy of development in other spheres of the Mughal state. Akbar's innovative and far-reaching world view should be seen in the perspective of giving equal status to the Rajput families and reposed full faith in them.

In the early formative stage of the Mughal state, Akbar while

leaving for the conquest of Gujarat in 1572, gave Bharmal full charge of the capital city of Agra. He was appointed Wazir-i-Mutlaq (Minister with unlimited power).²² For the better management, in 1580 Akbar divided his empire into twelve subas. Thereafter, many other important positions were assigned to the Rajput chiefs of Rajasthan. In 1583, Jaganath and Loon Karan were appointed to look after the department of armoury and communications.²³ Raja Askaran was made in charge of the properties of the deceased;²⁴ at the same time, Jagmal assumed charge of the department of purchase and sales.²⁵

Seeing the competence and ability of the Rajputs of Rajasthan, when in 1586 Akbar introduced two posts of subadars in each suba, the charge of four subas was assigned to the Rajput chiefs of Rajasthan. In each suba, two governors were assigned. Raja Jagannath Kachwaha and Raja Durga Sisodia were appointed the governors of Ajmer province, Raja Bhagwan Das Kachwaha of Amber and Rao Rai Singh Rathore of Bikaner were made the governors of the Lahore suba. The suba of Agra was placed under Raja Askaran and the suba of Kabul placed under Kunwar Man Singh.²⁶ In 1592, Raja Udai Singh Rathore of Jodhpur, popularly known as Mota Raja along with Qulij Khan was assigned the charge of the Lahore suba.²⁷ In 1595, when Prince Murad was given the charge of the Deccan, Raja Suraj Singh Rathore of Jodhpur was appointed his naib (deputy). Ram Das Kachawaha distinguished himself by presiding over a variety of offices. He was associated with the diwani affairs of the Empire. When the Khalisa territory of the Empire was divided into four divisions, one division, comprising four subas—Agra, Allahabad, Bihar and Bengal were placed under his charge. In 1595-96, he was appointed the Diwan of Gujarat.²⁸

Further, during the period from 1595-1605 A.D., the offices of qiladars of three important forts—Rohtas (Bihar), Ranthambhore and Gwalior were held by Raja Man Singh,²⁹ Jaganath³⁰ and Raj Singh.³¹ The policy initiated by Akbar continued and the position of the Rajput chiefs of Rajasthan reached the higher political echelons in the Mughal hierarchy. The highest mansab or military rank and office given to any Irani, Turani and Shaikhzada noble was also assigned to the Rajput Chiefs of Rajasthan. The position could be

earned with merit and loyalty to the cause of the Mughal state.³² One can see the cases of Bharmal (mansabdar of 5000), Bhagwan Das (mansabdar of 5000) and Raja Man Singh (mansabdar of 7000), Mirza Raja Jai Singh (mansabdar of 7000), Sawai Jai Singh of Amber – Jaipur (mansabdar of 7000) Maharaja Jaswant Singh Rathore of Jodhpur (mansabdar of 7000) and Rana Amar Singh of Mewar and thereafter, Rana Raj Singh (mansabdars of 6000).

Table: Rajput Mansabdars from Rajasthan in the Mughal State Service from 1605-1707 AD

	Rajput mansabdars in 1605 A.D. (end of Akbar's Reign) ³³	Rajput mansabdars in 1620-21 A.D. (Jahangir's Reign) ³⁴	Rajput mansabdars in 1657 A.D. (end of Shah Jahan's Rule and beginning of Aurangzeb's reign) ³⁵	Rajput mansabdars of 1000 and above during the period 1659-1707 A.D. (Aurangzeb's reign) ³⁶
Total number of Rajput mansabdars in Mughal State Service	30	29	90	61
Rajput mansabdars from Rajasthan	22	23	59	32

It should also be noted that among all the Rajputs of the Mughal state, the Rajputs of Rajasthan dominated in number as well as in administrative positions in the Mughal state. Towards the end of Akbar's reign in 1605 A.D., there were a total of 30 Rajput nobles in the Mughal service. Out of these 30 nobles, 22 were from Rajasthan. Further, during Jahangir's reign, in 1620-21 A.D., the number of Rajput nobles from Rajasthan was 23 out of a total of 29. At the end of Shah Jahan's reign in 1657 A.D., the number of Rajput nobles of Rajasthan comprised 59 out of a total of 90 Rajputs in the Mughal service. Between 1659-1707 A.D., there were a total of 61 Rajputs from different parts of the Mughal empire, out of these 32 were from Rajasthan. Here, it should also be pointed out that non-Rajput chiefs like the Qiyam Khani chiefs from Fatehpur-Jhunjhunu and the Afghan chiefs of Jalore also served the Mughal state.

In 1658, Jaswant Singh was appointed subedar of the province

of Malwa. In 1665, Mirza Raja Jai Singh was made the viceroy of the Deccan. Thereafter Jaswant Singh was twice appointed the governor of Gujarat, first from 1659 to 1661 and secondly from 1670 to 1672.³⁷ In the first half of the 18th century, Raja Ajit Singh of Jodhpur (mansab, 7000/7000) was appointed the governor of Gujarat and Ajmer subas.³⁸ Sawai Jai Singh of Jaipur (mansab, 7000/7000) was given the charge of the suba of Malwa.³⁹

However, it is to be noted that by the middle of the 17th century, the Rajput chiefs of Rajasthan had acquired formidable power and they could be dangerous to the existence and survival of the Mughal state. It is borne out from the statement of Bernier who was closely involved in the affairs of the Mughal state. He wrote about three most important Rajput chiefs of Rajasthan, i.e. Rana Raj Singh of Mewar, Raja Jai Singh of Amber and Raja Jaswant Singh of Jodhpur, "If these three chose to enter into an offensive league, they would prove dangerous opponents to the Mogol, each of them having at all times the means of taking the field with twenty thousand cavalry; better than any that could be opposed to them. These horsemen are called Ragipous, or sons of Rajas."⁴⁰

However, besides the zat rank (personal rank), they had sawar rank. Against the sawar rank, they had to maintain a specified number of troopers. A huge number of troopers was required to serve under these Rajput mansabdars. It is interesting to note that in medieval India, the most important employment provider industry was the military labour market. Thus, the ordinary Rajputs of Rajasthan not only served the Rajput chiefs but they also joined the services of Irani, Turani, Afghan and Shaikhzada nobles.⁴¹ For instance, a well-known case is of Mahabat Khan who is known to have 4 to 5 thousand Rajput troopers in his service. Many of these Rajputs held important positions in his army. In the Zakhirat-ul Khwanin, it is indicated that Mahabat Khan's 10 Rajput sardars obtained Rs. 1,00,000 per head per annum and another ten received Rs. 50,000 each per annum, while 10 more sardars were paid Rs. 20,000 per head and the last 10 received Rs.10,000 per head.⁴² Not only the Rajputs from Rajasthan, but he also had Bhils under his sway from the region inhabited by Bhils (Bhilwara). There are other examples of employing Rajputs as soldiers by the non-Rajput nobles. Abul Fazl Mamuri says that the contingent of Asghar Khan, a noble

of Aurangzeb, consisted entirely of Rajputs and Afghans.⁴³ Besides Rajputs, Charans, Meenas, Thoris, Chaityas, Jats, and from other castes of Rajasthan, retainers were employed in the contingents of the nobles.⁴⁴

Significance of Charans in the military service of the Rajput chiefs is noticed and highlighted by Abul Fazl. Their work was to play martial music during the course of battle. Hapa Charan, who was in the service of Man Singh, played martial music during the battle of Ahmedabad (1573 A.D.).⁴⁵ In addition, they seem to perform certain other military functions as well. Hapa Charan, for instance, had one hundred elephants under his command.⁴⁶ One more interesting example is cited from Tuzuki Jahangiri. Raja Suraj Singh of Jodhpur introduced a certain Charan (name not mentioned) to Emperor Jahangir. Jahangir was highly impressed with the Charan's skill of literary language. In his own biography, Jahangir devoted half a page in his praise. The verses which the Charan recited were translated into Persian and reproduced in the Tuzuk. Translation of the Charan's verses into Persian suggests literary, ideological, progressive cultural developments between the people of Rajasthan and the Mughal state. Jahangir's appreciation for the Charan community is reproduced here. He writes, "Raja Suraj Singh had brought with him a poet who wrote verse in the Hindi tongue. He laid before me a poem in my praise to the purport that if the sun had a son it would always be day and would never be night, because after his setting that son would sit in his place and keep the world in light. Praise and thanksgiving to God that God gave your father such a son that after his death men should not wear mourning which is like the night. The sun had envy on this account, saying, "Would I might also have a son who, taking my place should not allow night to approach the world, for from the light of your rising and the illumination of your justice, notwithstanding such a misfortune, the spheres are so bright that one might say 'night had neither name nor sign.'" Few Hindi verses of such freshness of purport have ever reached my ear. As a reward for this eulogy, I gave him an elephant. The Rajputs call a poet Charan. One of the poets of the age has turned these sentiments into (Persian) verse-

"If the world-illuminator had a son,
There would be no night; it would be always day;

For when his gold-crowned head was hidden
 His son would display his tiara peak.
 Thanks that after such a father
 Such a son sits in his place.
 For from the demise of that king
 No one made black robes for mourning.”⁴⁷

Concurrent synergy of development was not confined to materialistic way of life and did not remain one sided. Rai Manohar Shaikhawat had excelled in the Persian language and had emerged as one of the known Poets with a pen-name of Tausni. His verses show his liberal and progressive world view of the time. One of his verses is reproduced here:

یگانہ بیگانہ
 ز چشم آموز جدا
 دو یکا ہر کجا
 چہ مگر نہی جدا

We are alien but united or one Learn from eyes, as two eyes are separate Yet do not see separately One can see his recognition and his outlook from the contemporary and latter contemporary historians who included his name with appreciation in their writings. He was popularly known and was called Mirza Mohammad Manohar. Akbar was so much impressed with him that he granted him land for erection of fort cum-palace. Akbar went there and personally supervised the construction. The newly founded town was given the name of Mul Manohar Nagar.⁴⁸

Thus, it is important to point out that the people of Rajasthan, irrespective of their socio-political status, caste and community, participated in the territorial expansion as well as the socio-economic development of the Mughal state. They were deputed in four corners of South Asia-East, West, North and South. In the north, Kabul and subsequently they were also deputed to conquer Qandhar, Balkh and Badakhshan, in the east, Bihar, Bengal, Orissa and Assam, in the west, Sind and Gujarat and in the south, Andhra and Mysore,

where they were posted. In lieu of salary, they were assigned jagirs in many parts of the above regions. These Rajput chiefs and non-Rajput chiefs from Rajasthan, like Afghan nobles from Jalor and Qiyam Khani chiefs from Fatehpur-Jhunjhunu, made sub-assignments to their sardars, thakurs, petty officials, soldiers and other karkuns.⁴⁹ However, it is relevant here to highlight that the Rajput chiefs of Rajasthan and their retainues obviously played a constructive role for the Mughal state, but it was not devoid of their interest. From chief to a soldier, they brought back their savings to their respective native places. In regard of the saving habits of Indians, a European visitor commented that if an Indian earns one anna, he will save one paisa after spending one paisa on his own maintenance, sending one paisa to his house and one paisa contributed in dan (charity).

It appears that there was a great demand in the military labour market, particularly in the 17th century. The Rajput chiefs of the desert region like Bikaner, offered a substantial amount of salary to the troopers. One trooper (suwar) was assigned one village of estimated (jama) of Rs. 1000 per annum as salary. It is borne out from Bikaner-re patta-re Gawan-re vigat: Raja Karan Singh Ji Samay ri (samvat 1714, A.D. 1657).⁵⁰ An important factor emerges from the Vigat that a very high salary was paid to these troopers if one compares it with the salary given to a trooper serving under the nobles of different racial groups. In the second half of the 16th century, the highest amount of salary of Rs. 25 per month was paid to a Turki and Irani trooper.⁵¹ In the second half of the 17th century, a Turani trooper with two horses (do aspa) was paid at the rate of Rs. 50 and Rs. 60 per mensem.⁵² Thus the amount of salary paid to a Rajput trooper of Raja Karan Singh of Bikaner seems to be quite high. It comes to Rs. 83.33 per month.⁵³ However, one should keep in mind that the Turani and Irani troopers were paid in cash, while Raja Karan Singh's Rajput troopers were paid in kind in the form of assessed (jama) revenues of a village. Since it is a desert region, therefore, the actual (hasil) yield may be less than Rs. 1000. Even the Mughal state seeing the feeble crop in the desert realized less revenue i.e. one-seventh or one-eighth of the total produce.⁵⁴

The salary of the Rajput chiefs as mansabdars was very high. It exceeded many times more than the revenues of their erstwhile chiefdoms. For a broader understanding, we can take into account

a case study of the chief of Amber, Raja Bharmal held the mansab of 5000 under Akbar. The salary of the Panjhazari mansabdar was Rs. 30,000 per month. For 12 months it is multiplied to Rs. 3,60,000. While the total revenues of the Amber region, were Rs. 43,899.⁵⁵ Thus the salary amount exceeds to Rs. 3,16,101. If the difference is worked out, it comes to an increase of 820 percent. For more clarity we can see the cases of the chiefs of Bikaner sarkar. In 1605, from the sarkar of Bikaner there were three mansabdars, two from Bikaner and one from Jaisalmer. In the following table we have demonstrated the names of the mansabdar chiefs, their mansabs and salaries.

Name of the Chief	Mansab	Salary in Rs. per Month in the Category of III ⁵⁶
Raja Rai Singh of Bikaner	4000	21,000
Rao Dalpat, son of Raja Rai Singh	500	2,100
Rawal Har Rai of Jaiselmer	3000	16,700
Total	7,500	Rs. 39,800
This amount of monthly salary is multiplied by 12 months.		39,800x12 Rs. 4,77,600
(Per annum)		

On the other hand, the total revenues of the sarkar (11 mahals) of Bikaner is Rs. 1,18,750⁵⁷ Thus even after assigning whole revenues of the sarkar to the three chiefs, the salary bill exceeds Rs. 3,58,850. This increase amounts to 402.18 per cent. Obviously this excessive amount was paid as salaries from the Mughal state treasury.⁵⁸ Thus one can visualize that the mansabdars with their tabinan (followers) from Rajasthan remitted a sizable amount to their native regions of Rajasthan.

From the outgoing description it emerges that savings brought by chiefs as well as their retainers to Rajasthan played a significant role in the development of Rajasthan. Testimony of this fact can be verified from the development of construction activities in the different parts of Rajasthan. The fort-cum-palace of Bikaner was constructed by Akbari noble Raja Rai Singh of Bikaner in 1593 A.D. In the subsequent period many additions were carried out by the subsequent chiefs of Bikaner. Raja Anoop Singh (1669-1698 A.D.) constructed the fort of Anoopgarh.⁵⁹ Raja Karan (1630-1669

A.D.), while posted in South, founded a new town there, namely Karanpura.⁶⁰ He developed great faith in the Ram Chandra temple situated in Nasik and made an annual grant of Rs. 125 per annum for the temple.⁶¹ In 1799 A.D., Raja Surat Singh founded the city of Suratgarh in Rajasthan.⁶²

Kesho Das Maru is known to have developed his jagir area in Central India that impressed Jahangir so much that he recorded in his autobiography that, "On Sunday, the 12th, marching 5 Kos, I halted in the pargana of Badnor. This pargana from the time of my father had been in the jagir of Kesho Das Maru, and in fact had become a kind of watan (native country) to him. He had constructed gardens and buildings. Out of these one was a well (baoli) (step-well probably) on the road, which appeared exceedingly pleasant and well made. It occurred to me that if a well had to be made anywhere on a roadside it should be built like this one. At least two such ought to be made."⁶³

Kishan Singh, son of Mota Raja Udai Singh, Rathore of Jodhpur brought up as Khanzada with Prince Salim (Jahangir), founded the new city Kishangarh in 1609 A.D. It is also known for its special kind of school of Rajput paintings.⁶⁴

In the fort of Amber, many apartments were built after joining the Mughal service by the Kachwaha chiefs. All expansion and renovations began from the time of Raja Man Singh when inflow of surplus wealth began to pour into the region. Diwan-i Khas and Diwan-i Aam and other architectural features of the buildings represent the developed techniques of the Mughal architecture. Mughal architecture is known for its aesthetic sense and that can be seen in these buildings. Ganesh Pol or Perole which was erected by Mirza Raja Jai Singh is known for its frescoes. A fabulous Jagat Siromani temple was built in memory of Man Singh's eldest son Jagat Singh. These show prosperity and expansion of the city of Amber. Similarly, an idol of Sita Mata Devi, a form of Ma Kali was brought from Bengal and installed in Amber and given the status of family deity. The fort known as Jamwa Ramgarh was reconstructed by Man Singh.⁶⁵ It could not be built without sufficient wealth. Raja Man Singh's heritage was followed by Sawai Jai Singh (1700-1743 A.D.), who founded the new city Jaipur, popularly known as 'Pink

City', and Jantar Mantar (Astrolabs). He also built four other labs (Jantar Mantars) in four other cities, namely Delhi, Mathura, Banaras and Ujjain. Such examples may be multiplied by making more probes.

Besides Rajasthan, the Rajput nobles made a contribution towards the development of the regions where they were posted in the Mughal state. Beginning from Raja Man Singh, one sees that he founded new cities like Raj Mahal nee Akbarnagar in Bengal,⁶⁶ Manpur in Gaya. In Raj Mahal, he constructed a Jami Mosque and in Manpur a Shiva temple. Similarly, his father Raja Bhagwan Das, while posted in Punjab, built a Jama mosque in Lahore.⁶⁷ The Raja also built a Hari Deva temple at Govardhana.⁶⁸ Generally, it is believed that Raja Man Singh was the first to be associated with the Govinda temple, but it was Man Singh's grandfather Raja Bhar Mal who was the first Kachawaha Rajput who joined Akbar's service in 1561 and made a grant to Govardhana temple in 1565. Thereafter, his father Bhagwan Das, who held a Jagir in the Mathura region, acknowledged the grant. Further, it shows the increasing affluence of the Kachawaha chiefs made it possible for Raja Man Singh to reconstruct the temple on a larger scale.⁶⁹ When Man Singh was the Subedar of Bengal-Bihar, he built the most impressive palace at Rohtas. It contained all the apartments which are required by 'a royal family' such as hammams, jharokha, baradari, Diwan-i Aam and Diwan-i Khas. These buildings are equated with the imperial Mughal establishment of Fatehpur Sikri.⁷⁰ When Man Singh's mother died in Bengal in 1600 A.D., he erected a chatri (cenotaph) and temple in her memory. He also granted land and income for the maintenance of the chatri. This grant continued to be renewed by the Mughal state.⁷¹ In August, 1639, Shah Jahan is known to have granted 200 bighas of land in Baikunthpur for the maintenance of the chatri of the deceased mother of Raja Man Singh.⁷² All these developments show integration of the people of Rajasthan with the remaining parts of the Mughal state. Such tangible integration can be seen in North-West South Asia at Hasan Abdal where Man Singh built a small but enchanting building. The significance of this developed site can be highlighted in Jahangir's words, "On Wednesday the 12th the camp was at Baba Hasan Abdal. One Kos to the east of this station there is a waterfall over which the stream rushes with great force. There is no fall like it on the way to Kabul,

on the road to Kashmir there are two or three like it. In the middle of the basin, in which is the source of the stream, Raja Man Singh has erected a small building. There are many fish in the basin of the length of half a gaz and a quarter gaz. I halted three days at this enchanting place, drinking wine with those who were intimate with me and employing myself in catching fish.”⁷³

Jai Singh Pura is known to have been founded in the Deccan in 1705. Similarly, in Aurangabad, Deccan, one comes across some structures known after the name of Jaswant Singh of Jodhpur. A ward and tank are associated with the name of Raja Jaswant Singh of Jodhpur.⁷⁴

Besides the chiefs and troopers of Rajasthan, the merchant community popularly known as Marwaris also contributed to the development in Rajasthan as well as in the Mughal state. By the time of the 17th century, when the establishment of the Mughal state became politically centralized and financially stable, it paved the way for financial developments in Rajasthan and on a larger scale in other parts of the Mughal state. In the 17th century, Hiranand Shah popularly known as Jagat Seth migrated from Nagore to Patna. In fact the title ‘Seth’ was awarded to Hiranand’s son Manik Chand by the Mughal Emperor Farrukhsiyar in 1716 A.D. Hiranand who had seven sons, had established them in the different cities of commercial importance in Northern India. Manik Chand’s adopted son Fateh Chand (sister’s son), who settled in the capital city Delhi, was further elevated to the title of ‘Jagat Seth’.⁷⁵ The family was not only known to the Nawabs of Delhi, but it also had a high reputation among the European companies, like English East India, French East India Company and the Dutch East India Company. The last company’s director, Sichtermann mentions in his memoir in 1744 that Jagat Seth Fateh Chand was the greatest broker of Hindustan, his business was spread all over the kingdom and though he did not take part in governance, he had great influence over it. “... Keep Jagat Seth in good humour as a friendly relation with him would be great help in the company.” The English East India Company’s official historian Robin Orme noted that they (the family members of Jagat Seth) were the greatest shroffs (money-changers) and bankers in the known world. Their banking house had branches in the important cities of Bengal and Northern India such as Patna,

Murshidabad, Dhaka and Delhi.⁷⁶ The Jagat Seth's house at Mahimapur, Murshidabad has great historical importance. It has been converted into a museum, which is now a place of tourist attraction.

Many others established their business centres in other parts of India. Some of the prominent names are Shah Nihal Chand, Shah Alam Chand, Sah Tiramji Gujraj at Aurangabad, Sah Man Singh Ramgoldas, Akhouray, Prakash Puni Amipal, Sah Devakorram at Burhanpur, and Ranchoddas uda Singh at Ahmedabad.⁷⁷ An extensive study based on Rajasthani sources carried out by Dr. Girija Shankar Sharma makes it clear that many people, particularly from business communities from Rajasthan became money exchangers.

In the development of indigenous banking, merchants from Rajasthan made a distinct contribution. Many persons from a family scattered and established branches in the different prominent cities. The sources explicitly point out the transfer of money (hundis) from one place to another. These houses developed such strong credit in the commercial sphere that even the Mughal state, chiefs and nobles used the services of these firms. Collected revenues and custom duties from local places were credited through hundis in the central treasury. Individuals also used hundis for meeting their personal needs. To cite a few examples, a certain prince of Jaipur riyasat (state) used to receive hundis for his personal expenditure in 1666 A.D.⁷⁸ From the Kota records, one comes to know that the ruler of Kota had sent a hundi worth Rs. 1,000 to his daughter Kishore Kanwar to Jaipur for Hath Kharach (pocket money).⁷⁹ There were different rates for remitting hundis to different places. The big firms which had established their network in several places had to employ munims (agents) to provide efficient services to their clients. Obviously, these munims were their reliable agents and they were generally employed from their native places of Rajasthan.⁸⁰

From the sources preserved in the Rajasthan State Archives, Bikaner, we notice that in the late 18th century because of political instability, people preferred money transactions through hundis. They did not wish to take any risks by carrying cash on the way to their destination. The increasing political upheavals all over India in the last quarter of the 18th century forced the Rajasthani businessmen to retreat to their native regions. This point has been lucidly explained

with hard data by B.L. Gupta. His table shows their personal identity, place of origin, place of migration and the year. This fact should also be corroborated from the study of commercially rising cities in the different Mughal successor states of Rajasthan. These emerging commercial cities known as 'emporiums of different riyasats' (states) were:

- (i) Pali in Jodhpur,
- (ii) Churu in Bikaner,
- (iii) Malpura in Jaipur,
- (iv) Bhilwara in Mewar,⁸¹

In the last thirty years of the 18th century, eighty traders are discerned. They migrated or emigrated to Rajasthan from different places of India. These numbers will certainly be enhanced if a larger study is carried out. However, these migrated traders were encouraged by the local Rajput chiefs to settle in their riyasats (states). They were given the land, free of cost to construct their shops and havelis. In 1778 A.D., Sahab Rai Navneet Rai Bhiyani and Navneet Rai Bhawani Das Meghani of Multan came to Nagore. The Maharaja of Jaipur granted them land, free of cost. Similar cases are traceable from other states of Rajasthan. Particularly traders who originated from Rajasthan constructed fabulous houses in their native places. These historical houses constructed by the traders are known as havelis. Hawli or haveli is an Arabic or Persian word.⁸² This is significant to know that almost all havelis were constructed by the traders. Patvon ki havelis in Jaisalmer, Rampuria haveli in Bikaner and many others were built by the traders. Shaikhawati havelis known for their frescoes were constructed by the entrepreneurs who brought their savings from different parts of India to their native places. It shows that the people of different social groups and classes made contributions for the development of Rajasthan. These buildings have become monuments and part of our cultural heritage and in the present time, an important source of tourism for generating revenues for the tourism industry shared by the people of Rajasthan.

The outgoing discourse shows how the mutual synergy between the centre (Mughal state) and the regional people made it possible to be benefited by each other. The people of Rajasthan

who were confined to limited territorial regions were exposed to the larger territorial and socio-cultural spheres of Mughal India. The sharing of wealth and power kept them together. Their interest had become identical and interspersed so strongly that the honour of Rajputs and the Mughals had become one. It is borne out from the following fact that when Prince Azam's harem was in danger from the Marathas, his wife could call upon the Haras to offer their lives in defence of her camp exclaiming that, Īsmat-i Chagtaiyan, Ismat-i Rajputya ast (The honour of Mughals is the honour of Rajputs).⁸³

Similarly, when Mahabat Khan married his daughter to Barkhurdar without seeking imperial permission, Emperor Jahangir ordered that Barkhurdar should be imprisoned and to bring Mahabat Khan's daughter to the court. Mahabat Khan shared his anxiety with his Rajput sardars. The latter assured him by saying, 'She is our daughter, no one can take her away while we are alive.'⁸⁴

However, there are many such examples, but here I would like to close my presentation with the world view of Mirza Rai Manohar Shaikhawat:

The Shaikh is boastful of his religion,
the Brahman brags of his idolatry:
He who is intoxicated with the beauty of the
friend has naught to do with idolatry or religion.⁸⁵

References:

1. Chachnama, written in the early 8th century, uses phrase in Arabic such as Ibn-ul Muluk which meant 'sons of Rajas'. It is the exact translation of the word 'Rajputra', tr. from Persian by Mirza Kalichbeg Fredunbeg, Delhi, Reprint, 1979, referred by Irfan Habib, 'Language and History: The Significance of Chachnama', Symposia Paper No.11, Language and History, Indian History Congress, Aligarh, 1994. In the Rajasthani inscriptions also the word 'Rajputra' began to be used for those people who were emerging as local chiefs. For details, see, B.D. Chattopadhyaya, 'Origin of the Rajputs: The Political, Economic and Social Processes in Early Medieval Rajasthan', The Indian Historical Review, Vol. III, Pt. I, 1976, pp. 59-82.
2. Simon Digby, War Elephant and Horses Under the Early Sultans of Delhi, 1971; Irfan Habib, 'Changes in Technology in Medieval India', in Studies in History, Vol. II, No.1, January-June, 1980.
3. Muhta Nainsi-re Khyat, ed. Badri Prasad Sakaria, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur, 1960, Vol. I, p. 332.

4. Manohar Sharma and Srinath Nathmal ji Joshi (editors), *Rajasthani Vaat Sangrah*, Sahitya Akademi, Delhi, 1984, pp. 20-22.
5. *Date of compilation 1534*, ed. Tessitori, Asiatic Society of Bengal, thereafter edited by Moolchand 'Pranesh', Bhartiya Vidya Mandir Shodh Pratishthan, 1991.
6. Sher Shah or Farid's father Hasan Khan Sur was in the service of Rai Mal Shekhawat. Abul Fazl, *Akbarnama*, tr., H. Beveridge, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, Vol. I, p. 147; Shah Nawaz Khan, *Maasir ul Umara*, compiled 1742-47, ed. Maulvi Ashraf Ali, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1890, Vol. II, p. 172.
7. Abdul Qadir Badaoni, *Muntakhab-ut Tawarikh*, ed. Ahmad Ali, Kabir al-Din Ahmad and W.N. Lees, English tr. W.H. Lowe, Vol. I, p. 369.
8. *Baburnama*, tr. A.S. Beveridge, Reprint, 1989, p. 375.
9. Abul Fazal, *Akbarnama*, Vol. II, p. 48.
10. Rafiuddin Ibrahim Shirazi, *Tazkirat-ul Muluk*, ff. 231 b–232 a, see Iqtidar Alam Khan, 'The Tazkirat-ul Muluk by Rafiuddin Ibrahim Shirazi: As a Source on the History of Akbar's Reign', in *Studies in History*, Vol. II, No. 1, January-June 1980, pp. 41-56.
11. *Tuzuk-i Jahangiri*, ed. H. Beveridge, tr. Alexander Rogers, reprint, 1999, p. 168. In 1595 A.D. the figure comprised 86,500 as mentioned in the *Ain-i Akbari*.
12. For the total figure of 3,84,558, See Irfan Habib, *Zamindars in the Ain-I Akbari*, PIHS, 1958; see also Sunita Zaidi's unpublished thesis, 'The Mughal Administration of the Suba of Ajmer', Centre of Advanced Study in History, AMU, Aligarh, 1977.
13. *Akbarnama*, Vol. I, tr. p. 113, Persian text, p. 38.
14. Shaikh Farid Bhakkari, *Zakhirat-ul Khawanin*, ed. Moinul Haq, Karachi, 1961, Vol. I, p. 104.
15. *Tarikh-i Akbari*, ed. by Muinuddin Nadwi, Azhar Ali and Imtiaz Ali Arshi, Rampur, 1962, pp. 47-48.
16. *Mirat-i Sikandari*, ed. S.C. Misra and M.L. Rahman, Baroda, 1961, tr. p. 23, Persian text, p. 49; Shyamal Das, *Vir Vinod*, 4 Vols., Delhi, 1986 (reprint), Vol. II, p. 995.
17. Kavi Jan, *Qiyam Khan Raso*, ed. Dashrath Sharma, Rajasthan Purattatva Mandir, Jaipur, 1953, pp. 36-37; Qiyam Khanis were the Chauhan Rajputs, converted to Islam during Sultan Firoz Shah Tughlaq's time (1351-1387). For details see, Sunita Budhwar, 'A Qayam Khani Shaikhzada Family of Fatehpur-Jhunjhunu', in *Proceedings of the Indian History Congress*, Hyderabad, 1978.
18. *Afsana-i Shahan*, Rieu i 243 b, Add 24, 409, Ms f. 178; Muhta Nainsi, *Marwarre Pargana re vigat*, 2 Vols. ed. Purattatvacharya Jin Vijay Muni, pub. Rajasthan Oriental Research Institute, Jaipur, 1956, p. 20.
19. For these marriages, see, S. Inayat Ali Zaidi's unpublished M.Phil. Dissertation, 'The Kachawahas Under Jahangir', Centre of Advanced Study in History, Aligarh Muslim University, Aligarh, 1975, pp. 105-06.
20. *Babur Nama* tr. p.18; see also, Gulbadan Begum, *Humayun Nama*, tr. A.S. Beveridge, 1902, Reprint 1989, pp. 84-5. She writes that, "At this difficult time, Shahi Beg Khan (Shaibani Khan) sent to say: "If you would marry your sister Khanzada Begum to me, there might be peace and a lasting alliance between us." At length it had to be done; he gave the Begum to the Khan, and came out himself from Samarqand in July 1501".

21. James Skinner's mother was a Rajput. She did not like to send her daughters to school and in protest she committed suicide. In the words of James Skinner, "In the year 1790, my poor mother died, she could not endure that her two daughters should be forced from her and sent to school. She conceived that by their being taken from her protection, the sanctity of the Purdeh was violated, and the Rajepoot honour destroyed; and, apprehensive of their disgracing themselves, from being removed from the care of all their female relatives, contrary to the custom of the Rajepoots, she put herself to death." See, *Military Memoir of Lieut. Col. James Skinner, C.B.* by J. Baille Fraser, 2 Vols. Reprint, Mussorie, 1955, p. 105. Samru, a German mercenary married Farzana Zebunnisa Begum who embraced the Catholic religion, she built a church at Sardhana near Meerut, *Ibid.*, pp. 284-87, See also S. Inayet A. Zaidi, 'European Mercenaries in the Indian Armies: AD 1750-1803', *Studies in History*, 27 (I), pp. 55-83.
22. *Muntakhab-ut Tawarikh*, Vol. I, p. 151.
23. *Akbar Nama*, Vol. III, pp. 405-06.
24. *Ibid.*
25. *Ibid.*
26. *Akbar Nama*, Vol. III, p. 511
27. Nizamuddin Ahmad, *Tabaqat-i Akbari*, ed. B. De, Bib. Ind. Series, Vol. II, p. 638.
28. S. Inayet Ali Zaidi, 'Akbar's Relations with Rajput Chiefs and Their Role in the Expansion of the Empire', *Social Scientist*, Vol. 22, Nos. 7-8, July-August 1994, p. 78.
29. *Akbar Nama*, Vol. III, tr. p. 779, Persian text p. 511; *Tuzuk-i-Jahangiri*, 1863-4, p. 65.
30. *Akbar Nama*, Vol. III, p. 825; *Muhta Nainsi – re khyat*, Vol. I, p. 301.
31. *Akbar Nama*, Vol. III, pp. 764, 825.
32. See, S. Inayet A. Zaidi, 'Personal Loyalty, Merit and Reward in Mughal India: Some Reflections', Prof. G.N. Sharma Memorial Lecture, Rajasthan History Congress, Pali, 2010, Pub. in the Proceedings of the Rajasthan History Congress, Pali Session, 2012.
33. These Rajput mansabdars have been identified and calculated from the unpublished Ph.D thesis entitled *The Mughals and Rajputs (1605-1658)* by S. Inayet Ali Zaidi, Centre of Advanced Studies in History, AMU, Aligarh.
34. *Ibid.*
35. *Ibid.*
36. These Rajput mansabdars have been identified and calculated from M. Athar Ali, *The Mughal Nobility Under Aurangzeb*, Asia Publishing House, New Delhi, 1968 (Reprint in 1970), pp. 216-71.
37. M. Athar Ali, *The Mughal Nobility Under Aurangzeb*, Bombay, p. 23.
38. *Akhbarat*, Nov. 25, Wakil's Report, see, Satish Chandra, *Parties and Politics in the Mughal Court*, PPH, New Delhi, 1979, p. 145.
39. Farman dated 3 Rabi I/10 April, 1772, cited by Satish Chandra, *Parties and Politics in the Mughal Court*, p. 20.
40. Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, A.D. 1656-1668, tr., Archibald Constable, Delhi, reprint, 1999, p. 208.
41. *Arz-o Chehra* documents preserved in the Andhra Pradesh State Archives, Hyderabad, show that all the racial groups of nobles had a considerable number of

- Rajput troopers in their contingents. See, R.A. Alvi, 'New Light on Mughal Cavalry', *Medieval India: A Miscellany*, Vol. II, New Delhi, 1977, pp. 95-97.
42. *Zakhirat-ul Khwanin*, Vol. II, pp. 132, 165.
 43. Abul Fazl Mamuri, *Tarikh-i Aurangzeb*, MS, f.145 b, cited also in M. Athar Ali, *The Mughal Nobility Under Aurangzeb*, p. 164. In the later Mughal period, Khan-I Dauran is known to have only Rajputs in his contingent, see, *Tarikh-i Shahadat-i Farrukh-Siyar wa-Julus-i Muhammad Shah*, p. 132 cited in Z.U. Malik, *A Mughal Statesman of the Eighteenth Century: Khan-i Dauran*, Bombay, 1973, pp. 56-7.
 44. For references, see, S. Inayet Ali Zaidi, 'Ordinary Kachawaha Troopers Serving in the Mughal Empire,' *Studies in History*, Vol. II, No. 1, January-June, 1980, pp. 57-80. On the basis of caste and religion, the Mughal state did not restrict employment in the state service as in the later period the British or colonial power did.
 45. *Akbar Nama*, III, p. 55; *Vir Vinod*, II, p. 1283.
 46. *Zakhirat-ul Khawanin*, I, pp. 106-07; *Maasir-ul Umara*, II, p. 168; *Vir Vinod*, II, 1283.
 47. *Tuzuk-i Jahangiri*, tr. Vol. I, p. 141.
 48. *Muntakhabu-t Tawarikh*, Vol. III, pp. 201-02; *Ma'asir-i Rahimi*, I, by Abdul Baqi Nehavandi, 1616, ed. by Hidayat Husain, *Bib.Ind. Series*, pp. 255-56; *Zakhirat-ul Khawanin*, I, p. 220; H. Blochmann, 'A Chapter from Mohammadan History,' *Calcutta Preview*, April, 1871; Bhim Sen writes that Mirza Raja Jai Singh had sufficient command over the Turki and Persian languages, *Nuskha-i Dilkusha*, f. 32, tr., J.N. Sarkar, Bombay, 1972, pp. 52-53.
 49. S. Inayet A. Zaidi, 'Ordinary Kachwaha Troopers Serving the Mughal Empire', p. 64.
 50. *Bikaner-re patta re Gawan-re Vigat: Raja Karan Singh Ji Samay ri (Samvat 1714, A.D. 1657)*, ed. B.L. Bhadani, *Sadul Rajasthani Research Institute*, Bikaner, 1979. The salary amount comes to Rs. 83.33 per month when Rs. 1000 is divided into 12 months.
 51. *Ain-i Akbari*, Vol. I, p. 175; *Waqai Sarkar Ranthambhor-wa-Ajmer, 1678-80*, Asafiya Library, Hyderabad, Transcript in the Department of History, Aligarh, Nos. 15 & 16 (2 Vols.), p. 335.
 52. *Ibid*; S. Inayet Ali Zaidi, 'Rozinadar Troopers under Sawai Jai Singh of Jaipur (A.D. 1700-1743)', *Indian Historical Review*, Vol X, No. 1-2, July 1983-January 1984.
 53. This amount of salary has been worked out after dividing Rs. 1,000 by 12 months.
 54. *Ain-i Akbari*, Vol. I, p. 505, Irfan Habib, *The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707*, Bombay, 1963, p. 193. According to Sunita Budhwar, one-fifth of the produce was collected from rabi harvest and one-fourth from kharif. See, unpublished Ph.D. thesis, 'The Mughal Administration of the Suba of Ajmer, Centre of Advanced Study in History, AMU, Aligarh, p. 116.
 55. In the *Ain-i Akbari*, tr. Vol. II, p. 278, the revenues of Amber is given in Dams, i.e. 1,755,960. It is converted into rupees to 43,899 by dividing 40 Dams, i.e. Re. 1. For more details, see, Shireen Moosvi, *The Economy of The Mughal Empire C.1595*, OUP, Delhi, 1987, p. 211.
 56. For determination of the salary of a mansabdar, they had been divided into three

- categories on the basis of difference in zat and sawar ranks. Op. cit. Shireen Moosvi, *The Economy of the Mughal Empire C.1595*, p. 211.
57. In the *Ain-i Akbari*, (tr. Vol. II, p. 282) the revenue is given in Dams, i.e. 47,50,000. It is divided by 40 Dams, i.e. equivalent to Re. 1. Thus the total revenues given in Dams computed to Rs. 1,18,750.
 58. It is paid either in cash or in kind, i.e. assignment of jagir.
 59. Vir Vinod, Vol. II, Part I, p. 499.
 60. *Ma'asir-ul-Umara*, II, pp. 288-90.
 61. *Bikaner-re Patta re Ganwar re-vigat*; Raja Karan Singhji Samai re, p. 7.
 62. Vir Vinod, Vol. II, Pt. I, p. 508.
 63. *Tuzuk-i Jahangiri*, tr., Vol. I, p. 410.
 64. Vir Vinod, Vol. II, Pt. I, p. 522.
 65. Inscription (1612 A.D.), preserved in the Rajasthan State Museum, Hawa Mahal, Jaipur; see also, R.N. Prasad, *Raja Man Singh*, Calcutta, 1966, p. 16.
 66. *Zakhirat-ul-Khawanin*, Vol. I, p. 106.
 67. *Ma'asir-ul Umara*, Vol. II, p. 131.
 68. Mahmud Bin Amir Balkhi, *Bahr-ul Asrar (1624-25)*, See, Iqbal Hussain, 'Hindu Shrines and Practices as Described by a Central Asian Traveller in the First Half of the 17th Century,' in *Medieval India I*, ed. Irfan Habib, OUP, 1992, p. 145.
 69. The facts are based on the critical study of the documents related to the temple. See, Tarapada Mukharjee and Irfan Habib, 'Akbar and the Temples of Mathura and its Environs', *Proceedings of the Indian History Congress, 46th Session, Goa, 1987*, pp. 235-50; cf. Catherine B. Asher's surmise needs to be reconsidered and corrected. The names of Man Singh's father Bhagwan Das and grandfather Bhar Mal are not unusual but in fact they contributed to the construction of the temple. Therefore, when Man Singh reconstructed the temple, obviously after demolishing the earlier structure, he acknowledged the contributions made by his father and grandfather. See, 'The Architecture of Raja Man Singh: A Study of Sub-Imperial Patronage', Published in Barbara Staler Miller(ed.), *The Powers of Art: Patronage in Indian Culture*, New Delhi, 1992, pp. 183-201; republished in Monica Juneja (ed.), *Architecture in Medieval India*, Ranikhet, 2001, p. 375.
 70. Catherine B. Asher, *Architecture of Mughal India*, CUP, 1992, p. 69.
 71. B.P. Ambasthya, 'History and Documents of Baikunthpur Temple,' *Journal of Bihar and Orissa Research Society*, Vol. XI, Pt. IV, No. 1-4, 1960, pp. 343-57.
 72. Shah Jahan's Farman to Mirza Raja Jai Singh, see, *A Descriptive List of Farmans, Nishans and Manshurs*, Rajasthan State Archives, Bikaner.
 73. *Tuzuk-i Jahangiri*, Vol. I, p. 99.
 74. *Ma'asir-ul Umara*, tr., Vol. I, p. 756.
 75. J.H. Little, 'The House of Jagat Seth', *Bengal: Past and Present*, XX (January-June), 1920, see, Karen Leonard, 'The Great Firm: Theory of the Decline of the Mughal Empire,' *Comparative Studies in Society in History*, Vol. 21, No. 2 (April, 1979), pp. 156, 158, 162-63.
 76. *Ibid.*
 77. B.L. Bhadani, *Peasants, Artisans and Entrepreneurs: Economy of Marwar in the Seventeenth Century*, Rawat Publications, Jaipur, 1999, pp. 348-49.
 78. *Arzdasht of Jaipur, Miti Chaitra Badi*, 14, V.S. 1725. For more such hundis, see, Girija Shankar Sharma, 'Sources on Hundi Business in Rajasthan (17th to 19th

- Century A.D.), in *The Indian Archives*, Vol. XXXII, No. 2, July-December 1983, p. 4.
79. Ibid.
80. Ibid., p. 9. F.N., 3.
81. James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, 2 Vols., London, 1914; see also, Sunita Zaidi, 'State and Cities in Rajasthan: Pali Between the 17th and 19th Century' in *Contributions to Indian Social Science, Journal of Indian Association of Social Science Institutions*, Vol. 29, No. 2, April-June, 2010.
82. F. Steingass, *A Comprehensive Persian-English Dictionary*, New Delhi, 1973, p. 434. The dictionary meaning of haweli is a house, dwelling, habitation, etc. According to Yasin's *Dastur-i Malguzari*, haweli is an Arabic word, or may be Hindi. It means a place of residence. In the terminology, it is the place of abode of hakim of the time, *An Eighteenth Century Agrarian Manual*, tr. by S. Hasan Mahmud, New Delhi, 2000, p. 187.
83. M. Athar Ali, *The Mughal Nobility Under Aurangzeb*, p. 25.
84. *Zakhirat-ul Khawanin*, I, p. 134.
85. *Muntakhabu-t Tawarikh*, Vol. II, p. 278.

Professor Gopinath Sharma Memorial Lecture

**Rajsthani Historical Manuscripts in
Raghubir Library & Their Historical
Importance**

Dr. Manohar Singh Ranawat

Shri Natnagar Shodh Samsthan, Sitamau was established by Dr. Raghubir Singh on Aug. 14, 1974 as an autonomous Research Institute to further the advancement of knowledge and learning by promoting historical researches and studies, and providing the historians and researchers essential records, manuscripts, printed books, and other necessary primary and secondary source materials, etc. for the same.

Since then it has been growing rapidly and is now a well developed Research Institute with an experienced eminent historian as its Director and a regular staff of trained researchers carrying on specifically planned programmes of historical researches including editing of important historical work and other primary source materials.

Shri Raghubir Library, Sitamau (formerly the personal library of Dr. Raghubir Singh) is the noteworthy main component unit of the Samsthan. This library has been well known for more than last sixty years as a self contained institution for researches in Indo-Muslim, Maratha and Rajasthan history and has been highly spoken of by many eminent historians, including Acharya Jadunath Sarkar. Some well known historians of the present day and many other research scholars supplicating for their Ph. D. and D.Litt. thesis from various Indian Universities from far and wide have been coming down to Sitamau for the last forty years and more.

Constant efforts are even now being made to further enrich Shri Raghubir Library by collecting latest publications relating to the particular fields of its specialization, and other work which were

wanting previously. Moreover, xerox prints, micro-films or like copies of additional primary sources of the relevant period are being obtained, and important historical manuscript collections in private possession, like the Kaviraja Collections at Jodhpur, are also being duly acquired by the Samsthan for the said Library.

Raghubir Library :

“If ever a Central Institute of History is set up in free India, the Raghubir Collection will be its indispensable nucleus.” - Sir Jadunath Sarkar. Since the conception of Shri Raghubir Library in 1936 A.D., by Dr. Raghubir Singh, historian and litterateur, it developed following the guidelines of Sir Jadunath Sarkar. Natnagar Shodh Samsthan is one of the national Institutions of India and it has an excellent Library with a rare Collection of 6000 manuscripts in different languages such as Persian, Urdu, Rajasthani, Hindi, Sanskrit, English and Marathi and the range of Subjects is very wide and includes History, Poetry, Medicine, Science, Philosophy, Politics, Religion and Astrology.

The library of the Samsthan have more than 40 thousand published books most of the books are rare in Hindi, Marathi, English, Persian, Urdu and Sanskrit, are preserved. Various leading Research Journals and magazines published in India and abroad are also available here. Most of them were collected by Dr. Raghubir Singh. The Library specialization in Medieval Indian history, Anglo-Maratha history and Provincial History for Rajasthan, Gujarat and Malwa.

Persian Mss, Documents etc :

In Shri Raghubir Library, Persian Mss. and documents are available as a major source of history of Sindh, Delhi Sultanate, the Sultanates of Malwa and Gujrat, Mughals and Later Mughals. In the library hundreds of mss., thousands of documents and their micro-film and photo-copies are available, which are useful for the history of 14th century to 18th century. All these mss. and documents amounting to 1,00,000 openings are collected from British Museum, London, India Office Library, London, Royal Asiatic Society, London, Bodelian Library, Oxford, the Bibliothica Nationale, Paris, and other important collection of Europe. At the same time 40,000 photoprints and micro-films of persian documents of the Maratha period preserved at the Peshwa Daftar, Pune, (Alienation office) and others

preserved in the Kale Parasnis Collection, Poona are available in Shri Raghbir Library.

Delhi Sultanate :

Shri Raghbir Library has preserved many Persian mss. relating to Sultanate period of Indian History, among which is the unique work “Munshat-i-Mahru” by Ain-ul-Mulk Mahru, which throws light on 14th century administration and social life.

Malwa and Gujrat :

Almost all mss. relating to the history of Malwa and Gujrat are available here. “Students willing to resuscitate the lost chapters of history will be obliged to visit the Raghbir Library for its wealth of rare manuscript on Malwa and contemporary history of Gujrat.” (Prof. Nirod Bhushan Roy, Essays presented to Sir Jadunath Sarkar, p. 281). In these special mss. “**Tarikh-i-Gujrat**”, **Maasir-i-Mahmud Shahi**, **Tarikh-i-Nasiri**, **Tarikh-Muzaffar Shahi** and **Tarikh-i-Salatin-i-Gujrat** are available in microfilm, photo-print or mss. forms.

Mughal Emperors and Later Mughals :

According to Sir Jadunath Sarkar “The Raghbir Library has specialised in the history of the Delhi Padishah and the local dynasties of Malwa, Gujrat and the Rajputana to the points of exhaustion.” Numerous microfilm and mss. relating to Mughal Emperors - Humayun, Akbar, Jahangir and Shah Jahan are available here.

Important mss. like Lataif-ul-Akhbar and Padishah-Nama , by Muhammad Waris about Shah Jahan and others relating to the Mughal Emperor Aurangzib like Adab-i-Alamgiri. by Sadiq Muttalibi, Ahkam-i-Alamgiri, by Inayetullah: Fatuhat-i-Alamgiri, by Ishardas Nagar, Tarikh-i-Dilkasha, by Bhimsen and Haft Anjuman, by Udairaj along with hundreds of letters and sanads are preserved here. Other noteworthy Persian mss. are “**Faiyyazul-Qawanin**”, **Tarikh-i-Muhammadi**”, by Mirza Muhammad (2 vols.), “**Tarikh-i-Hind**” by Rustam Ali “**Mirat-i-Aftabnuma**”, by Shah Nawaz Khan, “**Tazkirat-us-Salatin-i-Chagtai**”, by Kamwar, **Mirat-ul-Waridat**, by Warid, “**Tarikh-i-Nadiri**” by Mirza Muhammad Mahdi Khan Astrabadi, “**Tazkira-i-Waqaya**”, by Anand Ram Mukhlis, “**Tarikh-i-Muzaffari**” by Muhammad Ali Khan Ansari and “**Muntakhab-i-**

Akhbar” (2 Vols.).

Apart from Persian Mss. relating to the reigns of Aurangzib and his descendants, Shri Raghbir Library is unique in its collection of Akhabarat-i-Durbar-i-Mualla of the reigns of Aurangzib, Azam Shah, Bahadur Shah, Jahandar Shah and Farrukhsiyar. These State news-letters are collected from the collections of Royal Asiatic Society, London and the Jaipur State Archives, Jaipur.

Compositions of Historical Relevance in Rajasthani

With the establishment of the Mughal Empire in India and the close contacts of the Rulers of Jodhpur-Marwar with the Imperial Court, particularly after 1583, these traditions of historical compositions in Marwar not only developed very well, but they also began to take a definite form. Abul Fazal's possible direct as well indirect contribution to the regional historiography of Marwar, particularly that of Muhnot Nainsi, is yet to be examined and studied in detail. It can however, be stated without doubt that the traditions of historical compositions in Marwar are amongst the most important of all the Princely States in Rajasthan. The records of the genealogies as well as of the various significant events of those times in the Jodhpur-Marwar State were not only by the officials but by other non-officials also who were in one way or another connected with the Rulers of the State and thus had an intimate knowledge of events in the State or else-where relating to the Rulers or pertaining to that principality.

All compositions of historical relevance in Rajasthani can be divided into five different categories -

1. Vamsavalies or Pidhians
2. Khyats
3. Biographical historical work, whether in prose or poetry
4. Stray verses in praise of an individual or relating to any particular historical incident
5. The Vat literature relating to historical personages

Brief notices of each of these categories is essential to correctly and clearly indicate the relative values of each of these different type of compositions as possible historical source-material.

1. Vamshavalis of Pidhians – These are generally lists of

names of the rulers, their raris and also of their heirs, who died in their father's reign. They are either in prose and some times in verse (*duhas*) also. At times they contain very brief references to some especially significant events as well. These *Vamshavalis* are kept by the Bhats, who are also know as Jagas or Bahi wanchas. In case of some clans, these Vamsavalis were kept by Jain yatis also. Tod mentions genealogical rolls of some antiquity which were in the possession of a Jain priest (*yati*) who also had the title of Guru. The Yatis, Who keep similar genealogies of the Rathors, are known as 'Kul-gurus'. Even in their *gotrachar* (the institutes of the clan), there is the mention of the *Kul-guru* being of the Khartar-Gachha. Their records contain fuller details than simply the list of various generations of the rulers, their rains and progeny.

2. Khyats – These are historical compositions on the dynasty or the State to which they relate. At the outset they generally have a long list of preliminaries from the Adinarayan. Once the historic personages are mentioned the details begin to increase. The account relating to the historic times are quite detailed. Such *Khyats* were written not only by the official record-keepers of the state, but also by some persons or families closely associated with the ruling House of Jodhpur-Marwar. First and foremost among such non-official *Khyat*, now extant is that by Muhnot Nainsi who was an important official and held high offices in the State including that of 'Desh diwan' i. e., minister for home affairs, and thus had an access to state records, but his work was mainly of a non-official nature. Then there is the well-known 'Mundiyad ri Khyat, maintained by the Akhawat Barhat family of Rupawas and Mundiyad, who have been the pol-pats (keepers of the main gates) of the Rathor House of Jodhpur-Marwar throughout past centuries. Many other similar *Khyats* by anonymous writers have come to light from time to time. One such noteworthy *Khyat* was one known as the *Kaviraja-ki-Khyat* which was discovered enclosed in a wall-compartment in Jodhpur. 'Jodhpur Hukumat ri Bahi', is infect a collection of raw materials for the writers of *Khyats*, rather than a *Khyat* itself. The later *Khyat*-writers have generally borrowed much from the earlier *Khyats* or *Bahis* and have duly acknowledged the same as well specially when they give different versions of any particular historical event. The 'Jodhpur Rajya ki Khyat' was

however, written under the auspices of the Jodhpur-Marwar State and should therefore be studied keeping that perspective in mind.

3. Biographical or similar historical works, whether in prose or in poetry– There are several such works relating to some rulers of Jodhpur, namely Gaj Singh, Ajit Singh, Abhai Singh and Bijay Singh. They not only give genealogies of the early rulers of Jodhpur-Marwar, but in quite a few cases they give detailed accounts of the reigns of previous rulers also. These works are of considerable historical value, particularly the ones detailing the events following the death of Maharaja Jaswant Singh at Peshawar on 28 November, 1678 and those of the Thirty Years War by the Rathors with the Mughal forces.

4. Stray verses in praise of an individual or relating to any particular incident – Thousands of such stray verses, which give details of historical events and thus lend colour to dry facts, were composed during past centuries. However as they are neither dated nor give any dates of the incidents mentioned they can not be accepted as a primary source of history.

5. The Vat Literature – There are hundreds of *vats* relating to various historical personages or events, which can be described as the precursors of historical fiction. Majority of these *vat*, were written during the seventeenth century or soon after by anonymous writers on the basis of prevailing history traditions or legends and as such they do not provide any helpful data for a worth-while authentic political history, but do give a lively and a fairly accurate picture of the contemporary society and culture of Rajasthan and that of the seventeenth century in general.

The need for an analytical and detailed study of all these different types of historical source-material in Rajasthani has been increasingly felt. This is the only way in which a balanced view of the Rajasthan history can be obtained, because sources not only present the Rajput version of various events in history, but they also till many important gaps in the various extant historical works in Persian and other languages relating to those times.

Rajasthani Historical Manuscripts in Raghbir Library

The main unit of Shri Natnagar Shodh Samsthan, Sitamau, that is, Shri Raghbir Library already had some very important

manuscripts in Rajasthani-Hindi in its collection. Throwing valuable light on the history of Rajasthan from 14th century to 19th century important among the these mss. are **Muhnot Nainsi ri Khyat, Jaipur Rajya ri Khyat, Kaviraja-ri-Khyat, Mundiya-ri-Khyat Dayaldas-ri-Khyat, Dungarpur-ri-Khyat, Shahpura ri Khyat, Jalor-Pargana-ri-Vigat, Khyat of the Chandravat of Rampura and Patnama, Jaipur Records, Sitamau Rajya ki Khyaten, Chittor-Udaipur-ka-Patnama, Khande Rai Raso, Ratan Raso, Khuman Raso, Bhim Vilas** etc.

After the establishment of SNSS, special drive has been initiated to obtain such important historical records from different sources. At first, *Jodhpur Rajya Ki Khyat* (of *Vanasoor Mahadan* Collection) was obtained from Sitaram Laalas of Jodhpur. Then in December, 1976 the entire collection 'Kaviraja Sangrah' was acquired from Kaviraja Tejdan, the present descendant of well-known great poets of Jodhpur Bankidas and Murardan of Jodhpur royalty. This entire collection has 85 historical manuscripts (Rajasthani), 70 poetry manuscripts (Rajasthani), 47 (297) poetry manuscripts (Sanskrit), and 62 miscellaneous manuscripts in Rajasthani along with about 4000 letters. This collection is very important research material for the study of medieval Indian history and pre-modern Rajasthan history. Some important historical manuscripts from this collection are as follows

Chittor – Udaipur ka Patnama :

In the district of Mandsaur (M.P.), a Badwa family of Chandrawat rulers of Ex-Rampura State lives in Badodiya Village in Bhanpura Tahsil. In the reign of Akbar, Rao Durgbhan, ruler of Rampura had given the village Moya as a donation, because of the construction of Chambal Dam, the land of the village Moya fall into the submerged area. Therefore , Madhya Pradesh Government granted land of Badwa, Shri Dalichand in Badodiya in lieu of village Moya. From that time Badwa family of Rampura lived in Badodiya.

Under the research scheme of Shri Natnagar Shodh Samsthan for collection of manuscripts, myself (Dr. Manohar Singh Ranawat, Director) came in contact with Badwa Dalichand of Badodiya, through Thakur Shri Daulat Singh ji of Hamirgarh. I obtained Xerox copies of *Chittor-Udaipur ka Patnama, Gehloto ka Patnama, Chandravaton ka Patnama* serial No. 1 & 2 from him, which are

preserved in the Samsthan. It is for the first time the *Chittor-Udaipur ka Patnama* as a primary source of History of Mewar is being present so that it can be fully utilized by the research scholars and inquisitors.

Above mentioned Patnama contains detail and descriptive knowledge of the State of Mewar from its origin up to the time of Maharana Shambhu Singh (1817 A.D.). There is a brief account up to the succession of Maharana Kumbha, detail description from the reign of Maharana Kumbha up to Maharana Jai Singh and also a brief description from the reign of Maharana Amar Singh II to Maharana Sambhu Singh (1870 A.D.). Thus, it throws light on the Political History of Mewar from the beginning up to

1870 A.D. (Parnama ff. 1a-306b)

Later the author of Patnama has given a details description of the descendants of Sisodiya Jagirdars or the various sons of Maharana including their Jagirs – Sangram Sinhot Ranawat Sisodiya (ff. 307b-308b), Raj Sinhot Ranawat Sisodiya. It contains details regarding Baneda Jagir given by Maharana Jai Singh to the son, Bhim Singh, the son of Raj Singh to Kguman Singh (ff. 309b-313b), Jagannath Sinhot Ranawat Sisodiya (ff. 314b-315b), Karan Sinhot Ranawat Sisodiya (ff. 316b-319b), Amar Sinhot Ranawat Sisodiya (ff. 320b-345a), Pratap Sinhot Ranawat Sisodiya – Kacharawat, Bhoptot, Bhagwandasot and Purawat (ff. 346-398b), Shaktawat Ranawat Sisodiya (ff. 399b-582b) it contains detail description of the Jagir given to Shakti Singh and his descendants. Uday Sinhot Ranawat Sisodiya Nagawat, Maheshdasot, Viramdeot, Ishwardasot, Jagmalot Panchaenot, Kanawat etc. (ff. 583b-678b).

A short History is also given in this Patnama from Rawal Samarsi to Rawat Chunda (ff. 699b-707a) and detail description is given geneology of Rawat Chunda such as Tejawat, Kacharawat, Bhojawat, Khandhlot, Kamawat, Khangarot, Jagawat, Meghawat and Goindas etc. (ff. 707b-920b).

The name of the author and the period of epigraphy are also unknown. But Badwa of Mewar rulers lived in village Tokra (Presently District Mandsaur, M.P.). Probably the Badwa of Badodiya received the Patnama from the then Badwa family of Tokra during the reign of Shambhu Singh and transcribed it. Thought

the copyist had not mentioned his name and the date of epigraphy. But after studying the Patnama it can be concluded sincerely that the time of copying it, was near 1870 A.D. Badwa of Tokra has now no Patnama or Geneology so it enhances its historical importance in this condition.

From the beginning up to the reign of Shambhu Singh, Patnama throws light on the detailed Political History of Mewar and comprehensive information regarding Sisodiya Jagirdars. The description given in Patnama up to second half of 17th century is based on old stories and imaginations. So it needs a close scrutiny and understanding to use it as a primary source. But the details given after the second half of the 17th century regarding the political, social including jagirdari system of Mewar is authentic, which can be used as primary source of History.

So far according to the available information, no *Khyat* was available regarding the History of Mewar. There is only a brief *Khyat* by the title of “**Rawal Rana ji ri bat**”. It is for the first time I got a detailed *Khyat* of Mewar by the name of “**Chittor-Udaipur ka Patnama**” during my research work. This *Khyat* not only focus new light on the Political, Social, Cultural and the Jagir system of Mewar from the beginning up to 1870 A.D., but also a valuable authentic primary source material throwing new light on the Mewar-Mughal relations and Mewar relations with other Rajputana States and Mewar-Maratha relations.

On the basis of Chittor-Udaipur Patnama, we can decide three major issues of Mewar History. First, date of establishment of Udaipur city and ciptical, I have critically examined and decide the date of Udaipur establish-ment, which is 15th April, 1553 AD. (Patnama, f. 219 B).

Second - Regarding Shakti Singh according to Chittor Udaipur Patnama, Maharana Pratap has granted Jagir to Shakti Singh after the death of Udai Singh and Shakti Singh enter the Bhensroadgarh on 30th May, 1573. Thus he become the Jagirdar of Maharana Pratap and so during Haldighati, he was in the Pratap's army in the reserve force. Thirdly, some eminent historians wrote that after the death of Maharana Mokal, Chunda has gone to Mandu. But according to Patnama, Rao Chunda after death of his father, Maharana Mokal, he left the Chittor and went to Panarwa, Bhumiya

Jagirdar of Mewar.

The first, second and third volume of **Chittor-Udaipur ka Patnama** have already been edited and published by the assistance grant of ICHR and National Archives, Govt. of India, New Delhi, accordingly. The beginning History of Mewar up to Maharana Amr Singh have included the description in these two volumes. Now the Samsthan wants to edit and publish the fourth volumes of **Chittor-Udaipur ka Patnama**. The Third volume will include the description of Maharana Karan Singh to Maharana Shambhu Singh and sons of Shakti Singh and his successors. The fourth volume will include the genealogies of Sisodiya Jagirdars of Mewar.

Jalor Paragana ri Vigat

In Feb., 1974, Dr. Raghubir Singh visited Jalor and there he met Shri Kanharaj Chhogalal Mehta, the present descendant of Sadarang Mehta, who was granted the qanungoship of the Jalor Pargana by Mahesh Das Rathor on August 8, 1644. Since then these Mehtas have been the hereditary qanungos of the Pargana. When Dr. Raghubir Singh visited his residence Shri Kanharaj Mehta showed the entire collection of his family records. In his records, Dr. Raghubir Singh saw the two bahis - **Badi bahi**, Ms. No. 3 and **Chhoti bahi**, Ms. No. 31, which contained the oldest records of the Jalor Pargana in his entire collection. Dr. Raghubir Singh requested him to lend these two **bahis** for being copied out and examined them carefully at some leisure. then he readily agreed to give him these two original manuscripts. Now these two manuscripts **Badi Bahi** and **Chhoti bahis** is called (**Jalor Pargana ri Vigat**) are preserved in Natnagar Shodh Samsthan.

By the careful study of the two bahis it was obvious that they were not very different from Muhnot Nainsi's '**Marwar-r-Pargana ri Vigat**', which has very rightly been acclaimed as a most valueable contemporary record not only of political and administrative matters but more so of social and economic conditions of the times.

Their Historicity

The historical character and the authenticity of Nainal's '**Marwar Pargana ri Vigat**' have been duly established. But historical material contained in the two bahis, which has been put together to make this '**Jalor Pargana ri Vigat**' is not a work of any one person

but is mainly a collection of raw source-materials in their original form, which would have naturally provided the basis of any independent work on the subject, if any person, like Nainsi, would have decided to write out such a 'Vigat' of his own.

As has just been stated above almost all the contents of these two bahis are transcripts of official record-books and papers. The dates and events recorded under 'Historical Narrative of the Jalor Pargane have been duly checked by references in contemporary historical works and records like the Akhbarat-i-Durbar-i-Nualla, and have been found to be not only correct but very useful in filling up many major gaps in the regional history of the Jalor Pargana. The various lists of villages in the Jalor Pargane along with their detailed accounts and the rent-rolls are the most valuable materials for the political, social and economic history of the Jalor Pargana and indirectly of its adjoining regions as well. All these lists, detailed accounts, rent-rolls and other matters relating to this region recorded in the two bahis, are primarily and solely based on the official documents, record-books and the like. Hence their authenticity as well as historicity can not possibly be doubted. If any inaccuracies or omissions are there in these bahis they must be inadvertent lapses on the part of the copyists of these particular bahis or in their earlier transcripts. It is also likely that some portions of the original bahis were lost because of those particular pieces having broken away from their decaying pages.

The only portion that can not be possibly be scooped as historically correct is their 'Historical Chronology'. The list of the Rulers of Delhi is also based on traditional history of the Hindu Rulers of Delhi, while the names, titles and details about the various Muslim Rulers of Delhi are incorrect as well as inaccurate in more ways than one and hence should necessarily be ignored altogether by serious researchers of history.

Udebhan Champavat Ri Khyat (Kaviraja Mss. No. 216)

The original copy of this Khyat (Kaviraja Sangrah, No. 216), its transcript (Kaviraja Sangrah No. 100, 75, 76), and its partial/incomplete translation by Shyamkaran Dadhich; all three are preserved at Ragubir Library, SNSS, Sitamau. In the beginning of the Hindi translation, it's mentioned that 'Khyat of Rathores' was written at Murardanji, the old Kaviraj's place. This khyat was found

in a wall by Kaviraj's father during the time of Kotwal Sherkaran. As this Khyat was acquired from Kaviraj Murardan, it's well-known as 'Kaviraj's Khyat'. But according to a broken letter found in the original copy of the said Khyat, one learns that the Khyat belonged to Udaybhan Champavat. Hence this Khyat has been re-christened by SNSS as 'Udebhan Champavat Ri Khyat'.

After the demise of Maharaja Jaswantsingh in 1678, Aurazeb attacked the Jodhpur Fort. That time, sensing his own inability to protect his Khyat Udaybhan Champavat handed over its copies to the Brahmin Mukteshwar Bhatt. But when even Mukteshwar found himself vulnerable vis-à-vis the impending crisis, he got the said Khyat embedded in a wall behind stones. That's how, this Khyat remained concealed safely in that wall about 200 years.

This book encapsulates a short history of Rathores spanning from Rao Seeha to Mharaja Jaswantsingh (1658). Therein, the whole genealogy of Rathores has been recorded in exhaustive details naming every important descendant and the significant events about till the year 1670.

Bhandariyan Ri Pothi (Kaviraja Mss. No. 78)

Though this book is a copy from the mid-eighteenth century, but the composition of the original manuscripts belongs to the year 1662. Mainly, an extensive description of the Marwar of the times of Maharaja Jaswant singh has been provided in this manuscripts. A detailed description of Sirohi State has also been given in this manuscripts. We get complete description of Sirohi's Chauhans & Parkar's Sodos in Nainsi's Khyat. Nevertheless, this book turns out to be quite handy for checking the authenticationity of Nainsi's khyat, and to know about the administrative & economical status of the Marwar State during the Nainsi era. In this manuscripts also, the basic sources have been enumerated like in Nainsi's Khyat, such as : "Aa Sanchor ra Shasana ri Khyat Lamaniyan re misan Jagmal ji Chitalwana ri pidhiyan sahit mandai chhe" (f. 7 a), "Thanwala ra Paragana sun Charan dadhawadiya Haridas aayo tin aa vat kahi" (f. 8 b), "Proyat Tulasidas Bhandariyan ri Pothi me utrai" (f. 28 a), "Sindhalan ri pidhiyan aasiye jase mandayi (f. 36 b), "Parkar ri vat Ratnu Jivaji re Likhayi". In all, it contains authentic & detailed accounts of Marwar & Sirohi. Moreover, it also contains a brief description of Jalore & Sanchore parganas and Seendhal & Soda

Khanps. Later on, the copyist added many things to it, and some of them are remarkable in their peculiar way like, “Aaa varata ri Khyat he sach thodo ne Jhooth Ghano he vatan mein (page 53-a)”

Rathora Ri Khyat (Kaviraja Ms. No. 72)

One can certainly conclude that its composition or compilation was done away with by 1680 but it seems, later on, the details of the period upto the year 1710 were also pitched in, as the information about the post-1680 phase is quite brief. In the said manuscript, the description from Rao Seeha to Rao Rinmal is short but the account from Rao Jodha to the demise of Jaswant singh and latter events till the year 1680 is quite comprehensive. There is an elaborate description of the villages given away by numerous kings, queens & their progeny in *Saasan*. One gets a very detailed picture of the administrative system of Jaswant Singh era. In addition, this khyat also contains a detailed description of the genealogy of Rathores right from start to the times of Jaswant singh, of the genealogy of the rulers of Bikaner upto Anoopsingh, that of the Mewar upto Maharaja Jaisingh, genealogy of the Kachhwahs upto Bishan Singh, genealogy of the Bhatias upto Sabal singh, along with that of Baghels, Jadechas, and Hadas. And in the end, there also is a brief description about Chandrawats of Rampura, Sisodiys of Devliya, and Rathores of Ider. In all, this Khyat is very important historical document, not only from Marwar’s point of view, but also for the Political, Social Religious history of Rajasthan, but it has not been used by any historian till date.

Rathoran Ri Khyat & Vamshavali (Kaviraja Ms. No. 74)

This document starts with the laudatory poetry for Raisingh (Bikaner), followed by verse of Gun Jodhayan and description of Rao Jodha. Thereafter, starting with Adi Narayan and ending with Seeha Setramot, genealogy of Rathores has been given. Then, starting from Seeha Setramot right upto Maharaj Jaswantsingh, all the Marwar rulers have been dealt with in detail thereby covering the entire span of time till 1676. After, Rao Ganga, the correct sequence of the description has gone haywire may be due to some carelessness on the part of copyist. And then the progenies of Rathores are also mentioned along with some very important events pertaining to some very important personalities therein, which throw

enough light on the contemporary jagirdari system. The writer has mentioned as “Patta wala nu patto diyo duja nu rokad deni saru kivi roj rupeeye 2/- Sirdar ne, ar II/- ghoda ra swar ne ar I/- pala ne dena laga (f. 58 a)

At the end of this document, Umraos Khyat is given, in which, there is a brief description of Champawats till Samavat 1925, that is, the year 1868. Clearly, this description has been added by the copyist, hence one can safely assume that this copy of the Khyat was prepared in the latter half of the Nineteenth century. But the composition of the original Khyat was completed long back in the year 1676.

As compared to its other contemporary Khyats, this document, gives much more elaborate description of Rathores of Marwar. The pre-Jodha era has been described on the basis of the then popular anecdotes, whereas description of the post-Jodha era is more authentic and plausible. Therefore, this manuscript is very useful for affirming the authenticity of Nainsi’s Khyat and that of Rathores previous historical accounts. This also gives some account of the invasion of Pohkaran by Nainsi.

This manuscript gives some useful information about the Rajput traditions of polygamy, *Sati* and *Janani Dyodhi*.

Peediyān Footkar (Kaviraja Ms. No. 217)

Barring the exception of Tessitori, no one has taken any notice of this manuscripts. It was composed in the mid-seventeenth century. Though it was done during the Nainsi era.

Presently, 98 initial papers of this document are amiss, and a few of available ones are erroneous. In this manu-scripts, a brief historical account of the era from the ruler of Mewar, Mokal (pre-Mokal records not available) to Rana Jagatsingh, the rulers of Dungarpur, Banswara and Rampura, and that of Samarsi upto Rao Durga has been given. Though the Bhatīs of Jaisalmer are dealt with somewhat in detail. In addition, Hools (Guhilots), Bhayals (Pawars), Chaubeys & Nirwans (Chauhans) are also recorded in brief. Barring the initial description, all other details are quite authentic. Although succinct, yet this manuscript is quite useful in order to check the authenticity of the description given in Nainsi’s Khyat.

Rathoran Ri Khyat (Kaviraja Ms. No. 111)

This manuscript, gives a brief historical account of the Marwar State during the rule of Maharaja Jaswant Singh (1658-59) in Rao Seeha (ff. 387a-404a). Moreover we also get information about the attack on Pohkaran by Nainsi. This scripture does not give any account of the events after 1658-59. Hence one can safely assume that its composition was completed with by that time. The copyist himself has said, “Aa Khyat kitik tau thah bandha likhani hai ne kitik isthavishat vethah lishani hai, Pothi ra joona pana tha so adha pacha hoi gaya jin su vethah ghani likhani hai” (f. 394 a). The presently available copy belongs to the last leg of Maharaja of Jodhpur, Maharaja Mansingh’s rule.

Guran Motichand Ji Ri Pothi (Kaviraja Ms. No. 111)

In this manuscript, historical record of Marwar upto Raja Dharambimb to Maharaja Ajitsingh’s rule (Year 1708) has been given. But the account pertaining to Seeha & the past thereof is totally fictional. The period from Seeha to Gagnga, has been briefly dealt with, whereas the description from Rao Maldev to Ajitsingh is elaborate, wherein Rao Maldev, Maharaja Jaswant Singh & Ajitsingh have been accorded more space. In this manuscripts, one finds information about Nainsi like various military incursions, administrative endeavors, dethronement, imprisonment, and suicide. This volume also enlightens us about the adminis-trative & financial status of the 17th Century Marwar.

Its rendering was over by the year 1708. The available copy belongs to last leg of the rule of Maharaja Mansingh.

Rathoran Ri Vamshavali (Kaviraja Ms. No. 39)

To start with, it gives a mythological account. Then it proceeds to give a genealogical account of Marwar Rulers starting right from Rao Seeha upto Ramsingh. A brief historical account of Marwar rulers has been given : From Rao Seeha to Ajitsingh along with a detailed description of their sons. Even the period of Ajitsingh to Vijaysingh has also been briefly provided for. In addition, the generations of numerous Khanps of Rathores have also been described till the year 1836. Starting from Bika to Anopsingh, there also is a brief description of Bikaner rulers. Jadechas have also been given some space. There is an exhaustive description of Jalore

Pargana from the year 1659 upto the year 1673. Various resident castes of the Pargana and the tax levied on them has also been mentioned. The compilation work of this manuscript was done during 1659-1673. Although, the original book was finished in the 17th century itself, but later in 18th century when its copy was being made, the copyist added something from his side as well.

Due to paucity of time, it won't be possible for us to give description of the entire collection of the hand-written manuscripts pertaining to history of Rajasthan available in our Institute. Hence, only some very important documents have been dealt with here. These documents tell us not only about the political history of Rajasthan but they also tell us about its socio-economic & cultural history. They even go further & deeper to tell us about its idyllic rural life and its entire administrative setup including its all functionaries like village head, Desh Diwan (minister), Tan Diwan, Kanungo (land record officer), Choudhary, Patwari, Aabdar, Hujdar, Jalebdar etc. thereby giving their all details like their salaries, their works, and their landownerships (Jagirs). Their social life like their wedding ties with the Mughals are delineated. For example, about the marriage of Manbhavti, daughter of Sursingh with Shahzada Parvez, about the marriage of daughter of Mota Raja Udaysingh, Manibai (Jodhabai) with Shahzada Salim. Similarly, the description of marital tie-ups of the rulers of Jodhpur, Udaipur, Bikaner, Jaipur, Kota, Boondi etc. has also been provided with.

We also get new information about the Janani Dyodhi, and about Ranipada, Aulagan, Patran etc. Last but not the least, I would like to tell you that on account of the endeavors of the famous historian, the indefatigable Dr. Raghbir Singh, the Raghbir Library at SNSS, Sitamau has got hundreds of Historical Accounts & epics in its veritable collection. In addition, thousands of records of historical, cultural and literary importance have been assiduously brought in from places like Bilada, Bhinay, Masooda, Navalgarh, Churu collection and Kanod collection etc. Together, they all cast new light on various unknown aspects of the history of Rajasthan. Hereby, I urge all the research scholars to mine and use this unpublished, and till date unexploited historical, cultural treasure in order to bring the newer facets of the medieval & pre-modern Rajasthan in the public domain.

The Pichhavais of Nathdwara : History and the Present

Suresh Chandra Jangid

Introduction

Pichhavais are the ritual cloths hung behind the image of Krishna in the temples of the Vaishnavite Vallabhacharya sect founded in the late fifteen century. Most surviving pichhavais are associated with shrines in Rajasthan, particularly in Nathdwara, the seat of the Vallabhacharya sect since the late sixteen century. Others, however, appear to have been used in temples in Gujarat and the Deccan. The earliest evidence of other schools of cloth painting for ritual use dates to the late medieval period and becomes substantial only in the eighteenth and nineteenth centuries.

Historical Background

The practice of painting cloth, palm leaf, leather and wood for ritual use as well as for leisure, finds frequent mention in the classical Sanskrit literature of India. Unfortunately, in the absence of any material evidence, it has not been possible to determine the techniques of painting or the nature of the colouring material used in early times.

The earliest surviving pigment-painted textiles (patas), in fact, appear to date only from the late fourteenth or the early fifteenth century. Together with the more numerous examples of manuscript painting on palm leaf, wood and paper that survive from earlier periods, these cloth patas were painted at centres in Gujarat, Rajasthan and Malwa and illustrate the religious texts of the Jain community. Used as mystical aids in the quest for enlightenment, they depict in an abstract, diagrammatic style, mantras (sacred chants) from tantric works, the Jain pilgrimage sites such as Pavapuri in Bihar or Shatrunjaya and Girnar in Saurashtra, and the Jain concept of the cosmos. Noted for their rich colour, the Jain patas and other manuscript paintings often feature the use of crimson, ultramarine, gold and silver pigments - a palette borrowed in the

fifteenth century from Persian sources.

Scroll Paintings

From the medieval period survive also a number of Nepalese and Tibetan cloths painted with Buddhist and, occasionally, Brahmanical subjects. Some hangings were used as objects of daily worship and depict images of powerful deities surrounded by a lesser pantheon. The narrative scrolls, on the other hand, feature mythological and didactic themes. Painted on long, narrow strips of cloth, these were uncovered for devotees only on special religious occasions. Often a scroll comprises two pictorial registers, rendered in a simple, formulaic style, bordered with rows of text.

Other Vestiges of Pigment-Painted Textiles

Apart from their early use for ritual purposes, pigment-painted textiles probably found important secular applications as well. The use of cloth as a substrate for miniature painting, for example, was known in the early Mughal period. But evidence of the production of pigment-painted textiles in court worships is very rare, since as early as the fifteenth century, paper had mostly replaced other media in northern, western and central India. The few known court cloths of south India originated in the sophisticated local art of dye-painting. Far more widespread and persistent than their court uses was the ancient tradition, in rural India, of employing pigment-painted cloths to narrate popular folk legends. Itinerant bards, often accompanied by musicians and dancers, would display large painted panels to illustrate their songs and tales. In part of Rajasthan (known as Phad) and Andhra Pradesh, in fact, significant vestiges of these traditions have survived upto the present day.

The Pichhavais of Nathdwara

The worship of Krishna as Srinathji at Nathdwara has sustained well into the twenty-first century, the production of painted pichhavis of great beauty and renown. Distinctive and elaborate, the Vallabhachari rituals pay special attention to the devotee's visual encounter with the sacred image. The shrine at Nathdwara is not a conventional Hindu temple but resembles a grand worldly dwelling for the deity. Its inner sanctum and the surrounding walls and ceiling are dressed in a set of decorative hangings which compliment the mood of the deity. Hung behind the image of Shrinathji, the pichhavai

is the key textile of this carefully coordinated set. The Hindu gods and goddesses are divinities of mercurial temperament, their moods ever-changing: an idea expressed in ritual by changes in the offerings, the adornment of the image, the colours of adornment and apparel of the priest. The shrine hangings, similarly, must reflect the deity's disposition at different festivals and during different seasons. Under the circumstances, the advantages offered by cloth hangings, as opposed to some more permanent form of wall decoration, are many. The cloths can be removed and replaced with ease, depending on the festival or the season at hand.

Besides they can eventually be returned to the donor or to other devotees as an auspicious emblem.

Technical Aspect of Pichhavais

The Nathdwara pichhavais were generally worked on thick, hand-woven cotton cloths primed with starch to prevent the pigments from bleeding. But thinner, machine-made materials are more popular now. At the outset, the wider border and the distribution of the figures are clearly demarcated with safeda (zinc white) in the case of a coloured ground, or with charcoal if the ground is white. The initial colouring of the figures and landscape forms are followed by burnishing the back of the cloth with a polished agate. Next come the details and shading and finally, the floral creeper of the border.

The pigments are derived from a variety of mineral compounds and vegetable extracts: hinglu or vermilion (sulfide of mercury); zangal or verdigris (copper acetate); lazvardi or lapis blue (lapis lazuli); nil or indigo; syahi or black (lamp black) and several others.

Occasionally, powdered gold, silver, and gemstones are used as well. The pigments, stored in a dry solid form, are ground, dissolved in water and thickened with gum resin for painting. A broad brush (jara) made of goat hair is used for large, flat areas of colours, while a thin one (jhina), made of squirrel-tail hair, is preferred for fine details.

Transforming into a Commercial Product

In the early 1980s, pichhavai painting was confined to a few practitioners who had already left the traditional centre of Udaipur and settled in Jaipur. The demand for painted pichhavis for the Nathdwara temple had virtually ceased and the artists' work has

found, by then, decorative uses in private Indian and foreign homes. The colour palette and texture, moreover, were moving away steadily from pure mineral pigments towards commercial poster colours, thus diminishing the purity of hue and the gradation of depth characteristic of the traditional work. The transformation of a ritual textile into a commercial product was thus well underway.

The Interventions and Importance of Ritual Textiles

At that time, it was felt necessary to intervene and test both the availability of skill and technique as well as the possibility of interpreting the ritual iconography more freely.

The importance of ritual textiles lies in their depiction of symbols and imagery associated with the observance of religious rites and ceremonies. When the ritual dies, the function for the ritual craft cease to exist. In retrospect, it is felt that interventions in such case, instead of perpetuating the product single-mindedly, are perhaps better directed to sustaining its traditional use. This may or may not ensure continued patronage for the craft since the eventual survival or death of a ritual remains beyond the reach of such exercise. More generally, when external ideas interfere with the symbolic vocabulary of a ritual craft, they hasten the process of dissociation from its original intent, format and expression. This may not be entirely undesirable so long as the skills are applied to an evolving, if non-traditional vocabulary of design that can command, as before, a captive market. The relevant issue then is the survival of the craft persons and their inherited skills, not of the traditional product as such.

In this order some craft persons revived the use of mineral pigments for painting. They also have withdrawn the image of the deity from the traditional compositions and it rendered the textile purely secular in image and spirit, appropriate for decorative use in a contemporary context, without excluding the appealing visual conventions of the Nathdwara school. The pichhavis that resulted from the experiment were commendable both for their artistic conception and the quality of their craftsmanship.

Wells: Some Reflections on the lifeline of desert state

Nitin Goyal¹

Source material

Basic sources examined for present work are the bahis procured in Rampuryia section of Bikaner records in Rajasthan State Archives Bikaner. Among these bahi prominent are Kagada bahis, Sawa bahis, Council hukumri bahis. In addition, chlewa re punyardri bahi available in Lalgah place library were studied for this article. These bahis written in muryia script. Apart from Rajasthani sources foreign and political records available in National Archives of India, New Delhi, were also looked up. Further more, A.H. E. Boileau's travelogue account, Powelett's gazetteer of Bikaner along with Sohanlal's Tawarikh Rajshri Bikaner are equally consulted.

The present paper will focus on role of state towards the prominent ground water body, known as (kua)wells, in north-western Rajasthan. The geographic area chosen for this work is erstwhile Bikaner state of late medieval period. Rathore Rajputs ruling Bikaner state was situated on the north-west side of the Thar desert. Geographically situating almost in midst of the Thar desert, nature made this region prone to drought. Insufficient rainfall, thick presence of sand dunes, lack of vegetation and the availability of deep under ground water made this region a water scarcity zone. Despite the presence of such environment constrains, sweet waterwell (mitho paani ro kua), were the perceptible source of water throughout the year in all seasons. If we compare well with other existing water body in same region viz. talab, talai, johad and kuiwe find water in these rainwater based bodies can survive for few months of year. By the time summer season reaches its peak water of these open surface water bodies is dried up. However, deep well, also known as saathikua,² generates water throughout the year and supports the life in desert land. It is apperent in semi-arid region availability

of sweet water ensures the human habitation (guwaribasgai).³ The urbanizing of new villages was always the prime concern for the state. One of the foremost reason behind this was, to run the state administration requisite money can only come after realizing taxes from settled villages. However, due to absence of any perennial river in Bikaner wells was the marked source for irrigation.⁴ It was the settled village able to produce constant revenue by performing agricultural, pastoralism or trading activities. In such realm of dependency research question arise was the late medieval Rathore rulers played the role of benevolency or just confined to gathering of revenue without caring the paying capacity of its subjects? As the presence of water has a direct impact on tax generation in such, Was there any adjustment and reciprocities between subjects and state?

On the basis of archival source and keeping the well as focal point this paper is a effort to know role of state towards dwelling and managing its water body. Though, this paper is not an exhaustive study but a selective one, efforts are made to shed new light on the space and scope of wells in late medieval society of Rathore ruled Bikaner state.

Wells were identified by various names like: kuwa, kohar, bero. Commonly a kua (well) is owned by an individual where askohar (larger well) maintained by village or specific community as common property resource.⁵ Wells were classified as two type, brick-lined/ masonry or earthen wells known as pukka and kaccha kua.⁶ These wells are further divided on the basis of their underground water quality ie, sweet water and saline water.

It may be noted that drawing of ground water at a greater depth and possibility coming up of brackish water compelled the state to draw some adjustments. As the availability of sweet water ensure the habitation as well as enlarge the revenue base. In desert it was common to draw water from 300 ft depth. With the variation of soil the depth of the wells also changed. A valuable early nineteenth century English travelogue wrote by A.H.E. Boileau infers that the depth of wells beyond Bikaner city well have more than 300 ft.⁷

Particular, in the semi-arid zone of north-western Rajasthan,

wells were a vital source for water for human and animals. State showed its concern towards earthen or brick-lined wells seeing their significance as all-weather source for drinking and irrigation purpose. Coming up with brackish water even after unearthing more than 300 ft, hindered the settlement process. This provides us an interesting account of adjustments and accommodations between the state and its subjects.

It is important to point out that construction of wells (here presence of well related to the availability of Sweetwater) was a primary condition for urbanizing a village.⁸ Seeing this digging of wells was supported by administration in the regions with relatively deep water table. The state extended loans to the peasantry to excavate new wells. Those peasants who successfully dug up new wells were offered concessions in the land revenue. Not only in new settlements even in existing villages darbar ordered for excavating more wells to fulfill the growing needs. In one instance state allotted Rs 225 to the headman of village Rangmahal of Suratgarh nizammat for constructing a new well.⁹

We have got ample references from archival sources that darbar either willfully bear whole construction cost or sharing some part of it. Kagada bahi belongs to first half of nineteenth century, furnishes relevant evidence that in Bhadra state bifurcated construction cost of well of 600 Rs by paying 300 from the village exchequer or revenue and rest of cost was ordered to be paid by three merchants/mahajan of Bhadra.¹⁰ This impression created by evidence that darbar always had promoting attitude towards excavating the (kua) well. Our evidence gives impression according to requirement dwelling a water body fostered by village community. Sometimes these collective efforts struck in between due to lack of money for construction. In such, state showed his benign outlook by providing the requisite support and ensure entire construction of water body. For instance, Rs 25 was bestowed on the villagers of Longewale in Hanumangarh pargana to complete their under-construction village well.¹¹ Going further, we find not only construction of new wells but repair of existing wells was also the matter of prime importance for Rathore rulers.¹² There is a sample reference in Kagada bahi informs state officials were ordered by top administration to arrange requisite money from village revenue

to repair its well.¹³ For instance inihalasarvillage darbar ordered the village huwaldar to give 100rs from dhuwabhanch¹⁴ to repair existingvillage well.¹⁵ One more instance shows in Hanumangarh pargana state ordered kangarh,s village headman, on his request to repair village well by drawing 200rs from village income and repay it in two equal instalment of next two years.¹⁶ This evidence clearly shows adminstration's eagerness to repair wells by knowing itscontribution in organizing occupancy of village as well as its chain reaction on revenue realization. Interestingly, meanwhile, repair goes, darbar showed his concern by arrangingthe water arrangement of affected villagers to a nearby village well.¹⁷ Furthermore, as an ecological constrain in semi-arid land of Bikaner plenty of sand dues runs from one place to other, when thestrong wind blows, clogged the open mouth of well and make them unfeasible for sinking water. From Marwari sources we came to know in specific season wells become non-functional due to filling of sand in such state came forward for removal of sand through itsworkersand bring back to life well. Captain Powlett described the process of cleaning the well in his gazetteer of Bikaner.¹⁸

Construction of wells was not the sole prerogative to darbar even they were excavated by village community besides wealthy merchants. From time immemorial it was socially accepted constructing a well was a noble cause for the welfare of humanity. Contribution from mercantile class shown by Munshi Sohanlal in his TawarikhRajshri Bikaner, as relevent evidence that Seth Maanmal Rakhecha made a well outside the city named Alekhsagar well.¹⁹

As pointed out, earlier wells were of two type brick lined well, pucca kua and earthen wells called as kaccha kua. After excavation, kaccha wells turned into pakka with locally accessible stones and lime.²⁰ Besides,darbar had not restricted itself to construction, repair, sharing the cost and cleaning of wells but even extending support by offering free availability of construction material from its mines. Acontemporary sources points out that state ordered its stone mines huwaldarto provide stones in kuwad for construction or repair of wells.²¹ Kagadabahino.30tells for construction of village well in Garabdeser, kakad (stone) were brought fromstate's mine to prepare mixturewith lime.²²

One of the major environmental constrain to sunk wells was

upcoming of salinewater. Geologists produced many reason behind saline nature in this part though one prominent cause is presence of limestone layer beneath the surface turns the water into brackish taste, Whereas only sweet water wells used for drinking purpose. Due to climatic situation rising PH level in soil, some area produces saline groundwater. Wells excavated in such soil bed produce brackish water and thus nullify the whole effort . Upcoming of brackish water enforce settlers to migrate in search of sweet water territory. To retain them in same region, state offers remission in taxes.²³ Evidence available in contemporary literature tend to show that darbar commended for digging more wells till sweet water found and ensure the cost of such exploration born from state revenue. It is necessary to appreciate the dynamics inherent in state–subject interactions regarding water management which can be assessed from the fact, during the process of unearthing well in village Singrawaliya undrinkable water for human comes up, whereas in nearby village Sansardesar had a sweet water well. In such, state drawn an adjustment to villagers of Singrawaliya by allowing them to draw water from village Sansardesar,²⁴ whereas the cattle's of same Singrawaliya village authorized to retain in their village to drink water.²⁵ This evidence emphasis the fact that the ruler of desert had greater concern for water source even by regulating its accessibility for human and animals.

Water is regarded as sacred component in Indian society, due to its vitality for life. A religious merit always attached to it. Most of the religious ceremony can be accomplish only at water body. Seeing this in late medieval wells has abode of spiritual saints. A close look of archival sources shows. In Rathore state most of wells near around in capital were residing place of saint and follower's disciple (chela). Some of the wells had the presence of hospice which also receives state patronage. From sawa bahi we came to know saint Ramdasji hospice was situated near Anadvijaysagar well.²⁶

Evidences available in contemporary literature tends manifests that well-diggers were usually belongs to lower strata of society. From archival document, we came to know Joyiaali was given rs2 per day wage for excavating water body in Hanumangarh.²⁷ Even the spoke wheel on the well, named as bhiwaniya, made by iron smelter on which rope²⁸ to lift water

moves.²⁹ Bhiwaniya was made from kejhri wood as depicted³⁰ in basic source that ram madahani suthar (carpenter) ordered to frame it.³¹

Interestingly, after the construction process gets over, there was provision of religious ceremony in Bikaner state, known as pratistha of well. As Anupum Mishra pointed out this ceremony was the process of thanks giving to mother land earth along with well to provide water,³² bahi chlewa re punayard ri elucidates that state gave adonation (dakshina) to Brahmin for the pratisha of well.³³ Even from one punyard bahiwe came to know in the ceremony state bestowed paga, kada, kusumal or other ornaments to stone cutters, labourer after completion of work.³⁴ This signifies the role and respect of people who indulged in digging off water bodies.

Perhaps, it was these religious practices that strengthen the natives feeling of therapeutic respect towards well water. People believe that water of specific wells will cure the disease, as did medicine. Due to this belief they treat the water of these wells as sacred. During my earlier research (M.phil) research days³⁵ I found one such document in foreign and political consultation of British times in National Archives of India. Document belongs to Bikaner ruler Raja Ratansingh times that he send 17 bottles of water of bijnasar well to Govenner General of India. By the same token he wrote in his letter water of this well is treated as sacred and good for the health.³⁶

To conclude, I must acknowledge that in late medieval time state was not played a role of passive viewer, but participated in arranging the water requirements of its subjects. Though it had limited source but urge to secure the revenue by founding new villages and keep urbanizing older ones necessitated to actualize compatible attitude towards water. It seems, perhaps if any neglect shown by the state, it would have ruin the settlement as well as its treasury. As this much I able to glean from archival sources and field research. I hope this paper will able to draw new lights on the water and environmental history of Rajasthan.

References:

1. I owe my thanks to Prof. R.C.Thakran, Prof. Abha Singh & Prof. G.S.L. Devra for sharpen my ideas through discussion at Delhi and Bikaner. I immensely learn from these scholaraship.but I, alone, remain, responsible for errors, omission and

- flaws. Nitinscholar@gmail.com , Research scholar , University of Delhi.
2. Purus was the measurement unit of depth of well. A Purus is around five feet (distance covered by a man by opening his hand in opposite side, horizontally on earth). Generally the water found in 300 feet deep. Such well were known as satti kua, as satti denotes to 60 Purus. Here satti denotes the depth of well. Whereas pallavini vasistha has wrote in her article satti is name of well see Pallavini vasistha, "Rajasthan mai jal sangrahen ke parampargat sroot ththa unke sarankhsan ke prayas" visembhra , no. 4, year 36, Oct-Dec. 2004, p.58.
 3. Our archival sources provides ample reference showing the state's concern towards urbanizing the village by offering various relaxation and tax remissions to people.
 4. Major Erskine wrote in his gazetteers there were 4000 irrigation well in the khalsa portion of land, see K.D. Erskine, Rajputana Gazetteers Vol.III-A, The western Rajputana state Residency and the Bikaner Agency, Allahabad, 1909,p.348.
 5. In Bikaner city well name kohar Alakeh sagar related to religious sect alakehyia.
 6. Anil Aggarwal and Sunita Narain (ed.), Dying wisdom: Rise Fall and potential of india's traditional water harvesting systems, CSE, Delhi, 1997, p.108-9
 7. A.H. E. Boileau, Personal Narrative tour through the western states of rajwara in 1835 comprising beekaner, Jesulmer and Jodhpur. Calcutta, 1937, p. 12.
 8. Kagada bahi no. 32 v.s. 1882/1825A.D.
 9. Kagada bahi No. 27, v.s. 1878/1821A.D.
 10. Kagada bahi no. 35-1 v.s. 1885/1828 A.D.
 11. Bahi gajsinghpura re kagad ri no.7 v.s.1900/1843,sawan budi 14
 12. Kagada bahi no. 9 v.s. 1811/1754 A.D.
 13. Council Hukum ri bahi No. 2 V.S. 1931 /1874 A.D.
 14. Name of tax imposed on hearth of each house.
 15. Kagada bahi no. 35-2 v.s. 1886/ 1829 A.D. kagada bahi no. 27 v.s. 1878/ 1821 A.D. gaav nibrasar ro kuwa dudh gaeo hai ...su rupiya 50 kuwa vasta dirya.Council hukum ri bahi no.2 v.s. 1931/ A.d gaav halasar ro kuwa ri murammat vaste rupiya 100 lagsi... su rukhwali ri bhanch su bhar dejo.
 16. Kuch mukam ri bahi, v.s. 1909/1852 A.D. sawan sudi 14.
 17. Kagada bahi no. 27 v.s. 1878/1821 A.D.
 18. P.W. Powlett, Gazetteer of Bikaner state,Bikaner, 1874, p. 93.
 19. Munshi Sohalal, Tawarikh Raj shri Bikaner,Bikaner p.17.
 20. Anupam mishra has comprehensively wrote types of building of packka kua, see Rajasthan ki Rajat bunde,Gandhi shanti pratisthan, Delhi, 1995, pp. 71-73. For more Also see <http://www.indiawaterportal.org/articles/rajasthan-ki-rajat-boondein-book-anupam-mishra>."The ancient ingenuity of water harvesting", a talk in English by Anupam Mishra, at the TED India 2009 Conference
 21. Kagada bahi no. 33/2 v.s. 1884/ 1823. ...Gaav ramsar re kohar vaste Kuhada nag 2 kadahye rakho..
 22. Kagada bahi no. 30 v.s 1881/ 1824 A.D.
 23. Kagada bahi no. 30 v.s. 1881/ 1824 A.D. ...gaav luhare re kuwa ro panni kharo ho su duje gaav su paani laye piva cho su chuut mail huve ... duhwe desprad gass charo upr mal dejo mai poti ek tiji chhod dejo. Kagada bahi no. 24 v.s 1818/ 1875 A.D.
 24. Kagada bahi no. 33-1 v.s 1882/ 1821 A.D. ...gaav singriwalyo ro pani accho na cho su hane danger too singriwalyo re kohar su paani pi si ne iiyea re gawa re

- vasivan ne thare gawa re kohar panni pich piwan vasatele javan de jo.
25. Tod wrote in his annals light quality brackish water fit for cattle, see Tod, Annals of Bikaner, p.221.
 26. Sawa bahi v.s 1885/1828 A.D.
 27. Sawa bahi suratgarh no. 5 v.s. 1885-86
 28. This rope known as bhayas, made from bufflo flesh, also named as birat.
 29. Sawa bahi surtgarh bahi no. 5, v.s. 1885-89 loha man 2 kuwa ri bhiwaniya 5 ½ kali ri hat su.
 30. Kagada bahi no. 24, v.s. 1875/ 1818 A.D.this bhun was made from the wood of khejri tree.
 31. Sawa bahi Suratgarh no. 5 v.s. 1878/1821 A.D.
 32. Anupam Mishra, Op.cit.
 33. Bahi chlewa re punyard ri v.s 1820-28/1763-71, folio number not legible.
 34. Sawa bahi suratgarh bahi v.s 1896/1839 A.D.
 35. Nitin Goyal, Rise and role of Merchants in Bikaner state, unpublished dissertation, University of Delhi, 2009.
 36. F.P.C. 14 june 1843." This 17 bottles water from bujneersar well in the city of Bikaner. Its medicinal properties were landed by his highness raja of bikaner personally to the Governor General of India". This document available in National Archives of India. New Delhi.

Socio - Religious Aspects Gleaned From Inscriptions of Parmaras of Bhinmal

Dr. Yasvir Singh

Inscriptions form an important source of History. The vast epigraphic material available in India provides the most reliable data for studying History. The importance of the inscriptions lies in the fact that they generally offer information about personages and events of Indian History about which nothing is known from any other sources. Apart from being the vital political documents inscriptions are endowed with great cultural significance. Perhaps there is no aspect of life which is not touched upon by inscriptions. Inscriptions have not only proved a source of highest value for the reconstruction of political history but they also gave glimpses regarding the social conditions and economic life of the ages they belong along with religious conditions of the ages they belong. There are many inscriptions which stood as a test only for the socio-religious conditions prevailed through the ages. In the present paper an attempt has been made to throw welcome light on the socio-religious aspects of Rajasthan in early medieval period through the inscriptions of Parmaras of Bhinmal branch. The paper is based on the following inscriptions found from Bhinmal area. These are - Ropi Plate inscription of Devraj (V.S 1069), Bhinmal Stone inscription of Krishan raja (V.S 1117 AND V.S 1123), Kiradu Stone inscription of Somesvara, Bhinmal Stone inscription of Jayatsimha(V.S 1239).

D.S. Ganguly in his work 'History of Parmara Dynasty' refers that Dusala the nephew of Parmara ruler Munja of Malwa' was the founder of the Bhinmal branch of Parmara dynasty, but on the basis of Bhinmal Stone inscription of Krishanraja(V.S 1117) in which the imperial epithet of Maharajadhiraj attached to his name shows that he was ruling independently and was the real founder of Bhinmal branch of ruling house. However, ignoring all this we are concerned with only socio-religious aspects.

The inscription under study throw light on following socio-religious aspects of early medieval Rajasthan.

1. Castes and Gotra: The present study reveals that the society was divided in various castes such as brahmanas, mahajans, gold smiths, kshatariyas, sutrachara, dharkuta, pragvata (Jains) etc. because the names of various persons like Govind, Jejaka, Jaisana, Vahasta etc of belonging to above mentioned castes are lying there in these inscriptions. The word different communities referred in Parmara inscriptions testifies the above fact. Further, the Gotra of Brahmana Nanaka son of Govind was Lohayana giving references of gotra system also.

2. Donations: The various inscriptions of Bhinmal branch of Parmaras are significant regarding the donations made by various people for increase the merit and fame of the parents and himself and also for getting bless of ditties. The Ropiplate Inscription refers the donation of a field while Bhinmal Stone Inscription of Krishanraja (V.S 1123) refers donation of a number of drama in favour of deity and Bhinmal stone inscription of the time of Jayatsimha refer once again the donation of drama to offered to deity by a couple and one other person.

It is interesting to add that such donations were continued by the successors of the donors irrespective of whosoever be the king. Further, some of the donations were made on the occasion of solar or lunar eclipses. This tradition is followed by now showing continuity of religious beliefs. Furthermore, the donations were witnessed by members of different social groups of the city.

3. Language and Text: The inscription understudy gleans that the Sanskrit was the language prevailing in Parmaras period in Rajasthan because all the recovered inscriptions of Bhinmal branch are in Sanskrit with Nagari character, however there are a few errors in writing such as omission of the letters and the omission of the signs of anusvara and visarga and the unnecessary in sections of the punctuation mark at some places. The text used in the entire inscription is prose.

4. Calendar: The entire inscription mentioned above reflects on the Indian Calendar prevailing in 11th-12th century A.D particularly in Rajasthan, and generally in India. The date and months recorded on inscription are in Vikrami Samvat such as full moon day of Magha, sixth of the bright half of the Magha, the 12th dark half of the Jyestha, first of the bright half of the Asvina etc. along

with name of the days of week like Sunday, Thursday, Wednesday etc. The dates mentioned in the inscriptions are very helpful in setting the chronology of rulers of Bhinmal branch of Parmaras. It is very significant that the early medieval people knew about the astronomy and the same calculation of time is prevailing today.

5. Festivals: Parmara inscriptions understudy also gleans that fairs and festivals were celebrated during 11-12th century A.D in Rajasthan. Bhinmal stone inscription of Krishanraja and Kiradu stone inscription of Someshvara and other inscriptions refers that a festival was held at Bhinmal every year in the month of Ashwin. This was held at famous Jagatswami temple. On this occasion, the oblation was to be offered and for the permanent maintenance of worship, various gifts were given by persons of different communities during the reign of Parmaras. It is important to add here that such festivals were not only meant for religious purposes but for social contacts and social harmony also. The restoration of Sun temple by two members of Jain community in presence of kings, princes, Brahmans, mahajans and other citizens as referred in inscription of Krishnaraja testifies the above statement.

6. Religion: The study of the Parmaras inscriptions from Bhinmal also throw light on the religious beliefs of the people of early medieval Rajasthan. It is evident from the inscription understudy that Saivism and sun worship were prevalent in the region. The object of almost all the inscriptions understudy was to record donations to various dities of the time. It is evident that all the rulers of Bhinmal were devoted to Saivism. Ropiplate inscription of Devraj refers Siddheswara Mahadeva temple, Bhinmal inscription of Krishanraja also talks about servant of office of religion of God Shiva (chandisa), two verses of Kiradu inscription are in favour of Shambhu i.e. Shiv confirms the above statement. It is important to say that rulers of Bhinmal understudy were followers of Pasupata sect of Saivism. The Bhinmal stone inscription of Krishnaraja may be cited in this regard. Most of the Saiva temples were attached to monasteries for the residence of Saiva saints. Some of these saints were entrusted with the task of management of temples. Bhinmal stone inscription of Krishnaraja(V.S 1123) mentions the name Javala who was a supreme teacher of Pasupatas.

Sun worship became very popular under the patronage of Rajput rulers as we find several sun temples and images in important cities and towns. Inscriptions under study also refer to the prevalence of Sun worship under the patronage of Parmaras of Bhinmal. Bhinmal stone inscription of Krishnaraja refers to the restoration of Jagatswami temple in the presence of kings, princes, Brahmans, mahajans and other citizens who restored saurdharma i.e. worship of sun. It further refers to the endowment of the temple with a golden cupola and a banner by Brahman Jejaka. Stone inscription of Jayatsimha (V.S 1239) also refers to the temple of Jagatswami (the sun) at Bhinmal town. Hence the inscription from Bhinmal throws welcome light on the religious belief of Bhinmal Parmaras.

7. Place names: The Parmaras inscription under study also mentions some place names of some settlements which were dwelled by people in early medieval period. The references of Srimala, Arbuda Chola, Gauda, Karnata, Malava, etc. The name Srimal occurs a number of times which reflects that this place was main centre of all social, political and religious activities of Parmara rulers.

Lastly it can be fairly said that inscriptions throw a welcome light on the various socio-religious aspects of Parmaras of Bhinmal, which were not known fully by literary and other sources. Although, the objective of these inscriptions was to record donations and other religious activities excepting Kiradu stone inscription which is a prasasti, a laudatory account of Parmara house yet all these refer to some other social activities also. The study is very important from a social point of view. The inscriptions glean that social harmony was prevailing in society which is also a need of the time. The restoration of temple by Jains in the presence of king and all other dignitaries from various social segments is a good example of social and religious harmony of the time. The study also reveals that Bhinmal or Srimala was an important centre of various social, political and economic activities of the times which was also a main centre of such activities and remain in later times also. It also reveals that at the time of advent of Muslims the Parmar rulers of Bhinmal were patrons of Hinduism and devotees of Shiva, the supreme god. The way in which Sun worship was prevailing in the time shows foreign influence. Hence the study is very important for socio-religious objectives.

Parables in the Kuvalayamala of Uddyotana Suri, the Jaina Preceptor par excellence

Shanta Rani Sharma

The Kuvalayamala is an outstanding religious narrative that was composed by the Jaina Acharya Uddyotana while he was residing at Jalor in 778 CE. The mention of the ruling king as Shri Ranahastin Vatsaraja, identified as the Imperial Pratihara ruler Vatsaraja, heightens the value of its testimony in the historical context of Rajasthan.¹ Uddyotana was a man of great learning and quotes extensively from works of Ashvashastra, Samudrashastra and nimitta.² The summarization of his work in Sanskrit by Ratnaprabhasuri, the Kuvalayamala –katha-sankshepa, in the thirteenth century CE stands evidence to the lasting popularity of his work. Ratnaprabhasuri explicitly avers that the Kuvalayamala enjoyed the distinction of a rajahansi (regal swan) in the hearts of learned people.

The Kuvalayamala, classified by Uddyotana as a dharmakatha primarily narrated with the objective of inculcating a leaning towards religious life, forcefully illustrates the evil effects of the five passions, anger, deceit, vanity, greed and infatuation through a biography of five souls passing through several births. The five different characters appear and reappear in different births until they are enlightened by an omniscient teacher and adopt renunciation, whereby they attain liberation. An adept at the art of instruction, Uddyotana ingeniously blends the fourfold facets of imparting a dharmakatha, akshepini, whereby the mind of the hearer is first captivated by narrating something pleasant or catching, vikshepini, whereby the mind of the reader which has already been captivated has to be dislodged from its attachment or addiction, sam vegajanan, whereby the mind of the hearer is made receptive to religious ideas with the ultimate target via the nirvegajani, whereby the mind develops detachment or renunciation.³

Various episodes and parables are employed to drive home

the serious consequences of one's actions, subtly but effectively promoting the Jaina principles of self-abnegation and adoption of a virtuous life thereby. The elaborate context delineating the previous birth of a wild rat⁴ is an illustration of this ingenious mode of instruction. King Koshala attacked and killed King Mahendra, whereupon the latter's queen Tara ran for her life, taking her eight-year old boy Tarachandra with her and arrived at a town where no one knew her. Hungry and thirsty, perturbed as to where she could reside and where she should not stay, what she should do or not do, where she should seek entry, whom she should inquire from, what she should say, akin to a timid fawn separated from the deer herd, Tara happened to run into two Jaina nuns. Regarding the nuns to be worthy of her esteem and deciding to seek refuge from them, she grasped her son's finger, approached the nuns and offered salutations to them. When the nuns came to know that she had no place to go to, they took compassion on her and invited her to be the guest of the pravartini. Her beauty and demeanour betokened her royal parentage to the pravartini, who learning of her misfortune sheltered her as her own daughter. Her son was anointed, bathed, fed, dressed and seated comfortably.

In due course of time, seized of the fact that the usurper was cruel and there was no hope of regaining the kingdom, Tara accepted the advice that as a remedy to her plight she should submit her son to the Acharya and accept renunciation in their midst, whereby the manifold miseries of worldly existence would be annihilated. With a leaning towards royal pleasures and youthful impulses, the boy engaged in unapproved activities such as practice of the sword, bow, dance and music and was admonished by his various preceptors. On one occasion when he stepped out of the place, he caught sight of wild rats playing in the forest and envied them. 'These rats are fortunate', he contemplated, 'they play whenever they wish to, they do not hear harsh words, nor do they offer salutations and they roam wherever they wish to. I live a lifeless life, under the control of others, one says do it like this, the other again says do this, this is fit to be eaten, this is not to be eaten, drink this, do not touch this, this is the atonement, observe this, be polite, present obeisance here, offer repentance and so on. There is not a moment to relax. These rats are indeed more fortunate than me'. He could not

reconcile to the rigorous discipline there and though born as a God after an accidental death, he was reborn as a wild rat on account of his envious thoughts in the previous birth, for which there was no atonement. The feelings of distress and perplexity bestirring the queen when forced to flee are elaborated in a touching way. The unfortunate predicament faced by her son and his exasperation at the restrictions is also expressed in a most natural way, well within the ken of the masses listening to the religious narrative. His subsequent rebirth as a mouse imparts an admonition against infringement of the rules of the Jaina ascetic way of life.

There is also the parable of the Kaumbari fruits,⁵ which convincingly underlines the worthlessness of worldly benefits. A merchant who was on a sea-voyage was ship-wrecked and marooned on an island. Fatigued by hunger and thirst, he explored the island, only to discover that it was covered with thorny prickly trees, inhabited by wild animals such as lions, tigers, bears and jackals, replete with filth and mire and reverberating with the terrifying calls of jackals. Then he came across other ship-wrecked persons who had embarked on trade just like him. After exchanging their experiences, they all got together and hunted for a fruit bearing tree to alleviate the unbearable hunger and thirst. Eventually they located three thickets, each of which bore a Kaumbari plant. The sight gladdened their hearts and they said to each other, 'We have found what had to be found, now we shall be happy'. However when they searched for the Kaumbari fruits, they could not find even a single one. Dejected and depressed, they started subsisting like crows. As time passed, their wishes came true and the Kaumbari plants shot up new shoots. Their hopes now centred around the Kaumbari, which they cherished dearly and protected against any damage from birds such as crows. Observing that a ship had been wrecked, a merchant passing by was moved by pity and sent over his boatmen to rescue the travelers. The boatmen came to the island and perceived the people who had centred their hopes for life on the Kaumbari plants. They informed them that they had been sent to them by the owner of the ship and asked them to accompany them and free themselves from the miserable island. At this one of them responded, 'What misery is there on this island, this is home, this Kaumbari has borne fruit, it will bear fruit again. Water will

come from rain. What unhappiness exists here, or rather what happiness exists on the other shore. I will not leave. In midst of the sea even this will not be there'. Then the sailors spoke to the second man. He started saying, 'This entire island is abounding with hundreds of sorrows, and happiness such as there is not here. But since if I leave the Kaumbari it will be destroyed by the birds, I shall eat the ripened fruit first and will stay on until a boatman comes by again. I will not leave now'. Therefore they asked the third person to accompany them. He responded, 'A welcome to you. It was good of you to come. This happiness is worthless and transient. This island is full of dangers'. He boarded the ship and went to the shore. He reunited with his son, friends and relatives, and enjoyed his wealth along with them. The religious preceptor explained the parable, which he referred to as a drashatant, for the benefit of the listeners. The great ocean, he elucidated, was the world, difficult to traverse due to the whirlpool of birth, old age and death. The island represented human birth, which was full of bodily and mental afflictions. The three persons symbolized different kinds of souls. The thickets corresponded to houses and Kaumbari to women (or wives). The boatmen were religious preceptors, the boat was initiation and the shore was liberation. Further elaboration followed regarding the three different souls, abhavya (soul not worthy of liberation) kala-bhavya (soul that will attain liberation in time) and tat-kshana-bhavya (soul that will attain liberation right away). The first was irrevocably entangled in worldly temptations, the second lingered on a little as a householder and the third immediately renounced the world to attain eternal bliss. The simple story that is woven around certain shipwrecked people and the Kaumbari fruits no doubt serves a didactic purpose. But it is firmly anchored in a familiar backdrop.

The episode describing the enlightening incident experienced by king Ratnamukuta is equally edifying. The ruler who enters his private apartment happens to catch sight of a moth in the act of jumping into the flame of a lamp. The compassionate king reflected that the unfortunate moth would be killed if it did so. Therefore catching it in the palm of his hand, he threw it out of the door. However it returned immediately. 'See what fate has in store for this moth' said the king to himself. He saved it again and threw it out again. But it came back. Then the king reflected, 'It is believed

in this world that a person who is protected expediently lives on for a hundred years. So I will ascertain whether effort effectively saves a person who is near to death' and he took hold of the moth again. 'I will protect it. If this moth is saved from the mouth of death, then I will know that life can be saved by physicians and medication. If this moth does not live despite my extending protection to it, then there is no refuge from death and I will strive to secure my welfare in the other world', deliberating thus he looked around. He spotted an open casket. He dropped the moth in to the casket without delay, closed it and kept it next to his pillow. After that the ruler went to sleep and when he woke up he sought to investigate the result of his exertion. At that time the ruler saw a lizard. When the moth was not to be found he realized that it had been eaten by the lizard. It was clear to him now that there was no rescue from death and one's past actions were all powerful. The cure by physicians and medication was ineffective. There existed no refuge from death in the entire universe. Disgusted with worldly life, the ruler mentally accepted renunciation. He became a monk thereafter, having realized the asharanata (lack of refuge) in the world.⁶ The framework is neither mythical nor out-of-the-way. The field of perception centres on an episode of daily life, which an individual could perceive and experience personally. The story is rendered effectively to communicate the Jaina conception of asharana bhavana, reflection on the helplessness of the jiva in this phenomenal world to enable sa?vara or stoppage of influx of karma.

The parables are kept succinct but are explained minutely to cultivate renunciation in the mind of listeners. The sudden turn of fate and the resultant tribulations in the life of the queen and her son in the first parable assume a new significance in light of the posited correlation with the harsh consequences of one's action (karma) and the resultant rebirth in a different species. The tale of the Kaumbari fruits on the other hand effectively illustrates the worthlessness of worldly pleasures such as possession of a house and wife since the world is full of sorrows and afflictions. The story of the moth convincingly illustrates the inexorable effect of karma on an individual. The ingeniousness of Uddyotana in presenting situations which the general populace could relate to and the persuasive imageries employed by him provide a fascinating insight

into the erudition of the Jaina Acharya and his skill at reaching out to the masses.

References

1. cf. Shanta Rani Sharma, *Society and Culture in Rajasthan, c. AD 700-900*, Delhi, 1996, which explores the various aspects of socio-economic life presented in the *Kuvalayamala*; Idem, (forthcoming) book on the Pratiharas (under publication Centre for Rajasthan Studies, University of Rajasthan) for further details.
2. Shanta Rani Sharma, *op.cit.*
3. *Ibid.*
4. *Kuvalayamala* (henceforth KM), pp. 99 f. (My translation).
5. KM, pp. 88 f. (My translation).
6. KM, pp. 140 f. (My translation).

Zakhirat-ul-Khawanin an Important Source for the History of Rajput Bureaucracy

Prof. Pushpa Sharma

Persian was the language of the bureaucracy in the Indian-subcontinent right from the inception of Delhi Sultanate (C. 1206.) down to the fall of the Mughal empire (C. 1857), for more than six centuries. The Persian heritage is illustrated in many aspects of medieval historiography, including composition of biographies of the bureaucrats of their respective eras by determining the choice of subject that merited literary treatment of the medieval history. Abdul Rahim Khan-i-Khanan¹ pen downed on the history of great bureaucrats including of Bairam Khan and phenomenal deeds of his predecessors. We may call him trained setter, who introduced this art of historiography among his fellow colleagues and yet avoided precision of bureaucratic references, this is one of the main reason that only few historians of Akbar and Jahangir's era briefly focused and highlighted the complete life sketches of even distinguished senior nobles and other such towering bureaucrats and Rajput personalities. Zakhirat-ul-Khawanin² one of the most important Persian Tazkirah has of late attracted the attention of modern historians which deals meticulously with the Rajput bureaucracy. The author of the Zakhirat-ul Khawanin was Shaikh Farid Bhakkari who was the son of Shaikh Maruf. Shaikh Maruf was appointed Sadar of Bhakkar and also served under Nizam-ud- Din- Bakhshi, the author of Tabaqat-i- Akbari, also one of the best friend of Mir Mohammad Masum, who authored the famous Tarikh-i-Sind. It was on the behest of Nawab Shaistah Khan Khan-i-Khanan, the history famous bureaucrat and commander of the Mughal Court that Shaikh Farid Bhakkari compiled Zakhirat-ul-Khawanin in C-1650. The closeness of the Bhakkari family to Shaistah Khan, Khan-i-Khanan and other academia made this account more authentic and reliable as reveals from the under mentioned Persian lines.

Text

The Persian text of Zakhirat-ul-Khawanin presented, Rajput

groups under the concept of small biographical notes and references, have not hitherto been available to wider scholastic world therefore kudos to Prof. Moinul Haq³, the famous historian of Pakistan historical society, Karachi for introducing Persian text of Zakhirat-ul-Khawanin to the scholastic world. Yet Zakhirat-ul-Khawanin has of late attracted the attention of the first rank historians of modern Indian, prominent among them are Prof. Irfan Habib, Athar Ali, Qeyamuddin Ahmed and S.B.P Nigam who utilizes Zakhirat-ul-Khawanin in their respective works.

In this presentation attention is confined to only those portion of Bhakkari's account which relates to Rajput bureaucracy. The references are in regional order according to the information furnished therein by the Bhakkari. Zakhirat-ul-Khawanin provides details about Raja Biharimal, Raja Bhagwan Das, Raja Man Singh, Mota Raja Udai Singh of Jodhpur, Rai Lankaran Kachhawah, Raja Madho Singh, Rai Durga..... Raja Gopal, Rai Surjan Hada, Raja Rupsi, Raja Jagat Singh, Raja Ram Singh, Medini Rai, Raja Bhoj, Rai Laxman Bhaduriya, Rai Rayan Patar Das and Raja Ram Das Kachhawah⁴ which referred in the Persian text as under.

Text

After giving an account of their Mansab, cast titles, Bhakkari provides us some unique anecdotes of Kachhawahas. He Unhesitatingly portrays outstanding secular character of Raja Man Singh of Amer, a firm believer of Hinduism and also one of the most successful and illustrious personality among the contemporary Rajput Rajas. His version is supported by the celebrated court historian Abul Fazl. However, his account of the other prominent figures are very sketchy, except some specific information given by him about Raja Lunkaran Kchhwaha, Raja Surjan Hada, and Raja Ram Das Kachhawaha as reveals from the under mentioned lines.

Text

Zakhirat -ul-Khawanin is also a good source of social rituals, customs and religious conventions that prevailed among the Rajput bureaucracy e.g. - equal respect for all religions, protection of the minorities, weaker sections and innocents, protection of public and state property, supreme sacrifice for the authority and their immediate army commander for the cause of the senapati or for that matter

accountable to their Maharaja. After giving an account of the Kachhawaha bureaucracy Bhakkari furnishes details of their other deeds, though in brief. In this way Zakhirat-ul-Khawanin not only increases our interest in contribution made by the Rajput bureaucracy in the political socio-economic-military administrative setup of the Mughal empire, which are observable throughout the period, but draws attention to hitherto little noticed areas of the Mughal bureaucratic system and about the role played by the Rajput bureaucracy and its administrative importance for the history of the Mughals.

It also reveals from the account of Shaikh Farid Bhakkari that the role which the Rajput bureaucracy played and assumed was of geo-political in nature and administrative in character. Apart from being administratively close associates with the ruling Mughal dynastic rulers in medieval monarchical state system, the Rajput bureaucracy were themselves also rulers, ministers and officials in their own ruling areas and there respective domains. The illustrations of the Rajput bureaucracy fairly represents to Kachhawahas, Hadas, Bhadoriyas, Rathores and Purabiyas. It should be remembered that during the time when Mughals were flourishing, the Rajput bureaucracy also formed a part of a political system in which different contemporary rulers found themselves pitted against each other due to their identical expansional ambitions. This also motivated them to join Mughal bureaucratic system. Mughals too were hard pressed by their Afghan rivals.⁵ The situation eventually led them on to only one ultimate course - battles followed by more battles which ultimately led them to join Mughal bureaucratic system and on the other hands Mughals also wanted to have them against mighty Afghans by whom they had recently driven out from India and Mughal crown regained only with the help of the Iranian authority, Shah Tahmasp Safavi .

Text

It is also indicated in Zakhirat-ul-khawanin, that Humayuan was the first to secure the help of the Rajput bureaucracy and he had successfully annexed the areas located in between Delhi and Amer with the help of the Rajput bureaucracy particularly the forts of Narnaul and Hisar were annexed with the help of the Kachhwahas as is evident from the under mention lines.

Text

We have plenty of Persian archival documents supporting Mughal dependency on Rajput bureaucracy for the stability and survival of Mughal power in India, but the Zakhirat-ul-Khawanin is the only Persian text in which we find that it was impossible to rule India without the support of the Rajput bureaucracy as reveals from the under mention reference.

Text

The version of Zakhirat-ul-Khawanin is also proven by the Rajput policies of Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb and even of later Mughals. It is also noticeable in the Bhakkari's account that certain conflicting situations with regards to the valuation of military status and hierarchical structure of the Rajput bureaucracy have been written in a low profile key in comparison to given in the other Persian chronicles i.e. Abul Fzal's, Ain-i-Akbari⁶ and Badaoini's, Munthakhab-ut-Tawarikh, ⁷ however the references regarding literary activities of the Rajput bureaucracy are very informative in the Zakhir-ul-Khawanin. Their expeditions towards Ordissa, Bengal, Bihar, Kabul and Kashmir are extensively recorded but scant attention is paid to the local skirmishes and rivalries which commonly prevailed among the Rajput bureaucracy. In spite of this Bhakkari's description of bureaucracy, culture and their relationship in peace and war are very informative, authentic reliable and fascinating and evoked our interest in this little used Persian source.

References :

1. Cf. Abdul- Rahim Khan-i-Khanan, Maasir-i-Rahimi, ed. Mulla Adbul Baqi Nihavandi, Bibliothica Indica, Vol I -III, Calcutta, 1927.
2. Cf. Shaikh Farid Bhakkari, Zakhirat-ul-Khawanin, Persian text (ed) Syed Moin-ul-Haq, Vol I, II, III Karachi, 1961.
3. Syed Moin-ul-Haq (ed.) Zakhirat-ul-khawanin Vol I, II, III Karachi, 1961.
4. Zakhirat-ul-khawanin, op. cit. pp. 205, 2015, 219, 228, 234-238.
5. Zakhirat-ul-khawanin, op. cit. pp.- 238.
6. Abul Fazl, Ain-i-Akbari, (ed.) H-Blochmann, vol I, Oriental Reprint Delhi, 1977, pp. 361, 422, 472, 554, 555, 569.
7. Abdul Qadir Badaoni, Muntakhab-ut-Tawarikh (ed.) W.H. lowe, Vol I, Delhi, 701973, and Wolesely Haig, Vol III, Delhi, 1973 pp. 144 -46, 233, 300, 350, 366

***Garhi*: Definition and Significance**

Maroof Ahmad

There is no substantive work has been done so far to understand the meaning and significance of *garhi*. Time to time scholars have given passing reference of *garhi* as a small fort or simply as a fort. Like William Irvine, Irfan Habib and SZH Jafri has translated the Persian word *qilacha* as *garhi*.¹ James Tod has used the word castle for *garhi*.² They have associated these *garhis* basically with the villages.³ Muzaffar Alam on the other hand has used the term fort and fortress both for *qilacha*.⁴

The literal meaning of *garhi* in various dictionaries and sources has been given as small fort,⁵ mud fort,⁶ castle⁷ and fort.⁸ Wilson in his glossary of judicial and revenue terms mentions the *garhi* or *gadhi* as: 'a fort, a mud fort, a hill fort, or the one the walls of which are of very thick clay, strengthen by bastions.'⁹

These meanings do not provide a clear understanding of *garhi*. However, there is no doubt that *garhi* is a form of fort but how can one differentiate between a general *qila* or fort and a *garhi*? Can we use the term *garhi* and fort interchangeably?

In India the practice of building forts throughout the history was a common phenomenon. In *Arthashastra*, Kautilya emphasized the need of constructing forts to defend from the enemies. He has divided the forts according to their geographical locations in the following types.¹⁰

- Water-fortification (*audaka*): Consists forts on river, island surrounded by water.
- Mountainous fortification (*párvata*): Consists rocky tract or cave.
- Desert fortification (*dhanvana*): Consists the area devoid of water and grown in barren soil.
- Forest fortification (*vanadurga*): Consists the area surrounded with dense forest.

The construction of forts during the medieval period also was

necessitated basically on account of defence purposes. However, all the forts were not of same style and category. In *Ain-i Akbari* Abul Fazl mentions three types of fort, (i) brick fort (ii) mud fort, and (iii) stone fort.¹¹ Since forts were the symbol of prestige and status, we see that even the small and petty chiefs did not lag behind in erecting forts according to their status.¹² Many of the forts also served as fort cum palace and even some were used for imprisonment also.¹³ In this connection we see that Forts served multi functions at the same time but all forts were primarily built for the purpose of defence.

On the other hand *garhis* were also built for defensive purposes. The first reference of *garhi*, during the Mughal period we find in *Akbarnama*. *Akbarnama* simply mentions the *garhi* as the gate of Bengal¹⁴ without giving the clear meaning of why it is known as *garhi*? In *Maasir-ul Umara* also we find the reference of Teliagarhi as a gate of Bengal but still we do not get the actual meaning of *garhi* in this.¹⁵

In this sense we come across the references of James Skinner and Baden Powel who mention about the meaning and working of these *garhis*. Skinner, while his expedition against the local *zamindars* in Maratha territory mentions the siege of fort of Kasree Singh. When Rajputs were defeated, Skinner mentions, "All were utterly beaten and cut into pieces except Kasree Singh, who, with about 1,000 that remained took refuge in a small *ghuree*, or keep, with four bastions, that was in the centre of the large fort. When Luckwa Dada, who was a brave man, came to and saw the carnage, he praised the Rajputs as noble fellows who ought to be saved, and he ordered Pholman to make any terms he liked with them. Lieutenant Vickers was accordingly sent to treat with them, and the Rajputs at once said that if Colonel Pholman would give them his word that they should be allowed to march out with their arms, they would give up the *ghuree*; otherwise, they would blow it up, with all their wives and children, and die, sword in hand, like good Rajputs."¹⁶

This description defines the *garhi* as a fort within fort. It also clears the fact that *garhi* is a small fort and is used by local *zamindars* to defend them and their retainers at the time of invasion. In this connection Baden Powel's definition is also worth noting.

According to him, “the village headman occupies the central building sometimes it is known as *garhi*.”¹⁷ He further explains, “It was large enough to accommodate his whole family and dependents. To defend his village from enemies the village headman made his house a veritable fort.”¹⁸

Thus these *garhis* were made in such a manner so that it could protect them in the time of trouble. These were dug at the strategic points surrounded by dense forests.¹⁹ The natural surroundings were the basic feature of these *garhis* and where such natural surroundings were not present, *zamindar* of the area arranged the alternative measures to protect their *garhis*.²⁰

The importance of *garhis* should be seen in a particular time and space. We see that by the time of seventeenth century the *zamindars* in their villages were constructing their *garhis* to station their retainers.²¹ The construction of such *garhis* was common and even the authorities considered it as the legitimate right of *zamindars* to raise their *garhi*. The construction of these *garhis* became problematic for the state when these *garhis* were used not for merely stationing their men and for maintaining their rights over peasants but to resist the state authorities.²²

We see that the construction of these *garhis* was more prevalent during the eighteenth century. The period was marked by political instability both at the centre and periphery. Taking the opportunity all the local potentates were trying to strengthen their position and defying the state authorities. In this regard we can see the formation of *garhis* by the local powerful groups, the leader of which was the dominant *zamindar* of the area who termed himself as ‘Raja’. Thus it could be said that the *garhis* were basically built at the village level by these Rajas to defend themselves both from the state and the local neighbouring Rajas.

Since these *garhis* were the residence of village headman or dominant *zamindars* of the area, they also served as the centre of social activities performed inside the walls of *garhis*. Najmul Raza Rizvi in his work on *zamindars* mentions the condition of *garhis*. The local *zamindars* maintained their *garhis* on the same line of royal forts cum palaces and preferred to live in their *garhis*. They also held regular courts attended by priests, poets, pundits etc. Like the Delhi Emperors they were also used to take gifts from the visitors

and on various occasions *zamindars* honoured many of them. Similarly music and amusement activities were also taking place in these *garhis*. In short we can say that these *garhis* were quite small in size in comparison to royal forts but these local *zamindars* never failed to match them with Delhi court.²³ The activities performed in these *garhis* should not be seen in isolation and should be analyze in the context of 18th century. These activities were basically an attempt to challenge the sovereignty of Mughal state.

The importance of *garhis* both for state and local forces grew only when state was getting weak and chaos was prevailed all over. This also challenges the view of revisionist historiography that there was continuity even after the fall of Mughal Empire. If there was such continuity of administration, than why the regional states were so inefficient to deal with these local challenges? We find that during the eighteenth century the state was making compromises at every level with the local groups.

Thus from the ongoing discussion we can conclude through following points:

- (i) *Garhi* is basically a residence of village headman and built at village level.
- (ii) It also served as a small fort, used for defensive purposes, and dug at strategic points.
- (iii) It could be termed as fort within fort but could also be an independent structure.
- (iv) Like the royal forts *garhis* were also involved in performing the social activities.

Since this is a preliminary research to throw a light on the definition and significance of *garhi*, I would like to expand this by doing some case studies on different *garhis* scattered in different parts of India. Even some of these *garhis* have no remains, still the places have been named after the name of *garhi*.

References:

1. William Irvine, *The Army of the Indian Mughals*, Low Price Publication, New Delhi, 2004, p.64
2. James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western Rajput States of India*, Ed. with an introduction by William Crook, C.I.E., Humphrey Milford, Oxford University Press, 1920, p.204

3. Irfan Habib, *Agrarian System of Mughal India*, Oxford University Press, Delhi, 1998, p. 204, 309.
4. Muzaffar Alam, *Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and the Punjab-1707-1748*, Oxford University Press, Delhi, 1986, p. 105
5. John Shakespear, *Dictionary, Hindustani & English*, London-1817, p. 639; also see, Alexander Cunningham, *Report on Tour in Eastern Rajputana: 1882-93*, Office of the Sub. Of Govt Printing India, Vol XX, 1885, p. 109
6. ACL Carlleyle and Sir Alexander Cunningham, *Report of Tours in the Central Doab & Gorakhpur in 1874-75 & 1875-76*, p. 10; also see, SZH Jafri, *Armed Zamindar: The Power Play in Awadh 1595-1858*, in 'Studies in the Anatomy of Transformation: Awadh from Mughal to Colonial Rule', Gyan Publishing House, New Delhi, 1998, p.96
7. John Shakespear, *Dictionary, Hindustani & English, London-1817*, p. 639; James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan or the Central and Western Rajput States of India*, p.204
8. John Murray, *Handbook of the Madras Presidency with a Notice of the Overland Route to India*, London 1879, p. XVI.
9. H.H. Wilson, *A Glossary of Judicial and revenue terms and of useful words Occurring in Official Documents Relating to the Administration of the Government, 1855*, p.169
10. *Kautilya: The Arthashastra*, Edited, Rearranged, Translated and Introduced by L.N. Rangarajan, Penguin Books, New Delhi, p. 583
11. *Ain-i Akbari*, Tr. Col. H.S. Jarett, Vol II, Low Price Publication, Delhi, Reprint 2011
12. B.D. Chattopadhyay, 'The Emergence of Rajputs as Historical Process in Early Medieval Rajasthan', p. 177; R.L. Mishra, *The Forts of Rajasthan*, Kutir Prakashan, Mandawa Rajasthan, 1985, p.7
13. *Tuzuk-i Jahangiri*, Tr. Alexander Rogers, Ed. By Henry Beveridge, Low Price Publication, Delhi, reprint 1999, p.111
14. *Akbarnama*, Abul Fazl, Low Prize Publication, Delhi, reprint 2011, pp. 52, 98, 230
15. *Maasir-ul Umara*, Nawab Samsam-ud-daula Shah Nawaz Khan and his son Abdul Hayy, Tr. By H. Beveridge, Vol I, pp. 175, 304, 602, Vol II, pp. 161, 362, 395, 721, 750
16. Fraser, J. Baillie, *Military Memoir of Lieut.-Col. James Skinner, C.B.* Vol. I, Smith Elder & Co., 65 Cornhill, 1851, pp. 136-37.
17. Baden Powel, *The Origin and Growth of Village Communities in India*, Swan Sonnenschein & Co., Ltm, New York, Charles Scribners Sons, 1899 pp. 10-11, also see Baden Powel, *Land Revenue and Tenure in British India*, The Clarendon Press, Oxford, 1894 p.68
18. Baden Powel, *The Indian Village Community*, Longmen Green and Company, London, 1896, p. 13
19. Syed Najmul Raza Rizvi, *Zamindars & Revenue Farmers of Eastern Uttar Pradesh*, Anamika, Publishers and Distrib., Delhi, 2004, 120-121

20. Raja Mahabat Khan of Azamgarh constructed a wide and deep ditch around the city of Azamgarh and appointed a *barqandaz* at every important point. Similarly Sarvajit Singh planted the dense bushes of bamboo trees to protect the *garhi* of Baramidpur of pargana Mahul of Azamgarh, Najmul Raza Rizvi, *Zamindars & Revenue Farmers of Eastern Uttar Pradesh*, p. 122
21. SZH Jafri, *Armed Zamindar: 'The Power Play in Awadh 1595-1858'*, p.96
22. In the *Insha-i Roshan Kalam* a number of expeditions against such forts of recalcitrant *zamindar* are mentioned. Rad Andaz Khan and his deputy Sher Andaz Khan boasted of their services in destroying and capturing various *garhis* of the *zamindars* of Baiswara; Irfan Habib, *Agrarian System of Mughal India*, p.204, also see, S.N. Sinha, *Subah of Allahabad Under the Great Mughals 1580-1707*, Jamia Millia Islamia, New Delhi, 1974, p. 111; SZH Jafri, *Armed Zamindar: 'The Power Play in Awadh 1595-1858'*, pp.96-97
23. Syed Najmul Raza Rizvi, *Zamindars and Revenue Farmers of Eastern Uttar Pradesh: From Mughal to Colonial Rule*, pp. 120-121

Religio-Cultural Route from Agra to Ajmer in Mughal India

Dr. Nusrat Yasmeen

The study of routes is an important aspect of the historical geography. Routes were developed for travelling and the significance of routes is seen from the point of view of trade and commerce. This can be seen from Joseph E. Schwartzberg's *A Historical Atlas of South Asia* and Irfan Habib's *An Atlas of the Mughal Empire*. These maps are important from political and economic point of view but these routes also have a great socio-cultural significance. Thus in this paper, I shall concentrate here on this route from the socio-cultural point of view. To understand the socio-cultural significance of the route, I have selected to study the route, spanning from Agra to Ajmer. This route carries religio-cultural significance owing to the dargha of Khawaja Moinuddin Chishti and Pushkar. Travellers who travelled for commercial interests left with variety of socio-cultural experiences in their travelogues.

The experiences related to environment, wildlife, accommodation and hospitality are the matters of our interest. For this we should see the route which they followed during the course of their journey. Though generally, the Mughal emperors are brief and do not provide details of the aspects indicated above.

On the basis of the information contained in the sources, we have drawn routes. The history of places on the route as indicated by the travellers has been discussed. On this basis two distinct routes emerged; begins from Agra to Ajmer. One route is indicated by Abul Fazl. He mentions the following sixteen stages of journey:

1. Midhakur
2. Fatehpur Sikri
3. Passed Khanwa and halted near Juna
4. Karoha
5. Bhusawar
6. Toda (Todabhim)

7. Kalawali
8. Kharandi
9. Dausa
10. Passed Hansmahal
11. Sanganer
12. Near Neota
13. Jhak near Mozamabad
14. Sakhun
15. Kajbil
16. Ajmer

Nearly fourteen stages have been spotted. This route was followed by Akbar when he first time visited Ajmer. He went there as mark of thanks giving to Khawaja Moinuddin Chishti. Abul Fazl writes, “at the time when he was seeking for a son, had made a vow to his God that if this blessing should be attained, he would perform an act of thanking which should be personal to him, viz, that he would walk from Agra to the shrine of Khawaja Moinuddin Chishti, and there pay his devotion to God.”¹ The visit was fixed when the *urs* (*death anniversary*) of the saint was celebrated. As per Abul Fazl’s statement, “Each day he (Akbar) journeyed ten or twelve *kos*, less or more.”²

As mark of devotion, Akbar performed journey on foot from Agra to Ajmer. He straight way went to the shrine and placed the forehead of sincerity on that spot and implored help. He stayed there several days and distributed gifts among the attendants of the shrine. Abul Fazl refers a quarrel among the attendants of the shrine for the division of the large gifts. When the superintendent of the shrine Shaikh Husain claiming the descendant of the Khawja took possession of the whole of the money, other attendants objected and challenged the descendants of the Khawja. They challenged him to be false descendant and the other claimant of the Khawja’s descendants. Akbar set up an enquiry and by persons of impeccable character. As per enquiry report Shaikh Husain claimed ‘sonship’. Thus the charge of the shrine was changed to Shaikh Muhammad Bukhari who was in Abul Fazl’s word, “distinguished among the Sayids of Hindustan for knowledge and fidelity.”³

Akbar seems have constituted management committee for looking after the *dargah*. He also asked the committee for making arrangement for the pilgrims. He also assigned the committee to construct the mosque and *khanqahs* in Ajmer. Hence, Ajmer received special attention of the highest sovereign authority of Mughal India.⁴

An interesting information provided by Palsaert who calls Khawaja Moinuddin Chishti as Pir Ghazi Muinuddin which he seems to have heard from the public and the Khawja was also known as Pir Ghazi. Further he writes that pilgrims made journeys from distant places and particularly those who were childless. In addition to the *kosminar* with a well he also built *mahals* for women at every eight *kos*.⁵

Thevenot says that the famous Khawja Moinuddin who was in reputation of sanctity amongst the 'Mahometans', was reverence at Ajmer, and from all parts of, they come in pilgrimage to his tomb. It is a pretty fair building. Further, Thevenot gives a good account of the premises with the reference of different structures.⁶

Routes given by Joannes De Laet and Peter Mundy are largely similar but different to Akbar's pilgrimage route. On their route all those destinations which are important from commercial point of view, are situated. For instance Akbar did not take the route of Bayana while Peter Mundy did because Bayana was famous for high quality of indigo.

Emperor Jahangir also furnishes interesting information while he started his journey from Agra to Ajmer. He says that just after leaving Agra, he alighted at the *darah* garden. There he stayed for eight days and also celebrated *Dushera* festival.⁷

In the *Tuzuk-i Jahangiri*, there is a description of *Shab-i Barat*.⁸ On this occasion Emperor Jahangir ordered to light lamps around the hills near *Anasagar* as well as its banks which looked very beautiful. He has expressed that "I passed the most of that night with the ladies of mahall on the bank of that tank."⁹

On his journey from Agra to Ajmer, Peter Mundy has also provided interesting information when he halted three *kos* after Chatsu. Bakir Khan who was accompanying Peter Mundy solemnised the *Nouroze* festival.¹⁰ There was magnificent celebration by beating the *drums* of silver and trumpets of gold.

Apart from this, there was a fighting of camels and in afternoon there was feasting together of the chiefs and their followers. At night the area was lightened for the celebration of the feast of the New Year.

Emperor Akbar is known for his reputation and determination for hunting. He made an expedition in January 1562 and set off to Ajmer with few attendants who belonged to the hunting party. The Emperor also issued an order that Maham Anaga to convey the *harem* to Ajmer via Mewat. On this cultural route mention is also made of the place Kalavali (Karauli).¹¹ In 1569, Akbar again went to Ajmer and every day enjoyed hunting there till long as well as paid his respect to the *dargah* of Khawja Moinuddin Chishti as well as scattered coins into the skirts of the attendants. He stayed there for a week and every day visited the shrine. In fact, the Mughal Emperors' religious journey to Ajmer was also associated with leisure and pleasure of hunting. Emperor Jahangir says that it was the season for travelling and hunting. He left Agra and encamped in the Dahrah garden and stayed there for four days and next he stayed at Rup Bas and sojourned there for eleven days and in his own words, "As it is a fixed hunting place, I every day mounted to go hunting, and in these few days 158 antelopes, male and female, and other animals were killed."¹² Further Jahangir says that he proceeded towards Pushkar and hunted two tigers.

Regarding places of visits and the hunting activities as well as presence of rich wild life also information is available. Jahangir himself mentioned in *Tuzu-ki Jahangiri* "I visited Ajmer nine times the mausoleum of the revered Khawja, and fifteen times went to look at Pushkar lake: to the Chashma-i Nur I went thirty eight times. I went out to hunt tigers, etc., fifty times. I killed 15 tigers, 1 cheetah, 1 black-ear (lynx), 53 nilgaw, 33 gazelle (gawazn), 90 antelope, 80 boars and 340 water fowl."¹³

For the staying facility of the travellers, accommodation and hospitality *sarais* were constructed by the state. When Sher Shah Suri built *sarais* at every *kroh* on the highways in his empire, he also erected road and *sarais* from Jaunpur to Bayana and Ajmer. In the *sarais* some inherited cultural amenities were provided by him. Earthen jars were placed separately for the Muslims and Hindus at the gate of each *sarai*. He built a mosque; a house for king and

well, as well as an Imam and a Moazzin were appointed at every mosque while Shiqqdar was posted as incharge of the *sarai*. He also allotted them lands for their maintenance. These *sarais* were also used as post offices for quick delivery of posts and messages. In each *sarai* two cavalry persons were posted, therefore, information could be delivered up to three *krohs* in a day.¹⁴

So within the routes covered by different travellers as well as Mughal Emperors themselves we do find the significance of the provision of accommodation. For instance Peter Mundy himself mentioned Sop ka sarai when he halted in Hinduan on his way from Bayana.¹⁵ Similarly when they reached Mozamabad there is information regarding the accommodation suite of tent where they took rest on their way. Similarly Nicholas Withington has also mentioned that when they arrived at Agra in 1615 in middle of winter between Ajmer and Agra at every ten *kos* there was built a *sarai* and in it lodging for both men and horse as well as for hostesses was provided.¹⁶

This information regarding the provision of comfort for the travellers is available in *Akbar Nama*. The Emperor Akbar himself issued an order in 1574 for the erection pillar at every *kos* (kosminar) on the way from Agra to Ajmer.¹⁷ These were adorned with deer horns which could be helpful for those lost their way in middle of their journey as well as to give strength to the fatigue of the travellers.

From *Tuzuk-i Jahangiri* we can gather valuable information regarding environment and climate apart from rich wildlife. For instance, Ajmer's air is being mentioned to be equable and as second clime. He further describes the province to be sandy and finding water to be a difficult task. Similarly the cold season is also equable but hot season to be milder than Agra.

Further regarding the environment and climatic conditions on the route from Agra to Ajmer, Peter Mundy provides rich information. He points out that when he along with his journeyman reached Khanuan the climate was to be thundery. There was terrible gust of wind due to which they were unable to see each other. This was further followed by heavy rain which continued almost afternoon.¹⁸ He further gives information that when they were on their way from Lalsot to Moazamabad the area to be hilly. He

describes weather to be dry, the scarcity of water and lot of wood.

Peter Mundy further mentioned that before 3 *Courses* (3 *kos*) to Rup Bas that in 3-4 butts water of Ganges was put for king. He mentions that it is a custom of the kings of India to drink no other water but of that river. This water was brought on camel's back in brass and copper vassals.¹⁹

Regarding the beliefs of common a man Peter Mundy gives very interesting information. He mentions that in "Pipalgam some six *course* from Chatsu he met 4 or 5 persons carrying faggotts of rodds like switches. I asked what they meant: it was told mee that by the holyness of Khawja Moinddin Chishti, whosoever had a rodd of those in his hands should not bee bit by any venomous things, as snake, scorpion, etc. and they carried them to Agra where they sold them for 5 or six pice each, bringing them from Ajmer where they grow, and where also is the tomb of their said Saint."²⁰

Till now geographical route have been considered important and studied from political and trade or commercial point of view while on the other hand these routes also throw immense light on socio-cultural aspects. Obviously, these traders and political persons were travellers and they interacted with local people. What kind of facilities and problems they faced has been discussed in this paper. It is also important to point out that the route under study is from Agra to Ajmer or Ajmer to Agra was followed by Akbar and it was different from Peter Mundy and Joannes De Laet. Akbar and Jahangir had different cultural activities while the European travellers had different experiences. Akbar and Jahangir travelled to Ajmer with the religious and cultural interests while European travellers had commercial interest. For instance Akbar and Jahangir did not take the Bayana route while European travellers did visit Bayana because it was famous for fine quality of indigo. So we should develop the route taken by royal family to visit Khawja Moinuddin Chishti's *dargah* and Pushkar to promote from tourism point of view.

References

1. *Akbar Nama*, tr. vol. II, p. 510.
2. *Ibid*, Palsaert says that Akbar travelled four *kos* a day. Obviously he wrote on the basis of hearsay of the people. *Jahangir's India: The Remonstrantie of Francisco Pelsaert*, tr. W.H. Moreland and P. Geyl, (reprint, 2009), Delhi, p. 70.

3. *Akbar Nama*, tr. vol. II, p. 511.
4. *Akbar Nama*, tr. vol. II, pp. 510-11.
5. *Jahangir's India: The Remonstrantie of Francisco Pelsaert*, tr. W.H. Moreland and P. Geyl, (reprint, 2009), Delhi, p. 70.
6. *Indian Travels of Thevenot and Careri*, ed. Surendranath Sen, New Delhi, 1949.
7. *Tuzuk-i Jahangiri*, tr. Alexander Rogers, Delhi, 1968 (second ed.), p. 252.
8. Muslims consider it the night of salvation and some people pray eternal peace for their deceased ancestors.
9. *Tuzuk-i Jahangiri*, tr. Alexander Rogers, Delhi, 1968 (second ed.), p. 298.
10. Peter Mundy, (North and West India, 1632-33), excerpts, published in *Beyond the Three Seas: Traveller's Tales of Mughal India*, ed. Michael H. Fisher, 2007, New Delhi, p. 81.
11. *Ibid.*, vol. II, p. 240. Kalavali is not traceable but a small village known as Karauli is situated on Agra-Ajmer route. See, Tiefenthaler I, 172, referred by H. Beveridge in tr. *Akbar Nama*, vol. II, p. 240, F.N. 1.
12. *Tuzuk-i Jahangiri*, tr. vol. I, p. 252.
13. *Tuzuk-i Jahangiri*, tr. Alexander Rogers, Delhi, 1968, (second ed.), pp. 340-41.
14. Shaikh Rizqullah Mushtaqui, *Waqiat-i Mushtaqui*, tr. Iqtidar Husain Siddiqui, New Delhi, 1993, pp. 136-37.
15. *Ibid.*, p. 80.
16. Nicholas Withington, (1612-16), published in *Early Travellers in India*, ed. Willam Foster, Delhi, (reprint, 1999), p. 225.
17. *Akbar Nama*, vol. III, tr. H. Beveridge, p. 156.
18. *Ibid.*
19. Peter Mundy, (North and West India, 1632-33), excerpts, published in *Beyond the Three Seas: Traveller's Tales of Mughal India*, ed. Michael H. Fisher, 2007, New Delhi, p. 79
20. *Ibid.*, pp. 81-82.

Little Known Omal-Somal Devi Temple at Saledipura

Dr. Ambika Dhaka

Introduction:

Rajasthan has remained an active centre of temple art and architecture during Pratihara period. Various examples of temple architecture are feast for scholars and historians. The present temple under discussion is situated on a natural high rock near village Saledipura, at a distance of 8km from Khandela in Sikar district of Rajasthan. This temple is under the protection¹ of State Archaeology & Museums Department. The department has identified it pertaining to 11th century A.D. However on the basis of its art and architecture, it belongs to 9th century A.D. This temple is an important centre of *Shakta* cult. The temple underwent renovation some what 150-200 years back in which the *mandap* of temple was restructured as *gudhmandap*. On observation it was found that some sculptural specimen fixed in the guard wall of the passage to the temple belonged to 8th century A.D. Amongst these, the sculptures of *Gajalakshmi* and *Kubera* are noteworthy.

Sanctum of Temple:

The temple of Omal-Somal Devi is *pancharath* in plan. The vestibule is covered. The temple is ornamented with varied designs and motifs of religious significance. The *mandarak* in the centre of *udumbar* of sanctum is adorned with *kalpavriksha*. We find depiction of *kinnars* at extreme ends on both the sides of it. One of the noteworthy features of this temple is the absence of *pratihara* on *pedya* (lower side of door jamb) part of sanctum of the temple. The *matrikas* have been given place on *roopstambhas* of *dwarshakhas* of sanctum. The figure of dancing Shiva finds place on *lalat bimba* of lintel. This part is surmounted with *navagriha* panel. The sanctum outer of the temple is accompanied with abbreviated podium comprising of mouldings like *bhitta*,

jadyakumbha, *khura*, *kumbha*, *antarpatra* and *kapotali*. The *kumbha* moulding is ornamented with floral motif.

Sanctum Outer of Temple:

The *jangha* of sanctum outer is adorned with six regents. These regents bear muscular anatomy which may be understood as the carried forward impact of Gupta art tradition. It is well known that the human anatomy has undergone change with time and by 9th century A.D. the body structure became slim, symmetrical and balanced. The figures of regents *Yama* and *Nrriti* exhibit muscular anatomy in an explicit way. The *bhadrarath* on *jangha* on all the three sides of sanctum outer exhibits goddesses in niches. We find eight handed goddess *Chamunda* in the niche on right side of sanctum outer. The depiction of an owl on the *khatwang* (sceptre with a skull) held by goddess is worth taking note of as it reveals tantric form of the goddess. The niche facing west on the back side of sanctum contains goddess *Maheshwari* or *Yogeshwari* in dancing pose. The attributes in hands from right downwards are- sword, boon giving pose, trident, *damaru*, unidentified, *khappar*, snake and sceptre. The mount *preta* is lying below near the feet of goddess. Here also we find depiction of owl on the *khatwang* held by the goddess which is indicative of tantric expression. The six handed *Hayagriva Lakshmi* in dancing pose adorns the niche on northern side of sanctum outer. The attributes in hands from right downwards are- sword, boon giving pose, trident, wheel, *khappar* and *khatwang* with an owl. There is similarity in all the three goddesses on *bhadrarath* as each one of them is carrying a *khatwang* with an owl. This feature is indicative of tantric form which has been given due place and expressed on the temple.

Mandap of Temple:

The elevation of *mandap* of the temple is in the form of podium with its first moulding cyma recta. It is surmounted with *khura*, *kumbha*, *antarpatra*, *kalasha* and *kapotali*. The *antarpatra* is adorned with the motif *kunjaraksha* (elephant eye). The podium part of *mandap* begins with *rajasenak*. The *rajasenak* is carved with pilasters and mini pilasters which are adorned with an unusual pious symbol of *sharav samput*². This symbol is one amongst the eight pious symbols associated with Buddhist religion.

This is the only temple in whole of Rajasthan which exhibits this symbol and it has not been observed elsewhere in the state so far. Above *rajasenak*, there are pilasters which are interspersed with a recessed row carved with creeper motif. The top of podium is surmounted with *asan patta*. The *mandap* of the temple is devoid of any pillars to support the super structure. The expanded flat ceiling of the *mandap* is a unique example of *samtal padma vitaan* dimensionally from the viewpoint of temple architecture in entire Rajasthan.

Dikpalas on Temple:

While observing the figures of *dikpalas* on sanctum outer of the temple it was found that the *sutradhar* of the temple has expressed lack of acumen in their execution. The regents *Indra* and *Ishan* have not been given due place and are conspicuous by their absence. The regent *Indra* could have been easily placed on the projected part on right side of *kapili*. Instead, we find execution of a damsel at that place. This clearly indicates lack of insight on the part of *sutradhar*. The *dikpalas* on this temple are two handed. Literary texts like *Agni Purana*³ and *Matsya Purana*⁴ describe *dikpalas* in two handed tradition. While *Vishnudharmottar Purana*⁵ and *Aparajitprichha* describe four handed *dikpalas*. The *dikpalas* exhibit muscular anatomy which bears close affinity with the body build-up of sculptures during Gupta period.

The north-east corner (*Ishan* angle) of sanctum outer facing north is depicting regent *Kubera* with mount he-goat. Such an exhibit is one of its kind observed so far, in the whole of Rajasthan. Although, the mount of *Kubera* in *Agni Purana*⁶ is a ram. The text *Roopmandan*⁷ mentions *nara* (human being) and *gaja* (elephant) as mount of *Kubera*. In iconographic form, *Kubera* has been shown with mount lion at Makarmandimata Temple, Neemaj (Pali). Not only this, *Kubera* has been shown in composite form with celestial body *Chandrama* (Moon) at Menal⁸ in district Chittorgarh and Dhod⁹ in district Bhilwara. *Chandrama* as *dikpala* in independent form¹⁰ has been observed at many places in Rajasthan like Chittorgarh, Amwan, Manas and Osian.

Some Other Sculptures in Temple:

Some sculptures are found embedded in the adjacent walls of this temple. Amongst these, the sculpture of *Gajalakshmi* on

right side of the guard wall, near steps is worth taking note of. The *Gajalakshmi* is seated on a throne of double petalled lotus flower in a pillared niche in *shukasan* pose. The pilasters of niche are devoid of *kumbhi* and decorated with *ghatpallava* motifs interspersed with foliage design within a circular pearled border. The bun shaped head gear held by a jewelled band, circular earrings with pearls, necklace, armlets and *nupur* in feet add to her beauty. The attributes in hands are- holds a flower in right hand and perhaps a water pot in left one which is partly broken. The double petalled lotus flowers are jutting upward from both the sides of the goddess. Two elephants standing on lotus flower on either side of the goddess are offering water to the goddess. The text *Vishnudharmottar Purana*¹¹ has identified lotus and conch (*padma* and *shankha*) as symbolically representing treasure. Underneath the seat of goddess, two lions are sitting back to back with a treasure pot in the mid. Goddess *Lakshmi* is the presiding deity of *ashtanidhis*¹², hence we find her in the accompaniment of treasure pot.

The figure of two handed *Kubera* in a pillared niche on left side of the guard wall is quite interesting from the viewpoint of art. The *Kubera* is sitting on a lotus throne in *shukasana* pose. The hands and face of deity are mutilated. However, the waist band (*udarbandh*) is quite prominent. There is depiction of one *makar* on either side of the *dikpala*, just behind the shoulders. Underneath the throne of *Kubera*, two lions are sitting with a treasure pot in the mid which reveals the relation of *Kubera* with *ashtanidhi*.

Conclusion:

In a summarised way, Rajasthan is quite rich in temple architecture. We find numerous paradigms pertaining to different periods, bearing characteristics of temple architecture which help us to study the gradual development in this sphere. In this sequence, Omal-Somal Devi Temple at Saledipur is unique and significant in many respects from the viewpoint of art and architecture. The elaborate flat ceiling of *mandap* with such a huge expansion and without any pillars is quite a unique experiment, not observed so far in any other temple in Rajasthan. Also, the pious symbol of *sharav samput* on *rajasenak* which is on podium of *mandap* is quite a rare and special feature of this temple. Apart from this, the absence of figure of *pratihara* on *pedya* of door jamb of sanctum arises

many questions as this is a very normal feature seen on the door jambs of the temple in contemporary period. Iconographically, the sculptures of Omal-Somal Devi Temple are having muscular anatomy which is again a trend far behind its period. This was the characteristic feature of sculptures during Gupta Period. The sculptures in 9th century A.D. began to take slim or cylindrical form and it became a feature for their identification. Therefore, it would not be an exaggeration to say that Omal-Somal Devi Temple is a jewel in temple architecture of Rajasthan, a little less known and a little less discussed but a magnificent epitome of art in this region of Rajasthan.

References:

1. *Pura Sampada* -A Journal of Archaeology and Museums Department, Vol.I, 2009, p.185.
2. Joshi, N.P., *Mathura ki Murtikala*, Mangalik Chinha, 1965.
3. *Agni Purana*, 51/16.
4. *Matsya Purana*, 259/66-67; 260/ 9-22.
5. *Sri Vishnudharmottar Purana III*, ch.50-53.
6. *Agni Purana*, 51/ 15.
7. Srivastava, Balram (ed.), *Roopmandan*, 1998, p.129.
8. Singh, Harphool, Rathore, Amar Singh (ed.), *Dikpala Parampara ko Rajasthan ki Adbhud Den*, *Sujas*, Jaipur, 1998, p. 56.
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*
11. *Vishnudharmottar Purana III*, ch.53, 6 & 11.
12. *Markandeyaa Purana*, Chaukhamba Vidya Bhawan, Varanasi, 2000.

Meera Bai : An Epitome of Spirituality and Women's Liberty for Mahatma Gandhi

Dr Hukam Chand Jain & Persis Latika Dass

Born in AD 1494, at the royal house of Rathores of Merta, Meera was the grand-daughter of Rao Duda (Son of Rao Jodha, founder of Jodhpur) and the only child of her father Ratna Singh. Having lost her mother at an early age she was brought up under the care of Rao Duda at Merta and it was here that she developed spiritual affiliations towards the Bhakti saints of the age that augmented into her mystical devotion to Lord Krishna. In 1516 AD she was married to Kunwar Bhojraj the eldest son of Rana Sanga, the Sisodiya ruler of Mewar. In Mewar she sincerely fulfilled all her marital duties except worshipping the local goddess of Sisodiyas because her heart had been totally entrenched in Vaishnavism, not so popular with the Rajput rulers of Rajputana at that time. This rebellious attitude of Meera created problems between her and her in-law, however it was the death of her Husband and later, her Father that pushed Meera into giving up materialism and embracing asceticism. Like a traditional Hindu widow draped in white she started spending more and more time in Krishna Bhakti, composing Bhajans, singing and dancing on them in the company of men and women of all caste and class. Meera's social liberation turned the Mewar Royal family into targets of ridicule and criticism among their peers and their relationship with Meera became so bitter that they even tried to poison her, finally forcing Meera to leave Mewar for Gokul-Vrindavan and then to Dwarka where singing hymns in praise of her Divine Deity she passed away in 1546 AD.

Meera's life and her compositions have always been subject of fascination and mysticism for the masses but for the students of history her life and her 'pads' symbolize the different dimensions of Bhakti cult gradually rising to popularity among the masses as well as the way in which she challenged the social norms of caste, class and gender of the society in her times. Both these aspects of Meera

bring her quite close in her ideology to Mahatma Gandhi, hailed as the doyen of political, social and economic independence in twentieth century India. Meera's selfless devotion towards her Bhakti had left an indelible impression on Gandhi who had requested M.S. Subbulakshmi (Bharat Ratna recipient) to sing "Hari Tum Haro" composed by Meera Bai on his 78th birthday, moreover, 'Meera' was the name Gandhi had chosen to rechristen Madeline Slade, daughter of an English General, who abandoning the western way of life had come to India to live here as his most ardent disciple. In such a scenario, a close analysis of Meera's Bhajans encased in 103 'Pads' and Gandhian writings on God and Womanhood brings forth a profound similarity between the two, proving Meera's bearings on Gandhian thought.

God and Spirituality

Meera's 'Pads,' overflow with genuine love and devotion towards her God and Saviour, Lord Krishna. Realizing Him is her only aspiration in life, everything else holds no meaning for her.

*Mharaan ri Girdhar Gopal noosra na kooyan
Doosra na kooyan saadhan sakal lok jooyan¹*

Similarly she says,

*Jab te mohi Nandanandan drishti padyo mai
Tab se Parlok Lok kachu na suhai²*

Meera's perception of God is not just limited to Krishna though majority of her hymns are addressed to him alone, but Ram and sometimes even a formless abstract God is the subject of her adoration making her fall into both 'Saguna' as well as 'Nirguna Dhara' of Bhakti Saints.

*Payoji main to Ramratan dhan payo
Vastu amolak di mhanre Satguru, Kirpa kari apnayo
Janam janam ki punji payi, Jug mein sabhi khovayo³*

Meera was very candid and wilful in expressing her devotion to her divine mentor and even defied her family and friends to do so.

*Mai main to liyo Ramaiya mol,
Koi kahe chhani, koi kahe chori, liyo hai banjata dhol⁴*
Again she says,

*Mat-Pita bhrat bandhu, sab hi mil hatki
Hirda mein tarat nahin murti nagar nat ki⁵*

Meera's Bhakti is fearless,

*Are Rana pahle kyon na barji, laagi Girdhariya se preet
Maar chaahe chhaan Rana, Nahin rahoon barji⁶*

For Meera God is the ultimate Truth, materialism of this temporal world fails to charm her.

*Jhootha manic motiya ri, Jhoothi jugmug jyoti
Jhootha sab abhooshan ri, Saanchi Piyaji ri poti⁷*

Criticism by society does not deter her,

Ranaji mhaane ya budnami laage meethi

Koi nindo koi bindo, Main chaloongi chaal apoothi⁸

Humility was the essence of Meera's devoutness which is highlighted in the following verse,

*Tum gunwant bade gunsaagar, Mai hoon ji Auganhaara
Main niguni gun aiko naahin, Tum ho bagsan haara⁹*

Meera brazenly attacked superficial rituals and dogmas associated with religion like 'Tilak' and counting religious beads when she sings,

Yahi bidhi Bhakti kaise hoye'

Man ki mail hiyaten na chhuti, Diyo tilak sir dhoye,

in the same 'Pad' she says,

Jo tere hiye antar ki jaane, Taason kapat na bane

Hirde Hari ko naam na aave, Mukh ten maniya gane¹⁰

The zenith of Meera's godliness is love and forgiveness. She knew her opponents wished her harm yet she harboured no grudge or ill feelings in her heart and sang,

Ranaji the jahar diyo mhe jaani

Jaise kanchan dahat agni mein, Niksat barabani¹¹

Meera's religious zeal and spirituality transcending time and space, is believed to have inspired many a zealots including Gandhi. Mahatma Gandhi was essentially a man of religion. The supreme ideal which he tried to pursue throughout his life was 'God-realization.' His innate desire was to see God face to face. He

affirmed his faith in the plurality of God by saying, “God has a thousand names, or rather; He is nameless,” (Young India 24-9-1925)¹² and believed humanity to be part of God, “We may not be God but we are of God, even as a little drop of water is the ocean.” (Harijan 3-6-1939)¹³ For Gandhi, “God is Truth and love; God is ethics and morality; God is fearlessness,” (Young India 5-3-1925)¹⁴ and like Meera can be attained only by “single-minded devotion(abhyasa) and indifference to all other interests in life(vairagya).”¹⁵ Her abandonment of the worldly concerns in pursuit of God gets reaffirmed in the following words of Gandhi, “A seeker after Truth must give up the fear of parents, caste, government, robbers etc.”¹⁶ and “the path of Hari(the Lord) is the path of the brave, not of cowards. Hari here means Truth and the brave are those armed with fearlessness, not with the sword, the rifle and the like.”¹⁷ Like Meera, Gandhi too considered humility imperative to Bhakti, he said, “If we shatter the chains of egotism and melt into the ocean of humanity, we share its dignity. To feel we are something is to set up a barrier between God and ourselves: to cease feeling that we are something is to become one with God.”¹⁸ Meera’s scathing attack on hypocrisy engulfing religion is espoused by Gandhi when he writes, “Churches, Mosques and Temples which cover so much hypocrisy and humbug and shut the poorest out of them seem but a mockery of God and His worship.” (Harijan 5-3-1942)¹⁹ When Meera forgave those who attempted to kill her and penned the episode bereft of any malice she beautifully epitomised Gandhian concept of ‘Love and Ahimsa’ who advised the following to his ‘ahimsavadi’ Ashram inmates, “ Although he must thus love the wrong-doer, he must never submit to his wrong or his injustice, but must oppose it with all his might, and must patiently and without resentment suffer all the hardships to which the wrong-doer may subject him in punishment for his opposition.”²⁰ Finally the words of Mahatma that render the most appropriate homage to Meera, her God and her followers, “He is no God who merely satisfies the intellect, God to be God must rule the heart.” (Young India 11-10-1928).²¹

Women’s Liberty

Meera’s ‘pads’ not only reflect her piety but also stand witness to the challenges she faced as a woman aspiring to live life as per her wishes in a man’s world. Through her Bhajans she decried social

injustices of her day-oppression of women, outrages of the caste system, lack of personal and religious freedom. In her ecstatic love and devotion towards her God she epitomises freedom that took her beyond family, friends, caste, class, gender and King. The following 'pad' forthrightly portrays the social rebellion of the poet princess,

*Ranaji ! ab na rahungi tori hatki
Saadh sang mohin pyara laage, Laaj gai ghoonghat ki
Peehar Merta chhoda aapan, Surat nirat dou chatki
Satgur mukur dikhaya ghat ka, Naachongi de de chutki
Haar singaar sabhi lyo apna, Chuda kar ki patki
Mera suhag ab mokun darsa, Aur va jaane ghat ki
Mahal Qila Rana mohin na chahiyen, Saari resham pat ki
Hui diwani Meera dole, Kes lata sab chitki²²*

In these lines Meera gives up security of marriage, family, royalty, riches, palatial home, comforts and 'purdah' to lead her life dancing and singing hymns in praise of God. Even the difference in caste and gender do not hold any significance for her and she is not avarice to the company of low caste men if they do not hinder her proximity to God than the royalty she is born and married into. Similar sentiments are conveyed in the following lines,

*Saadhan ke dhing baith-baith ke, laaj gamai saari
Nit prati uthi neech ghar jao, Kul ko lagao gaari²³*

Meera was ready to go to any limit for her spirituality, from being ridiculed to abandoning her homeland,

*Pag baandh ghungraya nachyari
Log kahyan Meeran babri, Sasu kahyan kulnaasi, ri²⁴
Likewise, she says,*

*Mai mhaan Gobind guna gaana
Raja roothya nagari tyagan, Hari roothyan kahoon jaana²⁵*

For Meera doors of God were open to all mortals irrespective of class, caste, gender or any other disparity,

*Girdhari sharana thari ayaan, Rakhyan kirpanidhaan
Ajamil apradhi taryan tarya neech Sadaan
Doobta gajraj rakhyan Ganika chadya biman*

*Avar adham bahuta thein tarya, Bhakhyan sanat Sujaan
Bhilan Kubja taryan Girdhar, Janya sakal jahan*²⁶

In the above verse a high caste sinning Brahmin, a low caste Butcher, a prostitute and a physically deformed Bhil slave woman all are absolved of their misdeeds by God, thus if God does not discriminate then these worldly man-made segregations are futile and against Godly conventions.

Akin to Meera, Gandhi was also an ardent advocate of social liberation for the vulnerable sections of the society, chiefly women and low caste. In his words, “Woman has as much right to shape her own destiny as man has to shape his.”²⁷ On widowhood he wrote, “Voluntary widowhood consciously adopted by a woman adds grace and dignity to life, sanctifies home and uplifts religion itself.” (Young India 5-8-1926)²⁸ The above lines, thus totally justify Meera’s actions, for it was on attaining widowhood that she had relinquished all the worldly bonds and rituals and engrossed herself single-mindedly in the pursuit of her divine Lord making her an ideal Hindu widow. Meera had audaciously rejected ‘Purdah’ in the following verse,

*Loklaj kul kaaran jagat ki, Dai bahay jus paani
Apne ghar ka purda karle, Main abla baurani*²⁹

Her act is rationalized by Gandhi when he writes, “Chastity is not a hot-house growth. It cannot be protected by the surrounding wall of the Purdah. It must grow from within.” (Young India 3-2-1927)³⁰ Similarly Meera’s ‘pad’ describing Ram’s acceptance of Shabri’s plums,

*Neeche kul ochhi jaat, Ati hi kuchilani
Jhuthe phal leenhe Ram, Prem ki prateet jaan*³¹

is analogous to Gandhi’s views on ‘untouchability’ when he calls it “a sin against God and man” (Harijan 11-2-1933)³² and advocates “love for and service of the whole world.”³³

Though popular perception believes Gandhi to have envisaged only home and hearth for women, Gandhi himself never had any doubt regarding the ability of women to carve out their destiny. Starting right from South Africa Gandhi had made women an intrinsic part of his Satyagraha and had continued to do so even in India. His

Constructive Programme shouldered the success of Charkha and Khadi on women volunteers and many went to jail as part of his Civil Disobedience Movement. On the social front he was vehemently against Sati, Child Marriage, Dowry, and Polygamy, and was an ardent votary of Women's Education, Widow Remarriage and Freedom of Expression and Profession. His ideology that resulted in such progressive views on religion and womanhood had been inspired by many Western and Indian philosophers, however among the Indian Bhakti Saints the name of 'Mystic Meera' would always stand apart.

A befitting conclusion would be the following 'Pad' by Meera Bai which was Gandhi's favourite and sung many a times at his request,

*Hari thein harya jan ri bhir
Dropta ri laaj rakhyan the badhaya cheer
Bhagat kaaran roop narhari, Dharya aap sarir
Budata gajraj rakhyan, Katyan kunjari bhir
Daasi Meeran lal Girdhar, Haran mhari bhir³⁴*

References:

1. Bhati, Deshraj Singh; Meerabai aur unki Padavali, Ashok Prakashan, Delhi(1964) p. 209
2. Ibid., p. 170
3. Ibid., p. 173
4. Ibid., p. 174
5. Ibid., p. 169
6. Ibid., p. 177
7. Ibid., p. 221
8. Ibid., p. 231
9. Ibid., p. 317
10. Ibid., p. 361
11. Ibid., p. 238
12. Gandhi, M.K; Pathway to God, Navjivan Trust, Ahmedabad(1971) p. 11
13. Ibid., p. 12
14. Gandhi, M.K; Mohanmala(Compiled by R K Prabhu), Navjivan Trust, Ahmedabad(1949) p. 6
15. Gandhi, M K; From Yervada Mandir, Navjivan Trust, Ahmedabad(1932) p. 8
16. Gandhi, M K; Character and Nation Building(Edited by Valji Govindji Desai), Navjivan Trust, Ahmedabad(1959) p. 9
17. Gandhi, M K; From Yervada Mandir, Navjivan Trust, Ahmedabad(1932) p. 24
18. Ibid., p. 35

19. Gandhi, M.K; Mohanmala(Compiled by R K Prabhu), Navjivan Trust, Ahmedabad(1949) p. 44
20. Gandhi, M K; Character and Nation Building(Edited by Valji Govindji Desai), Navjivan Trust, Ahmedabad(1959) p. 4
21. Gandhi, M K; My God, Navjivan Trust, Ahmedabad(1962) p. 4
22. Bhati, Deshrajsingh; Meerabai aur unki Padavali, Ashok Prakashan, Delhi(1964) p. 167
23. Ibid., p. 178
24. Ibid., p. 236
25. Ibid., p. 239
26. Ibid., p. 337
27. Gandhi, M K; Constructive Programme, Navjivan Trust, Ahmedabad(1941) p. 16
28. Gandhi M K; India of My Dreams, Navjivan Trust, Ahmedabad(2009) p. 213
29. Bhati, Deshrajsingh; Meerabai aur unki Padavali, Ashok Prakashan, Delhi(1964) p. 238
30. Gandhi M K; India of My Dreams, Navjivan Trust, Ahmedabad(2009) p. 212
31. Bhati, Deshrajsingh; Meerabai aur unki Padavali, Ashok Prakashan, Delhi(1964) p. 386
32. Gandhi M K; India of My Dreams, Navjivan Trust, Ahmedabad(2009) p. 235
33. Gandhi, M K; From Yervada Mandir, Navjivan Trust, Ahmedabad(1932) p. 27
34. Bhati, Deshrajsingh; Meerabai aur unki Padavali, Ashok Prakashan, Delhi(1964) p. 261

System of Agricultural Credit in the Territories of Hadouti (C. 1670-1800)

Narayan Singh Rao

In India, since the ancient period, it has been the duty of a king to protect cultivators and extend them all possible helps in successful completion of cultivation and harvesting of crops in each season. The discourses upon the rajdharma (duties of the king) in the Ramayana clearly state the agricultural policy to be adopted by a state. While proceeding into exile Lord Rama advises his affectionate brother Bharat to maintain conciliatory treatment towards the peasants (karshas). Similarly, in Mahabharata during the discourse between Narada and Yudhishthira on statecraft, recommendation of the granting of loans, advances, etc. is made so that cultivators could procure seeds, bullocks, plough and other implements and also develop irrigation facilities.¹ The Arthshastra of Kautiliya also make provisions aimed at enhancing the revenue resources of the state and suggests that cultivators should be granted grains, cattle and money which they can repay at their convenience. Favours and exemptions may be granted either at the time of their settlement or as and when the people move in the virgin land. Similar grants and concessions can be also made to people in existing settlements provided that these grants results in the increased land revenue. Kautiliya further mentions that it is the sacred duty of a king to protect the peasants from being harassed by (onerous) fines, taxes and demands for labour. In order to counteract the effects of famine, he suggests the distribution of seeds, food-grain either on free of cost or concessional rates.² This situation or idea of state did not undergo any change during the medieval period either of Indian history. The state advanced taqavi ('strength giving') loans to the peasants. Abul Fazal states that it is the duty of the amalguzar to assist empty handed peasants by advancing them loans. In this regard Todar Mal recommended that taqavi should be given to cultivators who were in distressed circumstances and did not have

seeds and cattles.³ In Deccan, the important measures adopted by the rulers to promote cultivation, included istawa (concessional assessment) taqavi (loans with low or no interest and remission of land revenue). Istawa was a method of revenue assessment in which revenue rate was very low in the beginning, progressed annually and reached the maximum assessment after several years. For instance, when Shahji Bhonsle entrusted his desolate jagiri of Poona to Dadaji Kondadeva, the latter induced the hill people of western ghats to clear the jungles and settle down on the land by offering istawa assessment for eight years.⁴ Similarly Shivaji often advised his local collectors to give interest free loans to the peasants to buy seeds, cattle and other implements, repayable in instalments. In the eighteenth century the Peshwas too adopted the istawa system to vigorously promote cultivation of wasteland in various parts of Maharashtra. Remission of land revenue seems to have been resorted to very year in case of devastation caused by war, famine and crop failure.⁵ However the credit facilities extended by the ancient rulers as well as by the Mughals did not cover all affected karshas as the powers to extend credit facilities were concentrated in the hands of higher officials and there were a variety of bureaucratic hassles in obtaining loans or relief in time. When the loans were not provided in time, in most of the cases people used to take refuge of money lenders or traders. The private money lenders were expert in cheating and preparing tricky accounts to net in karshas into debt trap. In this regard Hada rulers of Bundi and Kota were most systematic as they realized that enhancement of revenue collection is not possible if the economic condition of the karsha is poor. They first of all kept the revenue rate lower than rates prevailing in neighbouring states.⁶ Secondly, they adopted a multipronged strategy whereby the state granted taqavi loans to enable karshas buy bullocks, plough, seeds and develop irrigation facilities. Thirdly, they encouraged Vohras and other private money lenders to give advances and loans to karshas and also supply them seeds on credit and the state stood as guarantor in such cases.

The Jamabandi of Mauza Khadgaondi Pargana Nandgaon of Kota pertaining to C.1800/1857 V.S. gives us interesting information about the credit facilities provided by state to the karshas and the method of recovering the loan and advances. It is mentioned that

the state granted credit of Rs. 89.50 to the karshas of khagaondi in C.1800/1857 V.S. Out of this loan of Rs. 89.50. Rs. 65 were given to karshas in cash, whereas Rs. 24.50 were given in the form of seeds before onset of rainy season. Though the document does not give complete list of the cultivators availing credit facilities, but we have the name of karshas in the list who paid back loan. Out of such 6 karshas, 2 were Patels, 3 Balahis (low caste) and a Koli. Similarly, the karshas who were supplied seeds of jowar, mung, moth, etc. at the approach of sowing season included 5 Patels, 1 Loda, 2 Gujars 1 Medo and 3 Balahis. An interesting aspect of this document is that all those who availed credit facility from state paid back the total amount of loan in 1858 V.S./C.1801 and none of the karsha failed to repay loan including the jowar, mung, moth, etc. received by them. The document also shows that there was no discriminatory treatment based on caste in this context. The Balahis who belonged to lowest strata of the village society were liberally granted credit facilities by the state.⁷ The document also mentions that revenue officials gave Rs. 11.50 to a karsha to purchase a pair of bullocks in 1857 V.S. and the amount was recovered in 1858 V.S./C.1801. Similarly, when the karshas encountered difficulty in purchasing seeds of gram for rabi crop of 1857 V.S., the revenue officials of Nandgaon Pargana opened the state granary and distributed seeds of gram weighing 4 Mauni (a unit of weight consisting of 12 mans of 20 seer each) on credit. The karshas paid Rs. 58.50 to the state in the next season against this loan.⁸ A Jhado document of mauza Jholpa pertaining to V.S. 1855/1798 A.D. gives us information that the state used to supply seeds to karshas on credit in the form of sewai vadi.⁹ Under this arrangement if a karsha borrows 1 mauni of wheat during or before the sowing season, he will have to return the 1 mauni plus 0.25 mauni i.e. total 1.25 mauni to the state or the trader or any private party who had supplied the seeds at the time of sowing of crop. This arrangement is still functional in Rajasthan. Another document of Pargana Barsana provides interesting information that the 11 karshas were granted loan of Rs. 80.25 in 1856 V.S. to buy bullocks in the month of Asadh. Rs. 43.7 were given for domestic purposes whereas, Rs. 20.18 were given to them partially in cash to buy bullocks and partially the seeds of jowar from the state granary. The document informs that the karshas who

were in distress were given food grain for domestic consumption worth Rs. 3.83. The state also helped the karshas when there was shortage of fodder. The document shows that Rs. 8.30 were given to karshas for procuring bullocks and fodder separately. It indicates the state played an important role in providing credit facilities to the cultivators.¹⁰ Zamai Zama Kharch document of 1752 V.S./C.1695 informs us that the revenue officials of Pargana Sangod granted loan (karz) of Rs. 169.25 to the karshas of mauza Vasai and Rs. 109 to the karshas of mauza Dhakad Khedi for procuring seeds.¹¹ Do-varkhi mizalik documents of 1752, pargana Sangod inform us that in mauza Kotdi pargana Sangod the state officials granted Rs. 1554.60 towards khandhi (loan) with interest for procuring plough, seeds, oxen etc. The beneficiaries of this loan advanced by the state included Patel Damodar, Shaha Khiwasi, Shaha Prakhado, Raghunath and several other villagers.¹² The Khate Kashth Karan documents also provide valuable information about the manner in which state dealt with the karshas, how revenue was assessed and collected in installments and what was the mode of payment. These documents also contain details of credit facility provided by state to a karsha. Khato mauza Vagod testifies to the fact that Shaismal was supplied seeds worth Rs. 0.50, salt weighing ½ Mauni (For Re. 1), urd of Rs. 0.25 and seeds of maize for Rs. 0.75. He was also given Rs. 1.50 in cash as loan through Patel. The cash loan as well as seeds supplied by the state was mentioned in Khatas alongwith revenue obligations of the karsha and was scheduled to be recovered at the time of the collection of revenue. Similarly, Khato Mali Soji Ko, in the same document, shows that he was supplied seeds of Vad valued at 7.35, bundles of fodder (Rs. 3.25), cash Rs. 2.75 for repairing of chadas on credit.¹³ According to Khato mauza Haliheda the state granted Rs. 8.75 as loan to Patel Naning for domestic purpose whereas Medo Matha was given Rs. 2.00 for buying seeds.¹⁴ Similarly in Mauza Khedo Patel Kishan was given Rs. 29.35 as loan for buying chadas (bucket for lifting water from the well for irrigation), Rs. 27 were given to him for erecting enclosure and procuring seeds. Patel Lalo was granted loan of Rs. 16 by the state. He spent this amount to get one bullock for Rs. 10 and Rs. 6 were used for miscellaneous purposes. Patel Bheru took loan of Rs. 12.75 in the form of seeds, and trunk of Chadas (part of bucket tied to a

rope at one end and attached to main body of chadas pulled by bullocks to lift water from step-wells). Pemo Meeno also took loan so as to pay his share in a newly acquired chadas owned by village community for irrigation purposes. Gujar Isar was given Rs. 10.50 to buy a new chadas to irrigate his land. The loans granted to karshas were recovered by the state in the following year after the harvest of rabi crop.¹⁵ Sometimes to encourage the karshas to bring unirrigated and fallow land under irrigation and cultivation, the Maharao granted cash loan to the karshas for digging wells. In 1861 V.S./C.1803 Maharao Umed Singh of Kota granted Rs. 10 to Meena Sambhu to dig well below the site of village to bring land under irrigation and raise the amount of 'hasil' (land tax). Accordingly, Saha Daulatram was asked to pay Rs. 10 to Sambhu on behalf of the state.¹⁶ In Hawala Jhalrapatan, the village community was extended credit facility to dig 5 wells for irrigation purposes at the rate of Rs. 10/- and hence a total amount of Rs. 50 was given to them in 1861 V.S. In 1862 V.S. the karshas decided to construct new wells. The state again extended loan of Rs. 40 at the reduced rate of Rs. 8/- per well.¹⁷ The loans/advances granted to set up new irrigation systems were recovered alongwith interest. If the karshas failed to repay the loan in time they were issued reminders.¹⁸ The state authorities also ensured that the amount of loan given to a kharsha is not misused or diverted for other purposes.¹⁹ Talik Bahi records of Kota 1861 V.S. inform us that Maharao Umed Singh of Kota wrote chithies (royal orders) to karshah, Hawalgirs, Patels, Patwaris and others to erect step wells in villages of their jurisdiction. The officials were directed to motivate and help the karshas to setup means of irrigation (wells) so as to enhance the farm production and the revenue of the state. He even called upon Hawalgirs to erect step wells and handover them to karshas for irrigation in the villages wherever revenue has decreased and state of agriculture is in poor shape. Beside extending direct credit facilities to the karshas, the state also directed the Vohras to ensure that the needy karshas are provided agricultural credit and the land not remains uncultivated due to the scarcity of seeds or implements. In 1861 V.S./C.1803 Maharao Umed Singh directed the Voharas of Mauza Vorino Tappa Chaichet that they are required to supply bullocks, fertilizer, seeds, etc. to the karshas on credit and recover the cost of these items at

the time of collection of revenue.²⁰ It was also stated that if they failed to recover the amount the same will be paid by Maharao on behalf of karshas. Sometime when Vohras failed to meet the requirements of the karshas, the state took serious note of it and issued strict instructions to them to extend credit facilities to karshas by all means. When mauza Richavo of Tappa Kunjod was under the jagiri of some military officials, the Vohras liberally extended credit facility to karshas but on its declaration as Khalsa, the Vohara's also withdrew credit facilities given to karshas. Patel of the mauza strongly protested against the Vohras for suspending credit facilities and wanted to know the reason behind such an action. Patel Daula further directed the Vohras to provide seeds and fertilizer to the karshas otherwise they were to be held responsible for keeping the land uncultivated.²¹ The state used to normally issue directives to Vohras to extend credit facilities to karshas in time, i.e. before the sowing season to ensure that greater land is brought under cultivation. In 1870 V.S./1813 AD Pandit Sukhram issued a letter whereby Vohras were first informed that the loan given by them to karshas in 1869 V.S. /C.1812 for seeds is fully recovered by them in time. Therefore, they are instructed to continue supply of seeds to the karshas in the current year so that land do not remain uncultivated.²² The state also gave a veiled threat to the Vohras that if they demonstrate lack of interest in this matter, they shall be held responsible for reduction in the cultivated area and revenue too.

The records also testifies to the fact that though the state adopted coercive measures in compelling the Vohras to extend credit facilities to karshas but at the same time took utmost care to ensure that Vohras are repaid the amount of loan. Shah Fatu was given a chitthi of Rs. 11000 by the state for supplying wheat to the karshas in pargana Baran. Similarly, Maharao Ummed Singh (of Kota) instructed Saha Puniram to provide credit facilities to the karshas of mauza Chappalda for procuring bullocks, seeds fertilizer, etc. on behalf of the state. Thus, if karshas failed to return the amount of loan, the revenue officials recovered the same and paid back to Vohras.

On the basis of above discussions we may conclude that the Maharao of Kota and Bundi took keen interest in promotion of agriculture by acting as the highest banker and a guarantor of karshas

to acquire loan from the private parties. The state played an important role in extending credit facilities to peasants in a big way. The Vohras, mahajans and other private moneylenders were not given free hand in dealing with karshas. Wherever they provided credit to karshas the state authorities were aware of all such transactions and hence there was no question of overcharging or exploitation of the peasants. In most of the cases the state used the Vohras as a medium of providing agricultural credit and the task of recovering the loan was accomplished by the state. Thus, the Vohras were given a very limited role in such dealings. The agricultural credit system evolved by the Hada rulers of Kota and Bundi was highly rational and an improvement upon the taqavi system of the Mughal rulers. The Hada rulers demonstrated their concern and sympathies towards the peasants and understood the day to day needs and requirement of a karsha to carryout cultivation effectively. They understood the mantra that in happiness and prosperity of a Karsha, lies the happiness and prosperity of the state. In line with this Kautilyan philosophy of the state. The entire administrative machinery was geared up to assist the Karshas in such a way that they could cultivate the entire plots of their land and add to the prosperity and revenue resources of the state. We do not come across such instances that Karshas were harrassed, evicted from the village or their land was sold/auctioned and given to other Karshas in order to recover the loan amount. Of course reminders were issued to Karshas to pay the dues, but state avoided any drastic action which may compel a Karsha to emigrate to other states. Hada rulers always tried to maintain cordial ties with the peasant communities. They were also kind and considerate towards them. This is testified by the agricultural credit system evolved by the Hada rulers which addressed to every day to day problem and requirement of a Karsha. Lastly, there was no caste based discrimination by the state while granting Karz (loan) facility to the Karshas. High, middle and low caste Karshas including untouchables and menial caste Karshas were given access to the credit facility by the Hada rulers, irrespective of their social and economic status. Thus Hada rulers of Kota and Bundi were far more egalitarian and just towards the peasants.

References

1. Goshal, U.N. : The Agrarian System in Ancient India, p. 11, 12 Calcutta 1973.
2. Kautiliya : The Arthshastra (ed. L.N. Rangarajan), Penguin, New Delhi, 1987, pp. 130, 179-181
3. Habbib, Irfan : The Agrarian system of Mughal India, 1556-1707, pp. 294-97. New Delhi, 2000. Also see Moreland W.H., India At the Death of Akbar, p. 124-36, 1920 (Reprint 1990) Delhi.
4. Kulkarni, A.R. : Maharashtra in the Age of Shivaji, Poona, 1969.
5. Raychaudhuri Tapan & Habib Irfan : The Cambridge Economic History of India, Vol. I, C. 1200-1750, Cambridge, 1984, pp. 193-203.
6. Bhadani, B.L., Muhnot Nainsi : Satrahvi Shatabdi Ka Sankhyikivetta (Madhyakalin Bharat. ed. Irfan Habib) p, 103 -120. 1991, New Delhi.
7. DSA-KR Dusri Manzil Basta No. 41, Jamabandi Mauza Khadgaonddi Pargana Nandgaon, Shrawan Budi 1 tai Asadh Sudi 15, 1858 V.S. Some of the karshas who repaid loan in cash on Jyestha (Dujjo) Budi 6, 1858 are as follows :

Asami Amount of Loan Repaid (Rs.)

Patel Khusalo	2
Patel Jasu	2
Balahi Miyalo	6
Balahi Bhagiath	1
Koli Siv Ram	2
Balahi Lakhman	2

The karshas who borrowed seeds of jowar, mung and moth for kharif crop of 1857 V.S. are as the following :

Asami Amount (Rs.) paid to state against Karz (Loan) taken by them in the form of seeds

Patel Khusalo	4.25
Patel Jasu	3.40
Patel Nango	0.75
Lodo Dholo	2.25
Patel Ramo	0.75
Koli Hogo	0.75
Gujar Chando	0.75
Gujar Godo	0.75
Medo Vakhto	0.75
Balahi Inder	2.75
Balahi Vakhto	1.25
Balahi Lakhman	0.75

Sometimes the karshas who borrowed seeds, repaid the amount of the same in cash on the basis of the rates prevailing in the area. This is testified by the above table. Thus, there was option before the karsha to repay the loan, taken from the state, in cash or kind or partially in cash and kind both.

8. Ibid.
9. DSA-KR Dusri Manzil Basta No. 41, Jhado Mauza Jholpo Pargana Barsana Ko, 1855 V.S.
10. DSA-KR Dusri Manzil Basta No. 41, Jhado Pargana Barsana Ko, 1856 V.S. The karshas who were granted loans to buy bullocks are as follows :

Asami/Name of karsha	Amount taken in Loan
Ahir Jago	14.00
Thakur Bijai Singh	3.20
Ahir Harji	5.00
Sukho Tanyo	7.20
Kirad Devo	5.40
Kirad Lalo	2.50
Vyas Moti	8.50
Dhakar Kasno	15.00
Th. Chandra Singh	16.25

The Karshas who were granted Karz/Khandhi (loan) in Rabi season for domestic and agricultural purposes are as follows :

Asami/Name of karsha	Amount taken in Loan
Vohro Kasno	2.12
Dhokar Kasno	2.12
Kirad Lalo	2.15
Shaha Chaitram	3.15
Pemo Tato	5.25
Ahir Guasi	1.10
Vakhto Patel	1.10
Mali Bhopo	3.15
Teli Soji	1.05
Ahir Jago	3.15
Jat Sambhu Ram	1.10
Ram Kishan Purohit	1.10
Dhaibhai Kheto	1.10
Patel Pitho	2.15
Bhago Dandvasi	0.60
Pancholi Kaisorom	3.10
Th. Bijai Singh	1.10
Th. Akhai Singh	1.10
Lachi Ram Vohro	1.10
Vohro Udo	1.10
Patel Ramo	0.55
Th. Ummad Singh	5.25
Total (GT)	43.69

11. RSA-KR Basta No. 13, Bhandar No. 1 Dovarkhi Jamai Jama Kharch Pargana Sangod, 1752 V.S.
12. Ibid, Do-varkhii Mizalik, Pargana Sangod, 1752 V.S.
13. DSA-KR Dusri Manzil Basta No. 337, Khato Mauza Vagod Tappa Harigarh, 1867 V.S.
14. DSA-KR Dusri Manzil Basta No. 337, Khato Mauza Haliheda tappa Golana, 1867 V.S.
15. Ibid. Khato Mauza Khedo tappa Kaithon, 1867 V.S.
Dhakar Goda took loan of Rs. 2.10 for buying trunk (Sund) of the chadas, whereas Kanchi Ramo got a loan of Rs. 9.25, Balahi Sevo Rs. 0.25, Mali Kaiso Rs. 10.25, Pandit Brijnath Rs. 2.50 for domestic purposes.

16. RSA-KR Bhandar No. 3 Basta No. 31, (Talik Bahi), From Maharao Ummed Singh to Patel of Mauza Akatvaso and Saha Daulatram, 1861 V.S.
17. RSA-KR Bhandar No. 3, Basta No. 3 From Maharao Ummed Singh to Mir Gulam Muhammed, the Hawalgir of Jhalraputan 1861 V.S.
18. Ibid, From Maharao Ummed Singh to Khatya Dayaram 1861 V.S. of Mauza Navogaon tappa Madhkargarh The Hawalgir was reminded that he had borrowed money from state to setup a well. The amount of loan is not repaid and hence he was ordered to clear the amount alongwith interest at the earliest.
19. Ibid, From Maharao Ummed Singh to Khatya Dayaram's son Rupla 1861 V.S. Maharao directed the karsha Rupla that he has been granted loan to setup a well but the work is not progressing satisfactorily. Therefore, he was ordered to complete the irrigation project in time and do not keep the money with him.
20. Ibid, From Maharao Ummed Singh to Vohras of Mauza Vorino tappa Chaichet 1861 V.S.
21. Ibid, Basta No. 7/1 Talik Bahi 1870 V.S./1813 AD. From Patel Dauro to Vohra Rupchand of Atone 1870 V.S.
22. Ibid, From Patel Sukhram. to Vohras of Mauza Mangrole, Vanvada and Chippad 1870 V.S. / 1813 AD,
The following Vohras were directed to ensure credit facility to the karshas by Sukhram on behalf of the state.

Name of the Vohra	Village/Town
Ramo	Mangrole
Anadram	Mangrole
Sambhu	Mangrole
Shah Kano	Vanvado
Vohra Godhu	Chippad
Vohra Hailal	Chippad

A study of the nature and extent of grazing taxes in Marwar During 18th century

Kanchan Lawaniya

In the present paper an attempt has been made to define and analyze the different grazing taxes, imposed on breeding of cattle in Marwar. Moreover, an investigation has to be made to trace the impact of grazing taxes and the significance of the pastoral sector in the economy of Marwar, which has second place after agriculture.

The paper is entirely based on the archival records which known as Bahis¹ & Khyats,² preserved at District Archives Office, Jodhpur, Branch Office of Rajasthan State Archives, Bikaner.

These documents provide us with detailed valuable information about the revenue assessment and realization of various taxes from a village, community, people, animals etc.

All these sources are written in Muriya (Marwari) language and Mahajani Script, and prepared by sub-divisional officers such as head clerk or clerks of Rathore State Marwar.

Marwar (presently Jodhpur) was the largest state in Rajputana in the 18th century. It was an important centre of historical sources. In Mughal Administration, Marwar was under the Suba of Ajmer & Mughal Sarkar of Jodhpur.³ The state was divided in division & sub-division known as parganas⁴ and tappas⁵ (taffas) during 18th century.

As per Nainsi, there were mainly seven parganas in Marwar namely Jodhpur, Phalodi, Sojat, Siwana, Merta, Jaitaran and Pokran. All have been granted to Raja Jaswant Singhji of Marwar by Mughal Empire Shahjahan.⁶

Geographically, the region lies between the Indus and Sutlej basin on the west and the Aravalli range on the east.⁷ Among the dynasties which ruled over Marwar in the early medieval period one was the Rathore Dynasty. Its founder was Rao Siha, son of

Setram the later was the grandson of Raja Jai Chandra Rathore of Kannauj,⁸ who lost his kingdom in A.D.1193.

Besides a desert region, the land in Marwar provided one of the best zones on which autonomous pastoral economy could have flourished. Pastoralism remained as an important sector as agriculture in Marwar. The Report of 1883-84, informs us that during seasons of normal rainfall in the state, there was an abundance of grass in all parts of the state.⁹

It can safely be concluded the large area available for grazing must have maintained a large livestock population. As the Administrative Report of 1883-84 mentions that the livelihood of a large number of people depended on the rearing of cattle in the state and consequently there existed large number of cows, bullocks, horses, camels, buffaloes, sheep and goats. Erskine also was impressed by the cattle wealth of the desert.¹⁰

The state apparatus was depended on revenue extraction from the peasant and non-peasant population. So the state expected an appreciable tax-income from the animal husbandry in the different forms such as tax on breeding animals, tax on grazing of cattle, tax on making & selling cattle's products etc.

Here we would discuss the nature and extent of grazing taxes in almost all the parganas of Marwar during the 18th century. It was a universal tax levied in different names in the whole region such as in pargana of Jodhpur, Jaitaran and Siwana, it was known as ghasmari¹¹ or ghasbab while in Jalor and Sanchor, it was known as pancharai.¹²

The Bahis, our records provide the information which includes the datas such as of grazing rates of every cattle,¹³ an income from these, the number of animals, their prices, names of pastoral castes and pastoral products.

In Marwar, there found no uniformity in grazing rates all over the state. In pargana Jaitaran, Raibarries,¹⁴ had to be paid, five rupee for hundred chhali¹⁵ and other people had paid one takka for per chhali.¹⁶

The following table indicates the extent of tax-income of ghasmari in pargana Jaitaran in A.D.1766

Table 1

Tax - income from ghasmari in Jaitaran¹⁷

S.no.	Name of Aasami ¹⁸	No. of animals	Amount of ghasmari in Rupees
1.	Raibari	533	26.65
2.	Loka-ra	274	5.45

In pargana Jaitaran , the rate of the tax ghasmari is Rs. 5.00 for per hundred sheep¹⁹ during the years of A.D.1793 and A.D. 1794. The following tables show the revenue realized from ghasmari in continuous years of 1793 and 1794 in qasba²⁰ jaitaran .

Table 2

Revenue realized from Ghasmari in Qasba Jaitaran in A.D. 1793²¹

S.no.	Name of Aasami	Number of sheep	Amount of tax in Rs.
1.	Khatik Rahman	233	11.62
2.	Khatik Fazal	40	02.00
3.	Khatik Jamalo	18	00.87
4.	Khatik Khanto	50	02.50
5.	Raiko Tilok	213	10.62
6.	Balai Devo	18	00.87
7.	Raiko Bharmal	278	13.87
8.	Raiko Aakho	96	04.81
9.	Rabari Ratno	156	07.81
10.	Rabari Rajasi	50	02.50
11.	Veermani	43	02.68

Table 3

Revenue Realization from Ghasmari in Qasba Jaitaran in A.D.1794²²

S.no.	Name of Aasami	Number of Sheep	Amount of the tax in Rs.
1.	Khatik Rahman	266	13.3
2.	Khatik Fazal	45	02.25
3.	Khatik Khanto	37	01.85
4.	Rupo	62	03.10
5.	Dhari Fartan	19	00.95

6.	Bambhi Devlo	30	01.50
7.	Rajseer Baki	58	02.90
8.	Raibari Ratano	122	06.10
9.	Raika Aakho	119	05.95
10.	Raibari Harchand	04	00.20
11.	Chopdara	08	00.40

In pargana Parbatsar the rate of ghasmari was different for various animals such as, it was charged four annas²³ for a bhains²⁴, two annas for a unt,²⁵ and Rs.04.75 for per hundred chhali. The following table shows the tax-income of ghasmari for qasba parbatsar.

Table 4
Revenue realization from Ghasmari in Qasba Parbatsar in
A.D.1768²⁶

S.no.	Name of cattle	Number of cattle	Amount in rupees
1.	Buffalo	15	4.00
2.	Camel	05	1.00
3.	Goat	2630	125.00

Revenue realized from the tax ghasasbab was 0.51 % of the total revenue collection²⁷ of the pargana Parbatsar. Though the percentage was less in total revenue realization, but it was only of qasba not whole pargana , there were about 33 villages besides the qasba in the pargana. So according to a qasba the revenue was quite sufficient.

In pargana Jodhpur the rate of ghasmari was also Rs.5.00 for per hundred animals.²⁸ The following table shows the amount of ghasmari realized from various locality of qasba Jodhpur.

Table 5
Revenue Realization from Ghasmari in Qasba Jodhpur in A.D.1766²⁹

S.no.	Name of tax-payer	Number of animals	Amount collected as ghasmari in rupees
A	Chand Pol		
1.	Aasab Bikidas	36	1.75
2.	Jat Ramdas	146	7.00

3.	Rathor Bhayal	95	4.75
4.	Aasab Vaisar	222	11.00
5.	Mali Jetho	111	5.55
6.	Aasab Chaisar	155	7.75
B	Sivanchi Darwaja		
1.	Gorilal	500	25.00
2.	Jat Ramchand	59	2.93
3.	Anvar Lal Khan	49	2.40
4.	Seepai Seerdar	160	8.00
5.	Same Jakisar	52	2.60
C	Sojhati Darwaja		
1.	Srgara Hema	59	3.00
2.	Gujar Aasore	70	2.75
3.	Goyaddas	134	6.44
D	Merti Darwaja		
1.	Manohar Aasab	155	7.75
E	Nagori Darwaja		
1.	Nai Har Ram	08	0.44
	TOTAL		99.11

The above table indicates that in pargana Jodhpur cattle breeding were adopted by all the caste not only by Raibarries as we have seen from the table. Rathore who were enjoyed the position as the zamidars³⁰ also engaged in this profession. The income of ghasmari from qasba Jodhpur was 0.096 % of the total revenue collection of the pargana Jodhpur in A.D.1766.

On the basis of information provided by our document, we have prepared the following table as below:-

Table 6

Revenue Realization from Ghasmari in Pargana Jodhpur³¹

S.No.	Name of Taffas	Amount of Ghasbab in rupees
1.	Haveli	437.00
2.	Pipad	884.00
3.	Dunare	156.00
4.	Osia	18.00
	TOTAL	1495.00

Above table proves that the amount of the tax realized from taffa Osia was the lowest while it was highest of taffa Pipad in V.S.1823/ A.D. 1766. And there were 19 taffas in pargana Jodhpur during the study period but the tax realized from only four taffas in 1766 A.D. The possible reason behind it was the number of grass eating animals is less at that time. This income was 1.43% of total revenue realization of pargana Jodhpur³² in 1766 A.D.

The following table shows the type of villages whether it was Khalisa³³ or Pattayat³⁴ of pargana Siwana of Marwar state, total amount of the tax ghasmari and the percentage of the village's rekh³⁵ provided in the document

Table 7

Tax -income from ghasmari in pargana Siwana in A.D.1783³⁶

A	B	C	D
S.no.	Name of village	Rekh	Amount of tax in Rs. C as % of B
A	Khalisa village		
1.	Umaralai	1000	06.00
2.	Jeedotri	4000	11.00
3.	Kharvo	1500	05.00
4.	Dewliyawali	1000	04.00
5.	Khakhrlai	500	03.00
6.	Makalnano	625	04.00
B	Pattayat villages		
	Karnot		
1.	Kannano	12000	10.00
2.	Karno	5000	08.00
	Jodha		
1.	Gharsi ro bado	1000	05.00
	Bala		
1.	Motisaro	3750	05.00
2.	Ludrado	300	04.00
3.	Balu	900	03.00
4.	Ravaeniyo	500	07.00
5.	Arjiyano	300	05.00
6.	Bijaleyo	400	03.00
7.	Devado	700	07.00

Bhayal				
1.	Dewadi	500	03.00	0.6
2.	Padarali	500	02.00	0.4
Chuhewana				
1.	Sewanli	1900	03.00	0.15
2.	Kakranlo	500	03.00	0.6
3.	Chihali	900	02.00	0.2
Bhati				
1.	Kotari	4000	12.00	0.3
2.	Laliya	1000	04.00	0.4
3.	Wurodea	1000	04.00	0.4
4.	Sawrala	2000	05.00	0.25
5.	Lalano	1000	02.00	0.2
6.	Kupavas	2500	12.00	0.48

In addition to ghasmari, there was a tax imposed on those animals that used to feed on leaves i.e. known as pancharai in Marwar. The rate under this head varies according to the kind of cattle. It also different from pargana to pargana such as , in pargana Jaitaran, the rate of pancharai was fixed at Rs.4.50 on per hundred evar³⁷ and one takka was on per chhali.³⁸

In pargana sanchor, it was realized at the rate of eight annas on per sandhiya.³⁹ In pargana Jalor, it was fixed at the rate of Rs.1.00 on per sandhiya and eight annas on per subhar sandhiya and chhali.

The following tables show the incidence of this tax ghasmari in different pattis⁴⁰ or villages of pargana Jalor and Siwana for the year of A.D.1766.

Table 8

Tax income from pancharai in pargana Jalor in A.D.1766⁴¹

A	B	C	D	E
S.no.	Name of the patti	No. of village	Rekh in Rs.	Pancharai D as % of C
1.	Talsar	25	4700	27.00 0.05
2.	Dhandhar	16	24300	19.00 0.07
3.	Dahiyawati	16	31100	13.00 0.04
4.	Sena	02	8000	66.00 0.82

There was almost uniform proportion between the three pattis namely talsar, dhandar and dahiyawati while the proportion was higher in the pargana sena . The possible reason, behind the higher realization is that, in the pargana the number of sandhiya were more than others patti of pargana Jalor.

Table 9

Tax -income from pancharai in pargana Sanchor in A.D. 1766⁴²

S.no.	Name of village	Rekh	No .of camel	Amount of pancharai in Rs.	Percentage
1.	Morsam	2000	48	24.00	12.00
2.	Bhalani	1000	11	5.50	0.55
3.	Lakhani	1000	04	2.00	0.2
4.	Mugar	1000	04	2.00	0.2
5.	Sevri	2000	04	2.00	0.1
6.	Danvane	100	02	1.00	1.0
7.	Medre	100	01	0.50	

On the basis of the source of A.D. 1766, we shall have tried to prepare the following table which shows the total amount of pancharai, realized from the all taffas of pargana Jodhpur.

Table 10

Revenue realization from Pancharai in Pargana Jodhpur⁴³

S.No.	Name of taffas	Amount of the tax in Rs.
1.	Haveli	60.00
2.	Bahele	.50
3.	Kherve	1.00
4.	Dunara	82.00
5.	Osia	247.00
6.	Kheevsar	2.00
7.	Pipad	16.00
8.	Rohith	2.00
9.	Gudochara	1.00
10.	Kothne	84.00
11.	Lavere	50.00

12.	Aasop	8.00
13.	Bilade	1.00
14.	Pali	8.00
15.	Bhadrajan	117.00
16.	Bahelvo	34.00
17.	Setravo	6.00
18.	Gajsinghpura	.50
	TOTAL	720.00

From above table we see that the income of pancharai was assessed from all most all taffas of pargana it means there were leave feeding cattle are more than grass eating in the same year of 1766. The revenue assessed from pancharai was 0.69 % of total revenue realization of the pargana Jodhpur.⁴⁴

Besides these, our documents provide us with the rate and the amount of tax realization from non agricultural products such as ghee⁴⁵ and wool. Ghee was a major pastoral article in Marwar. From the villages of the pargana people used to take ghee in large quantities to other areas within the state and sometimes outside the state. So the state used to impose a tax on ghee production, known as ghiyai. Our documents offer the total realized amount of ghiyai for the villages of pargana Siwana. The amount realized under this head was Rs. 218 in A.D.1766⁴⁶ and Rs. 153 in A.D 1784⁴⁷ from pargana Siwana that was 0.94% of total revenue of the pargana siwana.


Wool also was an important article of the desert. So there was a tax imposed on the production of wool i.e. uoon aghori or uoon bab in Marwar. In fact, it is a tax on the manufacture of wool, realized from the manufacturers especially the Raibaries. It was imposed according to the number of Raibaries house. For example, there was Rs. 6.00 charged as wool bab , buy later when there was only a house of Raibari in the village. It was imposed only Rs. 2.00.⁴⁸ Our documents record tax-income from this head in different parganas in different years, which as follows: in pargana Jalor, an amount of Rs.417.00 realized as uoon aghodi in A.D.1765⁴⁹ and Rs.375.00 in A.D. 1766.⁵⁰ Rs.14.00 in pargana Sanchor in A.D.1766⁵¹ and Rs 68.00 in pargana Phalodhi⁵² in A.D.1769 that was 0.42% oe total revenue of the pargana. In pargana Siwana , it

was realized Rs.44.00 in A.D.1778⁵³ and Rs.135.00 in A.D. 1783.⁵⁴


In the tax-schedule of ghasmari, a tax jhumpi or chhapparwachhi,⁵⁵ imposed on those pastoral communities who were semi nomadic such as Raibaries, lived in a thatched hut which known as jhumpi. The rate of the tax was very low in comparison of other taxes. Only one or two rupees charged for a year. Although this was not permanent tax because the Raibaries used to migrate in search of the place where they found grazing fields for their cattle.

The state also received a big amount from the export of cattle. There was a big demand of Marwari cattle especially Jodhpur goats and camels inside as well as outside the state. So the state imposed a tax mavesi- ra on selling of cattle. In fact it was the fee, paid to the government on selling of domestic animals. An amount of Rs.168.00 was deposited on account of mavesi-ra in the state treasury from pargana Jalor⁵⁶ and rs. 49.00 From pargana Sanchor⁵⁷ in A.D. 1766. The amount increased and realized rs 175.25 from pargana Sanchor⁵⁸ in A.D.1773.

The purpose of this paper has been to present the statistical information from the primary sources of eighteen century so as to signify the pastoral sector in the economy of Marwar.



Income of pancharai in different parganas of Marwar



Income of Ghasmari in various Qasbas of Marwar

References

1. Bahis are the rolled registers which are bound in leather or cloth with a long string to tie double roll formed by the body of the bahis.
2. Khyats are rajsthani chronicle. It is a compilation of the accounts of the glorious political deeds of the rulers and other historical events.
3. Marwar is 100 kos in length by 60 in breadth and it comprises the Sarkar of Ajmer, Jodhpur, Sirohi, Nagor and Bikaner. Abul fazal , Ain -i-Akbari, Trans. in Eng. By Col. H.S. Jarreett, Vol. II, p.276
4. Sub- division of a sarkar: a tract of country consisting of many tappas or villages.
5. Sub - division of a pargana : a smaller tract than a pargana, comprised with a number of villages, Marwar -ra-Pargana ri vigat, Ed. N.S.Bhati, part II , p.78
6. V .N.Reu : Marwar ka Itihas , part I,Jodhpur, 1938, p.211.
7. B. L. Bhadani : Peasant,Artisans and Enterperneurs, Jaipur, 1999, p.3.
8. B. L. Panagariya : Political ,Socio- Economic and Cultural History of Rajasthan, Jaipur, 1993, p.
9. Jodhpur Administrative Report, 1883-84, District Archives Office, Jodhpur.
10. K.D. Erskine: Rajputana Gazetteer, The Western Rajputana States Residency and The Bikaner Agency, Gurgaon, 1992, p.106.
11. The word Ghasmari means tax on livestock other than camels. it was levied on livestock feeding on grass, Vigat, part II, pp.88-89.
12. The Pancharai was a tax from those animals that used to feed on leaves.
13. The word cattle are used for the domestic animals.
14. Raibari was a caste of Marwar . Cattle breeding were the main occupation of this caste. Marwar -ra- pragana - ri- Vigat Ed. N.S.Bhati ,part I, p.538
15. The word chhali was used for goat.

16. Jaitara Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S.1823, Bahi no. 669, District Archives Office, Jodhpur.
17. The table has been prepared from Jaitaran Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S. 1823, Bahi no. 669.
18. The term Aasami was used for the tax-payers.
19. Jaitaran Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S.1850 and V.S.1851, Bahi no. 676 & 677, DAO, Jodhpur.
20. Qasba indicates the headquarter of a pargana.
21. The table has been prepared from Jaitaran Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S.1850, Bahi No. 676.
22. The table has been prepared from Jaitaran Hukumat ri Jamabandi V.S. 1851, Bahi No. 677.
23. A currency, 1/16 part of a rupee.
24. The word Bhains was used for buffaloes, Sitaram Lalas: Rajasthan Sabad Kosh, part III, Jodhpur, p.2919.
25. The word unt was used for camels.
26. The table has been prepared from Parbatsar ri Jamabandi Bahi V.S.1825, Bahi No. 1586, DAO, Jodhpur.
27. Ibid.
28. 24. Jodhpur Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S. 1823, Bahi No. 935, DAO, Jodhpur.
29. The table has been prepared from Jodhpur Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S.1823, Bahi No. 935.
30. The word Zamidars was used for land holders.
31. The table has been prepared from Jodhpur Hukumat ri Jamabandi Bahi , V.S.1823, Bahi No.935.
32. Ibid.
33. The term khalisa refers to the villages which were direct under the rule.
34. The term pattayat indicated the jamidars or jagirdars villages.
35. The term rekh refers the estimation of revenue.
36. The table is based on the information contained in Marwar -ra- Pargana -ri- Farsat , Ed. By H.S.Bhati, Rajasthani Sodh Sansthan, Chopasani, Jodhpur.
37. The word evar was used for a group of sheep, Badri Prasad Sakria : Rajasthani - Hindi-Sabad Kosh, part I, p.174.
38. Jaitaran Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S. 1818 , DAO, Jodhpur.
39. The term unt was used for camel.
40. The term patti was used for an administrative unit of a pargana.
41. The table is based on jalor Hukumat ri Jamabandi Bahi V.S. 1823, Bahi No. 797, DAO, Jodhpur.
42. The table is based on Sanchlor Jambandi Bahi V.S. 1823, Bahi No. 1733 DAO, Jodhpur.
43. The table has been prepared from Jodhpur Hukumat ri Jamabandi Bahi, V.S. 1823, Bahi No. 935, DAO, Jodhpur.
44. Ibid .
45. The term means clarified butter.
46. Pargana Siwana ri Jamabandi Bahi V.S.1823 , DAO, Jodhpur.
47. Pargana Siwana ri Jamabandi Bahi V.S.1841, Bahi No.1798, DAO, Jodhpur.

48. Marwar rapargana ri farsat, Ed. By H.S. Bhati, Chopasani Sodh Sansthan, Jodhpur.
49. Jalor Hukumat Jamabandi V.S.1823, Bahi No.797, p.21.
50. Ibid ,p.126.
51. Sanchor Jamabandi Bahi V.S.1823, Bahi No.1733, DAO, Jodhpur.
52. Pargana Phalodi ri Kacheri ri Jamabandi, V.S.1826, Bahi No.1493, DAO, Jodhpur.
53. Pargana Siwana ri Kutcheri ri Jamakharch ri Bahi , V.S. 1835, Bahi No.1796 DAO, Jodhpur.
54. Pargana Siwana ri Kutcheri ri Jamakharch ri Bahi , V.S. 1840, Bahi No.1799, DAO, jodhpur.
55. The term jhumpi was used for temporary setellement.
56. Jalor Hukumat ri Jamabandi Bahi, V.S.1823, Bahi No. 797,DAO, Jodhpur.
57. Ibid.
58. Sanchor ri Kucheri Jamakharch Jamabandi Bahi V.S. 1830, Bahi No.1737, DAO, Jodhpur.

Efforts for the Rehabilitation of the Peasantry and Proliferation of Agriculture in the Desert State of Bikaner during the latter 18th and early 19th Century A.D.

Prof. K.L. Mathur

Consequent upon the decline and dismemberment of the Mughal Empire during the mid-18th century the Chieftains of Rajputana who were in the active services of the Mughals as *Mansabdars* reverted back to their respective *watans* and began to reformulate and reorganize their principalities once again in the second half of the 18th century. But in the absence of the Imperial protection to them they were also devoid of the financial support in the form of *Jagiri* income and the wealth which they used to collect from the Mughal expeditions. In fact, now they were not the de-facto *mansabdars* of the Mughals. Moreover, apart from the mutual rivalry with their neighbouring states, which increased their military expenditure, they were reeling under the dearth of the financial resources, specially the the desert state of Bikaner was facing such conditions severely.

To combat the scarcity and to generate the resources for enhancing the State income the rulers of Bikaner ventured to proliferate the growth and development of agriculture production by attempting the rehabilitation of the peasantry in the state who had migrated to other places for their livelihood. They also encouraged the now agricultural families (*Guwadis*) to settle in the state.

The present paper seeks to examine those efforts of Bikaner rulers during the said period for the rehabilitation of the migrated peasantry and proliferation of the agriculture in the state.

The state archival records of Bikaner viz. *Kagad Bahis*, *Sawa Bahis*, *Khalisa Bahis* etc. records evidences of the such efforts for the same and therefore, these *Bahis* proved useful in this paper.

I

Determinants of the Rehabilitation and Proliferation

Before we enumerate the state efforts it would be pertinent to find out that what actually prompted them to do so.

At the very outset, it is not out of the questions to say that the geo-politics is an effective determinant and plays a significant role in shaping the course of history in general and the economy in particular. It is more evident in the context of the former Rathore principality of Bikaner (Estab. in 1488 A.D.) which was entirely spread in the territory of *Thar* desert and having desert ecology. The state suffered recurrently on account of its poor natural resources and harsh desert conditions and the economy of it, consequently, sustained stresses and strains under natural calamities.

Due to poor natural resources, the infertility of the soil, erratic and scanty rainfall, the agriculture though the principal occupation of the state, the agrarian pattern and conditions were under utmost adverse implications.¹

The cultivation could not be extended to move larger areas due to the constraints. The percentage of the cultivated areas was very low in different regions. According to one assumption 50% of the land usually remained uncultivated.² The agricultural production was entirely dependent on the rainfall and hence the production was only for the domestic consumption and not for the commercial value.³

The recurrence of famine and drought frequently aggravated the situation and forced the peasants to migrate to another fertile places for livelihood.⁴ Also therefore, it was the *Jama* and the *hasil* never matched to each other and the difference between these two used to be very high. The pendency of the land revenue remained a regular feature of the economy.⁵

It is also to mention that the number and nature of the settlements was very thin, the villages were often deserted overnight.⁶ The internal disturbances of loot, dacoity and arsoning by the disgruntled *Thakurs* often increased the difficulties of the peasants. The harsh realization of the revenue by the state officials and the imposition of new taxes and cesses often resulted into desertions from the lands/villages by the peasants.

In these conditions of the state the rulers Maharaja Gaj Singh (1746-1787 A.D.) and Maharaja Surat Singh (1787-1828 A.D.) put up efforts for the rehabilitation of the peasants and extension of the cultivable land in the state.

II

Relief and concessions to Peasants During and after the Calamities and Scarcity

The efforts of the rulers during the period under question were aimed at the following motives.

- (i) to rehabilitate the migrated peasantry into their respective lands and villages.
- (ii) to colonize new villages by inviting new agricultural families with their kith and kins.
- (iii) and to proliferate the agricultural production through increasing the cultivable lands and bring more fallow lands under the plough. To meet these ends the rulers very judiciously worked and put up their efforts as follows.

(i) Relief Measures During the Famines and Scarcity

The centres for distribution of food and fodder called *Sadavarat* were organised by the state and employment was provided to many people in construction work. In 1754-55 A.D. Maharaja Gaj Singh had done so and the city wall of Bikaner was got constructed⁷ under this project.

The state dues of the land revenue and other taxes for the current year were either suspended or postponed or realized at reduced rates considering the severity of the calamity. In village Leghasar, Rs. 15 was exempted out of Rs. 75 in 1754 A.D.⁸ and in the *Pargana* Punia the total *Jama* was exempted except the dues of *Khed Kharach Ri Bhanch* (a military tax)⁹ for one year. In 1774 A.D. a village Bukansar which was assigned to Prem Singh Sahabsinghot in *Patta* was totally exempted from any realization.¹⁰ Likewise, it was ordered for village Atbhomdesar that the dues would be recovered only when it would be possible to realize.¹¹ The overall reduction in taxes was often limited up to ½ or ¼ of the dues. Such exemptions are available in the *Bahis*.¹²

The arrears of the state dues were also postponed to the future dates. For instance the dues of village Upani were suspended

for one year in 1770 A.D.¹³ Orders were issued in 1774 A.D. to defer the arrears up to next year for villages Mahalsar, Sahwa and Nohar.¹⁴

The *Mahajans* and *Sahukars* who had given private loans to the peasants were also dissuaded not to realize their loans during the calamity. Orders to this effect were issued for villages Asrsar in 1754 A.D.¹⁵ village Norangdesar in 1763 A.D.¹⁶ and for villages Likhmidessar, Himmatsar, Madawas, Del, Zalimsar and Dhatdi in 1770.¹⁷ The like orders were also issued for villages Kharde, Bukansar, Qasba Nohar, Kolasar and Sawai.¹⁸ In any attempt on the part of creditor to forcefully realize the debt or confiscate the belongings of any peasant in lieu of his debt, the state extended full protection to such cases and did not allow to do so.¹⁹

It is a general pattern throughout the period that whenever there was a famine or scarcity the prices of the food articles rose up.²⁰ In order to meet such contingencies and keeping in view the purchasing power of the peasantry and other affected people, the state followed a definite procurement policy and imported food grain and other essential items from the neighbouring states and for this the merchant were granted concessions in *Jagat*. For instance, the concession of 50% *Jagat* was provided, in the year 1783 A.D. to the grain merchants of Malwa, Harauti and Mewar²¹ and also of Nagaur.²² They were asked to expedite the supply.

Although, *Begar* (Compulsory service without any payments) was a general feature in the state, but under an adverse condition no *Begar* was to be asked-for by the officials. The Potters of Nohar were exempted from giving the *Begar* due to their poor condition in 1774 A.D.²³ Likewise in the famine affected village Kesardesar no *Begar* of food or fodder was to be taken by the state officials.²⁴ This shows that during the famine and after it, the demand of *Begar* was forbidden in the affected villages.

(ii) Relief and Concession during Man-Made Calamities:

Owing to the recurring disturbances of *Raths*, *Johiyas* and *Bhattis* and some feudal subordinate chiefs as well as the external attacks over Bikaner, particularly after the mid-eighteenth century, the political situation in the state was not satisfactory and the instances of loot, dacoity and raids were very common. This equally contributed to the destruction of cultivation and a loss to some extent.

Such instances of man-made calamities are recorded in the *Bahis* and the state had to offer concessions and remissions in such conditions. For instance, the dues of *Dhunwa* tax was exempted to half in village Nenasar (*Chira Khedra*) in 1774 A.D.²⁵ and in village Jhonjhni (*Chira Reni*) in *Rokad Raqams* for their being attacked.²⁶ The state dues were completely remitted in village Baradhwas for its was looted in 1774 A.D. Also, total dues of the state of Rs. 481 were exempted in village Gusaisarbado in 1783 A.D. due to plundering in the village.²⁷

(iii) Relief and Concessions After the Famines and Other Calamities

After the visitation of famines or drought, there has been a period of normal rainfall but it was found that the peasantry was so much incapacitated that they were not in a position to utilize the good monsoon, because they had neither the plough nor cattle nor any money to purchase seeds. In order to provide strength to them *Taccavi* loans were usually granted by the Mughals without interest, the Bikaner rulers also followed the same. They provided interest free loans to the peasantry, so that they could purchase seeds, ploughs, etc. Also, no *Jagat* was charged from peasants on the imported grains (seeds) for sowing or for domestic use. The *Jagat* was completely exempted to the peasants of Gajsinghpura²⁸ and to the peasants of Jasarasar²⁹ on importing food grains for sowing and consumption respectively in 1763 and 1804 A.D.

In fact the relief measures and tax reduction were planned in such a manner that it would help the peasants in their distress and to safeguard its own interests.

III

Efforts for Rehabilitation and the Extension of Cultivable Area of Land

It is reported in the *Bahi* that if anyone in the state suffered harm due to any reasons, he would receive compensation.³⁰

New villages were founded in order to induce agricultural work and in order to ease the problem of employment and at the same time. Obviously this was done with a purpose to enhance the state income.

To encourage the settlements, people were assured that they would be given tax reduction and protection, and this is how the number grew.³¹ It was in this connection that for Anupgarh it was decreed that methods be developed to colonize 84 new villages.³²

Due to famine and other reasons such as lack of security and peace many village were depopulated. This affected the income of the state. It was the policy of the state that depopulated or under populated villages should be restored to their original positions. For this, the village *Choudharies*, *Bhogtas* and *Jagirdars* who undertook such tasks of rehabilitation of a village were granted various privileges from the state. Besides, a *Nankar* land (rent free land) a *Choudhary* was authorised to 5% deduction (*Panchotra*) of total revenue to retain with him while collecting the revenue.³³ They were also granted rent free pasture land. A *Bhogta* was allowed exemptions on his *Gharuhal* (Personal plough).³⁴ The state also conferred the *Zamidari* rights to certain *Asamis* in order to increase the agricultural population in villages. They were supposed to attract their relatives and other kinsmen to come from other adjacent states and live in the villages to help increase of cultivation. In 1827 A.D., as much as 28 *Asamis* of village Hardesar and Bhonipura, Bakusar (Choudhary Mewaram Dewoni and Jeevan Sadani and others) were conferred upon *Zamidari* rights in such villages. They paid to the state Rs. 325 as *Nazrana*, and in lieu they could realized some traditional cesses as *Dhol*, *Tikawani*, etc. from the inhabitants of their villages.³⁵

Likewise, in order to rehabilitate the deserted villages, those who had left their villages decades earlier were encouraged to resettle in their original villages. The state tried to restore the same agricultural land which they had left years back. The exemptions in taxes were also given to them which varied from the total exemptions to partial exemptions, so much so that they were exempted from paying tax for life. The term used for it was *Sadamad* (Perpetual). For instance, in 1797 after 40 years families of 8 *Asamis* who came from Nagaur to live again in their original village Rajedu were granted permanent exemption of ½ the plough-land-cultivation perpetually (*Sadamad*) along with remission in *Dhunwa* tax to 2 *Asamis* of that families forever.³⁶ In certain cases such concession were enjoyed by few people up to three generations.³⁷ In order to increase

the agricultural population we find that those offenders who were declared *Barothia* (sent out of state) and penalized were being exonerated and were rehabilitated. *Rawat* Bhinv Singh and his sons and grandsons who were declared *Barothia* were allowed to resettle in the village Kolasar in 1794 A.D. Interesting enough, one Jat peasant who had become *Beragi* or *Sadhu* and left cultivation of land was again put to cultivation work. However, he was exempted the *Dhunwa* tax along with a concession in the land revenue. Instead of 1/6 part of land revenue 1/7 was realized from him.³⁸ Peasants living into the newly colonized villages were not charged tax on pasture land and they were free to choose any system beneficial to them for the payment of land revenue.³⁹

Total exemptions of taxes like *Dhunwa*, *Halgat*, *Korad*, *Charo*, *Ghas*, *Deshprath* were granted in the newly colonized villages like Sarupdesar and Raitudo for two years i.e. for the years 1802 A.D. and 1803 A.D.⁴⁰ The same exemption was also given to those who settled down in Rajgarh a newly established town by Gajsingh.⁴¹

Reduction in taxes were also available to those villages which were economically weaker on any account, Village Navalsari (*Chira Reni*) was given a reduction of Rs. 22 and *Annas* 12 in its *Jama*.⁴²

Although, the desertion of villages were normally deterred by the state⁴³ but in calamities, people deserted them. For instance, village Khiyali *Pargana* Punia when completely deserted due to famine was granted complete exemption of *Dhunwa* tax for three years from 1800 to 1802 A.D.⁴⁴

The rulers also showed concern for the poor and menials to settle down on land.⁴⁵ Special care was taken to rehabilitate certain professional castes like Potter, Oil Pressers, and Carpenters in the village as they were essential part of the village society. Concessions were also given in 1770 A.D. to *Kumhar*, *Teli* and *Suthar* when they rehabilitated in village Radbi.⁴⁶

On the partial failure/damage of crops due to certain reasons in any village the *Jama-Bandi* (assessment of land revenue) of that village was reduced.⁴⁷ For instance, the *jamabandi* of village Molisar, Motsara (*Chira Rajahad*) was revised in 1783 A.D. for it was partially deserted. The *Jamabandi* was reassessed for Rs. 37

to be realized from these villages. This shows that the state was cautious enough to realize the dues in the pecuniary conditions in the villages.

To augment the state income in a fertile area near a pond, the state sometimes resorted to force the peasants to cultivate crops which need, good irrigation facilities. In village Chandasar, the state enjoined upon the peasants to grow wheat, gram and barley, etc.⁴⁸

Certain reliefs were granted to those peasants who repaired the old wells or help construction of a new well in the village. State provided Rs. 50 as financial aid to Sukhoni Jeevan in village. Berasar in 1805 A.D. who ventured digging up a new well for drinking water.⁴⁹ Likewise, Chauhan Jeevan who dug up a well in a piece of land of village Beechhwal near Bikaner in 1780 A.D. he was granted a piece of land and then onwards that area was to be known as a village Jeevandesar in his name.⁵⁰ In case of excess realization the state ordered refund or for adjustment towards other due taxes.⁵¹

It was enjoined upon *Pattedars* (assignees) that if some one suffered damage from a theft they would have to compensate him for the harm done or the village would be transferred to *Khalisa* (crown land) if he himself had failed. On the official of *Khalisa* villages it was enjoined that if they treated cases incorrectly they would have to pay compensation for the same from their own pocket. If an official died, monetary compensation would be given to the member of his family and if they had no means of earning their livelihood, subsistence would be provided for them. In case of death of an official and was survived by an offspring, he was employed in the government service.⁵²

These efforts of state suggest that the state was very keen in increasing the population of the villages and thereby increase the size of land accruing more revenues under plough. The granted exemption and concessions were also motivated to extend the cultivation on more fallow land in the desert to which many peasants responded favorably.

References

1. Nearly 76.4% of the population were engaged in the agriculture and animal husbandry. Fagan, P.G., *Settlement Report of the Khalisa villages of Bikaner State*, Bikaner, 1983 A.D., p.5, R.S.A., Bikaner
2. Devra, G.S.L., *Rajasthan Ki Prashasnik Vyavastha (Bikaner Ke Sandarbh Mein)*:

1574-1818 Essvi, Bikaner, 1982, Chapter VI, *Financial Administration*, pp.158-210.

3. In the *Khalisa* Villages the average area under cultivation of state was 15% and varied from 35% in *Pargana* Bhatner to only 3% in the *Chira* Anupgarh, Fagan, P.G., *Settlement Report of Khalisa Village of Bikaner*, op. cit. pp.6-7.
4. Kachhawah O.P., *Famines in Rajasthan*, Jodhpur, 1988, pp. 146-75; Gehlot, J.S., *Rajasthan ki Krishi Kahavaten* (The Meteorological Wisdom of Rajasthan), Introduction, Jodhpur, 1941, p.1. A couplet for famine is famous in Bikaner as under -
 पग पूगल धड़ कोटड़े, उदरज बीकानेर। भूलो चूको जोधपुर, ठावो जैसलमेर।।
 The famine of 1783 and 1796 A.D. are respectively known as *Chalisa* (Famine of V.S. 1840) and *Trepania* (Famine of V.S. 1853); Sharma, G.N., *Social Life in the Medieval Rajasthan* (1500-1800 A.D.), Agra, 1968, p.346.
5. Col. Tod records that 1/3 of the population migrated during famines. So the cultivated area was frequently subjected to changes. Col. Tod, *Rajasthan Ka Itihas*. (Hindi Trans.) Ed. Keshav Thakur, P.53.
6. Col. Tod also mentions that during Surat Singh's time the number of villages has also reduced.
7. *Chhoot-Ra-Kagad, Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754 A.D.
8. *Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754 A.D., *Kartik Badi* 5.
9. *Ibid. Falgun Sudi* 6.
10. *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., f. 44, *Posh Badi*-14.
11. *Kagad Bahi*, No. 6, V.S. 1839/1782 A.D., f. 55.
12. *Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754 A.D., *Kartik Badi* 12.
13. *Kagad Bahi*, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D. f.11
14. *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., f. 28
15. *Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754 A.D.
16. *Kagad Bahi*, No. 2, V.S. 1820/1763 A.D., *Asoj Badi*-8.
17. *Kagad Bahi*, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D., f.27.
18. *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., ff.44, 52, 56; *Kagad Bahi*, No. 5, V.S. 1838/1781 A.D., f.43 A.D.
19. *Kagad Bahi*, No. 5, V.S. 1838/1781 A.D., f.43; *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., f. 56.
20. Powlett, P.W. writes in his Gazetteer of Bikaner that 'during the famines of 1868-69 A.D. the prices of grains in Bikaner gradually went up to 6 *seers* the rupee and there was little difference between the prices of the different kinds; just before the famines *Bajra* was 35 *seers* (British) and *Moth* at 45 *seers*. The people consider that a famine has begun when *Bajra* is at 15 *seers*, p.108.
21. *Kagad Bahi*, No. 7, V.S. 1840/1783 A.D., *Mingsar Badi* 7.
22. *Kagad Bahi*, No. 6, V.S. 1839/1782 A.D., *Vaisak Badi* 3.
23. *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., f.52.
24. *Kagad Bahi*, No. 9, V.S. 1851/1794 A.D., f.21, *Kartik Sudi* 7.
25. *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., f.6, *Asoj Sudi* 13.
26. *Kagad Bahi*, No. 4, V.S. 1831/1774 A.D., f.6, *Kartik Badi* 3.
27. *Ibid.* f.7, *Kagad Bahi*, No. 7, VS 1840/1783 A.D., f.21. *Mingsar Badi* 11.
28. *Kagad Bahi*, No. 2, V.S. 1820/1763 *Magh Sudi* 15.
29. *Kagad Bahi*, No. 13, V.S. 1861/1804 A.D., *Sawan Sudi* 6.

30. *Byav Bahi*, V.S. 1889/1832 A.D., *Lekha Va Jama Kharch Ri Bahi*, V.S. 1896/1839 A.D. RSAB.
31. *Kagad Bahi*, No. 34, V.S. 1885/1828 A.D.
32. *Kagad Bahi*, No. 50, V.S. 1900/1843 A.D.
33. *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D., f. 137
Kagad Bahi, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D., f.27.
34. *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D., ff.123, 140, 141.
35. *Kagad Bahi*, No. 33/1, V.S. 1884/1827 A.D., f.176 (a)
36. *Kagad Bahi*, No. 10, V.S. 1854/1797 A.D., f.99.
37. *Chhoot Ra Kagad, Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754 A.D., *Posh Sudi* 5.
38. *Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754. *Kagad Bahi*, No. 7, V.S. 1840/1783 A.D., ff.11(b), *Prachoon Kagad, Kagad Bahi*, No. 9, V.S. 1851/1794 A.D., f. 34, *Jyestha Sudi* 14. *Kagad Bahi*, No. 10, V.S. 1854/1797 A.D. The *Bahi* contains ample instances of returning of *Guwadis* (Families) to their native villages even after 40-50 years. They were restored their *Khets* (Fields) as well as house to live in as far as possible along with the remission in taxes. They were asked to increase the land under plough and further concessions would only apply, *Kagad Bahi* No. 11, V.S. 1857/1800 A.D., ff.137, 138.
39. *Kagad Bahi*, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D. f.6.
40. *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D.
41. *Kagad Bahi*, No. 10, V.S. 1854/1797 A.D., *Asadh Badi* 6.
42. *Kagad Bahi*, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D., *Mingsar Sudi* 1.
43. *Kagad Bahi*, No. 7, V.S. 1840/1783 A.D., f.34; *Kagad Bahi*, No. 12, V.S. 1859/1802, f. 131.
44. *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D., *Vaishak Badi*, 11.
45. *Kagad Bahi*, No. 50, V.S. 1900/1843 A.D.
46. *Kagad Bahi*, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D., First *Asadh Sudi* 1; *Kagad Bahi*, No. 12, V.S. 1859/1802 A.D.
47. *Kagad Bahi*, No. 1, V.S. 1811/1754 A.D. *Asoj Badi* 2 & 4 and *Kagad Bahi*, No. 5, *Kagad Bahi*, No. 7, V.S. 1840/1783 A.D., *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D. *Jama Bandi Ra Kagad*.
48. *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D. f.90.
49. *Kagad Bahi*, No. 13, V.S. 1861/1804 A.D. *Falgun Badi* 4. *Kagad Bahi*, No. 3, V.S. 1827/1770 A.D. f.9 (a).
50. *Parwana Magh Badi* 7, V.S. 1837/1780 A.D. *Parwana Bahi* No. 4. V.S. 1800/1900 A.D., RSAB.
51. *Kagad Bahi*, No. 11, V.S. 1857/1800 A.D., f. 286.
52. *Kagad Bahi*, No. 8, V.S. 1846/1789 A.D., *Kagad Bahi* No. 50, V.S. 1900/1843 A.D.

Strategy and Defence in India: A Case Study of the Fort of Bharatpur and Its Siege in 1805

Dr. Anil Kumar Verma

The fort of Bharatpur is unparalleled amongst the forts built on plains. This fort was among the most formidable forts in India; also known as Iron Fort it is still the focal point of Bharatpur. The fort takes its name (Lohagarh-Iron Fort) from its supposedly impregnable defences. Its indigenous design gave it an awesome reputation. On account of its indigenous style of protective and offensive aspects and queer design it is unique in itself throughout Rajasthan. It was because of this fort that the Bharatpur state became the first state in India to sign a treaty of 'Permanent Equal Friendship' with the East India Company.

The fort is situated at the distance of 51.5 km from Agra, 35 km from Mathura and 186 km from Delhi and Jaipur. It is situated in the north-east of Banganga and Ruparel rivers on raised ravine ground. The south-western part slopes towards the fort make a low lying water-logged area around the fort. The fort orients to Agra and Mathura, the two important points of entry to Rajasthan. Perhaps, the fort was constructed to control these entry points and it acted as a strong guard against the passage to Rajasthan. The historians call it as the eastern gate of Rajasthan.

The fort being in the area of collecting waters of two rivers, the shape of the surrounding land is saucer or bowl like. This physical feature and surrounding forest growth perhaps attracted the Bharatpur Prince Suraj Mal to have a bowl-shaped fort having alignment with the ground. The moat round the fort is an evidence that water logging area easily supplied the required water to the moat and made accessibility difficult from all sides. A bowl-shaped fort was easier to defend and brought into contact, and communicated with, the various parts of the fort easily at the time of attack or emergency than the elongated or rectangular shape of the fort.

Folklore has it that after capturing Fatehgarhi of Khem Karan Sogharia, Suraj Mal one evening rode into the nearby jungles. There

he came to a lake where he saw a lion and cow drinking water standing at no distance from each other. Naturally, so unusual a sight made a deep impression on him. In the vicinity was the retreat of a Naga saint. The surroundings were idyllic. Suraj Mal proceeded to the retreat and paid his respect to the mahatma who blessed him and advised him to build his capital at that site.¹

Work on the fort started in January 1743. The court astrologers choose the right day and auspicious hour. Hundreds of Brahmins were fed, the blessings of Sri Giriraj Maharaj at Govardhan was sought. The ceremony took almost a week. The construction continued for a period of almost twenty years but the principal fortifications were completed in a span of eight years i.e. 1743-1750.²

The fort stands at an altitude of 204.21 meters from the sea level and surrounds a space of 2.4 km. In diameter. Its construction is guarded by two huge mud walls one around the other. These walls are intervened by 15.24 meters deep and 45.72 to 60.96 meters broad moat. Another deep gorge provides necessary defence to the inner stone work of the fort. The moats were filled with water of the Sujan Ganga canal which got its water supply from the nearby Kohini Bund. It was always kept filled with water in which ferocious aquatics were tamed in order to ward off the enemy onslaught.

As the fort stands in open it was very easy to break a simple line of defence in the plains because of the easy approach. This necessitated the king Suraj Mal to prepare a threefold line of defence. The city and the fort were protected in such a way that the cannon shell could not damage either of the two. If the cannon volleyed its shell straight it directly hit the mud wall without causing any damage. If it fired at even a slightly higher angle the shell making a trajectory fell beyond the mud wall surrounding the city. The inner most wall surrounding or encircling the fort is very solid. This further strengthens the defence of the fort making it invincible and inaccessible to the enemy.

The fort presents a conspicuous specimen of a plain fort which from a strategic and defensive point of view is of immense importance. It is so well guarded and strongly protected on all sides that it has assumed the proportion of being an invincible, impregnable

and inviolable fort as the enemy army was completely incapacitated to make any dent into the defence of the fort, hence it got the name of Lohagarh.

Lord Lake was profuse in his assurances to the Governor-General that the Jat Raja Ranjit Singh would be adequately punished for his hostile conduct and that the enterprise would be quite easy.”³ He even pretended to believe that the Raja was repentant over his conduct. In his letter dated 30th November, 1804 he wrote to the Governor General, “what this treacherous fool Ranjit Singh can mean is beyond all comprehension; I believe he repents most heartily and should not be surprised if I received overtures of peace from him; he certainly deserves no favour from our government, as his conduct has been the most unprovoked and violent that ever was heard of.”⁴ Wellesley had experienced considerable anxiety and agitation on account of the disgrace British arms had sustained from Monson’s disastrous retreat. Lord Lake’s assurances, the success at Dig and his brother Arthur Wellesley’s advice⁵ rehabilitated the Governor General’s confidence. He asked Lake to proceed against the Raja of Bharatpur “if his treachery should be proved.”⁶ Meanwhile the commander-in-chief, adverting to the Governor General’s instructions dated 13th November, 1804 and to his general powers of political and military control, resolved to commence military operations against the Raja of Bharatpur.

The Governor General entirely approved of it and issued instructions to the Commander-in-chief immediately to reduce the whole of Raja’s territories and to annex them to the British dominions. The measures to be pursued against Bharatpur were to be considered to be subordinate to the main object of destroying the resources and power of Holkar.⁷ The Commander-in-chief was also desired to address letters to all the Rajas and petty chiefs of north India explaining the Company’s conduct towards the Raja of Bharatpur and assuring them of the British Government’s determination to respect the independence of all contiguous state. All persons of consequence were to be warned against assisting the enemies of the British Government.⁸

Bharatpur, at the time of General Lake’s arrival on the 3rd Jan. 1805, was a fortified place of great strength and formidable dimensions. The Bharatpur forces strengthened the defence by

several rows of threes, which were buried upright in the mass of earth and all of them were constructed of clay mixed with straw and cow-dung a composition which, put on in layers, each hardened by the sun before another is applied was the best adapted to baffle the artillery fire of that day.

The fort of Bharatpur had a rich supply of provisions and military stores. It was defended by the Jat Raja's whole forces, the troops of Holkar were in trenches under the walls and were later joined by the army under the pathan adventurer Amir Khan. The large expanse of water on the north-west side of Bharatpur disappeared suddenly on the arrival of Lake's army and it was subsequently discovered that the whole had been admitted into the ditch which surrounded the town and the fort.

The first of the four attacks was planned on 9th January from a breach noticed in the town wall. Practicable preparations were made to storm it the same night to prevent the Bharatpur forces from stockading it. At about 7 O' clock three columns commanded by Lt. col. Rayan, Lt. col. Maitland and major Hakes respectively, marched out of the trenches. They were exposed to a heavy fire and the rear ranks of the column particularly suffered much as they fell in the direct line of fire. The Bharatpur guns did much execution and col. Maitland who made heroic exertions to get his men forward was himself shot dead.⁹ The losses on the side of the besiegers were heavy. They had lost five officers and eighty five men killed and twenty four officers and three hundred and seventy one men wounded.

A fair measure of blame could be attributed to the insurmountable nature of obstacles facing the assailants the broken nature of the ground, the darkness of the night, the strength of the fort and the dreadful fire which greeted them from the bastions and the ramparts but the real blame rests with the insufficiency of means, faulty intelligence regarding the approaches to the beach and premature effort. The fascines could not be available when they were most needed as the bildars (porters) to whom they were entrusted, fled away when the garrison opened fire, whereas success in the defence of their capital against the British army on the night of the 9th January gave the defenders unbounded confidence in their endeavour.

To avoid the failure like that on the 9th January attempt was made to gain some knowledge of the width and depth of the ditch. On behalf of the information some light ladders and a portable - bridge were constructed to enable the stormers to cross the ditch. These belongings were taken away later on the day the defenders of the fort as token of victory. This abortive attempt cost the besiegers 18 officers and 568 men either killed or wounded. The enthusiasm with which the enterprise was undertaken sagged and "it was now truly distressing to enter our men's tents, where but a month before, the merry joke went round, and mirth and hilarity prevailed. Naught but gloomy faces and even them but few, were to be seen."¹⁰

The third attack on the fort was from a new front of the Fort 12 pounder, howitzer, 18 pounder, 24 pounder guns and mortars were used. Pantoons and portable raft were built for crossing the ditch. Gallant officers like Lt. col. Don, Lt. col. Taylor and Capt. Grant were in command, but the ditch proved as impassable as on former occasions. Col. Don realized the hopelessness of the task and retreated. The broken remnants of the storming party retreated to the trenches under heavy and murderous fire from the ramparts. The distress of this scene was heightened by the melancholy fate of many of the wounded assailants who being unavoidable left behind, were murdered in cold blood by the Jats and the Marathas. The defenders being doubly resolute followed the retreating assailants to their trenches. This affair resulted in a very heavy loss to the British army. 162 men and 3 officers were killed and 731 men and 125 officers wounded.

Lord Lake held that the defection of the Europeans was responsible for the failure in the third attempt. He paraded them and most strongly upbraided them in the terms of affectionate regret rather than stern severity.¹¹ "Though he infused spirit of courage in his soldiers but it did not help much. As sergeant John ship observes "we had already experienced three disastrous repulses from this fort, and there now seemed a cloud on every brow, which proceeded, I have no hesitation in asserting, from a well grounded apprehension that this our fourth assault would be concluded by another retreat."¹² Such a feeling was quite natural and Lt. col. Munro, in a letter to his brother rightly observed "even if the report of the Europeans being

dispirited is well founded it is not to be wondered at, for I do not believe that any troops in Europe would have preserved their spirit under so many discouraging repulses as they have sustained.”¹³

Sir Eyre Coote a former commander-in-chief had sounded a note of caution regarding military enterprises. “We should not” he wrote, “attempt offensive enterprises but when sound political interest dictate the measure and when success is certain.”¹⁴ Lake was sure that the enterprise would end soon and successfully. It is unconvincing to say that he undertook it as he was compelled by higher authority against his own judgment.¹⁵

The fourth attempt was led by Col. Monson, Maj. Menzies and Lt. Templeton. The defenders maintained an incessant fire of grape and shot and the people on the walls continually threw down upon the assailant ponderous pieces of timber, flaming packs of cotton dipped in oil, pots filled with gunpowder and other combustibles. After two hours of arduous exertion and seeing no hope of success Col. Monson gave orders for retreat. The losses in killed amounted 6 officers and 125 men and in wounded to 28 officers and 862 men.

The Raja of Bharatpur had carried on the struggle with deadliest determination. Clad in simple attire and with a staff in hand he often appeared on the ramparts to encourage his brave soldiers. His sons had taken active part in the operations and had repulsed the assailants from various points. His capital was the only fortress in India from which British army had been successfully repulsed and Bharatpur had become a household word for bravery and resistance against the alien rule.

The inefficiency of the British military effort should not mean that success had come to the Jats through sheer chance and good luck. The defenders of Bharatpur deserve high credit for foiling the designs of their enemies and for their heroic effort.¹⁶ Not only did they repair their damages with alacrity but sneaked out, when the British guns had to be silenced for necessary repairs, and harried the trenches and batteries of their opponents.

The events of this successful defence, so romantic in retrospect, have passed into history and folk lore and prodigies of valour performed by their ancestors are, with legitimate pride,

mentioned by the Jat peasants of the area even today. The Fateh Burj built on the plinth of the skulls of the British dead held its head high and in the after years Bharatpur blustered but did not mention the twenty lakhs it had paid to loose the grip outside.¹⁷

It exposed to the Indian princes the vulnerability of the British power and showed that the British generals were not infallible. The emotional let down which had set in the British army was tremendous. For a time the fame and prestige of the British arms was buried before the grey mud walls of Bharatpur. The loss sustained by the British army in its attempt to reduce Bharatpur was appalling about 3100 men and a very large number of officers were put hors combat. This failure of the British military power showed that it had not yet proved so capable as to conquer and hold India.

For many years subsequent to it the brilliant defence was remembered throughout the length and breadth of India. Even in the mountainous State of Nepal, on the eve its conflict with the British power, inspiration was drawn from this heroic effort of the Jats. Addressing the Raja in open durbar, Bhim Sen, the Prime Minister of Nepal had said “no one has yet been able to cope with the State of Nepal..... The small fort of Bharatpur was the work of man, yet the English being worsted before it desisted from the attempt to conquer it. Our hills and fastnesses are framed by the hands of God, and are impregnable.”¹⁸

The endeavours of Yashwant Rao Holkar and Raja Ranjit Singh mark a turn in the tide of Wellesley’s programme of expansion. Wellesley was aware of the fact that his foreign policy had aroused at home widespread criticism. Failure at Bharatpur came to him as a terrible and culminating blow.

The heroic efforts of Bharatpur became the theme of the poetic compositions of Kaviraj Bankidas, the Rajasthani poet of the early 19th century. His poems, though bestowing exaggerated praise on the endeavours of the Jats are yet indicative of the strong impression produced by Bharatpur’s memorable defences upon the contemporary people and were instrumental in awakening in them an awareness of their own degradation under an alien rule.¹⁹ In order to appreciate the far-extending nature of the impression Bharatpur’s heroic exertions had produced on the minds of the Indian

people, it will not be irrelevant to quote from the memories of a contemporary who records “Having once beaten off Lord Lake from their city, they have ever since not only regarded themselves as invincible, in so much that, even when I was passing through Malwah “gallantee shows”, like those carried about by the Savoyards, were exhibited at the fairs and in the towns of that wild district, which displayed among other patriotic and popular scenes, the red coats driven back in dismay from the ramparts and the victorious Jats pursuing them sabre in hand.”²⁰

Although the Raja of Bharatpur had initiated overtures for peace and had concluded it by agreeing to surrender territory and to pay a war indemnity, the heroic defence of his capital had given him a considerable amount of prestige. “India long remembered that the great war-Lord had sustained repeated defeats under the walls of Bharatpur, and had been unable in the end of effect its capture.” The defence of Bharatpur was a subject of admiration throughout India for many successive years and it was a taunt that the British military power had not been able to prevail there as in other places. Bharatpur became a symbol of resistance against British Imperialism and aroused hopes in the hearts of the Indian princes for the recovery of their lost independence. “During the twenty years, that followed, ‘Bharatpur’ was a word to conjure with, in the habitation of disaffected princes and nobles throughout the country.”

The fear of the Bharatpur Fort and the prestige shattered off the British army could easily be sum-up by the letter which Sir Metcalf had written to the Governor-General about the feeling prevalent in general public and among his own men. The days are gone when people took to their heels even at the sight of white face and red garment. The great part of military prestige of the British lay buried under the unfortunate seize of Bharatpur fort.

Before the arrival of aircraft the Bharatpur fort was almost impregnable. The most formidable fort in Hindustan combined Hindu Mughal architecture which fascinates and merits the attention of modern architects for the studies of its subtleness and specificity.

References

1. U.N. Sharma, “Jaton ka Navin Itihas”, Vol. I, p. 193, 325-30.
2. Ibid, p. 327.

3. M.M. Vol. IV, pp. 220-242, 249, 250, 258, Lake to GG Oct. 19, Nov. 18, 27 and 30, Dec. 8, 1804.
4. Ibid, p. 250 (Lake to GG, Nov. 30, 1804)
5. Maj. General Arthur Wellesley who was at Calcutta in September-October, 1804 having been called by his brother the GG, prepared various memoranda on important subjects of interests. In paper No.IV he expressed the view that the destruction of the Raja of Bharatpur was necessary for the defeat of Holkar (Auber P. Rise and progress of British power in India 2 Vols. London 1837) Vol. II p. 353.
6. MM Vol. IV 248 (GG to Lake Nov. 26, 1804) This remark does not have a reference to the intercepted correspondence between the Bharatpur court and Holkar, as Maj. Basu erroneously thinks (Rise of Christian Power in India p.532).
7. MM Vol. IV pp. 261-263 (GG to Lt. General Lake 20 Dec. 1804).
8. Ibid. Letters were accordingly written to the Rajas of Jaipur, Bundi, Maderi, Gohad, Begum Samru and the Sikh chief's in the first week of January 1805 (For Dept. Sec. Cons.) March 1805 Nos. 296, 297).
9. Owen S.J., "A selection from the Despatches, Treaties and other papers of Marquess Wellesley, p.54 (clarendon press, 1877).
10. Shipp, 'Memories of an extraordinary Military career of a Lt. in H.M.'s 87 Regent written by himself.' A newillustrated edition with an introduction by H. Manners chichester II Ed. p.177, London 1894.
11. Thorn W.A. 'Memoir of the War in India,' pp. 455-56 (London 18185).
12. Shipp, Op. cit. p. 122.
13. Auber Peter-"Rise and progress of the British power in India, Vol. II, p.371.
14. For Dept. Sec. Cons 15 May 1780 No.15 (Sir Syre Coote to GG-in council 25 April, 1780).
15. Stratton, p.36.
16. Hammilton W., Geographical, Statistical and Historical description of Hindostan and the adjacent countries, Vol.II, p. 391.
17. Mac Munn, Sir George-Vignettes from Indian Wars (London no date) p.55.
18. Quoted in Hunter W.W. Life of Brian Houghton Hodgson (London 1896) p. 100.
19. Khadgawat N.R. Rajasthan's role in the Struggle of 1857 (Jaipur 1957) pp.94-96.
20. Heber, Bishop R.-Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay 1824-25 (3 Vols) London 1826 Vol. III pp. 368-369.

Opium Policy of the British and the Kotah State

Dr. Nidhi Sharma

It was November 2, 1911 that the Resident of Jeypore State wrote to the Secretary Council Jaipur that finally the Government of India has allowed the Native Chiefs and notables of Rajputana and Central India attending the forthcoming coronation durbar in Delhi to bring with them (for their personal use) free of duty and without any permit, Malwa opium not exceeding in quantity half a seer in each case.¹ This letter at once brings to light several aspects of the infamous Opium policy which the Government of India had followed since first half of nineteenth century. Opium or Amal had been an integral part of the class and mass alike in Rajputana since times immemorial. The letter 'permitting' the rulers to bring 'half a seer' for 'personal use' at once underlines the supremacy of the British authority over the Native rulers apart from the control they had established by then on the manufacture and trade of opium.

The Malwa opium, famous for its properties and therefore, superior, had been a staple crop of the Kotah State as the climate and the soil, both favored it. History testifies to its extensive use by the people and a rich tradition of trade, both inroad and abroad.

However, when the British started to invest their money and stakes in Bengal opium, with Agencies at Patna and Ghazipur, they were aware of the competitiveness with the Malwa opium. Demand of opium in China lured them into this business while Malwa opium posed a threat. Therefore, it led to internal interference in the Malwa opium producing States. The British tried to restrict this competition in three ways- by preventing exportation of opium by sea except through themselves, by restricting cultivation of opium in Malwa and Rajputana and by converting the monopoly of Malwa opium to their own pecuniary benefits by fixing arbitrary prices.

In Kota, the State never traded opium. The traders were allowed freely to trade. There was no restriction on its cultivation and apparently the production was based on demand and supply. Only a payment of usual customs duty existed which brought a

substantial revenue to the State. In contrast, the cultivators in British provinces were forced and lured to grow poppy and were provided taccavi loans for the same.

East India Company and Opium Trade

The Territorial Department of the Government of India resolved in November 1819 to prevent the exportation of Malwa Opium. David Ochterlony, the officiating Resident was then directed in 1821 to pursue rulers of Jaisalmer and Jodhpur to prevent transmission of Malwa Opium through their territories.² Captain Dangerfield was deputed to report on the trade in Malwa Opium. In 1824 and 1825 both Udaipur and Bundi³ entered into an agreement to prevent passage of Malwa Opium through their States.

Being circumscribed and gagged, the Kotah Durbar too entered a treaty with the British on July 31, 1825.⁴ It stipulated that the opium produced in Kotah should not be exported and that the stock of 4000 mounds should be delivered to the Company at Rs. 30 per five seers. A supplementary treaty of 9 articles was also signed.⁵ It fixed the amount to be produced, amount to be retained by the State, amount to be delivered to the Company's opium agent and amount to be given to Kotah State as a bonus and profit.

These terms being unfavorable, the ruler submitted a representation in 1827 to C.T. Metcalfe, Resident of Delhi on his visit to Rajputana. The State correctly pointed out that people can't be prevented from cultivating what they chose. Metcalfe not only conveyed these sentiments to the secretary to the State but also echoed the suppressive policy of the Company. 'Our measures in short, inflict a fatal blow on the agriculture, commerce, general prosperity and independence of every State to which they extend, forming on the whole such a mass of oppression as must cause our attempt at this monopoly, if it be not relinquished, to be recorded against us in history, as the most unwarrantable act of our whole Indian government.'⁶

Tod's observation were in consonance. The Political Agent in Hadoti State reported the general state of discontentment and deprivation as a result of these treaties. Strict measures by the British government were regarded disreputable. More astoundingly it revealed that that they had resulted in the increase of cultivation of poppy rather than its decrease. It was thought wiser to control the export trade at one single point. A system of passes and payment

of a fee or duty was fixed at Rs.175 per chest was introduced. The duty represented the whole expense formerly incurred by the Malwa merchants in sending their opium to Bombay by the route passing through the territories of Indian States. The principle of imposition of this duty was consequently lost sight of and it began to be fixed in direct ratio to the prices realized for the Bengal opium. By the end of nineteenth century, the figure crossed to Rs. 600 per chest.

British Government and the Opium Trade

The British government carried forward the treaty obligations. The first attempt to restrict trade was made by the missionaries and temperance reformers who succeeded in appointing a Royal Commission to investigate into this question in 1894. It, however, declared that in the history of the relations of government with these States, there has been no precedent of any interference as the stoppage of the opium trade.⁷ It also declared the drug to be a universally domestic medicine, a stimulant, an energy provider and had a social and quasi religious sanction in context of specially Rajputana. The Commission also delved into the question of finding a substitute for the crop to which Chaube Raghunath Das, Diwan of Kotah State, clearly stated that there was none to cover up the losses in such a case. Chaube pointed out that it would cause loss to other sections of society as well apart a severe loss to the State itself. 'Serious loss to credit, no money lender would like the risk of advancing money on the uncertain security of a grain crop.'⁸ An estimate of losses was also mentioned in Appendix vi, pp394-95 as Rs. 21,62,726 annually to the State. The State exported its opium to Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Kishengarh, Bundi, Ajmer Kekri, Nasirabad, Alwar Sirohi, Ujjain, Indore, Jhalawar, Hyderabad, Sambhar, Karauli and its Kotriat. The major Kotriat areas cultivating Poppy in Kotah were Sarola, Sojpur, Genta, Sarthal Bamuliya and Kotra. Barod, Digod Shahbad, Kishenganj, Kanwas and Ladpura nizamats too cultivated this crop.

In 1897-98, Government of India employed special detective agency for suppression of smuggling into British territory. It led Captain Stratton to draw out a Memorandum on the subject of opium smuggling (20 June, 1899) which mainly stipulated the control of trade of opium under a pass/permit, conduct the trade through licensed wholesale vendors etc. The Mahakma Khas objected to the proposed scheme by underlining the fact that since the area under cultivation

has already been reduced drastically from 51,765 bighas in 1889-90 to 30,521 bighas in 1898-99, further restrictions would mean huge losses.

These trade restrictions coupled with the issues of China trade. Earlier the tussle was to control the China trade, now it turned to restricting opium into China. In its crusade against opium smoking, China asked help of Great Britain to stop export of opium from India. On May 30, 1906, Government of India agreed to reduce each year 10% of the export of the then total amount. It consequently asked the Kotah State to provide statistics about its dependence on opium trade.

In reply, the then Diwan of the State registered the objections. He pointed out that the State was not consulted before such a decision was arrived at. The next year the State made its representation and stipulated that nearly 17% of the State revenue derived from the opium trade was bound to be affected. The area under cultivation drastically reduced thereafter and came down to 11,397 acres in 1910-11. Meanwhile efforts to introduce potato as a substitute in Ladpura nizam failed. Punjab prohibited Malwa opium in its territory to push the sales of Ghazipur factory. The Government of India came to control the export of opium chest which was fixed at 14860 for Malwa opium in 1913.

It is interesting to note that all such restrictions were made keeping in mind the trade interests of the British and fulfillment of its international agreements. The interests of the opium producing States were nowhere in sight. Kotah continued to register its objections saying that they were never a party to any international arrangements. In a quest to free Philippines of opium, the American movement culminated in an International Opium Commission in 1909. Hague Conference was called in 1911-12 to control production, manufacture and distribution of opium.

Between 1911-13, the Government of India decided to raise duty on export to China and made the right to export to be sold by public auction and Kotah was invited to share with the government the profits arising as a compensation for the losses due to dwindling trade with China. Consequently, Two conferences were organized at Indore(November 1911) and Delhi (December 1911).

In 1913 Kotah's trade with China ceased. The Durbar decided to discourage cultivation of poppy without actually issuing direct

prohibitive orders and therefore imposed an excise duty of Rs.1 a seer but gradually abolished it by 1915. After the cessation of China trade, the State demanded a share in non-China trade. It also put forward the proposal to open a small scale factory for extraction of morphia. But such deliberations did not fructify owing to the apathy of the government.

Thus by the opium question had acquired several dimensions:

1. Preference for Bengal opium both in internal and external trade of Opium.
2. China's plea to ban opium smoking. The States, however, pointed out that such a practice never existed there.
3. Interstate opium trade also came under fire to regulate which a conference was convened in Indore on 15 November 1915.

As a result of the Indore deliberations, Mr. Cox was invited to Kota, a department of opium was created in 1917 and Opium Acts and Rules were framed. Accordingly, the cultivation of opium was confined to eight opium producing areas by licensed cultivation to be sold only by licensed wholesale dealers. Needless to say the opium trade was doomed.

The treaty of Versailles affirmed the provisions of the Hague Convention. Again opinion of the states were not taken into account. Provisions of Hague Convention were sanctioned by the Durbar in 1922. The Convention was directed primarily to restrict smoking of opium which was actually never practiced in the State. The State argued, 'The standard of consumption fixed by League of Nations display utter lack of knowledge about condition, climate and social facts of our people.' The application of this Convention actually left the cultivators ruined as they were unable to liquidate the debt amounting to several lakhs of rupees. Money lenders lost their capital. But the greatest challenge was dealing with the stocks of wholesale dealers who would face financial crises if the trade were stopped.'

Discontentment began to grow. Political, financial and social lapses began to be spotted. In a Note prepared by the Kotah State to be discussed with the Political Agent,⁹ the Durbar stipulated that a further sacrifice of revenue on the grounds of philanthropy would be indeed chimerical and entirely unnecessary. The Durbar thought the entire exercise as an encroachment on its internal autonomy. It

initially thought that the non-China trade would be shared equally between the Bengal and Malwa opium but obstacles were raised in its path. While the cultivation and trade of Malwa opium was restricted, no compensation was provisioned for by the British Government for the States.

The states were advised to stop cultivation of poppy and purchase its supplies from elsewhere which was no doubt, from the State owned warehouses. Kota, however, did not agree and declined to surrender its rights of opium export trade and for local consumption. It rightly objected that whereas its profits were sacrificed in name of benefiting China, China itself has taken no effective steps to restrict cultivation of poppy in its own country.

By 1917, the total area producing poppy was reduced to 10,000 acres, cultivation was restricted only to eight nizamats and a wholesale dealers system was introduced. The biscuit opium for which Kotah was so renowned was prohibited. The ball-opium had been prohibited earlier and the State was required to obtain it from Ghazipur factory. The Kotah State registered its objections several times questioning the entire policy as an infringement on its sovereignty rights. It argued that the cultivators can't be forced upon to grow or not to grow a particular crop.

A Report of the League of Nations for 1922 revealed the statistics that the U.S.A. consumes twice as much opium as India. It placed the British policy in question of painting India as an opium eating nation.

A significant cash crop, thus, had to be given up – not due to natural causes.

League of Nations further set the standard of licit consumption. It fixed six seers for a population of 10,000 people which was hardly acceptable.

The Treaty of Versailles rectified the Hague Opium Convention in which the ruler of Bikaner too was a signatory on part of the Indian States. Here a genuine question rose within the opium producing States as to which in what capacity did the Bikaner State represent the Indian States and whether the rectification should be accepted by the States.

On the basis of such objections raised by the concerned States and submissions by the Indian States Opium Committee, and Indian

States Opium Conference was held on 28 May 1927. The Viceroy referred to international obligations and agreements, rectified the Geneva Dangerous Drugs Convention of 1925 and pledged to prevent illicit traffic in raw opium. The issues of Internal smuggling, extensive cultivation of poppy and retarded absorption of stocks were also discussed.

An Opium Committee was appointed in 1927 for Kotah consisting of J.A. Pope, Advisor on opium affairs for Central India and Rajputana, G.S. Henderson, Imperial Agriculturist at P.U.S.A., Khan Bahadur Qazi Azizuddin Ahmad, diwan of Datia State and Apji Onkar Singh as a representative of Kotah State which visited Kotah from 3-6 February 1927.¹⁰ To effectively carry out the prohibition of smuggling, The State suggested that since the offenders escape to British territory after the crime, Extradition laws ought to include opium laws and offences.¹¹

The cultivation of poppy in Kotah which was 20,406 acres in 1901-02 was reduced to mere 3196 acres in 1938-39.

Thus in an effort to carry out international obligations, to which Indian States were never a part, to protect government monopoly over opium trade, the Kotah State lost one of its most profitable crops, affecting its people- the consumers, cultivators, money lenders and traders and not to forget, a large chunk of its internal sovereignty just to carry out a good will.

References:

1. File No.1910/PI/02/pt.1 Delhi Coronation Durbar of 1911, Accession to the throne of George V king of England, Emperor of India, Jaipur Distt. Archives, Jaipur.
2. Foreign Department/26 December 1821/71/PC/N.A.I.
3. ibid. 13 May 1825/1/PC/N.A.I.
4. ibid. 26 August 1825/17/PC/N.A.I.
5. ibid. 9 February 1827/9/PC/N.A.I.
6. ibid. 9 February 1827/10/PC/N.A.I.
7. Report of the Royal Commission Vol.1 p.46
8. Statement by Chaube, Commission's Report Vol.iv, pp32-33
9. File No.3/24-A, vol.1 Federation MSS Basta No.7(1928-19470, Kota Archives, Mahakma Khas, English Office.
10. M.K. No.23 C 1927, Mahakma Khas, Kota District Archives, Kota. D.O. 1517/42/1927.
11. Mahakma Khas 9/b/70. Letter from M.K. to Political Agent, Kota District Archives, Kota

The Pali Plague (1836) and the Preventive Measures

Prof. Vinita Parihar

Bubonic plague (Mahamari or gaanth ki maandagi) visited the Jodhpur state for the first time in July 1836, when it broke out in Pali and then spread to the Jodhpur city, Sojat, Kherwa, Chandawal and several other places finally disappearing at the beginning of summers of 1837. Pali situated on the main road between Ahmedabad and Ajmer was a prosperous trade centre of cloth stamping and dyeing. The town is built on stiff clay soil and the drainage is bad and is water logged when the tanks are full. The tanks during the monsoon season are filled from a river which has a dam about three miles above the town to divert the water and the site of town is considerably lower than that of the dam. The side streets are all narrow.

The fact that the plague started among the chippas or cloth stampers led to the supposition that the germs were imported in silks from China.¹ Another opinion is that plague was brought to Pali from Southern Gujrat by a large party who had been with Zorawar Mal on a pilgrimage to that part of the country and who halted for some days in Pali on their return. The disease broke out in Pali shortly after the departure of this party from the town but it has not been established that the party had the disease amongst them, nor even that plague was then present in any part of India. Most of the silk imported to be stamped was from China and was transported via Bombay. The disease rapidly spread from the chippas to the other classes and castes. It is interesting to note that Malis, Chamars and Telis were less effected in comparison to Mahajan and Brahmans as they resided in comparatively open areas.²

The daily mortality was on increase, even after five or six weeks from the first appearance of plague. Alarmed by the great ravages committed by the disease, all the ranks of the people abandoned their homes, occupations and property and sought refuge in Jodhpur, Sojat, Kherwa and other towns and village and took the

disease with them within a circle from twenty to thirty miles around Pali.³ The rich were the first to immigrate, who were followed by the others. Asst Surgeon Maclean of the Merwara battalion then stationed at Beaward toured Pali and Sojat observed that out of total 25000 souls, only 1000 that too of the lowest section remained in Pali. He further adds that more than a hundred families of chippas never quitted the place.⁴ No effectual means were adopted by the Jodhpur authorities to protect the possessions of the absent citizen. About 4000 people died in Pali. He further observed that of the thousands of persons who quitted Pali five or six weeks ago, some were at the time labouring under disease, others fell sick on the road or immediately after they had reached their destined places of refuge. The sickness did not spread immediately, but after some time it effected the classes with which the refugees had the most intimate communication (Banias for instance). Dr. Maclean visited Sojat and found that the Pali refugees had started the disease there and that the deaths were from 20 to 40 a day.⁵

In Jodhpur city the disease broke out with great virulence a short time after some people from Pali had settled there. The people are said to have died at a rate of 60 to 90 day and about 600 or 700 had perished before the middle of October 1836 and finally disappeared at the beginning of summers of 1837.⁶ The disease prevailed in many villages of Marwar from Oct. 1836 till March 1837.⁷

Dr. Maclean also described the symptoms and complication of the disease, he said that the attack generally came on suddenly with rigours, slight headache, pain in the back and loins and sometimes nausea the skin became hot and dry, the pulse quick and soft frequently running up to 150 the tongue was created often brown, vomiting uncommon but sometimes painful retching the abdomen was generally hard and there was no diarrhea, the eyes became suffused and the countenance heavy and anxious in the disease, buboes formed in the groin armpits or neck on the first or second day of the fever and phenomena with distressing cough, rusty sputum and dyspncea was a common complication coma generally set in before death which often occurred on the third day of the disease. If the patient got over the third day there was a

chance of recovery and large suppurating buboes were considered favour.⁸

Medical treatment pursued by the natives was also mentioned by Dr. Maclean by infusion of neem leaves infusion of onions and the urine of the ass were given internally, poultices of neem leaves onion and red pepper were applied to the buboes, bleedings from the arm and leeches to the buboes were resorted to but without effect. Escarotics were applied to the buboes with no better results than the other remedies. The body was rubbed with oil or ghee both as a curative remedy and as a prevention against infection. European methods of treatment were unknown in Marwar at that time. Both v aids and Hakims fled from the infected places and declared that they knew nothing of the new disease and the treatment of it.⁹

No stone was kept unturned by the British govt. with consent of the native govt. to prevent the infection from spreading from Pali and Sojat to be transmitted to the British territories of Ajmer and other places.¹⁰ Not only this every effort was taken to prevent the spreading of disease in the forthcoming Pushkar fair (20-25 Nov. 1836) and Urs at Ajmer. A kharita was addressed to Maharaja Mansingh of Jodhpur and Capt Dixon the Political Agent by A.G.G. Lt Col Alves in which Maharaja was asked to prevent his people from attending the Pushkar fair. It further said to keep away the healthy villagers from communicating with infected. Many of the people protected their villages by not allowing the refugees from plague stricken places in to them. Not only this money was received by many people from the plague stricken areas in cups of vinegar to avoid infection.¹¹

A committee with Lt Macnaughten Office-Superintendent, Ajmer as president and Lt. Young and the medical officer was formed to look after the matter related to plague on 25 March 1837.¹²

A copy of minutes by Lt. Governor of the North-East province, in the political Dept. dated 27th March, 1837 was sent to the AGG, Rajputana and the commissioner, Ajmer in order that they may carry the proposed measures into effect in the territory under their authority both for prevention in places which are free from the pest but in danger and for its suppression where it may have appeared

and that they may exert his influence with the native princes in their circles for the adoption of similar measures in their dominions.¹³ For this purpose an infrastructure of Quarantine posts were to be established on the frontiers and all parties coming from the infected or suspected places to be stopped and made to undergo quarantine until it was made sure that they and their effect were the free from the contagion.¹⁴ Procedure to be followed in the event of plague breaking in any of the individuals under quarantine was also delineated in the minute. Not only this if the precaution on the frontier may, however, fail and disease inseminated itself into places the description of the course to be followed was also incorporated in the minutes.¹⁵ Disposal of the infected goods was also detailed. The minutes further said that the avoiding of contact being the chief means of prevention and annihilation of the disease, it was advisable that the healthy inhabitants should avoid contact with one another during the existence of the pestilence, less it be latent in some and thus conveyed to others.

The attendants in hospital on the infected and the expurgators who necessarily came in contact with infected persons and things were to apply oil over all parts of body and the dresses saturated with oil could be used. The treatment of disease was to be regulated by the medical functionaries as well as the details of the precautionary measure prescribed.¹⁶

The religious sentiments of the natives were also taken care of by the British government while dealing with the disease. The minutes of Lt. Governor said that person of all castes to be entertained as servants in the hospital, if procurable in order that the infected and their friends may have the satisfaction of knowing that each patient is attended by persons of a suitable caste.¹⁷ It further said that every possible arrangement was to be made for the comfort of patients and practicable attention was to be paid to the religious feelings and rules of the caste in the disposal and healing of the patients. Not only this, the public buildings except the places of religion were to be set apart for the purpose connected with the preventive measures and suppressions of the pestilence.¹⁸

Loose animals such as dogs and cats, that roamed from street to street or house to house, ought to be destroyed, for they were

likely to convey the infection. Similarly domestic animals were to be ought to be tied up.

The minute said that in order to draw the attention of the native states to the subject more forcibly, if possible a letter may be addressed to each, urging the necessity of measures of precaution, prevention or suppression as the case may be and referring them for full information to the Resident or Agent charged with our relations at their courts.¹⁹

The precautions that were taken against the spread of disease towards Ajmer and other British territories proved to be effective. The epidemic did not infiltrate into Ajmer.

References

1. K.D. Erskine – Rajputana Gazetteers- The Western Rajputana States Residency and Bikaner, 1992 p. 80
2. Archibald Adams- The Western Rajputana States, Gurgaon, 1900 p. 231.
3. T.H Hendley- General Medical History of Rajputana, Calcutta. p.149
4. ibid
5. ibid – p. 153
6. Archibald Adams – op cit p. 232.
7. It was introduced into Sakola in Mewar by an astrologer who went from Pali and stayed in house of Brahamin. The disease spread and nearly depopulated the town Kankroli, another Village of Mewar severely, but there is no record of plague in Udaipur (Archibald Adam-op cit p. 232-33).
8. T.H. Hendley- Op cit pp. 150-151
9. Ajmer Confidential Records, file No. 2 Head Medical (ACR) S.No. 74, Basta No. 4 gpA 1836-37. Rajasthan State Archives Bikaner (RSAB) pp103
10. ibid p. 4
11. ibid
12. ibid p. 7
13. T.H. Hendley- op cit. p. 169
14. ACR – RSAB, p. 17
15. ibid : p. 27
16. T.H. Hendley – Op Cit. 165
17. ACR- RSAB- p. 25
18. ibid
19. T.H. Hendley op cit. p. 169

Role of Rajasthan's Revolutionary Pratap Singh Barhat in the Freedom Movement of India

Dr. Peeyush Bhadviya

Pratap Singh Barhat was born in 1893 in Udaipur. His father Thakur Kesri Singh Barhat was the advisor of Maharana at that time. But soon Kesri Singh Barhat got a new job in Kota. Pratap Singh Barhat's childhood was spent in Kota, where he got his initial education. After some time, he took admission in D.A.V. school Ajmer. His father did not believe in the university education imported in British fashion, which he considered block for producing slaves, where youths of India are taught to remain happy in slaveness. Due to such thinking prevalent in the family, Pratap Singh Barhat did not give metric exam.¹

At that time Arjun Lal Sethi opened "Jain Vardhman School" in Jaipur. This was not a simple educational institution as its hidden agenda was to prepare patriotic revolutionaries. Pratap Singh Barhat came to Jaipur and started working with Arjun Lal Sethi. But when Arjun Lal Sethi shifted his school from Jaipur to Indore, Kesri Singh Barhat sent Pratap Singh Barhat to Master Amirchand, who was a famous revolutionary of Delhi. Master Amirchand had given him special training for revolution. Changing the costumes and getting secret information from government offices, manufacturing bomb, establishing contact with the police and army personnel etc. was taught to Pratap Singh Barhat. Master Amirchand was very impressed by the qualification and ability of Pratap Singh Barhat. He recommended Ras Bihari Bose to make Pratap Singh Barhat, leader of Rajasthan revolutionaries.²

Pratap Singh Barhat was of 20 years only, when he became leader of young revolutionaries. He started meeting young persons and preparing them for future revolutionary activity in Rajasthan.³

In Delhi, Ras Bihari Bose was preparing a plan to throw Bomb on Viceroy Lord Hardinge, when he would lead a procession. Ras

Bihari Bose, Sachindra Nath Sanyal, Amirchand, Balmukund, Awadh Bihari and Basant Vishwas were in Delhi during the formation of a plan. They called Pratap Singh Barhat and his uncle Jorawar Singh Barhat to join them.⁴

After escaping from Delhi, Pratap Singh Barhat reached Navdvp via Kashi. For some time he lived there and after taking suggestions from his leader, returned back to Rajasthan. After this , an arrest warrant was issued for Pratap Singh Barhat.⁵

As Arjun Lal Sethi, Kesri Singh Barhat, Rao Gopal Singh of Kharwa were arrested, the leadership passed in to the hands of Pratap Singh Barhat, Brij Mohanlal and Chotey Lal. Pratap Singh Barhat was an enthusiastic revolutionary. Once again a conspiracy for an armed revolt was planned in collaboration with dissatisfied elements of the Indian Army. According to the plan Pingley was sent to Meerut. It was decided that Sir Reginald Kradok, Home member of the Government of India may be shot dead as a signal for the revolt by the Meerut and other garrisons. The responsibility to shoot Sir Reginald Kradok was entrusted to Jai Chand who was staying in Haridwar in the Ashram of Baba Kali Kamliwala. Ram Narain Choudhary, who was also a member of the group of Rajasthan revolutionaries, was asked to go to Haridwar and to bring Jai Chand for the purpose. In spite of the strict police arrangements , Ram Narain Choudhary could reach the Ashram of Baba Kali Kamliwala but Jai Chand expressed his inability to perform the work as "he was busy in a dacoity." Hence Ram Narain Choudhry had to return empty handed. Now the work of assassination was entrusted to Pratap Singh Barhat but incidentally Sir Kradok did not turn up on the date fixed for the purpose of assassination and this saved him.

On the other hand Pingley was arrested in the barracks of 12th cavalry in Meerut cantonment along with a box of time bombs which were sufficient to annihilate half a regiment. Thus one more attempt for an armed revolt failed.⁶

Pratap Singh Barhat was interned first for the Delhi-Lahore Conspiracy Case and after that Ishwar Dan Ashiya was also interned, First Ishwar Dan Ashiya was set free due to lack of any proof by Udaipur Maharana Fateh Singh. Later due to lack of proof Pratap Singh Barhat was also freed.⁷

Later Pratap Singh Barhat was arrested in Benaras Conspiracy Case in 1915. He became underground and reached Hyderabad in Sindh. There he worked as compounder in a dispensary and in the rest of time invoked the feelings of nationalism among the youth.⁸

Ram Narain Chodhary reached to Hyderabad to take Pratap Singh Barhat to Bikaner. After reaching Jodhpur, Pratap Singh Barhat got down at Ratanada station for passing the night. Here station master become traitor and informed the police, who arrested Pratap.⁹

During jail Pratap Singh Barhat was asked to tell the names of his associates, but his reply was. "I have thought much and decided in the end that I will not reveal anything. I know my mother was getting suffering but if I reveal all the secrets, then the mothers of many people will suffer. To relieve one mother's suffering, I will not create sufferings for many mothers."¹⁰

In Benaras Conspiracy Case Pratap was awarded 5 years prison. He was kept in solitary cell of Bareilly central Jail. Pratap faced all inhuman tortures and succumbed to death on 24th May 1918, at the age of 25.¹¹

Pratap Singh Barhat worked with the Sachindra Nath Sanyal who was close associate of Ras Bihari Bose. They contacted with military cantonments of Meerut, Benaras etc. Sachindra Nath Sanyal in his book *Bandi Jivan*, Part -1 writes "I have seen very less youth like Pratap. It is unluck of India that youth like Pratap does not exist in world".¹²

Such a glaring example is hard to find in the history of Rajasthan and India. Because of such heroism the revolutionaries became immensely popular. His martyrdom inspired the youth of Rajasthan and India to play their part in the freedom struggle of India.

References :

1. Rajpuroht Kanhaiya Lal, *Swadheenta Sangram Me Rajasthan Ki Ahutiya* (1805-1947), Scientific Publishers, Jodhpur, 1993, page no. 118.
2. Joshi Sumnesh, *Rajasthan Me Swatantra Sangram ke Senani*, Granthagar Publication, Jaipur, page no. 45.

3. Rajpuroht Kanhaiya Lal, Swadheenta Sangram Me Rajasthan Ki Ahutiya (1805-1947), Scientific Publishers, Jodhpur, 1993, page no. 119.
4. Joshi Sumnesh, Rajasthan Me Swatantra Sangram ke Senani, Granthagar Prakashan, Jaipur, page no. 45-46.
5. Rajpuroht Kanhaiya Lal, Swadheenta Sangram Me Rajasthan Ki Ahutiya (1805-1947), Scientific Publishers, Jodhpur, 1993, page no. 121.
6. Choudhry Ram Narain, Biswi Sadi Ka Rajasthan, Krishna Brothers Publishers, Ajmer, 1980, page no. 30-32.
7. Manav Singh Fateh, Kesri Singh Barhat, Sahitya Academy, Delhi, 2003, page no. 31.
8. Rajpuroht Kanhaiya Lal, Swadheenta Sangram Me Rajasthan Ki Ahutiya (1805-1947), Scientific Publishers, Jodhpur, 1993, page no. 122.
9. Paliwal D.L., Jawalia B.M. and Singh Fateh, Krantikari Barhat Kesri Singh Vyaktiva Evam Krativta, Part-I, Rajasthan Sahitya Academy, Udaipur, 1984, page no. 31.
10. Manav Singh Fateh, Kesri Singh Barhat, Sahitya Academy, Delhi, 2003, page no. 31.
11. Ibid, page no. 32.
12. Sanyal Sachindra Nath, Bandi Jeevan, Part -I, Haranand Publishers, Delhi, 1922, page no. 40-46.

Socio-Economic Impact of Famines in Ajmer-Merwara during British Rule

Dr. Suresh Chand Agrawal

Famines were well known to the people of Rajasthan and the inhabitants of Ajmer-Merwara were used to the famines. The long chain of famines in Ajmer-Merwara during British rule affected its inhabitants very disastrously. The relief measures undertaken by the British & the Famine Code failed to fulfill the requirements of the famine-victims. The consequences of famines were far-reaching.

Famine was a cruel way of keeping balance between population and food supply. The loss of population during famines was due to two reasons-(1) Death & (2) Emigration

During famines there was a qualitative and quantitative decrease in the food intake of the people which reduced the resistance power. In every famine there would be an epidemic of plague and cholera due to which many people died. Col Dixon, who was superintendent of Ajmer-Merwara (1842-1853), had written that, the famine of 1848-49 in Ajmer-Merwara was extremely horrible. The ruin of the famine of 1868-70 was so terrible that it left a deep impact on the minds of the people.

It never rains but always pours. The same thing happened in this area. Famine was followed by cholera. 3078 people were afflicted with cholera. 12% of the population and 35% of the cattle-wealth died.¹

In the famine of 1890-92 also there was heavy destruction between July 1891 to Sept. 1892. 16474 deaths were registered. During this duration 7000 deaths were due to famine.²

The famine of 1899-1900 was the most horrible one of the 19th century. Till today it is known as Chhapaniya Akal as it was in V.S. 1956. It had engulfed the whole of Rajasthan. Heaps of dead bodies were visible along the roads. In Ajmer-Merwara also, thousands of people had died. This way after most of the famines

of the 19th century, man-power was not available to plough the cultivable land and so most of the lands remained uncultivated.

Loss of cattle-wealth – The farmers of Ajmer-Merwara used to rear cattle which supplemented their income but due to famines and scarcities the cattle were mostly destroyed. Due to scarcity of fodder and grass, the cattle suffered great losses. During famines the cattle-rearers with their cattle migrated to other places in search of fodder and water. The farmers used to sell their cattle at very nominal rates because it was not possible to bring them back. The cattle had to travel long distances, as a result, the animals were transformed into skeletons.³

In every village, except a few bulls, the whole district was denuded of cattle, which were driven to such places, possessing forage where large numbers had already died.⁴

In June 1890, in Ajmer-Merwara there were 7,06,792 cattle, out of which 1,29,269 died in the district Ajmer. 41,426 died in other provinces and the whereabouts of 62,309 was not known. Conclusively only 4,73,788 cattle out of 7,06,792 cattle were present in the district.⁵

From September 1899 to 18th August 1900, the whole of Ajmer-Merwara was in the clutches of famines but Merwara being poorer, suffered more than Ajmer. At this time out of 5,53,379 cattle in Ajmer, 1,10,889 migrated to other provinces. Same way out of 2,40,498 cattle of Merwara, 52,020 migrated to other provinces. In Merwara 1,22,512 cattle i.e. 50.98% died.⁶

Cattle rearing supplemented agriculture but in some regions it was a major occupation. This way the loss of cattle wealth destroyed both the farmers and agriculture. For eg, when, after the famine of 1868-70 the farmers returned, they faced great problems in ploughing the field, because a very small percentage of cattle wealth was left, whatever survived was too weak that they could not work effectively. Circumstances became such that instead of bulls, the peasants started yoking themselves to the plough, though they themselves were unable to plough the field. That is why after famine, cultivable land remained without crops. The loss of cattle wealth increased the financial burden of the peasants and they became debtors.⁷ In the absence of milk-yielding animals, their health

was badly affected. Milk, ghee, wool and manure for the crops procured from the animals also declined. This way due to the loss of animals it became difficult to fulfill the requirements of day-to-day life.

During famines, slaughtering of cattle for their skin was quite common. At this time a lot of profit was made through skin-trade. During the famine of 1898-99, in the month of November, December and January, animals were slaughtered in large numbers in Nasirabad Cantt. Among the slaughtered animals a large number was of other provinces which were driven this side as their owners could not keep them.⁸

Decline in Public Health

During famines the purchasing power of the people decreases, so they are unable to buy food grains. Many times, in a bid to buy cheap grains they used to buy rotten food. Many instances were seen in Gegal, when due to scarcity of food, the labourers mixed gur, flour & water and ate uncooked food and thus were afflicted by gastroenteritis. From October 1939 to June 1940, there were 1,078 cases of dysentery. Many lives were lost due to loo also.

Along with men, the health of women also deteriorated. There was no question of nutrition because food also was not available to satisfy hunger. Due to excessive physical labour women died prematurely. On famine relief works many women used to come with their infants whom they would leave in the shadow of bushes and return after hours.

The Famine Medical Officer, Capt C.G. H. Brink, had stressed that those mothers whose babies were under 5 years of age, should not be compelled to come to the relief works. For such mothers, spinning or other appropriate work should be made available or arranged which they can do easily and also earn some money.⁹ The famine victims, due to scarcity of food grains, ate wild grass, wild fruits, leaves of trees and roots which had no nutritive value at all. The deterioration in the health of the people had an adverse effect on the economy of Ajmer-Merwara.

Decline of Cottage Industries

Village crafts and cottage industries are widely affected by famine. Due to decline in the purchasing power of the people the

crafts men suffered losses. Even in famine relief works no attention was paid to craftsmen and cottage industries. During famine when the farmers migrated, the craftsmen too abandoned the place. In the Ajmer-Merwara region, the main industries were dying, black smithery, weaving, gold smithery and sculpture. Their occupation depended on a good crop yield but the basis of this prosperity was a dream for the people of this region. In the period of British rule, no where do we find a written record of a good crop and the artisans were totally dependent on the cultivators for their livelihood. If the condition of the farmers deteriorated then it had its direct impact on the village industries.

The indebtedness of farmers

The maximum advantage of famines was reaped by the money lenders or Mahajan. The Banias used to create an artificial shortage of food grains and later on demanded exorbitant rates. It should be noted that in times of good crop yield the peasants used to spend their additional income & when they fell on bad days, they had no other recourse except to take loan from the Mahajans. The debts and its interest could hardly be repaid by them.

At the commencement of the famine, the peasants did not go to the relief works because they considered it below his social standard. The peasant labourers were the first ones to go to the relief works. The peasant would first mortgage his immovable property, then he would either mortgage or sell off his ornaments. When all sources were closed then he would go to the relief works to save his life.¹⁰ This was the condition of all the peasants of Rajasthan. After famine, again they required money to restart their agricultural occupation and for this, again they took debt. There was intense dissatisfaction between the local peasants and Banias because the land of the peasants was passing away into the hands of Banias. All the sources of the peasants' income were used to repay the debts.

The administrative power was unable to solve the problem of the peasants. The Diwani courts used to protect the interest of the Banias. The peasants lost faith in government protection. According to Assistant Commissioner, this was the main cause of the September riots of 1891. The main intention was to secure food

grains and take revenge on the Banias.¹¹ Some historians and economists are of the view that the main cause of the indebtedness of the farmers was their extravagance over their marriage and death feasts but on a close scrutiny of the Sahukars' records it becomes clear that debts were mostly taken for agricultural purposes. The amount taken for social obligations was almost negligible.

Increase in Social problems

During famines there was an increase in crimes due to the moral decline of the people. In Merwara, the livelihood of the Mer tribe depended on loot. During famines thousands of men and women died, which increased the number of orphans. After famines, the parents or relatives of these orphans were searched. If they did not find any caretaker, then they were handed over to respectable people of their community but there was no assurance that they would be well-looked after because they used to keep these orphans as domestic servants, which gave rise to slave system and traffic in women.

During famines there was an increase in begging, robbery and suicide cases. People were compelled to sell off everything and when they did not have anything to sell, they were forced to loot. Its example can be seen in the famine of 1890-92. In Sept. 1891, the grain-riots began. In the 2nd week there were five cases of grain-looting. In two places the temples were defiled, desanctified and the idols were broken. On 15th September 1891, the villagers looted Akhri. On 16th & 17th there was grain looting at Bir, on 18th at Rajgarh, on 18th and 19th at Morajhari, on 19th at Srinagar, on 20th at Gegal and Bhinai, on 22nd at Lehari, Sithuria and Jethana.¹² On 22nd September, Beawar village was attacked by hundreds of people.

Peasants' Migration

In the famines of 1898-1900 approximately 2.01% of the population migrated from Ajmer district. In the 1905-06 famine, 31,066 people migrated from Ajmer-Merwara. During famines or droughts, the village labourers could not get relief so they had to move out elsewhere. For this, their destination was either Malwa or that place where some big Government construction work was going on so that they could get employment easily.¹³

In the Ajmer-Merwara people continued to emigrate up to

Dec. 1899 during 1898-99 famine. When it became quite clear that the rains were a failure and the fodder supply was not going to last very long, extensive emigration took place, especially between August and October. The following table shows the number of persons who emigrated from both the districts.

Months	Number of persons emigrated
Up to Dec' 1898	3792
Jan 1899	770
Feb	433
March	432
April	146
May	69
June	75
July	277
August	4064
September	5054
October	7251
November	2641
December	398
Total	25,402 ¹⁴

Similarly, during the famine of 1915-1916 emigration took place at the end of August 1915. The following table gives the figures of emigration of men and cattle from the district of Ajmer.

	Men	Cattle
Ajmer Sub-division	8971	65,588
Kekri	4426	25,960
Beawar	5248	21,949
Todgarh	3231	5,213
Total	21,876	1,18,710

Decline in Women's Status

The women sold during these years as slaves became hereditary bonds (dasis, bandis) and were often given in marriages of the princes, thus resulting in the famous "Dawri System" of

Rajasthan. As an offspring of a 'goli' or dasi must be a slave, it resulted in cases of slavery even when famine and scarcity years were over.¹⁵

The massive scale of state action tended to erode the authority of local institutions. The government relief programme led to a downfall in the authority of the village headman and caste panchayat. Moreover these places of authority based on tradition were gradually replaced by elected members. The rural power structure, which was sustained by the influence of the various local headmen and big landlords, suffered a temporary setback, as new alternatives of relief activities manned by school teachers and the non-official leadership, voluntary agents came into existence. Caste as power structure became loose because of famine commensality and occupational mobility.

References

1. Brooke's Report on Famine of 1868-70 AD. p. 19.
2. Capt De Laessoe's, Famine Report, p. 10.
3. Aadhunik Rajasthan Ka Aarthik Itihas, Sharma, B.K., p 204.
4. Col. Dixon's Report, p 91.
5. Ajmer Historical and Descriptive-Sarda, Har Bilas, p 318.
6. Tucker's Famine Report, 1898-1900. p-117.
7. Aadhunik Rajasthan Ka Aarthik Itihas. Sharma, B.K. p 204.
8. Famine Report, 1898-99. p 10.
9. Ajmer Historical and Descriptive-Sarda, Har Bilas, p 328.
10. Report on the Famine Relief Operations in Marwar, 1899-1900. p. 201.
11. Latush Settlement Report, 1874. p 99.
12. De Laessoe's Famine Report, p. 230.
13. Tucker's Famine Report, 1898-1900. p 17.
14. Famines in Rajasthan- Kachhawaha, O.P. 1985, p 50.
15. Arzdasht, Asadh Vadi 9, J.R.; H.S.; RSAB.

Harbilas Sarda – A Standout Performer in the Legislative Arena (1924-1934)

Dr. Ankush Arora

Diwan Bahadur Harbilas Sarda is amongst one of the most distinguished Indian leaders of his generation today, having made his mark in more than one sphere of national activity.¹ Harbilas Sarda was one such Manishi of Rajasthan who tried to reform the present in the context of the past. He made a deep study of the historical and social changes from Vedic to the Mughal age and undertook a study of the economic, social and religious conditions of the contemporary times.

As a legislator, Diwan Bahadur Har Bilas Sarda had a dual personality. His speeches had solid matter, but they were rarely heard with the attention they deserved. The reason was partly, the low voice of the speaker and partly, the distaste of all popular houses to speeches bordering on essays² and yet there have been few Members of the Legislative Assembly who have enjoyed the respect that Mr. Sarda had earned by his studies and patriotism. It was his faith in social reform which infected his colleagues and won from Government an alliance so essential to the piloting of the Child-Marriage Restraint Act. On his retirement from Government Service in January 1924, he was elected a member of the Legislative Assembly from Ajmer-Merwara, when that province was given the right to return a member to the Assembly. He was re-elected in 1926 and again in 1930. From 1924 to 1930, Harbilas Sarda was thrice elected as Member of the Legislative Assembly from Ajmer – Merwara, First in 1924, then in 1926 and after that in 1930 A.D. He remained its member for 11 years. During this period, he held various posts and took an active part in the works of the Assembly. In 1925 Har Bilas Sarda moved the resolution which consisted of two parts. The first was a recommendation to abolish the cotton Excise Duty. The Second was the examination of the protection of the Mill Industry. It was this view that if the excise duty was

considered wrong, it should be abolished without subjection to, conditions of any kind.³

Social Reforms by way and means of Legislations:-

When the society was breathing in the atmosphere of the obnoxious evils, at that time Har Bilas Sarda appeared on the Social Horizon of India. A Scholar and a Hindu to the very core, he used his learning and culture to remedy the evils in our society in the face of vehement opposition and criticism from his conservative and orthodox countrymen. Thus he imposed upon himself the labour of love to ameliorate the present backward condition of Hindu Women by legislating against the age long customs that hampered free and full development of women both physically and intellectually.⁴

There are two methods of Social Reforms:-

- Through Public opinion.
- By bringing Legislation.⁵

Where large communities are concerned, legislation is the only effective means of accomplishing social reforms. Opinions differ regarding the need of legislation. Some favour it while others oppose it. Opponents of social legislation forget that such legislation has a very important effect upon public opinion itself. It arises popular conscience, if followed by public propaganda it can achieve its goal. It is true, that the legislation cannot remove the social evil completely but it can strike severely at its roots. No evil can be uprooted from the society unless the public becomes aware of the social reforms. Another thing is that legislations are of different types, some are penal laws while other are not.

Harbilas Sarda being an active member of the Legislative Assembly enjoyed the rare distinction and credit of passing three non - official Bills in the Central Legislative Assembly, two of which were the Child Marriage Restraint Act and the Ajmer – Merwara Court Fee Amendment Act. These were placed on the Statute Book. Another bill, called the Ajmer – Merwara Juvenile Smoking Bill, was passed by the Legislative Assembly but was thrown out by the Council of the State. The Child Marriage Restraint Act, which was popularly known as the Sarda Act made his name popular. Another

Bill was also introduced in the Legislative Assembly, concerning the right of the Hindu Widows to have a right in their family property. But this Bill could not be passed due to the opposition of the Government.⁶

Child Marriage Restraint Bill:-

Harbilas Sarda, as a member of the Legislative assembly, moved the bill to regulate marriages of children amongst the Hindus to be taken into consideration. The primary aim of the bill was to put a stop to child widowhood. Babies of only eight to ten months old used to be married. There were no other alternative except to check this evil through the legislation.⁷ Child marriage was one such evil which had harmful effects upon the prosperity of society as a whole. Infant marriages should come to an end so that the boys and girls grow up unfettered by marital ties and unburdened with family cares which not only accelerated the death rate amongst the young married people especially girls, but also lowered the vitality of the people, stunted their growth and marred their prosperity and happiness.⁸

Harbilas Sarda considered the Government too was responsible for the continuance of this social evil because it did not adopt a co-operative attitude in this field. The Home Member declared his opposition on this Bill. All this displayed the hostile attitude of the Government towards the reforms. He asked the Home member to give up his hostile attitude of opposing the Bill. If he could not do so, and then at least he should adopt the attitude of neutrality, release Government members from the mandate handicap and permit them vote according to their conscience, or let the fate of the Bill, be decided by the vote of the Indian members of the House who were principally affected by it.⁹ Sarda Act was a preventive and penal law. It specified the marriageable age of boys and girl (eighteen in the case of males and fourteen in the case of females). It prescribed penalties for those who arranged to perform marriages below this age. If the Sarda Act was not enforced forcibly, it was not the fault of the author (H.B.Sarda) nor did it mean that the legislation could not achieve its goal rather it meant that its provisions required strengthening and more vigorous propaganda. Enlightenment of the masses was also essential.¹⁰

The bill relating to Child Marriage was circulated to the public and opinions were received. This Bill was welcomed by all, especially by the women. Ladies meetings, conferences, associations and sabhas were organized in which women met and passed resolutions on the bill and demanded that the Bill should be passed without any further delay. Sarda told the House that the Child-Marriage Restraint Bill was not only a Social Reform but also the means to prevent the crimes or atrocities on infant boys and girls. Sarda informed the members of the House that Dr. Campbell, Principal of Lady Hardinge College; Delhi interviewed infant mothers between 12 and 16 years. Most of the girls suffered from Tuberculosis during the delivery period. The first child of about 40% of the infant females did not survive and those who survived were weaklings. Dr. Campbell was of the opinion that the only way to prevent this problem was not to marry girls below 16 years of age.

Pandit Madan Mohan Malviya was the leader of the party to which Harbilas belonged. Malviyaji, no doubt, supported the Bill and also wished that it should be passed but he differed from Sarda on the issue of marriageable age for the girls. It was fixed in the Bill as fourteen but Pandia Malviya wished that it should be reduced to twelve years only.¹¹ All the Honorable members unanimously accepted the evil of Child-Marriage, There was only the difference with regard to measure to be taken to remedy this evil. Sir James Crerar (Home Member) announced the whole hearted support of the Government in the measure of removing this evil. This support of the Government was bound to have two effects. Firstly, it would help the people to get rid of a widespread and corroding evil. Secondly, it strengthens the bonds between the government and the people.

Harbilas Sarda had two objectives behind passing this bill:-

- To prevent Child – Widowhood.
- To reduce the child death rates and helping the physical and mental developments of boys and girls.¹² Sarda appealed to the masses to shun this social evil on social, psychological, biological and nationalistic grounds. He told the gathering at Simla that for the sake of the motherland, and for its liberation and emancipation, it was necessary to free women from the chains of early marriage as well as negations. Thus, he linked the evils of child marriage with

the bondage of the country and tried to appeal of their nationalistic sentiments, which was a unique thing in itself.

The Government of India, at the time of passing the Sarda's Bill showed a lukewarm attitude. The Home Secretary announced that he would oppose Bill. Sarda severely criticized the Government's lukewarm attitude and urged it to frame laws on the lines of progressive states like Baroda, Indore and Mysore. He called the so-called humanitarian attitude of the government, a farce, a sham and told it in uncompromising words that a government, which claims itself to be progressive and the motto of which is equality, liberty, justice and public welfare to oppose the bill is ridiculous.¹³ He disapproved the policy of Government of India and said that his was not a lone voice rather he represented the voice of lacks of Indians and also that if it was unable to pass an act of its own then the least it should keep neutral and allow its government to vote according to the conscience.

The bill was introduced in the Assembly on 15th September, 1927.¹⁴ In his speech in the Legislative Assembly at Simla, he remarked that the primary object of the Bill was to put a stop to child widowhood, which was a result of child marriage. The secondary aim of Bill, he remarked, was to remove the principle impediment to the physical and mental growth of the youth of both sexes and the chief cause of their premature decay and death. He considered the Bill as a modest attempt "to recognize the female children even amongst the Hindus, he certain inalienable rights and that the state with any pretensions to civilization will deem its duty to protect them, without heeding to the vagaries that masquerade in the guise of social customs".¹⁵

The main provisions of the Act were as follows:¹⁶

- (1) The marriage of the boy or girl married in minor age is prohibited and liable to punishment.
- (2) The guardians of such a boy or girl married in minor age would be deemed responsible for it and subject to be penalized.
- (3) Within one year of marriage the case can be filed.
- (4) No Magistrate other than the one of First Class could hear such cases.
- (5) The sponsor of such a case shall have to deposit Rs.100 as

security so that in case of default the other party may demand the loss.

After his bill became an Act, and thousands of people wrote congratulatory letters to him and expressed their thanks and gratitude. Thus, the Child Marriage Act of 1929 was a great leap forward in the amelioration of the condition of child brides, This Act came into force on April 1, 1930.¹⁷

But all said and done, the significance of this Act lies in the fact that it set 18 and 14 years as the minimum marriageable ages for boys and girls respectively and made it a penal offence to commit child marriages and paved the way for future reforms in other native states. Soon, voices were raised and demands were made for a similar Act in the native states, but despite the efforts of these enlightened individuals and social organizations, the practice of child marriage is still prevalent in India (and specially in the State of Rajasthan) where it takes place in large numbers on auspicious days like Akha – Teej (Akshy - Tritiya) and Basant Panchami, even in the 21st century.

Age Of Consent Acts of 1891 and 1925 A.D.:-

Before the Child Marriage Restraint Act, 1929 came into force relief from the evil effects of Child Marriage could only be sought, and that too to a very partial extent under the provisions of the Indian Penal code, 1860, amended by the two Age of consent Acts of 1891 and 1925. Though Hindu Shastras and Muslim sacred book had condemned marriage before a girl had attained puberty, but pre-puberty cohabitation was not made an offence in India till the passing of the Indian Penal Code in 1860. According to this code, consummation with his wife below ten years of age was declared an offence for the husband, equivalent to rape with punishment which might extend to transportation for life. Later it was felt that the minimum age prescribed was low,¹⁸ certain deficiencies of the law were brought to the limelight, thus showing the need of urgent reform.

Harbilas Sarda was of the opinion that girls should not be married before the age of sixteen. The Government in 1925, itself introduced a bill fixing the age of consent as fourteen in extra-marital cases and thirteen in marital cases, which was passed.¹⁹ The increase in the age of consent in 1925 in marital cases was

very small and was followed by a differentiation in punishment in cases of cohabitation with girls below twelve and between the ages of twelve and thirteen. In the former case, the punishment was transportation for life or imprisonment which may extend to ten years and in the latter case, the punishment extended to two years only.²⁰

The question of increasing the Age of Consent was again raised by Hari Singh Gaur in 1927 in the Indian Legislative Assembly. He introduced a new bill fixing the Age of Consent in marital cases to fourteen and in extra-marital cases to sixteen. The Government did not pass the bill and recommended it to the consideration of a strong committee which would be appointed by it.

Consequently, the Consent Committee was appointed on 25th June, 1928 with Sir Moropant Joshi as its chairman and it submitted its report in 1929. Unfortunately, the committee's attempts proved futile in dealing with the cases of marital misbehavior owing to the ignorance of law, the difficulty of ascertaining the age of girls, lack of registration of marriages, the private registration of marriages, the private nature of offence and the reluctance of the wife or her parents to complain. Marital misbehavior could only be checked by making a law, laying down the minimum age of marriage for both boys and girls, prescribing deterrent punishment and enforcing them rigorously.²¹

However, the proceedings of the Consent Committee displayed the desire of the entire country for passing the Bill. The opposers or opponents of the Bill considered that the legislation was not essential, for according to them, the marriageable age was rising under the pressure of public opinion and a few years later, there would be no marriage of the girls below fourteen but reality was that the Act was essential to put an effective check on this evil custom.²²

Hindu Widows Rights of Inheritance Bill:-

The Hindu Widows Rights of Inheritance Bill was presented before Legislative Assembly by Har Bilas Sarada on 26th September, 1929 A.D. Before discussing the provisions of the Bill Har Bilas Sarada made it clear that the purpose of the Bill was not to make any material alteration in the existing Hindu law of Succession. Its sole

aim was to restore the ownership rights to the widows after the death of husband, to improve the deteriorating condition of the Hindu widows and legally entitle them to be the owner's of their husband's share in the family estate.

The existing Hindu law totally deprived the widows of the right to their husband's property and was solely responsible for the deplorable condition of the women especially the widows. Widows had no absolute right in the property of their husband, except the right of maintenance. This false concept developed in the Hindu Law either due to the ignorance of the English judges about the language in which Hindu Law texts were written or due to the facts that in their own country, rights of women were not completely accepted. As, wife is considered "Ardhangini" in the Indian society, she has the right of co-ownership in her husband's property. In 1882 A.D. Married Women's Property Act was enacted which finally did away with the husbands ownership of his wife's property.²³

The Bill aimed at improving the conditions in which a Hindu widow had to live by giving her certain well defined rights of inheriting property from her husband, without creating new rights in addition to those already existing. This Bill in no way, affected possessed rights by birth in a Hindu family under the Hindu Law.²⁴

This Bill was first introduced in the Legislative Assembly on 26th September 1929 and was taken into consideration on 21st January 1930 and ordered to be circulated for the reception of the opinions. On 15th July 1930, the Bill came up again before the House and a motion to refer it to the Select Committee was made. But before the discussion concluded and the Select Committee could meet, the assembly was dissolved and the Bill was consequently lapsed. Opinions of masses were received and the Bill came up before the House in a form acceptable to the vast majority. The masses complained that this Bill interfered in their religious matters. Har Bilas convinced them that this Bill did not even remotely affect their religious beliefs according to the changing relationship and time; changes ought to be done in the society.

This Bill was an attempt to ameliorate the condition of the widows by giving them some rights in the property which belonged to their husbands for their supports in the widowed life. Rest was

left in the hands of the Select Committee to define the extent and nature of the right that the bill should give to the widows.²⁵

Special Marriage Bill:-

The spread of education, enormous travelling facilities inter-course between members of various Hindu castes, and the impossibility of finding suitable matches within the circle of the caste, made the question of marriage – a vital question for the Hindus. As far as inter-caste marriages were concerned, great freedom was enjoyed by the Hindus in ancient times. There were various examples of the prevalence of inter-caste marriages in those days. There authority was proved by the Junagarh inscription, the Kanchri cave inscription, inscriptions of the cave of Culvada near Ajanta (6th century A.D.) Atpur inscription (10th Centaury) etc.²⁶ Thus we can say that Har Bilas Sarda will go down to prosperity as having laid the keystone of grade arch of our Social Reform. His achievements in the Legislative sphere, especially those connected with child – marriage and popular education and the health of the community had placed all lovers of Rajasthan under a deep debt of obligation to him. He had deservedly been called the first Citizen of Ajmer.

References

1. Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume (A homage to Maharshi Dayanand Saraswati From India to the World) Ajmer, 1933, p. 250.
2. Seshadri, P: Harbilas Sarda Commemoration Volume, Vedic Yantralaya Ajmer, 1937.
3. Har Bilas Sarda delivered Speech on the motion to abolish the Cotton Excise Duty; Simla Session, September, 1925, Speeches and Writings, pp.40-41.
4. Bhati Narayan Singh: Samaj Ratna Harbilas Sarda in Parampara M a g a z i n e Edited by Rajasthani Shodh Sansthan, Jodhpur, 1985-86, p.62.
5. Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume, p.157.
6. Sarda, H.B.: Speeches and Writings, p. xxxi.
7. Speech delivered by Har Bilas Sarda in the Legislative Assembly at Simla, 15th September, 1927 A.D.
8. (i) Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume, p.157. (ii) Speech delivered by Har Bilas Sarda in the Legislative Assembly at Simla, 15th September, 1927 A.D.
9. Speech delivered by Har Bilas Sarda in the Legislative Assembly at Simla, 15th September, 1927 A.D.
10. Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume, pp.194-195.
11. Sarda, H.B.: Speeches and Writings, pp. 20-30.
12. (i) Speech delivered in the Legislative Assembly, Shimla, 23rd September, 1929. (ii) Gazetteer of India, 1st April, 1929, Article 3 of the Act.

13. Sarda, Har Bilas: Speeches and Writings, p.33.
14. Ibid.
15. Bhati Narayan Singh: op.cit, p. 28.
16. Pareek, R.S.: The Contribution of Arya Samaj in the Making of Modern India, p.147.
17. In 1933, Rai Bahadur Seth Champalal of Beawar arranged the marriages of his 16 year old son with a girl of 13 years; it was stopped by the interference of police. Similarly, on 28 July, 1933, Harbilas Sarda himself requested Mr. Madho Singh of Ajmer, who was marrying his 13 years old daughter, and ultimately succeeded in stopping that.
18. Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume, Ajmer, 1937, p.196.
19. Speech on the Indian Penal Code Amendment Bill (Amendment of Section 375) Delhi Session, 1925, Some works of Harbilas Sarda in the Legislative Assembly, pp. 38-40.
20. Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume, Ajmer, 1937, p.197.
21. Sarda, Har Bilas: Dayanand Commemoration Volume, Ajmer, 1937, p.197-198.
22. Speech delivered in the Legislative Assembly, New Delhi, 29th January, 1929.
23. Speech delivered on 21th January 1932 A.D. in the Legislative Assembly, New Delhi, when the New Hindu Widows Right of Inheritance Bill was into consideration was made.
24. Ibid.
25. Speech delivered on 26th January 1932 A.D. in the Legislative Assembly, New Delhi, when the New Hindu Widows Right of Inheritance Bill was into consideration was made.
26. Speech delivered in the Legislative Assembly, New Delhi, on Sir Hari Singh Gaur's Special Marriage Bill on 22nd March, 1928 A.D.

Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabha in Rajputana States : Objectives, Social Regulations and Impact (1888-1949 A.D.)

Prof. V.K. Vashishtha

Scholars have paid attention only to the social reforms activities of the *Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabha (WRHS)* among the Rajput and Charan communities of the Rajputana States for the 19th century,¹ and have kept their silence about its undertakings of the 20th century. The present paper fills this gap. It attempts to study the accomplishments of the *WRHS* in Rajputana States since its inception in 1888 to its liquidation in 1949. It discusses the genesis of the *WRHS* and its objectives, social regulations and impact on the Rajputs, the Charans and other communities. Besides, it analyses the transformation of the *WRHS* solely into a Rajput social reform association in 1941, and also its liquidation after the intergration of Rajputana States into Rajasthan State under Indian Republic in 1949. The paper is based on archival records, annual reports of the *WRHS*, and the newspapers.

(i) Formation, objectives and liquidation of *WRHS*

During the period of the study Rajputana Agency comprised of nineteen princely States and two chiefships besides, the British territory of Ajmer-Merwara.² The *Central Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabha*, Ajmer, and its branches were formed in Rajputana States at the initiative of Col. C.K.M. Walter, Agent to the Governor-General for Rajputana States with the support of Rajput rulers during 1888-89. The main objective behind the formation of this association was the abolition of social evils among the Rajput and Charan communities since it was envisaged that the social reform movement initiated by the Rajput aristocracy would permeate among all the other castes, and thereby the feudal society of Rajputana would be relieved of social evils and superstitions and would pave the way for its modernization and progress.

Colonel C.K.M. Walter, the architect of the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* was a social reformer. As the Resident in Mewar from 1879 to 1887, he had keenly observed the working of the *Shri Desh Hitaishini Sabha* (1877-1887) and had cooperated for its success for bringing about social reforms among Rajputs, the Charans and the other castes in Mewar and the neighbouring Rajput States viz., Kotah, Bundi, Jhalawar, Marwar (Jodhpur), Dungarpur, Banswara, Partapgarh and Sirohi. On seeing the waning influence of *Desh Hitaishini Sabha* after the death of its founder Maharana Sajjan Singh (1874-1884), Walter realized the necessity of a Central Reform Association of the Rajputs and the Charans which could enforce its social regulations all over Rajputana. After assuming the charge of the Agent to the Governor-General for Rajputana States on 31 October, 1887, he called a meeting of the Committee of Rajput and Charan representatives of the Rajput rulers and the *Istimarardars* of Ajmer-Merwara at Ajmer on 5-10 March, 1888. At the end of the meeting, the Committee framed social regulations on 10 March 1888, on the lines of the *Shri Desh Hitaishini Sabha* for the observance of the Rajput and Charan communities.³ In appreciation of Walter's efforts for establishing cordial relations between Rajput and Charan communities and his zeal for their welfare, the Committee in its second meeting at Ajmer on 5 March, 1889, designated itself as the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* (the *Sabha* formed by Walter for the welfare of Rajputs).⁴ In view of this decision, the establishment of the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* (*WRHS*) should be traced from the formation of its social regulations viz., 10 March, 1888.

The Central *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* was an enlargement of the *Shri Desh Hitaishini Sabha* from a local social association of Mewar to that of a central social reform association for entire Rajputana with headquarters at Ajmer. It enforced its social regulations through its branches in each of the Rajputana States. Each branch of the *WRHS* derived its name from its State, such as, Jodhpur *WRHS*, Jaipur *WRHS*, etc.

The socio-political developments in the British Provinces between 1884 and 1940 gave a set-back to British-Rajput concord for social reforms through the *WRHS* in Rajputana. The Indian protest against social legislation in the British Provinces and the proliferation

of the Indian freedom struggle from the British Provinces to the Princely States under the leadership of Mahatma Gandhi diverted the energies of the British Government from social reforms to safeguard imperialist interest. The Agent to the Governor-General for Rajputana States as the President of it showed apathy towards the Central *WRHS* by not holding its annual meetings at Ajmer from 1924 to 1934. Further, his engagements to seek assistance from the Rajput Princes by men and money in the Second World War and to suppress the Quit India Movement under his political jurisdiction dictated him to transfer the organizational work of the Central *WRHS* to the Rajput Princes.

In 1941, the Rajput princes took into their own hands the organizational work of the Central *WRHS* and turned it completely into a social reform organization of the Rajputs by modifying its social regulations. The Charans who had separately formed in 1921 a separate *Sabha* known as *All India Charan Conference* (Mahasabha), were dropped from its membership w.e.f. 1 January, 1941.⁵ Since then the Central *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha*, Ajmer was designated as the *Rajputana Sabha*, though its branch in each Rajput State continued to be called as *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha*. In April 1942, the Maharaja of Jodhpur and the Maharawal of Dungarpur assumed the charge of the President and the Vice-President of the *Rajputana Sabha* respectively.⁶ They held these positions till its liquidation on the integration of the Rajputana States into Rajasthan State in 1949.

(ii) Social Regulations for Rajputs and Charans

The social regulations framed at the time of formation of the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* in 1888-89 continued upto 1940 with minor modifications and remained mainly for the observance of the Rajput and Charan communities. Like the *Shri Desh Hitaishini Sabha*, these social regulations laid down that *tyag* would only be distributed among the Charans, Bhats and others by the father of the bridegroom in proportion to his family annual income according to the table provided in the rules. In addition, the *WRHS* touched many other social reforms which the *Shri Desh Hitaishini Sabha* had not contemplated. For instance, it limited the expenditure on funeral feasts and marriage ceremonies. *Tika* (engagement

presents) and *Reet* (bride price) were altogether prohibited.⁷ The marriageable age for girls and boys was fixed as 14 and 18 years respectively. Polygamy was banned, and second marriage in the life time of the first wife was permitted only when the latter was afflicted with an incurable disease or had no issue.

In 1941, on the removal of the Charan community from the *Rajputana Sabha* (former Central Organization of *WRHS*, Ajmer), minor modifications were made in the aforesaid social regulations so that those could be more effective and useful for the Rajput community. The rules regarding imposition of fine on the Rajputs for their infringement of the social regulations were elaborated, and the local *Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabhas* in the Rajputana States were empowered to persuade the Rajputs to cut down the use of opium and liquor on the occasions of births, betrothal and marriages. The *Rajputana Sabha* also provided funds for the educational and material advancement of the Rajput community. It laid down that the amount collected from the fines would form as *Rajput Fund*, and would be utilized for the purpose of extending financial assistance to the daughters of poor Rajputs and their needy widows, and for giving scholarships to the Rajput students and donations to private Rajput educational institutions, boarding houses, etc. Above all, the *Rajputana Sabha* showed conservatism by advocating that only Rajputs should be employed in its organizational and secretarial levels.⁸

(iii) Implementation of Social Regulations

The local branches of the *Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabhas* which were established in each of the Rajputana States between 1888 and 1889, worked under the patronage of the rulers and functioned as the departments of the States. With the exception of the local *Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabhas* in the Dholpur and Bharatpur States, all the other local *Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabhas* enforced the social regulations on the Rajput and Charan communities except on the ruling princes who were exempted from observing the social regulations. The central organization of the *WRHS* in its annual meetings at Ajmer invariably examined the progress reports of the local *Rajputra Hitkarini Sabhas* to assess the success of the social regulations in Rajputana.

In the case of those Rajputs and Charans who infringed the social regulations, the local *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* imposed fines on them.⁹ Moreover, the central organization of the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* also collaborated with the *Malwa Rajputra Hitakarini Sabha* to promote the cause of social reforms among the Rajputs of the neighbouring States. Delegates from the *Malwa Rajputra Hitakarini Sabha* and the *Sardars* from the Princely States of Jaora, Piploda, Sailana and Ratlam (in Central India) attended its annual meetings and made useful suggestions to promote the cause of social reforms in the Rajput community.¹⁰ This gave testimony to the fact that the benevolent movement initiated by the *WRHS* had spread not only all over the Rajputana States and Ajmer-Merwara but also to the neighbouring States. On this remarkable movement, the editor of the *Indian Social Reformer* observed on September 3, 1899 that:¹¹

The value of such a movement lies not perhaps so much in the success with which it immediately meets, as in the influence it will exercise on public opinion and the permanent change which it will eventually effect.

The local *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabhas* gained such a prominence in Rajputana by the beginning of the twentieth century that even the lapse of the central organization of the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* from holding its annual meetings at Ajmer between 1924 and 1934, they continued to work and obtain substantial success in reducing those social evils which the social movement intended to combat. It was mainly because of this reason that despite appeals of the poor Rajputs during 1931 and 1935 for the abolition of this organization, and the pressure of as many as nine Rajputana States to wind it up, the majority of delegates from Rajputana States at the Annual Meeting of the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* at Mount Abu, resolved on May 19, 1936 to continue it since they felt that without its control there was a possibility of the rival of the social evils among its members. While supporting this decision, Sir George Ogilvie, the Agent to the Governor-General for Rajputana States and President of the *WRHS*, remarked in this meeting that as a result of the activities of the local *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabhas*, female infanticide among Rajputs had stopped, expenditure of exorbitant expenses at the time

of marriages and *Nuktas* were checked, and early marriages had become extremely rare. By this time, reports received from several States indicated that the percentage of infringements of rules in respect of *tyag*, *tika*, etc., had diminished year after year. This opinion was further endorsed by Hetudan Ujjawal, President of the All India Charan Conference, in his letter of 11 September, 1940 to the Prime Minister of Jaipur State. It said:¹²

The Sabha has been successful to a considerable extent in raising the age limit of the marrying couple, in discouraging polygamy, and in reducing expenditure on betrothal, marriages and funeral ceremonies and thereby greatly benefited its member communities viz., Charans and Rajputs.

(iv) Closure of the Sabha

The transformation of the *Rajputana Sabha* (former *Central WRHS*) into an organization exclusively for the Rajput community from January 1941 onwards did not prove beneficial for the Rajputs. After 1943 mixed reactions were expressed by the Rajputs over its usefulness, while the conservative elements became more vocal in criticizing the working of the *WRHS*. For instance, Rao Bahadur Raja Durjan Singh of Jaoli (in Alwar State) contended that the *tika* rules disallowing cash payment was “a mockery” as it was secretly practiced by the Rajputs, and the local *Walterkrit Sabhas* recorded fictitious statements by mentioning its discontinuance among them. This led the *Rajputana Sabha* to delete the *tika* rules from its statute book in December 1944 and the local *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabhas* to give latitude to the Rajputs in performing openly the *tika* ceremony with presents in kind or cash to the bridegroom.¹³ On the other side, the *Dungarpur Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* raised its voice against the intercaste marriages, and asserted that a Rajput marrying into another community should be excommunicated.¹⁴ Though the *Rajputana Sabha* did not elaborate this point at its annual meeting in December 1944, the proposal certainly revealed the growing conservatism among the local *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabhas*. This tendency completely wiped out any possibility of the interaction of the *Rajputana Sabha* and that of its other constituent units with the other Caste Reform *Sabhas* for social advancement. Moreover,

it demonstrated a narrow provincial feeling by abandoning the practices of holding deliberations at its annual meeting with the delegates of the *Malwa Rajputra Hitakarini Sabha*.

In fact, the *Rajputana Sabha* could not keep itself on a sound footing after 1941 as it was resuscitated in 1936 in the teeth of opposition from the poor Rajputs and nine Rajput States. The Charans were no more its members and their exclusion from the *Rajputana Sabha* (earlier known as *WRHS*) created a cleavage between the Charan and the Rajput communities, and marked a reversal of Walter's policy of promoting harmonious relations between them for resolving the *tyag* problem. They expressed resentment on their exclusion because the *Rajputana Sabha* had proved beneficial for their social advancement and they had made a considerable pecuniary sacrifice in making the *tyag* rules a success. Moreover, the Jat States of Dholpur and Bharatpur had completely withdrawn themselves from its activities after 1936. They had even closed down its branches on the ground that the social legislations passed by them in their States were sufficient for the social advancement of various castes. Furthermore, a number of Rajput States showed no interest in its activities after 1936 since they did not depute their delegates regularly to its annual deliberations at Ajmer.¹⁵ The activities of the *Sabha* received a further setback in 1945, when a Rajput refused to abide by its social regulations and the law court passed the verdict that they could not be enforced on any member as they were based on voluntary acceptance, and, hence could not be binding on them.¹⁶ As a result of these setbacks and sporadic protests, the *Rajputana Sabha* and its constituent bodies languished between 1924 and 1949. With the formation of Rajasthan State the *Rajputana Sabha* (former *Central WRHS*) and its branches in Rajputana States were closed down like the other State departments.

(v) An Appraisal

Thus, in contrast to its broad-based organizational set up and its role of encouraging other castes to form their own *Sabhas* for social advancement, the *Rajputana Sabha* reverted to conservatism in 1941. It dropped the Charans from its membership, restricted it exclusively to Rajput community and channelized its recourses and power only for the social and economic progress of Rajputs. The

result of this was that it did not pressurize the Rajput *jagirdars* for ameliorating the social conditions of the Jats and other castes in the rural areas. Nor did it take any step to raise the social status of the *Raona* Rajputs. Besides, it did not create a feeling of cohesion with other caste reform associations (*Sabhas*) nor did it collaborate with them in lobbying for passing social legislation for the amelioration of the condition of the masses in the Rajputana States. Moreover, it failed to prevent the Rajputs from the consumption of liquor and opium, and its regulation against polygamy gave rise to concubinage among them.¹⁷

Despite these falters and failures, the *Rajputana Sabha* (formerly called *Central WRHS*) made the advancement on the social reform movement among the Rajput and the Charan communities which had originally been initiated by the *Desh Hitaishini Sabha*. It succeeded in stopping female infanticide by prescribing a uniform system of the distribution of *tyag* all over the Rajput States. The *tyag* rules restrained the Charans from committing pecuniary suicides (*Chandi*),¹⁸ and dissuaded them from intimidating their Rajput masters for not offering them gifts and presents according to their demands on marriage ceremonies.¹⁹ Besides, the *tyag* rules minimized the opportunities for the Charans to visit the *thikanas*. This small change discouraged among them the traditional literary activities leading to their illiteracy and impoverishment.²⁰ It ultimately impelled them to receive modern education and to adopt a favourable attitude towards the British Government for material gains.²¹

The *Rajputana Sabha* also made progress in discouraging polygamy and checking to a considerable extent child marriages, and expenses on marriage ceremonies and funeral feasts among Rajput and Charan communities.²² In its session of December 1900, the *Indian National Social Conference* paid an eloquent tribute to the *Walterkrit Rajputra Hitakarini Sabha* by recommending that all castes and associations working for the promotion of marriage reform should accept the scales of expenditure laid down by it as the maximum limit.²³

The *Rajputana Sabha* also spearheaded the social reform movement in Rajputana as was evident by the formation of various Caste Reform Associations (*Sabhas*) there, as a result of its impact,

between 1888 and 1949. On the lines of the social regulations of this *Sabha*, the Caste Reform Associations of the Brahmins, Maheshwaris, Malis, Kayasthas, Minas, Charans, etc., compiled rules pertaining to marriage age, and expenses on marriage ceremonies and funeral feasts for the benefit of their caste-fellows.²⁴ The *Rajputana Sabha* succeeded in creating awareness for social reforms all over Rajputana, but it failed to achieve some of its objectives owing to the frictions among its members and the failure of the Rajput rulers to set an example before the Rajput community by adopting its regulations in their own personal life.²⁵

(vi) Walter as a Social Reformer

Some historians in their zeal to sensationalize the Modern history of Rajasthan have alleged that in view of Viceroy Lord Dufferin's inclination for social reforms, Colonel C.K.M. Walter, the Agent to the Governor-General for Rajputana States initiated social reforms in March 1888 among the Rajput and the Charan communities for securing "extension in the period of his service from June 1888 to 1890."²⁶ This commentary smacks of fiction and coloured view against a well-known social reformer, C.K.M. Walter. This type of vulgarization of analysis is far from truth and devoid of concrete evidence. Contrary to this, the British Government, the House of Lords, and the Viceroy Lord Dufferin expressed appreciation for the social reforms introduced by the Committee (later known as *WRHS*) at Ajmer under the guidance of Walter in March 1888. So also, Maharaja Madho Singh of Jaipur State in his speech at a State Banquet at the Albert Hall, Jaipur on 8 September, 1888, publicly thanked Walter for these social reforms.²⁷

Walter, as the President of the *WRHS* at Ajmer also won laurels from the Rajput and the Charan representatives in its meetings. On behalf of the Charan members, Kaviraja Shyamaldas of Mewar in his speech in the first meeting of the Committee at Ajmer on 10 March, 1888 expressed gratitude to Walter for "opening the road to mutual love" between Charans and Rajputs by thrashing out the *tyag* tangle. Further, he stated that:²⁸

"The whole province is thankful to the British Government for appointing Colonel Walter, as Agent to the Governor-General, who possesses the entire confidence of all classes from the highest

to the lowest. But it is a matter for regret, that such a kind and experienced officer should be soon leaving for England; and we trust that the British Government will assuredly take into their favourable consideration the wishes of us all in this matter.”

Similarly, the members of the *WRHS* in its last meeting at Ajmer, on 28 February, 1890, on the eve of Walter’s retirement from the political service, presented to him a farewell address in which they praised him for the satisfactory working of the marriage and funeral rules of the *WRHS* in Rajputana. In the same meeting, Kaviraj Moraridan, a Charan representative of Jodhpur State recited a *Kavit* in which he applauded Walter for striking cordial relations between the Rajputs and the Charans by levying a new scheme for the distribution of *tyag*:²⁹

“The change of time had loosened the ties of these relations when happily, O! Colonel Walter! Thou hast come to the rescue by introducing a most salutary reform for which “Morar” could adequately praise if he had a thousand tongues. If the tottering edifice of these relations had not received timely repair at thy hands through the renovation affected by thee, the harmony of relation existing between the Rajputs and the Charans would almost become extinct.”³⁰

Thus, Walter left a legacy of a social reformer among the Rajputs, the Charans and the other communities to cherish and to remember him as a philanthropist and also as their saviour from social evils.

References

1. For details see, M.A. Sherring, *Hindu Tribes and Castes of Rajasthan*, Delhi 1975; R.P. Vyas, “The *Walterkrit Rajputra Hitkarini Sabha* and its Impact”, *Proceedings of Rajasthan History Congress*, Ajmer, 1975, pp.103-110; M.S. Jain, *Concise History of Modern Rajasthan*, Wishva Prakashan, New Delhi 1993, pp.121-22.
2. The States of Mewar, Jaipur, Kishangarh, Jodhpur, Jaisalmer, Bundi, Jhalawar, Kotah, Karauli, Alwar, Dungarpur, Partapgarh, Banswara, Bikaner, Sirohi and Shahpura were ruled by the Rajput rulers. The States of Bharatpur and Dholpur were under Jat rulers and Tonk was ruled by a Muhammadan. Kushalgarh and Lawa were the two Rajput Chiefships.
3. Copy of rules introduced by the Members of the *Desh Hitaishini Sabha*, Udaipur, Friday, 4th of the dark half of *Kartik*, Samvat 1934. File No.309, *Kaviraja Shyamaldass Collection*, Rajasthan State Archives, Bikaner (Hereafter abbreviated

- as RSAB); See also, File No.3, S.No.153, 1844 (Confidential, Vol.I), Mewar and Southern Rajputana States Agency Records (abbreviated as MSRSAR), Pt.II, National Archives of India 14(NAI).
4. Progs. July 1888, Nos.19-24, Internal-A, Foreign Department, NAI. See also, Proceedings of a Committee of Sirdars, officials and Charans from all the States of Rajputana, held at Ajmer, for the purpose of regulating the expenditure connected with ceremonies at marriages and deaths among Rajputs, 10 March, 1888. File No.3, 1844, MSRSAR, Pt.II, NAI.
 5. Progs. Nos.295-302, June 1889, Internal-A, Foreign Department, NAI.
 6. G-20, File No.150, Jaipur Government Secretariat Records, Rajasthan State Archives, Branch Jaipur (hereafter abbreviated as RSAJ).
 7. *Ibid.*
 8. Progs. July 1888, Nos.19-24, Internal-A, Foreign Department, NAI; Progs. June 1889, Nos.295-302, Internal-A, Foreign Department, NAI; Progs. March 1916, Nos.193-194, General-B, Foreign and Political Department, NAI; G.20, File No.150, Jaipur Government Secretariat Records, RSAJ.
 9. Revised Rules of the *Rajputana Walterkrit Rajputra Hitkarini Sabha* (1 January, 1941), G.20, File No.150, Jaipur Government Secretariat Records, RSAJ.
 10. Progs. 21 September 1900, Nos.24-25, Internal-A, Foreign Department; NAI; Progs. March 1914, Nos.318-19, General-B, Foreign Department, NAI. For details about fine on the *jagirdars* of Mewar State for their violating the *Walter Sabha* regulations see, File No.23, *Jagir*, V.S. 1994; File No.23/5, *Jagir* V.S. 1994, *Shadi-gami*; F.No.23/6, *Jagir* (12) V.S. 1994, *Shadi-gami*. Rajasthan State Archives, Branch Udaipur (hereafter abbreviated as RSAU); See also, File No.11/15, 24 April 1940, No.5, *Misl*. Diary Register, *Mehkamakhas*, Mewar, RSAU; File No.23/3, *Shadi*, 3 October 1941, Court of Wards, *Jagir* 12 E. RSAU. For details about the fine paid by the *jagirdars* of Jodhpur (Marwar) State to the *Walter Sabha* see, S.No.1, File No.1, Vol.I, *Social and Ecclesiastical*, English Record, Jodhpur, Register No.3, RSAB.
 11. *Annual General Report from the General Committee of the Walterkrit Rajputra Hitkarini Sabha for the year 1902*, (Rajputana Mission Press, Ajmer), p.37. Rajasthan State Secretariat Library, Jaipur.
 12. *The Social Reformer* (Madras), 3 September 1899.
 13. G-20, File No.150, Jaipur Government Secretariat Records, RSAJ.
 14. Report of the General Meeting of the *Walterkrit Rajputra Hitkarini Sabha* held at Mayo College, Ajmer on 24 December 1944. Cf. G-20, File No.150, Jaipur Government Secretariat Records, RSAJ.
 15. *Ibid.*
 16. *Ibid.*; See also, File No.344, 1910, Banswara English Records, RSB.
 17. Narayan Shyam Chitambre, *Banera Rajya ka Itihas*, n.d. p.207.
 18. *Kshatra Dharma* (Ajmer), August 1941, Year 4, No.11, p.23.
 19. *Chandni* (suicide by revenge) was the practice according to which Charans and Bhats used to wound themselves in order to extort any benefit or concession. Cf. James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol.II (Delhi: Motilal Banarsidas, Reprint 1971), pp.815, 1110.
 20. *Charan*, A Quarterly of All India Charan Conference (in Hindi), Vol.I, No.2, 1995 V.S., pp.1-5.

21. *Ibid.*
22. For details see, Mohanlal Jigyasu, *Charan Sahitya ka Itihas*, Pt.II (Jodhpur: Jain Brothers, Reprint 1973), pp.143-44, 155, 161-62.
23. G-20, File No.150, Jaipur Government Secretariat Records, RSAJ.
24. *The Indian Social Reformer* (Madras), 27 January 1901, Vol.XI, No.22, p.175.
25. *Report on the Administration of Bikaner State for 1893-94*, p.191; G-20, File No.33, Pt.I, Mehkamakhas, Jaipur 1926, RSAJ. *Charan*, A Quarterly of All India Charan Conference, Vol.I, No.2, 1995 V.S., pp.1-5.
26. *Kshatra Dharma* (Ajmer), August 1941, Year 4, No.11, pp.21-22; See also, *Kshatra Dharma Sandesh* (Jodhpur), March 1945, Year 4, No.3, p.16. For details about the impact of the *Walter Sabha* on the *Caste Reform Sabhas* in the Jodhpur State, see, Rules for Brahmins, Mahajans, Goldsmiths, Carpenters and Barbers (Translated in the Secretariat Office, Jodhpur, Printed at the Marwar State Press, 1897). S.No.136, F.No.87, Vol.I, 1891, Register No.3, Mehkama Khas, English Records, Jodhpur, RSAB. See also, S.No.17, F.No.8/1, Vol.I, Register No.3, Mehkama Khas, English Records, Jodhpur, RSAB. About the reduction of marriage expenses amongst the *zamindars* of Beawar and Todgarh (Merwara). See, S.No.87, File No.1495-3-1889, *Confidential File*, Ajmer, RSAB.
27. M.S. Jain, *op.cit.*, pp.121-22.
28. Speech of Maharaja Madho Singh at the State Banquet, Albert Hall, Jaipur on 8 September, 1888; See also, Extract from the Speech made by Colonel C.K.M. Walter at the State Banquet, Albert Hall, Jaipur.
29. S.No.153, 1844, F.No.3, Confidential, Vol.I, Mewar and Southern Rajputana States Agency, Pt.II, Rajputana Agency Records, NAI.
30. Translation of a *Kavit* by Kaviraj Morardan of Jodhpur. File No. April 1890, The Ambivalence in Ram Singh's Photographic Feminine Representations

The Ambivalence in Ram Singh's Photographic Feminine Representations

Prof. Preeti Sharma

This paper, 2nd in series of discussing royal feminine representations in erstwhile Jaipur state, explores a group of photographic portraits taken sometime during 1860s-70s, a crucial decade in the transformation of colonial attitudes to India, by the erstwhile Jaipur Maharaja Sawai Ram Singh II (1835-1880). The novelty of the medium of representation, the socio-cultural dynamics and prevailing colonial ambiance, render these photographic visuals as rather an interesting primary source and potential field for historical investigation, especially for deriving gender inferences.

In this context I begin with how perceived as an uncivilized country, India nevertheless had the ability to digest modernity, becoming a laboratory for cultural and technological innovation, (Guégan 2011 : 358). To this end, photography, as a western discovery, signified the progressive character of modern imperialism, evolving as an imperial medium by which the Indian assimilation of Western cultural elements could be affirmed. British photographer Samuel Bourne (1834-1912) also argued that the spread of photography stands for India's image as a 'virgin' land where progress and modernity might ultimately be assimilated, in a process which would reflect well on the Western world. Like a true orientalist Bourne deemed photography a befitting example of Western technological superiority which could be used as a weapon in the colonial discourse. In his writings, he often uses very strong qualifiers to depict the indigenous population as technologically backward and uncivilized:

Now and then we whirl past a village of miserable mud huts, swarming with sprawling, nude children, who, together with the men and women, suspend their operations to gaze in mute astonishment at the flying train. I tried to imagine the sensations with which these poor ignorant semi-barbarous inhabitants of the plains must for the

first time have beheld the flying engine dragging its reinue of carriages with their mighty rattle through their peaceful territoty. No wonder that they thought it was an incarnation of the devil flying away with the wicked 'barbarians' who had taken possession of their country. (Bourne 1863 : 269)

About photography's imperial connotations Bourne held that:

Photography in India is, least of all, a new thing. From the earliest days of the collotype, the curious tripod, with its mysterious chamber and mouth of brass, taught the natives of this country that their conquerors were the inventors of other instruments besides the formidable guns of their artillery, which thought as suspicious perhaps in appearance, attained their object with less noise and smoke. From the untrodden snows of the Himalayas to the burning shores of Madras the camera is now a familiar object; and though a native from some secluded hut among the moutains where I as now situated may now and then manifest a desire to be out of its range, the majority pass it un-alarmed, or their curiosity has taken the place of fear. (Bourne 1863: 268)

With this background of the onset of photography in India, the paper henceforth focuses upon the use of this novel medium of representation/projection by rhe royals/affluent sections, within the native states, especially Jaipur, under erstwhile Maharaja Sawai Ram Singh II (1835-1880) during 1860s-70s, a crucial decade in the transformation of colonial attitudes to India. The product comprised photographic projections of the female inhabitants of his zenana, heralding a new mode of representation of courtly women. Over two thousand negatives survive in the Maharaja Sawai Man Singh II Museum collections in Jaipur. Unlabeled, unnumbered and sans any other marker suggestive of their photographer, they are deemed to have been shot by Ram Singh himself, a skilled photographer, (A view shared by Sahai and Dehja 2000) and the only male who could acess women of the zenana and with his technical competence, produce their photographs. Ram Singh's photographic survey was sort of a boldly modern act, breaking decisively both with normative domesticity and representations, considering that till those times, the portraits of Rajput women in purdah, in any medium, were virtually nonexistent in Rajputana.

Those were the times, when educated Indians, colonial administrators, British feminists and other communities of the Raj, under colonial backdrop of the 'Woman's question', exhibited great interest in and concern about the condition of Indian women, especially those in purdah. Reading the 'visual text', these photographs seem to engage pictorially with the widespread discourse and refute prevailing sentiment that women in purdah were idle, sexually deviant and oppressed. At the same time, they seem to encroach upon basic norm of the Rajput zenana, wherein the purdah, a mark of high status, was strictly observed, as also discussed by Varsha Joshi (1995). Though women's presence might be felt on occasion and in fact, women in upper class often exerted considerable political power (Preeti Sharma 2009), but they could rarely be seen or projected physically.

Precolonial Times

Not surprising that the representations of women in Rajput art before the colonial period reflect the limited visibility of female subjects (Aitkin 2002). Although portraiture had constituted a large portion of paintings produced in Rajput courts since the mid seventeenth century, the subjects of these portraits were always male (Preeti Sharma 2009 a). Portraits of specific women are nearly unknown. Instead, artists created innumerable idealized representations of women based on a single model, used for centuries, with slight variations, to depict dancers, musicians, attendants or queens. This mode of representation mirrored and perhaps even reinforced the prevailing social system in which upper class women were ubiquitous but remote. Even architecture, with the zenana quarters, jalis or perforated screens, was designed and devised to sustain the institution of purdah. The Hawa Mahal (Jaipur) was built to enable the royal zenana women to view processions, etc., on the street below.

Colonial Times

The seclusion of affluent class Rajput women persisted during the colonial period, but certainly did not cause them to be overlooked or forgotten by the British. On the contrary, British administrators, travellers, missionaries, journalists and memsahibs wrote extensively about their impressions of Indian women and the conditions in which

they lived, frequently commencing specially on the institution of purdah and zenana.

British views of the zenana varied from a site of women's oppression, to place where women exercised tremendous power. Despite this variation in interpretation, certain tropes appear recurrently whereby the zenana was conceptualised as a dark, damp area of the palace, closed in and lacking fresh air, a breeding ground of superstition sans light of education, devoid of hygiene and medicine, and unbridled sexual impulses (Sen 2002, Burton 1994). The inhabitants, generally ignorant and oppressed, idle and passive, or devious and obstinate, to name just a few characterizations (Nair 1990), had to be rescued from there. Such impressions catered to production of 'a discourse through different practices of representation (scholarship, exhibition, literature, painting, etc.), and a form of racialized knowledge of the Other (Orientalism) deeply implicated in the operations of power (imperialism)'. The 'knowledge' of the Orient generated through the 'eyes' of the West was thus inevitably implicated in British hegemony over India, and misrepresented India confirming western stereotypes of Oriental inertia and superstition.

Despite the various movements to reform or modernize Indian domestic life, the middle and upper-class women remained largely invisible to white males during the nineteenth century, barring few exceptions like the Begums of Bhopal, who interacted with men, and frequently allowed themselves to be photographed. The aristocrat class Rajput women in Jaipur did not come out of purdah until the mid twentieth century.

Coming over to Ram Singh, he generally thought to have been an enlightened westernized ruler who championed reform and progress, and thus one might expect him to have supported reform movements affecting women (women's education, city reforms). He was exposed to western culture at an early age, and was prepared for rule by British tutors. He spoke and wrote English fluently, introduced electric street lights to Jaipur and established institutions of social welfare on a modern European model. Was not only an admirer of photography art, but was himself a skilled photographer as also testified by Rousselet (Rousselet & Buckle 1878: 229). The skill with which Ram Singh negotiated between

modernity and tradition extended to his use of photography. Vikramaditya Prakash (2001) has aptly described Ram Singh's self-portraits as 'self-consciously hybridized representations (which) straddle and contest the separating boundary — between colonizer and colonized, English and native — the preservation and reaffirmation of which was crucial for colonial discourse'.

There was no tradition of mimetic representation of Indian women when Ram Singh began taking his zenana portraits. Although this changed when photographers began turning to female subjects in the 1860s, photographs of women in purdah did not become common until two decades later, when middle class families began patronizing commercial studios. It would take much longer for elite women in purdah to follow suit. Even in 1880, an album produced in Lucknow – An Illustrated Historical Album of the Rajas and Taaluqdars of Oudh – filled the empty spaces reserved for photographs of the ranis and thakuranis with the label 'pardanashin', referring to a woman who was in purdah and therefore could not be photographed. Experiments in representing individual Indian women of middle or high status through photography began, therefore, with women who were not in purdah, such as courtesans and dancing girls. Ram Singh's photos are more of individuals rather than representating types, actually living in zenana. In a way it can be surmised that they don't portray orientalist picture of Indian domestic life. By appropriating a European model of portrait photography – which emphasized their dignity and propriety. Rather through photographic technology – which was in this period considered uniquely penetrating and authoritative – he formulated an alternative to pervasive and largely negative colonial conceptions of zenana life.

Among Europeans, as we have already narrated, photography was by this time widely seen as a method of producing reliable knowledge. The dominance of the concepts of transparency and opacity in the ways Europeans thought about everything from physical attractiveness to the condition of a society meant that the camera – a mechanical purveyor of illumination, reflection and vision – had become particularly valuable as a way to illuminate the unknown. As we have already seen, photographic projects with this aim were carried out by the colonial government in the late nineteenth

century. In these, the camera was used to penetrate the mysterious 'darkness' of the colony and depict with clarity whatever lay within. Ram Singh certainly did not grant this access to either colonial or commercial photographers, he took advantage of the access he had to the zenana to do something not entirely unlike what they might have done in his place: he created images of the women of the zenana, and in doing so he lifted away the purdah that had for so long made such women invisible, exposing them to the harsh light of colonial India. What this unveiling revealed, however, was nothing like what social reformers – especially European ones – would have expected to see.

The Ram Singh zenana portraits reveal no sickness or dirt, depraved or deviant faces, exposed bodies or sexually suggestive poses. Nor do they suggest women devoid of dignified self-control. Furthermore, in comparison to contemporaneous photographs of women in roughly comparable social positions, the portraits constitute a conspicuously civilised social tableau. They enact visually a transformation that Indian social reformers were just then seeking to bring about: the conversion of 'the harem, a space of opacity, (into) the home, a reconstituted Victorian space that was transparent in its clear manifestation of moral virtues'. A typical example shows two women posed in front of a painted backdrop. Yaduendra Sahai identifies the women not by name, but by title: 'Paaswan of Maharaja with sakhi'. (Sahai & Singh 1996: 21). Paswans, like the central figure in this photograph, were royal concubines. Royal Rajput households tended to include large numbers of concubines, all of whom lived in purdah. As in portraiture in general, the clothing worn by the subjects suggests certain aspects of their identity. We can deduce the natal place of many of the women based on their clothing, since among Ram Singh's photographs of women are subjects wearing the characteristic clothing of Kerala, Maharashtra and Rajasthan itself, as in an image of a pardayat wearing Rajasthani 'tie-dye' textiles and bunches of thick anklets. Similarly, some of them wear one or two bindis, suggesting that they are Hindu, while others wear none, perhaps indicating that they are Muslim. Although their clothing and poses are varied – while some of them look sidelong or directly at the camera, others look away – none of these women are veiled. Surrounding most of the subjects are elegant backdrops,

Victorian furniture and Persian carpets: a studio setting. The most common backdrop depicts a European style interior with a mantel piece on the left and a window-lined corridor on the right. The scene is serene, domestic, and quite western. Whether the women were brought to Ram Singh's photography studio or were photographed within the zenana itself, it is clear that the setting is artificial and does not reflect the actual space in which they lived (Weinstein 2010: 2-16).

It might appear that Ram Singh's photographs were signalling a reform of his zenana modernizing it the way he modernized Jaipur's streets and schools. But, as we have seen above, often his modernizing efforts were not what they seemed to be. When we consider that the photographs are not labelled with the names of the subjects and that the institution of purdah continued relatively unchanged for seventy years after Ram Singh's death, it begins to seem that the photographs do not so much indicate a change to the zenana as demonstrate, if only to an audience of one, the propriety of the zenana as it already was. This demonstration would have done nothing less than affirm the decency and vigour of Ram Singh's rule. On one hand, by photographing zenana inhabitants the maharaja asserted his control over them, countering western anxiety that within the zenana males fall victim to the machinations of devious women. On the other hand, by showing the women as dignified individuals, the images countered colonial concern about 'despotism in domestic space', the notion that the Indian male cruelly oppressed women in purdah. Ultimately, the portraits communicated that there was nothing to fear behind the purdah: the zenana and its subjects already conformed to the desires of British and Indian social reformers. Although Ram Singh never appears in these photographs, he is represented in them by inference as a capable, just and progressive ruler. In other words, rather than a deviation from the normative arrangements of domesticity and representation, the photographs guard the zenana against its critics, bolstering its stability and, consequently, its inhabitants' continuing invisibility by rendering them visible for the first time. Like many of his other apparently modernising actions, Ram Singh's photographs do not unequivocally relinquish the old in favour of the new. Rather they seem to suggest an underlying ambivalence therein.

References

- Aitkin, Miolly Emma (2002), *Pardah and Portrayal: Rajpur Women as Subjects, Patrons and Collectors*, *Artivus Asiae* 62(2), 247-280
- Bourne, Samuel (July 1, 1863) *Photography in the East*, *British Journal of Photography* 10 (193)
- Burton, Antoinette M. (1944) *Burdens of History: British Feminists, Indian Women, and Imperial Culture, 1865-1915*, Chapel Hill: University of North Carolina
- Dehejia, Vidya and Charles Allen (2000) *India through the Lens: Photography 1840-1911*, Washington DC: Freer Gallyey of Art and Arthur M. Sackler Gallery Smithsonian Institution & Mapin Publishing Ahmedabad
- Guégan, Xavier, (2011) *Visualizing alienation: Symbolism and Duality in Samuel Bourne's Photographs of British India*, *Visual Culture in Britain* 12:3, 349-365
- Joshi, Varsha (1995) *Polygamy and Purdah: Women and Society among Rajputs*, Jaipur: Rawat Publications
- Nair, Janaki (1990) *Uncovering the Zenana: Visions of Indian Womanhood in Englishwomen's Writings*, *Journal of Women's History* 2: 1
- Prakash, Vikramaditya (2001) *Between Objectivity and Illusion: Architectural Photography in the Colonial Frame*, *Journal of Architectural Education* 5: 1
- Rousselet, Louis and Chales Randolph Buckle (1878) *India and Its Native Princes: Travels in Central India and in the Presidencies of Bombay and Bengal*, London: Bickers and Sons
- Sahai, Taduendra and Ram Singh (1996) *Maharaja Sawai Ram Singh II of Jaipur, the Photographer Prince*, Jaipur: Dr. Durga Sahai Foundation
- Sen, Indrani (2002) *Woman and Empire: Representations in the Writings of British India, 1858-1900*, *New Perspectives in South Asian History*, Hyderabad: Orient Longman
- Sharma, Preeti (2009) *A Symmetric Representation: Painting Patrogage and Dichotomies of Gender based Identities*, *Review of Politics*, XVII(2) July-Dec pp. 28-46 (ISSN 0972-1436)
- Sharma, Preeti (2009a) *Painting Patron Ranis of Jaipur: Some Gender Perspectives*, *Rajasthan History Congress Proceeding Volume XXIV*, pp. 80-87
- Weinstein, Kaura (2010) *Exposing the Zenana: Maharaja Sawai Ram Singh II's Photographs of Women in Purdah*, *History of Photography* 34 (1): 2-16Nos.51-53, Foreign Department, NAI.

Depiction of Rajasthani Folk deities in folk literature

Dr. Jagriti Upadhyaya

Folklore is a body of traditional belief, custom and expression, handed down largely by word of mouth and circulating chiefly outside commercial and academic means of communication and instruction. Every group is bound together by common interest and purposes, whether educated or uneducated, rural or urban, possesses a body of traditions which may be called its folklore. Into these traditions enter many elements, individual, popular and even 'literary', but all are absorbed and assimilated through repetition and variation into a pattern which has value and continuity for the group as a whole:" Benjamin A. Bofkin.¹

Folklore is as old as mankind. The term, first coined by William Thoms, a British antiquarian in 1846 replaced the term 'Popular Antiques' or 'Popular Lituative' and denoted the term to scholarly work on materials that was folkloristic in nature. An integral part of any culture it includes chaints, mnemonics, incantations, songs, music, stories, ballads derived from myths, proverbs ancient wisdom, taboos, totems, riddles, rituals, traditional knowledge system etc. They are a repository of a common communal heritage. They entertain and delight and are full of home-spun wisdom and one of the commonest way of preaching by precepts. Folk encapsulates the inner spirit and emotions of a community and reflects the zeitgeist of a culture into a given spacio-temporal frame and unconsciously evolves and becomes the part of a value system of any heritage.

The linguist Robert Redfield calls the folk as 'little tradition' while the classical ideologies, supported by intellectual and cultural constitutes as 'great traditions'. In the words of Harold Bloom – Folklore remains operative as cognition even in the literate world and can be defined as the process of linguistic and interiorized 'revisionism'. Folklores are the embodiments of the cultural ethos

of the collective consciousness of a community reflected in its underlying principles, beliefs and values, the shared experiences, codes and rules. These narratives get moulded and modified in the creative smithy of the 'teller' of the tales and are sometimes transformed or transmuted to delineate contemporary social issues as well.

In his scholarly article 'Toward a definition of folklore in content,' Dan Ben Amos opines." Definition of folklore are as many and varied as the versions of a well known tale. Both semantic and theoretical differences have contributed to this proliferation. The German Volkskunde, the Swedish 'Folkminne' and the Indian 'Lok Sahitya' all imply slightly different meanings that the English term 'folklore' cannot (syncretize) completely.²

Folklore is 'verbal art', unrecorded mentifacts and literative orally transmuted', the persistence of the materials in circulation in a culture and in the words of Ralph Steele Boggs "bequeathed from generation to generation."³ Three factors are important in the concept of folklore – the social context, the time depth and the medium of commission. Almost from the ligancy, the most important characteristics of folklore were its oral transmission.⁴ Folklore in the context of culture is an ongoing communicative process which is constantly in a state of flux and re-creation. The narrator, his song and his audience are all related to each other as part of the entire event taking place at a particular time in a specific locale. As Dan Ben Amos points out in his scholarly article "The textual marks that set folklore apart from a particular kind of communication are the opening and closing formulates of tales, songs and the structure of actenis that happen in between. The opening and closing formulas desperate the events enclosed between them as a distinct category of narration, not to be confused with reality. Tales, however, do not necessarily relate' to denotative speech as futim does to truts. A folkloristic historical narrative, such as a legend, is nevertheless formally distinct from a chronology of event.⁵

Furthermore, we find, he states

"Legend for example often signifies a chronological truth, myth symbolizes a religious truth and parable implies a moral truth However, if their actual cultural mods of communication is the key

for definition, then all these forms are out different phases in the same process of folklore.⁶

The Core related to the heroes in Rajasthan takes several shape while been presents by the single. Harbuji, Pabuji, Ramdevji, Gogaji are historical figures surrounded by mystic references and their life, presented as per the view point of the singer or the ballad presenter. Thus, they become deified in the process, as they are presented as incur-nations of Gods. Present paper is an attempt to depict the conversion of a historical figure into mythological deity and their mystic world.

The advent of the Bhakti Movement in the early medieval centuries in Rajasthan is dominated by reverence to popular heroes, later designated as folk-gods. They, essentially, represent the faculty of hero-worship by the common people of this region. Quite a few of them belonged to royalty and the feudal structure of the socio-political organization of the region. Miracles and possession of supernatural powers fascinated the people associated with them. (This was the beginning of the myths and legends associated with them). With the passage of time, stories got interwoven with the already popular fabric of the belief of supernatural character of these heroes. Adoration of these heroes through singing of musico-poetic compositions (ballads) and praising of deeds hyperbolically became a routine matter in the life of this region.⁷

Ballads were sung in their praise in which these folk deities mark a transition from a historical figures to a mythological hero. The singers would imbue these figures with superhuman valour and romanticize their heroic stature eulogizing their deeds.

Dr. Krishnadev Upadhyaya has classified these ballads under the category of Heroic ballads.⁸

‘इनमें प्रायः उन लोगों का य गान होता है, जिन्होंने लोक-कल्याण तथा वचन निर्वाह के लिये आपने प्राणों की आहूति दे दी। यद्यपि ऐसे अनेक वीरों का यशगान साहित्यिक कृतियों में नहीं दिया गया है, तथापि जन-साधारण ने मौखिक रूप में गाई जाने वाली लोक-गाथाओं द्वारा उनके यश को सुरक्षित रखा। इन पंवाड़ों (ballads) में राजस्थान के धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आदर्शों का प्रतिबिम्ब मिलता है। पाबूजी का पंवाड़ा, गोगादे चहुआंण का पंवाड़ा, डूंगजी-जवारजी की पड़ आदि लोक-गाथाएँ ऐसी ही वीर गाथाएँ हैं।’

“As the intricacies of scriptural texts and complexity of rituals of orthodox Hindu beliefs were beyond the understanding of ordinary and uneducated persons popular cults associated with local heroes and reformers, labeled as folk-gods came into prominence. Belief in such gods was free from ritualistic approach and they were classed as supreme beings, as the savior of their devotees from evils and dangers”.⁹

On every moment of happiness as birth, marriage, tonsure etc. these folk gods and goddesses are worshipped. Manauti, to get rid of diseases are spoken and their names are added to the stall and by stall vendors, threads are tied. There are five major deities of Rajasthan as the saying goes:

पाबू, हड़बू, रामदे, मंगलिया मेहा ।
पांचों पीर पधारजो, गोगाजी जेहा ।।

Gogaji: - Gogaji is the most revered of the five saints of the land. Gogaji, also known as ‘Jahar Veer’ Goga, is a folk deity worshipped in the northern states of India, especially in Rajasthan. He is a warrior hero of the region, venerated as a saint and a ‘Snake-God’. He is worshipped as ‘Peer’ among the Hindus, the Muslims and the Sikhs.

Goga (On the basis of the Kyam Khan Raso and an inscription of V.S. 1270 (1213 A.D.) Dr. Dasrath Sharma has concluded that Goga was a contemporary of Sultan Mahmud of Ghazni; and not of Firoz Shah Tughlaq, as believed by Todd and some other writers who have followed his lead.¹⁰

Gogaji was the son of Jevara Chauhan and Bachal. Jevara was a feudatory of Dadrewa (in Churu District). Life of Gogaji had begun with family feuds. According to folk tradition (Gogachand, Gogaji Ka Rasawala) and historical writings – as “Khyat of Dayaldas” and Bikaner Ki Gazal.¹¹

Gogaji rescued cows from invaders who supported Gogaji’s Cousins Arjan and Sarjan as a part of Conspiracy. He and his stead Jawadia were killed and his wife Menal immolated herself as Sati. He, thus, became immortal for the cause of pastoral interest. His icon depicts him riding on a horse with a spear in a hand. He is also worshipped symbolically as a serpent deity.¹² In manuscripts also, he is, by a large, depicted as a serpent. People worship his idol

which is normally placed under a Khejri tree, therefore, the saying—

गाँव- गाँव गोगा, ने गाँव- गाँव खेजड़ी

As every ballad is associated with some myth, the historical figures of Gogaji is also surrounded by mythical mists. The association of the birth of Gogaji with the blessings of Guru Gorakhnath; the tale of Vasuki, the Serpent King, are all myths which frame the folklore. For example -

“जन्मते ही बालक ने चमत्कार दिखाया। अपंग दाई को पैर मिल गये। अंधों को आंखें मिली। कोढ़ियों के कलंक झड़ गये।” and बासुकी नाग गोगा के तेज प्रकाश को देखकर समझ गया कि वो हमारा रक्षक है वासुकी और अन्य सांपों ने गोगा के पालने को अपने फनों की छया से आच्छादित कर दिया।¹³

A similar presentation is that of the war between Gogaji and the Muslim invaders. The simple event of Muslim invaders taking away the cows of the Chauhans and Gogaji fighting with them, has been attributed with several miracles –

“गोगा तो सिद्ध वीर पुरुष है। आदमी हो तो युद्ध करूँ गोगाजी ने इसी प्रकार संहार का दृश्य उत्पन्न कर दिया जैसे शिव का तीसरा नेत्र खुला हो रूण मुण्ड विछिन्न नजर आने लगे चण्डी ने खप्पर भर-भर अपनी रक्त-पिपासा को शान्त किया। गोगाजी ने विजय वैजयन्ती धारण की।” युद्ध के बाद गोगा को 12 वर्ष का देश-निकाला दिया (क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों-अरजन-सरजन को मारा था) – जाति, समाज और कुटुम्ब की भर्त्सना पाकर गोगा ने पाँच पीरों को एकत्र किया। पीरों ने कलमा पढ़ गोगा को इस्लाम की दीक्षा दे दी। किन्तु गोगा की सिद्ध आत्मा इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकी। एक भयंकर गर्जना के साथ धरती फट गई। गोगा अपने घोड़े सहित उसमें समा गया। उपस्थित जन-समूह ने गोगा पीर की समाधि पर फूल चढ़ाये।” The story also goes around about the resurrection of Gogaji.

Tejaji:— Another folk-god is Tejaji, the chief hero venerated by the Jats of Marwar, Ajmer and Kishangarh. Tejaji was born on Magha Shukla Chaturdashi of the year 1074 A.D. in the house of Taharji and Ramkunwari. He was fatally injured while liberating the cows of Lachha gujari from the Mers.

According to a legend, he was bitten on the tongue by a snake, which caused his death. Since then, he is worshipped as a Snake-God. It is still believed by the rural community of Rajasthan that if a person is bitten by a snake, tie a cord around his right foot and

pronounce the word 'Tejaji', and he will recover.¹⁴ The saying goes:

लापे नाहिं लगर, वासम तेजा रा वचन।
कवि न भाजे कार, नौखण्ड भोव नीकली,
भवंग असल गया भाग, नाहिं मने आवे नजर
नहिं सताते नाग, नौखण्ड मांदे तनकली ।।

A fair is held at Kishangarh in the month of July, in honor of Tejaji, and he is worshipped in a temple erected in his memory at Sarra. Most Jats wear round their neck, an amulet of silver representing Tejaji on horseback, his sword drawn and a snake in the act of biting his tongue. His story is recounted, Byavalas are recited and Khyalas pertaining to his life are performed in the fairs. A lot of folk literature has been accredited to the glory of Tejaji. Teja Ter is sung invariably throughout the Marudhara before the commencement of the sowing of crops.

Pabuji: - According to traditional anecdotes, a Rathore hero in the person of Pabuji flourished somewhere around 1325 A.D. He, as a hero god, is worshipped by his rural devotees as a savior of mankind and pastoral wealth.¹⁵ He was born in the Rathore clan in 1313 A.D. His father was Dhandhaji Rathore. His fearless nature became evident in childhood itself when he granted refuge to the seven Thori brothers from the atrocities of Ana Baghela. He died fighting for the protection of cows. Pabuji's high ideals include honoring womenfolk, protecting pastoral wealth and serving the weak and destitute. He was also a reformist and opposed untouchability in spirit and action. He has been hailed as the God of Camels. At the outbreak of diseases in camels, Pabuji's help is sought, and on the eradication of the disease. Pabuji's Phar is sung by Bhopas and Thoris. Pavade (ballads) have also been written in his praise.

Pabuji has a large number of myths surrounding his personality. He is said to have attacked Lanka and fought with Ravana, (Pabuji has been considered to be an incarnation of Laxman) for capturing back his camels.

“पाबूजी ने अपने वीरों को एकत्रित किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। रावण स्वयं अपनी सेना के साथ उपस्थित हुआ। रावण की सेना को उन्होंने गाज़र-मूली की तरह काट डाला एवं ऊंट प्राप्त कर लौटे।”¹⁶

When Pabuji died fighting with the Bhatias, the description is:

“पाबू के लिये स्वर्ग से विमान आया। तलवार की जीत जायल खींची की हुई और यश की जीत पाबूजी की।”

‘Pabuji Ki Pad’, is a painted scroll, where the legends of Pabuji are painted and the stories are told with the praise-songs.

“विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पिंगल भाषा में एक ‘पाबू-प्रकाश’ ग्रन्थ की रचना हुई – बारहठ हड्डदान सांवल द्वारा – पाबू प्रकाश में अंतिम प्रकरण की समस्त कथावस्तु अनैतिहासिक एवं लोक-विश्वास पद्य आधारित कल्पना प्रसूत प्रसंगों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार आशिया मोडजी कृत ‘पाबूजी प्रकाश’ ग्रन्थ में अधिकांश ऐतिहासिक तथ्य होते हुए भी लोकनायक पाबूजी की जीवनी के साथ अनेक कल्पित प्रसंग जुड़ते चले गये।¹⁷

Harbuji: - Harbuji was the son of King Sankhla of Bhudela (Nagaur). He started living in Phalaudi after his father’s death, where inspired by Ramdevji, he shunned weapons and was baptized by Guru Balinathji. He is considered to be a forecaster and ‘Vachansiddha’, God-man. He had blessed Rao Jodha with a ‘Katar’ at the onset of his endeavor to liberate Mandore from the clutches of Mewar. Like Ramdevji, Harbuji was also an ardent aspirant. His fame is testified by the fact that after him, Phalaudi came to be known as Harbhajmal.¹⁸

Ramdevji: - The most popular folk deity of Rajasthan and beyond is Ramdevji. He was a Tanwar Rajput ruler of the fourteenth century and said to have had miraculous powers and one who devoted his life for the upliftment of the downtrodden and poor people of the society who were marginalized by the invaders. He is worshipped today by many social groups of India as Ishta-Devta. His followers believe him to be an incarnation of Lord Vishnu. His following includes Hindus, Muslims, Jains and Sikhs.

As per folk-lore, King Ajmal Tanwar, a descendant of Anagpal Tomar II of Delhi, was the ruler of Pokaran. His wife Rani Mainade was the daughter of the ruler of Jaisalmer. After his Puja at Dwarika temple, Ramdev was born. He was born in 1352 A.D. on Bhadava Shukla Dooj in V.S. 1409 at Pokaran. Ramdevji was married to Netalde, the daughter of Ralji Sodha of Amarkot. Ramdevji’s valour became evident at an early age, when he vanquished the cruel Bhairav and put an end to the atrocities he had committed on the inhabitants of Pokaran. He helped in the upliftment of the village

Runecha, which is now famous as Ramdevra. He worked for the social upliftment of the lower castes. Baba Ramdev took Samadhi on Bhadrapad Shukla Ekadashi, 1385 A.D., in V.S. 1442 at the age of 33. Dalibai, his ardent follower from Meghwal community, is also buried near his grave, who is said to have taken Samadhi, two days after Ramdevji.

Ramdevji is worshipped as a 'Pir' and his Jayanti is celebrated every year with zeal and festivities. It falls on the Beej or Dooj or Dwitiya of Shukla Paksha of Bhadrapada month of the Hindu Calendar. In Rajasthan, this day is observed as a public holiday and a fair is held at Ramdevra temple, where lakhs of devotees from all communities and religions take part and pay homage at the Samadhi.

Muslims venerate, Shri Ramdevji as 'Ramsa Pir'. He was said to have had miraculous healing powers and his fame reached far and wide. Legend has it that five Pirs from Mecca came to test Ramdevji powers. Ramdevji, after their initial welcome, asked them to share a meal. But they refused as they did not have their own bowls (they were in Mecca). On hearing this, Ramdevji smiled and soon the bowls were seen flying towards them. After being convinced of his abilities and powers they paid their homage to him and named him, 'Ramshah Pir'. Since, then, he is venerated by Muslims as Ramasa Pir. The five Pirs were so overwhelmed by his powers that they decided to stay with him and the Samadhis of these five are also near the Samadhi of Ramdevji.

Ramdevji was a believer in the equality of all human beings. He helped the down-trodden by granting them their wishes. He is the chief deity of the Meghwal community. Baba Ramdev is often depicted on a horseback and devotees offer him a horse made from cloth. The folk tale goes that young Ramdev wanted to play with a toy-horse. His father asked a toymaker to make a wooden horse and supplied him sandal-wood and cloth accordingly. The toymaker, however, misappropriated the material and handed over the toy-horse made from old rags. When Baba Ramdev sat on it, the horse flew away. The toy-maker was imprisoned. Shortly afterwards child Ramdev returned and accused the toy maker of cheating. He begged for forgiveness. Ramdevji forgave him and accepted the horse. Still today, wooden toy horses covered with cloth are among the most popular offerings at the temple dedicated to him.

24 Banis are considered as famous literature composed by Ramdevji. Many poets and followers like Harji Bhati, Raja Mansingh, Likhmanji Mali, Vijoji Sani, Hiranand Mali and Rani Rupande had composed Folklores on Baba Ramdev, which are still sung by his followers.

References

1. Benjamin A. Bolkin: A Treasury of American Folklore, Newyork, 1944, xxi.
2. Dan Ben Devos: Toward a Definition of Folklore in Content (The Journal of American Folklore, Vol. 84, No. 331, Toward a new Perspectives in Folklore (Jan.-Mar. 1971), p. 1.
3. Bascom: Verbal Art, "Journal of American Folklore, 68 (1995), p. 245-252.
4. Dan Ben Amos: Op. Cit., p. 6.
5. Ibid.
6. Ibid: p. 11.
7. D.C. Shukla: Spiritual Heritage of Rajasthan, p. 3, Book Treasure, Jodhpur, 1992
8. राजस्थानी साहित्य: परिचय-डॉ. सीताराम लालस, p. 257, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2013
9. Dr. G.N. Sharma: Rajasthan Through the Ages, p. 260, Rajasthan State Archives, Bikaner, 1990).
10. Early Chauhan Dynasties, page 327-328.
11. Parampara Vol., Rajasthani Gazal Sangraha, p. 60, Rajasthani Sodh Sansthan, Chaupasni, Jodhpur – ed. Vikramsingh Rathore
12. D.C. Shukla: Spiritual Heritage of Rajasthan, p. 4, Op.Cit.
13. डॉ. कृष्णबिहारी सहल – राजस्थानी लोक-गाथा कोष, पृ. 60-61, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर –2011
14. Dr. Gopinath Sharma: Social Life in Medieval Rajasthan, p. 256, Book Treasurer, Jodhpur 2011
15. Dr. G.N. Sharma: Social life in Medieval Rajasthan, page 256).
16. डॉ. कृष्णबिहारी सहल, राजस्थानी लोक-गाथा कोष, पृष्ठ 32)
17. डॉ. शक्तिनाथ कविया, डिंगल के ऐतिहासिक प्रबंध काव्य-संवत् - 1700 से 2000 वि.सं. – पृ. 0145, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 1997
18. D.C. Shukla: Spiritual Heritage of Rajasthan, p. 7

चिह्नित (आहत) मुद्राओं पर सूर्य के स्थान पर श्रीराम का अंकन (प्रचलन काल 600 ईसवी पूर्व से 200 ईसवी पूर्व) जफर उल्लाह खां

राजस्थान में रैंड, नगर (टोंक), विराटनगर (बैराठ), इस्माइलपुर, सांभर, जसन्दपुरा (जयपुर), नगरी (चित्तौड़), महवा देव जी (बूंदी), आहाड़ (उदयपुर), नोह (भरतपुर), गुरारा (सीकर) आदि विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक उत्खनन या संयोगवश घरों, खेतों में खुदाई करते समय भारतीय मुद्रा इतिहास के प्राचीनतम चिह्नित (आहत) लगभग 7180 सिक्के मिले हैं। यह चिह्न सिक्कों पर लिपि के विकास से पूर्व भाषा के रूप में टंकित किये जाते होंगे। पांच चिह्नों के समूह में प्रथम दो चिह्न केन्द्रीस सत्ता के प्रतीक चिह्न कहे जा सकते हैं। शेष चिह्न क्षेत्रीय मंत्री, टकसाल एवं धार्मिक के आधार पर परिवर्तित किये जाते रहे होंगे। चिह्नित मुद्राओं पर धार्मिक अभिव्यक्ति भी की गई है।

ग्राम मुरारा उपतहसील खण्डेला, जिला सीकर से 2744 चिह्नित (आहत) मुद्राएं मिली हैं, इनमें से लगभग 61 मुद्राओं पर बार्थी (वामांग) ओर से (3) देवी सीता, (2) भगवान् श्री राम एवं (1) श्री लक्ष्मण का अंकन है। राजस्थान के विभिन्न दफ्तीनों से इस प्रकार की 135 मुद्रा मिली है। भारत के अन्य क्षेत्रों के दफ्तीनों से इस प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हिन्दू धार्मिक मान्यता के अनुसार परम्परागत रूप से एवं प्राचीन काल से दो पुरुषों के साथ बार्थी (वामांग) हाथ की तरफ खड़ी महिला के अंकन को देवी सीता, भगवान् श्री राम एवं श्री लक्ष्मण के रूप में देखा व पहचाना जाता रहा है। इस प्रकार इन सिक्कों पर 'श्री मैन' में बीच की आकृति भगवान् श्री राम की है, इनके बार्थी हाथ की तरफ दो चोटियों अथवा तीन जूड़ों वाली आकृति देवी सीता की है, जो प्रत्येक सिक्के पर श्री राम के वामांग पर ही दर्शायी गयी है। राजस्थान के विभिन्न दफ्तीनों से मिले 7180 चिह्नित (आहत) सिक्कों में 135 मुद्राएं श्री लक्ष्मण, भगवान् श्री राम एवं देवी सीता मौजूद हैं। इस प्रकार की मुद्राएं दक्षिण क्षेत्र से मिले अमरावती हॉर्ड में भी मिली है। इस प्रकार की मुद्राएं समस्त भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से मिली हैं।

लगभग 300 से अधिक अलग-अलग प्रकार के चिह्नित (आहत) सिक्कों की पहचान हो चुकी है। इन सभी प्रकार के सिक्कों पर सूर्य के चिह्न का अंकन मिलता है, लेकिन भगवान् श्री राम (तीन मानव आकृतियों) के अंकन वाले 9 प्रकार

के चिह्नित (आहत) सिक्कों पर सूर्य का अंकन नहीं है। इन सिक्कों पर सूर्य के स्थान पर भगवान् श्री राम का अंकन है। क्योंकि भगवान् श्री राम स्वयं सूर्यवंशी थे। इसलिए श्री राम के अंकन वाली मुद्राओं पर सूर्य का अंकन 9 प्रकार के चिह्नित (आहत) सिक्कों पर नहीं किया गया है।

अग्रानुसार तालिका संख्या प्रथम में प्रथम तीन चिह्न क्रमांक संख्या (1) (2) (3) लक्ष्मण, राम एवं सीता के हैं। शेष दो चिह्न क्रमांक संख्या (4) व (5) प्रत्येक नौ प्रकार के सिक्कों पर अलग-अलग अंकित हैं। इन नौ प्रकार की मुद्राओं पर (1) (2) (3) लक्ष्मण, राम एवं सीता के स्थान पर उनके सम्मुख तालिका संख्या द्वितीय में क्रमांक संख्या (1) (2) (3) पर षड्रचक्र, सूर्य एवं तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्रमा का अंकन किया गया है।

अग्रानुसार दोनों तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि सूर्य के स्थान पर श्रीराम का चिह्न आठ प्रकार की मुद्राओं पर अंकन हुआ है। उक्त 9 प्रकार की मुद्राओं को छोड़कर शेष अन्य सभी प्रकार चिह्नित मुद्राओं पर सूर्य का चिह्न आवश्यक रूप से मिलता है। इस प्रकार की सूर्य के अंकन वाली 300 से अधिक चिह्नित (आहत) मुद्राओं की पहचान हो चुकी है। राजस्थान से प्राप्त 223 प्रकार की चिह्नित मुद्राओं पर सूर्य के अंकन का अध्ययन किया जा सकता है।

सिक्कों पर देवी देवताओं का अंकन विश्व स्तर पर अति प्राचीन काल से ही देखा जा सकता है। प्राचीनकाल के ग्रीक सिक्कों पर अपोलो, ज्यूस, एंथेना 1* आदि देवी देवताओं का अंकन कर धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की गयी है।

कृष्णकालीन सिक्कों पर हेलिऑस, मीरो, माओ, एथशो, नाना 2* आदि देवी देवताओं को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को मुद्रा इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दण्डधर प्रकार की मुद्राओं के अग्रभाग पर राजा को अग्निवेदिका 3* में आहुति देते हुए दर्शाया गया है। गुप्तकाल की मुद्राओं के पृष्ठभाग पर देवी 4* (लक्ष्मी), कार्तिकेय 5* देवता आदि का अंकन मिलता है। इण्डो-ससैनियन सिक्कों के पृष्ठभाग पर अग्निवेदिका 6* का अंकन किया गया है। प्रतिहार शासकों ने आदि वराह के सिक्कों का प्रचलन कराया। गांगेयदव प्रकार के सिक्कों पर चतुर्भुजी पद्मासन लक्ष्मी का अंकन किया गया। अश्वारोही एवं वृषभ प्रकार के सिक्कों पर नन्दी को दर्शाया गया है।

केन्द्रीय सत्ता की टकसालों के चिह्नित (आहत) सिक्के प्रारम्भिक काल में पतले व बड़े आकार के हुआ करते होंगे। केन्द्रीय सत्ता से दूर-दराज की टकसालों में सिक्के बनाने की सुविधा कम होने के फलस्वरूप सिक्कों का आकार छोटा एवं मोटा





































रहा होगा। केन्द्रीय टकसालों के सिक्के पतले एवं बड़े आकार तथा केन्द्रीय सत्ता से दूर-दराज की टकसालों के सिक्के मोटे एवं छोटे आकार के होने के बावजूद इन सभी सिक्कों का वजन 3.5 ग्राम के लगभग ही रहा है—

निम्नांकित तालिका में (1) लक्ष्मण, (2) राम एवं (3) सीता के स्थान पर (1) षड्चक्र, (2) सूर्य एवं (3) तीन पहाड़ियों पर अर्द्धचन्द्र को दर्शाया गया है। नौ प्रकार के सिक्कों पर अन्य दो चिह्न एक समान रखे गये हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन निम्न प्रकार है—


तालिका क्रमांक- संख्या (अक्षर-)	गणित का चक्र- विवरण	गणित का चक्र- विवरण
1.	1. लक्ष्मण (2) सूर्य (3) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (4) लक्ष्मण (5) राम (6) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (7) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	गणित का चक्र- विवरण
2.	2. लक्ष्मण (3) सूर्य (4) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (5) लक्ष्मण (6) राम (7) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (8) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	2. सूर्य
3.	3. लक्ष्मण (4) सूर्य (5) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (6) लक्ष्मण (7) राम (8) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (9) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	3. सूर्य
4.	4. लक्ष्मण (5) सूर्य (6) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (7) लक्ष्मण (8) राम (9) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (10) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	4. सूर्य
5.	5. लक्ष्मण (6) सूर्य (7) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (8) लक्ष्मण (9) राम (10) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (11) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	5. सूर्य
6.	6. लक्ष्मण (7) सूर्य (8) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (9) लक्ष्मण (10) राम (11) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (12) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	6. सूर्य
7.	7. लक्ष्मण (8) सूर्य (9) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (10) लक्ष्मण (11) राम (12) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (13) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	7. सूर्य
8.	8. लक्ष्मण (9) सूर्य (10) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (11) लक्ष्मण (12) राम (13) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (14) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	8. सूर्य
9.	9. लक्ष्मण (10) सूर्य (11) तीन पहाड़ियों पर अर्द्ध चन्द्र का स्थान पर (12) लक्ष्मण (13) राम (14) सीता (अर्द्धचन्द्र) के स्थान पर (15) नौ प्रकार के चिह्नों में एक चक्र का चिह्न है।	9. सूर्य

एक दोनो तालिकाओं से स्पष्ट है कि चिह्नित मुद्राओं में सूर्य (2) के स्थान पर अंकन (2) का ही अंकन किया गया है।







उक्त दोनों तालिकाओं के अनुसार चिह्नित मुद्राओं पर सूर्य के स्थान पर श्रीराम का अंकन अग्रानुसार किया गया है तथा इन मुद्राओं पर शेष चिह्न क्रमांक (4) व (5) उक्त दोनों तालिकाओं के अनुसार एक समान है—

पलक 1 / पारिष्ठा प्रथम मन्-म म्मम	पलक 2 / पारिष्ठा द्वितीय मन्-म म्मम
(1) (1)  (1) 	(1) (1)  (1) 
(2) (2)  (2) 	(2) (2)  (2) 
(3) (3)  (3) 	(3) (3)  (3) 
(4) (4)  (4) 	(4) (4)  (4) 
(5) (5)  (5) 	(5) (5)  (5) 
(6) (6)  (6) 	(6) (6)  (6) 
(7) (7)  (7) 	(7) (7)  (7) 
(8) (8)  (8) 	(8) (8)  (8) 
(9) (9)  (9) 	(9) (9)  (9) 


चिह्नित मुद्राओं पर श्री लक्ष्मण, श्री राम एवं देवी सीता का अंकन अग्रानुसार है—




मौर्यकालीन इण्डो-ससैनियन मुद्राओं पर अंकित मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि कि अक्षरों का वर्गीकरण

सिकका क्रमांक संख्या (230) एवं फलक- 12 :
ब्राह्मी लिपि का ऌ (स) एवं ऎ (ज) 
सिकका क्रमांक संख्या (231) एवं फलक- 13 :
ब्राह्मी लिपि का ऋ (स) एवं ॠ (ज) 
सिकका क्रमांक संख्या (232) एवं फलक- 14 :
ब्राह्मी लिपि का ऌ (स) एवं ऎ (ज) 
सिकका क्रमांक संख्या (233) एवं फलक- 15 :
ब्राह्मी लिपि का ऋ (स) एवं ॠ (ज) 
सिकका क्रमांक संख्या (234) एवं फलक- 16 :
ब्राह्मी लिपि का ऌ (स) एवं ऎ (ज) 
सिकका क्रमांक संख्या (235) एवं फलक- 17 :
ब्राह्मी लिपि का ऋ (स) एवं ॠ (ज) 

सिकका क्रमांक संख्या (234) एवं फलक- 12):

ब्राह्मी लिपि का ऌ (स) एवं ऎ (ज) 


सिकका क्रमांक संख्या (235) एवं फलक- 17):

ब्राह्मी लिपि का ऋ (स) एवं ॠ (ज) 

सिकका क्रमांक संख्या (238) एवं फलक- 16 :

ब्राह्मी लिपि का ऌ (स) एवं ऎ (ह) 

(1) मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की लम्बाई एवं चौड़ाई कम रहती थी। इण्डो-ससैनियन मुद्राओं पर अध्ययन उपरान्त यथास्थान एक-एक ब्राह्मी लिपि का अक्षर अग्रानुसार अंकित मिलता है। ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर मौर्यकाल के हैं। (J.N.S.I. के अंक संख्या LXVII 2005) –



(2) इण्डो-ससैनियन मुद्राओं पर अग्निवेदिका के दोनों ओर अंकित महिलाओं के हाथ व अंगुलियों की बनावट और चिह्नित (आहत) मुद्राओं पर अंकित मानव-आकृति के हाथ व अंगुलियों की बनावट में निम्नानुसार एकरूपता एवं समानता है। (इण्डो-ससैनियन सिक्का क्रम संख्या 226 से 238 देखें तथा चिह्नित (आहत) सिक्का क्रम संख्या 209 से 219 देखें)

1880-81 (1880-81) 2000-01 (2000-01) 2000-01 (2000-01)




1880-81 (1880-81) 2000-01 (2000-01) 2000-01 (2000-01)




1880-81 (1880-81) 2000-01 (2000-01) 2000-01 (2000-01)



1880-81 (1880-81) 2000-01 (2000-01) 2000-01 (2000-01)





(3) ग्राम-कासिन्द्रा, जिला-सिरोही से दो घड़ों में लगभग 94 हजार मुद्राएं एक साथ मिली है। यह एक वृहद् साम्राज्यवादी सम्राट की मुद्राएं हैं। इस प्रकार की मुद्राएं भारतवर्ष के बड़े भू-भाग पर मिलती हैं। इन्हें आमभाषा में गैधेया सिक्का कहा जाता है। सिक्का क्रमांक संख्या 241 से 246 देखें।


अग्रभाग

पृष्ठभाग




(3) मुद्रा के पृष्ठ भाग पर लंगोटधारी घुड़सवार एवं लंगोटधारी दो सैनिकों का तलवार से युद्धरत अंकन किया है। ये साधारण पहनावे के साथ मौर्य काल के प्रमुख आयुध तलवार एवं धनुष को मुद्रा पर अंकित किया जाना भी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सिक्का क्रमांक संख्या 247 से 255 देखें।

अग्रभाग



सम्राट के लक्ष्मिण के चित्र समान रूप से प्रचुरता/वृद्धता का प्रतीक है। प्रथम अक्षर के 'कु' से लंबे व अक्षर के लंबे अक्षर 'स' से 'सि' तक अक्षरों के बीच में अक्षर-संख्या-1 से 247 तक।

सम्राट के लक्ष्मिण के चित्र समान रूप से प्रचुरता/वृद्धता का प्रतीक है।



पूर्वमध्ययुगीन राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था के विविध पक्षों का पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत आधारित मूल्यांकन

डॉ. अरविन्द परिहार

पूर्वमध्ययुगीन राजस्थान को यहाँ की प्रमुख राजपूत रियासतें भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं। यह युग पूर्वगामी क्लासिकी संस्कृति तथा उत्तरकालीन मुस्लिम प्रभुत्व वाले युग-दोनों पर प्रकाश डालता है अर्थात् इस काल में क्लासिकी परम्पराओं के धीरे-धीरे विलुप्त होने और मध्ययुगीन परम्पराओं के धीरे-धीरे उदित तथा विकसित होने के चिह्न देखने को मिलते हैं।

इस समय राजपूत राजवंशों के प्रभुत्व में सामन्तवाद का बढ़ता प्रभाव इतिहासकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि यह एक बहुपक्षीय व्यवस्था थी जिसने एक ओर प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था को रूपान्तरित किया तो दूसरी ओर प्रदेश के आर्थिक-सामाजिक जीवन को नवीन रूप भी दिया। सामान्यतया कतिपय क्षेत्रों में यह भ्रान्ति रही है कि पूर्वमध्ययुगीन राजस्थान में किसी सशक्त केन्द्रीय सत्ता के अभाव से उत्पन्न अराजकता एवं सामन्तवादी व्यवस्था ने प्रदेश के व्यापार-वाणिज्य तथा सामाजिक व्यवस्था को अवरुद्ध करा दिया, परन्तु विभिन्न स्रोतों से ज्ञात तथ्यों के आधार पर उपरोक्त अवधारणा को अस्वीकार करना ही तत्कालीन इतिहास के साथ न्याय संगत होगा क्योंकि तत्कालीन पुरातात्विक स्रोतों, जैन साहित्य, स्मृतियों के टीकाकारों, अरब यात्रियों के वर्णन से मिली जानकारी के आधार पर इस नकारात्मक मान्यता पर पुनर्विचार वांछनीय हो गया है।

इस युग की उपलब्धियों के लिये आवश्यक शक्ति और सुव्यवस्था जिन शासकों ने प्रस्तुत की, उनका अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन शासकों के काल में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिल्प, स्वायत्तशासी श्रेणी संगठन तथा ग्रामीण व्यवस्थाएँ अवरुद्ध नहीं हुई बल्कि मंथर गति से चलती रही तथा अनेक कमजोरियों के बावजूद समाज का कोई भी क्षेत्र महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। यद्यपि तत्कालीन समाज के निचले वर्ग की स्थिति अवश्य निराशाजनक कही जा सकती है।

भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में यदि तत्कालीन राजस्थान की स्थिति देखें तो यह ज्ञात होता है कि इस समय अरावली पर्वतमाला से विभाजित राजपूताना मुख्यतः दो

भागों में विभाजित प्रतीत होता है। पूर्वी भाग जंगलों, वनस्पतियों व प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न होने के कारण कृषि एवं वाणिज्य की दृष्टि से सम्पन्न था जबकि पश्चिमी भाग पंजाब, गुजरात तक फैला था तथा वर्षा के अभाव में प्रायः रेतीला व सूखा रहता था। इस भू-भाग पर पानी की सुविधानुसार मानव बस्तियां बसी थी जो आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी व अविकसित कही जा सकती है। इस युगीन राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मुख्यतः साहित्यिक ग्रन्थों एवं पुरातात्विक सामग्री से प्राप्त होती है।

तत्कालीन राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था में चार वर्ण एवं आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इस समय वर्णों में भेद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, साथ ही पेशे एवं स्थान विशेष के विचार से ऊँच-नीच की भावना भी दिखायी देती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार अन्य ब्राह्मणों से भिन्न थे।¹ भोजक ब्राह्मणों से अन्य ब्राह्मण कम ही सम्पर्क रखते थे।² अध्ययन एवं अध्यापन में नगर तथा भीनमाल के ब्राह्मण ऊँचा स्थान रखते थे।³ नाडोल, जालोर, चन्द्रावती गोड़वाड़ा इत्यादि स्थानों पर जैन प्रभाव होने के कारण ब्राह्मणों को कम महत्व दिया जाता था।⁴ प्राचीन क्षत्रियों का दायित्व इस युग के राजपूत वंश निभा रहे थे। इन राजपूत राजवंशों में प्रतिहार, चौहान, परमार, गुहिल, सोलंकी, राठौड़, भाटी इत्यादि प्रमुख थे और इनकी उत्पत्ति पर विभिन्न मत प्रतिपादित किये गये थे।⁵ वैश्य वर्ण ने व्यापार, वाणिज्य, लेन-देन या कृषि कार्य अपना लिया था। वैश्य जातियां अपनी समृद्धि के लिये प्रसिद्ध थी। विमलशाह, वस्तुपाल, तेजपाल अपनी समृद्धि व राज्य सेवा के लिये विख्यात थे।⁶ कथाकोष-प्रबन्ध-देशीनाममाला ग्रन्थों के आधार पर दस्तकारी व खेती में लगी कुछ जातियां शूद्रों की श्रेणी में आती थी। इनमें कुम्हार, माली, तम्बोली, तेली, नाई, लुहार, खाती, सुनार, ठठेरा, दर्जी, गडरिया, आभीर मुख्य थी। इनमें विधवा एवं बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। समाज में इनकी स्थिति अधिक शोचनीय नहीं थी।⁷ चार वर्णों के अलावा भील, डोम, मच्छीमार, व्याध, धोबी, चिड़ीमार, मातंग, चाण्डाल, नट, जुलाहे, चमार जिन्हें अधम और अधमाधम कहा गया है, अंत्यज श्रेणी में आते थे। इनकी बस्तियां गांवों के किनारे या गांव के बाहर होती थी। समाज में इनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय होती थी।⁸ इस काल में मलेच्छों का भी उल्लेख मिलता है जिनका कोई धर्म नहीं होता था और वे हत्या, चोरी, डकैती, अधार्मिक कार्य करते थे।⁹ इसी कारण इस काल में विदेशों से आने वाली सभी जातियों को मलेच्छ की संज्ञा दी गई थी। समाज में महिलाओं का स्थान अधिक सम्मानजनक नहीं था। अधिक संख्या में पुत्रियों का होना नरक के समान माना जाता था।¹⁰ एक से अधिक स्त्रियां रखना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। अनुलोम, प्रतिलोम विवाहों का प्रचलन नहीं था लेकिन इनके उदाहरणों का अभाव भी नहीं मिलता। इस युग में

सती के कई उदाहरण मिलते हैं तथा पुनर्विवाह, नियोग, विमाता से पैदा होने वाले दोषों का भी जिक्र मिलता है।¹¹ विधवाओं का सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं था।¹² वे आभूषण एवं स्त्रीधन की अधिकारिणी होती थी। पुरुष कुण्डल, मुकुट, हार, पगड़ी, धोती, अंगरखी, दुपट्टे तथा स्त्रियां कुण्डल, हार, बाजूबन्द, नुपुर, माला, चूड़ारत्न, शंख, गंजा, साड़ी, स्तनपट्ट तथा सस्ती धातुओं के आभूषणों का प्रयोग करती थी।¹³

पूर्वमध्यकालीन राजस्थान के भू-भाग में वास्तुकला तथा तक्षण कला को प्रोत्साहन मिला। यह कला सतत संघर्ष एवं युद्धों के वातावरण में भी पनपती रही। इस काल में बने राजप्रासादों, मन्दिरों, नगरों में सैन्य, स्थापत्य, सुरक्षा उपायों की प्रधानता देखी जा सकती है। इस काल के शिल्पी धार्मिक भावना व प्रेम की अभिव्यक्ति से भी प्रभावित थे।¹⁴ सुरक्षा की दृष्टि से से दुर्गों का निर्माण किया गया, जिसकी विशेषता राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाये हुए थी। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य के मन्दिर बने, जिनमें बल शौर्य का सामंजस्य प्रगाढ़ रूप से दिखायी देता है। इसके साथ ही गुप्तकालीन तक्षणकला की परम्परा भी जारी रही व मन्दिरों में धार्मिक विषय प्रधान स्थान पर रहे। जैन धर्म से सम्बन्धित मन्दिर भी बनाये गये। किराडु, आबू, चित्तौड़, मेनाल, डबोक, अमझेरा, बाडोली, अम्बानेरी, अरण्यवासिनी, कुण्डाग्राम, जगत इत्यादि स्थानों पर मुख्यतः मन्दिरों का निर्माण किया गया। इस काल की सौन्दर्य व आध्यात्मिक चेतना ने मूर्तिकला के साथ ही देवालय निर्माण योजनाओं को भी प्रभावित किया।

सामाजिक व धार्मिक पर्वों में देवशयनी एकादशी, जन्माष्टमी, भीष्म पंचरात्रि, शिवरात्री, गौरी तृतीया, महानवमी, बसन्तोत्सव प्रमुख रूप से मनाये जाते थे। इसके साथ ही रथ दौड़, नाच-गाना-बजाना, घुड़दौड़ मनोरंजन के साधन थे। गुजरीयात्रा, पीपोत्सव, रथायात्रा, मुख्यतया जैन समुदाय में प्रचलित थे।¹⁵

इस काल में वैदिक, पौराणिक व जैन धर्म का प्रभाव रहा।¹⁶ संस्कृत व भाषा साहित्य ने काफी प्रगति कर ली थी। संस्कृत के गद्य व पद्य लिखने का स्तर काफी ऊँचा था तथा शिक्षा उच्च समुदाय तक सन्तोषजनक स्थिति में थी। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ एक सुसंस्कृत शासक था तथा विद्या के प्रचार में संलग्न रहा। उसका विरुद्ध 'कवि बान्धव' था। कवि सोमदेव ने 'ललित विग्रहराज' लिखकर चौहानकालीन काव्य प्रतिभा को विकसित किया। पौराणिक व कथा साहित्य की दृष्टि से जैन विद्वानों की कथाकोष प्रकरण, जम्बूस्वामी चरित्र, कुवलयमाला, प्रबन्धकोष, पुरातन प्रबन्ध संग्रह, समराइच्छकथा, उपमितिभाव प्रपंच कथा, वृहत् कथा कोष, कीर्ति कौमुदी आदि ग्रन्थ इस काल की सुन्दर रचनाओं में स्थान रखते हैं। सरकारी लेखों एवं सिक्कों में बहुधा संस्कृत व स्थानीय भाषा का प्रयोग होता था। 10वीं एवं 12वीं सदी के समय की बहुत सारी कविताएँ व ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है। इस क्रम में

जयानक का 'पृथ्वीराज विजय' चौहान इतिहास को 12वीं सदी तक दर्शाता है। चन्दवरदाई का 'पृथ्वीराज रासो', में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय व दिल्ली-अजमेर के शासन का उल्लेख मिलता है उदयपुर प्रशास्ति में वाक्पति मुन्ज द्वितीय की साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है।¹⁷ इसी तरह परमार शासक महान भोज की कई साहित्यिक कृतियों का उल्लेख मिलता है।¹⁸ विदेशी वृतान्त के अन्तर्गत चचनामा, तहकीक-ए-हिन्द, किताब-जैनुल-अखबार, तारीखी-यामिनी, तारीख-ई-फरिश्ता इत्यादि ग्रन्थ उल्लेखनीय है। साहित्यिक कृतियों में सबसे बड़ी कमी यह पायी जाती है कि अधिकांश लेखक तत्कालीन राजा या अपने संरक्षक का हितैषी या चापलूस जान पड़ता है। जिसके कारण स्वतन्त्र, सत्य व निर्भीक जानकारियों का अभाव रहा। अतः इन ग्रन्थों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से ही इनकी उपयोगिता सिद्ध होती है।

इस प्रकार परमार, चालुक्य, चौहान, गुहिल, कलचुरी, चन्देल, गहड़वाल इत्यादि राजवंशों की राजनीतिक प्रवृत्तियां, विशेषताएँ उनके उत्थान व पतन के रहस्य, उनकी संस्कृति, धार्मिक-आर्थिक क्रियाकलाप, मुसलमानों से पराजित होने तक स्पष्ट रूप से इतिहास के पन्नों पर यथावत व सम्यक् रूप से नहीं आ सके।

सन्दर्भ

1. नाहर, जैन लेख संग्रह (जै.ले.सं.) भाग प्रथम, पृ. 198
2. दशरथ शर्मा, रा.भू.ए., भाग प्रथम पृ. 444
3. जिनेश्वर कथाकोष प्रकरण, कथा संख्या - 32
4. गोपीनाथ शर्मा, सं. राज. स्टडीज, जयपुर, 1965-66, पृ. 1-10
5. दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 438-439
6. कुवलयमाला, पृ. 65; दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 433-36
7. कुवलयमाला, पृ. 40; दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 429-32
8. कुवलयमाला, पृ. 136; दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 427-429
9. उपमिति, पृ. 698; ज्ञानपंचमीकथा, 4, 72
10. उपमिति, पृ. 332; पुरातनप्रबन्ध, 89
11. दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 466-67
12. वही, पृ. 462-65; कुवलयमाला, पृ. 7, 27, 231
13. गोपीनाथ शर्मा, निबन्ध संग्रह राज., पृ. 89-111
14. दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 468-471; राज. भारती, भाग-6 पृ. 3-8; उपमिति, पृ. 181, 362, 390, 397
15. दशरथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 414-26
16. बी.जी. (बॉ.ग.) जि. प्रथम, भाग प्रथम, पृ. 78-79
17. इ.आई., भाग 8 पृ. 235
18. डी.सी. गांगुली, परमार राज्य का इतिहास, पृ. 200

सूत्रधार मण्डन द्वारा प्रस्तुत सरस्वती के द्वादश स्वरूपों का विवेचन

डॉ. दिनेश कुमार

पन्द्रहवीं शताब्दी ईस्वी में मेवाड़ के प्रसिद्ध सूत्रधार मण्डन द्वारा प्रस्तुत अनेक वास्तु एवं शिल्प ग्रंथ आज भी कला-मर्मज्ञों, विद्यार्थियों एवं शिल्पियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।¹ 'राज वल्लभ' (मण्डन की एक रचना) से ज्ञात होता है कि सूत्रधार मण्डन मेवाड़ नरेश कुम्भकर्ण (महाराणा कुम्भा-1433-1468 ई.) के आश्रित और उनके प्रिय पात्र थे।² महाराणा कुम्भकर्ण ने मण्डन के लिए दान आदि की व्यवस्था की थी³ तथा शिल्प-विषयक कृतियों के लिए उन्हें निरन्तर पुरस्कृत किया जाता रहा। शिल्प शास्त्रीय विद्वता के साथ ही पुरस्कृत होने की कामना भी मण्डन द्वारा विभिन्न शिल्प-ग्रंथों के प्रणयन का कारण रहा होगा। मण्डन द्वारा अपने एक ग्रंथ को कई नामों से प्रस्तुत करना निश्चित रूप से इसी तथ्य का संकेत है। 'राज वल्लभ' 'राज वल्लभ वास्तुशास्त्र' तथा 'राज वल्लभ मण्डन' एक ही ग्रंथ के भिन्न-भिन्न नाम हैं।⁴ इसी प्रकार 'देवता मूर्ति प्रकरण' एवं 'रूपावतार' भी एक ही ग्रंथ के दो नाम हैं।⁵

मण्डन के ग्रंथों में मत्स्य पुराण से लेकर अपराजित पृच्छा के साथ ही हेमाद्रि एवं गोपाल भट्ट के संकलनों का व्यापक प्रभाव है।⁶ विभिन्न शिल्प-परम्पराओं की स्वीकृति से मण्डन के ग्रंथों की उपादेयता में निस्संदेह वृद्धि हुई, किन्तु इससे मण्डन के ग्रंथों के अनेक स्थल अन्तर्विरोधी विवरणों से ग्रस्त भी हो गये। इस तथ्य का साक्षात् दर्शन 'देवता मूर्ति प्रकरण' में प्रस्तुत सरस्वती के विभिन्न स्वरूपों के विवरण के विवेचन से स्वतः हो जाता है।⁷ इस ग्रंथ में विभिन्न लांक्ष्णों से युक्त सरस्वती के द्वादश स्वरूपों की कल्पना की गयी है। मण्डन के उपर्युक्त विवरण में सरस्वती के द्वादश स्वरूप-महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, महाधेनु, वेदगर्भा, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली तथा सहासरस्वती हैं।⁸ मण्डन द्वारा प्रस्तुत सरस्वती के द्वादश स्वरूपों की कल्पना 'दुर्गा सप्तशती' के अन्तर्गत 'प्राधानिक रहस्य' में उल्लिखित सरस्वती के दस स्वरूपों की सूची पर आधारित स्वीकृत की जा चुकी है।⁹ 'प्राधानिक रहस्य' के इस प्रसंग में कहा गया है कि आदि शक्ति महालक्ष्मी ने अत्यन्त शुद्ध सत्व गुण से युक्त दूसरा रूप धारण किया, जो अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक से युक्त था तथा जिसे महालक्ष्मी ने-महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी आदि (दस) नाम प्रदान किये।¹⁰ 'देवता मूर्ति

प्रकरण' में प्रस्तुत सरस्वती के द्वादश स्वरूपों में अन्तिम तीन नाम-महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती के अतिरिक्त प्रारम्भ के नौ नाम प्राधानिक रहस्य में वर्णित सरस्वती के दस नामों से यथावत् उद्धृत हैं।

देवता मूर्ति प्रकरण के द्वादश उपर्युक्त उल्लेख में प्रस्तुत सरस्वती के द्वादश स्वरूपों में अन्तिम नाम महासरस्वती से तो सरस्वती का साम्य स्पष्ट भी होता है,¹¹ किन्तु मण्डन की इस पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी धार्मिक अथवा धर्मोत्तर ग्रंथ में महालक्ष्मी तथा महाकाली नाम सरस्वती के अभिप्राय में प्रयुक्त नहीं हुए हैं।¹² देवतामूर्ति प्रकरण में उल्लिखित सरस्वती के उपर्युक्त द्वादश स्वरूपों का विवरण प्रस्तुत करने में लेखक ने प्राधानिक रहस्य का अनुकरण तो किया, किन्तु शीघ्रता में किये गये इसके त्रुटिपूर्ण पाठ के कारण महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती नाम भी देवी सरस्वती के स्वरूपों के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया। यह तथ्य 'प्राधानिक रहस्य' के मूल पाठ को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है—

*अक्षमालां कुशधरा वीणा पुस्तक धारिणी
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ।(15)
महा विद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती
आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी।(16)
अथो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम्
युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः।(17)¹³*

'प्राधानिक रहस्य' के उपर्युक्त श्लोक संख्या 15 में सरस्वती के सामान्य लक्षणों का वर्णन तथा श्लोक संख्या 16 में देवी के लिए प्रदत्त दसों नामों के उल्लेख के पश्चात श्लोक संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है कि 'तदन्तर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा—देवियों! तुम दोनों अपने-अपने गुणों के योग्य स्त्री-पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो।'¹⁴ प्राधानिक रहस्य के श्लोक संख्या 16 में सरस्वती के दस नामों से 'वाक्' को हटा कर शेष नौ नाम तथा श्लोक संख्या 17 की प्रथम पंक्ति 'अथो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम्' से इसी क्रम में महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती को यथावत् 'देवता मूर्ति प्रकरण' में लेकर सरस्वती के द्वादश स्वरूपों को प्रस्तुत कर दिया गया। यद्यपि प्राधानिक रहस्य के श्लोक संख्या 17 की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती शब्द अन्य सन्दर्भों में प्रयुक्त हुए हैं।¹⁵ 'प्राधानिक रहस्य' में उल्लिखित सरस्वती के चतुर्थ स्वरूप 'वाक्'¹⁶ का उल्लेख देवतामूर्ति प्रकरण में नहीं हुआ है। इसका कारण 'महावाणी' तथा 'वाक्' के अर्थों में साम्य रहा होगा। इसके अतिरिक्त यदि महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती के साथ ही 'वाक्' का भी उल्लेख मण्डन के ग्रंथ में हुआ होता तो देवी के स्वरूपों की संख्या तेरह हो जाती। इसीलिए 'वाक्' का उल्लेख न कर मण्डन ने

सरस्वती के स्वरूपों की संख्या द्वादश ही रखी। 'दीपार्णन' में भी सरस्वती के द्वादश स्वरूपों की कल्पना की जा चुकी थी।¹⁷

प्राधानिक रहस्य में आठवें क्रम में सरस्वती के कामधेनु स्वरूप का उल्लेख है,¹⁸ जिसे देवता मूर्ति प्रकरण में सातवें क्रम के अन्तर्गत महाधेनु कहा गया है।¹⁹ शतपथ ब्राह्मण में सरस्वती के समृद्धिदात्री स्वरूप का उल्लेख है।²⁰ सरस्वती का यही स्वरूप उपनिषदों के काल तक विकसित होकर अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली कामधेनु के तुल्य स्वीकृत किया गया।²¹ वायु पुराण में प्रज्ञा के रूप में स्वीकृत बुद्धि की देवी²² के धीश्वरी स्वरूप का उल्लेख प्राधानिक रहस्य में दसवें क्रम में है। इसके त्रुटिपूर्ण पाठ के कारण ही देवता मूर्ति प्रकरण में सरस्वती के इस स्वरूप को 'ईश्वरी' नाम से नवें क्रम में प्रस्तुत किया गया है।²³

मण्डन के शिल्प ग्रंथों का समुचित प्रकाशन सम्भव हो सकने से अन्य शिल्पशास्त्रियों की तुलना में उसे अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो सकी। इसी आधार पर आधुनिक विद्वानों में यह विश्वास दृढ़ हुआ कि समकालीन शिल्पियों ने मण्डन द्वारा स्थापित लाक्षणिक विवरणों का पालन किया²⁴ और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ का शिल्प मण्डन के विवरणों से अक्षरशः प्रभावित होकर शास्त्रीय प्रतिमानों में निबद्ध हुआ।²⁵ महाराणा कुम्भकर्ण द्वारा निर्मित चित्तौड़गढ़ की प्रमुख कृति कीर्ति-स्तम्भ में उत्कीर्ण प्रतिमाओं के विषय में तो यहां तक कहा गया है कि मण्डन के शिल्प-ग्रंथों में स्थापित प्रतिमानों का निर्वहन करते हुए इस स्तम्भ में उन्हें मूर्त रूप दिया गया।²⁶ मेवाड़ की शिल्प परम्परा के सम्यक् अध्ययन से यह तथ्य वस्तु स्थिति के पूर्णतः विपरीत सिद्ध होता है। मेवाड़ के जिन मंदिरों की निर्मित-प्रक्रिया मण्डन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सम्पन्न हुई, उनमें तो इस सूत्रधार के शिल्प-ग्रंथों में प्रस्तुत लाक्षणिकों को स्थान मिल सका, किन्तु मण्डन के समकालीन अन्य शिल्पशास्त्रियों द्वारा चित्तौड़गढ़ की ही और यहां तक कि कीर्ति-स्तम्भ की भी मूर्तियों के सृजन में उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणों को स्थान नहीं दिया गया। राजकीय सूत्रधार मण्डन द्वारा प्रस्तावित शिल्प मानदण्डों को उसके समकालीन मेवाड़ के शिल्पियों द्वारा ही महत्व न देना आश्चर्य का विषय है। वस्तुतः यहां के शिल्पियों ने मण्डन द्वारा वर्णित शिल्पगत लाक्षणिक विशेषताओं का अन्धानुकरण करने के स्थान पर पुराणों एवं मूल शास्त्रीय ग्रंथों में प्रस्तुत सम्बद्ध देवी-देवता के रूप गुण वैशिष्ट्य की प्रस्तुति में सहभागी लाक्षणिक विवरणों को ही स्वीकृत किया। चित्तौड़गढ़ में ही मण्डन के समय उत्कीर्ण सरस्वती की लगभग समस्त प्रतिमाओं के चतुर्थ कर मे कण्डलु लाक्षणिक²⁷ उन्हें मण्डन के विवरणों की अपेक्षा विष्णु धर्मोत्तर¹⁸ तथा अपराजित पृच्छा²⁹ के निकट सिद्ध करता है।

सन्दर्भ

1. रत्न चन्द्र अग्रवाल, 1958, मेवाड़ के कुशल सूत्रधार एवं प्रमुख शिल्पी, सम्मेलन पत्रिका, कला अंक, पृ. 287 प्रयाग

2. राजवल्लभ, 1948, मण्डन अध्याय 15, श्लोक 43, कलकत्ता
3. रत्न चन्द्र अग्रवाल, उपर्युक्त, पृ. 285
4. पंकज लता श्रीवास्तव, 1990, हिन्दू तथा जैन प्रतिमा विज्ञान, पृ. 8 वाराणसी
5. वही
6. बलराम श्रीवास्तव (वि.सं. 2021) रूप मण्डन, भूमिका, पृ. 14, वाराणसी
7. दिनेश कुमार, 1992 सरस्वती के विभिन्न स्वरूप एवं देवता मूर्ति प्रकरण, बुलेटिन ऑफ म्यूजियम एण्ड आर्क्योलॉजी इन यू.पी. अंक 49-50
8. देवता मूर्ति प्रकरण, 1936, अध्याय 8, श्लोक 79-85, कलकत्ता
9. बलराम श्रीवास्तव, उपर्युक्त, पृ. 86, पाद् टि. 4
10. दुर्गा सप्तशती, प्राधानिक रहस्य, श्लोक 15-16
11. सरस्वती का महासरस्वतित्व रूप वस्तुतः शक्ति का प्रतीक है। इन्द्र को शक्ति प्रदान करने वाली देवी (वाजसनेयी संहिता 19, 12) के इस रूप का पूर्ण विकास पुराणों में हुआ।
12. द्वादस सरस्वती की चर्चा में महालक्ष्मी तथा महाकाली स्वरूपों के विवरणों को बिना किसी सन्देह के यथावत् स्वीकृत करते हुए उनकी प्रतिमाओं के उदाहरण प्रस्तुत करने के प्रयास हुए हैं
13. दुर्गा सप्तशती, प्राधानिक रहस्य, श्लोक 15-17
14. वही, गीता प्रेस, पृ. 194
15. वही
16. वही, श्लोक 16
17. दीपार्णव 1960, 17, 1-15 सौराष्ट्र
18. दुर्गा सप्तशती, प्राधानिक रहस्य, श्लोक 16
19. देवता मूर्ति प्रकरण, 8, 83
20. शतपथ ब्राह्मण 1964, 11, 4, 3, 7; 11, 4, 3, 16 वाराणसी
21. सरस्वती रहस्योपनिषद् 8, 5-11
22. वायु पुराण, 1905, 2, 9, 90 पूना
23. देवता मूर्ति प्रकरण, 8, 84
24. यू.एन. डे, 1978 मेवाड़ अण्डर महाराणा कुम्भा, पृ. 114 नई दिल्ली
25. वही, पृ. 123
26. वही, पृ. 114
27. कुम्भा स्वामिन मन्दिर के प्रदक्षिणापथ में गर्भगृह की उत्तरी जंघा में तथा वेदीबंध में ही सरस्वती की नृत्य-मुद्रा में उत्कीर्ण प्रतिमाओं में ही देवी के चतुर्थ कर में स्थित कमण्डलु लांछन का अभाव मिलता है।
28. विष्णुधर्मोत्तर पुराण 3, 64, 1-3, पुस्तक, अक्षमाला, वीणा? एवं कमण्डलु युक्त चतुर्भुजी प्रतिमा तथा 3, 73, 25
29. अपराजित पृच्छा, 1950, 230, 14-15

सिद्ध संत जसनाथजी 1482 ई.-1506 ई.

डॉ. संतोष जैन एवं डॉ. तारा जैन

जसनाथजी का जन्म विक्रम संवत् 1539 (1482 ई.) में बीकानेर राज्य के कतरियासर नामक गांव में हुआ।¹ इनके माता पिता के बारे में निश्चित जानकारी का अभाव है। निःसन्तान हमीरजी और उनकी पत्नी रूपादे को ये जंगल में एक तालाब के किनारे मिले थे।² इनके बचपन का नाम जसवन्त था। 10 वर्ष की आयु में इनकी सगाई कर दी गई³ किन्तु इन्होंने विवाह नहीं किया और जीवन भर आत्मोद्धार तथा पर कल्याण के मार्ग पर चलते रहे। जनश्रुति के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा दी थी। जसनाथजी एक साधक एवं तपस्वी थे। बीकानेर से कुछ मील दूर गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। इन्हें विभिन्न सिद्धियां प्राप्त थीं। इनके चमत्कारों से केवल हिन्दू समुदाय ही नहीं वरन् एक ही दिन में 1500 हिन्दुओं की हत्या करने वाला दिल्ली का धर्मान्ध सुल्तान सिकन्दर लोदी भी प्रभावित हुआ।⁴ जसनाथी सम्प्रदाय के कथा प्रसंगों में सिकन्दर का सिद्ध जसनाथजी के दर्शनार्थ कतरियासर आना बताया जाता है। 24 वर्ष की आयु में 1506 ई. में कतरियासर में जसनाथजी ने जीवित समाधि ले ली।⁵ यहां वर्ष में तीन बार मेले लगते हैं।⁶ जसनाथजी का धर्म एवं दर्शन भक्ति तत्व से अनुप्राणित था। वे निर्गुण निराकार ईश्वर के भक्त थे।⁷ ईश्वर में उनकी अथाह आस्था थी। उनके अनुसार ईश्वर अगम, अनन्त, अगोचर, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, परम आनन्द स्वरूप है।⁸ यद्यपि संबोधन स्वरूप जसनाथजी की वाणियों में ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है किन्तु वे निराकार ओंकार तत्व से ही ईश्वर का साकार होना एवं सृष्टि की सृजनता का निर्धारण करते हैं,⁹ जिसकी उपासना के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। उन्होंने मूर्तिपूजा में अनास्था तथा निराकार ईश-उपासना में आस्था जाहिर की¹⁰—

हम दरवेश निरंजन जोगी, जुग जुग रा अगवाणी।

जसनाथजी ने जागतिक मोह एवं माया का पूर्णतया विरोध किया। उन्होंने संसार को नित्य परिवर्तनशील मानते हुए विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति तथा अभिमान न करने की चेतावनी दी।¹¹ संसार के मायाजाल एवं उसके प्रति मोह को भ्रम बताया। उनके अनुसार माटी की काया माटी में ही मिल जाएगी।¹² जसनाथजी गीता के कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके द्वारा दुष्कर्मियों की दुर्गति का, मृत्यु के पश्चात् यम के समक्ष पाप भोगते हुए वर्णन किया गया है। उन्हें विश्वास था कि कर्मों का फल सभी को अवश्य भुगतना पड़ता है।¹³

भक्ति की कल्पना भगवद् एवं भक्त के साथ गुरु के बिना अधूरी है। जसनाथजी ने भी अन्य संतों, सिद्धों के समान ही मुक्ति की राह में गुरु को पथ प्रदर्शक के रूप में अनिवार्य माना है। जांभोजी के अनुसार गुरु के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास के साथ गुरु के निर्देशों के पालन करने से ही आत्मज्ञान हो सकता है।¹⁴ किंवदन्ति है कि उन्होंने सिद्ध गोरखनाथ को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। उनकी साहित्यिक रचना सिंभुधड़ों में गोरखनाथ के यश का वर्णन है।¹⁵

निरन्तर नाम स्मरण की साधना के द्वारा आत्मोपलब्धि संभव है।¹⁶ जसनाथजी की ईश भक्ति में नाम-जप प्रमुख अंग के रूप में समाहित था। जांभोजी के समान जसनाथजी पर भी योग एवं रहस्यवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वे योग को ईश भक्ति का एक माध्यम मानते हैं।¹⁷ उन्होंने नाथ योगियों की बलि प्रथा, मांस-भक्षण, मदिरापान, शमशान वास आदि की निन्दा की।¹⁸ उन्होंने ऐसे लोगों के लिए नरक की प्राप्ति अवश्यंभावी बताई।

जसनाथी सम्प्रदाय¹⁹

जसनाथजी ने नैतिक मूल्यों पर आधारित 36 नियमों का निर्धारण कर एक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो जसनाथी सम्प्रदाय कहलाया।

इसके नियम²⁰ निम्नवत् हैं—

उत्तम कार्य करना, ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिससे स्व-धर्म का पालन होता हो, हिंसा न करना, स्वच्छतापूर्वक अच्छे विचारों को धारण करना, स्नान के उपरान्त भोजन करना, दोनों काल प्रातः एवं संध्या ईश्वर चिन्तन करना, शील, शौच, सन्तोष आदि का पालन करना, एक ईश्वर में विश्वास करना, हवन करना, उच्छिष्ट मुख से अग्नि में फूंक न देना, दूध व पानी को वस्त्र से छान कर पीना, भूमि-समाधि लेना, मोक्ष-प्राप्ति के मार्ग को ढूँढना, कन्या-विक्रय न करना, ब्याज-प्रति-ब्याज का परित्याग, धन के अनुपात में बीसवां हिस्सा धर्म-कार्य पर व्यय करना, मन, वचन से किसी की निन्दा न करना, धूम्रपान, लहसुन आदि का त्याग करना, किसी प्रकार का सौदा न करना, बैलों की खस्सी न करना तथा कसाई को पशु न बेचना, जीव-दया का पालन करना, पशु-शालाएं बनवाकर गौ, बकरे तथा भेड़ों की कसाई के हाथ से रक्षा करना, मन में दया और धर्म के प्रति निष्ठा रखना, विवाद न करना, घर पर आये अतिथि का सत्कार करना, चोरी आदि दुष्कर्मों का मन, वचन, कर्म से त्याग करना, रजस्वला स्त्री को दूर रखना, मदिरापान न करना, जन्म-मरण के दस दिन तक सूतक मानना, कुल-निन्दा न करना, मुख से भगवान शंकर का नाम-स्मरण तथा चित्त से उनका ध्यान करना, मांस न खाना, दुराचारियों के संग से बचना, सहिष्णु, क्षमाशील बनना, भांग, गांजा, चरस आदि न पीना, आश्रम में नियम से पक्षियों को चुग्गा-पानी देना।

उपरोक्त 36 नियम विशेषतः एक चारित्रिक आचार संहिता है जिसमें व्यक्ति एवं समाज के चरित्र निर्माण के प्रायः सभी तत्व मौजूद हैं जिनकी मध्ययुगीन हिन्दू सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए महत्ती आवश्यकता थी। भिन्न-भिन्न धर्मों के सिद्धांतों का समन्वय भी इसमें दृष्टिगत है। अहिंसा सिद्धांत जैन धर्म का तो स्नानादि उपक्रम, ईश्वर में विश्वास वैष्णव सम्प्रदाय, ब्याज त्याग-इस्लाम का तथा शंकर का नाम स्मरण आदि शैव धर्म से प्रभावित कहे जा सकते हैं। इस प्रकार जसनाथजी ने मोक्ष का सरल एवं व्यवहारिक उपाय प्रस्तुत किया इससे विशेष रूप से निम्न तबके के समाज को एक नवीन दिशा मिली। आज इनके अनुयायी कृषक, मजदूर, कारीगर एवं जाट लोग ही अधिक हैं।

भक्ति में संगीतिक पक्ष की प्राचीन भारतीय पद्धति एवं परम्परा मध्यकाल में राजस्थान में मीरा की भांति जसनाथी सम्प्रदाय की भी प्रधान अंग रही। जसनाथी भक्त सबद, वाणी आदि गाकर भक्ति में सरोबार होते हैं।²¹ इनके सिद्ध-नर्तकों द्वारा रात्रि जागरण में मंजीरे, मादल, नगाड़ों की ताल पर विशेष रूप से धमार की गायकी के साथ दहकते अंगारों पर किया जाने वाला अग्निनृत्य²² नाथ भक्ति का ही एक रूप है। इनके अनुयायियों में तीन गेय पद समूहों-जलम झालरो²³, सिद्धजी रो सिरलोको²⁴ एवं सिंभुधड़े²⁵ का बड़ा महत्व है। इन पदों को विशिष्ट प्रकार के लोक राग और लय में गाकर जसनाथ चरित्र वर्णन, भगवद्-माहात्म्य, गुरु-यश, ज्ञान और योग आदि के बखान द्वारा भक्ति-गंगा बहाई जाती है। यहां न तो किसी शास्त्र की जरूरत होती है और न किसी पंडित की, न ही किसी कर्मकाण्ड की और न ही विभिन्न प्रकारेण षोडशोपचारों की। यह भक्ति सामान्यजन के द्वारा सामान्यतन् के लिए थी। यद्यपि द्विज वर्ग भी इस तरफ आकर्षित हुआ एवं सम्प्रदाय के प्रति बड़ी आस्था रखने लगा।

कतरियासर धाम के ताम्रपत्र²⁶ से राज्य द्वारा समस्त जसनाथी सिद्धों को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों का परिचय मिलता है। इसमें भूमि दान एवं पैदावार पर सिद्धों के अधिकार का उल्लेख है। जसनाथी सिद्ध परम्परा के 17वीं सदी के आचार्य सिद्ध रूस्तमजी को बीकानेर महाराजा श्री अनूपसिंहजी द्वारा भूमि प्रदान करने के उल्लेख मिलते हैं।²⁷ धर्मान्ध मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा रूस्तमजी की सिद्धियों से प्रभावित हो उन्हें नगाड़े और भगवा ध्वज भरतखण्ड के चारों ओर बेरोक टोक बजाने और फहराने का कुरब बखशा गया।²⁸ उस समय की राजतंत्रीय व्यवस्था में बादशाह अथवा राजा महाराजाओं द्वारा किसी को इनायत किये बिना कोई भी प्रजातन दो नगाड़े और अपना निजी ध्वज नहीं रख सकता था। उस समय साधारण प्रजा के लिए विवाह शादी में दो नगाड़े बजाना वर्जित था। जसनाथी सम्प्रदाय की गायकी और नृत्यादि में उक्त आदेश से पूर्व मंजीरे और मादल का उपयोग होता था। सिद्ध रूस्तमजी के समय वि.सं. 1736 से सम्प्रदाय की गायकी में नगाड़ों का प्रयोग होने लगा।²⁹

सन्दर्भ

1. पारीक, सूर्यशंकर, सबद ग्रंथ श्री देव जसनाथ सिद्धाश्रम, सादुल कॉलोनी, बीकानेर, 1999, हस्तलिखित फोटो प्रतिलिपि
2. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ 1891, पृ. 62
3. पारीक, सूर्यशंकर, सिद्ध चरित्र, सिद्ध साहित्य शोध संस्थान, रतनगढ़, संवत् 2014, पृ. 53
4. शर्मा, सागरमल, राजस्थान के संत, भाग एक, पृ. 127
5. सिद्ध, रामनाथ, यशेनाथ पुराण, पृ. 88
6. माहेश्वरी, हीरालाल, राजस्थानी भाषा और साहित्य, खंड 1, पृ. 280
7. जसनाथ पुराण (ह.लि.) पांचलाबाड़ी, नागौर, विक्रम संवत् 1820, पृ. 40, 46
8. वही, पृ. 66
9. वही, पृ. 62
10. शुक्ल, दिनेशचन्द्र एवं सिंह, ओंकार नारायण, राजस्थान भक्ति परम्परा तथा संस्कृति, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, प्रथम संस्करण, 1992, पृ. 74, 75
11. वही, पृ. 67, 68
12. काची काया जल-बल जासी, कूँ कूँ बरणी देह। माटी में माटी मिल जासी, भसम उड़ै हुय खेड़ा।। सिद्ध-चरित्र, पृ. 84-85
13. हुय भूतला खाख उड़ावै, करणी रा फल ऐहा। करणी हीना नित पछतावै, लागे ना गुरु रा मेवा।। सिद्ध-चरित्र, पृ. 84-85
14. पारीक, सूर्यशंकर, सबद ग्रंथ, गोरखछंद, लि.का. 1905, गुटका (ह.लि.) फोटो प्रतिलिपि
15. माहेश्वरी, हीरालाल, राजस्थान भाषा और साहित्य, खंड 1, पृ. 280
16. जसनाथ पुराण, पृ. 66
17. वही, पृ. 66
18. वही, पृ. 61-64, 68
19. वही, 59, 60
20. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, 1891 ई., पृ. 63-64
21. पारीक, सूर्यशंकर, सबद ग्रंथ, जसनाथी राग शैली का चित्र
22. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, 1891 ई., पृ. 65
23. माहेश्वरी, हीरालाल, राजस्थानी भाषा और साहित्य, खंड 1, पृ. 280
24. वही,
25. वही
26. पारीक, सूर्यशंकर, सबद ग्रंथ, कतरियासर धाम के ताम्रपत्र की फोटोप्रति-चित्र, वर्तमान में यह ताम्रपत्र कतरियासर के सिद्ध के पास सुरक्षित है।
27. वही (ह.लि.) फोटो प्रति
28. वही, सबद ग्रंथ, पृ. 15, 375
29. वही, पृ. 375, 684

सिद्ध जसनाथ जी और जसनाथी-सम्प्रदाय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्रो. शिव कुमार भनोत

14वीं तथा 15वीं सदी में जब राजस्थान में धन्ना, पीपा आदि संत रामानंद, कबीर, रैदास आदि की मान्यताओं व विचारों से प्रभावित होकर निर्गुण विचारधारा के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे, उसी समय यहाँ मुस्लिम प्रभाव की अभिवृद्धि¹ के चलते सूफी संतों² के समानांतर जाम्भोजी³, जसनाथजी जैसे राजस्थानी संतों का प्रादुर्भाव भी हुआ जो हिन्दू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय व सामंजस्य के सूत्रधार बन कर मुखरित हुए और जिन्होंने हिन्दू, मुसलमानों में व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों, रूढ़ियों, विकृतियों व विसंगतियों पर प्रहार करते हुए यहाँ के आम जन को धर्म के वास्तविक स्वरूप का भान कराया। इनमें से ही एक, पश्चिमी राजस्थान के जाट समाज में जन्मे सिद्ध पुरुष संत थे, सिद्ध जसनाथजी, जिनका जन्म वि.सं. 1539 अर्थात् ई. सन् 1482 की कार्तिक शुक्ला एकादशी को⁴ बीकानेर से 24 मील उत्तर-पूर्व में स्थित कतरियासर⁵ नामक गांव के एक जाट कृषक परिवार में हुआ था। दार्शनिक विचारों, नैतिक शिक्षाओं, पाखण्डों और रूढ़ियों के खण्डन व सशक्त विरोध एवं जीव-दया व आत्मचिंतन पर केन्द्रित इनकी मान्यताओं व धारणाओं ने न केवल 15वीं व 16वीं सदी के पश्चिमी राजस्थान के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जनजीवन को एक नई दिशा प्रदान की वरन् इनके पीछे भी जसनाथी सम्प्रदाय के रूप में एक सशक्त व प्रभावी धार्मिक-सांस्कृतिक धारा को विरासत के रूप में छोड़ा जिसने राजस्थान के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को समृद्धि व गौरव प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

जसनाथजी को हमीरजी नामक निःसंतान ज्याणी जाट तथा उनकी पत्नी रूपादे के पोष्य पुत्र के रूप में उल्लिखित किया गया है⁶ जो इन्हें जंगल में डावले तालाब पर पड़े मिले थे।⁷ इनका प्रारम्भिक नाम जसवन्त⁸ होने, इनका वैवाहिक सम्बन्ध काललदे नामक बेनीवाल कन्या से होने⁹ तथा इनके द्वारा विवाह से पूर्व ही साधना-मार्ग अपना लिये जाने¹⁰ के ऐतिहासिक संदर्भ भी देखने को मिलते हैं। शैक्षिक दृष्टि से निरक्षर रहे जसनाथ जी को गुरु गोरखनाथ जी का दीक्षित शिष्य माना जाता है¹¹, जो सही नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी का समय 10वीं से 11वीं सदी के मध्य का रहा होने के कारण उन्हें इनका "मनसा गुरु" मानना अधिक सही प्रतीत होता है।

इन्होंने 'गोरखमालिया'¹² नामक स्थान पर 12 वर्षों तक तप किया और लोगों को जीव-दया एवं आत्मचिंतन का उपदेश देने में अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया। इनके चमत्कारों के भी अनेकानेक प्रसंग प्रसिद्ध रहे हैं और यत्र-तत्र उनके उल्लेख देखने को मिलते हैं।¹³ समसामयिक धर्म, संस्कृति व समाज को अपना अभूतपूर्व योगदान देने के उपरान्त वि.सं. 1563 (1506 ई.) की आश्विन शुक्ला सप्तमी, शुक्रवार को समस्त अनुयाई समुदाय को आदेश-उपदेश देकर 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कतरियासर में ही जीवित समाधि ले ली थी।¹⁴ कुछ ही समयोपरान्त इनकी अविवाहित पत्नी काललदे ने भी कतरियासर से पूर्व की ओर थोड़ी सी दूरी पर (एक किलोमीटर) जीवित समाधि ले ली थी, जहाँ पर उनकी बाड़ी विद्यमान है।¹⁵

अपने दार्शनिक विचारों में सिद्ध जसनाथ जी ने जहाँ मनुष्य के घट में निवास करने वाले निर्गुण व निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया¹⁶ वहीं अपनी वाणियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण आदि के नामों का समावेश किया। संसार की गतिशीलता को स्वीकार कर¹⁷ इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति निराकार ओंकार तथा पंच महाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश) के योग से मानी और उसे आसार बताया।¹⁸ उन्होंने शरीर को नश्वर¹⁹ कहा और कर्मवाद पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया।²⁰ मोक्ष प्राप्ति के लिये गुरु के निर्देशन को आवश्यक मानने वाले जसनाथ जी ने नाम-स्मरण व योग साधना को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया।²¹ उनकी नैतिक शिक्षाएं व विचार भी अपने आप में बहुत ही महत्त्वपूर्ण थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, संयम, सत्कर्म, मधुर सम्भाषण, शील, संतोष, दया व हृदय की निर्मलता आदि नैतिक मूल्यों पर बल दिया और जल को छान कर पीने की शिक्षा दी,²² वहीं उन्होंने झूठ, काम, क्रोध, मिथ्या भाषण, कुविद्या, लोभ, अहंकार आदि अनैतिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी।²³ सिद्ध जसनाथ जी ने धार्मिक व सामाजिक विकृतियों, पाखण्ड और आडम्बर का जम कर विरोध किया। उनका कहना था कि कान चिरा कर मुद्रा पहन लेने, शमशान साधना करने, कंधे पर मेखला डाल लेने तथा घर-घर घूमने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।²⁴ उन्होंने मांस-मदिरा से भैरव पूजा करने वालों तथा बकरे व गौ की हत्या करने वाले मुसलमानों की समान रूप से आलोचना की।²⁵ ऐसा करके जसनाथ जी ने न केवल हिन्दुओं वरन् मुसलमानों को भी धर्म के वास्तविक स्वरूप का भान कराया।

जसनाथजी के बाद उनके नाम से चलने वाले जसनाथी सम्प्रदाय के एक 'सबद'²⁶ से उनके सम्प्रदाय के नियमों का ज्ञान होता है, यथा - उत्तम कार्य करना; ऐसे मार्ग का अवलम्बन करना जिससे स्वधर्म का पालन हो; जीव हिंसा नहीं करना; स्वच्छतापूर्वक अच्छे केश धारण करना; स्नानोपरान्त भोजन करना; शील-संतोष धारण करना; ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करना; हवन करना; झूठे मुंह से अग्नि में फूंक नहीं देना; जल को छान कर पीना; भूमि समाधि

लेना; मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को ढूंढना; कन्या का द्रव्य नहीं लेना; ब्याज पर ब्याज नहीं लेना; धन के अनुपात में बीसवां हिस्सा धर्म कार्य पर व्यय करना तथा दुविधा, निंदा को अपने पास नहीं आने देना आदि।²⁷ 18वीं सदी के संत सिद्ध रामनाथ ने 'यशोनाथ पुराण' में इसमें कुछ और नियम जोड़ कर 36 धर्म नियम प्रतिपादित कर दिये थे, जिसे एक परवर्ती विकास क्रम के रूप में देखा जा सकता है।²⁸ इस प्रकार जसनाथ जी ने आचरण की शुद्धता, जीव दया और ईश्वर स्मरण पर जोर दिया एवं समाज में फैली बुराइयों व विसंगतियों को दूर कर समाज के नैतिक स्तर उन्नयन के प्रयास किये।

जसनाथी सम्प्रदाय की मुख्य पीठ, जसनाथ जी के जीवित समाधि स्थल कतरियासर में स्थित है। उनके पश्चात् उनके मुख्य शिष्य जागोजी उनकी गद्दी पर बैठे। इनके पांच शिष्यों ने इस सम्प्रदाय की पांच उप-पीठों की संस्थापना की। हारोजी ने बमलू में²⁹; हांसोजी ने लिखमादेसर में³⁰; पालोजी ने पूनरासर में³¹; टोडरजी ने मालासर³² में तथा बोयतजी ने पांचला सिद्धा में³³ ये उप-पीठें संस्थापित कीं। इन पीठों के प्रमुख 'सिद्ध' कहलाते हैं³⁴ और इनमें विवाद आदि होने पर कतरियासर व अन्य स्थानों के सिद्ध मिल कर उसका निस्तारण करते हैं।³⁵ ये सिद्ध भगवा वस्त्र पहनते हैं, जसनाथजी के शब्दों का पाठ करते हैं, अपने अनुयाईयों के यहाँ फेरी देने जाते हैं, उनसे भेंट स्वीकार करते हैं, तथा खेती व विवाह भी करते हैं। मात्र पांचला उप पीठ में अविवाहित सिद्ध ही गद्दी पर बैठता है।³⁶ इन छः स्थानों के अलावा इस सम्प्रदाय की चौरासी बाड़ियां भी हैं जहाँ इस सम्प्रदाय के मंदिर या आश्रम बने हैं।

इस सम्प्रदाय के मतावलम्बी 'सिद्ध' तथा 'जसनाथी जाट' दो वर्गों में विभक्त हैं। इनमें मात्र पहनावे का अंतर है, नियम-परम्पराएं एक समान हैं। सिद्ध, सिर पर भगवा पगड़ी बांधते हैं तथा ऊन का धागा जो तीन विशेष गांठों द्वारा गठित होता है, गले में धारण करते हैं, जबकि जसनाथी जाट सामान्य राजस्थानी वेशभूषा में रहते हैं।³⁷ इस सम्प्रदाय के अनुयाई मूर्ति पूजा विरोधी होते हैं। अपने धर्म स्थान पर ये लोग एक लम्बी सी ध्वजा फहरा देते हैं।³⁸ इस सम्प्रदाय के लोगों की अपनी अलग मान्यताएं और परम्पराएं हैं जो इन्हें एक विशेष पहचान प्रदान करते हैं। इनमें विवाह संस्कार कन्या को वर-पक्ष के यहाँ लाकर 'गोरख छन्दों'³⁹ के पाठ से सम्पन्न कराया जाता है तथा अन्त्येष्टि में शव को जलाने के बजाय भू-समाधि दी जाती है।⁴⁰

जसनाथी सम्प्रदाय के अनुयाइयों की मान्यताएं भी अपने आप में विरल हैं। जसनाथी होने के लिये चुल्लू में पानी लेकर 36 नियमों की पालना की प्रतिज्ञा लेनी होती है। अनुयाइयों के लिये मथनी का पहला घी और खेत की उपज के अनुपात में पक्षियों के लिये, जसनाथी बाड़ियों में जुग्गा देना अनिवार्य है। इनके लिये गंगा स्नान व हरिद्वार यात्रा का बड़ा महत्त्व है। जाल वृक्ष तथा मयूर पंख को इस सम्प्रदाय में बड़ा पवित्र माना जाता है।⁴¹ हवन तथा रात्रि जागरण का इस सम्प्रदाय में विशेष महत्त्व है। हवन के समय जसनाथजी प्रणीत "सिम्भूधड़ा" का पाठ करना अनिवार्य होता है।

रात्रि-जागरण का एक महत्वपूर्ण सोपान 'अग्नि-नृत्य' होता है जिसमें धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है।⁴² अंगारों को हाथ में रखना, मुंह से पकड़ना, पैरों से अग्नि ढेर को कुरेदना तथा बड़े अंगारों को हथेली पर रख कर 'मतीरा' फोड़ने का प्रदर्शन करना इस नृत्य के कौतूहल पैदा करने वाले विशेष भाव हैं।

इस सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार पूर्ववर्ती बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राज्यों में अधिक हुआ है।⁴³ कतरियासर इनका मुख्य धाम है जहाँ वर्ष में तीन बार (अश्विन शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी तथा चैत्र शुक्ला सप्तमी) बड़े मेले लगते हैं। नव दम्पति जसनाथी के लिये जोड़े से कतरियासर की यात्रा करना जरूरी होता है। कतरियासर के अलावा बमलू, लिखमादेसर, पूनरासर, मालासर व पांचला सिद्धों के मेले भी खूब प्रसिद्ध हैं। इनमें से 'पांचला' को मथुरा के सदृश्य माना जाता है।⁴⁴ नौरंगदेसर, घिंटाल, हांसेरा, बीनादेसर, बम्बू, साधासर, बीकूसर, रीड़ी, कालड़ी, छाजूसर, पारेवड़ा, भरपालसर, झंझेरू, कल्याणसर, लिखमणसर, बेरासर, चाऊ, खैराठ, चिताणा, करणू, साधुणा, सेरूणा, पूनरासर, बिलणियासर, ऊंटालड़, जोगलिया, जेतासर, सारायण, बणीसर आदि अनेक गांवों में जसनाथजी की बाड़ियां बनी हुई हैं, जिनसे इन क्षेत्रों में इस सम्प्रदाय के प्रभाव और प्रसार की सम्पुष्टि होती है।

सिद्ध जसनाथ जी की शिष्य परम्परा में कई नामी-गिरामी संत हुए जिन्होंने समसामयिक समाज को खूब प्रभावित किया। इनमें से मुख्य थे - धानोजी, लालनाथ जी⁴⁵, सिद्ध रामनाथजी⁴⁶, सिद्ध टिलोजी, रूस्तमजी⁴⁷, पालोजी, साजननाथजी, दूदोजी, नाथोजी, देवोजी आदि। बीकानेर तथा जोधपुर राज्य के शासकों द्वारा इन्हें अनेक भूमि अनुदान प्रदान किये जाने के उल्लेख देखने को मिलते हैं।⁴⁸ इस प्रकार हम यह देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के एक जाट कृषक परिवार में जन्मे सिद्ध जसनाथ जी ने 15वीं एवं 16वीं शताब्दी कालीन पश्चिमी राजस्थान के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन को एक समाज सुधारक व समन्वयकारी संत के रूप में एक नई गति और दिशा प्रदान की। समसामयिक समाज के नैतिक स्तर के उन्नयन और आडम्बर विहीन धर्मावलम्बन मार्ग को प्रशस्त कर स्वस्थ व सदाचार आधारित सिद्धांतों व मान्यताओं से युक्त एक नवीन सम्प्रदाय का सूत्रपात करने की दृष्टि से जसनाथ जी का योगदान अपने आप में असमानांतर श्रेष्ठ था।

संदर्भ

1. 1194 ई. में अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुर्क आधिपत्य स्थापित कर लिये जाने के उपरान्त नागौर पर भी इनका अधिकार हो गया। द्रष्टव्य - जी.एच.ओझा, जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-1, पृ. 41, अजमेर
2. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को तथा हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर को अपना केन्द्र बना लिया था।
3. विश्णोई सम्प्रदाय प्रवर्तक जाम्भोजी संवत् 1557 (ई. सन् 1500) में जसनाथ जी

- से मिलने गोरखमालिया आये थे। द्रष्टव्य - यशोनाथ पुराण, पृ. 51
4. वि.संवत् पंचदश गुणचाली दरसात। कार्तिक शुक्ला एकादशी मिल्या नाथ पर भात।। द्रष्टव्य - यशोनाथ पुराण, उत्पत्ति प्रकरण, पृ. 2
 5. बीकानेर राज्य का एक ऐतिहासिक गांव जो बीकानेर शहर से 24 मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। पी.डब्ल्यू. पाउलेट, गजेटियर ऑफ दि बीकानेर स्टेट, पृ. 78
 6. प्रो. पेमाराम, राजस्थान में जाटों का इतिहास, अध्याय-3, जोधपुर, 2010
 7. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, पृ. 62, 1891 ई.
 8. जियोजी कृत हस्तलिखित ग्रंथ 'जलम्-झूलरा'
 9. सिद्ध चरित्र, पृ. 53
 10. प्रो. पेमाराम, पूर्वोक्त, पृ. 81
 11. यशोनाथ पुराण, पृ. 33
 12. बीकानेर शहर से 25 मील उत्तर-पूर्व में स्थित है।
 13. लोहापांगल नामक तांत्रिक का अभिमान भंग प्रकरण; राव लूणकरण को बीकानेर की राजगद्दी प्राप्ति का वरदान प्रकरण; राव घड़सी का अभिमान भंग प्रकरण; पंगु व्यक्ति का कष्ट निवारण प्रकरण आदि। द्रष्टव्य - सिद्ध चरित्र, पृ. 105 से 116, 123 तथा मुंशी सोहनलाल कृत तवारीख राजश्री बीकानेर, पृ. 46
 14. यशोनाथ पुराण, पृ. 51
 15. सिद्ध चरित्र, पृ. 159-60
 16. जसनाथ पुराण (हस्तलिखित ग्रंथ), पृ. 62, 68, संवत् 1820, पांचला सिद्धा
 17. जसनाथ पुराण, पृ. 67
 18. वही, पृ. 68
 19. वही, पृ. 67
 20. वही, पृ. 66
 21. वही, पृ. 65, 66
 22. वही, पृ. 60, 69, 70
 23. वही, पृ. 59, 60, 70
 24. वही, पृ. 68
 25. वही, पृ. 62, 63
 26. जो कोई जात हुवै जसनाथी, उत्तम करणी हाले आछी।
राह चल अपणा धरम रख, भूख मर पण जीव न भख।
उत्तम केस रखावे आछा, पैलां नीर अधारै पाछा।
सदक सील सबूरी सूरत, सो मानो भगवानि सूरत।
धावो देव नहीं कोई दूजो, जोत सरूपी प्रगट पूजो।
अतरा काम सब ही कीज्यो, एंठा विसंगर फूंक न दीज्यो।
जल पाणि तो छान कर पीज्यो, देही भोम समाधि लीज्यो।
मोक्ष मुक्त का मार्ग जोवो, किन्या द्रव्य न ब्याज बीसोवो।
वित सारुहि बांटो, काया लगे नहीं कीड़ो कांटो।

अतरा ले हर दरगह आंणी, पंथ बतावै जसनाथ जांणी।

मूरख हुंता पिड़ंत किया, इस करणीयत लाघे भूया।

दुवध्या, निंदा न आणो नेड़ी, गुर परसादे गोरख बचने।

जसनाथ कहे, इण पंथ चढ़ो अगम री पेड़ी।

- जसनाथ पुराण (हस्तलिखित ग्रंथ), संवत् 1820, पांचाला सिद्धा, पृ. 59-60

27. इनमें से कुछ नियम रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ में दिये हुए हैं, पृ. 63
28. इनमें कुछ और नियम जोड़ दिये गये जैसे - कन्या विक्रय नहीं करना; धूम्रपान, लहसुन आदि का त्याग; कपट व परस्त्रीगमन का त्याग; बैलों की खस्सी नहीं करना व कसाई को पशु न बेचना; पशु शाला निर्माण व उनकी कसाइयों से रक्षा करना; आतिथ्य सत्कार; रजस्वला से दूर रहना; मदिरापान नहीं करना; जन्म-मरण में दस दिन का सूतक रखना; कुल निन्दा न करना; शंकर का नाम स्मरण; मांस नहीं खाना; दुराचारियों की संगति से बचना; सहिष्णु व क्षमाशील बनना; भांग, गांजा, चरस आदि नहीं पीना आदि।
29. बमलू, बीकानेर से 14 मील पूर्व में स्थित है।
30. यह गांव डूंगरगढ़ से 14 मील पूर्व में स्थित है।
31. यह गांव सूडसर स्टेशन से 18 मील उत्तर में स्थित है।
32. यह गांव कतरियासर से 4 मील पश्चिम में स्थित है।
33. यह गांव खीवसर (नागौर) से 6 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है।
34. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, 1891 ई., पृ. 63
35. पांचला पीठ से प्राप्त सं. 1879 का हस्तलिखित पत्र
36. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, 1891 ई., पृ. 63
37. सिद्ध चरित्र, पृ. 23-24
38. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, 1891 ई., पृ. 63
39. इन्हें जसनाथजी की महत्त्वपूर्ण रचनाएं माना जाता है।
40. राजपूताना गजेटियर, वोल्यूम-थर्ड-ए, 1909 ई., पृ. 83
41. परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ. 441
42. ओंकार ध्वनि उच्चारण और नगाड़ों पर थाप की आवाज के साथ मजीरा बजाते हुए अलाप को उठाते हैं, फिर सिद्ध जसनाथजी के 'सबद' गाते हैं तदनन्तर रूस्तमजी के 'नाचणिया' पद गायन पश्चात् नर्तक नाचने को उठाते हैं और अग्नि में प्रवेश कर निकलना शुरु कर देते हैं और कई आश्चर्यजनक भाव दर्शाते हैं।
43. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मारवाड़, 1891 ई., पृ. 63
44. देव जठे दुवारका, तुलसी जठे पिराग।
मथुरा नगरी पांचलो, सिंवर घणी जसनाथ।
45. 'जीव समझोतरी' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रणेयता
46. 'यशोनाथ पुराण' के प्रणेयता
47. प्रो. पेमाराम, पूर्वोक्त, पृ. 92
48. वही

पारम्परिक चिकित्सा विधियों में वीर कल्लाजी (शिव शक्ति धाम, खेरवा गद्दी) का महत्व

आसिफ हुसैन

कल्लाजी जोधपुर के संस्थापक जोधाजी राठौड़ के वंशधर थे। जोधाजी के दूदाजी हुए जिन्होंने मेड़ता बसाया। इनके चार पुत्र- वीरमदेव, विक्रमसिंह, डूंगरसिंह तथा रतनसिंह हुए। डूंगरसिंह के पुत्र खेमराज थे जो बड़े रणबाज थे। इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, सब में विजित हुए। युद्धभूमि में सदैव अचल रहने के कारण ये अचलसिंह के नाम से अधिक जाने गए। कल्लाजी इनके ही सपूत थे (2004 : 37)।

कल्लाजी बचपन से ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। मेड़ता में कुंडल तालाब के किनारे इमली वृक्ष के नीचे भैरव ने दर्शन देकर सभी कलाओं में पारंगत होने तथा मानव-कल्याण का वरदान दिया। तब ये मात्र पांच वर्ष के थे। माता-पिता के निधन के बाद ये काका जयमल के साथ बदनौर चले गए किंतु वहाँ उनका मन नहीं लगा फलस्वरूप उनकी बुआ जी मीरां बाई के पास चित्तौड़ चले आए। जयमल जी ने कच्छ के लाकड़िया सुवारा गाँव की कंकू (कृष्णा) कुंवर से कल्लाजी का विवाह तय किया गया जो सात वर्ष तक बदनौर रहीं। इस बीच कल्लाजी के दो पुत्र हुए (2004 : 37)। कल्लाजी चक्रवात युद्ध के धनी थे। इस युद्ध में योद्धा के दोनों हाथों में तलवारें रहती हैं। तलवारें भी दो-दो साथ, चारों ओर से वार करने वाली और आगे-पीछे, दायें-बायें जिधर जैसी चाहो घूमने वाली होती हैं। ऐसा युद्ध केवल कल्लाजी ने ही लड़ा। कल्लाजी ने कभी ढाल नहीं रखी। तलवार से दुश्मन को निशाना बनाया। चित्तौड़ के अंतिम जौहर में कल्लाजी मौजूद थे। इस समय चित्तौड़ को अकबर की सेना ने घेर रखा था। मां जगदम्बा ने कल्लाजी को युद्ध में सदैव विजयी होने किंतु पीछे मुड़कर नहीं देखने का वरदान दे रखा था किंतु कल्लाजी इसे भूल गए। युद्ध के दौरान तत्काल उन्हें देवी के कथन का स्मरण हुआ। ये लाखोटिया बारी के वहाँ पहुँचे और प्रायश्चित स्वरूप अपना सिर काट देवी को चढ़ा दिया (2004 : 39)। देवी ने प्रसन्न हो तलवार दी और तीसरा नेत्र हिये की आँख दी जिससे सिर विहीन कल्लाजी दुश्मनों का सफाया करते हुए चित्तौड़ से चले और उदयपुर के पास सलूम्वर से पन्द्रह किलोमीटर आगे जहाँ इनका रूंड गिरा वहाँ रूंडेजा नामक गाँव बसा। यहाँ प्रतिवर्ष कल्लाजी के देवरे पर आसोजी नवरात्रि के प्रथम रविवार को उनकी याद में बड़ा मेला भरता है।

देहत्याग के बावजूद भी कल्लाजी इसी धरती पर रह कर लोगों और प्राणियों का कल्याण चाहते थे, अतः श्रावण शुक्ल अष्टमी को उन्होंने नाग-योनि में अवतरण किया। देवता के रूप में कल्लाजी पांच फण, दो आँख, नाक तथा एक मुँह लिए नाग योनि में हैं। कल्ला जी राठौड़ के मंदिर राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं गुजरात में हैं। राजस्थान में इनके सर्वाधिक सात सौ से अधिक देवस्थान हैं। नागयोनि में आने के बाद, आरंभ में, कल्लाजी ने जीव-जन्तुओं और मूक प्राणियों को रोगों और पीड़ाओं से बचाने का ध्येय बनाया था। इसी कारण पूर्व काल में, कल्लाजी के थानकों पर, जीव-जन्तुओं और पशुओं का प्रमुखता से उपचार किया जाता था। बाद में, यहाँ मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक कष्टों का भी निवारण किया जाने लगा। कल्लाजी महाराज, यह कार्य अपने सेवकों के शरीर में प्रवेश कर, करते हैं। गूंगे, बहरे, मिरगी तथा लकवे के रोगी ठीक करते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी दूर कर देते हैं। भूतप्रेत जैसी आत्माओं को दूर करते हैं। रविवार को प्रत्येक देवरे पर चौकी लगती है जहाँ जातरियों (समस्याग्रस्त लोगों) की भीड़ लगी रहती है। वर्तमान में चित्तौड़, केसरियाजी, आसपुर, बांसवाड़ा तथा अहमदाबाद के निकट वलाद गांव इनके मुख्य स्थल हैं। आसपुर के विजवा कल्ला धाम के सरजुदासजी कल्लाजी की गादी के सर्वाधिक उग्रजीवी महंत एवं अखिल भारतीय कल्लाजी सम्प्रदाय के सर्व सम्मत अध्याक्ष हैं। बाँसवाड़ा जिले के खैरवा ग्राम में कल्लाजी महाराज की सिद्ध पीठ है। यह स्थान शिव-शक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस पीठ को स्थापित हुए लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। खैरवा की गिनती कल्लाजी की प्रमुख पीठों में की जाती है। यह धाम प्रतापगढ़-बाँसवाड़ा राज्यमार्ग पर, खमेरा नगर से भुंगड़ा रोड़ पर, पाँच किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। खैरवा गद्दी (शिव-शक्ति धाम) के सेवक श्री रामसिंहजी शक्तावत हैं। ये निहायत ही सरल स्वभाव के हैं। लेकिन जब वे चौकी के दिन गद्दी पर होते हैं, तब इनका रूप बड़ा ही भव्य और सौम्य होता है। जिस दिन कल्लाजी महाराज की चौकी लगती है उस दिन सेवकजी सभाभवन के भीतर बाँयी ओर स्थित कल्लाजी की गद्दी से न्याय करते हैं। इस दौरान इनके दाहिने हाथ तथा बाँये पाँव में कंपन दृष्टिगोचर होता है। इसी भांति जिस दिन गातोड़ जी महाराज की गद्दी लगती है, उस दिन दाहिने हाथ तथा दाहिने पाँव में कंपन रहता है। प्रारंभ में यहाँ केवल रविवार को ही गद्दी लगा करती थी, किंतु जैसे-जैसे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो वर्तमान में तीन दिवसों (मंगलवार, शनिवार, रविवार) को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से भक्तों के रुकने तक बराबर गद्दी लगती है। खैरवा पीठ पर दोनों नवरात्रियों में नौ ही दिन गद्दी लगती है और अखण्ड रामायण का पाठ तो होता है साथ ही रात्रि में भक्तिभावपूर्वक गरबा नृत्य का भी आयोजन होता है। हवन और प्रसादी का भी आयोजन होता है। नवरात्रि के दौरान गद्दी से भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। अनाज और

धातुओं में तेजी-मंदी, वर्षा, बीमारी-महामारियां, दुर्घटना-सुघटना और देश-काल-परिस्थिति पर भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। इस अवसर पर निःसंतान दम्पतियों की गोद भी भरी जाती है।

खैरवा पीठ पर मंगलवार, शनिवार और रविवार को चौकी लगती है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हवन और प्रसादी का आयोजन होता है। इस पीठ पर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान के पाली, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्यप्रदेश के इन्दौर, रतलाम, मन्दासौर, भानपुरा, मनासा आदि शहरों से हजारों भक्तों का आगमन होता है। खैरवा पीठ में दूसरी गद्दी चौहान गातोड़ जी महाराज की है। भादवा के कृष्ण पक्ष की नवमी (जन्माष्टमी के अगले दिन) को गातोड़ जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को गोगा नवमी भी कहा जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक और हवन होता है। श्रावण शुक्ल अष्टमी कल्लाजी महाराज का जन्मदिवस है। इस दिन खैरवा पीठ की पहली गद्दी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खैरवा पीठ पर दो गद्दियाँ होना विलक्षण बात है। इससे भी विलक्षण बात यह है कि दोनों गद्दियों पर एक ही सेवकजी द्वारा सेवापूर्ण न्याय किया जाकर जनता की अभिलाषा पूर्ण की जाती है। इन गद्दियों पर मारवाड़ी ठाठ के दर्शन होते हैं। खैरवा पीठ की यह भी विशेषता है कि यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की पूजा जैनीय विधि-विधान से की जाती है। हनुमानजी और सरस्वतीजी की आराधना वैष्णवी शैली से, भगवान शंकर की पूजा शैव-शैली से होती है। कालिका माता, नागनेछा माता, आशापुरा माता और भैरवजी का पारम्परिक अभिषेक होता है। एक ही पाण्डाल में विभिन्न धर्म-मतों के विग्रहों की स्थापना भक्तों को विस्मित और विभोर कर देती है। खैरवा पीठ एक चमत्कारी सिद्ध पीठ है। यहाँ सैंकड़ों चमत्कार हुए हैं। पारम्परिक चिकित्सा पद्धति प्राचीन समय समय से चली आ रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अनुभवों पर आधारित एक परम्परागत व्यवस्था होती है। प्रायः लोक चिकित्सा पद्धति में झाँड-फूंक करना, टोटके करना, कर्म कांड, पूजा-पाठ और मनौती आदि की एक विशिष्ट पद्धति होती है दूसरी ओर इसमें घरेलू दवाओं संबंधी ज्ञान का भी विशाल भंडार होता है। साथ ही पारम्परिक चिकित्सा परम्परा में विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों, बीज, फूल, फल, छाल आदि को विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए प्रयोग में लेना लोक चिकित्सा के अन्तर्गत सांस्कृतिक विरासत होते हैं।

खैरवा पीठ में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। जिनमें से कुछ निम्न हैं-

1. तलवार द्वारा चिकित्सा एवं समस्या निवारण:- इस पद्धति के प्रयोग में प्रायः तलवार को रोगी अथवा भक्त के ऊपर वार करके उनकी प्रत्येक प्रकार की समस्या का निवारण करने का प्रयास किया जाता है।

2. **तेल लेप अथवा मालिश के द्वारा चिकित्सा:**—इस पद्धति में प्रायः सरसों का तेल अथवा अरण्डी के तेल को बच्चों के पेट के कीड़े मारने एवं विभिन्न प्रकार के दर्द में दिया जाता है।

3. **शहद द्वारा चिकित्सा:**—इस धाम पर शहद के द्वारा लकवा की चिकित्सा की जाती है। खून को शुद्ध करने के लिए भी शहद से चिकित्सा की जाती है।

4. **भस्म अथवा भभूती द्वारा चिकित्सा:**—भभूती को गुलाब के फूल, कनेर के फूल अथवा हजारी के फूल में मिला कर रोगी अथवा भक्त को दी जाती है। इसे विभिन्न प्रकार के रोगों एवं समस्याओं में भक्तों को दिया जाता है।

5. **नारियल के गोले द्वारा चिकित्सा:**—पीलिये के इलाज हेतु नारियल के गोले के द्वारा चिकित्सा की जाती है।

6. **झाड़-फूंक द्वारा चिकित्सा:**—इस धाम पर एक अन्य भक्त के द्वारा मोर पंख से झाड़ा जाता है एवं ध्वजा दण्ड के परिक्रमा करवाकर भी इलाज किया जाता है।

7. **लच्छे एवं काले डोरे द्वारा चिकित्सा:**—लच्छे एवं काले डोरे से विभिन्न समस्याओं से बचने एवं बुरी हवा एवं बुरी नजरों से बचने हेतु रक्षा कवच बनाया जाता है।

8. **फूलों की पंखुड़ियों द्वारा चिकित्सा:**—इस धाम पर रोगियों एवं भक्तों को गुलाब, कनेर, हजारी आदि फूलों को देकर भी भक्तों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। भक्तों को फूलों की पंखुड़ियाँ भभूती के साथ दी जाती है। साथ ही कभी-कभी पूरा फूल भी घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान में रखने हेतु दिया जाता है।

9. **इत्र के द्वारा चिकित्सा:**—इत्र को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा में प्रयोग में लिया जाता है। इत्र को कान के दर्द के समय भी दिया जाता है। साथ ही कुछ स्थानों पर मालिश करने हेतु भी इत्र का उपयोग इस धाम पर किया जाता है।

10. **विभिन्न जड़ी-बूटियों द्वारा चिकित्सा:**—धाम के परिसर में ही विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ विद्यमान हैं जिनको विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा सेवक जी द्वारा और भी विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भक्तों को बताई एवं दी जाती है।

मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थल मोगेराई

डॉ. भंवरसिंह भाटी

मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थल मोगेराई बाड़मेर जिला मुख्यालय से 95 कि.मी. उत्तर में शिव तहसिल में स्थित है। जो ग्राम भीयाड़ व चोचरा के मध्य आया हुआ है। मोगेराई से प्राप्त शिलालेखों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि यह ग्राम विक्रमी संवत् 1009 (952 ई.) में अस्तित्व में था।¹ मोगेराई स्थित काले भूरभरे पत्थर का शिलालेख दो तालाबों (पूर्व व पश्चिम मोगेराई) के मध्य स्थित है। जो करीब 5 फिट लम्बा है तथा ऊपर से चौकोर व नीचे का भाग गोलाकार है। इस शिलालेख के ऊपरी चौकोर हिस्से पर चारों दिशाओं में मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं।

इस शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। फिर भी गहनता से पढ़ने का प्रयास करने पर ज्ञात हुआ है कि यह प्राचीन देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका प्रयोग ब्राह्मण शासक शिवगण के कनसवां (कोटा के पास) लेख 738 ई. और गोविन्द राज तृतीय (राष्ट्रकूट) के 807 ई. के ताम्रपत्र² से मिलती-जुलती लिपि है। गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव (1029 ई.) के ताम्रपत्र³ से भी मिलती है। इस प्रकार जूनी राजस्थानी-हिन्दी भाषा व देवनागरी लिपि⁴ में लेख उत्कीर्ण है। इस शिलालेख को करीब 100 वर्ष पूर्व स्थानीय लोगों द्वारा पढ़ा गया जिनके अनुसार यहां ब्राह्मण (पालीवाल) मेगा एवं उसकी बहिन राई ने ये दो तालाब खुदवाएँ थे। जिनके नाम से ही इस गांव का नाम मोगेराई पड़ा⁵। मोगेराई तालाब (पश्चिम) की पाल पर एक पुराना जाल का वृक्ष खड़ा है। जिसके तने को देखकर स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि यह वृक्ष करीब 500 वर्ष पुराना है। इस वृक्ष का तना करीब 2 मीटर परीधि में फैला हुआ है। लेकिन आज भी हरा भरा है। इस जाल के पेड़ के नीचे एक सात देवियों युक्त खंडित प्रतिमा स्थापित हैं। जो स्थानीय लोगों द्वारा नागणैच्चिया माता की बताई जाती है।⁶ इस प्रतिमा का भलीभांति अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि यह प्रतिमा 14-15वीं शताब्दी की मूर्तिकला या इससे भी पूर्व की प्रतीत होती है। इस प्रतिमा का बाया भाग खंडित है सम्भवतया एक देवी की मूर्ति इससे पूर्णतया पृथक हो गई है। क्योंकि इस क्षेत्र में नागणैच्चिया माता एवम् आवड़-आईनाथ माताजी की मूर्तियां पर 8 व्यक्तियों की मूर्तियों में से सात देवियों की तथा एक मूर्ति उनके भाई खेतृपालजी की उत्कीर्ण मिलती है। इसके पास में एक ओर खंडित अवस्था में मूर्ति मिलती है। यहां वर्तमान में कोई मेला विशेष नहीं लगता है, न ही रीति-नीति से पूजा

होती है। किन्तु आस पास के कुछ किसानों ने पिछले कुछ वर्षों से यहां पूजा शुरू की है।

मोगेराई तालाब से करीब 35 मीटर दक्षिण में स्थित एक अस्वारोही खड्ग धारी वीर पुरुष की प्रतिमा अवस्थित है। वह पीले संगमरमर की है जिसके नीचे तीन पंक्तियों में लेख उत्कीर्ण है। जिस पर संवत् 1125 वसण वदर मक्तक मत्र..... उत्कीर्ण है।

वीर पुरुष की प्रतिमा से पश्चिम एवम् मोगेराई तालाब से करीब 60 मीटर दक्षिणी पश्चिम में दूरी पर एक पीले संगमरमर का शिलालेख खड़ा है। जिसकी लम्बाई करीब साढ़े तीन फीट जमीन से बाहर है। इस शिलालेख पर भी काले पत्थर के शिलालेख की भांति चारों दिशाओं में शिलालेख के ऊपरी चौकोर भाग पर पुरुष तथा एक तरफ स्त्री-पुरुष की मूर्तियां उत्कीर्ण है। लेकिन इस शिलालेख पर पश्चिमी दिशा में उत्कीर्ण पुरुष मूर्ति हनुमानजी की मूर्ति राम लक्ष्मण को कंधे पर उठाये हुए जैसी प्रतीत होती है। इस शिलालेख पर ऊतर दिशा में मूर्ति के नीचे लेख उत्कीर्ण है। जो पूर्णतया: धुन्धला हो गया है जिसमें भी सम्भवतः तिथी उत्कीर्ण कर्ता व तालाब निर्माण कर्ता एवम् मोगेराई गांव बसाने आदि के बारे में विवरण था। इस लेख का गहनता से अवलोकन करने पर तथा देवनागरी लिपि में राम रावत मेग उत्कीर्ण है।⁸ इससे स्पष्ट है कि इस तालाब का निर्माण तथा मोगेराई गांव मेगा एवम् राई ने बसाया था।

पीले संगमरमर के शिलालेख से करीब 300 मीटर दक्षिण में एक ओर विशाल तालाब अवस्थित है जो वर्तमान में बालू मिट्टी से भरा हुआ है। जिसे ढंढ तालाब के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि अच्छी बरसात होने पर मोगेराई (पूर्व) व ढंढ तालाब का पानी आपस में मिलता था।⁹ इस सुदूर क्षेत्र में जल सरक्षण के ये तालाब प्रमुख स्रोत थे। मोगेराई तालाब से करीब 200 मीटर उत्तर में काले मगरे के पश्चिम में पास ही दो कुओं के अवशेष भी मिलते हैं। जिसमें एक कुआ तो 1970 ई. तक सही हालत में था आस-पास के लोग अपने पशु धन को यहा पानी पीलाते थे। इस कुए में कभी-कभी विषैली गैस का रिसाव होता था। जिसके कारण इसका उपयोग करना कालान्तर में पूर्णतया छोड़ दिया गया।

मोगेराई तालाब से ठीक उत्तर में बस्ती व तालाब तथा काले मगरे के मध्य एक ओर विशाल शिलाखण्ड अवस्थित था जो कुछ वर्षों पूर्व स्थानीय पशुपालकों-ग्रामीणों ने धन के लालच में उखेड़ कर तोड़कर तहस-नहस कर दिया।¹⁰ इसके पास में करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे पत्थर एवम् मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों से प्रतीत होता है कि यहां काफी बड़ी बस्ती रही होगी। मोगेराई तालाब के उत्तर-पश्चिम में करीब 100 वर्ष पूर्व काले पत्थरों से निर्मित घर थे। जिन्हें ढूंढा कहा जाता था। यहां

ओखलिया, पत्थर के उपकरण-घटिया, मुसल आदि व ताम्बे के बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण आदि वस्तुएँ मिलना भी बताया जाता है।¹¹ कालान्तर में भीषण अकाल के दौरान 1976-77 ई. में भीयाड़ व ओला में ऐनीकट (बांध) निर्माण हेतु यहां के पत्थरों को स्थान्तरित किया। जिससे इस बस्ती के अवशेष विलुप्त हो गये। स्थानीय लोगों के अनुसार इन खण्डरों से पत्थर ले जाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी।¹²

स्वर्गीय श्री मंगलसिंह भाटी के बताये अनुसार “करीब 1900 ई. में यह ग्राम पूर्णतया विरान था। इस क्षेत्र में जाल, बोरड़ी, केर, गुगल, गागेटी इत्यादि पेड़ अच्छी तादाद में थे। काले मगरे के आस-पास करीब सौ-डेढ सौ घरो की दिवारे, नीव व खण्डर थे।¹³ कुछ लोग बताते हैं कि गर्मीयों में तेज आंधीया चलने से केर के पेड़ की टहनियों की रगड़ से निकला एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पात्र चमारीन औरत को वर्षों पहले मिला था।¹⁴

आजादी के बाद मोगेराई तालाब के आस-पास की भूमि लोगों को आवंटित होने पर लोगों ने धन के लालच में टेक्टरों से खेती के दौरान खूब खुदाई की जिससे इस बस्ती के अवशेष पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो गये। मोगेराई तालाब के पीछे पश्चिम दिशा में करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित कुछ कब्र होना भी स्थानीय लोगों द्वारा बताया जाता है।¹⁵ जिससे ज्ञात होता है कि मुस्लिम लोग भी यहां बसे होंगे अथवा आक्रमण के दौरान मृत मुस्लिम सैनिकों यहां दफनाया गया होगा। इन कब्रों को भी लोगों ने विद्यालय व बांध निर्माण हेतु पत्थरों की आवश्यकता की पूर्ति करने के दौरान नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि कब्र के पत्थर ले जाने वाले व्यक्ति की भी आकस्मिक मृत्यु हुई थी। मोगेराई के पीले शिलालेख के पास आवंटित भूमि पर खेत मालिक द्वारा करीब दो वर्ष पूर्व मकान निर्माण करवाने के दौरान उसके घर में आकस्मिक मृत्यु हो गई।¹⁶ जिसके कारण मकान निर्माण कार्य बंद कर दिया। यह मकान अपूर्ण अवस्था में पड़ा है।

मोगेराई तालाब से ठीक दक्षिण में करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मगरे पर लोक देवता पाबूजी राठौड़ का करीब 500 वर्ष पुराना थान है। जो काले भूरभुरे पत्थरों से निर्मित है। चबूतरे पर स्थित पाबूजी की त्रिभुजाकार मूर्ति व लेख रहित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसे पाबू मगरा भी कहते हैं यह लोक आस्था का केन्द्र है। पाबूजी की जयंति आदि शुभ अवसरों पर यहां पाबू जी की पड़ बाची जाती है। साथ ही पूजा अर्चना विशेष चाव से की जाती है। लोक विश्वास है कि जब-जब यहां के लोक मानस पर संकट आया तब-तब पाबू जी का स्मरण करने पर उन्होने जन मानस को संकट मुक्त किया।¹⁷ पाबूजी के थान से करीब 1 किलोमीटर उत्तर में जूना भोमिया जी का थान है जहां पर भी मूर्ति व लेख रहित शिलाखण्ड की भोमियाजी के नाम से पूजा की जाती है। जूना भोमियाजी का सम्बन्ध भी गो रक्षार्थ वीरगति प्राप्त

होना बताया जाता है। इनका कालक्रम अज्ञात है, फिर भी इनका सम्बन्ध मध्यकाल ही प्रतीत होता है। जूना भोमियाजी का यहां विशेष प्रभाव है समय-समय पर इनके थान पर रात्रि जागरण आदि का आयोजन किया जाता है। 118 जूना भोमिया जी के थान से दो किलोमीटर पूर्व में एक मगरे पर प्राचीन टांके के अवशेष मिले हैं जो चूना पत्थर से लिपा हुआ है। इसके ठीक उत्तर में करीब 4 किलोमीटर दूर चोचरा गांव की सीमा में बयै तालाब स्थित है। उससे ठीक दो किलोमीटर उत्तर-पूर्व में एक विशाल तालाब मांडेल है जो वर्तमान में पूर्णतया रेत से भरा हुआ है। कहा जाता है कि दूर-दराज ढाणीयों से पनिहारियां इस तालाब से पानी लेने आती थी। सवेरे जल्दी दूध पीकर पनिहारियां पानी लेने मांडेल तालाब जाती थी। घड़े भर कर वापस आते समय दोपहर हो जाती थी। तेज धूप व लम्बी दूरी के कारण वे तब तक थक जाती थी और कहती थी- “नेड़ी दिसै निरगै दूध, पाबू डाडा मांडेल बूर।”¹⁹ लोक विश्वास है कि लोकदेवता पाबूजी ने पनिहारियों की विनती सुनी, तेज बरसात हुई जिससे जैसलमेर जिले के ओला गांव से आनी वाली नदी ने मांडेल तालाब को तहस-नहस कर दिया।

मोगेराई तालाब से ठीक उत्तर में करीब दो किलोमीटर दूरी पर रातानाड़ा नाम से भी एक पुराना तालाब है। रातानाड़ा, मोगेराई, बयै तालाब के बीच में लोकदेवता पाबूजी के मन्दिर है जिन्हें स्थानीय भाषा में ‘पठीयाळ’ कहते हैं। मोगेराई व गांव चोचरा के मध्य पाबूजी का विशाल ओरण है यहां पर जनमानस में पाबूजी के प्रति विशेष लोक आस्था दृष्टिगत् होती है। कहा जाता है कि पाबूजी के पर्व से प्रभावित होकर जोधपुर महाराजा अजीतसिंह (विक्रमी संवत् 1768) ने इस क्षेत्र (मोगेराई-चोचरा) को कर मुक्त करके ताम्रपत्र प्रदान किया था।²⁰ यह ऐतिहासिक स्थल बाड़मेर-जैसलमेर, बाड़मेर-पोकरण, फतहगढ़-पोकरण, जैसलमेर-जालोर, पाली-सिवाना-जैसलमेर व्यापार मार्ग²¹ में आता था। जो कपड़ा, तम्बाकू, अनाज और नमक आदि के व्यापारियों (बनजारा-बालदिया) का आश्रय स्थल था। ये बैलगाड़ियों में सिंध-पंजाब से माल लेकर यहां से होते हुए गुजरात की तरफ आते-जाते समय पड़ाव लेते थे। मोगेराई में मिले अवशेषों से स्पष्ट है कि यह ग्राम मध्यकाल में सम्पन्न ग्राम रहा होगा। मोगेराई तालाब के आस-पास की मूर्तियों, शिलालेखों से स्पष्ट है कि यहां पुरुष के साथ-साथ स्त्रियों की भी सामाजिक स्थिति प्रतिष्ठा जनक थी। तभी इस गांव में मेगा के साथ उसकी बहिन राई की भूमिका भी प्रमुख थी। बहिन भाई के नाम से दो तालाब तैयार हुए व शिलालेख तथा मूर्तियों में भी दोनों को प्रमुख स्थान दिया गया है। मोगेराई तालाब के आस-पास क्षेत्र मगरा है। जहां सफेद गलगैचिये, श्वेत पानी रंग के पत्थर व रंगरंगीने पत्थर, छोटे-छोटे शंख इत्यादि भी मिलते हैं तथा मगरों की बनावट से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह समुद्री क्षेत्र (सिन्धु-सरस्वती) रहा होगा।

सन्दर्भ :

1. मोगेराई तालाब में स्थित काले पत्थर का शिलालेख पर उत्कीर्ण तिथि अनुसार
2. ओझा, गौ. ही., प्राचीन भारतीय लिपि माला, दिल्ली, 2011, पृ. 69-72
3. वही, पृ. 73
4. शर्मा कन्हैयालाल, हिन्दी भाषा एवम् नागरी लिपि का विकास, दिल्ली, 2001, पृ. 53-54
5. स्व. मंगलसिंह भाटी (उम्र 85 वर्ष) से साक्षात्कार, 1986 ई.
6. गोरधनसिंह (उम्र 65 वर्ष) से साक्षात्कार
7. मोगेराई के पास स्थित भोमियाजी की प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख अनुसार
8. मोगेराई स्थित पीले पत्थर का शिलालेख
9. स्व. लिखमाराम पूनियां (उम्र 70 वर्ष) साक्षात्कार, 1990 ई.
10. गोरधनसिंह (उम्र 65 वर्ष) से साक्षात्कार दिनांक 06.10.2014 ई.
11. आम्बसिंह भाटी (उम्र 75 वर्ष) से साक्षात्कार दिनांक 15.07.2008 व 04.11.2014 ई.
12. वही
13. स्व. मंगलसिंह भाटी (उम्र 85 वर्ष) से साक्षात्कार, 1986 ई.
14. आम्बसिंह भाटी (उम्र 75 वर्ष) से साक्षात्कार दिनांक 15.07.2008 व 04.11.2014 ई.
15. वही
16. लखसिंह भाटी व अशोक पुरोहित से साक्षात्कार दिनांक 04.11.2014 ई.
17. पदमसिंह धान्धल से साक्षात्कार दिनांक 25.07.2014 ई.
18. रतनाराम पूनिया (उम्र 78 वर्ष) से साक्षात्कार दिनांक 17.07.2014 ई.
19. मोगेराई-चोचरा-आंग क्षेत्र में प्रचलित लोकोक्ति
20. रीडमल सिंह राठौड़ से साक्षात्कार दिनांक 18.07.2014 ई.
21. पुरोहित, डॉ. अनिल : 18वीं शती में मारवाड़ के मुख्य व्यापारिक मार्ग (शोध पत्र), (प्रकाशित शोध पत्र, सं. प्रो. एस.पी. व्यास, प्रोसेडिंग्स ऑफ राजस्थान इतिहास कांग्रेस, पाली, 2010)

उमरकोट-जोधपुर सम्बन्ध

पंकज चाण्डक

मारुप्रदेश प्राचीनकाल में मरुमण्डल, मरुदेश व नवकोटी मारवाड़ नामों से विदित था। शासन के नौ कोट/गढ़ी का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था किन्तु परमारों प्रतिहारों के शासनकाल में सुविधानुसार बदलती रही, कभी आबू (अर्बुद), कभी मण्डोर (मंडपपुर) तो कभी किराडू (किराटकूप) इन शासन केन्द्रों के नाम निम्नलिखित दोहे में द्रष्टव्य है।

धाट किराडू पारकर, लौदरवौ जालौर।

आबू पूगल नागौर सू, नवकोटां मंडौर।।

दोहे में सर्वप्रथम नाम धाट (उमरकोट क्षेत्र) का आया है।¹ भारत के कोट संज्ञक नगरों में प्राचीनतम भी उमरकोट (हिन्दी जुबान में अमरकोट)² सिन्धु सभ्यता व वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल भी वही क्षेत्र है। सनातन संस्कृति की सरिता सर्वप्रथम घाट की पावन धरती से प्रवाहित होकर मांड धरा (जैसलमेर क्षेत्र) में पहुंची जहां मांड राग की उत्पत्ति हुई। लोक संस्कृति की धारा धाट से मांड होती हुई थलवाट (मरुस्थली) के धोरों में पहुंच कर रूपहले रजकणों में ऐसी रमी कि मारवाड़ के लोक संस्कृति में जगदेव-कंकाली, उमर-मारूवी, मूमल-महेन्द्र के आख्यान काफी प्रचलित रहे हैं। समारोह व महफिलें में 'रतन राणा'³ गायो जाना आम बात है। पाबूजी राठौड़ की विख्यात गाथा में अमरकोट का जिक्र है। जहां की राजकुमारी से उनका विवाह होता है। इसी प्रकार पीर बाबा रामदेव का विवाह उमरकोट क्षेत्र में ही हुआ है।

भौगोलिक रूप से देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित धाट क्षेत्र (उमरकोट) जिसने सिन्धु व मारवाड़ क्षेत्र को सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक व राजनैतिक रूप से जोड़ा रखा है। भू-भाग 150 किमी. उत्तर-दक्षिण व 200 किमी. पूर्व-पश्चिम दिशाओं में फैला हुआ पूर्णरूप से रेगिस्तान है। पूर्व-पश्चिम में उमरकोट से लेकर चौहटन की पहाड़ियों तक और उत्तर-दक्षिण में जैसलमेर से सता सुन्दरा गांव से लेकर बाड़मेर जिले के सेड़वा कस्बे तक व पाकिस्तान में सती देहरा तक का क्षेत्र 'धाट' कहलाता था, जिसकी राजधानी उमरकोट थी। इस क्षेत्र के प्रमुख कस्बे मिठी, सलामकोट, चेल्हार, छाछरा, डीपला, उमरकोट, धणाऊ, आलमसर, गडरारोड, मिठड़ाऊ, सरूपे का तला व तालसर आदि हैं।⁴ इसके अधिकतर कस्बे जोधपुर-कराची रेल लाईन⁵ व प्राचीन व्यापारिक मार्गों पर बसे हुए

हैं। वर्तमान में भारत विभाजन के कारण उमरकोट क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान में (थारपारकर व पारकर जिले के रूप में) व शेष 30 प्रतिशत भाग भारत में रह गया।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की कुछ तहसीलों के रूप में अवस्थित है।

1781 से 1813 तक धाट पर जोधपुर के राजा के कब्जे के कारण मारवाड़ में कहावत बनी हुई थी कि 'जोधपुर कितरी ताई तो (जवाब) जोधपुर उमरकोट ताई' अर्थात् जोधपुर कहां तक कि उत्तर में जोधपुर उमरकोट तक।⁶ साथ ही दोनों क्षेत्र उमरकोट व जोधपुर भारतीय महामरुस्थल थार के रेतीले टीलों के मध्य स्थित है, जिसकी जलवायु दोनों प्रदेशों में लगभग समान है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण व अध्ययन की सुविधानुसार उमरकोट जोधपुर सम्बन्धों को चार कालक्रमों में विभाजित कर सकते हैं।

- (1) प्रारम्भ से ई. सन् 1781 तक
- (2) ई. सन् 1781 से ई. सन् 1812 तक
- (3) ई. सन् 1812 से ई. सन् 1847 तक
- (4) ई. सन् 1847 से ई. सन् 1947 तक

प्रारम्भ से ई. सन् 1781 तक

नवकोटी मारवाड़ के परमार राजा धरणीवराह ने अपने नौ भाइयों में अपने राज्य के नौ किलों (कोट) को बांट दिया⁷-

मंडोवर सांमत, हुआ अजमेर सिंधु सुण।

गढ पूगल गजमाल, हुआ लोकद्रवै भाण सुव।

अल्ह-पल्ह अर्बुद, भोजराजा जालंधर।

जोगराज धर धाट, हुआ हांसू पाराकर।

नवकोट किराडू संजुगत, थिर पंवार हर यधिया।

करणी वराह धर भाइयां, कोट बांट जूजू किया।

धरणीवराह का बड़ा पुत्र देवराज हुआ जिन्होंने आबू से मारवाड़ पर राज किया। छोटे पुत्र वाहडराव हुआ जिन्होंने बाड़मेर की स्थापना की। इन्हीं किराडूपति वाहडदेव के पौत्र (1) सोढाजी (2) सांखलाजी (3) पौती कल्याणकुंवर (सच्चियाचायी माता) हुईं। जिसने सोढा परमार ने रताकोट (अमरकोट से 14 कोस) को रता मुगल को हराकर प्राप्त कर तथा शुमरा वंश द्वारा स्थापित उमरकोट⁸ पर कब्जा कर अलग राज्य की स्थापना की। सोढा परमार के वंशज सोढा राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने लम्बे समय तक इस धाट प्रदेश, पारकर व सिन्ध पर शासन किया तथा

राजनैतिक व वैवाहिक सम्बन्धों से मारवाड़ व जैसलमेर से जोड़े रखा साथ ही पश्चिमी छोर से इस्लामी आक्रमणों, संस्कृति को रोके रखा। मध्यकाल में मारवाड़ होते हुए हुमायूँ अपने शरण स्थल उमरकोट पहुंचा जहां मुगल बादशाह अकबर का जन्म (सन् 1542 ई.) में हुआ।⁹

ई.सन् 1782 से ई. सन् 1812

कालान्तर में उमरकोट को कल्होडो ने सोढ़ा से छीन लिया, इसी वंश के शासक नूर मोहम्मद मल्होडो ने आज के उमरकोट के किले को 1739 ई. में बनवाया।¹⁰ कल्होडो में जैसे ही कमजोर शासकों का जमाना आया कि सिन्ध के मोर-टालपुरो ने कल्होडो की हुकूमत पर नजर शुरू किया। कल्होडो ने मीरां के साथ अपनी जंग में मदद के लिए जोधपुर के तत्कालीन महाराजा विजयसिंह से निवेदन किया व मदद प्राप्त की। इस अहसान मन्दगी के बतौर 1781 ई. में धाट के इस किले उमरकोट को कल्होडो शासकों ने जोधपुर के महाराजा विजयसिंह को सौंप दिया।

राठौड़ सेना ने इस किले पर कब्जा कर लिया और महाराजा विजयसिंह ने सेठ बेनचन्द ओसवाल को उमरकोट का पहला सूबेदार नियुक्त किया।¹¹ जोधपुर महाराजा विजयसिंह ने अपनी पासवान गुलाब कुंवर से पैदा हुए अपने लड़के की शादी एक सोढ़ी राजकुमारी से की¹² और उमरकोट पर स्थायी रूप से कब्जा कर लिया जो 1813 ई. तक बरकरार रहा।¹³ इस काल में (1782 से 1813 ई. तक) उमरकोट में जोधपुर के परगने के रूप में कार्य किया।¹⁴ इस परगने उमरकोट जोधपुर सम्बन्धों पर उपलब्ध स्रोतों में मुख्य स्रोत जोधपुर रियासत की हुजूर दफ्तर श्री की ऐतिहासिक बहियां हैं जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, शाखा जोधपुर में उपलब्ध है। इन अप्रकाशित व प्राथमिक स्रोत से परगने उमरकोट के जमा खर्च, आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियां, उस समय के वस्तुओं के भाव, दोनों के मध्य व्यापार विनिमय आदि की जानकारी है। यह कुल 22 बही जिसमें से उमरकोट से जमा खर्चे रो नावो, जमाबन्दी री बही, परगने उमरकोट तालके रो सावो, भोम हाकम रे जमाबन्दी प्रमुख है।¹⁵

सन् 1812 ई. से ई. सन् 1847 तक

सन् 1812 ई. में महाराजा मानसिंह के काल में जोधपुर राजा में पड़े भीषण अकाल व प्रशासनिक शिथिलताओं¹⁶ (नाथ बाबाओं व बलूच पिण्डारी मीर खां के प्रभाव के कारण) जोधपुर की सेना टालपुरियों का मुकाबला न कर सकी व उमरकोट पर पुनः मीरों के सेनापति टालपुरियों का अधिकार हो गया।¹⁷

सन् 1817 में जोधपुर महाराजा मानसिंह ने अंग्रेज सरकार की सहमति प्राप्त

कर ओसवाल रिड़मल व अभयमल के नेतृत्व में उमरकोट कब्जा करने हेतु सेना भेजी। परन्तु शिव परगना के फलसूंड में सेना पड़ाव के दौरान महामारी फैलने के कारण अभियान असफल रहा। बाद में मारवाड़ राज्य की लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों, घरेलू कलह व आर्थिक संकट के कारण, जोधपुर स्टेट ने कभी जंग के रास्ते से उमरकोट पाने की कोशिश नहीं की।¹⁸ ई. 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिन्ध विजय के उपरान्त महाराजा तखतसिंह में उमरकोट से अंग्रेजी से लेकर पुनः मारवाड़ में मिलाने हेतु पत्र व्यवहार किया जिसमें उन्होंने 1818 के पत्र, 1839 के अहदनामे (सिन्ध विजय हेतु रास्ता देने, जल व्यवस्था, सैन्यदस्ता) का हवाला देते हुए उमरकोट पर अपना हक बताया। नेपियर व लार्ड ऐलिनबरो में महाराजा के 30 वर्षों के कब्जे के दावे व 1839 के अहदनामे व अहसानों के कारण यह किला उमरकोट ने शान्ति व अफीम के अवैध व्यापार पर नियंत्रण की शर्तों पर जोधपुर में सौंपने पर राजी हुई।¹⁹ परन्तु इस इलाके के सोढ़ा राजपूतों ने तिहरी गुलामी (जागीरदारी, राजा, अंग्रेजों) के बदले एकल गुलामी (अंग्रेजों के सीधे शासन) हेतु व्यवहार किया।

सिन्धी ने प्रस्तुत इस अर्जनामा की नकल²⁰ (नेपियर को प्रस्तुत)

जनाबे आली अलकाव नवाब गवर्नर साहब, बहादुर सिन्ध कदीम जमाने खां वही उमरकोट अई इन सा लागू इलायकों अई थर अंसाजे अब्बन, डाउन जे हवाले होआ। कल्होडन अई मीरन असां सा उमरकोट खसी वरतो। असां मां ताकत न हुई सो खसी वटूं असां हिनन खे ढल डियण कबूल कई। खोसा अई रंद थर में असां खे तंग था कन। असां जे खूआन मथै कब्जो करी अई असां जा उठ अई घोड़ा चोराई था वजन। अवहां जे जेरे कब्जे असी रिहण था चाहियूं। असी जोधपुर स्टेट जो कब्जो पसन्द करे ज्या कौन था करियूं।

राणे महाराज मूल जी अई श्यामसिंह सोढा अखेराज अई मानसिंह सोढा उमरकोट

चार्ल्स नेपियर को जैसे ही अर्जनामा मिला उसने इस मांग की नकल लगाकर ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजा कि उमरकोट के हिन्दू वाशिन्द भी, हिन्दू स्टेट जोधपुर के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। साथ ही नेपियर ने इस किले के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, सिन्ध सीमा की रक्षा में उपयोग समझते हुए उमरकोट पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा बरकरार रखने की अनुशंसा की।²¹

इस पर ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर महाराजा के दावे को जायण मानते हुए भी इस क्षेत्र को अपने पास जमा रखा इसकी एवज में जोधपुर महाराज से 10,000 रुपये सालाना देना तय हुआ जो उसके 1818 सन्धि के अनुसार 1,08,000 रुपये सालाना दर से कम कर 17 जून 1847 से 98,000 रुपये सालाना वसूला दर राशि नीयत की गई। साथ ही भविष्य में उमरकोट को जोधपुर को देना तय हुआ।²²

सन् ई. 1847 से सन् 1947 तक

सन् 1847 के बाद बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों, सन् 1818 की संधियों व ई. 1847 के उमरकोट पर सीधे ब्रिटिश कानून प्रशासन व शेष मारवाड़ में रियासत के प्रशासन में शिक्षा, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में भिन्नता होने के बावजूद भी उमरकोट क्षेत्र, जोधपुर का अग्रगामी व मार्गदर्शक रहा। चाहे जोर तालीम द्वारा शिक्षा हो,²³ या डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, चिकित्सा व पुलिस व्यवस्था²⁴ बाद में महाराजा जोधपुर द्वारा जोधपुर में लागू की जाती है।

सन् ई. 1947 में देश विभाजन के समय 17 जून 1847 के जोधपुर महाराजा तखतसिंह व अंग्रेजों के मध्य समझौते के अनुसार उमरकोट को भारत में मिलाया जा सकता था, लेकिन जोधपुर स्टेट द्वारा ई. सन् 1947 में इस बाबत कोई जवाब नहीं करने के कारण उमरकोट पाकिस्तान में ही रह गया साथ ही धाट क्षेत्र का विभाजन हो गया।²⁵ अकाल के समय (लडपालण) सदैव मारवाड़ राज्य की शरण स्थली, आराम स्थली रही उमरकोट क्षेत्र सदा के लिए राजनैतिक रूप से अलग हो गया, परन्तु विभाजन के पश्चात् भी दोनों क्षेत्र के रहवासी के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक व भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ाव है।²⁸

सन्दर्भ

1. कविया, शक्तिदान, धरा सुरंगी धाट, ठा. जैतमालसिंह सोढ़ा धाट धरा, जोधपुर, 2009
2. कविया, शक्तिदान, सम्पादक सोढ़ायण, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 1966
3. वही
4. सोलंकी तेजसिंह, उमरकोट सिंध जो इतिहास (उमरकोट तारीख), सिन्ध, 1935
5. वही
6. गढ़वीर, एम.आर., अहवा की बातें, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2013
7. सोढ़ायण
8. जैन, कैलाशचन्द्र, एंसिसियेन्ट सिटीज एण्ड टाउन्स ऑफ राजस्थान, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1972
9. बैवरिच, ए.एस., द हिस्ट्री ऑफ हुमायूं, अण्टालिक पब्लिकेशन, दिल्ली, 1990
10. जामू, रायचन्द्र, रेगिस्तान जी तवारीख, वोल्यूम 1 और 2, सिंधी अदबी बोर्ड, हैदराबाद-सिन्ध, 1956
11. भाटी, हुकमसिंह (सं.) मारवाड़ के ओहदेदारों का इतिहास में योगदान, इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर
12. ब्याव बही, जोधपुर रियासत

13. भाटी, विक्रमसिंह (सं.) मूंदियाड़ री ख्यात, इतिहास अनुसंधान संस्थान, चौपासनी, जोधपुर, 2005
14. श्री दफ्तर रे हजूर बही सं. 1961 से 1982 (22 बहियां)
15. हकीकत बहियां (क्रमांक 3 से 9) बीकानेर अभिलेखागार
16. शर्मा, पदमजा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह व अका साहब (1803 से 1843 ई.), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1974
17. गहलोत, जगदीशसिंह, राजस्थान का इतिहास, भाग 2, हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर, 1937
18. भाटी, एन.एस. सम्पादक महाराजा मानसिंह री ख्यात, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 1968
19. एचिसन, सी.यू.ए, कलेक्शन ऑफ ट्रिटीज एंगेजमेंटस एण्ड सनदस रिलेटिंग टू इण्डिया, कलकता, 1935
20. रेगिस्तान जी तवारीख
21. वही
22. कलेक्शन ऑफ ट्रिटीज
23. ए-182 एट इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन
24. वही
25. वही
25. माहेश्वरी, बंशीधर, अणाणो सांस्कृतिक वरसो, श्री थरी चेरीटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद, 2005

**बीकानेर राज्य के केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध,
कल्याणमल-अकबर सम्बन्धों के विशेष संदर्भ में :
एक पुनरावलोकन**

सुश्री कनिका भनोत

राजस्थान के पश्चिमी सम्भाग के थार मरुस्थलीय रेतीले भूभाग में स्थित बीकानेर राज्य¹ भारत का एक ऐसा प्रदेश विशेष रहा है जो अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण न केवल राजस्थान वरन् भारत के इतिहास में भी अपना एक स्वतंत्र तथा सर्वथा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता रहा है। प्रारम्भ में उपेक्षित और अलग-थलग पड़े रहे बीकानेर राज्य² के दिल्ली की केन्द्रीय सत्ता के साथ सम्पर्क में आने³ के पश्चात् इस राज्य के उत्कर्ष एवं समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य में मुखरित होकर सामने आने का समय प्रारम्भ हुआ। सोलहवीं सदी का उत्तरार्द्ध एवं सत्रहवीं सदी का प्रथम दशक⁴ इस दृष्टि से बीकानेर-इतिहास के लिए तो विशिष्ट महत्त्व से युक्त रहा ही, इसने मुगल-राजपूत सम्बन्धों के इतिहास में भी एक उल्लेखनीय अध्याय जोड़ा।

सन् 1542 से 1612 ई. तक की कालावधि के दौरान बीकानेर के शासकों के मुगलों से सम्पर्क, मुगल मनसबदारी में प्रवेश एवं तदनन्तर मुगल मनसबदार के रूप में मुगल साम्राज्य के विस्तार और सुदृढीकरण हेतु प्रदत्त सेवाओं तथा प्रतिफल में प्राप्त यश, गौरव, सम्मान व संरक्षण का एक अनवरत दौर चला। इस दौर में घटित क्रियाकलापों ने बीकानेर राज्य को केन्द्रीय परिदृश्य में ला खड़ा करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। परन्तु इस दौर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना सन् 1570 में बीकानेर राज्य द्वारा मुगल आधिपत्य स्वीकार किया जाना था जिसने बीकानेर राज्य को मुगल बादशाह अकबर के सन्निकट ला खड़ा किया और बीकानेर राज्य का राजनीतिक उत्कर्ष मुगलों के सहयोगी राज्य के रूप में होना प्रारम्भ हो गया।

इस युगान्तकारी घटना के घटित होने के समय बीकानेर का शासक कल्याणमल⁵ था। जोधपुर नरेश राव मालदेव ने कल्याणमल के पिता राव जैतसी⁶ को परास्त कर जिस बीकानेर राज्य को पदाक्रान्त कर लेने में सफलता प्राप्त कर ली थी, उसे कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता से प्राप्त अवश्य कर लिया था⁷ परन्तु, कल्याणमल को तेजी से बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य का भान हो गया था। अपने राज्य की रक्षा के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी शक्तिशाली सत्ता का

संरक्षण प्राप्त करना उसके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता एवं विवशता बन गई।

वस्तुतः बीकानेर नरेश कल्याणमल (1542-74 ई.) ने शेरशाह के सहयोग से अपना राज्य पुनः प्राप्त तो कर लिया था किन्तु वह अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। राज्य में बसने वाली स्थानीय जातियां, जिन्हें उसके पूर्वज बीका ने परास्त कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था, अवसर मिलते ही राज्य की शांति और व्यवस्था को भंग कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास करती रहती थीं।¹⁸ सीमा पर भट्टी और स्वेच्छाचारी डाकू अलग कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते थे। जोधपुर के आक्रमण का खतरा भी निरन्तर बना रहता था। इन परिस्थितियों में बीकानेर नरेश कल्याणमल ने मुगलों का प्रतिरोध करने के स्थान पर सहयोग करना ही उचित समझा और अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया।

डॉ. करणीसिंह ने अपने शोध प्रबन्ध 'बीकानेर राजघराने के केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध (1465-1949)'¹⁹ के अंतर्गत इस विषय पर कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है परन्तु, वह जानकारी बहुत ही सतही एवं संक्षिप्त है जिसमें कतिपय महत्वपूर्ण इतिहास स्रोतों में समाहित तद्विषयक जानकारी को स्पर्श तक नहीं किया गया है। अस्तु, प्रस्तुत शोध लेख में ऐसे तथ्यों को उजागर करने, उनका सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत करने और यह मान्यता प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है कि अकबर और बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के मध्य शासक-शासित के तथा मैत्री सम्बन्ध भी स्थापित होने के मूल में दोनों पक्षों की कतिपय ऐसी आवश्यकताएं, विवशताएं और जरूरतें विद्यमान थीं जिन्होंने दोनों शक्तियों के मध्य सामीप्य को अवश्यम्भावी बना दिया।

अकबर के दिल्ली पर सिंहासनारूढ़ होते ही भारतीय राजनीति में युगान्तकारी परिवर्तनों का दौर प्रारम्भ हो गया। उसने शीघ्र ही इस तथ्य को समझ लिया कि राजपूतों से संघर्ष करके दिल्ली में स्थित कोई भी मुस्लिम शासक स्थाई सफलता अर्जित नहीं कर पाया था। मुगल साम्राज्य के स्थायित्व और विस्तार के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना उसे आवश्यक लगा। राजपूत एक अच्छे योद्धा, वचन के पक्के, निष्ठावान और अपनी मान-मर्यादा के लिए मर मिटने वाले शूरवीर व्यक्ति थे। विदेशी सैनिकों के सैन्य आधार पर निर्भर अकबर राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर इस अनैच्छिक निर्भरता से मुक्ति प्राप्त कर सकता था। राजपूतों को सहयोगी बना कर अकबर अपने उच्छृंखल अमीरों को न केवल नियंत्रित कर सकता था वरन् अपने अमीर वर्ग में वांछित शक्ति संतुलन भी स्थापित कर सकता था। इन परिस्थितियों में तैमूर के वंशज अकबर ने और बीकानेर के नरेश राव कल्याणमल ने एक-दूसरे की महत्ता को समझा।

आमेर के कछवाहा राजपूत राजवंश द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् आमेर का जो उत्कर्ष हुआ था उसने राजपूताना के कतिपय अन्य राज्यों को भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को प्रेरित किया था। यही कारण था कि 1570 ई. के अकबर के नागौर दरबार में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर जैसे राज्यों ने मुगलों की अधीनता सहर्ष स्वीकार कर ली थी।

बीकानेर नरेश राव कल्याणमल एक दूरदर्शी एवं चतुर शासक था। उसने शीघ्र ही यह भांप लिया था कि द्रुतगति से शक्ति सम्पन्न होते जा रहे मुगल बादशाह से मित्रता करने में ही बीकानेर का हित है। आमेर का राजा भगवन्तदास, जो कि उसकी बुआ का पौत्र था,¹⁰ काफी समय से कल्याणमल पर अकबर की शाही सेवा स्वीकार कर लेने के लिए दबाव बना रहा था। प्रारम्भ में तो कल्याणमल ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अपने राज्य को मुगल प्रभाव से दूर रखना चाहता था, साथ ही उसमें स्वतंत्र रहने की भी अभिलाषा थी किन्तु, अकबर के दिन-प्रतिदिन के बढ़ते प्रताप से कल्याणमल सचेत था। अकबर ने भटनेर का दुर्ग बीकानेर से छीन लिया था तथा बाद में उसे बाघा को दे दिया था।¹¹ बाघा¹² इससे पूर्व ही अकबर का संरक्षण प्राप्त कर चुका था। कल्याणमल ने अकबर के इस कार्य का कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह अपनी शक्ति एवं सीमाओं से भलीभांति परिचित था अतः अकबर का प्रतिरोध करने के बजाय उसके साथ सहयोग करना ही उसने बीकानेर राज्य के लिए श्रेयस्कर समझा। वस्तुतः कल्याणमल ने अपना खोया हुआ राज्य भी मुसलमानों के सहयोग से ही वापस प्राप्त किया था अतः वह उनकी शक्ति से पूर्णतया परिचित था। दूसरी ओर मालदेव के साथ हुए संघर्ष और भटनेर के हाथ से निकल जाने से बीकानेर की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं रही थी। जोधपुर के काल्पनिक आक्रमण का भय भी उसे सताता रहता था।

इतिहासकारों¹³ ने कल्याणमल के अकबर की शरण में जाने का महत्वपूर्ण कारण जोधपुर के आक्रमण का भय माना है जो पूर्णतया सही नहीं है। तथ्यों का परीक्षण करने पर यह प्रतीत होता है कि इतिहासकारों ने उस समय की जोधपुर की परिस्थितियों का आकलन ठीक से नहीं किया और कल्याणमल के लिए जोधपुर के आक्रमण के भय को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर दिया। सत्य तो यह था कि मालदेव की शेरशाह से पराजय¹⁴ के उपरान्त ही जोधपुर की शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गई थी। समेल-गिरी के युद्ध में जहाँ मारवाड़ के अद्वितीय योद्धाओं की आहूति लगी वहीं उन योद्धाओं के बल पर जीते गये मारवाड़ के प्रदेश भी जो मारवाड़ की सीमा की दृढ़ भिन्नी थे, मारवाड़ के हाथों से निकल गये। यद्यपि, मालदेव ने अपनी पैतृक सम्पत्ति जोधपुर व सोजत पर शीघ्र ही अधिकार कर लिया था किन्तु अत्यधिक प्रयासों के

उपरान्त भी वह अपने विगत वैभव को हासिल कर पाने में असफल ही रहा। 1562 ई. में अपनी मृत्यु के समय जो राज्य उसने अपने उत्तराधिकारी को सौंपा उसमें जोधपुर, सोजत, सिवाना, फलौदी, पोकरण व जालौर के परगने थे।

मालदेव ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक क्षीण राज्य ही नहीं छोड़ा था, वरन् उनके लिए गृह-कलह के बीज भी बो दिए थे। उसने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्रों राम और उदयसिंह में से किसी को न बना कर, रेउ के अनुसार अपने छोटे पुत्र चन्द्रसेन को बनाया।¹⁵ उसके दोनों बड़े भाइयों - राम और उदयसिंह ने इसका विरोध किया। अतः उसे शीघ्र ही अपने बड़े भाइयों राम व उदयसिंह के साथ संघर्ष में उलझना पड़ा। राम चन्द्रसेन के हाथों परास्त होकर मुगलों की शरण में चला गया और मुगलों को जोधपुर पर चढ़ा लाया। चन्द्रसेन मुगलों का प्रतिकार नहीं कर पाया और उसे जोधपुर छोड़ कर सिवाना में शरण लेनी पड़ी और जोधपुर पर अकबर का अधिकार हो गया।¹⁶ जालौर पर इससे पूर्व ही मुगलों का अधिकार हो गया था। इस प्रकार चन्द्रसेन तो स्वयं ही संकटग्रस्त था और मुगल कृपा का आकांक्षी था। वह तो स्वयं भी सन् 1570 में अकबर से मिलने नागौर पहुँचा था किन्तु जब अकबर ने उसे जोधपुर देने से इनकार कर दिया तो वह वहाँ से चला गया। इस प्रकार चन्द्रसेन तो स्वयं ही जोधपुर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, तो फिर वह बीकानेर के लिए खतरा हो ही नहीं सकता था। उल्लेखनीय है कि सन् 1542 ई. के बाद से सन् 1570 तक की अवधि के दौरान जोधपुर का कोई भी आक्रमण बीकानेर पर नहीं हुआ था और जब चन्द्रसेन को जोधपुर त्यागना पड़ा था, उसके बाद की परिवर्तित परिस्थितियों में तो बीकानेर को चन्द्रसेन से कोई खतरा रहा ही नहीं था। वस्तुतः बीकानेर नरेश कल्याणमल के लिए सबसे बड़ा खतरा तो मुगलों की निरन्तर बढ़ती जा रही शक्ति का ही था। यदि कल्याणमल मुगलों की शरण में नहीं जाता तो निश्चित था कि अकबर ही उस पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करता, क्योंकि इस समय तक अकबर राजपूताना में प्रवेश करने लगा था। उसने सन् 1557 में अजमेर और जैतारण पर विजय प्राप्त कर ली थी; सन् 1561 में चन्द्रसेन को भगा कर जोधपुर पर अपना कब्जा कर लिया था। अकबर ने सन् 1567 में चित्तौड़ व 1569 ई. में रणथम्भौर पर भी अपना अधिकार कर लिया था।

अकबर की मनसबदारी सेवा में आने से प्राप्त होने वाले वेतन तथा पुरस्कार के रूप में मिलने वाली जागीरों का आकर्षण कल्याणमल को भी आकृष्ट कर रहा था। एक बार अकबर की शरण में आने से उसे आंतरिक और बाह्य सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने की आशा थी। इस समय तक अकबर की शक्ति निर्विवाद-सर्वोच्चता की ओर अग्रसर थी। कल्याणमल, मेवाड़ और मारवाड़ द्वारा अकबर के विरोध तथा

आमेर के सहयोग के परिणामों से सुविज्ञ था। अकबर का प्रतिरोध करने से मेवाड़ उजड़ गया था¹⁷ यह किसी से छुपा नहीं था। अतः अपने राज्य की रक्षा और उसके अस्तित्व को बचाये रखने के लिए कल्याणमल ने अकबर से सहयोग करने में ही अपनी भलाई समझी।

अपने राज्य के पन्द्रहवें वर्ष में वि.सं. 1627 अर्थात् सन् 1570 में ता. 8 रवि उस्मानी हि.स. 978 को अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत के लिए अजमेर की ओर प्रस्थान किया। शुक्रवार ता. चार जमादि उस्मानी (वि.सं. 1627, कार्तिक सुद 6, सन् 1570 ई. ता. 3 नवम्बर) को अजमेर से चल कर 16 जमादि उस्मानी को अकबर नागौर पहुँचा जहाँ उसने एक तालाब खुदवाया जिसका नाम शूकर तालाब रखा। उन दिनों अकबर के बढ़ते प्रभाव के कारण कई राजा उससे मैत्री करने अथवा उसकी सेवा स्वीकार करने को तत्पर थे। बीकानेर नरेश कल्याणमल भी अपने पुत्र रायसिंह के साथ अकबर के समक्ष नागौर में उपस्थित हुआ जहाँ अकबर अपना दरबार लगाये बैठा था। वह कई दिनों तक बादशाह अकबर की सेवा में रहा जहाँ अकबर ने अपने व्यवहार से उसे बड़ी तसल्ली दी और धीरज बंधाया।¹⁸ इस अवसर पर कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया।¹⁹

अबुल फजल, अकबरनामा में कल्याणमल के भाई कान्हा की पुत्री का विवाह अकबर से होना बताता है।²⁰ फरिश्ता भी कल्याणमल की पुत्री का विवाह अकबर से होना बताता है।²¹ किन्तु, बीकानेर के स्थानीय इतिहास स्रोत दलतप विलास का लेखक कल्याणमल के दो भाइयों, भीमराज की पुत्री भाणमती तथा कान्हाजी की पुत्री राजकुंवरी का विवाह अकबर से होना बताता है।²² डॉ. रघुवीरसिंह²³ एवं डॉ. करणीसिंह²⁴ ने अपने ग्रंथों में इन वैवाहिक सम्बन्धों का उल्लेख नहीं किया है। सम्भवतः इन्हें ये वैवाहिक सम्बन्ध राजपूती शान और गौरवमय परम्परा के अनुकूल नहीं लगे हों। डॉ. करणीसिंह स्वयं बीकानेर राजघराने से ताल्लुक रखते थे और डॉ. रघुवीर सिंह भी राठौड़ हैं और बीकानेर के राठौड़ राजघराने से सम्बद्ध रहे हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने जानबूझकर अपने इतिहास ग्रंथों में इन वैवाहिक सम्बन्धों का उल्लेख नहीं किया। किन्तु, दलपत विलास अकबर का समकालीन स्थानीय इतिहास स्रोत है जिसका कथन सत्य प्रतीत होता है चूँकि फारसी स्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार बीकानेर नरेश राव कल्याणमल ने न केवल अकबर की अधीनता ही स्वीकार कर वरन् वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर अकबर के साथ बीकानेर राजघराने की घनिष्ठता और सामीप्य भी स्थापित कर दिया। अकबर ने भी राव कल्याणमल को दो हजार का मनसब प्रदान कर उसे मुगल सेवा में सम्मिलित कर लिया।²⁵

जब बादशाह अकबर ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया तब राव कल्याणमल

बीकानेर लौट आया परन्तु, उसका पुत्र रायसिंह बादशाह की सेवा में रहा। राव कल्याणमल शरीर से इतना अधिक मोटा था कि आसानी से घोड़े पर भी सवार नहीं हो सकता था अतः वह सैन्य सेवा के लिए अनुपयुक्त था। इसीलिए अकबर ने उसे बीकानेर लौट जाने की अनुमति दे दी और उसके पुत्र रायसिंह को अपने साथ रख लिया।²⁶ कल्याणमल का छोटा पुत्र पृथ्वीराज बड़ा वीर, परम विष्णुभक्त तथा उच्चकोटि का कवि था। वह भी अकबर की सेवा में चला गया। अकबर के दरबार में उसका बड़ा सम्मान था। नैणसी के अनुसार, बादशाह ने उसे गागरोन का किला जागीर में प्रदान किया था। वह काबुल और अहमदनगर अभियान में शाही सेना के साथ सम्मिलित रहा था।²⁷

यहीं से बीकानेर के शासकों और मुगल साम्राज्य के मध्य दीर्घकालीन सहयोग का युग आरम्भ होता है। आमेर के शासक भारमल की भांति बीकानेर नरेश कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने राज्य बीकानेर के अनिश्चित भविष्य का अंत करके उसे विकास मार्ग पर अग्रसर कर दिया। निःसंदेह सन् 1570 में बीकानेर के राजघराने और मुगलों के मध्य जो सम्बन्ध बना उसके मूल में बीकानेर राजघराने की राजनीतिक आवश्यकताएं और विवशताएं अंतर्निहित थीं परन्तु, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर को भी मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता और विस्तार के लिए बीकानेर जैसी स्थानीय शक्तियों के सहयोग और मैत्री की नितान्त आवश्यकता थी।

अकबर का आश्रय और सहायता प्राप्त हो जाने पर बीकानेर नरेश को मुगल दरबार में उच्च सम्मान और इज्जत तो मिली ही इन सम्बन्धों का प्रयोग कर राव कल्याणमल अपने शत्रुओं से भी प्रतिशोध ले सका। कल्याणमल की पुत्री पुष्पावती (पुहुपवती) सिरौही के उदयसिंह से ब्याही थी। उदयसिंह की मृत्यु के बाद सिरौही के तत्कालीन शासक राव मान ने उसकी हत्या कर दी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए कल्याणमल और रायसिंह ने अकबर को सिरौही पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। मुगल आक्रमण के समक्ष राव मान पराजित होकर भाग खड़ा हुआ।²⁸

बादशाह अकबर द्वारा जोधपुर बीकानेर नरेश राव कल्याणमल को एवं तदनन्तर रायसिंह को दिये जाने के सम्बन्ध में जो मत-मतान्तर है, उस पर शोधपरक चर्चा किया जाना भी यहाँ प्रासंगिक होगा। उल्लेखनीय है कि जोधपुर के राव चन्द्रसेन ने जोधपुर का किला मुगल सूबेदार हुसैन कुली खां को माघ सुदि 4, वि.सं. 1622 (नवम्बर, 1565 ई.) को सौंप दिया और स्वयं भाद्राजून चला गया।²⁹ अकबर से नागौर में हुई मुलाकात के बाद बीकानेर नरेश कल्याणमल एक वर्ष बाद सन् 1571 में बादशाह से पुनः मिलने फतहपुर सीकरी पहुँचा। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि अकबर ने

उसे गुजरात जाने से पूर्व मार्च, 1572 ई. में जोधपुर दिया। इस विषय में 'बीकानेर का स्थानीय इतिहास स्रोत दलपतविलास' यह लिखता है कि सम्भवतः बादशाह द्वारा कल्याणमल को जोधपुर, नवम्बर, 1571 से मार्च, 1572 ई. के मध्य कभी दिया गया।³⁰ जोधपुर, बीकानेर को सौंपे जाने की व्याख्या फारसी लेखकों ने भिन्न-भिन्न तरीके से की है। फरिश्ता कहता है कि, अकबर ने मालदेव के निवास स्थान जोधपुर को सितम्बर, 1572 ई. में रायसिंह को दिया।³¹ जबकि अबुल फजल कहता है कि, अपने राज्य के सत्रहवें वर्ष (1573 ई.) में जब अकबर गुजरात के विद्रोहियों को कुचलने की तैयारी में लगा हुआ था, तब उसने मालदेव के पुराने स्थान जोधपुर को रायसिंह को दिया ताकि विद्रोहियों के दिल्ली पर आक्रमण को रोका जा सके।³² जबकि अकबरनामा से ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि सिरोही में अकबर ने रायसिंह को यह आदेश दिया कि वे जोधपुर में ठहर कर जोधपुर तथा सिरोही राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करें ताकि यदि विद्रोही शाही सेना के आगमन की बात सुन कर गुजरात से भाग कर शाही सीमाओं में उपद्रव या विद्रोह फैलाने की चेष्टा करें तो उन्हें रोका जा सके।³³ इस सम्बन्ध में निजामुद्दीन अहमद का कथन है कि अकबर ने जोधपुर रायसिंह को सिरोही में दिया था (सम्भवतः सितम्बर, 1572 ई. के बाद) और उसे गुजरात की ओर जाने का आदेश दिया ताकि राणा कीका (राणा प्रताप) गुजरात के मार्ग को रोक कर हानि न पहुँचा सके।³⁴ बदायुनी का कथन है कि रायसिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था।³⁵

इस प्रकार फारसी लेखकों के वृत्तान्त से यही ध्वनित होता है कि जोधपुर रायसिंह को दिया गया था। जबकि बीकानेर के स्थानीय इतिहास स्रोत 'दलपत विलास' से यह प्रमाणित होता है कि जोधपुर राव कल्याणमल को बीकानेर के राठौड़ शासक की हैसियत से पहले ही दे दिया गया था। रायसिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया जाना इसके बाद का कृत्य था, जिसका उल्लेख फारसी स्रोतों ने भी किया है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जोधपुर, कल्याणमल से पुनर्ग्रहित कर लिया गया था। दलपत विलास में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि कल्याणमल की मृत्यु (1574 ई.) के कुछ समय पूर्व ही अकबर ने जोधपुर के साथ नागौर, सिरसा और भारोट कल्याणमल को दिये थे।³⁶ इससे स्पष्ट है कि राव कल्याणमल की मृत्यु तक जोधपुर उसके अधिकार में था।³⁷

कल्याणमल की मृत्यु की तारीख को लेकर चली आ रही, भ्रमपूर्ण स्थिति को समाप्त करना भी इस शोधलेख का एक अन्य उद्देश्य है। उल्लेखनीय है कि ख्यातों के अनुसार, बीकानेर में ही वि.सं. 1628 की वैशाख बदि 5 अर्थात् 14 अप्रैल, 1571 को कल्याणमल का स्वर्गवास हो गया था।³⁸ परन्तु, दलपत विलास में आए उल्लेख

अनुसार आमेर के राजा भारमल का देहान्त कल्याणमल के निधन के आठ दिन पश्चात् हुआ था।³⁹ श्यामसिंह रत्नावत कृत 'कछवाहो री वंशावली' के अनुसार भारमल का देहांत माघ सुदि 5, वि.सं. 1630 (अर्थात् जनवरी, 1574) में हुआ था।⁴⁰ राव कल्याणमल के स्मारक छत्री लेख से कल्याणमल की मृत्यु वि.सं. 1630 की माघ सुदि 2 अर्थात् 24 जनवरी, 1574 ई. को होना प्रमाणित होता है।⁴¹ अतः जो तिथि छत्री स्मारक लेख पर उत्कीर्ण है, उसे ही सही माना जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बीकानेर नरेश राव कल्याणमल द्वारा सन् 1570 में स्वीकार किये गये मुगल आधिपत्य के मूल में उसकी राजनीतिक आवश्यकताएं और विवशताएं तो थी हीं, अकबर के राजपूत शासकों को मुगल साम्राज्य का मित्र व सहयोगी बनाने के सकारात्मक दृष्टिकोण ने भी तद्विषयक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। अकबर से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर कल्याणमल ने बीकानेर-मुगल मैत्री को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। अकबर ने भी सम्मानजनक मनसब के अतिरिक्त जोधपुर, बीकानेर नरेश कल्याणमल को और तदनन्तर रायसिंह को प्रदान कर बीकानेर राजघराने को जोधपुर-बीकानेर के राठौड़ों का मुखिया प्रमाणित कर बीकानेर को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई।

संदर्भ

1. भूतपूर्व बीकानेर राज्य, 27°12' और 30°12' उत्तरी अक्षांश तथा 72°12' एवं 75°41' पूर्व देशांतर के मध्य स्थित एक मरूस्थलीय राज्य था। द्रष्टव्य - दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, भाग-8, पृ. 202
2. जोधा के पुत्र बीका ने वि.सं. 1542 (1485 ई.) में रातीघाटी, बीकानेर में गढ़ की नींव रखी और वि.सं. 1545 की वैशाख सुदि 2 अर्थात् 12 अप्रैल, 1488 को उस गढ़ के आसपास बीकानेर नामक नगर बसाया, यही बीकानेर राज्य की राजधानी बना। द्रष्टव्य - दयालदास की ख्यात, जिल्द-2, पत्र-2, अप्रकाशित, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर
3. हुमायूँ के भाई कामरान ने सन् 1534 में बीकानेर पर चढ़ाई की थी। बीकानेर के चतुर्थ नरेश राव जैतसी ने रातीघाटी के युद्ध में उसे परास्त कर खदेड़ दिया था। द्रष्टव्य - छंद राउ जैतसी रउ, बीदू सूजे रो कयो, छंद संख्या 162-209, अ.सं.पु. बीकानेर
4. इस दौरान बीकानेर में राव कल्याणमल (1542-74 ई.) तथा राजा रायसिंह (1574-1612 ई.) का शासन रहा, जो कि बीकानेर के पांचवें और छठे नरेश थे।
5. कल्याणमल हेतु द्रष्टव्य - जी.एच.ओझा, बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग-1, अजमेर, 1939, पृ. 139-156

6. बीकानेर के चतुर्थ नरेश राव जैतसी (1526-42 ई.) हेतु द्रष्टव्य - जी.एच. ओझा, बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग-1, पूर्व., पृ. 122-137
7. जोधपुर राज्य की ख्यात, खण्ड-1, पृ. 69, अ.सं.पु.बीकानेर; राठौड़ों की बात तथा वंशावली नं. 193, अ.सं.पु.बी.
8. जाट, भाटी, सांखला, मोहिल आदि जातियां
9. करणीसिंह, बीकानेर के राजघरानों के केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध (1465 - 1949 ई.), बीकानेर, 1968 ई.
10. बालाबाई, राव जैतसी की बहिन जो आमेर के कछवाहा शासक पृथ्वीराज को ब्याही थी।
11. सर्वप्रथम राठौड़ों में राव बीका ने भटनेर को जीता था। तदनन्तर इस पर कांधल व फिर उसके पुत्र खेतसी का अधिकार रहा। कल्याणमल के भाई ठाकुरसी का भी इस पर अधिकार रहा जिसे पराजित कर व मारकर अकबर के सेनापति निजामुल्मुल्क ने भटनेर किले का अधिकार कर लिया था। द्रष्टव्य - शाहनवाज खां, मआसिरुल उमरा, हिन्दी अनु. ब्रजरत्नदास, पृ. 373; अजुबल फजल, आइन-ए-अकबरी, अंग्रेजी अनु., ब्लॉकमैन, खण्ड-1, पृ. 316; दयालदास की ख्यात, अप्रकाशित, खण्ड-2, पत्र-22, अ.सं.पु.बीकानेर; निजामुद्दीन अहमद, तबकात-ए-अकबरी, अंग्रेजी अनु., इलियट एण्ड डाउसन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, वोल्यूम-5, पृ. 265
12. कल्याणमल का भतीजा और ठाकुरसी का पुत्र बाघा जिसने अकबर को प्रसन्न कर एक बार फिर भटनेर प्राप्त कर लिया था।
13. जी.एच.ओझा, डॉ. करणीसिंह, जी.एन.शर्मा एवं डॉ. वी.एस.भार्गव इत्यादि।
14. द्रष्टव्य - बी.एस.भार्गव, मारवाड़ एण्ड दि मुगल एम्परर्स, दिल्ली, 1966 ई.
15. चन्द्रसेन रेड के अनुसार छठा व जी.एच.ओझा के अनुसार तीसरा पुत्र था। रेड, मारवाड़ का इतिहास, खण्ड-1, पृ. 144-48
16. बी.एस.भार्गव, पूर्वोक्त
17. जी.एन.शर्मा, मेवाड़ एण्ड दि मुगल एम्परर्स, आगरा, 1962, पृ. 118-19
18. दलपत विलास, पृ. 15
19. बदायुनी, मुन्तखाब-उत-तवारीख, अंग्रेजी अनु. लो, खण्ड-2, पृ. 137
20. अबुल फजल, अकबरनामा, अंग्रेजी अनु., बेवरीज, खण्ड-2, पृ. 518
21. फरिश्ता : तारीख-ए-फरिश्ता, अंग्रेजी अनु. ब्रिग्स, खण्ड-2, पृ. 143
22. दलपत विलास, पूर्वोक्त, पृ. 14-15
23. रघुवीर सिंह, पूर्व आधुनिक राजस्थान, विश्व विद्यापीठ, उदयपुर, 1951
24. करणीसिंह, बीकानेर राजघराने का केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध, बीकानेर, 1968
25. अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, अंग्रेजी अनु. ब्लॉकमैन, खण्ड-1, पृ. 384
26. राठौड़ों की बात तथा वंशावली, संख्या-193, अ.सं.पु.बी.
27. अबुल फजल, अकबरनामा, अंग्रेजी अनु. बेवरीज, खण्ड-2, पृ. 159
28. दलपत विलास, पूर्वोक्त, पृ. 15

29. नैणसी, मारवाड़ रा परगना री विगत, खण्ड-1, पृ. 67
30. दलपत विलास, पूर्वोक्त, पृ. 15
31. फरिश्ता, तारीख-ए-फरिश्ता, अंग्रेजी अनु. ब्रिग्स, खण्ड-2, पृ. 144
32. अबुल फजल, आइन-ए-अकबरी, अंग्रेजी अनु. ब्लॉकमैन, खण्ड-1, पृ. 384
33. अबुल फजल, अकबरनामा, अंग्रेजी अनु., बेवरीज, खण्ड-3, पृ. 8
34. निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, अंग्रेजी अनु. इलियट एण्ड डाउसन - हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, खण्ड-5, पृ. 340-41
35. बदायुनी, मुंतखाब उत तवारीख, अंग्रेजी अनु. लो, खण्ड-2, पृ. 143-44
36. दलपत विलास, पूर्वोक्त, पृ. 23
37. इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया से भी इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है। द्रष्टव्य-वही, पृ. 317
38. दयालदास री ख्यात (अप्रकाशित), खण्ड-2, पत्र-22, अ.सं.पु.बी.
39. दलपत विलास, पूर्वोक्त, पृ. 23-24
40. श्यामसिंह रत्नावत, कछवाओं री वंशावली, जयपुर, 1981
41. संवत् 1630 वर्षे माघ मासे शुक्ल पक्षे बीज दिने बीकानेर मध्ये परम पवित्र महाराजाधिराज राउ श्री कल्याणमल सत्य रूह बैकुंठ तल प्राप्त शुभ भवतु कल्याणमस्तु।

मध्यकालीन राजपूताने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

डॉ. सुरेश कुमार चौधरी

मध्यकालीन राजपूताने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। जाति आधारित व्यवसायों तथा पशुपालन का भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था मध्यकालीन राजपूताने के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि होने के कारण भूमि का महत्व अधिक था राज्य में स्थित समस्त भूमि का स्वामी राजा स्वयं होता था। इसलिए राजा को भूपाल, पृथ्वीनाथ, भूपति, भूस्वामी, अन्नदाता आदि विभिन्न उपाधियों से सम्बोधित किया गया है। मध्यकालीन राजपूताने में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि को पाँच भागों में विभाजित किया गया था-खालसा भूमि, जागीर की भूमि, भूम भूमि, मुआफी की भूमि, चरणौत भूमि।

खालसा भूमि उस भूमि को कहा जाता था, जिस पर राजा का सीधा अधिकार होता था। इस भूमि को राजा द्वारा किसानों में वितरित कर दी जाती थी। इस भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को एक निश्चित कर देना होता था, जिसे 'लाग' अथवा हासिल कहा जाता था। जब तक किसान 'लाग' देता रहता था। तब तक उस भूमि का पर उसका अधिकार बना रहता था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार का उस भूमि पर अधिकार बना रहता था।¹

जागीर की भूमि सैनिक सेवाओं के बदले दी जाती थी। तीसरे प्रकार की भूमि 'भूम' कहलाती थी इस भूमि का अधिकारी भौमिया कहलाता था।² इन भूमियों का मुख्य कार्य ग्राम में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखना तथा चोरों व लूटेरों से ग्राम की रक्षा करना था।³ चतुर्थ प्रकार की भूमि मुआफी की भूमि कहलाती थी, जो ब्राह्मणों, चारणों तथा पुरोहितों को दान में दी जाती थी। इस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता था। पाँचवें प्रकार की भूमि चरणौत या गोचर भूमि कहलाती थी। इस प्रकार की भूमि प्रत्येक ग्राम के पास ग्रामीण पशुओं के चरने के लिए रखी जाती थी। इस भूमि पर पूरे गाँव का समान अधिकार रहता था।⁴ इन पाँचों प्रकार की भूमि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध खालसा और गोचर भूमि से था। भूमि की उर्वरता शक्ति के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। भूमि को 'क्यारी', बटका और कटका में बाँटा जाता था तथा उन्हें कुएँ, नदी, तालाब, नहर, आदि से सींचा जाता था, रहट या चरस या चमड़े की टोकरियों से सिंचाई की जाती थी। कहीं-कहीं पर नदी से ऊपर

गड्ढे में पानी भरकर सिंचाई की जाती थी तथा कई स्थानों पर तालाबों से नहर ले जाकर भूमि की सिंचाई की जाती थी।⁵

राजपूताने के अधिकांश क्षेत्र में वर्ष में दो फसलें होती थी। सर्दी में बोई जाने वाली फसल को सियालू (खरीफ) तथा गर्मी में बोई जाने वाली फसल को उनालू (रबी) कहते थे। बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार आदि सियालू तथा गेहूं, चना, सन् सरसों, तम्बाकू, अलसी, जीरा, धनिया आदि उनालू पैदावर थी। सियालू फसल अधिक महत्वपूर्ण थी। क्योंकि इसमें कम धन तथा किसानों का श्रम लगता था। मध्यकालीन राजपूताने में यह धारणा प्रचलित थी। कि किसान उनालू (रबी) फसल से लगान व ऋण चुकाता है तथा सियालू (खरीफ) फसल से अपने परिवार का भरण-पोषण करता है।

मारवाड़ में वर्षा की कमी तथा बालू मिट्टी की अधिकता के कारण पूरे वर्ष में एक ही फसल पैदा की जाती थी। यहाँ कुएँ ही सिंचाई के मुख्य साधन थे। जल की गहराई एवं मात्रा के अनुसार मारवाड़ में अलग-अलग प्रकार के कुएँ होते थे।⁶ मुहणोत नैणसी ने चाँच, कोसीटा, कोहर, अरट, बावड़ी, पावटा आदि प्रकार के कुओं का वर्णन किया है।⁷ मरु प्रदेश की उपज अन्य प्रदेशों से भिन्न थी। यहाँ मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, मँडवा, भुरट, धनिया, तिजारा, मिर्च तरबूत, मैथी दाना, ककड़ी व मतीरा उत्पन्न किया जाता था।⁸ कृषि के पश्चात् पशुपालन का राजपूताने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। बैल व ऊंटों का प्रयोग कृषि कार्य में करते थे। गाय से दूध, घी, मक्खन प्राप्त होता था। यातायात एवं व्यापार की दृष्टि से भी पशुओं का उपयोग होता था। मध्यकालीन राजपूताने में कृषि एवं पशुपालन के पश्चात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जातिगत व्यवसायों (उद्योगों) का स्थान था। ग्राम कच्चे माल के उत्पादन का केन्द्र थे। बड़े उद्योग कस्बों एवं शहरों में ही स्थापित थे किन्तु ग्रामीण लोगों की सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन गाँव स्वयं करता था। प्रत्येक गाँव में अलग-अलग जातियों के लोग रहा करते थे, जो अपने जातिगत व्यवसाय के माध्यम से गाँव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।⁹ गाँव में एक जाति विशेष की आबादी अधिक थी लेकिन उसमें अन्य जातियों के लोग निवास करते थे। लकड़ी के औजार खाती (सुथार) निर्मित किया करता था। मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता था। लोहे के औजार व हथियार लौहार बनाया करता था। कपड़ा भाँभी जाति के लोग बनाये करते थे। कपड़ा बनाने वाले हिन्दू बुनकर तथा मुसलमान जुलाहे कहलाते थे। चमड़े का कार्य रेगर, ढेढ, खटीक तथा मोची करते थे। आभूषण सुनार बनाते थे। छीपा जाति के लोग रंगाई व छपाई का कार्य करते थे। दर्जी कपड़ा सीलने का, कलाल शराब बनाने का, भड़भूँजे अनाज सेकने का, सुतधार पत्थर का हलालखोर का कार्य किया करते थे।¹⁰

राज्य और किसानों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में राजस्व एक महत्वपूर्ण माध्यम था। मध्यकालीन राजपूताने में राजस्व (लगान) उपज का $\frac{1}{3}$ से $\frac{1}{4}$ भाग लिया जाता था। भू-राजस्व को हासिल कहा जाता था। हासिल का निर्धारण उपज तथा किसान की जाति को ध्यान में रखकर किया जाता था। मध्यकालीन राजपूताने में भू-राजस्व के निर्धारण की अनेक पद्धतियां प्रचलित थी। कुता प्रणाली- जिसमें खड़ी फसल का आंकलन कर भोग (कृषिकर) का निर्धारण होता था। जिसमें पिछले वर्षों की उपज के आंकड़ों की सहायता ली जाती थी। लाटा प्रणाली- उपज का ढेर लगाकर लगान निश्चित किया जाता था। काँकड़-कूट पद्धति खड़ी फसल के आधार पैदावार का अनुमान लगाकर लगान निर्धारित किया जाता था। मुकाता पद्धति इसमें चौधरी या साहणों द्वारा खेत का मूल्यांकन करके निर्धारित की गई रकम किसान को चुकानी पड़ती थी। डोरी पद्धति के अनुसार लगान प्रति बीघा के हिसाब से तय होता था।¹¹

लगान निर्धारित करते समय भूमि का उर्वरा शक्ति, किसान की जाति, फसलों के प्रकार आदि का विशेष ध्यान रखा जाता था। बंजर भूमि का बहुत ही कम कर था। ब्राह्मणों एवं राजपूतों से कर नाम मात्र का लिया जाता था।

‘धुआ भाछ’ प्रत्येक गाँव के घर पर जलने वाले चूल्हों की संख्या पर लगाया जाता था। यह एक प्रकार का गृह कर था।¹² तालाब में पानी पीने पर, मारवाड़ में एक प्रकार का कर लगाया जाता था जिसे खड़सीमर कर कहते थे। जमीनी चौथ, जमीन की बिक्री पर कर था। खोल गोद लेने का कर था किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य की अवहेलना करने पर उसे जुर्माना देना पड़ता था। ग्रामीण व्यवसायी जातियों से ‘कीरायत लोका की भाछ’ कर की वसुली की जाती थी। गोचर भूमि पर पशुओं के चरने पर ‘पान चराई’ नामक कर लिया जाता था। इनमें से कुछ कर नियमित तथा कुछ अनियमित थे। राजपूताने का मुगलों के सम्पर्क में आने से राहदारी, बाब, पेशकश, जकात, बराड़, आदि करों का प्रचलन हुआ।¹³

भू-राजस्व कृषकों की कुल पैदावार का लगभग 45 प्रतिशत वसूल किया जाता था। अन्य करों को मिलाकर कृषक को कुल पैदावार का लगभग 55 से 60 प्रतिशत तक चुकाना पड़ता था। टॉड ने बीकानेर राज्य के बारे में लिखा है कि करों की सख्ती से राज्य की जनसंख्या कम हो गयी थी।¹⁵ ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी ईकाई था। राज्य द्वारा नियुक्त ‘हुबलदार’ नामक कर्मचारी राजस्व की वसुली करते थे। ‘चौधरी’ कर वसूल करने में राजकीय कर्मचारियों की सहायता करता था। पटवारी का कार्य गाँव की भूमि का मापन तथा गाँव के राजस्व का रिकार्ड तैयार करना था।¹⁵

मध्यकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायत व्यवस्था का आपस में गहरा

सम्बन्ध था। मध्यकालीन राजपूताने में तीन प्रकार की पंचायते होती थी। ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, व्यावसायिक पंचायत। ग्राम पंचायतों में जो विवाद आने थे। वे अधिकांश आर्थिक होते थे। भूमि स्वामित्व, खेत के सीमा सम्बन्धी विवादों का समाधान ग्राम पंचायत में ही होता था। मध्यकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था राजपूताने में पड़ने वाले प्रति चौथे वर्ष अकाल से त्रस्त थी। क्योंकि अकाल के कारण पशुधन व राजस्व की हानि तो होती ही थी। इसके अतिरिक्त अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अन्यत्र पलायन कर जाती थी।¹⁶ जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी उतार-चढ़ाव आते थे।

मध्यकालीन राजपूताने में गाँव के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर करता था। फसल का अच्छा या बुरा होना ग्रामीण लोगों के जीवन को प्रभावित करता था। बार-बार पड़ने वाले अकाल किसानों के जीवन को संकटमय बना देता था। कम वर्षा से किसानों को कम उपज से ही सन्तोष करना पड़ता था। मध्यकालीन कृषकों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। अतः मध्यकालीन ग्रामीण जीवन सरल नहीं था। कृषक कठोर परिश्रम से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता था।

सन्दर्भ

1. मांगीलाल व्यास मयंक, जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ. 234
2. टॉड, एनाल्स एण्ड एन्टिक्व्यूटी ऑफ राजस्थान, पृ. 136
3. डॉ. मांगीलाल व्यास, जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ. 235
4. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, सोशल लाईफ इन मेडीवल राजस्थान, पृ. 290
5. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृ. 487
6. डॉ. मांगीलाल व्यास, जोधपुर का इतिहास, पृ. 237
7. नैणसी, मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग एक, पृ. 205, 206, 210, 215, 392
8. वही पृ. 238
9. वही, पृ. 298
10. डॉ. जी.एस.एल. देवड़ा, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, पृ. 217
11. डॉ. जी.एस.एल. देवड़ा, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, पृ. 168
12. वही पृ. 168-169
13. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृ. 488
14. टॉड, पूर्वोक्त, पृ. 11, 28, 83
15. डॉ. जी.एस.एल. देवड़ा, पूर्वोक्त, पृ.153
16. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 301

मध्यकाल में महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में बीकानेर के राजवंश की स्मृतियां

डॉ. नरसिंह परदेसी बघेल

भारतीय इतिहास में 'राजपूत' एक लढवय्या कौम के तौर पर परिचित हैं। राजपूतों की अधिकतम जनसंख्या वाले राजस्थान, बुन्देलखण्ड इन प्रांतों के भिन्न भिन्न वीरों ने समय समय पर विभिन्न युद्धों में अपना पराक्रम अर्जित किया है। उनके पराक्रम की कई दास्तानें आज भी हमें इतिहास में दिखाई देती हैं। मुगल साम्राज्य विस्तार में भी राजपूतों का महत्वपूर्ण योगदान था। मुगलों के दख्खन अभियान में भी राजपूत वीरों ने अपने शौर्य, पराक्रम एवं साहस के बलबूते पर अपना परचम लहरा दिया था। दख्खन के अभियान में पराक्रम अर्जित करने वाले जो वीर थे उनमें मुख्यतः आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह, बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह, बून्दी नरेश राव रतनसिंह, बुन्देलखण्ड की भूमि के सपूत जुझारसिंह बुन्देला, ऐसे कई वीरों के नाम लिये जा सकते हैं। उनमें से मिर्जा राजा जयसिंह एवं महाराजा जसवंतसिंह, महाराजा छत्रसाल बुन्देला इन पराक्रमी वीरों की उपलब्धि कुछ हद तक तत्कालीन इतिहास में देखने को मिलती है। मगर ऐसे भी कुछ पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने दख्खन के अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद दुर्भाग्य से उनकी उपलब्धि को सही ढंग से आंका नहीं गया है। जिनमें अग्र रूप से नाम आता है वह बीकानेर के राजवंश का।

मुगल कार्यकाल में मुख्यतः बादशाहों द्वारा अर्जित पराक्रमों को अधिक विस्तारपूर्वक लिखने पर ज्यादा बल दिया गया है। मगर इन अभियानों में विभिन्न सरदारों की सहभागिता तथा उनके योगदान को केवल उनका नाम लिखकर उनके पराक्रम को दुर्लक्षित किया गया है। यह एक नुकीली वास्तविकता है। दख्खन में विभिन्न अभियानों में बीकानेर राजवंश के योगदान से यह बात साफ तौर पर स्पष्ट होती है। इसी वास्तविकता को मध्यनजर रखते हुए इतिहास के मध्यकाल में बीकानेर के जिन नरेशों ने दख्खन के विभिन्न अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, दख्खन में अपना पराक्रम अर्जित किया, मुगल साम्राज्य विस्तार में अपना योगदान दिया तथा दुर्भाग्यपूर्वक इसी दख्खन की भूमि में अपनी आखरी सांस ली। ऐसे बीकानेर के नरेशों के एवं उनके राजपुत्रों के योगदान की एवं उनके द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं

पर नजर डालने हेतु प्रयास शोध पत्र द्वारा किया जा रहा है।

औरंगाबाद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परम्परा

मध्यकाल में औरंगाबाद यह दख्खन का एक महत्वपूर्ण राजकीय एवं सामरिक स्थान के तौर पर महत्वपूर्ण शहर था। यहां पर दीर्घकाल तक मुगल बादशाह, मुगल शहजादे, विभिन्न सरदार, जागीरदार एवं सैनिकों का बसेरा होता था। इस शहर में अलग-अलग जगहों पर उनके डेरे या शामियाने लगे रहते थे। इन्हीं शामियाने में कई शूरमाओं ने अपनी तहयात गुजार दी थी। बादशाह औरंगजेब के जीवन का लंबा समय भी दख्खन में ही व्यतीत हुआ था। सन् 1658 से 1707 इस बीच मुगलों के अधीनस्थ हिन्दुस्तान के तत्कालीन राजवंश के विभिन्न नरेश एवं उनके राजपुत्रों को दख्खन में अपना डेरा लगाने पर मजबूर होना पड़ा था। इनमें मुख्यतः बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बुंदेलखण्ड आदि राज परिवारों के नाम आते हैं।

औरंगाबाद जिसका भूतकालीन नाम 'खडकी' था। जिसका निर्माण मलिक अंबर ने किया था।¹ औरंगाबाद दौलताबाद/देवगिरी किले से काफी सटा हुआ होने की वजह से यह सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। असीरगढ़ या बुरहानपुर के बाद दख्खन में प्रवेश हेतु औरंगाबाद यह दख्खन का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसी औरंगाबाद में मध्यकाल में जो विभिन्न नरेश एवं सरदार सामरिक कार्य हेतु पधारे थे। उनके विश्राम के लिए जो शामियाने लगाये गये थे, या उनके विश्राम हेतु जो अल्पकालीन निवास व्यवस्था की गयी थी। उसे तत्कालीन स्थिति में 'पुरा' नाम से जाना जाता था। जैसे जयसिंहपुरा, भावसिंह पुरा, पहाड़सिंह पुरा, कर्णपुरा, नवाबपुरा आदि। औरंगाबाद में ऐसे कुल 52 पुरे दिखाई देते हैं।² इस पुरे (तत्कालीन बस्ती) में कई नरेशों को मजबूरी में अपनी पूरी हयात व्यतीत करनी पड़ी थी। इसी दौरान उन्होंने अपने स्वयं के लिए तथा परिवार के सदस्यों के निवास हेतु कुछ वास्तुओं का निर्माण किया था। जिसमें मुख्य रूप से बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह द्वारा निर्मित वास्तुओं का नाम आता है।

औरंगाबाद में बीकानेर के राजवंश का आगमन

सन् 1570 में मुगल बादशाह अकबर एवं बीकानेर के नरेश राव कल्याणमल में हुई संधि के अनुसार राव कल्याणमल के पुत्र रायसिंह एवं पृथ्वीराज को शाही सेना में सहभागिता देनी पड़ी थी।³ सन् 1574 में राव कल्याणमल की मृत्यु पश्चात् रायसिंह को बीकानेर के नरेश बने। उन्हें राव की जगह 'महाराजा' यह उपाधि बहाल की गयी। इसी महाराजा रायसिंह को बादशाह अकबर ने सन् 1593, 1597 एवं 1601 में थोड़े थोड़े समय के लिए दख्खन के विभिन्न अभियान में भेजा था। सन् 1605 में

अकबर के पश्चात् मुगल बादशाह बने जहांगीर ने महाराजा रायसिंह को दख्खन में असीरगढ़ (बुरहानपुर) का किलेदार नियत किया था। इसी जगह उनका 22 जनवरी, 1612 में देहांत हुआ। इस तरह दख्खन में मृत्यु पाने वाले महाराजा रायसिंह बीकानेर राजवंश के पहले नरेश थे।⁴

महाराजा रायसिंह के पश्चात् नरेश बने दलपतसिंह अल्पकाल ही सत्ता में रहे। उनके देहांत के पश्चात् सूरसिंह को बीकानेर की गद्दी पर बिठाया गया। महाराजा सूरसिंह को चार हजारी जात एवं तीन हजारी का मनसब प्राप्त हुआ था। उन्हें 4 मार्च, 1630 को दख्खन की ओर रवाना किया गया था। इसी महाराजा सूरसिंह का भी सन् 1631 ई. में बुरहानपुर में देहांत हुआ था।⁵

सूरसिंह के पश्चात् बीकानेर के उत्तराधिकारी बने महाराजा कर्णसिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब ने दौलताबाद किले का किलेदार नियत किया था। महाराजा कर्णसिंह के साथ दख्खन में आये उनके सुपुत्र केसरीसिंह, पद्मसिंह, मोहनसिंह एवं अनूपसिंह शाही फौज के साथ सेवारत रहते हुए दख्खन में वीरता दिखाई थी। महाराजा कर्णसिंह के सुपुत्र केसरीसिंह दख्खन के कांगरा की लड़ाई में तथा द्वितीय सुपुत्र पद्मसिंह सन् 1682 के गोलवाड़ी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तृतीय सुपुत्र मोहनसिंह का दख्खन में ही मोहम्मद शाह पीर तोजक नामक सरदार के साथ हुए एक फसाद में औरंगाबाद में ही मारे गये थे। महाराजा कर्णसिंह के तीनों सुपुत्रों का दख्खन हिंदुस्तान में ही देहांत हुआ था। महाराजा कर्णसिंह जी का भी सन् 1669 में औरंगाबाद स्थित कर्णपुरा में ही देहांत हुआ था।⁶ यह कर्णपुरा उन्होंने अपने नाम से बसाया था।

महाराजा कर्णसिंहजी के पश्चात् उत्तराधिकारी अनूपसिंह को भी दख्खन में सेवारत रहना पड़ा। सन् 1671 में दख्खन में गये अनूपसिंह बीजापुर, गोलकुण्डा तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जंग में शौर्य अर्जित किया था। उसी की बदौलत बादशाह उनकी मनसब में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें तीन हजारी मनसबदार बनाया था। औरंगजेब सन् 1686 में उन्हें 'अडोणी' (आंध्रप्रदेश स्थित करनूल जिला) का किलेदार नियुक्त किया था। दख्खन के विभिन्न अभियानों को संभालते हुए अनूपसिंह का इसी अडोणी के किले में सन् 1698 में देहांत हुआ था।⁷

अनूपसिंह के पश्चात् स्वरूपसिंह अल्पकाल में ही सत्ता संभाल सके। मगर वे उनके बचपन से ही दख्खन में कार्यरत रहे थे। सन् 1700 में उनका बीमारी के कारण दख्खन में ही देहांत हुआ। उनके बाद सुजानसिंह को बीकानेर का शासक नियुक्त किया गया था। उन्हें भी दख्खन में शाही सेवा में उपस्थित रहना पड़ा। सन् 1707 में औरंगजेब के देहांत के बाद उन्हें अपने स्व क्षेत्र बीकानेर में वापिस जाने का मौका

मिला था। औरंगजेब के पश्चात् दख्खन में मुगलों की सत्ता कमजोर होती गयी। अतः बीकानेर के किसी भी शासक को दोबारा दख्खन में आने की नौबत नहीं आयी। इस कारण सुजानसिंह यह दख्खन में आने वाले बीकानेर के अंतिम शासक ठहरे थे।⁸

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सन् 1593 से लेकर सन् 1707 तक करीबन 111 वर्ष बीकानेर के कुल 7 नरेश और 3 राजपुत्रों ने दख्खन में अपनी सेवा अर्पित की थी। उसमें से 4 नरेशों ने तथा 3 राजपुत्रों ने इसी दख्खन की भूमि पर अंतिम सांस ली थी। इन शासकों के कार्यकाल में शनैः शनैः राजपूताना छाप छोड़ने वाले विभिन्न वास्तुओं का निर्माण भी औरंगाबाद में हुआ था।

महाराजा कर्णसिंह के कार्यकाल में बने वास्तुओं का विवरण

मध्यकाल में बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह को राजपुत्र अवस्था में ही मुगल सेना में दो हजार की मनसब प्राप्त हुई थी और उन्हें दौलताबाद का किलेदार के तौर पर नियुक्त किया गया था। सन् 1658 में औरंगजेब एवं उसके भाइयों में सोमूगढ़ का युद्ध हुआ था। उसमें महाराजा कर्णसिंहजी औरंगजेब के पक्ष में रहकर महत्वपूर्ण कामगिरी अर्जित की थी। इसी कार्य से प्रेरित होकर औरंगजेब ने उन्हें 4 गांव इनाम में दिये थे, जो वर्तमान में कर्णपुरा, पदमपुरा, केसरीसिंहपुरा एवं कोकणवाडी इन चार गांवों की 914 एकड़ भूमि होने पुष्टि उनके औरंगाबाद स्थित उत्तराधिकारियों से प्राप्त दस्तावेजों से मिलती है। महाराजा कर्णसिंह का डेरा औरंगाबाद के नजदीक बहने वाली खाम नदी के पूर्व में था। जो वर्तमान में कर्णसिंहपुरा के नाम से जाना जाता है। यहां पर स्थित बालाजी मंदिर के बगल में उन्होंने स्वयं के एवं परिवार के निवास हेतु दो महल बनवाये थे। उनके भग्नावशेष आज भी हमें यहां दिखाई देते हैं। खाम नदी के पूर्व में एक खुले मैदान में स्थित एक महल दिखाई देता है। जो 'राजा का महल' नाम से विख्यात है। यह महल दुर्गजिला इमारत है। इस महल के भग्नावशेषों को गौर से देखने पर यहां करीबन 8 छोटे बड़े कमरे बनाये गये थे ऐसा प्रतीत होता है। इस महल में जो नक्काशी की गयी है उस पर राजस्थानी शिल्पकला का प्रभाव दिखाई देता है। यह महल का प्रवेश द्वार बड़ा तथा कमानीदार है। वर्तमान में इस महल की हालत बेहद खस्ता है। बारिश एवं उचित रखरखाव के अभाव के कारण इसकी ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो गयी है। महल के अंदर कई पेड़-पौधे निकल आये हैं। केवल एक खंडहर के तौर पर यह वास्तु नजर आती है। इस वास्तु को संजोये रखने की आवश्यकता है।

राजा के महल से कुछ दूरी पर एक जनाना महल का निर्माण किया गया जिसे स्थानिक लोग 'राणी के महल' के नाम से पुकारते हैं। यह महल भी दुर्गजिला है और इसमें भी कुल 8 कमरे दिखाई देते हैं। इस महल में भी राजस्थानी शिल्पकला तथा चित्रकारी का प्रभाव दिखाई देता है। इस महल के बाहर संरक्षण हेतु ऊंची दीवारें

निर्माण की गयी थी। जिसके भग्नावशेष उसके लंबाई-चौड़ाई दर्शाती है। भग्न अवशेषों से पता चलता है कि इस महल का प्रवेश द्वार बेहद खूबसूरत रहा होगा। इस महल की दीवारें काफी कमजोर हो गयी हैं तथा ऊपरी मंजिल का हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। यहां भी कई पेड़-पौधे निकल आये हैं। मगर इस महल के नजदीक बने कुछ बड़े पेड़ों की छांव में यहां का मंजर सुहाना महसूस होता है।

औरंगाबाद के कर्णपुरे के नजदीक एक खुले मैदान में एक चार खम्भों पर स्थित छतरी दिखाई देती है। जिसे यहां के लोग राजपुत्र 'केसरीसिंह का स्मारक' के नाम से जानते हैं। इस छतरी को चार खम्भे जो बेहद खूबसूरत नक्काशी तथा अलंकरण से युक्त दिखाई देते हैं। जिस पर गुंबद और गुंबद के चारों ओर नक्काशीदार छज्जे इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। काले-सफेद रंग पत्थर द्वारा बनी इस छतरी का समतल पृष्ठभाग देखरेख के अभाव के कारण बेहद खराब हो गया है। कई जगहों से इनके पत्थर बाहर निकल आये हैं। छत भी बारिस के कारण काफी नाजुक हालात में दिखाई देती है।

महाराजा कर्णसिंह के पुत्र पदमसिंह सन् 1682 में मराठों के विरुद्ध हुई एक लड़ाई में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे।⁹ उनकी स्मृति में गोलवाडी (तहसील वैजापूर, जिला औरंगाबाद) में एक छतरी का निर्माण किया गया है। 10 खम्भों वाली तथा विस्तीर्ण कलायुक्त गुंबद वाली यह छतरी लाल गेरूआं रंग के पत्थरों से निर्मित है। इस स्मारक के निर्माण में राजस्थानी शैली की झलक दिखाई देती है। इस छतरी की कमानयुक्त मेहराबों पर तथा खंभों पर की गयी नक्काशी राजपूताना संस्कृति की याद दिलाती है। वर्तमान में एक बंजर खेत में दिखाई देने वाली यह छतरी सुयोग्य देखरेख के अभाव के कारण अपनी सुंदरता खोती हुई दिखाई दे रही है। महाराजा कर्णसिंहजी ने अपने कार्यकाल में कर्णपुरा में 'कर्णिका देवी' के मंदिर का भी निर्माण किया था। जिसे वर्तमान में 'कर्णदेवी' के नाम से जाना जाता है।¹⁰ इस मंदिर की मूर्ति बेहद आकर्षक होने के साथ-साथ यह मूर्ति भी राजस्थानी शिल्पकला की याद दिलाती है। इस मंदिर की देखभाल हेतु बीकानेर के राजकोष से नियमित रूप से कुछ रकम अदा की जाती थी। मगर स्वतंत्र भारत के निर्मित के पश्चात् बीकानेर संस्थान का राजस्थान में विलीनीकरण होने के बाद राजस्थान सरकार की ओर से कुछ वर्षों तक इस मंदिर की देखभाल हेतु निर्धारित रकम नियमित तौर पर प्राप्त होती थी। इस मंदिर के कारण राजस्थान-महाराष्ट्र संबंधों में एक नया मोड़ दिखाई देता है। महाराजा कर्णसिंहजी ने इसी औरंगाबाद शहर में 'कृष्ण मंदिर' का भी निर्माण किया था। जो वर्तमान में 'बालाजी मंदिर' के नाम से विख्यात है। इसके अलावा बीकानेर राजवंश के कार्यकाल में यहां पर हनुमान, गणपति एवं महादेव के मंदिरों का निर्माण किये जाने की

जानकारी प्राप्त होती है। महाराजा कर्णसिंहजी ने अपने कार्यकाल में कर्णपुरा में कुल 6 कुएं खुदवाये थे तथा खाम नदी पर 3 बांधों का निर्मासा करवाया था।¹¹ इस बांध के निर्माण से जलस्रोत का उचित प्रबंधन तथा उपयोग करने का अनोखा प्रयास यहां दृष्टिगोचर हुआ दिखाई देता है। आज भी खाम नदी के किनारे इन बांधों के अवशेष हमें उनके प्रयासों का दर्शन कराती है। इसी खाम नदी के किनारे पानी के फव्वारों का आनंद लेने हेतु महाराजा कर्णसिंहजी द्वारा 'बारादरी' का निर्माण किया गया था। जिसके भग्नावशेष आज भी उसकी खूबसूरती तथा उसके निर्माण की गाथा सुनाती है। महाराजा कर्णसिंह ने अपनी राजकुमारी अनुपमा के नाम पर कर्णपुरा में एक बगीचे का निर्माण भी किया था।¹² जहां पर आज विभिन्न फलों की खेती की जाती है। इसी कर्णपुरा में राजस्थानी संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि पूजन के बाद 'दशहरे का त्यौहार' बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहां के जनश्रुति के अनुसार महाराजा कर्णसिंहजी हर दशहरे के दिन हाथी पर बैठकर दशहरे का उत्सव मनाते थे तथा दशहरे के मौके पर जनता में काफी धनदौलत बंटवाते थे। वर्तमान में भी यहां दशहरे का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी यहां हाथी की सवारी निकाली जाती है। यहां के दशहरे की परंपरा को लगभग 350 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इस परम्परा को इस भूमि ने संजोये रखने का कार्य किया है। महाराजा कर्णसिंहजी के बाद उनके औरंगाबाद स्थित वर्तमान उत्तराधिकारी श्रीमान करणसिंहजी काकस इसी कर्णपुरा में निवास करते हैं तथा वे अपने पूर्वजों के इतिहास के भग्नावशेषों का जतन एवं संवर्द्धन करने के लिए प्रयासरत दिखाई देते हैं।

राजपूताने के विभिन्न शूरमाओं ने हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में अपना पराक्रम अर्जित किया है। जिसमें दख्खन में इनकी संख्या अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक है। यहां पर विभिन्न अभियानों में उन्होंने अपने शौर्य एवं पराक्रम का परचम लहरा दिया था। साथ-साथ यहां पर एक नयी संस्कृति-परम्परा को जोड़ने का प्रयास भी किया था। इसी भूमि पर निवास करते हुए उन्होंने अपने राजपूताने की छाप छोड़ते हुए विभिन्न वास्तुओं का निर्माण भी किया था। यह वास्तुएं आज भी उनके अलौकिक कार्य की दृष्टि प्रदान करती है। वर्तमान में यह वास्तुएं आज बेहद खस्ता हालात में दिखाई देती है। इस धरोहर को संजोये रखने के साथ साथ राजपूताना महाराष्ट्र के संबंधों पर विद्वानों की नये सिरे से दृष्टि जाये तथा यहां के इतिहास में विभिन्न राजपूत सेनानियों के सक्रिय योगदान का फिर नये सिरे से मूल्यांकन हो।

सन्दर्भ

1. औरंगाबाद जिला गजेटियर
2. औरंगाबाद जिला गजेटियर

3. टॉड जेम्स, अनु. बदलदेवप्रसाद मिश्र, राजस्थान का इतिहास, खंड 2, यूनिफ ट्रेडर्स, जयपुर, 1987, पृ. 379
4. वही
5. वही
6. शेखावत रघुनाथसिंह, क्षत्रिय राजवंश, मल्लुसिंह स्मृति ग्रंथागार, कालीपहाड़ी, 2002, पृ. 201
7. टॉड जेम्स, अनु. कालुराम शर्मा, राजस्थान का इतिहास, शाम प्रकाशन, जयपुर, 2004, पृ. 579
8. टॉड जेम्स, अनु. बलदेवप्रसाद मिश्र, राजस्थान का इतिहास, खंड 2, यूनिफ ट्रेडर्स, जयपुर, 1987, पृ. 379
9. टॉड जेम्स, पूर्वोक्त
10. औरंगाबाद के अखबार के स्रोतों द्वारा
11. उत्तराधिकारियों से मिली जानकारी तथा स्वयं स्थान का अवलोकन
12. उत्तराधिकारियों से मिली जानकारी तथा स्वयं स्थान का अवलोकन

नैणसी कृत मारवाड़ रा परगनां विगत में कृषि (परगना पोकरण के विषेश संदर्भ में)

डॉ. अनिल पुरोहित

राजस्थान की साहित्य परम्परा में 'विगत साहित्य' का विशेष महत्व है। विगत साहित्य में राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, धार्मिक, स्थापत्यिक, प्रशासनिक इत्यादि आदि ऐतिहासिक जानकारियों का समावेश होता है। संबंधित राजवंश अथवा क्षेत्र की उपरोक्त जानकारियों का सूक्ष्मता से विवरण दिया गया होता है। यद्यपि विगत साहित्य असंख्य रूप में उपलब्ध है। इसमें उदावतों की विगत, रूपीयां आया उपड़िया की विगत, सरकारी खर्च ने केफायतां की विगत, राठौड़ों की खापां अर पट्टे रै गांवा की विगत, जोधपुर रे कमठा की विगत, मारवाड़ रा परगनां की विगत इत्यादि प्रमुख है। उदावतों की विगत में राव सूजा एवं उदा के वंशजों की जानकारी मिलती है। उनके पारिवारिक लोगों के जन्म-मृत्यु के संवत् इसमें उल्लेखित हैं। नरावतों की विगत में सूजा के पुत्र नरा के वंशजों एवं खींवसर के नरा राठौड़ों का विवरण है। जागीरों रै गांवों की रेख की विगत में सिसोदिया, शेखावत, भाटी चव्हाण एवं पंवार सरदारों के गांवों की रेख का विवरण मिलता है। इसी प्रकार विजैयशाही रूपियों की कितनी थैलियां जोधपुर राजकोष में आती थी, उसका विवरण रूपियां आयां उपड़ियां की विगत में मिलता है। मारवाड़ की खानों, रीति-रिवाजों आदि का विवरण सरकार खर्च ने केफायतां की विगत में मिलता है। राठौड़ सरदारों की खांपों में किस सरदार को कितनी रेख वाला गांव मिला हुआ था, इसकी जानकारी राठौड़ की खांपा अर पट्टे रे गांवां की विगत में मिलता है। मुहतां नैणसी कृत 'मारवाड़ की परगना की विगत' में 17वीं शताब्दी के मारवाड़ के परगनों का हाल दिया हुआ है, जिसमें एक प्रमुख परगना पोकरण भी था।

पोकरण की भौगोलिक स्थिति 26°25' अक्षांश एवं 71°55' रेखांश है। पोकरण पश्चिमी राजस्थान के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की प्राचीन परम्परा के अनुसार, पोकरण को इस क्षेत्र की प्रमुख जाति पुष्करणा ब्राह्मणों के पूर्वज पुष्कर ऋषि ने बसाया था। इस क्षेत्र में पंवारों का प्रभुत्व रहा था। उनका एक प्रारम्भिक शासक पुरुरवा यहाँ शासन किया करता था।¹ पोकरण से प्राप्त वि.स. 1070 (1013 ईस्वी) के एक लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ परमारों (पंवारों) का

शासन हुआ करता था।³ इसे 'कीर्ति स्तम्भ' के नाम से भी जाना जाता है। पंवार शासक पुरुरवा द्वारा निर्मित पोकरण का लक्ष्मीनारायण मंदिर भी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है।⁴ पोकरण का परगना कालान्तर में जैसलमेर के भाटियों और फिर मारवाड़ के राठौड़ों के नियंत्रण में काफी समय तक रहा। राव मालदेव के काल में पोकरण मारवाड़ की पश्चिमी सीमा का महत्वपूर्ण प्रदेश बन चुका था। परवर्ती काल में पोकरण परगना मारवाड़ एवं मुगलों के आधिपत्य में रहा तथा यहाँ के ठाकुर अथवा प्रशासनिक अधिकारी निर्बाध रूप से राजस्व चुकाया करते थे। मारवाड़ का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों में मुहतां नैणसी का प्रमुख स्थान है। नैणसी द्वारा लिखित परगनां री विगत 17वीं शताब्दी के मारवाड़ के प्रमुख परगनों (जोधपुर, सोजत, जैतारण, फलौदी, मेड़ता, सिवाणा एवं पोकरण) के इतिहास के कई प्रमुख तत्त्वों पर प्रकाश डालती है।

पोकरण परगना मारवाड़ के पश्चिम में जोधपुर से 40 कोस दूर स्थित है।⁵ नैणसी के अनुसार, यहाँ की बसावट में छत्तीस पवन जात समान रूप से निवास करती है।⁶ यहाँ के कोट (दुर्ग) का विस्तृत निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। मालदेव ने इसकी दीवार 15 गज ऊँची करवायी थी,⁷ जिसे यहां के रावल कल्याणमल ने 08 गज अधिक ऊँचा करवाया था।⁸ इस दीवार की चौड़ाई 5 गज थी।⁹ राव मालदेव ने यहां जिस दुर्ग का निर्माण करवाया, उसके लिये, पोकरण के पास स्थित एक छोटे दुर्ग सातलमेर को ध्वस्त करके वहां की निर्माण सामग्री प्रयोग में ली गयी, जो जोधा के पुत्र सातल ने निर्मित करवाया गया था।¹⁰

मारवाड़ के अन्य क्षेत्रों की भांति पोकरण में राजस्व प्राप्ति का प्रमुख आधार यहां की कृषि ही थी, किंतु पोकरण का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में अविस्थित था, अतः यहां पूर्वी अथवा दक्षिणी-पूर्वी मारवाड़ की भांति कृषि के लिये लूणी नदी का सहयोग नहीं था। लूणी नदी अजमेर के दक्षिण-पश्चिमी से प्रारम्भ होकर 200 मील के वृहत् बहाव क्षेत्र के पश्चात् कच्छ के रण में गिरती थी। अपने बहाव क्षेत्र में यह मारवाड़ के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों को उपजाऊ करती थी। सिंचाई की किसी भी नियमित प्रणाली के अभाव में और वर्षा की अनियमितता यहां की कृषि को अत्यधिक प्रभावित करती रही है तथा इसी कारण यहां बरसाती फसलें अथवा न्यून जल आवश्यकता वाली फसलें उपतजी रही हैं।

नैणसी के विवरणानुसार पोकरण के प्रत्येक ग्राम में कुँओं की प्राप्यता थी तथा सामान्य रूप से इन कुँओं में दस हाथ गहरे ही जल की उपलब्धता हो जाती है¹¹ और यह जल मीठा होने के कारण से कृषि योग्य था। विगत का अध्ययन करने पर यह भी ज्ञात होता है कि, पोकरण परगने के कई गाँव सामान्यतः वीरान थे। मात्र बारिश होने पर यहां के क्षेत्रवासी यहां कृषि करने आया करते थे। ऐसे गाँवों में रातड़ियों,¹²

झाबरों,¹³ खालतसर,¹⁴ रोहियो,¹⁵ दूधियौ¹⁶ इत्यादि प्रमुख है। पोकरण के परगने में फसलें दोनों प्रकार की (रबी एवं खरीफ) होती थी, किंतु सियालू अथवा खरीफ की कृषि ज्यादा की जाती थी, क्योंकि इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती थी।

आलोच्य परगने में कृषि उपयोग में जो भूमि प्रयुक्त होती है, वह शुष्क कटिबन्धीय क्षेत्रों के अनुरूप होने के कारण इसका अधिकतर भाग परती भूमि है,¹⁷ जहाँ अत्यधिक रेत के कारण घास समान फसलों के अतिरिक्त कुछ भी अन्य मुश्किल से ही उपजता है, किंतु फिर भी कुल भूमि के 55 से 60 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती थी।

परगने पोकरण की प्रमुख फसलों में गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जौ, मोठ, मूंग, तिलहन आदि थी। इनके अतिरिक्त कुछ सब्जियों का भी उत्पादन होता था, किंतु इनमें वे ही सब्जियाँ प्रमुख थी, जो न्यून वर्षा होने के पश्चात् भी अपने-आप उग जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पोकरण परगने के अनेक ग्रामों में उत्पन्न होने वाली ये सब्जियाँ मात्र स्थानीय माँग को भी मुश्किल से पूर्ण कर पाती होगी। पोकरण कस्बे में ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, कपास जैसी फसलें अच्छी मात्रा में होती थी।¹⁸

गेहूँ एक रबी की फसल है तथा पोकरण परगने में इसका सामान्य उत्पादन हुआ करता था। मारवाड़ क्षेत्र का गेहूँ दो प्रकार का हुआ करता था - सेंवज तथा पीवज। पीवज प्रकार का गेहूँ खारे एवं मीठे दोनों प्रकार के जल द्वारा विकसित किया जाता थाय इन्हें क्रमशः खारचिया एवं मीठवानिया से जाना जाता है।¹⁹ यद्यपि पोकरण क्षेत्र से गेहूँ की फसल ली जाती थी, किंतु यह एक खर्चीली एवं अधिक श्रमयुक्त फसल थी। इस क्षेत्र के कृषक कुँओं द्वारा सिंचित (अरहट द्वारा) भूमि पर गेहूँ की कृषि किया करते थे।²⁰ पोकरण में गेहूँ प्रमुख रूप से भीवा,²¹ सौहवो (लोहवा)²², धुहडसर,²³ साकडों,²⁴ भुणीयाणों,²⁵ दाँतल,²⁶ बाढणियों,²⁷ भाखरी,²⁸ म्हेडूजीवण²⁹ रौ वास, ऊँजला,³⁰ कावां³¹ आदि गाँवों में उत्पादित होता था।

बाजरा की कृषि के बारे में इस क्षेत्र से अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु चारे के रूप में इसका सामान्य उत्पादन होता होगा। बाजरा की कृषि पोकरण में खारौवास,³² भुणीयाणों,³³ भाखरी,³⁴ बाढणियों,³⁵ म्हेडूजीवण रौ वास,³⁶ वास झालरियां रा,³⁷ सौहवो³⁸ आदि गाँवों में रूप से उत्पादित की जाती थी। नैणसी के अनुसार, ज्वार एवं रबी की फसल के रूप में जौ का उत्पादन सम्पूर्ण मारवाड़ से होता था, किंतु यह यहाँ की कम प्रचलित फसलें थी।³⁹ पोकरण क्षेत्र में खरीफ फसलों में दालें मुख्य रूप से उत्पादित होती थी। इसमें मूठ और मूंग प्रमुख थी। विगत के अनुसार, पोकरण क्षेत्र से मोठ का उत्पादन 55 प्रतिशत तक होता था। मोठ की भाँति ही मूंग भी पोकरण क्षेत्र

की प्रमुख फसल थी। पोकरण क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन भी होता था। तिल की फसल में भी यहाँ के लगभग 55 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का प्रयोग होता था।⁴⁰ यह खरीफ की फसल अत्यधिक होने पर भी यहाँ की मात्र स्थानीय माँग की पूर्ति करती थी, क्योंकि यहां की व्यापारिक गतिविधियों में मात्र स्थानीय बाजारों या मंडियों में ही यह विक्रय होती थी।

यद्यपि पोकरण परगना अपनी भौगोलिक विषमताओं के कारण से अत्यधिक फसलों का उत्पादन नहीं कर पाता था, किंतु जितना भी उत्पादन होता था, वह यहां की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य कर देता होगा। भौगोलिक विषमताओं के कारण से यहां के कृषि में कृत्रिम सिंचाई साधनों का भी काफी विकास हुआ प्रतीत होता है।

पोकरण में सिंचाई के स्रोतों में नदियों की अनुपलब्धता को कुएं, बावड़ियां एवं नाले पूर्ण करते थे। विगत के अध्ययन से से यह ज्ञात होता है कि, पोकरण में कुँओं की संख्या लगभग सौ से भी अधिक है⁴¹ और अधिकांश कुँओं का पानी मीठा था, अतः यहां से मीठवानिया गेहूँ अधिक उत्पादित होता होगा। इसी प्रकार यहां तालाबों की संख्या लगभग साठ के करीब है, जिनमें चार से आठ महीनों तक पानी रहता था।⁴² परगने के पोकरण कस्बे में जल स्रोतों के रूप में कुल 23 बावड़ियां और एक नदी (बरसाती) है।⁴³ इस नदी के जल के रासन यहाँ की बावड़ियों में जल की उपलब्धता लगभग पूरे वर्ष ही रहती हैं। परगने के गाँवों में तालाब, कुएं, बावड़ियां, छोटे कुएं (बेरियां) इत्यादि प्रकार के जल स्रोत प्राप्त होते हैं।⁴⁴ विगत के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि, यहाँ के गाँवों में खारौवास (एक तालाब और एक कुँआ खारे पानी का),⁴⁵ बांभणू (दो तालाब),⁴⁶ मुढलों सोहडा (एक तालाब और एक कुँआ),⁴⁷ चांदसमो (दो कुएं मीठे पानी के),⁴⁸ छयण (छः कुएं मीठे पानी के),⁴⁹ राहडा रौ वास (एक तालाब),⁵⁰ थाट (एक तालाब और दस बेरे मीठे पानी के),⁵¹ राहियो (आठ कुएं),⁵² साकडौ (चार तालाब और सात कुएं),⁵³ बाधेवौ (तीन कुएं मीठे पानी का),⁵⁴ गुडी (दो कुएं मीठे पानी के),⁵⁵ आवणेसो (तीन तालाब और एक कुँआ)⁵⁶ आदि में जल स्रोत पर्याप्त मात्रा में है। इनके अतिरिक्त ऐसे अनेक गाँव हैं, जिनमें जल-स्रोत अत्यधिक कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। ऐसे गाँव जहाँ नजदीक के गाँवों के जल-स्रोतों से मंगवाया जाता था, जैसे – “जैसिंघ रो गाँव (रामदेवरा से जल मंगवाते थे),⁵⁷ खेत पालीयां री सरेह,⁵⁸ गालरा री सरेह,⁵⁹ वास झालरिया,⁶⁰ नणदौई रौ वास⁶¹ इत्यादि। पोकरण परगने में जहाँ-जहाँ मीठे पानी के जल-स्रोत हैं उनका प्रयोग पीने के लिये किया जाता है एवं इनमें से कई जल-स्रोत अकाल के समय प्रयोग लेने हेतु आरक्षित होते थे, जैसे बाधेवो गाँव के तीन कुँओं का प्रयोग अकाल के समय ही किया

जाता था।⁶² पोकरण क्षेत्र में तालाबों और कुँओं के अतिरिक्त अनेक क्षेत्र ऐसे भी थे, जहाँ वर्षा के साथ जो पानी बहकर आता था, जिससे स्थानीय जंगली फसलें उत्पन्न हो जाती थी। इसके अतिरिक्त पोकरण में वर्षा होने के पश्चात् जल नालों के रूप में प्रवाहित होता है, कई स्थानों का स्तर आस-पास के क्षेत्रों से थोड़ा निम्न होता है, अतः आस-पास के क्षेत्रों का जल प्राकृतिक जलस्रावों के माध्यम से उस निचले स्थान पर एकत्रित होता होगा। इस प्रकार के संचित हुए जल स्थान को स्थानीय भाशा में 'खड़ीन' कहा जाता है।⁶³ प्रारम्भिक खड़ीनों का निर्माण विशेष रूप से यहां की ब्राह्मण जाति के सहयोग से हुआ है, जिनमें पल्लीवाल ब्राह्मण भी थे।⁶⁴

इस प्रकार विगत से यह ज्ञात होता है कि, यद्यपि पोकरण पश्चिमी मारवाड़ में अवस्थित था, जहाँ कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं प्रतीत होती, किंतु यहां के प्राकृतिक जलस्रोतों एवं उपलब्ध वर्षा की मात्रा से यहां पर भी कृषि स्थानीय मांगों के अनुसार सामान्य रूप से विकसित रही थी। यद्यपि नैणसी का विवरण परगने के समस्त गाँवों की स्थिति को नहीं दर्शाता है, किंतु मोटे तौर पर विगत एक प्रामाणिक स्रोत है, इस क्षेत्र के इतिहास को रेखांकित एवं पुनर्लेखित करने के लिए।

सन्दर्भ

1. मुहता नैणसी, मारवाड रा परगना री विगत, भाग-2, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 1969, पृ. 289
2. वही, पृ. 290
3. राजस्थान जिला गजेटियर, जैसलमेर, संपादक-के.के. सहगल, निदेशालय, जयपुर, पृ. 332
4. वही.
5. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ 320
6. वही, पृ. 310
7. वही, पृ. 309
8. वही.
9. वही.
10. राजस्थान जिला गजेटियर, जैसलमेर, पृ. 332
11. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 289
12. वही, पृ. 319
13. वही.
14. वही.
15. वही, पृ. 318
16. वही.
17. राजस्थान जिला गजेटियर, जैसलमेर, पृ. 83

18. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 316
19. अर्सकाइन,द गजेटियर ऑफ वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स,पॉपूलर प्रकाशन, पृ.बी-103
20. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 312-315
21. वही, पृ. 329
22. वही, पृ. 330
23. वही,पृ. 331; यहाँ खडीनों के द्वारा कृषि होती थी।
24. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 340; यहाँ मीठे पानी से गेहूँ की कृषि राजपूत करते थे।
25. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 345; यहाँ के पाँच तालाबों में जल उतरने पर कृषि होती थी, जिसमें गेहूँ की फसल 400 मन की होती थी।
26. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 346
27. वही, पृ. 351
28. वही, पृ. 350; यहाँ एक तालाब था एवं चारणों ने कृषि हेतु एक कुआ खुदवाया था।
29. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 352
30. वही,पृ. 354; यहाँ वर्षा के बाद गेहूँ की कृषि (सेवज) की जाती थी।
31. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 329
32. वही
33. वही, पृ. 345
34. वही, पृ. 350
35. वही, पृ. 351
36. वही, पृ. 352
37. वही
38. वही, पृ. 329
39. वही, पृ. 327-354; ज्वार एवं जौ की कृषि मुख्यतया भूमियाणों, रामदेवरा, खेजड़ली बड़ी, सोहवो (लोहवा), भाखरी, बाढणियों, मांडवों वास, रतनू रुपसी रौ वास, उजळा इत्यादि गाँवों में होती थी।
40. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 327-352; तिलहन, मूंग और मोठ मुख्य रूप से जाटियावास, पेसावास, संझाडों, सथलाणों, चवाबडा, खेजड़ली खुर्द, डोहली, रामदेवरा, भूणीयाणों सैहवो, चैनपुरा, गुजरावास, मेहावसणी, बीरडावास, सांगावसणी, खेजड़ली बड़ी इत्यादि क्षेत्रों में उत्पादित होते थे।
41. नैणसी, पूर्वोक्त, पृ. 327-352
42. वही
43. वही, पृ. 312-315
44. वही, पृ. 312-316
45. वही, पृ. 333
46. वही, पृ. 334

47. वही
48. वही, पृ. 335
49. वही.
50. वही, पृ. 336
51. वही.
52. वही, पृ. 338
53. वही, पृ. 340
54. वही, पृ. 342
55. वही, पृ. 344
56. वही, पृ. 345
57. वही, पृ. 336; गाँवों के दक्षिण में बनी खडीनों में चार माह पानी रहता था।
58. वही, पृ. 339
59. वही, पृ. 340; यहाँ वर्षा होने पर खेत पानी से भर जाते थे, उसी भूमि पर कृषक खेती क्रिया करते थे।
60. वही, पृ. 352
61. वही, पृ. 355; यहाँ की पानी की नाडियों में चार मास पानी रहता था, फिर आवश्यकता होने पर नजदीक के गाँवों से मंगवाया भी जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ प्राकृतिक रूप से निर्मित खडीनों का जल भी प्रयोग में लिया जाता था।
62. वही, पृ. 342
63. राजस्थान जिला गजेटियर, जैसलमेर, पृ. 86
64. वही

17वीं शताब्दी में मेवाड़ का साहित्यिक विकास

डॉ. श्रीमती उषा पुरोहित

मेवाड़ के इतिहास के प्रसिद्ध रणबांकुरे शासकों ने जिस अडिग धैर्य, अतुल पराक्रम और निर्भीकता से न केवल अपने राज्य को गौरवान्वित किया, अपितु राजस्थान और भारत में एक अनोखी स्वातंत्र्य दीपशिखा को प्रज्वलित करके राष्ट्र की सैन्य शक्ति एवं सामर्थ्य को ऐसी अनुपमता से मंडित किया है, जिससे जर्मन इतिहास में प्रचलित प्रसिद्ध कहावत मेवाड़ के इतिहास में चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है—“विश्व में जर्मनी के सैनिक सर्वश्रेष्ठ हैं और जर्मनी में प्रशा के सैनिक श्रेष्ठतम है।” पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने भारत को पराधीन रखने वाली सत्ता के विरोध में जिस स्वातंत्र्य संग्राम की परम्परा का प्रवर्धन किया, उसी परम्परा प्रवाह को आगे बढ़ाने में जिन नर-वीरों में परम त्याग और निर्भीकता से योगदान दिया, उनमें मेवाड़ के महाराणा राजसिंह का नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है। इतना ही नहीं, यदि यह कहा जाय, जैसा कि “द्वितीय विश्व महायुद्ध से प्रमाणित है, विश्व में भारतीय सैनिक श्रेष्ठतम हैं, और उनमें भी राजपूत सैनिक और वे भी अधिकांशतः मेवाड़ के तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।” मेवाड़ के महाराणा राजसिंह साहित्य-सृजन और सांस्कृतिक पुनर्जीवन की परम्परा को हमारे मानस-पटल पर उभर कर अंकित करते हैं। इस दृष्टि से महाराणा राजसिंह के राज्यकाल के इतिहास में साहित्यिक क्षेत्र में अन्वेषणात्मक पुनर्लेखन की मांग होने के कारण यह शोध-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

17वीं शताब्दी में मेवाड़ में शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं को महत्व प्रदान किया गया, जैसे-मेवाड़ में प्राचीनकाल से ही साहित्यिक रचनाएं अधिकांशतः संस्कृत भाषा में होती थी। संस्कृत साहित्य को स्थानीय शासकों द्वारा सर्वाधिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ है और विभिन्न महाराणाओं द्वारा सर्वाधिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ है और इन विभिन्न महाराणाओं द्वारा शिलांकित प्रशस्तियां संस्कृत में ही उपलब्ध हैं, इस काल में भी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई तथा विभिन्न ग्रन्थों की प्रतिलिपियां तैयार करने का कार्य पर्याप्त मात्रा में हुआ है, इसी काल में यजुर्वेद दविर्यज्ञ काण्डम्, वाजसनेयी संहिता (प्रथम व द्वितीय विंशतिका) प्रायश्चित्त मयूख, शुद्धिमयूख, नित्यश्राद्धविधि, रामकल्पद्रुम, तीर्थरत्नाकरम्, चमत्कार-चिंतामणि, गोवध व्यवस्थादीप

वावपदीप, सीमंत पद्धति, वराह संहिता स्मृतिसार, दशकर्म आदि ग्रन्थों की पाण्डुलिपियां तैयार की गई थी।

मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा राजसिंह के दरबार में जहां प्राचीन साहित्य में पारंगत विद्वानों को आश्रय प्राप्त था, वहां कई कवियों ने भी राणा के दरबार में सम्मान प्राप्त किया था। राजकीय संरक्षण प्राप्त इन कवियों ने अनेक काव्य-रचनाओं का सृजन कर अपने काव्य-कौशल का प्रदर्शन किया। जिनमें प्रमुखतः कवि रणछोड़ भट्ट, सदाशिव, लाल भाट आदि हैं। इस काल में संस्कृत के अतिरिक्त राजस्थान तथा डिंगल-पिंगल मिश्रित भाषा में भी साहित्यिक सृजन हुआ है, मारवाड़ी के साहित्यिक स्वरूप को 'डिंगल' की संज्ञा दी गई है। ब्रजभाषा को पिंगल कहा गया है। भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से इस काल में साहित्य की गौरववृद्धि हुई है। हिन्दी साहित्य ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संस्कृत की भांति हिन्दी व राजस्थान कवियों को भी राज्याश्रय प्राप्त था।

डिंगल काव्यों में किशोरदास कृत 'राज प्रकाश' का प्रथम स्थान है। कवि मान ने 'राजविलास' नामक काव्य की रचना इसी काल में की। महाराणा राजसिंह कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से यह ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कवि मान का इस काव्य-सृजन का मुख्य उद्देश्य अपने काव्य नायक की क्रमिक उपलब्धियों का विश्लेषण करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालना रहा है। इस काव्यकृति में राजनैतिक इतिहास में संबंधित तथ्यों के साथ-साथ मेवाड़ की सामान्य जन-जीवन की स्थिति का भी चित्रण किया गया है। इसी प्रकार गिरधर आशिया कृत 'सगतरासो' कवि दौलतविजय द्वारा रचित 'खुमाणरासो' आदि इसी काल में ही रचे गये। गद्य रचनाओं में इस काल में हिन्दी भाषा में 'वंशावली' की रचना की गई, जिसके लेखक गोपालदास थे। इस समय की साहित्यिक उपलब्धियों में मेवाड़ के सामंतों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रत्येक मेवाड़ी सामंत ने कवियों व साहित्यकारों को अपने यहां आश्रय प्रदान किया, इस के साथ ही अनेक सामंत स्वयं भी उच्च कोटि के विद्वान एवं साहित्यकार रहे हैं।

कवि रणछोड़ भट्ट के काव्य-सृजन राज प्रशस्ति काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में इतिहासकार श्रीराम शर्मा ने गहन चिन्तन किया है।¹ इस सम्बन्ध में शर्माजी का मत है कि कवि ने काव्य सृजन के उद्देश्य को उलझा दिया है, क्योंकि कवि ने सर्ग 1 श्लोक 10 में कहा कि महाराणा राजसिंह ने माघ कृष्ण 7 वि.सं. 1718 (1 जनवरी, 1662 ई.) को राजसमन्द के निर्माण की आज्ञा के साथ ही कवि को प्रस्तुत काव्यग्रंथ के प्रणयन की आज्ञा प्रदान की। कवि ने एक स्थान पर बताया है कि महाराणा राजसिंह के पुत्र महाराण जयसिंह ने राजसिंह की मृत्योपरान्त इस काव्य को पहले सुना एवं इसे

पाषाण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण करवाने की आज्ञा प्रदान की² तथा कवि ने अपने काव्य में यह बताया है कि इस काव्य का सृजन उसने अपने भाइयों-लक्ष्मण व भरत के लिए किया है, तो एक स्थान पर उसने बताया है कि इस काव्य का सृजन लक्ष्मीनाथ आदि बालकों के पठनार्थ किया गया है। इस प्रकार कवि द्वारा उल्लेखित इस परस्पर उद्देश्यों के कारण इतिहासवेत्ता श्रीराम ने कहा है कि यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कवि हमें कहना क्या चाहता है?³ परन्तु राज प्रशस्ति महाकाव्य के अध्ययन के पश्चात् उस पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इतिहासकार श्रीराम शर्मा ने इस काव्य की शैली को सही अर्थों में समझने का पूर्ण प्रयास नहीं किया है। वस्तुतः कवि ने प्रस्तुत काव्य-ग्रन्थ की रचना पौराणिक आख्यानों की शैली पर की है, यह तथ्य उस राज प्रशस्ति महाकाव्य के अन्तिम 'चौबीसवें' सर्ग पर स्पष्ट हो जाता है। उसी स्थान पर कवि इस काव्य के पढ़ने से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों का वर्णन करता है।⁴

अतः कवि रणछोड़ भट्ट का इस काव्य-सृजन का उद्देश्य मात्र अपने भाइयों एवं लक्ष्मीनाथ आदि बालकों के पढ़ने के लिए ही नहीं किया गया, वरन् इस काव्य की रचना सर्व साधारण के लिए की गई थी। जहां तक काव्य रचना के आरम्भ करने के आदेश का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट होता है कि यह आदेश कवि को अपने आश्रयदाता व काव्य के नायक राजसिंह से ही मिला था। चौबीस सर्गों में निबद्ध इस महाकाव्य की रचना में एक लम्बा समय लगा तब तक नायक की मृत्यु हो गई एवं उसके उत्तराधिकारी महाराणा जयसिंह ने काव्य से प्रभावित होकर उसे स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से शिलोत्कीर्ण करने का आदेश दिया।⁵ इस 17वीं शताब्दी का दूसरा महत्वपूर्ण कवि 'सदाशिव' था। कवि सदाशिव ने 'राजरत्नाकर' नामक काव्य ग्रन्थ की रचना की। राजरत्नाकर भी एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। राजरत्नाकर की काव्य शैली राज प्रशस्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कवि की वर्णन शक्ति में अधिक सजीवता है, साथ ही शब्द योजना भी उच्च कोटि की है। कवि ने राजसमन्द एवं राजनगर का वर्णन अत्यन्त सजीव और हृदयग्राही शैली में किया है। कवि 'लालभाट' ने महाराणा राजसिंह की प्रशस्ति में 101 छंदों का 'राजसिंह प्रभावर्णनम' नामक प्रशंसात्मक काव्यग्रंथ का प्रणयन किया। इसी काल में 'राजसिंहाष्टक' नामक काव्य ग्रंथ की रचना हुई, जिसका रचनाकार 'मुकुन्द' था। इस काव्य में आठ छंदों में राजसिंह का प्रशस्तिगान किया गया है।⁶

इन उपर्युक्त काव्य ग्रंथों के अतिरिक्त इस काल में महाराणा राजसिंह से सम्बन्धित कुछ गीतों का प्रकाशन 'महाराणा यश प्रकाश' नामक ग्रंथ में हुआ है। इन डिङ्गल गीतों में महाराणा राजसिंह का शौर्य वर्णन एवं उनकी कुछ विजयों का उल्लेख

किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के गीतों के आधार पर ही उसका समय निर्धारित कर सकते हैं।⁷ इस समय मुगल दरबार के साथ महाराणा का सम्पर्क अधिक बढ़ गया और अब प्रायः राणा व मुगल दरबार के मध्य पत्र व्यवहार होने लगा था। ऐसी परिस्थितियों में महाराणा राजसिंह को चुतर फारसी विद्वानों की नियुक्ति करनी पड़ी। महाराणा राजसिंह के काल में मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ काफी पत्र-व्यवहार हुआ था। इससे मेवाड़ के राज दरबार में फारसी का प्रभाव बढ़ा। महाराणा राजसिंह की ओर से औरंगजेब के मुगल दरबार में जाने वाले पत्रों की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित एवं मुगल तहज़ीब के अनुसार है।⁸

मेवाड़ के इतिहास में प्राचीन काल से 17वीं शताब्दी तक साहित्य के क्षेत्र में क्रमिक विकास हुआ है और उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि महाराणा राजसिंह के दरबार में संस्कृत, राजस्थानी एवं हिन्दी के ज्ञाताओं के साथ फारसी एवं उर्दू के ज्ञाता भी शोभा बढ़ाते थे। राज्य में कूटनीतिक पत्र व्यवहार फारसी में होना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। मेवाड़ के कुछ सामन्तों का भी मुगल बादशाहों के साथ सीधा सम्पर्क रहा था। इससे मेवाड़ के सामन्तों में भी उर्दू-फारसी साहित्य का प्रचलन हुआ। इस काल के सामन्तों द्वारा किया गया उर्दू-फारसी में पत्र व्यवहार ही अपने आप में अच्छा उर्दू-फारसी साहित्य तैयार हो जाता है।

सन्दर्भ

1. श्रीराम शर्मा, महाराणा राजसिंह एण्ड हिज टाइम्स, पृ. 6
2. कवि रणछोड़ भट्ट, राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग 10, श्लोक 43
लग्नानि राणवीरोत्तया प्रशस्तिनिमिता मया।
श्रुत्वा तां स ददावाज्ञां शिलायां लिखनायमें।।43।।
3. श्रीराम शर्मा, महाराणा राजसिंह एण्ड हिज टाइम्स, पृ. 6
4. कवि रणछोड़ भट्ट, राजप्रशस्ति महाकाव्य, सर्ग 24, श्लोक 17-24
5. डॉ. रामप्रसाद व्यास, महाराणा राजसिंह, पृ. 133
6. डॉ. जी.एन. शर्मा, राजस्थान का इतिहास, भाग 1, पृ. 527
7. डॉ. रामप्रसाद व्यास, महाराणा राजसिंह, पृ. 137
पाद-टिप्पणी-35, भलसीसर ठाकुर भूरसिंह शेखावत
महाराणा यश-प्रकाश, पृ. 159-178, गीत संख्या 180-188
8. कवि श्यामलदास, वीर विनोद, भाग 2, पृ. 415-435

ठिकाना (ग्राम) थाणा (अलवर राज्य के साथ सम्बन्ध)

डॉ. अंशुल शर्मा एवं दीपक चौधरी

राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ तहसील का थाणा ग्राम (अलवर राजवंश) के अतीत की अनेक स्मृतियों को अपने आचल में समेटे हुए है जो अरावली की सुरम्य पर्वत मालाओं के बीच देहली-जयपुर रेल मार्ग पर राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पश्चात् में एक कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है।

ठिकाना (ग्राम) थाणा का अलवर राज्य के साथ रक्त संबंध कई सालों तक बना रहा, और इस क्षेत्र ने अलवर को चार राजा दिये। 25 नवम्बर, 1775 को राव प्रताप सिंह द्वारा अलवर राज्य की स्थापना की जा चुकी थी किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं थी। अतः उन्होंने अपने जीवनकाल में ही सन् 1785 में थाणा के ठा. धीर सिंह के द्वितीय पुत्र बख्तावर सिंह जी को गोद लिया। वस्तुतः राव प्रताप सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के नियुक्त के लिये 12 कोटडियों के बालकों को एकत्रित कर उनके सामने विभिन्न प्रकार के खिलौने अस्त्र-शस्त्र रख दिये तथा अपने मन पसन्द वस्तु लेने को कहा। इन बालकों में थाणा के धीर सिंह जी के द्वितीय पुत्र बख्तावर सिंह जी भी थे। उन्होंने खिलौने के बजाय ढाल एवं तलवार को चुना। राव प्रताप सिंह जी ने इस बालक की विलक्षण प्रतिभा को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। 31 दिसम्बर, 1790 को जब राव प्रताप सिंह का निधन हो गया तो बख्तावर सिंह अलवर राज्य का द्वितीय शासक बना दूसरी और थाणा (ग्राम) का जागीरदार धीर सिंह के पश्चात् उसका ज्येष्ठ ठा. सलह सिंह बना। उसके द्वारा निर्मित सलह सागर नामक कुआँ आज भी थाणा ग्राम के बार बाग के समीप पर इनकी स्मृति चिन्ह के रूप में विद्यमान हैं।

अलवर के महाराव बख्तावर सिंह जी ने अलवर पर करीब 24 वर्ष तक राज किया। राव प्रताप सिंह जी की भाँति इन्होंने अलवर राज्य की सीमाओं को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि सीमाओं का विस्तार भी किया। उनके काल में अलवर राज्य कि वार्षिक आय लगभग 18 लाख थी। महाराव बख्तावर सिंह जी एक बहादुर, साहसी, अवसरवादी एवं कूटनीतिज्ञ शासक थे। इनका देहान्त 21 फरवरी 1815 को हुआ। उनके द्वारा सागर ताल पर महाराजा बख्तावर सिंह जी द्वारा 1815 में निर्माण कराया गया, बाद बक्तेश्वर महादेव का विशाल शिव मंदिर का कालान्तर में बही पर महाराज

बख्तावर सिंह की सफेद संगरमरमर की विशाल छवी विद्यमान थी जो आज मूसीरानी की छतरी के नाम से जानी जाती है। यह छतरी राजपूती स्थापत्य कला की बेजोड इमारत है।

महाराव बख्तावर सिंह के कोई ओरस पुत्र नहीं था। यद्यपि उप रानी मूसी रानी के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी, जिनका नाम बलवन्त सिंह जी तथा चाँदबाई था। इन दोनों के विवाह क्रमशः किशनपुरा तथा ततारपुर के चौहानों से हुआ। महाराव बख्तावर सिंह जी अपने जीवन काल में ही अपने भतीजे थाणा के ठा. सलहसिंह जी के तृतीय पुत्र बने सिंह जी (विनय सिंहजी) को गोद लेना चाहते थे लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के पश्चात् अलवर राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए विवाद उत्पन्न हो गया। एक पक्ष महाराव बख्तावर सिंह जी के ओरस पुत्र राव राजा बलवन्त सिंह जी को अलवर राज्य का शासन बनाना चाहता था। जिसका मुख्य पक्षधर अहमद बक्स खां था। दूसरा पक्ष, थाणा के विनयसिंह जी जो कि महाराव बख्तावर सिंह के संगे भतीजे थे। उनको अलवर के राज सिंहासन पर बैठाना चाहता था इस पक्ष में राजमाता, अखैसिंह जी अबाकावत, रामू दरोगा तथा अन्य प्रमुख राजपूत सरदार थे। विवादास्पद स्थिति में 12 फरवरी 1815 को विनयसिंह जी को राजसिंहासन पर बैठाया गया तथा इनके बायीं ओर बलवन्तसिंह जी को भी बैठाया गया। तत्कालीन अंग्रेज सरकार की ओर से दोनों को खिलयत बराबर से आई, लेकिन यह तय हुआ कि सम्पूर्ण कामकाज बनेसिंह जी (विनयसिंह जी) के नाम से होगा लेकिन कामकाज बलवन्त सिंह जी करेगा। इस समय ये दोनों ही अल्प व्यस्क थे। अतः इनके पक्षकारों द्वारा षडयंत्र चला करते थे। दोनों के विवाद को समाप्त करने लिए तत्कालीन किशनगढ़ मडावर, करनीकोट तथा मण्डावर के क्षेत्र सम्मिलित थे, बलवन्त सिंह जी को दे दिये। एक प्रकार से अलवर राज्य के दो भाग हो गये। बलवन्त सिंह जी का जब उत्तरी भाग मिल गया तो उन्होंने तिजारा का अपनी राजधानी बनाया। बलवन्त सिंह जी के समय में तिजारा का चहुँमुखी विकास हुआ। इनके सन् 1845 में निःसन्तान गुजर जाने के कारण अलवर राज्य के उत्तरी भाग को पुनः अलवर राज्य में मिला लिया गया।

दूसरी तरफ महाराव विनय सिंहजी ने कुल 42 वर्ष तक राज्य किया इनका शासन शान्तिपूर्ण रहा। शासन की बागडोर में मुसलमानों के रहने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इनके समय में साहित्य एवं कला का बहुमुखी विकास हुआ। इन्होंने कई निर्माण कार्य कराए जिसमें विनय विलास (वर्तमान में राजर्षि कॉलेज) शीशमहल शीतल निवास रथ निवास एवं पीताखाना आदि मुख्य थे। इन्होंने

सन् 1845 में रूपारेला नदी के बहाव को रोककर 40 फुट ऊँचा तथा, 1000 फुट लम्बा बांध (सिलीसेढ़) बनवाया था। विनय सिंह के शासनकाल में 1857 की क्रान्ति हुई। जिसमें विनयसिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। वस्तुतः विनयसिंह को बनेसिंह के नाम से भी जाना जाता है। विनय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिवदास सिंह (शयोसिंह) मात्र 12 वर्ष की आयु में अलवर का राजा हुआ। ये बहुत ही ऐशो आराम पसंद एवं विलासी जीवन जीने के पक्षधर के थे। 11 अक्टूबर, 1874 को इनका देहान्त हो गया इसके भी कोई ओर संतान नहीं थी। अतः उनकी मृत्यु के पश्चात् अलवर राजगद्दी फिर विवादित हो गई थी। उसके दो दावेदार खड़े हो गये एक तरफ बीजवाड के लखधीर सिंह थे, दूसरी तरफ थाणा के मंगल सिंह। अतः वास्तविक सत्ता बाद में मंगल सिंह ने संभाली, अंग्रेज सरकार ने भी इसका समर्थन किया, इस प्रकार थाणा के ठाकुर हरदेव सिंह जी के द्वितीय पुत्र कुवर मंगल सिंह जी अलवर राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए।

महाराज मंगल सिंह जी ने राज्य में कई अच्छे कार्य किये। इनको मेयो कॉलेज का प्रथम विद्यार्थी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इन्होंने राज्य में राज्य में न्यौता प्रथा को समाप्त करके अपनी उदारता का परिचय दिया जिसमें आम जनता को न्यौता टैक्स से राहत मिली। उन्होंने राजगढ़ से थाने के बीच रास्ते के दोनों ओर नीम और गूलर के वृक्षों को लगवाए। इनका पहला विवाह 17 फरवरी 1877 को किशनगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिंह की द्वितीय राजकुमारी से हुआ। थाणा ग्राम से सम्बन्ध होने के नाते विवाह के लिए जाने के अवसर पर भागी (थाणा के सुल्तान सिंह की पत्नी) ने आँखों में काजल डालने का दस्तुर किया था। दूसरा विवाह रतलाम के महाराजा की राजकुमारी से हुआ जिनसे जयसिंह का जन्म हुआ। महाराजा मंगल सिंह जी 22 मई, 1892, को नैनीताल में देहान्त होने पर राजकुमार जयसिंह जी को अलवर राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ।

आगे चलकर महाराज सवाईसिंह ने ही अपने राज्य का नाम अलवर से अलवर तथा राज्य चिन्ह 'गढ़ जीते सब धाय' का 'आत्मान् सततं विद्धि' में बदला। महाराजा जयसिंह जी एक हठी, निरंकुश तथा दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। महाराजा जयसिंह जी पोलो के अद्वितीय खिलाड़ी, प्रकृति प्रेमी तथा अचूक निशानेबाज थे। उन्हें हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, तथा लेटीन भाषा का अच्छा ज्ञान था लेकिन वे हिन्दी कि विशेष प्रेमी थे। महाराजा जयसिंह स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 31 मई 1932 को थाना के राजा रामसिंह जी का निःसंतान देहान्त हो गया। इनकी छतरी थाना के बाग में हणुमत सिंह जी की छतरी के पास विद्यमान है। हवा कंवर नैन कंवर श्रीचन्दपुरा के गंगासिंह जी की दूसरी शादी

राजा रामसिंह जी की मंझली साली नैन कंवर के साथ हुई थी। गंगासिंहजी थाना के रामसिंह जी तथा महाराज जयसिंह जी दोनों के ही रिस्ते में चाचा लगते थे। उनके करणसिंह जी तथा तेजसिंह जी के दो पुत्र हुए। करण सिंह जी का अल्पायु में ही निःसंतान देहान्त हो गया। महाराजा जयसिंह जी ने गंगासिंह जी को अलवर राज्य से दो बार निष्काषित किया। प्रथम बार सन् 1925 में तथा दूसरी बार सन् 1931 में थाणा के राजा रामसिंह जी की मृत्यु के समय यह निर्वासित थें। महाराजा जयसिंह जी ने थाना के राजा रामसिंह जी की मृत्यु के बाद पाडा के कुँवर नारायण सिंह जी को थाणा का जागीदार बना दिया। इसका राज राम सिंह जी की विधवा रानियों हवा कँवर तथ अकल कँवर ने विरोध किया जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने पाडा के कुँवर नारायण सिंह को थाणा से हटाकर श्रीचन्दपुरा के गंगासिंह जी के द्वितीय पुत्र कुँवर तेजसिंह जी को सन् 1935 में थाणा का जागीरदार बना दिया।

महाराजा जयसिंह जी को 19 मई 1937 को पेरिस में मृत्यु हो गई। इनके भी कोई ओर सन्तान नहीं थी। इनके एक ओरस पुत्र राव राजा विक्रम सिंह थे लेकिन नियमानुसार व राजसिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। अतः एक बार फिर अलवर राजसिंहासन के उत्तराधिकार के लिए दो दावेदार हो गए। एक बीजवाड़ के कल्याण सिंह और दूसरे थाणा के कुँवर तेजसिंह जी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कल्याणसिंह जी को अलवर गद्दी का हकदार नहीं माना तथा पूर्व परम्परानुसार थाणा के कुँवर तेजसिंह जी को ही अलवर गद्दी का उत्तराधिकारी मानते हुए 22 जुलाई 1937 को अलवर नरेश घोषित कर दिया। इस प्रकार थाणा से एक बार पुनः अलवर के सातवें तथा अंतिम शासक तेजसिंह बने। इस तरह थाणा ने अलवर को चार शासक दिए। थाणा और अलवर राजपरिवार के नजदीकी होने के कारण अलवर के महाराजाओं की महारानियाँ थाणा के ठाकुरों के नियमित रूप से गोद बैठती रही हैं। तेज सिंह जी के अलवर आने पर थाणा की जागीर पुनः रिक्त हो गई। महाराजा तेज सिंह जी ने थाणा को खालसा कर पूर्ण परम्पराओं के विपरीत अपने पिता श्रीचन्दपुरा के गंगासिंह जी को यहां का जागीरदार बना दिया। गंगासिंह जी को राजा की पदवी भी प्रदान करी गई। सन् 1941 में गंगासिंह जी के देहान्त के उपरान्त महाराजा तेजसिंह जी ने थाणा को पुनः खालसा कर यशवन्तगढ़ जागीर में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार महाराजा तेजसिंह जी ने थाणा के प्राचीन गौरव एवं अस्तित्व को धूमिल और दूषित करके समाप्त कर दिया।

महाराजा तेजसिंह जी एक बहुत ही सादगी प्रिय व्यक्ति थे। फिजूल सर्ची एवं किसी भी प्रकार का व्यसन इनको पसन्द नहीं था। इनकी कृपणता के चर्चे अलवर

में खूब चर्चित है। इनके प्रताप सिंह जी तथा यशवन्त सिंह जी दो पुत्र हुये। यशवन्त सिंह जी को 11 अगस्त 1914 में यशवन्तगढ़ जागीर का जागीरदार बनाया गया। इस जागीर में 21 ग्राम थे। मालाखेड़ा का नाम यशवन्तगढ़ रखा गया और यशवन्तगढ़ (मालाखेड़ा) जागीर का थाणा एक ग्राम मात्र रहा गया। इस प्रकार अलवर राज्य की राव प्रताप सिंह जी से प्रारंभ होकर युवराज प्रताप सिंह जी ने इति श्री होती है।

संदर्भ

1. अलवर राज्य के संस्थापक (राव राजा प्रतापसिंह), पृथ्वी सिंह नरूका पृ. 70
2. जयपुर संभाग का जिलेवार संस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ. 166-167
3. अलवर राज्य का इतिहास (1775-1857) डॉ. एल.एल. नागौरी
4. मृत्युसंघ का पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक इतिहास डॉ. सी. एल. शर्मा- पृ. 266
5. अलवर राज्य के संस्थापक (राव राजा प्रतापसिंह) लेखक पृथ्वी सिंह पृ. 75
6. वही पृ. 77

शहर पनाह : उदयपुर के पोल

प्रो. मीना गौड़

उदयपुर शहर पीछोला तालाब के पूर्वी किनारे की उत्तर दक्षिण स्थित पहाड़ी के दोनों पार्श्व पर बसा हुआ है। पहले राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, परन्तु वह गढ़ सुदृढ़ होने पर भी एक ऐसी लंबी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक है अतएव शत्रु उसका घेरा डालकर किले वालों के पास बाहर से रसद आदि का पहुंचना सहज ही बंद कर सकता था यही कारण था कि यहाँ कई बार बड़ी-बड़ी लड़ाईयों में किले के लोगों को भोजनादि सामग्री खत्म हो जाने पर विव । दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए बाहर आना पड़ा इसी असुविधा का अनुभव करके महाराणा उदयसिंह ने चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए सुरक्षित स्थान में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया।¹ उदयपुर स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व मेवाड़ राज्य की राजधानी था। इस नगर की नींव महाराणा उदय सिंह ने 1553 ई में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रखी थी।² नई राजधानी में पानी के लिए नदी, सघन वन, घाटी के रूप में प्राकृतिक सुरक्षा इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया, ताकि चित्तौड़ की अपेक्षा वह ज्यादा सुरक्षित एवं अभेद्य हो सके। उदयपुर सभी दृष्टि से उपयुक्त था। महल के लिए उदयपुर के सबसे ऊंचे स्थल का चुनाव किया गया तथा उसे चारों ओर से पत्थर की अभेद्य दीवारों द्वारा सुरक्षित बनाया गया। उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता ने इसे सभी के लिए नयनाभिराम बना दिया 1559 ई. में उदयपुर नगर प्रवेश सम्पन्न हुआ।³ 1902 ई. में लार्ड कर्जन ने भी इसके सौन्दर्य से अभिभूत होकर कहा 'राजपूताना के महलों में उदयपुर का महल सुन्दरतम और सर्वाधिक भव्य है।'⁴ फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विशाल विण्डसर महल से की थी।

प्रायः सभी कालों में राजधानी शासनतंत्र की धुरी रही है। युद्ध के दौरान राज्य की राजधानी पर विजय पाने का अर्थ होता है, सम्पूर्ण राज्य का विजय। इस कारण उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस उदयपुर नगर के चारों ओर पुराने समय में चारदिवारी खिंची हुई थी, जिसमें 12 द्वार थे⁵ इन द्वारों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। रियासत काल में सायं 7 बजे इन द्वारों को बंद कर दिया जाता था। नये नगर उदयपुर को शास्त्रीय एवं वास्तुसंबंधी दोंषो से मुक्त रखने के लिए शास्त्रीय एवं वास्तुशास्त्र सम्बंधी नियमो व निर्देशों की पालना दृढ़ता से की गई ताकि यह नगर वैभवशाली और मंगलकारी हो।⁶ नगर निर्माण में कौटिल्य के अर्थशास्त्र सम्बंधी वास्तु निर्देशों के साथ-

साथ 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन जिन्होंने 'राजवल्लभ' नामक वास्तुशास्त्र की पुस्तक लिखी है उनके सिद्धान्तों की भी पालना की गई।

उदयपुर नगर को दोहरी सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत सुरक्षित बनाया गया। उदयपुर वैसे भी चारों ओर की पहाड़ियों द्वारा प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित था। किन्तु इसके बाद भी नगरकोट एवं दो द्वारों द्वारा उसकी सुरक्षा निश्चित की गई थी। आवागमन के लिए नये शहर से 15 किलोमीटर दूर गिर्वाघाटी में देबारी में देबारी के द्वार का निर्माण रविवार अश्विन बदी तीज विक्रम संवत् 1610 (मई 20, 1554 ई.) में किया गया। बाद में इस स्थान पर 1553 ई में पाटवी (बड़ी) रानी महारानी सोनगरा जी द्वारा वहाँ एक बावडी एवं सराय का निर्माण किया गया। महारानी सज्जा देवी ने उदय सागर के किनारे प्रहलाद जी मंदिर का निर्माण करवाया।⁷ महाराणा उदयसिंह ने एक विशाल बांध का भी निर्माण राजधानी शहर के पूर्व दिशा में कराया 1559 ई. में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1562 ई. में पूर्ण हुआ। इस तालाब की प्रतिष्ठा 1565 ई. को महाराणा ने अपने हाथों से की। उदय सागर के निर्माण में एक ओर जहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त जल प्राप्त हुआ, दूसरी ओर इसके सुरक्षात्मक दृष्टि से भी उन समतल क्षेत्र को बंद कर दिया गया जो गिर्वा में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक था। अन्य सभी स्थान पहाड़ियों द्वारा प्राकृतिक रूप से बंद थे।

दूसरे बाह्य दरवाजे का निर्माण उदयपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर महाराणा सज्जन सिंह द्वारा चीरवा घाटी करवाया गया। केवडे की नाल की तरफ दक्षिण दिशा में एक तीसरा बाह्य दरवाजा था, जो उदयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित था। उत्तर पश्चिम दिशा में ईसवाल की चौकी उदयपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात भू भाग क्षेत्र की तरफ झाड़ोल पाई की घाटी के दर्रे में पुलिस चौकी स्थापित कर चारो दिशाओं से नगर को सुरक्षित बनाया गया। वास्तुसिद्धान्तों के अनुरूप महलों का मुख उत्तरपूर्व दिशा में रखा गया। उदयपुर की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनायी गयी जिसमें महलों को पत्थरों की मजबूत चारदिवारी द्वारा घेरकर द्वारों से सुरक्षित बनाया गया। उसके चारों ओर गहरी चौड़ी खाई को पानी से भरकर नगर की सुरक्षा और ज्यादा सुनिश्चित की गई। कौटिल्य की मान्यता है कि मुख्य नगर राजधानी में पूर्व से पश्चिम तीन मार्ग और उतर से दक्षिण तीन मार्ग होने चाहिए। उदयपुर की बसावट में भी कौटिल्य द्वारा बताए गए वास्तु संबंधी नियमों की पालना की गई। वास्तुकार मंडन के ग्रंथ राजवल्लभ में भी यह उल्लेख मिलता है कि शहर में 12 दरवाजे होने चाहिए जिनमें से चार मुख्य द्वार हो, जिनमें दो दरवाजे लगे हो। इसी क्रम में नगर के चारो ओर बारह पोल सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। जिनके नाम हैं - सूरजपोल, दिल्ली गेट (दरवाजा), दंडपोल,

हाथीपोल, चाँदपोल, अंबापोल, सीतापोल, हनुमान पोल, राम पोल, कमला पोल, कृष्णा या किशन पोल तथा उदियापोल। कमला पोल का अस्तित्व अब नहीं रहा। आधुनिक नगरीकरण की प्रक्रिया में शहरी विस्तार के कारण तथा विरासत के प्रति जागरूकता के अभाव में कमला पोल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उदयपुर के चार मुख्य दरवाजे हैं- हाथीपोल, दिल्ली दरवाजा, सूरजपोल, तथा किशनपोल। इन्हे सिंहद्वार कहा जाता था।

बड़ी पोल या त्रिपोलिया पोल- उदयपुर शहर के महल में महाराजा अमरसिंह प्रथम 1608ई. ने बड़ी पोल का निर्माण करवाया था। उसके बाद का निर्माण कार्य महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय 1710-1734 ई. ने पूर्ण कराया जिसे त्रिपोलिया के नाम से जाना जाता है। त्रिपोलिया में क्रमानुसार तीन पोल बने हुए हैं जिन्हें एक तोरण पोल के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह के एक कतार में तीन द्वार सबसे पहले मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ में बनायी गयी। उसी का अनुसरण करते हुए उदयपुर में भी त्रिपोलिये दरवाजे का निर्माण किया गया। ऐसी किवदंती है कि इस द्वार को देखने के बाद दिल्ली के शासक ने दिल्ली के राजकीय कब्रगाह के सामने इस तरह के त्रिपोलिया द्वार का निर्माण करवाया, और ऐसी आज्ञा निकाली की अन्य किसी स्थान पर इस तरह के द्वारों का निर्माण नहीं किया जाए। अगर कहीं बाद में इस तरह के द्वारों का निर्माण भी हुआ तो उसके लिए दिल्ली के शासक की विशेष अनुमति लेनी पडती थी। उदयपुर महल में त्रिपोलिया के निर्माण के पूर्व इसकी अनुमति के लिए बिहारीदास पंचोली मेवाड़ के प्रधान एवं कानोड़ रावत सारंगदेवोत को फरूखशियर के पास भेजा गया। लेकिन स्वीकृति मिलने के पूर्व ही इस द्वार का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया।⁸

तोरण पोल - उदयपुर महल के प्रांगण के पश्चिमी दिशा में तोरण पोल स्थित है। जिसका निर्माण महाराणा कर्णसिंह ने करवाया था। इस पोल से होकर महल के अंदर जाने का रास्ता है। राजस्थान में शादी के अवसर पर वर द्वारा तोरण भेदने की प्रथा है। इस दरवाजे के सामने राजकुमारियों के विवाह के अवसर पर तोरण बांधा जाता था। इस कारण इसका नाम तोरण पोल पड़ा। इस द्वार के उपर सात मेहराब हैं जो महाराणा जगत सिंह द्वारा सात बार स्वर्ण तुला दान किये जाने की स्मृति में बनाए गए हैं।

दिल्ली गेट- इस पोल को दिल्ली गेट कहकर पुकारा जाता था। इन पोलों से संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी है। जैसे दिल्ली दरवाजे को अशुभ माना जाता था। दिल्ली के मुगल शासकों के साथ स्वाधीनता की रक्षा के लिए एक लम्बी लड़ाई मेवाड़ ने लड़ी थी। ब्रिटिश काल में भी फतेहसिंह के संबंध अंग्रेजों के साथ तनावपूर्ण थे। चूंकि दिल्ली स्थित केन्द्रीय सत्ता के साथ महाराणाओं के संबंध कभी ज्यादा

सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, इस कारण दिल्ली दरवाजा को अशुभ मानते हुए कभी भी यहां से किसी महाराणा की सवारी नहीं निकली। 1769 ई. में सिंधिया के आक्रमण के समय महाराणा हरिसिंह के काल मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने मेवाड़ के सभी पोलो के सुरक्षा की व्यवस्था की शहर पनाह के चारों ओर छोटे-छोटे किले बनाकर शहर के कोट दरवाजे और खाई को ठीक किया।⁹

सूरज पोल- दिल्ली दरवाजा के विपरीत सूरज पोल बहुत शुभ माना जाता था। संभवतः सिसोदिया राजाओं के सूर्यवंशी होने के कारण भी इसको विशेष महत्व प्राप्त था। किसी भी महाराणा की मृत्यु होने पर दाहक्रिया के लिए महाराणा का शव सूरजपोल होकर ले जाने की परम्परा थी।

दंड पोल- इस पोल का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि जब किसी व्यक्ति को देश निकाले की सजा दी जाती थी तो उसे मुख्यमार्ग से नहीं निकाल कर इस दरवाजे से निकाला जाता था। इसमें छोटा दरवाजा होता था किन्तु जब किसी अपराधी को निकालना होता था तो उसे इस द्वार से निकाल कर इस दरवाजे को पुनः बंद कर दिया जाता था।

वर्तमान स्थिति शहर की रक्षक रही इन दरवाजों के आज खुद सुरक्षा की आवश्यकता है। समय के साथ ये सभी द्वार प्रायः जर्जर हो चुके हैं तथा इन्हे विशेष रख-रखाव की जरूरत है। कई पोलो का जीर्णोद्धार निगम ने कुछ समय पहले ही कराया है। वर्तमान में इनमें कई जगह पुलिस चौकियां चल रही हैं तो कई जगह से हटा दी गई है। जहां चौकियां नहीं हैं। वहाँ लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। लोगों का मानना है कि पुलिस चौकियां होने से ये विरासत भी सुरक्षित रहती थीं और क्षेत्रवासी भी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे।

किशनपोल, चांदपोल, रमणिया पोल सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। ये आज अतिक्रमण के शिकार हैं। उदयपोल, सूरजपोल, हाथीपोल, देहलीगेट कंट्रोल रूम जगदीश चौक, घंटाघर में पुलिस चौकियां चल रही हैं। उदियापोल को पहले कमलिया पोल के नाम से जाना जाता था। किन्तु महाराणा सज्जनसिंह के पुत्र उदयसिंह के उपलक्ष में उन्होंने इस पोल का नाम उदियापोल कर दिया।

ब्रह्मपोल - ब्रह्मपोल कुछ समय पहले तक जर्जर अवस्था में थी। कुछ समय पूर्व ही नगर निगम की ओर से मरम्मत की गई थी। फिलहाल यहाँ तीन कमरे हैं जिन पर ताले लगे रहते हैं। इनमें पहले चौकियां संचालित होती थी। इससे क्षेत्रवासी सुरक्षित महसूस करते थे। जब से ये चौकियां यहाँ से हटी, इस विरासत की सुरक्षा खत्म हुई है। साथ ही इस क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं।

चांदपोल - यह क्षेत्र पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस पोल का भी जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन शहरकोट के हिस्से पर ध्यान नहीं दिया। शहरकोट को कई जगह पेड़ उग आए हैं। जो सौन्दर्य को नष्ट करने के साथ ही शहरकोट कोट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई जगह दीवारों पर दरारे आ चुकी है। यहां पोल में दो कमरे हैं जिन पर ताले लगे रहते हैं। यहां अक्सर गरदुल्ले और लपके विदेशी पर्यटकों को अपने जाल में फंसाने की फिराक में घूमते रहते हैं। यहां भी सुरक्षा के इंतजाम की आवश्यकता है।

अम्बा पोल - अम्बापोल की खूबसूरती को भी रंग-रोगन कर निखारा गया है। यहां वर्तमान में दो-तीन कमरे हैं, जो होमगार्ड के जवानों को दिए गए हैं। यहां भी शहरकोट पर लग रहे पेड़-पौधों से विरासत को खतरा है। उदयपुर के पोल हमारी समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। जिनकी सुरक्षा हमारा दायित्व है।

संदर्भ

1. गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड, राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर 1999पृ. 25
2. मनोहर सिंह राणावत, उदयपुर पाटनामा, प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर
3. उपरोक्त
4. देवनाथ पुरोहित - मेवाड़ हिस्ट्री, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, 1938, पृ. सं.7
5. उपरोक्त
6. अग्निपुराण, XI-VV2
7. श्यामलदास, वीर विनोद, द्वितीय भाग, खण्ड-1, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-1986 पृ. 73
8. महाराणा संग्रामसिंह का परवाना, कानोड़ रावत सारंगदेव के नाम 1712 ई.
9. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, पूर्वोक्त, पृ. 653

राजस्थान में मंदिर स्थापत्य : ओसियां व आबू के विशेष संदर्भ में

ममता यादव

राजपूतों का जन्म स्थल राजपूताना यदि राजपूतों की त्यागमयी एवं गौरवमयी गाथाओं से व्याप्त है, तो कला के विकास में भी इसका योगदान अविस्मरणीय है। सतत् संघर्ष क्षेत्र होने के कारण कठिन श्रम यहाँ के जन-जन में स्वाभावसिद्ध है, अतः यहाँ के वास्तुकारों ने भी अपने दुस्साध्य श्रम एवं व्यवसायिक परिपक्वता के आधार पर शिखर मंदिरों का प्राचीनतम स्वरूप निर्धारित किया। जयपुर में बैराठ¹ का वृत्ताकार मंदिर यदि तृतीय शताब्दी ई.पू. में निर्मित हुआ तो चित्तौड़ में नागरी से उपलब्ध शिखर एवं आमलक 5वीं शताब्दी ई. में नागर शैली के विकसित स्वरूप को निर्धारित करते हैं।² यद्यपि 8वीं शताब्दी से पूर्व के मंदिर पूर्णतः नष्ट हो गये हैं, परन्तु मुस्लिम कलाकृतियों में इस क्षेत्र के मंदिरों के अवशेषों के प्रयोग से मंदिराधिक्य का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। केवल वही मंदिर अपनी पुरागाथा गाने के लिए शेष हैं, जो दुर्गम पहाड़ियों में स्थित होने के कारण मुस्लिम शासकों की दृष्टि से परे रहे। इनमें ओसियां व आबू पर्वत के मंदिर प्रमुख हैं³, जो नागर शैली की राजपूत विशेषताओं से युक्त हैं।

गुप्तकाल चूकिं इतिहास में स्वर्णकाल के नाम से विहित है, अतः स्थापत्यकला विशेषतः मंदिर निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य गुप्त सम्राटों द्वारा प्रारम्भ किये गये। मुख्य रूप से विष्णु मंदिर (तिगवा), सूर्य मंदिर (दशपुर-मंदसौर), पार्वती मंदिर (नचना कुठरा) आदि बने। गुप्तकाल के बाद राजपूताने पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिाकार हो गया। जोधपुर के समीप प्रतिहार नरेशों ने 'सिद्धेश्वर महादेव'⁴ के मंदिर का निर्माण किया था -

*पुष्करिणो कारिता यन त्रेतौ तीर्थ्ये च पत्तनम्,
सिद्धेश्वरो महादेवः कारितः तुंग मंदिरः।⁵*

भोज की ग्वालियर प्रशास्ति में भी वर्णन मिलता है कि गुर्जर-प्रतिहार नरेशों ने अपने अंतःपुर में भगवान् विष्णु का मंदिर बनवाया था -

अंतः पुरपुरं नाम्ना व्यधामि नरकद्विशः।⁶

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि राजपूताने में मंदिरों का निर्माण 10वीं शताब्दी तक होता रहा।

इस्लाम के भारत में प्रवेश हो जाने पर उत्तर-पश्चिम दिशा से आक्रमण होने लगे। मध्य भारत, राजपूताना आदि क्षेत्रों में प्रवेश कर इस्लामी सेनाओं ने धार्मिक केन्द्रों का विनाश किया और मंदिरों को नष्ट-भ्रष्ट किया। राजपूताने में मंदिरों के ६ वंसावशेष उनकी कहानी का बखान करते हैं। उत्तर गुप्तकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, उस काल की मंदिर-शैली का अनुमान दिल्ली तथा अजमेर की इस्लामी इमारतों के समीप फैले भग्नावशेषों से हो जाता है।⁷

ओसियां-इस्लामी आक्रांताओं से बचे मंदिरों में ओसियां⁸ के मंदिर प्रमुख है। ओसिया, जोधपुर से 32 मील उत्तर पश्चिम में ओसिया गांव प्राचीन नगर का अवशेष है, यहाँ से लगभग 16 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुये हैं। 11 मंदिर तो गांव की सीमा पर स्थित हैं और 5 मंदिर पहाड़ी पर स्थित हैं। ओसिया के प्रारंभिक मंदिर 8वीं व 9वीं शताब्दी के हैं, इनमें शिखरों का विकास दिखलाई पड़ता है। कुछ मंदिर पंचायतन हैं तथा हरि-हर से सम्बद्ध हैं। पर्सी ब्राउन⁹ तथा डॉ. क्रैमिश¹⁰ के अनुसार ये मंदिर लघु हैं, किन्तु वास्तुगत अनुपात एवं आकार में अद्वितीय हैं। प्रत्येक मंदिर अपनी मौलिकता के लिए प्रख्यात है। इन मंदिरों का आधार खजुराहो की भाँति महापिप्ताकार है तथा शिखर उड़ीसा शैली में लम्बवत् रेखाओं से युक्त है।

ओसिया का महावीर मंदिर वत्सराज (नागभट्ट द्वितीय के पिता) के शासनकाल में निर्मित हुआ। हरिहर मंदिर संख्या 2 एवं 3 में मुख्य मंदिर के समक्ष मंडप इनके विकास क्रम को निर्धारित करते हैं। ये मंडप स्तम्भों पर बने हैं, जो चारों ओर से खुले हैं। ओसिया मंदिर संख्या 7 सूर्य मंदिर है, यह भी पंचायतन शैली पर निर्मित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत ही आकर्षक व वैभवपूर्ण है। इसके स्तम्भ आधार एवं शीर्ष पर कुंभपत्र शैली में हैं व मध्य भाग पतला है। स्तम्भों का यह सौंदर्यपूर्ण निर्माण अनुभवी कलाकारों की ही देन हो सकती है।¹¹

मंदिर संख्या 3 आयताकार है, जिस पर ढोलाकार छत भुवनेश्वर के वैताल देउल तथा ग्वालियर के तैली मंदिर की याद दिलाता है। ओसिया के वृहत महावीर मंदिर में गर्भगृह, मंडप, खुला अर्द्धमंडप तथा तोरणद्वार मुख्य अंग हैं। यह खजुराहो शैली में अंगशिखरों से युक्त है।¹²

ओसिया गांव के पूर्वी किनारे पर सचिया माता मंदिर है, जो इस वास्तु शैली का अंतिम उदाहरण है, यह 12 वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इसका मंडप अष्टकोणिक आधार के आठों कोणों पर खड़े स्तम्भों पर टिका है। शिखर उरुश्रृंगों से अलंकृत है।

ओसिया मंदिर वास्तु में स्तंभ एवं प्रवेश द्वार विशेष उल्लेखनीय है। स्तम्भ प्राकृतिक दृश्यों से अलंकृत है, द्वार के ऊपर चौखट पर नवगृहों का चित्रण है।¹³

आबू- आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर¹⁴ राजपूताना शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो दो मंत्रीबंधुओं ने- विमलपाल व तेजपाल ने बनवाये। उन्हें विमलवसही व लूणवसही भी कहा गया है। दिलवाड़ा में चार जैन मंदिर विद्यमान हैं, जो प्रांगण के मध्य में स्थित है।

विमलवसही मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ (आदिनाथ) को समर्पित है। एक प्रांगण के मध्य एक गर्भगृह, गूढ़ मंडप, सभा मंडप तथा देवकुलिका इसके मुख्य अंग हैं। मंडपों का निर्माण 1031 ई. में राजा भीम प्रथम के उत्तराधिकारी विमलपाल द्वारा कराया गया है। विमलवसही¹⁵ के उत्तर-पूर्व में नेमिनाथ का मंदिर है, जो लूणवसही के नाम से विख्यात है, इसमें गर्भगृह काले प्रस्तरखण्डों तथा अन्य मंडप संगमरमर के बने हैं। ये जैन मंदिर आबू की 4000 फीट ऊँची पहाड़ी पर निर्मित है, इनमें अर्द्धमंडप, मंडप व चतुर्दिक कक्ष सूक्ष्म मूर्ति कला की खान हैं। कजिन्स¹⁶ ने इन संगमरमर की मूर्तियों को स्वप्न सौंदर्य कहा है।

इस प्रकार अंलकरण की दृष्टि से दिलवाड़ा के जैन मंदिर अप्रतिम कला प्रतिभा के परिणाम हैं, परन्तु इनमें वास्तुदोष भी है, मूर्ति आधिक्य से वास्तुगत प्रभाव नगण्य-सा है। गर्भगृह की दीवार व शिखरों में कोई सामंजस्य नहीं है। मूर्तियों की पुनरावृत्ति से मानसिक थकान उत्पन्न होती है।¹⁷ किन्तु फिर भी राजपूताने की मंदिर निर्माण शैली अपने आप में अद्वितीय व वैभवपूर्ण रही है। राजस्थान में 11वीं सदी के बाद भी कई मंदिर तैयार किये गये, जिनमें चित्तौड़ का कालिका मंदिर तथा बरौली का शिव मंदिर उल्लेखनीय हैं। उदयपुर के समीप एकलिंग महादेव का मंदिर दर्शनीय है।¹⁸ उदयपुर से 56 किमी. दूर जगदम्बा या अम्बिका का प्रसिद्ध मंदिर 11वीं सदी में बनाया गया था। यह खजुराहो शैली का मंदिर है। इस प्रकार स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान के उपर्युक्त मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण व दृष्टव्य है।

संदर्भ

1. ए.एल.बाशम, अद्भुत भारत, पृ. 256
2. स्टेला क्रैमिश, हिन्दु टेम्पेल, जिल्द-2, पृ. 404
3. डॉ. रूदल प्रसाद यादव, प्राचीन भारतीय कला पृ. 131
4. बाउक की जोधपुर प्रशस्ति
5. प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन भाग-2, पृ. 347
6. पूर्ववत, पृ. 378
7. प्रो. वासुदेव उपाध्याय, प्राचीन भारतीय स्तूप, गुहा एवं मंदिर, पृ. 241

8. आर्कियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिपोर्ट-1908-09
9. पर्सी ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्चर, पृ. 139
10. स्टेला क्रैमिश, पूर्वोक्त, पृ. 404
11. पर्सी ब्राउन, पूर्वोक्त, पृ. 139-40
12. प्रो. वासुदेव उपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 243
13. पूर्ववत्, पृ. 244
14. स्टेला क्रैमिश, आर्ट ऑफ इंडिया, पृ. 210
15. प्रो. वासुदेव उपाध्याय, पूर्वोक्त, पृ. 245
16. डॉ. रूदल प्रसाद यादव, पूर्वोक्त, पृ. 133
17. पूर्ववत्, पृ. 134
18. डॉ. वी.के. पाण्डे, प्राचीन भारतीय कला, वास्तु एवं पुरातत्व पृ. 229-30

मेवाड़ का कंठहार : अंबिका मंदिर, जगत के कतिपय वैशिष्ट्य

डॉ. शिल्पी गुप्ता

राजस्थान में शक्ति पूजा की परम्परा प्राचीन है। जिसमें महत्वपूर्ण रूप से शिलालेखों से डाकिनी मातृका, अरण्यवासिनी माता, भ्रमर माता आदि के मंदिर के होने का पता चलता है।

माँ जगदम्बा के कारण ही संभवतः गांव का नाम 'जगत' (जग) है, जहां अंबिका (वि.सं. 1017 शिलालेख में अंबिका नाम से उपासना का जिक्र है) माता का पूर्वाभिमुख मंदिर है। इस गांव का मुख्य आकर्षण यह मंदिर है, अंबिका माता मंदिर से ही जगत, जगत प्रसिद्धि रखता है। यह मंदिर संभवतः 925 ई. के आसपास के मेवाड़ के गुहिल नरेश भर्तृहरि द्वितीय या अल्लट (?) के समय निर्मित माना जाता है। जिसे बालुका पुत्र साम्ब के समय 960 ई. में मरम्मत या जीर्णोद्धारित किया गया, ऐसा यहां से प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है।¹ मंदिर वास्तु एवं शिल्प की दृष्टि से विशिष्ट है, पूर्व में कई विद्वानों श्री आर.सी. अग्रवाल,² एम.एस. ढाकी (क्षेमकरी का मंदिर),³ सौंदराजन,⁴ इत्यादि ने इस पर अपनी सुघड़ लेखनी चलाई है अपितु आज भी यह मंदिर अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा एक विस्तृत शोध का विषय रखता है। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख निम्न है, जो मंदिर की विशेषता है तथा इसे 'मेवाड़ का कंठहार', 'महिषमर्दिनी दुर्गा का आराध्य स्थल', 'अप्सराओं की स्थली' इत्यादि अनेक सम्बोधनों से सज्जित करते हैं—

महिषमर्दिनी दुर्गा का मंदिर—देवी अनेक रूपा है—शांत, सौम्य, उग्र, संहारकादि। परन्तु जहां मुख्य रूप से मार्कण्डेय पुराणान्तर्गत 'देवी माहात्म्य' के दुर्गा चरित्र में वर्णित कथा को प्रधान ताखों में पारम्परिक तरीके से दर्शाया गया है, इस कथा में देवी को भगवती जगदम्बा, कात्यायनी, अंबिका नाम से संबोधित किया गया है,⁵ यहां शिलालेख में अंबिका तथा मूर्तिकला में महिषमर्दिनी रूप को प्रमुखता दी गई है। जिसमें देवी व राक्षस में युद्ध के दौरान राक्षस का पहले पूर्ण महिष रूप में युद्ध, फिर देवी द्वारा महिष का वध करने से महिष के शरीर से पुनः मानव रूप में निकलते राक्षस से युद्ध तथा पूर्णमानव रूप में राक्षस का देवी से युद्ध, तीनों ही रूप अलग-अलग ताखों में बहुत जीवन्त तरीके से दिखाये गये हैं और इसे मंदिर गर्भगृह के प्रमुख ताखों में तथा सभामंडप के 2 रथिकाओं में, कुल 5 स्थानों पर जगह दी गई। गर्भगृह व उसके

परिकर में भी आज महिषासुरमर्दिनी रूप ही स्थापित है अतः इसे 'महिषासुरमर्दिनी दुर्गा का आराध्य स्थल' कहा जा सकता है। साथ ही डॉ. दिनेश कुमार⁶ के शोध पत्र अनुसार इसमें पूजार्थ हेतु, पृष्ठताख वाली प्रतिमा ही महिषासुरमर्दिनी रूप में मानी जानी चाहिए और अन्य महिष के साथ युद्धरत व मानव रूप में जीवित असुर प्रतिमाओं को 'महिषासुर निग्रही' (नियंत्रण) कहा जाना भी सार्थक होगा क्योंकि दानव को मारने के बाद ही देवी को महिषासुरमर्दिनी कहकर, शास्त्रों में पूजा की गई है।

सौम्य-शांत देवियों का प्रिय स्थल-यह मंदिर महिषमर्दिनी दुर्गा के रूप में प्रधानता देता है परन्तु देवी के सौम्य रूपों की भी यहां कमी नहीं है। पुस्तक, वीणाधरिणी शारदा-सरस्वती, उमा, गोधा पर खड़ी तपस्यारत पार्वती, ब्राह्मी, द्वारशाखाओं पर बनी मातृकार्ये आदि सौम्य देवियां भी बनाई गई हैं। यद्यपि उग्र स्वभाव वाली देवियां चामुंडा, भैरवी, प्रेतासना नारायणी दुर्गा, मत्स्य लिये तांत्रिक रूपा वाराही, महिषमर्दिनी दुर्गा भी यहां हैं परन्तु शिल्पी ने उसे इस सहजता, सरलता से प्रस्तुत किया है जिससे ये भी बहुत शांत, मृदु भाव वाली ही प्रतीत होती है अतः देवी के इस उपास्य स्थल में रौद्र रूपों के बजाय मुख्यतः शांत स्वरूप की आराधना की जाती रही है। या ये भी कहा जा सकता है कि देवी के सौम्य-रौद्र दोनों रूपों को समन्वित कर यहां उकेरा गया है।⁷

अप्सराओं की धरती-देवी के विभिन्न रूपों के अलावा उनके 'वीणावेणुमृदंगवाद्यरसिका', संगीत-नृत्य प्रमांगी विशेषण⁸ के साथ यहां अनेक अप्सराओं या सुंदर रमणियां भी उनके साथ संगत करते बखूबी तराशी गई हैं। प्रतिरथ, सलिलान्तर भित्ति पर बनी लगभग 40 अप्सरायें इस मंदिर की शोभा हैं, जिनमें पुत्रवल्लभा, वीणावादिनी, शुभांगिनी, सद्यस्नाता, दर्पणा, अलसकन्या, नृत्यांगना, कमलनालधारिणी, वस्त्रधारिणी, कुक्कुटधारिणी, केशगुम्फिनी, शुकक्रीडारत, पूजा को जाती स्त्री, वानर शावक से खेलती रमणी आदि सुरसुंदरियां विभिन्न मुद्राओं, भाव भंगिमाओं में चित्ताकर्षक नजर आती हैं। सुंदरी अलसकन्या अंगड़ाई लेते हुए एवं दर्पण में मुख निहार, सीमांत भरते सुन्दरी, यहां स्थानक व आसनस्थ दोनों ही रूपों में प्राप्त होती है। ऐसा हर मंदिर में प्राप्त नहीं है कि एक ही अप्सरा को बैठे व खड़े, दोनों मुद्रा में दिखाया गया है। लम्बे कद, नारी सौन्दर्य की परिपूर्णता, विभिन्न वस्त्र, केशसज्जा लिये ये अप्सरायें इतनी सजीव हैं, मानो अभी बोल पड़ेंगी, इनके नीचे दायें व बायीं ओर बने स्वस्थ बालकों का होना इनमें मातृत्व भाव को भी उभारते हैं। देवी के इस स्थल में बनी ये स्त्री आकृतियां, वामन सेवक-सेविकायें, गज पर आसीन स्त्रियां आदि देवी प्रतिमाओं के अतिरिक्त अपने अध्ययन हेतु ध्यान खींचती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो पृथ्वी पर सुंदर अप्सराओं की धरती है, जो पाषाण पर उत्कीर्ण होने के बावजूद आगन्तुकों को बरबस अपनी ओर देखने को मजबूर करती हैं।⁹

वेदिका में किन्नरांकन-जगत मंदिर शिल्प की एक अन्य खास विशेषता मंदिर वेदिका में बनी किन्नर आकृतियां हैं। पद्मदल सहित युगल रूप में बने किन्नर-किन्नरियां यहां विभिन्न वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं जो उनकी प्रकृति के अनुसार ही निर्मित हैं। कहीं बांसुरी बजाते तो कभी हाथों में मंजीरे, तुरही, वीणा, घंटा, रणभेरी बजाते ये किन्नर लघु होते हुए भी अतिसुंदर हैं। यद्यपि साहित्य, शिल्पशास्त्रानुसार मंदिरों में किन्नर अंकन वर्णित है तथा मंदिरों के छतों, द्वारों, उदुम्बरों में प्राप्त होते भी हैं परन्तु यहां वेदिका में लगभग 35 किन्नर युगलों की एक पंक्ति रचकर मूर्तिकारों ने इसे एक रोचक मंदिर वैशिष्ट्य बना दिया है तथा राजस्थान में तो अन्यत्र ऐसा दृष्टव्य नहीं है।¹⁰

पौराणिक कथा 'समुद्रमंथन' का उत्कीर्णन-अंबिका मंदिर के सामने बने प्रवेश मंडप की छत पर समुद्रमंथन फलक जड़ा हुआ है जिसमें देव-दानवों के बीच हुए समुद्रमंथन का दृश्य अंकित था। इसमें देववृंद के नेता चतुर्बाई विष्णु और इनके पीछे 11 देवता (6 खड़े व 6 बैठे) मंथनरत थे। राजस्थान में समुद्रमंथन फलक हर मंदिर में प्राप्त नहीं होता अतः इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है परन्तु खेद का ही विषय है कि अब ये फलक नष्ट हो चुका है और इसका उल्लेख मात्र पूर्व में लिखे शोधपत्रों में मिलता है।¹¹ जनजीवन को भी यहां खूबसूरती से उकेरा गया है जिसमें मल्ल-युद्ध, कामदृश्य, युगल दृश्य, युद्ध, मद्यपान, लिंगार्चना, गजसवार, रथारूढ़ योद्धा, साधुसंन्यासी, गुरु-शिष्य, नृत्य-संगीत, बहंगी लिये जाते भारवाहक, बांसुरी वादक, वीणावादक को प्रदर्शित कर सांसारिक जगत को भी महत्व दिया गया है। इन सभी प्रतिमाओं के वस्त्र, केश सज्जा, आभूषण भी महत्वपूर्ण हैं तथा तत्कालीन परम्परा को व्यक्त करते हैं। इन पर मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अध् ययन किया जा सकता है। बांसुरी, वीणा, मंजीरे, मकराकृति वाली वीणा इत्यादि अनेक वाद्ययंत्र भी कला, मनोरंजन की दृष्टि से अच्छी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करते हैं।¹²

दुर्लभता एवं सजीवता-इस मंदिर के मूर्ति शिल्प में सजीवता है, प्रतिमायें यहां निष्प्राण नहीं लगती बल्कि इतने प्राणवान रूप में बनाई गई हैं जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। देवी का महिष से हुए युद्ध को भी घटनाक्रम अनुसार दिखाना, यहां तक कि महिष रूप में कलाकार ने उसके पीठ पर धंसे चक्र का उत्कीर्णन भी इस प्रकार किया है, जैसे कि अभी-अभी ही देवी द्वारा चक्र महिष की पीठ पर फेंका गया हो। इस प्रकार की प्रतिमायें दुर्लभ ही हैं। इसी तरह से कई दुर्लभ गर्भगृह द्वारा उदुम्बर में धनाध्यक्ष कुबेर का अंकन¹³ व प्रेतासना वैष्णव आयुध लिये नारायणी दुर्गा या विष्णु की योगमाया, नंदा शक्ति¹⁴, अंबिका के साथ शुक्र को दिखा 'शुक्रप्रिय अंबिका'¹⁵, मत्स्य लिये वाराही, मधुपान लिये तांत्रिक देवियों, भैरव(?)

का जानु तक वस्त्र पहने कृशकाय रूप तथा दूसरी ओर सुडौल शरीरा भैरवी या चण्डिका (?) इत्यादि ।

स्थापत्य की दृष्टि से भी यह मंदिर मेवाड़ में प्रमुख है। एक परकोटे के अंदर वृहद् प्रवेश मंडप या नृत्य मंडप से सुसज्जित है। इस तरह के प्रवेश या नृत्य मंडप भी सदैव मंदिरों के साथ संलग्न नहीं होते, कुछ इसी तरह का परकोटे के अंदर, प्रवेश मंडप के साथ मेनाल के मंदिर समूह निर्मित है। मुख्य मंदिर में प्रवेश मंडप, सभामंडप, अंतराल, गर्भगृह, अनेकाण्डक शिखर, फांसना शैली का सभामंडप शिखर यहां है परन्तु ऊपरी हिस्सों में जगह-जगह सहारे हेतु मत्तालम्ब बना उसमें मानवाकृतियों को दिखाते हुए, एक छज्जेदार खिड़कियों का रोचक स्थापत्य देकर स्त्री-पुरुषों की सुंदर प्रस्तुति दी गई है। इसी प्रकार से गर्भगृह के दोनों ओर सभामंडप के अंदर से पश्चिम की ओर मार्ग देकर इसे निरंधार की अपेक्षा सांधार प्रासाद बनाया गया है जो अन्यत्र कम ही दिखते हैं।¹⁶ इसी तरह से गर्भगृह के उत्तर में जल निकासी की विशेष व्यवस्था एक ढकी नाली द्वारा की गई है जिसे मकर प्रणाला का रूप देकर पानी निकालने हेतु, घड़ा उड़ेलती हुई एक रमणी की आकृति से और खूबसूरत बनाया गया है। इस अवशिष्ट जल को एक कुंड तक पहुंचाकर उसे भी एक लघु मंदिर स्थापना गृह का रूप दिया गया है।¹⁷ जिसके बाहर मुख्य मंदिर की ही तरह दिक्पाल व महिषमर्दिनी दुर्गा प्रतिमायें जड़ी है। इस तरह की व्यवस्था भी हर जगह नहीं होते मात्र मकर प्रणाला होता है, परन्तु मेनाल के महानालेश्वर में भी उत्तर की ओर अलंकृत कुएं का निर्माण कर जल प्रणालियों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था मिलती है। ऐसा लगता है कि मेनाल के स्थापत्य पर जगत का प्रभाव रहा है। जगत मंदिर के निचले हिस्से में ६ रातल का स्पर्श करती हुई ताखें जड़ी हैं जिनमें भी देवी के नानाविध स्वरूप नारायणी दुर्गा, त्रिशूलधारिणी शिवा, त्रिमुखी ब्रह्माणी, द्विसिंहवाहना क्षेमंकरी, सिंहवाहना पार्वती प्रतिमायें आसनस्थ हैं। सभामंडप में हवा व रोशनी हेतु पाषाण की अलंकृत जालियां, गर्भगृह व सभामंडप के बाहर थरों की व्यवस्था कीर्तिमुख पंक्ति, गजपीठ भी मध्यकालीन मंदिरों की प्रारंभिक अवस्था का यहां द्योतक है। जैसा कि इसके समीप मंदिर स्थलों उनवास व एकलिंग जी में भी नहीं है।¹⁸

इस तरह के शिल्प-स्थापत्यगत वैशिष्ट्य लिए जगत का अंबिका मंदिर अपनी अनोखी छवि प्रस्तुत करता है। यह तो देवी के शांत, अभय, वरद रूपों तथा देवी महिषमर्दिनी दुर्गा की एकांतिक उपासना का केन्द्र है। मध्यकालीन मंदिरों में जहां त्रिदेव को महत्व देते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बनाने की परम्परा रही है, वहां जगत में इनकी अनुपस्थिति भी उल्लेखनीय है। शिव तो मातृकाओं के साथ गर्भगृह उतरंग पर हैं भी, परन्तु ब्रह्मा-विष्णु नहीं है अतः इस दृष्टि से भी यह मंदिर प्रारंभिक

मध्यकालीन मंदिरों में आता है। इनकी बजाय यहां उस समय शक्ति, अंबिका, दुर्गा को पूर्णतः महत्व दिया गया था इसलिए मुख्य मंदिर के गर्भगृह के प्रमुख ताखों में दुर्गा के रूप हैं, इनमें भी पूर्ण महिष की कुषाणकालीन परम्परा व तत्कालीन मध्यकालीन परम्परा (महिषरूपीदानव) को समाहित करके यहां संजोया जाना भी महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति को प्रधानता दी गई है। शिव, गणेश, भैरव, द्विहस्त दिक्पाल, नवग्रह के अलावा अन्य देव, पुरुष नहीं के बराबर ही हैं।

एक ध्यातव्य बात यह भी है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान मूर्तियां का स्थान बदल दिया गया हो क्योंकि मुख्य मंदिर गर्भगृह में 6 ही दिक्पाल हैं तथा सभामंडप की महिषमर्दिनी प्रतिमायें भी एक समान क्रम में नहीं हैं। कुछ प्रतिमाओं जैसे कीचक, द्वार गंधर्व, दिक्पाल, कुबेर के सहायक प्रतिमाओं के घुंघराले केश भी अन्य से मेल नहीं खाते अतः यह भी संभव है कि पूर्व में मंदिर का रूप कुछ और रहा हो और तदनुसार प्रतिमायें पूर्व मध्यकालीन कला व गुप्त कला से प्रभावित रही हों। गुप्त, गुप्तोत्तर काल से पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल की ओर प्रवेश करता मूर्तिशिल्प यहां परिलक्षित होता है तथा इस दृष्टि से अभी प्रतिमाओं का गहन अध्ययन शेष है।

वस्तुतः जगत का यह देवी भवन अनेक दृष्टि से महत्व रखता है, इसके अनेक पक्षों पर सविस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. आर.सी. अग्रवाल, इंस्क्रीपशन फ्रॉम जगत, राजस्थान, जर्नल ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा, वोल्यूम 14, 1964-65, पृ. 75
2. आर.सी. अग्रवाल, खजुराहो ऑफ राजस्थान दि टेम्पल ऑफ अंबिका एट जगत, आर्ट्स एजियातिक, पेरिस (फ्रांस), वोल्यूम 10, पार्ट 1, 1964, पृ. 43-65
3. एम.एस. ढाकी, क्षेमंकरी : द कल्ट इमेज ऑफ द अंबिका टेम्पल, जगत, विश्वेश्वरानन्द इण्डोलॉजिकल जर्नल, होशियापपुर भाग 6(1), 1968, पृ. 117-20
4. के.वी. सौन्दराजन, ए देवी कल्ट न्यूक्लस एट जगत, राजस्थान, विश्वेश्वरानन्द इण्डोलॉजिकल जर्नल, होशियारपुर भाग 1(1)ए 1963, पृ. 130-40
5. वेदव्यास कृत श्री मार्कण्डेय पुराण भाषा टीका, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, 2009, अध्याय 80, पृ. 207-210
6. दिनेश कुमार, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा का शास्त्रोक्त स्वरूप, शोध पत्रिका, उदयपुर, वर्ष 62, अंक 1-4, पृ. 246-249
7. स्वयं अंबिका मंदिर, जगत के सर्वेक्षण के आधार पर
8. नीलिमा वशिष्ठ, राजस्थान की मूर्तिकला परम्परा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2001, पृ. 34
9. स्वयं अंबिका मंदिर जगत के सर्वेक्षण के आधार पर

10. शिल्पी गुप्ता, राजस्थान की मूर्तिकला में किन्नर, मीरायन, मीरा स्मृति संस्थान, चित्तौड़गढ़, मार्च-मई 2014, भाग 29, वर्ष 8(1), पृ. 90-95
11. मरुभारती, पिलानी, भाग 13, पृ. 2-3
12. स्वयं अंबिका मंदिर, जगत के सर्वेक्षण के आधार पर
13. स्वयं अंबिका मंदिर, जगत के सर्वेक्षण के आधार पर
14. शोध पत्रिका, उदयपुर, जनवरी-फरवरी 2012, वर्ष 63, अंक 1-4, पृ. 24-30
15. आर.सी. अग्रवाल, महिषमर्दिनी इन अर्ली राजस्थानी आर्ट, रिसर्चर, जयपुर, वोल्यूम 5-6, पृ. 11-15
16. स्वयं अंबिका मंदिर, जगत के सर्वेक्षण के आधार पर
17. रत्नचन्द्र अग्रवाल, राजस्थान का खजुराहो : जगत का अंबिका मंदिर, आजकल, नयी दिल्ली, अप्रैल 1967, पृ. 22-27
18. आर.सी. अग्रवाल, खजुराहो ऑफ राजस्थान दि टेम्पल ऑफ अंबिका एट जगत, आर्ट्स एजियातिक, पूर्वोक्त, पृ. 45-46

सैनिकों की आराध्य देवी-तनोट माता : एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. अशोक गाड़ी

मरुभूमि के इस क्षेत्र में अनेक धर्मों एवं सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, जिनका धार्मिक जीवन सरल, उदार, आडम्बरहीन और सद्भावना युक्त था।¹ हिन्दू धर्म के लोग शिव-विष्णु, शक्ति, गणेश तथा सूर्य की पूजा करते थे। भगवान गणेशजी गृह प्रवेश के देवता सुख-समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती, लक्ष्मी को समृद्धि एवं भाग्य की देवी क्रिया की देवी महाकाली एवं दुर्गा को दुर्भाग्य से बचाने वाली देवी के रूप में जाना जाता है।² ऐसी मान्यता है कि जब-जब धर्म एवं संस्कृति का पतन होने लगता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ जाते हैं, तब पृथ्वी पर देवी अवतरित होती है। देवियां पृथ्वी पर स्त्री के रूप में जन्म लेकर अपने अलौकिक कार्यों एवं दिव्य शक्तियों से हमारे सम्मुख रहकर जनकल्याण करती हैं। इस प्रकार के चमत्कारिक कार्यों से लोगों में इनके प्रति अगाध श्रद्धा एवं विश्वास की भावना को सम्बल मिलता है।³ इसी के परिप्रेक्ष्य में जैसलमेर में आवड़ माता ने अवतरित होकर सम्पूर्ण मांड प्रदेश को संकटों से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना की। शक्ति रूप में अवतरित आवड़ माता के पूर्वज चेलाजी गढ़वी चारण मांड प्रदेश के निवासी थे, उन्हीं के वंश में मामड़ियाजी नाम के व्यक्ति हुए, जो लौद्रवा के परमार शासक जसभाण के समकालीन थे।

मामड़ियाजी निःसंतान थे। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता शक्ति पीठ की सात बार पैदल यात्रा की।⁴ हिंगलाज माता के वचनानुसार उनके घर में सात कन्याओं एवं एक भाई का जन्म हुआ। जिनके नाम आदी, गोहली, रूपली, छेछी, हुली, लांगादे, आई (आवड़) थे तथा भाई का नाम महरखे था। सात पुत्रियों बहुत रूपवती एवं दैविक चमत्कारों से युक्त थीं।⁵ किसी समय मांड प्रदेश में भयंकर त्रिकाल पड़ा, तो मामड़ियाजी अपने परिवार सहित सिन्ध प्रदेश के हकड़ा नदी के तट पर स्थित नानणगढ़ स्थान पर अस्थायी रूप से चले गए।

एक बार नानणगढ़ के सुल्तान अदन सूमरा के सेवक लूँछिया ने इन सातों बहनों के रूप को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, उसने अदन सूमरा के पुत्र नूरन सूमरा को इस बारे में बड़ा-चढ़ाकर कहा, कदन सूमरा ने बिना सोचे-समझे अपना विवाह का

प्रस्ताव मामड़ियाजी के समक्ष रखा, चूंकि सातों बहनें आजीवन ब्रह्मचारिणी का रूप एवं दैविक चमत्कारों से युक्त थी, अतः उन्होंने सिन्ध से पलायन कर वापस मांड प्रदेश की ओर रवाना हुए।⁶ रास्ते में हकड़ा समुद्र उफान पर था, सातों देवियों ने उनसे रास्ता देने का निवेदन किया लेकिन समुद्र और तेज उफान पर चलने लगा, तब आवड़ माता ने सात चुल्लू भर के सम्पूर्ण समुद्र को सोख लिया था, इस चमत्कारी रूप आवड़ माता की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी थी। नूरन सूमरा पीछा करता हुआ, जब पहुंचा तो देवी माता के शाप से वो वहीं भस्म हो गया था।⁷

सात बहनों के चमत्कारिक रूप से लोकजीवन में उन्हें कतियाणी, नागणेची सिंहणियों के रूप में पूजा जाने लगा। सिन्ध प्रदेश से आने के बाद आवड़ माता जी की पवित्र पावन यात्रा के साथ जैसलमेर में सात मंदिरों का निर्माण हुआ, जिससे लोगों की आस्था देवी शक्ति के प्रति बढ़ती गई।⁸ ये मंदिर क्रमशः कालेडूंगरराय मंदिर, भादरियाराय मंदिर, तेमड़ेराय मंदिर, घंटियालीराय मंदिर, तनोटराय मंदिर, देगराय मंदिर, श्री स्वांगिया देवी मंदिर हैं।

जैसलमेर में इन सभी मंदिरों का अपना विशेष महत्व है। नवरात्रों के दिनों में सभी मंदिरों में प्रत्येक जाति एवं धर्म के लोगों द्वारा अपनी श्रद्धानुसार पूजन किया जाता है।⁹ भारत-पाक विभाजन से पूर्व जैसलमेर दक्षिण एशिया मंडी का प्रमुख केन्द्र बिंदु था, सिंध, अफगानिस्तान तथा पंजाब को जाने वाले व्यापारिक कारवां इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे।¹⁰ जैसलमेर गजल के मेहता अजीतसिंह ने जैसलमेर की समृद्ध आर्थिक स्थिति लोग व्यापारिक लेन-देन के लिए ग्राहकों से घिरे रहते थे। वस्त्र व्यवसायियों एवं मिष्ठान विक्रेताओं के अलग-अलग बाजार थे।¹¹ आवागमन के साधनों की कमी के चलते लोग घोड़ा, ऊंट, रथ, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अधिकांश लोग पगडंडियों पर पैदल यात्रा करते थे। मरुस्थल की इन विकट परिस्थितियों में दूर-दूर तक पानी नहीं मिलता था। इस कारण धार्मिक स्थल, गांव, नगर, मंदिर, तीर्थस्थल बहुत दूर-दूर स्थित थे।¹² धार्मिक मरुप्रदेश की यात्रा की कठिनाइयों को दर्शाने वाला दोहा आज भी प्रसिद्ध है—

घोड़ा कीजे काठा का, पिंड कीजे पाषाण।

*बख्तर कीजे लौह का, जब देखो जैसाण।*¹³

जैसलमेर के राजाओं ने विदेशी शक्तियों से रक्षा के लिए अत्यन्त दुर्गम, निर्जन स्थानों, घने जंगलों, मरुस्थल के मध्य भाग में भव्य मंदिर, दुर्ग एवं महल बनवा कर उनको धर्म से जोड़कर लोगों को तीर्थाटन की प्रेरणा दी।¹⁴ यादव भाटी की नौ राजधानियों में से छठी को दिगम् अर्थात् जहां पहुंचना कठिन था, लिखा है, वह तनोट है, जो इस प्रकार दोहे में वर्णित है—

मथुरा काशी प्रागवट, गजनी और भटनेर।

*दिगम देरावर लुद्रवा नवो जैसलमेर।*¹⁵

तनोट भाटी वंश की राजधानी थी। जैसलमेर से 130 किमी. दूर भारत-पाक सीमा पर तनोट नामक स्थान पर विश्व प्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर अवस्थित है। तनोट माता भाटी की कुलदेवी का अवतरित रूप है।¹⁶ तनोट में दुर्ग की नींव राव केहर भाटी ने विक्रम संवत् 827 आषढ सुदी दशमी को रखी थी। यह दुर्ग वर्तमान जैसलमेर के पश्चिमी द्वार का प्रहरी था, यहां के जनमानस में यह मान्यता प्रचलित थी कि तनोट को राजधानी रखकर ही विशाल भू-भाग पर सत्ता स्थापित की जा सकती थी। तनोट के दुर्ग में 17 वर्षों का समय लगा तथा माघ पूर्णिमा मंगलवार के दिन यह दुर्ग पूर्ण रूप से बन गया था। इसका नामकरण राव केहर भाटी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज तनु के नाम से तनोट रखा।¹⁷ तनोटराय मंदिर देवी आवड़ जी के वचन से बनाया गया था, वचन—“वीरा देवी का मंदिर बनावो उसकी प्रतिष्ठा मैं स्वयं करूंगी और वहीं रहूंगी।”¹⁸ देवी आवड़जी की आज्ञानुसार राव तनु ने मंदिर का निर्माण करवाया तथा हिंगलाज तीर्थ स्थल पाकिस्तान से लौटते समय स्वयं आवड़ माता ने इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करवायी थी। वर्तमान में तनोट मंदिर में सप्तामत मूर्ति विद्यमान है।¹⁹

*तणुराव तनोट कोट कीयो तैयारे
वाट जौवे नित अपरौ संदेश विचारे
तारंगा सिला तिरती घर पर उतारै
आवड़ तणवट आवीया, कुछ रंग अपारै²⁰*

राव तनु एवं उनकी महारानी सारंगदे सौलंकणी आवड़ माता की अनन्य भक्त थी। तनोट से अत्यन्त कष्टकारी यात्रा करते हुए सारंगदे सौलंकणी को आवड़ माता ने भादरिया राय नामक स्थल पर दर्शन दिये थे तथा वचन दिया कि भाटी शासकों को मेरी कृपा से हमेशा विजय प्राप्त होगी तथा उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैलेगी। जैसलमेर की ख्यात में उल्लेख है कि भाटी राजा केहर (तनुराय के पिता) की झाली रानी को तणुटिया देवी ने स्वप्न में दर्शन दिये तथा आदेश दिया कि अपने पुत्र का नाम तणु रखना तथा मेरे नाम पर नगर बसाकर वहां मेरा मंदिर बनवाना, इससे तुम्हारे यश और गौरव की वृद्धि होगी तथा राजलक्ष्मी स्थिर रहेगी।²¹

भाटी शासकों पर आवड़ माता जी द्वारा प्रसन्न होने तथा उनके साम्राज्य विस्तार में सहयोग देने के सम्बन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है।²²

*आवड़ जी तूठी भाटियां, गीगाई गोड़ांह।
श्री बिखड़ सिसोदिया, करणी राठौड़ है।²³*

तनोट सामरिक दृष्टि से भारत-पाक के बीच महत्वपूर्ण चौकी थी। भारत के राजनीतिक तथा पाकिस्तान के राजनयिक तनोट पर कब्जे को लेकर अपना स्वाभिमान समझते थे।²⁴ सितम्बर 1965 में भारत व पाक के बीच युद्ध शुरू हो गया, तनोट पर आक्रमण से पूर्व पाक सेना पूर्व में किशनगढ़ से लगभग 74 किमी. दूर बुइली तक तथा पश्चिम में साधेवाला से शाहगढ़ और उत्तर में अच्छरी टीबा से 6 किमी. के भू-भाग पर

अधिकार कर चुके थे। तनोट की चौकी तीन दिशाओं से घिर चुकी थी।²⁵ तनोट के पास स्थित घंटियाली राय मंदिर के समीप के रेतीले धोरों पर पाक सैनिकों ने बारूदी सुरंगें एवं एंटी टैंक तैनात कर दिये थे। पाक शत्रु सेना का मुकाबला करने के लिए कर्नल जयसिंह राठौड़, बीकानेर के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था। भारतीय सैनिकों ने धैर्य एवं अदम्य साहस के साथ शत्रु सेना का मुकाबला किया।²⁶ ऐसी लोक प्रचलित मान्यता है कि तनोट माता ने स्वप्न में आकर सैनिकों को कहा था जब तक तुम मेरे मंदिर परिसर में हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इस प्रकार की शक्ति एवं आत्मविश्वास से पूर्ण भारतीय सैनिकों ने युद्ध के तीसरे दिन ही पाक शत्रु सेना को हरा दिया।²⁷ तनोट माता के मंदिर के आस-पास के क्षेत्र में करीब 3 हजार बम बरसाये गए, लेकिन अधिकांश बम अपना लक्ष्य चूक गए। मंदिर को निशाना बनाकर दागे गए बमों में से एक भी नहीं फटा तथा मंदिर परिसर को खरोंच तक नहीं आयी।²⁸ तनोट माता द्वारा 1965 के युद्ध में भारतीय सैनिकों की सहायता के रूप में तनोटराय मंदिर में साक्ष्य के रूप में शिलालेख आज भी उत्कीर्ण है। भारतीय सैनिकों के अलावा पाकिस्तानी सेना के नौजवानों ने भी तनोट माता की शक्ति को माना। पाक सेना के कमाण्डर शहनवाज खां ने श्रद्धा स्वरूप तनोट मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाया जो वर्तमान में भी है। इसके अलावा मंदिर परिसर में रखे बम तनोट माता के साक्षात् चमत्कार के साक्षी हैं।²⁹

9 सितम्बर 1965 को पाक सेना भुट्टेवाला चौकी जो एक ऊंचे टीले पर स्थित थी, पर पाक सेना ने बंदूकों, हथियारों, हथगोलों तथा गनों से लेस होकर अचानक आक्रमण किया।³⁰ पाक सैनिकों के मुकाबले में भारतीय सैनिक संख्या में कम थे, फिर भी पूनमसिंह भाटी ने शत्रु सेना का मुकाबला वीरता के साथ करते हुए पाक सैनिकों को युद्धभूमि में ढेर कर दिया तथा स्वयं मातृभूमि के लिए शहीद हो गए।³¹ इस युद्ध में भारतीय सैनिक कम होते हुए, पाक सैनिकों 8-7 रेंजों को ढेर कर दिया था, जिनकी लाशें देखकर अन्य पाक सेना भाग गई थी, इस शौर्य गाथा के पीछे तनोट माता की अलौकिक शक्ति का ही प्रभाव माना जाता है।³²

भारतीय सैनिकों में तनोट माता की श्रद्धा एवं भक्ति बस चुकी थी, तनोट माता द्वारा भारतीय सैनिकों की रक्षा करने के कारण इसे सैनिकों ने अपनी आराध्य देवी के रूप में मानते हुए पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया था, जबकि इससे पहले इस मंदिर की पूजा-अर्चना जैसलमेर राजघराने द्वारा की जाती थी।³³

नवम्बर 1965 के युद्ध से पूर्व पाक सेना ने घंटियाली राय मंदिर को अपवित्र करते हुए वहां की मूर्तियों को खंडित किया तथा मंदिर में तोड़-फोड़ की। शत्रु सेना द्वारा घंटियाली माता के मंदिर से चांदी के छत्र चुराकर अपने साथ लेकर निकलने लगे।³⁴ लेकिन देवी माता के चमत्कार से शत्रु सेना रात-भर दिशा भ्रमित होकर मंदिर के आस-पास घूमती रही, सुबह उनकी लाशें फोग व कँर की झाड़ियों में रेत से सनी

हुई मिली तथा उसके पास चांदी के छत्र व अन्य वस्तुएं भी बिखरी हुई मिली।³⁵ इस प्रकार के चमत्कारों से जनमानस में इस देवी के प्रति प्रचलित है कि भारत-पाक युद्ध के समय शत्रु सैनिकों को इस मंदिर के पास आकर दिखना कम हो गया था, उन्होंने अपने सैनिकों पर ही आक्रमण कर दिया था।³⁶

इसी प्रकार 4 दिसम्बर 1971 की रात को पंजाब की एक रेजीमेंट और सीमा सुरक्षा बल को एक कंपनी ने तनोट माता के आशीर्वाद से लोंगेवाला में पाक सैनिकों की पूरी टैंक रेजीमेंट को हराकर वहां टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। जिसके साक्षी लोंगेवाले में पाक सैनिकों द्वारा छोड़े गए टैंक हैं।³⁷ इस विजय के पश्चात् तनोट माता मंदिर परिसर में एक विजय स्तम्भ का निर्माण किया गया। जहां हर वर्ष 16 दिसम्बर को महान सैनिकों की याद में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।³⁸ तनोट माता के मंदिर जाने से पहले घंटियालीराय माता के मंदिर के दर्शन करने जरूरी है, तभी तनोट माता की यात्रा सफल मानी जाती है, ऐसा इस क्षेत्र के जनमानस में प्रचलित है।³⁹

1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान तनोट माता ने चमत्कार दिखाये उसके बाद से यह देवी भारतीय सैनिकों एवं सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केन्द्र बन गयी। वर्तमान में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला गया है तथा तनोट माता ट्रस्ट के सहयोग से भी सम्पूर्ण मंदिर परिसर की व्यवस्था का संचालन किया जाता है।⁴⁰ तनोट माता मंदिर भारत में एक मात्र ऐसा देवी मंदिर है, जिसके परिसर में फकीर बाबा की दरगाह बनायी गयी है, हालांकि इस दरगाह का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। शुक्रवार के दिन तनोट एवं आस-पास के क्षेत्रों से कुछ मुसलमान लोग नमाज अदा करने आते हैं, फिर वो तनोट माता की भी पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार यह मंदिर हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का सुंदर प्रतीक है।⁴¹

तनोट माता की पूजन सामग्री के रूप में कुमकुम, मेंहदी, रोली, बिंदिया, चुनरी तथा सूखे मेवे, मिठाई एवं फल प्रसाद के रूप में श्रद्धालु लाते हैं, इसके साथ एक रूमाल भी लाते हैं, इस रूमाल को वह मंदिर परिसर बने रूमालों के संग्रहालय में बांध देते हैं। जब श्रद्धालु की मन्नत पूरी होती है, तो वह इस रूमाल को अवश्य खोलने आता है, इस प्रकार मंदिर रूमालों से भरा-सा नजर आता है। कुछ लोग इसे सैनिकों वाली देवी के साथ-साथ रूमाल वाली देवी माता भी कहते हैं।⁴² नवरात्रों के दिनों में विभिन्न जातियों द्वारा घट स्थापना के साथ ही नवदुर्गा का व्रत एवं पूजन किया जाता है। नवरात्रों के पहले दिन घट स्थापना कर देवी माता की स्तुति प्रारम्भ की जाती है।⁴³ इसके पश्चात् लगातार नौ दिन तक पूजन किया जाता है। इन नौ दिनों में कल्याणी, रोहिणी, काली, त्रिमूर्ति, कुमारिका, चंद्रिका एवं दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है।

अष्टमी या नवमी के दिन सात कन्याओं को भोजन कराया जाता है तथा उन्हें उपहार एवं फल देकर प्रसन्न किया जाता है।⁴⁴ नवरात्रि के दिनों में जैसलमेर के प्रत्येक परिवार में व्रत रखने का प्रचलन है। श्रद्धालु भक्तों की बड़ी श्रद्धा के साथ दिन-भर निराहार रहकर व्रत के नियमों का पालन किया जाता है।⁴⁵ कुंवारी कन्याओं एवं स्त्रियों द्वारा भी बिना अन्न-जल ग्रहण पूरे नौरते (नवरात्र) रखे जाते हैं, उनकी अटूट आस्था है कि तनोट माता के व्रत रखने से उन्हें कभी भूख का अहसास नहीं होता बल्कि आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है।⁴⁶ पूरे नवरात्रों में तनोट माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। सुबह एवं शाम के समय सभी भक्तजनों द्वारा सामूहिक रूप से तनोट माता की आरती और भजन संध्या में शामिल होते हैं।⁴⁷

राजस्थान की मरुभूमि में अनेक संतों, महापुरुषों, देवी-देवताओं ने लोककल्याण हेतु अवतरण लिया था, उनमें से तनोट माता का महत्वपूर्ण स्थान है। तनोट माता ने जैसलमेर के लोगों को बाह्य आक्रमणकारियों एवं त्रिकालों से उत्पन्न संकट से मुक्ति दिलायी, इनकी अलौकिक प्रभाव एवं शक्ति से भारतीय सैनिकों में ऊर्जा का संचार हुआ तथा सम्पूर्ण मरुप्रदेश में सुशासन की स्थापना हुई। इस प्रकार तनोट माता के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा एवं भक्तिभाव का संचार हुआ।⁴⁸ आधुनिक सूचना तकनीकी युग में लोगों का देवी देवताओं में विश्वास कम होता जा रहा है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि हमारे संस्कारों, आदतों और विचारों में गुप्त रूप से दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, जो हमारे मनोबल एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने के अलावा उत्साह एवं स्फूर्ति को बनाए रखती है।⁴⁹

सन्दर्भ

1. गढवीर, एम.आर, जैसलमेर का सामाजिक इतिहास, पृ. 68
2. वही, पृ. 30
3. चारण, नरेन्द्रसिंह, करणी माता का इतिहास, पृ.
4. भाटी, हरिसिंह, देश प्रेमी महाराज कुमार गिरधरसिंह भाटी, जैसलमेर, पृ. 110
5. भाटी, रघुवीरसिंह, जय तनोटेश्वरी माता, पृ. 20
6. वही, पृ. 21
7. स्मारिका मरु महिमा, 2001, पृ. 10
8. वही, पृ. 11
9. वही, पृ. 12
10. माहेश्वरी, श्रीवल्लभ, जैसलमेर राज्य का इतिहास, पृ. 10
11. वही, पृ. 15
12. शर्मा, एन.के., जैसलमेर की लोकदेवियां, पृ. 5
13. श्यामसुन्दर डावाणी, मरु-महिमा स्मारिका, पृ. 10
14. भाटी, रघुवीरसिंह, जय तनोटेश्वरी माता, पृ. 16

15. भाटी, रिङ्गमलसिंह, जैसलमेर का इतिहास, पृ. 101
16. लखमीचंद, जैसलमेर की तवारीख, पृ. 202
17. भाटी, रिङ्गमलसिंह, जैसलमेर का इतिहास, पृ. 82
18. वही, पृ. 86
19. भाटी, हुकमसिंह, भाटी वंश का गौरवमय इतिहास, पृ. 80
20. भाटी, नारायणसिंह, जैसलमेर की ख्यात, पृ. 13
21. रघुवीरसिंह, जय तनोटश्वरी माता, पृ. 15
22. वही, पृ. 16
23. लखावत, औंकारसिंह, आवड़ माता का इतिहास, पृ. 18
24. भाटी, हरिसिंह, देश प्रेमी महाराज कुमार गिरधरसिंह भाटी, जैसलमेर, पृ. 30
25. वही, पृ. 31
26. वही, पृ. 32
27. जलतेदीप-जोधपुर, सोमवार 18 मार्च, 2013, पृ. 2
28. वही, पृ. 3
29. भाटी, हरिसिंह, देश प्रेमी महाराज कुमार गिरधरसिंह भाटी, जैसलमेर, पृ. 40
30. वही, पृ. 41
31. वही, पृ. 41
32. वही, पृ. 42
33. भाटी, हरिसिंह, पूगल का इतिहास, पृ. 80
34. वही, पृ. 81
35. वही, पृ. 82
36. माहेश्वरी, हरिवल्लभ, जैसलमेर का इतिहास, पृ. 40
37. वही, पृ. 41
38. वही, पृ. 41
39. भाटी, रिङ्गमलसिंह, पृ. 112
40. वही, पृ. 114
41. वही, पृ. 114
42. वही, पृ. 115
43. गढवीर, एम.आर., पूर्वोक्त, पृ. 42
44. वही, पृ. 43
45. वही, पृ. 44
46. चारण, नरेन्द्रसिंह, पूर्वोक्त, पृ. 102
47. भाटी, हुकमसिंह, पूर्वोक्त, पृ. 30
48. वही, पृ. 31
49. वही, पृ. 40

झालावाड़ राज्य का परम्परागत जल संसाधन प्रबन्ध

डॉ. प्रणव देव

झालावाड़ राज्य¹ में जल संसाधन प्रबन्धन के रूप में जिन उपायों का खूब प्रयोग किया गया उनमें तालाब, बावड़ियों के अतिरिक्त कुँओं का प्रमुख स्थान था। सन् 1903 ई. में राज्य में कुल 7996 कुँएँ थे, तथापि कुँओं की देखभाल एवं संख्या में वृद्धि करने के लिए राजकीय प्रबन्ध रहता था, यद्यपि कुँओं की उपर्युक्त संख्या में व्यक्तिगत कुँओं की संख्या भी शामिल है। सन् 1899-1900 ई. के भीषण अकाल के दौरान अन्य राज्यों की भाँति झालावाड़ नरेश ने अकाल की तीव्रता को देखते हुए जनहित के जो कार्य किए उनमें झालावाड़ नगर के निकट स्थित नया तालाब, खण्डिया तालाब और मुण्डिया खेड़ी के तालाब का निर्माण कार्य प्रमुख हैं।² राज्य के आवर, डग और गंगधर परगने के क्षेत्रों में पथरीली भूमि होने के कारण कुँओं की संख्या अधिक थी। समस्त राज्य के लगभग दो तिहाई कुँएँ इन्हीं परगनों में थे।³ जबकि तालाबों की सर्वाधिक संख्या झालरापाटन और पचपहाड़ परगने में थी।⁴ राज्य में तालाबों की संख्या 50 से अधिक थी जिनमें से प्रमुख तालाबों का ऐतिहासिक महत्त्व अग्रलिखित है :-

चन्द्र सरोवर या गांवड़ी का तालाब—झालावाड़ नगर के दक्षिण में स्थित यह तालाब श्री छत्रपुर सड़क मार्ग पर स्थित है। सन् 1900 ई. में निर्मित तालाब के बांध की लम्बाई 2000 फीट, मोटाई 40 फीट तथा गहराई 23 फीट है। तालाब का निर्माण मिट्टी और पत्थरों की कारीगरी से किया गया है। तालाब के बीच में एक सुन्दर छोटी सी छतरी भी बनी है। इस तालाब में बरसात का जल दक्षिण की ओर स्थित प्राकृतिक पहाड़ियों से छोटे-छोटे प्राकृतिक जल मार्गों (छंजनतंसँजमतरे बँददमसे) से आता रहा है। जब यह तालाब भर जाता था तब इसका पानी एक प्राकृतिक नाले के माध्यम से खण्डिया तालाब में पहुँचता था। तालाब के एक ओर नानादेवी (दुर्गा) का सुन्दर मन्दिर है, जो सूर्यवंशी कुमरावत समाज द्वारा पूजित और सेवित है। इस तालाब के पानी से 'पान की खेती' भी की जाती थी। अतः इसे 'पनवाड़ी तालाब' भी कहते हैं, और इस मन्दिर को पनवाड़ियां की माता जी का मन्दिर भी कहते हैं। विस्तीर्ण जल राशि में सूर्योदय एवं सूर्यास्त में सूर्य प्रतिबिम्ब निहारना पर्यटकों को बहुत पसन्द आता था। नगर की ओर जाने वाले मार्ग अर्थात् तालाब के पूर्वी किनारे पर ही एक हनुमान जी का अन्य सुन्दर मन्दिर भी है। तालाब का जल लगभग 100 एकड़ भूमि की सिंचाई के साथ-साथ पीने के काम भी आता था।

खण्डिया तालाब या स्ट्रेटन सागर—यह तालाब झालावाड़ नगर के दक्षिण में झालरापाटन मार्ग पर स्थित है। राज्य के तत्कालीन महाराज राणा भवानीसिंह जी ने जल संग्रहण के लिए इस तालाब का निर्माण सन् 1900-1901 ई. में कराया था। तालाब के बांध की लम्बाई 2100 फीट, चौड़ाई 10 फीट और ऊँचाई 14 फीट थी। इस तालाब में भी जल भराव इसके निकट स्थित पहाड़ियों से एवं गांवड़ी के तालाब से होता था। इसके पानी से लगभग 50 एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी, तथापि स्थानीय जलदाय विभाग इसके पानी को शोधित करके पेयजल के रूप में भी उपलब्ध करवाता था। वर्षा ऋतु में जल इसकी भराव क्षमता से अधिक पानी हो जाता था तो वह बहकर चन्द्रभागा नदी से होता हुआ काली सिंध में जा मिलता था। दो वर्ष पहले तक यह दोनों तालाब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र थे किन्तु रेलवे लाईन के निर्माण के दौरान अपने छोटे-छोटे प्राकृतिक जल मार्गों के नष्ट होने से यह दोनों तालाब पूर्णतः जलहीन हो गए।

दुर्गपुरा का तालाब—यह झालावाड़ दुर्गपुरा मार्ग पर झालावाड़ के उत्तर-पूर्व में दुर्गपुरा गांव के समीप स्थित है। तालाब के बांध की लम्बाई 4000 फीट, मोटाई 22 फीट और ऊँचाई 17 फीट है। यह प्राचीन तालाब 330 एकड़ भूमि की सिंचाई के काम में आता था। साथ ही साथ ईट-भट्टों के निर्माण के लिए पानी भी इसी से मिलता था। वर्तमान में इस तालाब में पानी पर्याप्त मात्रा में है।

नया तालाब—झालावाड़-दुर्गपुरा मार्ग पर ही यह तालाब झालावाड़-नगर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तालाब के बांध की लम्बाई 1500 फीट, चौड़ाई (मोटाई) 20 फीट और ऊँचाई 25 फीट है। अपने निर्माण के समय सन् 1900-1901 ई. में इस तालाब में पानी का रिसाव होने के कारण इसमें वर्ष पर्यन्त पानी नहीं रहता था, किन्तु अभी इसमें थोड़ा पानी हमेशा बना रहता है जो कि पशु-पक्षियों एवं गरीब जनता के लिए उपयोगी है।

किशन सागर तालाब (कृष्ण सागर)—झालावाड़-कोटा राजमार्ग पर स्थित यह तालाब झालावाड़ नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका लोकप्रिय नाम 'किशनपुरिया' तालाब है क्योंकि यह तालाब किशनपुरिया गांव के पास ही स्थित है। इस तालाब की भराव क्षमता 39.5 क्यूबिक फीट है जबकि तालाब के बांध की लम्बाई 4000 फीट, चौड़ाई (मोटाई) 12 फीट एवं ऊँचाई 15 फीट है तालाब के किनारे लकड़ी से निर्मित दो मंजिला भवन लखनऊ से लाकर यहाँ स्थापित किया गया जो रैन बसेरा के नाम से जाना जाता था।⁵ इस तालाब से 10 एकड़ कृषिभूमि की सिंचाई की जाती थी तथा किशनपुरिया गांव के लोग अपने पालतू पशुओं एवं अनेक कार्यों में इसके जल का उपयोग करते थे। वर्तमान में इस तालाब में भी जलराशि कम होती जा ही है।

धनवाड़ा का तालाब—रियासत कालीन यह तालाब झालावाड़ के धनवाड़ा मुहल्ले से पूर्व दिशा में स्थित है। तालाब के निकट किनारे पर भैरू जी का स्थान है। थोड़ी दूरी पर ही कालीसिंध नदी का विशाल जल प्रवाह है। जो बरसात के दिनों में नदी के उग्ररूप लेने पर तालाब को अपने में शामिल कर लेता है। इस तालाब के पूर्वी किनारे पर सारथल वालों की एक विशाल, भव्य और कलात्मक छतरी है। वर्तमान में यह तालाब भी जलराशि विहीन होता जा रहा है।

मदारी खां का तालाब—झालावाड़ राज्य की कन्हैया पल्टन में अजीटन के पद पर नियुक्त मदारी खां की स्मृति में बनवाया गया यह तालाब उन्हीं के नाम से जाना जाता है।⁶ झालावाड़ नगर के दक्षिण-पूर्व दिशा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सामने स्थित यह तालाब भी अब वर्षा ऋतु के अलावा सूखा ही रहता है।

गोमती सागर (मदन सागर) तालाब—यह राज्य का सबसे प्राचीन तालाब है एवं इसका प्राचीन नाम ओड तालाब था। झालरापाटन नगर का परिचय कर्नल टॉड इसी तालाब के किनारे बसे नगर के रूप में करवाते हैं और इस तालाब के निर्माता का नाम 'जस्सु' लकड़हारा बताते हैं।⁷ इस तालाब के बांध की लम्बाई 3100 फीट, चौड़ाई (मोटाई) 10 फीट और ऊँचाई 15 फीट है। यह तालाब पत्थर और मिट्टी से बना हुआ। कोटा राज्य के मुसाहिब राजराणा जालिमसिंह ने इस तालाब से एक 3 कि. मी. लम्बी पक्की नहर का निर्माण कृषिभूमि की सिंचाई के लिए करवाया था।⁸ जिसके माध्यम से रियासतकाल में 150 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई होती थी एवं झालरापाटन नगर के लिए पेयजल की व्यवस्था भी इसी के माध्यम से होती थी। अतः रियासत की ओर से तालाब के जल को दूषित न करने के निर्देश दिए गए थे।

मूण्डिया खेड़ी का तालाब—रियासतकालीन झालरापाटन परगने का यह सबसे बड़ा तालाब था। झालरापाटन नगर के दक्षिण-पश्चिम में मूण्डियाखेड़ी गांव के पास चन्द्रभागा नदी पर बांध बनाकर इस तालाब का निर्माण सन् 1900-1901 ई. के अकाल के दौरान किया गया था। इस तालाब के बांध की लम्बाई 7600 फीट चौड़ाई (मोटाई) 8 फीट तथा ऊँचाई 25 फीट है। इसके जल से 350 एकड़ कृषियोग्य भूमि की सिंचाई होती थी। अधिक जल भराव की स्थिति में एक नाले के द्वारा तालाब का पानी सेमली गांव की ओर से होता हुआ पुनः चन्द्रभागा नदी में पहुँच जाता था। जल संसाधन के प्रबन्ध की दृष्टि से इस तालाब की व्यवस्था सर्वोत्तम प्रतीत होती है। जल संग्रहण एवं बाढ़ की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था उल्लेखनीय है। झालरापाटन के उप-परगने असनावर के अन्तर्गत गोवर्धनपुरा, मण्डावर, गांव के तालाब सर्वाधिक कृषि क्षेत्र की सिंचाई का कार्य करते थे। इनसे क्रमशः 130 एकड़ एवं 4500 एकड़ क्षेत्र सिंचा जाता था। झालरापाटन परगने के इन तालाबों के अतिरिक्त सेमली ओर

शिवपुरा गांव के तालाब भी लम्बे समय से जल संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं, जबकि पचपहाड़ तहसील में रियासत द्वारा निर्मित नाका सरना गांव का तालाब पचपहाड़ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर भवानीमण्डी-डग सड़क मार्ग पर स्थित है। इस तालाब से 150 एकड़ भूमि की सिंचाई के साथ-साथ नाका सरना गांव की जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है। पचपहाड़ तहसील में ही दूसरा प्रसिद्ध तालाब रामनिवास घाटौड़ गांव में स्थित है जो झालावाड़-भवानीमण्डी मार्ग पर झालावाड़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तालाब के जल से 100 एकड़ भूमि की सिंचाई एवं स्थानीय जनता के उपयोग में आपूर्ति होती थी। इस परगने के अन्य दो तालाबों में मिश्रौली गांव तथा महूड़ी गांव के तालाब भी उल्लेखनीय हैं। डग परगने के दूधलिया, सिंहपुरा एवं रतनपुरा गांव के तालाब रियासत काल में जल स्रोतों के रूप में उपयोगी रहे हैं। गंगधर तहसील के जैताखेड़ी गांव के दो तालाब एवं उन्हेल गांव का तालाब, रियासत काल में जल संग्रहण का कार्य सफलतापूर्वक करते रहे हैं। बकानी तहसील के मोलिका तालाब, ब्रह्मपुरा, कुशलपुरा, रटलाई रीझौन और रीछवा के तालाबों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार अकलेरा के दलहनपुर, अन्छावदा, असनावर के पनवासा तालाब उल्लेखनीय सेवाएँ देते रहे हैं। जबकि खानपुर के बिलासरा तालाब, बागरा, बरौदा जोलपा, खेडी बोसर गांव के तालाबों के अतिरिक्त पिड़ावा के सेमला, गोविन्दपुरा और अदाखेड़ी गांव के तालाब स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

झालावाड़ राज्य के जल संरक्षण के पारम्परिक प्रबन्धन में बावड़ियां अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी, किन्तु संरक्षण और उचित रख-रखाव के अभाव में अब ये सभी लगभग पूर्णतः विनष्ट हो चुकी हैं। राज्य की बावड़ियां अच्छे जल संसाधन के साथ-साथ स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करती हैं। झालावाड़ नगर की संरचना में रियासत कालीन वास्तुकारों ने चारों दिशाओं में बावड़ियों का निर्माण कर जल संसाधन प्रबन्धन का समुचित परिचय दिया था। नगर की बावड़ियां प्रायः राजघराने की रानियों, उपरानियों द्वारा मंदिरों के साथ जनकल्याण की भावना से निर्मित की गई थी। नगर के पूर्व में सती जी की बावड़ी पश्चिम में खारी बावड़ी, उत्तर एवं दक्षिण में मंदिरों के साथ गढ़ की बावड़ी तथा राजराजेश्वर शिवमंदिर की बावड़ी का योजनाबद्ध निर्माण किया गया था। नगर के पंचमुखी मंदिर के पास चन्दावली जी की बावड़ी अपनी ऐतिहासिकता एवं शिल्प सौन्दर्य में बेजोड़ हैं। नगर के बीचोबीच शिवमंदिर से जुड़ी हुई बाई जी की बावड़ी का स्थापत्य भी बेजोड़ रहा है। 150 फीट गहरी इस बाई जी की तिमंजिला बावड़ी का निर्माण अब से 200 वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी पहली मंजिल से पाताली धरातल तक कलात्मक सीढ़ियां हैं। दो मंजिलों में कलात्मक झरोखे बनाए गए हैं। प्रकोष्ठों की दृढ़ दीवारों तथा मजबूत प्लास्टर

उस समय की निर्माण सामग्री की उत्कृष्टता का बोध कराते हैं। नगर की अनेकानेक धार्मिक आस्थाओं की प्रतीक यह बावड़ी आज प्रदूषित हो चुकी है। इसी प्रकार चन्दावली जी की बावड़ी भी कचराघर बन चुकी हैं। उत्तर-पूर्वी किनारे पर गढ़ परिसर में स्थित बावड़ी आज भी गढ़ के दोनों पाकों को हराभरा रखे हुए हैं सन् 1805 ई. में निर्मित यह बावड़ी आज भी रियासतकालीन कुशल जल प्रबन्धन का उदाहरण है। धनवाड़ा तालाब के किनारे प्राचीन ऐतिहासिक सतीजी की बावड़ी अथाह जल राशि को समेटे हुए है। वर्तमान में इसके जल का प्रयोग खेती में होता है। नगर के पश्चिमी भाग में देवस्थान मंदिर, द्वारकाधीश परिसर में जल का अक्षय स्त्रोत खारीबावड़ी हैं। पहले यह मंदिर के विशाल बगीचे तथा खेतों के हरा-भरा रखती थी, किन्तु अब गन्दगी से पूर्ण हो चुकी है। राजराजेश्वर मंदिर बावड़ी अपने कलात्मक द्वार से लोकजीवन को आकर्षित करती रही है। इसका पानी भी शुद्धिकरण के अभाव में बदबूदार हो चुका है जो अब मात्र खेती के काम में ही आ रहा है। नगर की सम्पूर्ण बावड़ियां अतिक्रमण से आक्रांत हैं। प्रशासन तथा नगरपालिका की अनदेखी से इनमें अतिक्रमण निरन्तर बढ़ रहे हैं।⁹

संदर्भ

1. विस्तृत अध्ययन के लिए दृष्टव्य - एच.जे. मंगलानी-हिस्ट्री कल्चर एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झालावाड़ स्टेट जयपुर, सन् 1988 ई. श्रीमती नमता व्यास का डॉ. प्रणवदेव के निर्देशन में पीएच.डी. उपाधि हेतु अप्रकाशित शोध प्रबन्ध "झालावाड़ राज्य का सांस्कृतिक इतिहास (सन् 1838-1947 ई.)" कोटा विश्वविद्यालय कोटा, वर्ष 2006
2. बी.एन. ढोढियाल, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, झालावाड़ पृ. 76-77 गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस जयपुर, सन् 1964 ई.
3. रामचन्द्र : झालावाड़ का भूगोल पृ. 19 अलीगढ़ सन् 1936 ई.
4. उपरोक्त पृ. 17-19
5. बी.एन. ढोढियाल, पूर्वोक्त
6. भीखन खां, चार चमन, पहला हिस्सा पृ. 114 (उर्दू भाषा) सन् 1913 ई.
7. बलदेव प्रसाद मिश्र (अनु.), टॉडकृत राजस्थान का इतिहास (भ्रमण वृत्तान्त) भाग-2, पृ.-1073-1075
8. दि राजपुताना गजेटियर, भाग-2, पृ. 206, कलकत्ता सन् 1879 ई.
9. श्री गदाधर भट्ट, सांस्कृतिक झालावाड़, पृ. 22-23, भट्ट प्रकाशन, झालावाड़ द्वितीय संस्करण, 2004

मेवाड़ में मुद्राओं का पुनर्गठन - महाराणा स्वरूपसिंह कालीन मुद्राओं के संदर्भ में

डॉ. दिलीपकुमार गर्ग

राजपूताना की रियासतों में मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी जहां मुद्राओं का प्रचलन आरंभ से व सर्वप्रथम हुआ था।¹ यहां के शासकों ने समय-समय पर विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जारी की थीं। मेवाड़ में प्रमुखतया तीन टकसालें—उदयपुर, चित्तौड़ व भीलवाड़ा में कार्यरत थीं। यहां पर प्रचलित चांदोड़ी रुपया पर कोई लिपि अंकित नहीं होती थी।² महाराणा स्वरूपसिंह का शासनकाल (1842-1861 ई.) मेवाड़ मुद्रा विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण था। उनके समय में मेवाड़ में मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया का पुनर्गठन हुआ। अतः महाराणा स्वरूपसिंह ने मुद्रा विकास की ओर ध्यान दिया।

मुद्रा पुनर्गठन के कारण

मेवाड़ में प्राचीन काल से ही मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया रही है। सिक्के मेवाड़ के शासकों की स्वायत्तता का प्रतीक थे। महाराणा स्वरूपसिंह के (15 जुलाई 1842 ई.) शासक बनने के समय³ मेवाड़ की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त थी। अंग्रेजों द्वारा कर्ों में वृद्धि की जा रही थी। सिक्कों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अतः महाराणा ने मेवाड़ में मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया का पुनर्गठन किया इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे—

1. **जालसाजी**—मेवाड़ में अव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए जालसाजों ने मेवाड़ में जाली मुद्राएं प्रचलित करा दी। बाजार में फर्जी सिक्के आने से आमजन, व्यवसायियों एवं मेवाड़ सरकार को नुकसान होने लगा।

2. **धार्मिक कारण**—उस समय मेवाड़ के सिक्कों पर फारसी में लेख एवं मुस्लिम बादशाहों के नाम होते थे और उन्हें दान पुण्य में देना धर्म विरुद्ध समझा जाने लगा।

3. **राज्य की प्रतिष्ठा**—सिक्के हर राज्य व शासक की पहचान होते हैं। मेवाड़ महाराणा स्वरूपसिंह ने भी नेपाल के सिक्कों पर वहां के राजाओं के नाम व नागरी लिपि में लेख अंकित देखकर अपने यहां भी नागरी लिपि युक्त बेहतर चांदी के सिक्के चलाने का निश्चय किया!

4. **व्यवसायियों की मांग**—मेवाड़ के व्यापारियों ने महाराणा से जाली सिक्कों

को बंद करवाने एवं स्वयं की बेहतर मुद्राएं जारी करने की प्रार्थना की। फर्जी सिक्कों के प्रचलन के सम्बन्ध में महाराणा ने टकसाल के अधिकारी को सचेत करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया। परन्तु टकसाल के अधिकारी का अवलोकन था कि मेवाड़ में जाली रुपये बनाने वाले को तो पकड़े जाने पर सजा दी जा सकती है, परन्तु बाहर से जो जाली सिक्के बनकर आते हैं, उनके बनाने वालों को दंडित करना कठिन है।⁴ इस तरह समस्या से निजात पाने के लिए महाराणा स्वरूपसिंह ने भिन्न प्रकार की मुद्रा निर्माण की योजना बनायी। ऐसी मुद्रा की परिकल्पना की, जिन्हें जालसाज न बना सकें और जो केवल उदयपुर टकसाल में ही बन सके। हालांकि कर्नल टॉड ने पूर्व महाराणा भीमसिंह को अपने नाम से सिक्के जारी करने की सलाह दी थी, किन्तु सिक्के जारी नहीं हो सके।

नवीन सिक्के निर्माण की प्रक्रिया

महाराणा स्वरूपसिंह ने 7 अगस्त 1849 ई. को (भाद्र वदी 3 वि.सं. 1906) को मेहता शेरसिंह के नाम (जो नीमच में था) हुक्म भेजा कि नए सिक्के (रुपये) बनाने के सम्बन्ध में कर्नल रोबिंसन (ब्रिटिश पोलिटीकल एजेंट) से विचार-विमर्श किया जाये।⁵ शेरसिंह मेहता ने सिक्कों के सम्बन्ध में कर्नल रोबिंसन से वार्तालाप किया।⁶ महाराणा ने सिक्के के प्रारूप को लेकर काफी विचार-विमर्श किया था और अंत में निर्णय लिया कि सिक्के पर अपना (महाराणा का) नाम लिखना तो ठीक नहीं है, किन्तु मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सरकार के मध्य दोस्ती हुई है। (1818 की संधि) यह सोचकर सिक्के के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी ओर 'दोस्ती लंदन' इंग्लैण्ड का मित्र लेख रखना तजवीन कर अपने खरीते के साथ नमूने के लिए दो सिक्के कर्नल रोबिंसन के पास भेजे।⁷

नमूनों के सिक्कों को देखकर कर्नल रोबिंसन काफी खुश हुआ और उसने महाराणा को लिखा कि—

“आपने सिक्के पर ‘दोस्ति लंधन’ ये शब्द अंकित करवाए, जिससे आपके दिल की मुहब्बत जाहिर हुई। मुझे विश्वास है कि सरकार आपकी तजबीज से प्रसन्न होगी।”⁸

इस आशय का पत्र मिलने के पश्चात् महाराणा ने उदयपुर की टकसाल से नया रुपया जारी किया जो स्वरूप शाही के नाम से प्रसिद्ध हुआ।⁹ यह सिक्का पुराने उदयपुरी सिक्कों की अपेक्षा बेहतर था।

महाराणा ने चांदी की दो प्रकार की मुद्राएं जारी की थी—

1. नवीन चांदोड़ी सिक्के 2. स्वरूप शाही सिक्के

1. नवीन चांदोड़ी सिक्के—ये सिक्के महाराणा स्वरूपसिंह ने पहली बार

1842 ई. से 1861 ई. के मध्य जारी किए और तब से निरंतर महाराणा भूपालसिंह के शासनकाल तक ढाले जाते रहे थे। ये केवल उदयपुर की टकसाल में ढाले जाते थे।¹⁰

नवीन चांदोड़ी सिक्के चलाने के पीछे मूल कारण धार्मिक था। महाराणा स्वरूपसिंह ने पुराने चांदोड़ी सिक्कों पर फारसी अभिलेख होने के कारण इन्हें ब्राह्मणों, चारणों एवं अन्य धार्मिक अवसरों पर दान के रूप में उचित नहीं समझा। अतः महाराणा ने पूर्व महाराणा भीमसिंह तक के समस्त चांदोड़ी सिक्के इकट्ठे करवाए तथा उन्हें गलवा कर नवीन चांदोड़ी सिक्के ढलवाए। ऐसा कहा जाता है कि इस सिक्के का प्रारूप स्वयं महाराणा ने तैयार किया था।¹¹ सिक्के का छाया चित्र दिया हुआ है।¹² (चित्र संख्या 1)

नवीन डाई (सिक्का बनाने का सांचा) कई प्रारूपों में थी, जिनसे रुपया, आठ आना, चार आना, दो आना तथा एक आने के सिक्के बनाए गये थे। इन सिक्कों का विवरण¹³ (चित्र संख्या 2, 3, 4, 5, 6) इस प्रकार है—

वजन—बैव ने रुपया का वजन 168 ग्रेन दिया है, वहीं सामर ने रुपया, आठ आना, चार आना, दो आना तथा एक आना सिक्कों का वजन क्रमशः 167 ग्रेन, 86 ग्रेन, 42 ग्रेन, 21 ग्रेन तथा 10 ग्रेन दिया है।

मूल्य—ब्रिटिश सिक्के के 9 आना 9 पाई के बराबर रुपया तथा उदयपुर के सिक्के के तीन चौथाई मूल्य के बराबर अर्थात् उदयपुर के 12.75 आना के बराबर¹⁴ था। सामने ने लिखा है कि राज्य व्यापार में रुपया की कीमत 12 आना थी। परन्तु बाजार में यह केवल 6 आना के रूप में स्वीकारा जाता था। अर्थात् धातु के मूल्य के आधार पर।

मिलावट—छः भाग चांदी तथा दो भाग तांबा मिलाया जाता था।

बैव लिखता है कि चांदी के सिक्के नियमानुसार बहुत भद्दे ढले हुए थे। परन्तु साथ ही यह भी लिखता है कि कुछ डाइयां, जिनसे सिक्के ढाले गये, उन पर अन्य डाइयों की अपेक्षा अत्यन्त सुन्दर प्रतीक चिह्न बने हुए थे।¹⁵

परन्तु बैव ने अपनी पुस्तक में हमेशा यह दर्शाने का प्रयास किया है कि राजपूताने में प्रचलित रियासतों की मुद्राएं अव्यवस्थित एवं भद्दी थी तथा उन्हें बंद करके ब्रिटिश मुद्रा ही चलनी चाहिए।

जबकि वास्तविकता यह थी कि यहां की मुद्राएं विकसित अवस्था में थी। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन मेवाड़ की सम्पन्नता को तथा सिक्कों में होने वाले बदलाव यहां की विद्वता को प्रकट करते हैं।

2. स्वरूपशाही सिक्के—महाराणा स्वरूपसिंह के समय 1849 ई. में चांदी के सिक्के जारी किये गये जिसके एक तरफ नागरी लिपि में 'चित्रकूट उदयपुर' एवं

दूसरी ओर 'दोस्ति लंघन' अंकित था।¹⁶ इन्हीं सिक्कों को स्वरूपशाही सिक्के के नाम से जाना जाता है। स्वरूपशाही सिक्के मेवाड़ राज्य की प्रमुख व स्तरीय मुद्रा थी।¹⁷ मेवाड़ में उस समय विभिन्न प्रकार की रजत मुद्राएं काफी मात्रा में प्रचलन में थी। ऐसे में जाली सिक्के भी प्रचलित हो जाते हैं। इसलिए विशाल मात्रा में नकली सिक्के (जाली मुद्राएं) मेवाड़ राज्य में आया करते थे। अतः महाराणा स्वरूपसिंह ने रोबिंसन व शेरसिंह मेहता से विचार-विमर्श के अनुसार नवीन सिक्के विभिन्न प्रारूपों में तैयार कर जारी किये—रुपया¹⁸ (चित्र संख्या 7), आठ आना (चित्र संख्या 8), चार आना (चित्र संख्या 9), दो आना (चित्र संख्या 10), एक आना (चित्र संख्या 11) चांदी के सिक्के थे। ये सिक्के वि.सं. 1908 (1851-52 ई.) को जारी किए गये थे।¹⁹

सिक्कों का विवरण

(क) अभिलेख

(1) ऊर्ध्वपटल की ओर (Obverse)

चित्रकूट

उदयपुर

प्रतीक चिह्न-इसके नीचे प्रतीक चिह्न स्वरूप मेवाड़ की पहाड़ियां अंकित हैं तथा मेवाड़ किले के सूचक चिह्न बने हैं।²⁰

(2) अधोपटल की ओर (Reverse) दोहरे गोलाकार आकृति में

दोस्ति

लंघन

(ख) मूल्य-रुपया का मूल्य 17 आना चित्तौड़ी था।²¹ और ब्रिटिश सिक्के के 13.5 आना मूल्य के बराबर था।²²

(ग) वजन-रुपया, आठ आना, चार आना, दो आना तथा एक आना सिक्कों का वजन क्रमशः 168 ग्रेन, 84 ग्रेन, 41 ग्रेन, 21 ग्रेन तथा 10 ग्रेन था। मेवाड़ में ये सिक्के 1930 ई. तक प्रचलन में रहे।

ताम्र मुद्राएं

महाराणा स्वरूपसिंह के शासनकाल (1842-61 ई.) में तांबे की मुद्राएं भी जारी हुईं। तांबे के सिक्के जिन्हें त्रिशूलिया पैसा भी कहा जाता था, पहली बार इसी समय जारी हुए थे। नवीन रजत चांदोड़ी सिक्कों की भांति तांबे की इन मुद्राओं पर किसी प्रकार का कोई अभिलेख अंकित नहीं होता था।²³ इन सिक्कों पर त्रिशूल

अंकित होता था। (चित्र संख्या 12) इसी प्रकार के कुछ अन्य सिक्कों के अग्रभाग चित्त की ओर (Obverse उर्ध्वपटल) त्रिशूल के दायीं ओर एक झंडा दिखाई देता है। (चित्र संख्या 13)

मूल्य-त्रिशूलिया पैसा का मूल्य दो पाई था।

वजन-इसका वजन 85 ग्रेन आरम्भिक प्रारूप में और बाद वाले प्रारूपों का वजन 101 ग्रेन था।

स्वर्ण मुद्राएं

महाराणा स्वरूपसिंह के काल में दो प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं—

1. चांदोड़ी मुहर 2. स्वरूपशाही मुहर

(1) **चांदोड़ी मुहर**-स्वर्ण मुद्राओं को मुहर कहा जाता था।²⁴ ये मुद्राएं केवल उदयपुर की टकसाल से ढाली जाती थी²⁵ और ये स्वर्ण मुद्राएं महाराणा भूपालसिंह के समय तक जारी की गई थी। ये सबसे पहले महाराणा स्वरूपसिंह द्वारा जारी की गई थी। ये सोने के सिक्के उसी सांचे से बनाए जाते थे। जिनसे नवीन चांदोड़ी के सिक्के ढाले जाते थे। इसलिए इन्हें चांदोड़ी मुहर भी कहा जाता है। इन सिक्कों को बनाने का मूल मकसद उपहार व दान में देना होता था तथा विशेष शाही अवसरों पर बांटे जाते थे।²⁶ (चित्र संख्या 14) बैव ने भी इस सिक्के का छायाचित्र दिया है।²⁷ इस सिक्के का वजन लगभग 7 मासा अर्थात् 116 ग्रेन था।

मिश्रण या प्रयुक्त धातुएं-3.5 मासा व 1 रत्ती सोना, 2.75 मासा व 1 रत्ती चांदी तथा 0.5 मासा तांबा।

(2) **स्वरूपशाही मुहर**-यह सिक्का सर्वप्रथम 1851-52 ई. में जारी किया गया व महाराणा भूपालसिंह के समय तक निरंतर जारी होता रहा। यह स्वर्ण सिक्का पहले चित्तौड़ व उदयपुर दोनों टकसालों पर ढलता था। बैव ने लिखा है कि इस समय (1893 ई.) केवल उदयपुर टकसाल से यह स्वर्ण सिक्का जारी होता है।²⁸ (चित्र संख्या 15) इस सिक्के का विवरण इस प्रकार है—


(क) अभिलेख

1. उर्ध्वपटल की ओर (Obverse)-‘चित्रकूट उदयपुर’ लेख के मध्य में एक रेखा है व दूसरे लेख के नीचे तक है, जो लेख को प्रतीक चिह्न से अलग करती है व मेवाड़ पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है।

2. अधोपटल की ओर (Reverse) ‘दोस्त लंघन’ लेख के चारों ओर आठ चापों का बोर्डर है तथा उसके बाहर दो चक्र हैं।

(ख) वजन-यह 169 ग्रेन का है। (ग) धातु-शुद्ध सोना।

सामर ने इस सिक्के के संदर्भ में लिखा है कि चांदी के सिक्के अर्थात् नवीन स्वरूपशाही रजत मुद्राओं को जारी करने वाले सांचों (डाइयों) से ये स्वरूपशाही मुहरें (सोने का सिक्का) ढाली गई थी। इन सिक्कों का उपयोग केवल दान पुण्य में देने एवं दरबार के विशेष अवसरों पर उपहार स्वरूप देने में होता था। ऐसे सिक्के इस समय दुष्प्राप्य हैं।²⁹ इस प्रकार मेवाड़ में मुद्रा का पुनर्गठन किया गया। ऐसी नवीन मुद्राओं का प्रचलन हुआ जिसकी नकल न हो सके और दान इत्यादि में भी दिया जा सके। वर्तमान दौर में प्रचलित नकली मुद्राओं से बचा जा सकता है।



चित्तौड़ से टंकित मुद्राओं की सारणी³⁰

मुद्रा	धातु	वजन ग्राम में
1/16 रुपया या इकन्नी	चांदी	0.67 से 0.72
1/8 रुपया या दुअन्नी	चांदी	1.37 से 1.45
1/4 रुपया या चवन्नी	चांदी	2.67 से 2.90
1/2 रुपया या अठन्नी	चांदी	5.35 से 5.80
1 रुपया	चांदी	10.70 से 11.67

नवीन चांदोड़ी सिक्के उदयपुर टकसाल 1842 ई. से 1890 ई.सारणी³¹

मुद्रा	धातु	वजन ग्राम में
1/16 रुपया या इकन्नी	चांदी	0.67 से 0.72
1/8 रुपया या दुअन्नी	चांदी	1.34 से 1.45
1/4 रुपया या चवन्नी	चांदी	2.68 से 2.90
1/2 रुपया या अठन्नी	चांदी	5.35 से 5.80
1 रुपया	चांदी	10.70 से 11.60
मोहर	स्वर्ण	10.70 से 11.40

उदयपुर टकसाल से टंकित स्वरूपशाही सिक्केसारणी³²

मुद्रा	धातु	वजन ग्राम में
1/16 रुपया या इकन्नी	चांदी	0.67 से 0.72
1/8 रुपया या दुअन्नी	चांदी	1.34 से 1.45
1/4 रुपया या चवन्नी	चांदी	2.68 से 2.90
1/2 रुपया आ अठन्नी	चांदी	5.35 से 5.80
1 रुपया	चांदी	10.70 से 11.60
मोहर	स्वर्ण	10.70 से 11.60

संदर्भ

1. बैव, विलियम विल्फ्रेड, द करैन्सीज ऑफ द हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, 2 प्रावी स्क्वायर ब्लेक रोक डब्लिन, प्रथम संस्करण 10 मई 1893, पृ. 4
2. जेम्स, सोमेर, जेरोम रिमिक एंड अदर्स, दी गाइड बुक एंड कॉमनवेल्थ क्वाइन् एन्थॉग डोले, 1649-1971 तृतीय सं. रिजेंसी क्वाइन्स एंड स्टाम्प कं. लि. न्यूमिसमेटिक्स लिंडसे बि. विनिपेग-2 कनाडा, पृ. 381
3. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग द्वितीय, वैदिक यंत्रालय, अजमेर, प्रथम संस्करण वि.सं. 1985, पृ. 74
4. ओझा, पूर्वोक्त, भाग द्वितीय, पृ. 749
5. ओझा, पूर्वोक्त, भाग द्वितीय, पृ. 749
6. ओझा, पूर्वोक्त भाग द्वितीय, पृ. 749 कर्नल रोबिंसन के नाम का मेहता शेरसिंह का भाद्र पद 5 का पत्र
7. ओझा, पूर्वोक्त भाग द्वितीय, पृ. 750 कर्नल रोबिंसन के नाम अश्विन वदि 12 गुरुवार वि.सं. 1906 का महाराणा का खरीता और मेहता शेरसिंह का अश्विन वदि अमावस्या का पत्र
8. ओझा, पूर्वोक्त, पृ. 750 कर्नल रोबिंसन का महाराणा के नाम वि.सं. 1906

- कार्तिक वदि 2 (3 अक्टूबर 1849) का खरीता श्यामलदास वीरविनोद भाग
द्वितीय खण्ड तीन, पृ. 2041-42
9. सामर, रोशन लाल, कॉइन्स ऑफ मेवाड़ भाग द्वितीय, द जर्नल ऑफ द न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया वो 25 भाग प्रथम 1963 ई., पृ. 81
 10. बैव, विलियम विल्फ्रेड, द करैन्सीज ऑफ द हिन्दू स्टेट्स आफ राजपूताना, 2 प्रोबी स्ववायर ब्लेक रोक डब्लिन प्रथम संस्करण 10 मई 1893, पृ. 12
 11. सामर, पूर्वोक्त पृ. 81
 12. बैव, पूर्वोक्त पृ. 12, प्लेट 2, संख्या 1
 13. सामर, पूर्वोक्त, प्लेट 6, चित्र सं. 8-12
 14. बैव, पूर्वोक्त, पृ. 12 प्लेट 2, टकसाल की डाई से लिया गया चित्र
 15. बैव, पूर्वोक्त, पृ. 12
 16. श्यामलदास, कविराजा, वीर विनोद, मेवाड़ का इतिहास भाग प्रथम, राज यंत्रालय, उदयपुर प्रथम संस्करण 1886 ई0, पृ. 212
 17. इरेस्कन, के.डी. गजेटियर ऑफ दी उदयपुर स्टेट विद ए चेप्टर ऑन दी भील्स एंड सम स्टेटिस्टिकल टेबल्स, स्कोटिस मिशन इण्डस्ट्र कॉ. लि. अजमेर 1908 ई., पृ. 69
 18. सामर, पूर्वोक्त, पृ. 81 प्लेट 6, 14
 19. इरेस्कन, के.डी., पूर्वोक्त, पृ. 69
 20. ओझा, गौ.ही., पूर्वोक्त भाग द्वितीय, पृ. 750
 21. सामर, पूर्वोक्त, पृ. 82
 22. बैव, पूर्वोक्त, पृ. 12
 23. सामर, पूर्वोक्त, पृ. 82 प्लेट 7वीं चित्र सं. 14-15
 24. शोध पत्रिका खंड 22, अंक 3 राजस्थान विद्यापीठ साहित्य संस्थान, उदयपुर
 25. बैव, पूर्वोक्त, पृ. 19
 26. सामर, पूर्वोक्त, पृ. 81, प्लेट 6-13
 27. बैव, पूर्वोक्त, पृ. 9 प्लेट 2-1 व 2 औसत आकार के लिए चित्र सं. 2
 28. बैव, पूर्वोक्त, पृ. 9 प्लेट प्रथम चि. 15
 29. सामर, पूर्वोक्त, पृ. 82, प्लेट 6-20
 30. ब्रुक, कोलिन आर., डेल एस. जॉन एंड अदर्स, दी स्टैंडर्ड गाइड टू साउथ एशिया कॉइंस एंड मनी सिंस 1556 ई.
 31. ब्रुक कोलिन आर, डेल, एस. जॉन एंड अदर्स, पूर्वोक्त, पृ. 218
 32. पूर्वोक्त

पण्डित जनार्दन राय नागर : एक व्यष्टि अध्ययन

प्रो. (डॉ.) उर्मिला शर्मा

राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के संस्थापक पं. जनार्दनराय नागर जिन्हें प्रेम से उनके मित्र जन्नु भाई भी कहते थे, इनका बहुआयामी व्यक्तित्व था। ये एक राजनेता, शिक्षाविद्, समाज सेवी, पत्रकार तथा साहित्यकार भी थे। आजादी से पूर्व और भारत में लोकतान्त्रिक सरकार के गठन के बाद 1957-1962 ई. में राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किए गए उनके शिक्षा सम्बन्धित विचारों को भी यहां दर्शाया गया है। पत्र लेखन के समय एक नई विचारधारा देखने में आई कि जन्नुभाई मानते थे कि हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार भी राष्ट्रीय आन्दोलन का ही हिस्सा है। जन्नु भाई ने राष्ट्रीय आन्दोलन को जनआन्दोलन बनाने में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनके द्वारा 21 अगस्त 1937 में स्थापित हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर ने राष्ट्रीय आन्दोलन को बौद्धिक स्तर प्रदान किया। विद्यापीठ ने सामन्तीकाल शासन में मेवाड़ रियासत की अशिक्षित तथा निम्न श्रेणी की जनता को जनशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा को माध्यम बना कर जागरूक कर, उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ने का कार्य किया। जन्नु भाई ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से स्वतन्त्रता आन्दोलन की राष्ट्रीय चेतना को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। आजादी के बाद उनके शैक्षणिक विचार उनके द्वारा लिखित पुस्तक शाला में बालक तथा माध्यमिक शिक्षा योजना में देखने को मिलते हैं।

जन्नु भाई 1957 ई. में राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले के मावली विधानसभा क्षेत्र से जन प्रतिनिधि चुने गए। 1957-1962 ई. के उनके विधायकी काल में उनके द्वारा शिक्षा सम्बन्धी विषय पर विचार प्रस्तुत किए गए उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होनी चाहिए, उन्होने समाज शिक्षण को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण से भी महत्वपूर्ण माना। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को समय से पहले उठाया जाने वाला कदम माना। उनके विचार थे कि अच्छी अर्थात् विशिष्ट तथा विद्वान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकों को पढ़ने से बच्चों का मानसिक बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास होगा, इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि ये पुस्तक राजस्थान के नवनिर्माण तथा जनतन्त्र को मजबूत करने में भी सहायक होगी। विभिन्न शैक्षणिक विषयों को लेकर उन्होने विचार प्रकट किये कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो उसका अध्यक्ष गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री हो, जिले स्तर पर परामर्शदात्री समितियों के

गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, नीतिगत साम्यता बनी रहे इसके लिए शिक्षा जिला प्रशासन को नही सौंपी जानी चाहिये, बल्कि इसे एक ही सरकारी कार्यालय के नियन्त्रण में रखा जाए, 1957 में राजस्थान में दो सैकण्डरी बोर्ड होने की स्थिति में उन्होंने एक बोर्ड की सिफारिश की, दूसरे विश्वविद्यालय के गठन पर उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किए कि नए विश्वविद्यालय में तकनीकी विषय की शिक्षण व्यवस्था आरम्भ हो सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, ग्रान्ट-इन-एड कमेटी के स्थान पर यू.जी.सी. जैसा एक कमिशन गठित हो, संस्कृत विकास के लिए अलग से संस्कृत विश्वविद्यालय बने, आचार्यों के वेतन में असमानता समाप्त करने के लिए समान व एकीकृत नीति बने। इन सभी विषयों पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को भी इस पत्र में शामिल किया गया है।

प. जनार्दन राय नागर जिन्हें प्रेम से उनके मित्र जन्नु भाई भी कहते थे, इनका जन्म राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र के जिला उदयपुर में जून 1911 ई. में हुआ। 20 वीं सदी में गांधी जी ने मैकाले शिक्षा पद्धति का विरोध करते हुए वर्धा में जिस बुनियादी शिक्षा की संरचना की, उसे वर्धा योजना, नई तालीम बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का नाम दिया गया। इस शिक्षा के आधार पर सम्पूर्ण भारत वर्ष में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। इसकी शुरुआत गांधीजी ने वर्धा तथा साबरमती में आश्रम की स्थापना से प्रारम्भ की। बुनियादी शिक्षा में पूर्णतः भारतीयों के नियन्त्रण में हो। भारतीय साहित्य तथा इतिहास का ज्ञान दिया जाए। हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दिए जाने की बात कही, हस्तशिल्प ज्ञान का भी प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही व्यवसायिक विषयों का भी इसके अन्तर्गत समन्वय किया गया। सम्पूर्ण भारत में बुनियादी शिक्षा आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। ऐसे दौर के अन्तर्गत ही जन्नु भाई ने 21 अगस्त 1937 में उदयपुर में हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की, जो वर्तमान में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। स्थापना के समय इस संस्था का उद्देश्य था कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के माध्यम से मेवाड़ की जनता में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति जागृति उत्पन्न करना। स्थापना के समय विद्यापीठ में प्रयाग से हिन्दी साहित्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अध्ययन प्रारम्भ किया गया। 1939 ई. में विद्यापीठ ने प्रौढ़ शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया।

जन्नुभाई ने मैकाले शिक्षण के स्थान पर बुनियादी शिक्षा को देश के लिए उचित मान इन्होंने गाँधीजी द्वारा असहयोग आन्दोलन के दौरान उठाये गए शिक्षा के स्वदेशीकरण तथा राष्ट्रीयकरण का पूर्ण समर्थन किया। आजादी प्राप्त होने के बाद भी जन्नुभाई का शिक्षण के क्षेत्र में योगदान अनवरत जारी रहा। इनकी शैक्षणिक

विचारधारा, 'शाला में बालक तथा माध्यमिक शिक्षा योजना' नामक पुस्तकों में इनके द्वारा लिपिबद्ध की गई है।

1957-1962 ई. तक के विधायकी काल के दौरान उन्होंने राजस्थान विधान सभा में अपने शैक्षणिक विचार प्रस्तुत किये। उनके विचार थे कि शिक्षा को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त होना चाहिए। 1962 में उन्होंने विधानसभा में समाज शिक्षण प्रस्ताव पास करवाया। उन्होंने समाज शिक्षण को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण से भी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने माना कि राष्ट्र और समाज के विकास के लिये वयस्कों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। सदन के पटल पर उन्होने सुझाव रखे कि समाज शिक्षण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। समाज शिक्षण बोर्ड का गठन किया जाये, जिसका यह दायित्व होगा कि वह समाज शिक्षण कार्यों के लिए साहित्य सामग्री का निर्माण करे। इसके साथ ही तहसील स्तर पर सामुदायिक शिक्षा केन्द्र तथा प्रौढ़ शिक्षा स्कूल खुलने चाहिए। सरकार द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए प्रस्ताव पेश किये जाने पर जन्नुभाई ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा लागू करना समय से पहले उठाया जाने वाला कदम सिद्ध होगा। अनिवार्य शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में सहशिक्षा लागू करना आसान कार्य नहीं है क्योंकि राजस्थान की सामाजिक परम्परा तथा रुढ़ियाँ इस कार्य में बाधा बनकर सामने आयेंगी। इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा में सहशिक्षा के कारण छात्रायें शिक्षा से वंचित रह जायेगी जो की उचित नहीं है। पुस्तकों का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद केन्द्रिय सरकार ने पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति के अर्न्तगत पाठ्यपुस्तकों को वैज्ञानिक मापदण्ड के अन्तर्गत लिखने के नियम बनाये, लेखक द्वारा लिखि पुस्तक समीक्षक के पास भेजकर उसकी अनुमति प्राप्त होने पर ही पुस्तक मुद्रण के लिये भेजी जाती थी। पूर्व में प्रकाशन इधर-उधर से सामग्री एकत्रित कर लेखकों से कम कीमत पर लिखवाते और सरकार की पुस्तक कमेटी की अनुमति लिए बिना ही मुद्रण करवा कर, मनमाने दाम पर बाजार में बेचकर अधिक से अधिक व्यक्तिगत मुनाफा कमाते थे। राजस्थान सरकार ने 1954 ई. में केन्द्रिय सरकार की पाठ्यपुस्तको के राष्ट्रीयकरण की नीति को राजस्थान में लागू करने के लिए जब विधान सभा में प्रस्ताव पेश किया तो जन्नुभाई ने इस प्रस्ताव का यह कहकर पूर्ण समर्थन किया कि उच्चस्तर पर लिखित पुस्तकों का अध्ययन करने से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास होगा। उचित मानदण्ड और वैज्ञानिक आधार पर लिखित ये पुस्तकें राजस्थान के नवनिर्माण तथा जनतन्त्र को मजबूत करने में सहायक होगी।

जन्नुभाई ने ऐसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया जिसका अध्यक्ष गैर सरकारी शिक्षा शास्त्री हो जो कि स्वतन्त्र, स्वायत्त होगा और बोर्ड को साहसिक नेतृत्व प्रदान कर सकेगा। शैक्षणिक मामलो में बोर्ड पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होकर कार्य करें, बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शिक्षा सम्बन्धी मामलो में बोर्ड सरकार को मार्गदर्शन दे। माध्यमिक शिक्षा की समस्या पर उन्होने अपने विचार प्रकट किये कि यह समस्या किशोरो के भावनात्मक तथा शारीरिक विकास से सम्बन्धित है, इसलिए जिले स्तर पर परामर्शदात्री समितियों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये समितियाँ बोर्ड की कोई मदद नहीं कर सकती है। माध्यमिक शिक्षा समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि स्कूल प्रशासन छात्रों तथा उनके माता-पिता से सम्पर्क करे, पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाए। शिक्षा जिला प्रशासन को नहीं सौंपी जानी चाहिए, इसे सरकार द्वारा स्थापित एक ही कार्यालय के अन्तर्गत रखा जाए ताकि नीतिगत साम्यता बनी रहे।

1957 ई. में राजस्थान सैकण्डी बोर्ड के गठन के बाद राजस्थान में दो सैकण्डी बोर्ड विद्यमान थे। केन्द्रिय सैकण्डी बोर्ड, अजमेर और राजस्थान सैकण्डी बोर्ड, जयपुर। जन्नुभाई का सुझाव था कि राजस्थान सैकण्डी बोर्ड जयपुर को अजमेर में स्थानान्तरण कर इसे केन्द्रिय बोर्ड अजमेर में विलय किया जाए। ऐसा करने के पीछे उनकी दलील थी कि राजस्थान सैकण्डी बोर्ड नवनिर्मित है, इसके पास अपना भवन और फण्ड नहीं है जबकि केन्द्रिय बोर्ड पुराना है इसलिए इसका अपना भवन है तथा फण्ड की भी कोई कमी नहीं है। भारत का पहला जनता कॉलेज उदयपुर जिले में 1953 ई. में राजस्थान विद्यापीठ में प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम यह डेनमार्क में प्रारम्भ हुआ। प्रौढ़ शिक्षा तथा समाज शिक्षण का कार्य मुख्यतः इन जनता कॉलेज में ही किया जाता था। उनके विचार थे कि सरकार प्रत्येक तहसील तथा जिले में जनता कॉलेज स्थापित करें ताकि 80 प्रतिशत व्यस्क जो कि शिक्षा से वंचित रह रहे हैं उन्हे जनता कॉलेज से जोड़ा जा सके। राजस्थान में केवल एकमात्र विश्वविद्यालय था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। ऐसी स्थिति में उन्होने सरकार से अनुरोध किया कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। सरकार द्वारा 1961 में दुसरे विश्वविद्यालय खोलने की पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने विचार रखें कि इस नए विश्वविद्यालय में तकनीकी विज्ञान, इन्जिनियरींग, संस्कृत, आयुर्वेद तथा सामाजिक शिक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। ग्रान्ट-इन-एड कमेटी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए जन्नुभाई ने कहा कि यह कमेटी पक्षपात के आधार पर कार्य करती है।

संस्थाओं को दिए जाने वाले निश्चित अनुदान की राशि की कटौती का अधिकार कमेटी को था, जन्नुभाई ने इसका विरोध यह कहते हुए किया कि ऐसा करने

से संस्थाओं के विकास में बाधा आती है। कमेटी द्वारा अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया में की जा रही देरी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया थी कि जब संस्थाएं अनुदान राशि प्रार्थना पत्र सितम्बर-अक्टूबर तक कमेटी के पास भेज देती है तो कमेटी इतने विलम्ब से अप्रैल के अन्त तक सरकार के पास क्यों भेजती हैं, उन्होने सुझाव दिया कि अप्रैल माह तक सभी संस्थाओं को अनुदान राशि मिल जानी चाहिए। इसलिए कमेटी के कार्यप्रणाली में सुधार आवश्यक है। इन सभी अनियमितताओं का समाधान उन्होने बताया कि ग्रान्ट-इन-एड कमेटी के स्थान पर सरकार को यु.जी.सी. जैसा एक कमिशन गठन करना चाहिए।

संस्कृत विकास के लिए खर्च की जा रही राशि पर्याप्त नहीं है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह खर्च की जाने वाली इस राशि को बढ़ाए तथा संस्कृत विकास के लिए एक अलग से संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करे। इस युग के बहुआयामी व्यक्तित्व रखने वाले जन्नुभाई का 15 अगस्त 1997 ई. में देहअवसान हो उनका शरीर पंचतत्व में विलिन हो गया।

संदर्भ

1. मधुमति राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, मार्च 1998
2. साक्षात्कार श्री प्रफुल नागर (कुल प्रमुख) एवं प्रौ दिव्य प्रभा नागर (कुलपति) जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर
3. जनार्दनराय नागर एज्युकेशनल डवलपमेन्ट चेरिटेबल ट्रस्ट, उदयपुर द्वारा शिक्षक दिवस, दिनांक 5 सितम्बर, 2009 को प्रसारित, मुझ शिक्षक की प्रेरणास्पद स्मृतियाँ।
4. नवजीवन, अखबार 16 अक्टूबर 1945।
5. वसुन्धरा, 8 अगस्त, 1948
6. जनमंगल, 21 अगस्त, 1970
7. नागर पं. जनार्दनराय, 'शाला में बालक', राजस्थान प्रकाशन जयपुर, 1998
8. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधयेक, 11 नवम्बर, 1957
9. राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड 18 अप्रैल, 1960
10. शोध पत्रिका वर्ष 60 अंक 1-4 साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
11. लोकशिक्षण समाचार, अंक-1, अप्रैल-मई 2006

मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा का विकास- शिलालेखों के आलोक में

मोहम्मद फारूक चौहान एवं डॉ. शारदा शर्मा

प्राचीन काल से ही राजस्थान में शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है। अंग्रेजों के सम्पर्क में आने से पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में सामान्यतः प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति ही प्रचलन में थी। उस युग की शिक्षा विशेष विचारधारा तथा उद्देश्य पर आधारित थी। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक होने के साथ-साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक भी था। अर्थोपार्जन और बौद्धिक विकास के साथ-साथ परम शांति प्राप्त करना उस युग की शिक्षा का लक्ष्य था।¹ इन लक्ष्यों की पूर्ति विविध स्तरों की शिक्षा संस्थाओं जैसे घरेलू शिक्षा,² गुरु आश्रम (गुरुकुल),³ उपासरे,⁴ मठ,⁵ मकतब व मदरसों⁶ आदि द्वारा दी जाती थी।⁷

घरेलू शिक्षा-इसमें पिता अपने पुत्र को प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर ऊंची से ऊंची शिक्षा घर में ही दे दिया करता था। पिता से पुत्र को शिक्षण एक संस्था के रूप में कार्यरत थी तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही शिक्षण पद्धति चलती रहती थी। 1488 ई. के एकलिंग शिलालेख के अनुसार एक भृगु परिवार में सोमनाथ, जोटिंग, अत्रि और महेश नामक पुत्र एक के बाद एक पैदा हुए जिन्होंने एक घर में रहकर वेद, मीमांसा और साहित्य में निपुणता अपने पिता से प्राप्त की थी।⁸ इसी प्रकार 'कालनिर्णय दीपिका' (1650 ई.) के अनुसार बालकृष्ण, विट्टल, कृष्णाचार्य और गोपालाचार्य प्रतिष्ठित पण्डित थे जो एक ही परिवार के थे, जिन्होंने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की थी। पिता अपने पुत्र के लिए तथा आने वाली पीढ़ी के लिए एक पुस्तक तैयार करता था और उसी के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी शिक्षा दी जाती थी।⁹ इस घरेलू शिक्षा का प्रचलन व्यावसायिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता था। एक कुशल दस्तकार व शिल्पकार अपने पुत्र को घर पर ही अपने कौशल की शिक्षा देता था। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन स्वयं बाबर ने अपने 'बाबरनामा' में किया है। उस समय के बने हुए परकोटा युक्त शहर, दीवारें, महल, कुएं, चित्र, जेवर आदि उस दक्षता के प्रमाण देते हैं जिनको बनाने वाले वही कुशल कारीगर थे जिन्होंने घर में रहकर पितृ-परम्परा विधि से शिक्षा प्राप्त की थी।¹⁰

गुरु आश्रम या गुरुकुल-आश्रम का गुरु एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था तथा आश्रम की व्यवस्था सम्पन्न व्यक्तियों या दानी शासकों के भूमि अनुदान से

तथा शासकों व अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली भेंट आदि से होती थी।¹¹ शिष्य गुरु के आश्रम में ही उनके चरणों में बैठकर विद्याध्ययन करते थे। सोम वर्मा, जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट आदि प्रसिद्ध गुरु थे, जिनके अपने आश्रम थे। राजस्थान के अनेक कस्बों और गांवों जैसे पीपली (मेवाड़), भीनमाल, मेड़ता (मारवाड़), अर्थूना (बांसवाड़ा), चित्तौड़ आदि अध्ययन के प्रसिद्ध संस्थान थे, जहां राजस्थान के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में शिष्य अध्ययन के लिए आते थे।¹² मेवाड़ के महाराणा लक्ष्मणसिंह (लाखा) ने एक विद्वान जोटिंग को पिस्पालिका¹³ नामक गांव तथा धनेश्वर भट्ट को चित्तौड़ के निकट पंच देवता गांव उपहार में दिया था।¹⁴ एकलिंग शिलालेख (1488 ई.) में भृगु आश्रम का उल्लेख मिलता है जिसमें राजकुमारों को भी इन आश्रमों में भेजकर शिक्षा प्रदान करने का रिवाज था। गुणभाष चरित के अनुसार जोधपुर के महाराजा गजसिंह ने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए एक आश्रम में भेजा था।¹⁵ कुम्भलगढ़ के शिलालेख (1460 ई.) से भी आश्रम व्यवस्था का पता चलता है।¹⁶

मठ-ये संस्थाएं साधु व सन्तों द्वारा संचालित थीं, जिनमें शिक्षा का उचित प्रबन्ध था तथा साधु व सन्त लोग इनमें शिक्षा सम्बन्धी चर्चा, व्याख्यान आदि साधनों से शिक्षा का प्रसार करते थे। ये लोगों को धार्मिक व नैतिक शिक्षा देने का भी काम करते थे। उदयपुर का सेविना खेड़ा मठ तथा जैसलमेर का कौशिक राम मठ ने उस समय उदयपुर तथा जैसलमेर के लोगों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया था। ये मठ योग्य गुरुओं के निर्देशन में संचालित होते थे।¹⁷

उपासरे-राजस्थान के नगरों एवं कस्बों में जैन धर्म के उपासरे भी थे जो समृद्ध व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते थे। इनमें जैन मुनि व साधु निवास करते थे। राज्य के शासक व राज-परिवार के सदस्यों द्वारा भी कई उपासरे बनाए गए हैं। ये उपासरे मंदिरों के पास स्थित होते थे जिनके साथ पुस्तकालय भी होते थे। जैन मुनि व साधु यहां धार्मिक शिक्षा के साथ अन्य विषयों का ज्ञान भी कराते थे। अनेक हस्तलिखित पाण्डुलिपियां और प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें जैन मुनियों व साधुओं ने तैयार किया था। कल्पसूत्र के अनुसार पंडित हीरानन्द ने 1651 ई. में चित्तौड़ के उपासरे में रामायण की प्रतिलिपि तैयार की थी।¹⁸ चित्तौड़ के ही एक शिलालेख (1300 ई.) में धर्मचन्द्र तथा उनकी गुरु परम्परा व जैनाचार्यों की परम्परा तथा शिक्षा का हमें बोध होता है। कुन्दकुन्द आचार्य की परम्परा में केशवचन्द्र, देवचन्द्र, अभयकीर्ति, वसन्तकीर्ति, विशालकीर्ति, शुभकीर्ति और धर्मचक्र थे। इनमें केशवचन्द्र तीन विधाओं में विशारद थे तथा इनके 101 शिष्य थे। जैन साधु साहित्य व दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान थे।¹⁹ देलवाड़ा का लेख (1437 ई.) तथा शांतिनाथ के मंदिर की प्रशस्ति जैसलमेर (1526 ई.) से पता चलता है कि उस समय मुद्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी तो समृद्ध लोग पुस्तकें लिखवाते और

वितरण करते थे। इस प्रकार शिक्षा और धर्म का प्रचार होता रहता था।²⁰ बीकानेर की रायसिंह प्रशस्ति (1594 ई.) जो बीकानेर दुर्ग (जूनागढ़), सूरजपोल स्तंभ प्रवेशद्वार के एक पार्श्व में लगी हुई है जो महाराजा रायसिंह के समय की है। इस शिलालेख के रचयिता जइता नामक एक जैन मुनि था जो क्षेमरत्न का शिष्य था। यह लेख उस समय की संस्कृत भाषा पर भी अच्छा प्रकाश डालता है।²¹

मकतब व मदरसे—ये मुस्लिम धर्म के शिक्षा के केन्द्र थे। मकतब प्रारम्भिक शिक्षा तथा मदरसे उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। चूंकि मध्यकाल में मुगल दरबार की भाषा फारसी थी इसलिए मुसलमान ही नहीं, हिन्दू भी फारसी भाषा पढ़ने के इच्छुक थे। अजमेर खादिमों²² के बच्चों की शिक्षा के लिए दरगाह से सम्बद्ध एक मकतब था जिसमें धार्मिक शिक्षा देने के लिए मौलवियों की नियुक्ति की जाती थी। दरगाह के अधिकारी ही इस मकतब का प्रबन्ध करते थे। मकतब में फारसी भाषा का ज्ञान कराने के साथ-साथ पवित्र कुरआन का पाठ भी करते थे।²³ हिन्दू, विशेष रूप से कायस्थ, मुगल दरबार में फारसी का प्रचलन होने के कारण फारसी पढ़ने के इच्छुक थे ताकि राजस्थान के हिन्दू शासकों के दरबार में नौकरी पा सकें। हिन्दू शासकों को भी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो मुगल शासकों को फारसी भाषा में पत्र लिख सकें अतः फारसी भाषा का ज्ञान आवश्यक था जिसकी पूर्ति मकतब व मदरसे करते थे।²⁴ अजीतोदय के अनुसार श्यामलदास उस समय के फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। मध्यकाल में फारसी भाषा का ज्ञान होने के कारण पंचोली व भटनागर जाति के लोगों को जयपुर, बीकानेर और कोटा राज्यों में उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया गया था। मेवाड़ में फारसी भाषा के ज्ञान के कारण सहीवाला, महासानी और मुंशी परिवारों ने काफी उन्नति की थी।²⁵

अन्य शैक्षणिक संस्थान—उपरोक्त शिक्षा केन्द्रों के अलावा अन्य शिक्षा के केन्द्र जो कि चटशाला, पाठशाला, नेसाल, पोशाल, चौकी आदि के नाम से जाने जाते थे जिनमें शहरों, गांवों और कस्बों के विभिन्न समुदाय के बच्चों को प्रारम्भिक व प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी।²⁶ ऐसी संस्थाओं का भार स्थानीय जनता पर रहता था जो अपने खेतों या व्यवसाय के उपार्जन का भाग अध्यापक को फसल के समय दे दिया करते थे। शहर में अनाज व कुछ रकम गुरुओं को दी जाती थी। इन गुरुओं को मारजा कहा जाता था। ये गुरु या मारजा घर के खुले बरामदे, मंदिर, खुले मैदान, पेड़ या छोटे छप्पर के नीचे विद्यार्थियों को बैठाकर तथा स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर छात्रों को पढ़ाते थे। इन विद्यालयों में आजकल की भांति विद्यार्थियों के लिए कोई निश्चित वेशभूषा नहीं थी। साधारण तरीकों से विद्यार्थी पढ़ने, लिखने और गणित की कला में निपुण हो जाता था।²⁷ समाज में गुरुओं का बड़ा सम्मान था। गुरु कहीं आते-जाते नहीं थे लोग ही उनके पास आते थे। गुरु-पूर्णिमा के दिन गुरु ऊंचे आसन पर बैठते थे और उनके शिष्य उन्हें भेंट-उपहार आदि देकर उनका सम्मान करते थे।

अध्ययन के विभिन्न विषय-अध्ययन-अध्यापन में प्रारम्भ में अक्षर ज्ञान तथा प्रारम्भिक गणित का ज्ञान कराया जाता था। लिखने की क्रिया लकड़ी की तख्ती पर शिक्षक के निर्देशन में होती थी। निम्न स्तर पर श्रुति लेख लिखवाना एक सामान्य क्रिया थी। इस अवस्था में जोर-जोर से पाठ पढ़ने या सामूहिक रूप से जोर-जोर से पहाड़े (गिनती) बोलने की पद्धति प्रचलित थी। विद्यार्थियों को गिनती, पहाड़े, जोड़-बाकी-गुणा-भाग, वाणिका, हिसाब-किताब के साथ हिन्दी व मुड़िया की शिक्षा दी जाती थी।²⁸

प्रारम्भिक शिक्षा के बाद वेद-शास्त्र, नीति, मीमांसा, धर्म-शास्त्र, कर्मकाण्ड, पुराण, ज्योतिष, गणित, साहित्य, व्याकरण विषय पढ़ाए जाते थे तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सा, पशु विज्ञान आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। राजपूत समुदाय के युवाओं को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। युवा राजपूत, कुमारों को प्रतिदिन घुड़सवारी, रथ की सवारी, घोड़ों व हाथियों पर चढ़ाई का प्रशिक्षण, दुर्ग पर धावा, धनुष और अन्य हथियार काम में लेने का अभ्यास कराया जाता था।²⁹ साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि राजकुमारों को वेद, नीति, तर्क शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी।³⁰ उदयपुर महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के गुरु दक्षिणामूर्ति वेद, वेदांग, शास्त्र, स्मृति, तंत्र आदि के प्रकाण्ड विद्वान थे। ये तथ्य संस्कृत में दक्षिणामूर्ति लेख (1713 ई.) में वर्णित है।³¹ बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की प्रशस्ति (1594 ई.) व हीरावाड़ी जोधपुर का लेख (1504 ई.) में संस्कृत भाषा की शिक्षा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।³² सूरपुर (डूंगरपुर) के माधवराय के मंदिर की प्रशस्ति (1591 ई.) में उस समय की शिक्षा, वेद, पुराण, शास्त्र अध्ययन आदि मुख्य विषयों का पता चलता है।³³ राज प्रशस्ति (1676 ई.) मेवाड़ के स्थानीय तथा फारसी भाषा का संस्कृत पर तथा संस्कृत का फारसी भाषा पर प्रभाव का पता चलता है।³⁴ जावर गांव (मेवाड़) (1497 ई.) की प्रशस्ति में उस समय के शिक्षाविदों और शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।³⁵ डूंगरपुर के गोवर्द्धननाथ जी के मंदिर की प्रशस्ति (1623 ई.) भी शिक्षा प्रसार की स्थिति पर प्रकाश डालती है।³⁶ 17वीं सदी में बीकानेर में कर्णसिंह व अनूपसिंह के काल में संस्कृत भाषा का समुचित विकास हुआ था। अधिकांश शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण हैं। बीकानेर के रत्न शर्मा द्वारा 'रत्न विलास' नामक हस्तलिखित ग्रन्थ संस्कृत में लिखा गया है।³⁷

मध्यकाल में मुस्लिम तालिबे इल्मों (छात्रों) को यह आवश्यक था कि वे पवित्र कुरआन को कण्ठस्थ करें, तत्पश्चात् उन्हें शेखसादी की गुलिस्तां, बोस्तां तथा फिरदौसी के साहित्य का अध्ययन कराया जाता था।³⁸ इस प्रकार अरबी व फारसी का ज्ञान योग्य उस्ताद या मौलवी साहब के द्वारा कराया जाता था।

अध्ययन की विधियां-वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, कंठाग्र करना आदि पठन-पाठन के साधन माने जाते थे। कथा वार्ता द्वारा पढ़ने में भद्र मुनि, गोपाल भट्ट

आदि प्रसिद्ध थे। महेश नामक विद्वान वाद-विवाद में निपुण थे। उच्च शिक्षा के लिए मौखिक भाषण पद्धति अपनाई जाती थी। प्रश्नोत्तरी द्वारा अध्यापन भी एक महत्वपूर्ण पद्धति थी।³⁹ लकड़ी की तख्ती या पत्थर की स्लेट, बरता (पत्थर की स्लेट पर लिखने के लिए), कलम, स्याही की दवात आदि अध्ययन की सामग्री थी। मुल्तानी मिट्टी को कुछ देर भिगोकर रखा जाता था, उससे ही लकड़ी की तख्ती साफ की जाती थी। लेप के सूखने पर उस पर लिखा जा सकता था। उपलब्ध किताबों व ग्रन्थों की अध्यापक, शिष्य व मुंशी (लिखने वाले) प्रतिलिपि तैयार करते थे। मुंशियों को मेहनताना दिया जाता था। उस युग की शिक्षा की प्रगति इससे भी प्रमाणित होती है कि राज-दरबारों, धर्म स्थानों, उपासकों आदि में पुस्तकालय होते थे जिनमें समृद्ध लोग अपने खर्चे से लिखवाकर पुस्तकों का अनुदान करते थे। इन पुस्तकों को जिल्दों में बंधवाया जाता था या लकड़ी की तख्तियों के बीच बांधकर सुरक्षित रखा जाता था। प्रत्येक विषय के अनेक बण्डल रहते थे जिन पर क्रम संख्या लिख दी जाती थी।⁴⁰ उदयपुर और कोटा के सरस्वती भण्डार, जोधपुर का पुस्तक प्रकाश, बीकानेर का अनूप संस्कृत पुस्तकालय तथा आमेर शस्त्र भण्डार आदि में पुस्तकों के संग्रह उस युग की अमर निधि है जो आज भी सुरक्षित है। उस युग की ये पाण्डुलिपियां आज भी हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं।⁴¹

परीक्षा व उपाधि मिलने की पद्धति-प्राचीन व मध्य युग में आधुनिक परीक्षा प्रणाली की तरह लिखित परीक्षा नहीं होती थी। उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के लिए गुरु का संतुष्ट होना आवश्यक था। उस समय भी छात्रवृत्ति व स्टाइपेण्ड मिलता था। अध्ययन समाप्ति पर गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। इसके लिए बड़ा उत्सव आयोजित किया जाता था, जिसमें खुले मंच पर वाद-विवाद, तर्क-वितर्क, आदि द्वारा परीक्षा ली जाती थी, जिसमें दूर-दूर से विद्वान बुलाये जाते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को पण्डित, कविराज, वाचस्पति, आचार्य, महोपाध्याय, कविश्वर आदि उपाधियां विशेषज्ञों द्वारा वरीयता क्रम में दी जाती थीं, जिनकी बड़ी मान्यता होती थी।⁴² कोटा में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विद्वानों को गुणीजन कहा जाता था। चित्तौड़ के लेख (1481 ई.) से पता चलता है कि 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ खरतरगच्छीय साधुओं का केन्द्र रहा है। इसमें शांतिनाथ मंदिर व जयकीर्ति का उल्लेख मिलता है, जयकीर्ति की उपाधि महोपाध्याय दिया हुआ है। कडिया ग्राम (उदयपुर) 1437 ई. के लेख में तिलभट्ट को मेवाड़ के राज-परिवार के गुरु के रूप में माना है। इस प्रशस्ति से उस समय के प्रचलित विद्वानों की उपाधि साहित्यरत्नाकर का बोध होता है।⁴³

मदरसों में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा का आधार वाद-विवाद था। संभाषण के समय जो छात्र अपनी योग्यता प्रदर्शित करता था, वह सफल घोषित

किया जाता था। इसके उपरान्त उस भाग्यशाली छात्र को उलेमा⁴⁴ की पेनल टीम से साक्षात्कार करना पड़ता था। यहां रस्म-ए-दस्तारबन्दी का उत्सव सम्पन्न होता था। यह उत्सव आधुनिक दीक्षांत समारोह के समान था। उलेमा या शेख के पद को सुशोभित करने वाले उस सफल छात्र को, पगड़ी रूपी सिरताज से विभूषित करना ही इस उत्सव का एक मात्र उद्देश्य था।⁴⁵ इसके अलावा फाजिल, आलिम और काबिल नामक उपाधियों में से एक दी जाती थी।⁴⁶

शिक्षा के अन्य पहलू-मध्यकाल में 4 वर्ष 4 माह 4 दिन आयु प्राप्त होने पर मुस्लिम बच्चों में शिक्षा का प्रारम्भ बिस्मिल्लाह नामक संस्कार से किया जाता था। हिन्दुओं में 5 वर्ष की उम्र में शुभ मुहूर्त पर बालक के हाथों में खड़ी दी जाती थी। यह उत्सव हाथे खड़ी कहलाता था।⁴⁷ 16वीं व 17वीं शताब्दी के पुरालेखों तथा काव्य ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि बालक की पढ़ाई की शुरुआत 5 या 7 वर्ष से हो जाती थी। विद्याध्ययन की अवधि 12 वर्ष से 15 वर्ष थी। 12 या 15 वर्ष की उम्र तक की अवधि में विद्यार्थी विद्या के कई क्षेत्रों में पारंगत हो जाता था। उसे निरन्तर गुरु के सानिध्य में रहने तथा रात-दिन पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था। पर्व के दिनों तथा पूर्णिमा व अमावस्या को अध्ययन कार्य नहीं होता था।⁴⁸ प्राथमिक कक्षाओं में पाठ याद न करने वाले, बिना छुट्टी दिए अनुपस्थित रहने वालों अथवा कर्तव्यों का निर्वाह न करने वाले विद्यार्थियों को दण्ड दिया जाता था, जिनमें बेंत या चमोटी की मार, थप्पड़ माना, कान मरोड़ना, कोड़े (चाबुक) से मारना था मुर्गा⁴⁹ बनाकर दण्ड देने का रिवाज था तथा गुरु उपरोक्त सजा देने के लिए समाज से अधिकृत था।⁵⁰

स्त्री शिक्षा-मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था इसलिए उनके लिए पृथक् पाठशालाएं नहीं थीं। राज-परिवार और आभिजात्य वर्ग की लड़कियों को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। चित्रकला और संगीत उनके प्रिय विषय थे। जावर की प्रशस्ति (1497 ई.) से जानकारी मिलती है कि महाराणा कुम्भा की पुत्री रमाबाई संगीत और हिन्दू शास्त्रों की ज्ञाता थीं। उस युग में उच्च वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार था। भक्त शिरोमणि मीराबाई हिन्दू दर्शन शास्त्र में निष्णान्त थी।⁵¹ मेवाड़ में देलवाड़ा ठाकुर की पुत्री रसबाई को प्रेम कहानियों का शौक था, उसके लिए प्रेम कहानियों की पुस्तक अमर सागर की प्रतिलिपि तैयार करवाई गई थी।⁵² जोधपुर के महाराजा विजयसिंह की रखैल को स्थानीय भाषा के उच्च कोटि के साहित्य में रुचि थी। राजस्थान के मध्यम वर्ग की स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन साधारण परिवार के लोग अपनी लड़कियों को पाठशाला में शिक्षा हेतु भेजना नहीं चाहते थे तथा घर पर शिक्षक बुलाकर उन्हें पढ़ाने की उनमें सामर्थ्य नहीं था। अतः ऐसे परिवारों की स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती थीं।⁵³ ऐसे सैकड़ों ग्रन्थ मिले हैं जिनमें गीता, भागवत, रामायण तथा कथानकों के ग्रन्थ हैं जिन्हें धर्मनिष्ठ स्त्रियों तथा विदुषियों के पठन हेतु लिखवाया गया था।⁵⁴

उपरोक्त शिक्षा के वर्णन से यह तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा निजी थी। उन्हें राजा या राज-परिवार से संरक्षण प्राप्त था। यही संरक्षा उन दिनों अनेक दानी तथा विद्या प्रेमी जनों से मिलती थी। प्रत्येक समृद्ध व्यक्ति विद्या की उन्नति में अपना योगदान देना अपना धर्म समझता था।⁵⁵ यही कारण है कि मध्ययुगीन राजस्थान में गांव-गांव में पाठशालाएं थीं, प्रत्येक कस्बे तथा नगर में शिक्षा के कन्द्र थे। स्थानीय शासक शिक्षा के प्रचार व उन्नति के लिए भूमि दान में देते थे। इसी क्रम में कवि अधा, खेमा, मण्डन, पद्माकर और अन्य विद्वानों को उचित सम्मान व पुरस्कार राज्य के शासकों व राजकुमारों द्वारा प्रदान किया गया।⁵⁶ उदयपुर के महाराणा जगतसिंह विद्या प्रेमी थे। उन्होंने काशी के ब्राह्मणों को बहुत-सा सोना दिया। उन्होंने अपनी जन्म गांठ के दिन कृष्णभट्ट को चित्तौड़ के पास भैंसड़ा गांव दान में दिया तथा मधुसूदन भट्ट को आहाड़ गांव में हलवाह (100 बीघा) भूमि दान में दी।⁵⁷ उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए बहुत से विद्यार्थियों को बनारस व उज्जैन भेजा जाता था जिसके लिए राजस्थान के शासक उन्हें छात्रवृत्ति देते थे। इसी तरह अनेक प्रतिष्ठित विद्वान जैसे मण्डन, सदाशिव, बाबू भट्ट, रणछोड़ भट्ट आदि राजस्थान से बाहर से आए और मेवाड़ के महाराणा कुम्भा, जगतसिंह, राजसिंह ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप भूमि व धन दिया। देश के विभिन्न भागों से अम्बापति, हरिहर, परसराम, महेश, केशवदास, भट्टाचार्य, काशीनाथ और वासुदेव जयपुर दरबार में आए और उचित सम्मान पाया।⁵⁸ बीकानेर, मारवाड़ व अन्य राज्यों के शासकों ने विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया व उचित सम्मान व पुरस्कार दिए।

इसमें कोई शक नहीं कि उस समय के समाज को सुविधाओं का अभाव खटकता होगा लेकिन उसकी पूर्ति विद्या के प्रति अभिरुचि तथा तल्लीनता कर दिया करती थी। वैसे तो उस युग में राजस्थान में शिक्षा विभाग जैसा कोई व्यवस्थित विभाग न था और न ही आजकल जैसे बड़े-बड़े विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के भवन थे और न प्रकाशित पुस्तकों की अकूट राशि थी। उस समय के लिखे गए ग्रन्थ आज भी मौलिक ग्रंथों में स्थान पाते हैं। गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का आदर्श जो आज हमें दुर्लभ दिखाई देता है, उसका साकार रूप हमें मध्ययुगीन राजस्थान में दिखाई देता है। हो सकता है कि परिमाण में शिक्षा का विकास आज के युग की भांति न हुआ हो, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस वक्त की शिक्षा के परिणाम गुणात्मक रूप से सन्तोषजनक थे।

सन्दर्भ

1. शर्मा, जी.एन., राजस्थान थ्रू दी एजेज, पार्ट 2 (1300-1761 ए.डी.) राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 1990, पृ. 346

2. पिता द्वारा अपने पुत्र को अपने घर पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी दी जाने वाली शिक्षा
3. बस्ती के निकट वह जगह जहां गुरु का आश्रय स्थल होता था, शिष्य को इन आश्रमों में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी होती थी
4. जैन मुनि व साधुओं का आवास स्थान जो नगरों व कस्बों में होते थे, जहां जैन धर्म की शिक्षा व अन्य विषयों का ज्ञान कराया जाता था
5. वह स्थान जहां साधु और संत लोग शिक्षा सम्बन्धी चर्चा, व्याख्यान आदि के द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते थे
6. मुस्लिम धार्मिक शिक्षा के स्थल
7. शर्मा, जी.एन., राजस्थान श्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 346
8. वही, पृ. 346
9. शर्मा, जी.एन., राजस्थान श्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 347
10. व्यास, डॉ. प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 107-110
11. वही, पृ. 108
12. शर्मा, जी.एन., राजस्थान श्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 346
13. उदयपुर जिले में राजनगर के निकट पीपली गांव
14. व्यास, डॉ. प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 108-109
15. वही, पृ. 108
16. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातत्व भाग 1, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1973, पृ. 148-149
17. व्यास, प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 108-109
18. पूर्वोक्त, पृ. 109; शर्मा, जी.एन., राजस्थान श्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 348
19. एनुअल रिपोर्ट इण्डियन एपिग्राफी 1956-57, पृ. 5, बी 108; जैन शिलालेख संग्रह, पृ. 64-64
20. शर्मा, जी.एन., राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पूर्वोक्त, पृ. 136-137
21. वही, पृ. 172
22. दरगाह में सेवा करने वाले (खिदमत करने वाले)
23. शर्मा, जी.एन., राजस्थान श्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 350
24. दरगाह फाइल नं. 3; दस्तूर कौमवार, भाग 1, पृ. 503-565
25. व्यास, डॉ. प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 112
26. शर्मा, जी.एन., राजस्थान श्रू दी एजेज, पृ. 348
27. व्यास, डॉ. प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 110
28. वही
29. कान्हड़ दे प्रबंध, छन्द 3, 4, 23-30;
30. व्यास, डॉ. प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 110-111
31. शर्मा, गोपीनाथ, बिबलियोग्राफी ऑफ मिडाइवल राजस्थान, पृ. 13
32. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पूर्वोक्त, पृ. 172 व 165
33. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग 2, प्रकरण 11, पृ. 1177-81

34. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पूर्वोक्त, पृ. 131, 189-190
35. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर का इतिहास, भाग 1, पृ. 279
36. श्यामलदास, वीर विनोद, भाग 2, प्रकरण 11, शेष संग्रह 5, पृ. 1181-1191
37. राजेन्द्र प्रसाद, बीकानेर के शिलालेख एक ऐतिहासिक अध्ययन (1517-2028 वि.सं.), परमानन्द पब्लिकेशन्स, बीकानेर, 1990 ई., पृ. 1-204; टंकशाली रत्न शर्मा मूर्ति लेख (1691 वि.सं.)
38. आर्य, हरफूल सिंह, मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1999, पृ. 87
39. व्यास, प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 111
40. शर्मा, जी.एन., राजस्थान थ्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 349
41. वही, पृ. 111
42. दस्तूर कौमवार, भाग 1, वि.सं. 1800-1862 (1743-1805 ई.)
43. एनुअल रिपोर्ट राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, 1932, पृ. 4-6; वरदा, वर्ष 6, अंक 3, पृ. 2
44. इस्लाम धर्म के ज्ञाता (विद्वान)
45. आर.आर. दिवाकर, बिहार थ्रू दी एजेज, ओरियंटल लॉगमेन, 1959, पृ. 436-437
46. आर्य, हरफूल सिंह, मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, जयपुर, 1999, पृ. 87
47. साहु, किशोरी प्रसाद, मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष, पूर्वोक्त, पृ. 126-139
48. भट्टालक पट्टावली, वि.सं. 1704; सियाह हजूर, सं. 128, वि.सं. 1828, पृ. 1719
49. जांघों के नीचे हाथ ले जाकर कान पकड़ना
50. शर्मा, जी.एन., राजस्थान थ्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 349
51. जावर की प्रशस्ति (1497 ई.); एनुअल रिपोर्ट राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, 1924-25
52. शर्मा, जी.एन., राजस्थान इतिहास के स्रोत, पूर्वोक्त, पृ. 350
53. अभय विलास, पृ. 19; गीत गोविन्द, पृ. 69
54. व्यास, प्रकाश, राजस्थान का सामाजिक इतिहास, पूर्वोक्त, पृ. 111
45. शांतिनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, जैसलमेर (1526 ई.); शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान इतिहास के स्रोत, पूर्वोक्त, पृ. 162; जैन शिलालेख, भाग 3, पृ. 36 (नं. 2154)
45. कुम्भलगढ़ स्मारक, वि.सं. 1517 (1460 ई.); एनुअल रिपोर्ट राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, 1925-26
57. जगन्नाथ राय प्रशस्ति (1652 ई.); ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 2, पृ. 526-529
58. शर्मा, जी.एन., राजस्थान थ्रू दी एजेज, पूर्वोक्त, पृ. 351

सिरोही जिले के प्रमुख शिलालेख

डॉ. उदयसिंह डिंगार

पौराणिक काल से ही आबू अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध रहा है। पौराणिक वृत्तान्त, जनश्रुतियां, गुफा, मन्दिर, पुराअवशेषण समेत कई ऐतिहासिक साक्ष्य अबुर्दारण्य की महत्ता को आज भी आलोकित किए हुए है। विदेशी आक्रान्ताओं एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के शासन काल विषयक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में अबुर्द मण्डल में पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में सैकड़ों शिलालेख विद्यमान है। कुछ प्रमुख शिलालेखों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं. शिलालेख का नाम, सन् एवं विवरण

1. शांतिनाथ जैन मंदिर शिलालेख, ग्राम सिवेरा तहसील पिंडवाड़ा (सिरोही)-1232 ई., वि.स. 1289-शिलालेख शांतिनाथ जैन मंदिर ग्राम सिवेरा तहसील पिंडवाड़ा के द्वार पर लगा हुआ है। इस शिलालेख में महाराव विजयराज देवड़ा के युवराज के रूप में किये गए कार्यों अभियानों एवं उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। उक्तकाल के समय सिरण्वा पर्वत के आस पास देवड़ा चौहानों के अधिकार होना ज्ञात होता है
2. सोनाधरी महादेव मंदिर शिलालेख ग्राम टोकरा तहसील रेवदर (सिरोही)-1276 ई., 1289 वि.सं.-यह लेख महाराव बिजड़ (विजयराज) के राज्य काल का है इस लेख से सोनाधारी मंदिर की प्रतिष्ठा महाराव बिजड़ द्वारा करवाने की जानकारी मिलती है। सिरोही के देवड़ा चौहानों का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेख है
3. हनुमान मंदिर ग्राम सनपुर तहसील सिरोही जिला सिरोही का शिलालेख-1277 ई., 1333 वि.सं.-यह लेख जालोर के सोनीगरा चाचिंगदेव चौहान का है। लेख से ज्ञात है कि चाचिंगदेव ने इस क्षेत्र में मुस्लिमों के आधिपत्य को रोका था। जालोर के सोनीगरा चौहाना एवं सिरोही के देवड़ा चौहानों की राज्य की सीमा तय होने का सूचक भी है।
4. बसन्तगढ शिलालेख तहसील पिंडवाड़ा जिला सिरोही-625 ई., 682 वि.सं., बसन्तगढ का यह लेख अति प्राचीन है जो अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। लेख से श्री माल (भीनमाल) साम्राज्य के विषय में जानकारी उपलब्ध होती है

5. बसन्तगढ शिलालेख तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही-1042 ई., 1009 वि.सं., यह लेख बसन्तगढ की लोहिनी बावड़ी का है लेख से परमार राजा उत्पलपाल से पूर्ण पाल तक के आबू के परमारों की वंशावली ज्ञान होता है।
6. केरगांव का लेख तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही-967 ई. 1024 वि.सं., केर गांव के शांतिनाथ मंदिर पर स्थित यह खंडित लेख आबू के परमार अरण्यराज के विषय में है, जो परमार शासन काल के विषय में महत्वपूर्ण सूचक है।
7. पाटपरायण मंदिर गिरवर का लेख तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही-1287 ई., 1344 वि.सं., गिरवर के पाटनारायण मंदिर में स्थित इस लेख से आबू के परमारों की उत्पत्ति एवं वंश परम्परा विषयक जानकारी प्राप्त होती है। लेख में देशी शब्दों - ढीबड़ा, पायली, आदि प्रयोग हुआ है
8. अजारी के चार शिलालेख तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही-1145 ई., 1202 वि.सं., परमार राजा यशोधवल के विषयक जानकारी उपलब्ध
1166 ई., 1223 वि.सं. परमार राजा रणसिंह के विषयक जानकारी उपलब्ध
1190 ई., 1257 वि.सं. परमार राजा धारावर्ष के विषयक जानकारी उपलब्ध
1263 ई., 1320 वि.सं. बघेल (सोलंकी) राजा अर्जुन देव के विषय में जानकारी उपलब्ध
9. बामनवाडजी का शिलालेख तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही 1192 ई., 1249 वि.सं. धारेश्वर महादेव मन्दिर बामनवाडजी में लगा यह लेख धारावर्ष परमार के शासनकाल की जानकारी के लिए अति उपयोगी है। इस लेख से बामनवाडजी के इस मन्दिर के हिन्दू मन्दिर होने की पुष्टि होती है।
10. कांटल शिव मन्दिर का लेख तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही-1214 ई., 1271 वि.सं. इस लेख में हथुण्डिया राठौड़ और उसके पुत्र लाखण सिंह, कमण तथा शोभा के नाम अंकित होने से यह लेख राठौड़ों के जोधपुर से स्थापित होने से पूर्व यहाँ विद्यमान होना दर्शाता है।
11. कासिन्द्रा का शिलालेख तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही-1034 ई., 1091 वि.सं., कासीहुद्व के जैन मन्दिर में लगे इस लेख से भीनमाल के समृद्ध नगर होने एवं इस क्षेत्र से व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध होने विषय जानकारी प्राप्त होती है अर्थात् चन्द्रावती एवं श्रीमाल के व्यापारिक वाणिज्यक संबंध थे।
12. सूर्य मन्दिर वरमाण का शिलालेख तहसील रेवदर जिला सिरोही-1019 ई., 1076 वि.सं. इस लेख के अनुसार सोहप नामक व्यक्ति द्वारा मन्दिर को जमीन अर्पित करने का उल्लेख है। जिससे मन्दिर व्यवस्था के लिए लोगों द्वारा स्थायी

सम्पत्ति अर्पित करने की परम्परा का भान होता है। लेख में अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ज्ञात होता है।

13. झाड़ोली का शिलालेख तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही-1198 ई., 1255 वि.सं., जैन मंदिर झाड़ोली के इस प्रशस्त लेख में धारावर्ष परमार की रानी श्रृंगारदेवी (नाडोल के चौहान केलहन की पुत्री) द्वारा मंदिर को सम्पत्ति भेंट देने एवं चौहानों की वंशावली का ज्ञान होता है।
14. देवखेतर का शिलालेख तहसील रेवदर जिला सिरोही-1236 ई., 1293 वि.सं., यह लेख आबू के परमार शासक सोमसिंह के समय का है जिससे इनके विषयक जानकारी उपलब्ध होती है।
15. दताणी का लेख तहसील रेवदर जिला सिरोही-1288 ई., 1345 वि.सं., जैन मंदिर दताणी के इस लेख से चन्द्रावती के शासक बिसलदेव, गुजरात के सारंगदेव व दताणी के परमार ठाकुर, राजदेव, प्रतापसिंह आदि के नाम होने से ज्ञात होता है कि यह इलाका चन्द्रवती के अधीन था।
16. विमलवसहि मंदिर लेख आबूपर्वत जिला सिरोही-1321 ई., 1378 वि.सं., इस प्रशस्त लेख से नाडोल के चौहान राजा आसराव से लेकर देवड़ा चौहान महाराव लुम्बा एवं तेजसिंह तक की वंशावली दी गई है। 1323 ई., 1380 वि.सं.-इस लेख में आबू के परमारों के साथ ही प्रतिहारों, बाघेलों के विषयक जानकारी के साथ ही जैन मंदिर व्यवस्था परम्परा एवं विशेषता की भी जानकारी मिलती है।
17. देलवाडा मंदिर लेख आबूपर्वत जिला सिरोही-1230 ई., 1287 वि.सं., इस लेख में अन्हिलपुर पाटण के सोलंकी राजाओं की प्रशस्त तथा मंदिर निर्माताओं के वंश वैभव का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह प्रशस्त बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण सुचनार्यें भी देती है। 1230 ई., 1287 वि.सं.-इस दूसरे लेख में आबू परिमण्डल के गावों को लुणवसहि मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी का ज्ञान होता है। साथ ही समाज व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। 1468 ई., 1525 वि.सं.-यह लेख पीतलहर मंदिर देलवाडा में स्थित है। लेख में अर्बुद मण्डल पर देवडा चौहानों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। साथ ही लेख में आबू पर हुई राजनीतिक उथल-पुथल का दृश्य नजर आता है।
18. अचलेश्वर मंदिर लेख आबू पर्वत जिला सिरोही-1237 ई., 1294 वि.सं., यह लेख अचलेश्वर महादेव को नमन करते हुए गुजरात के सोलंकीयों, आबू के परमारों तथा जैन वस्तुपाल, तेजपाल के विषय में विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। 1285 ई., 1342 वि.सं.-इस विस्तृत लेख में मेवाड के बप्पा रावल से लेकर

समरसिंह तक के राणाओं की वंशावली दी गई है। साथ ही मेवाड़ी राणाओं, मेवाड़ के प्राकृतिक तथा आबू के सौन्दर्य विषयक भौगोलिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है।

19. ओरिया (आबूपर्वत) लेख आबू पर्वत जिला सिरोही-1208 ई., 1265 वि.सं. लेख के अनुसार गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव के सामंत आदि के परमार राजा धारावर्ष के काल की जानकारी मिलती है।
20. बागसीन शांतिनाथ मंदिर लेख तहसील शिवगंज जिला सिरोही-1302 ई., 1359 वि.सं. शांतिनाथ मंदिर बागसीन पर लगा यह लेख सिरोही के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है।
21. पालड़ी का लेख तहसील शिवगंज जिला सिरोही-1184 ई., 1241 वि.सं., यह लेख नाडोल के शासकों के विशय में जानकारी देता है। लेख से नाडोल के चौहानों के इस क्षेत्र पर अधिकार होने की पुष्टि भी होती है। 1192 ई., 1249 वि.सं.-इस लेख में नाडोल के शासक केलहण द्वारा मंदिर को द्रम अर्पण करने का जिक्र है। लेख से ज्ञात है कि नाडोल के शासक जैन मंदिरों के भी संरक्षक थे।
22. वशिष्ठाश्रम प्रशस्ति आबू पर्वत जिला सिरोही-1337 ई., 1394 वि.सं., इस लेख में देवड़ा चौहान तिहुणक, कान्हड़देव, सामंतसिंह आदि के नामों के साथ जातीय विशेषणों का प्रयोग हुआ है। सिरोही के देवड़ा चौहानों के विषयक यह प्रशस्ति अति महत्वपूर्ण है।
23. अचलगढ का लेख आबूपर्वत जिला सिरोही 1320 ई., 1377 वि.सं., लेख में चन्द्रावती, अर्बुदमण्डल, शाकम्भरी आदि प्रदेशों का वर्णन है। साथ ही अचलेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पूजा व्यवस्था संबंधी उल्लेख है। 1449 ई., 1506 वि.सं.-यह लेख महाराणा कुम्भा (मेवाड़) के आबू पर अधिकार की पुष्टि करता है। लेख से तत्कालीन लगान व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है।
24. महुआजी मंदिर लेख तहसील आबुरोड़ जिला सिरोही-1188 ई., 1245 वि.सं. मधुसुदन मंदिर पर स्थित यह लेखदान दक्षिणा संबंधी है लेख से साधु संन्यासियों के सम्मान एवं दक्षिणा संबंधी जानकारी उपलब्ध होती है।
25. ऋषिकेश मंदिर लेख आबुरोड़ जिला सिरोही-1542 ई., 1599 वि.सं., ऋषिकेश मंदिर स्थित यह लेख तत्कालीन शासको के धर्मनिष्ठ होने की पुष्टि कराता है
26. हाथल का ताम्रलेख तहसील रेवदर जिला सिरोही-1180 ई., 1237 वि.सं., हाथल के इस ताम्रलेख से परमार राजा धारावर्ष द्वारा हाथल ग्राम के ब्राह्मणों को गोचर भूमि इनायत किये जाने का उल्लेख है साथ ही लेख से पशुओं के चारागाह व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त होती है।

27. महादेव मंदिर नादिया तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरौही-1241 ई., वि.सं. 1298 पोष बदी 03, ग्राम नन्दनी वर्धनपुर (नादिया) के इस लेख में राठौड़ वीर कमण एवं भीम का उल्लेख है। जो हस्तीकुंडी के राठौड़ों से सम्बन्धित हो सकते हैं। उक्त लेख का उल्लेख भूरसिंह केफाना ने अपनी पुस्तक 'मारवाड में राठौड़ साम्राज्य का उदय एवं विस्तार' में किया है।
28. धांधपुर का लेख तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरौही -1290 ई. वि.सं.1347, यह लेख प्राचीन ग्राम धांधपुर में है जो अब उजड़ चुका है पूर्व में यह बाड़ा चौहानों की जागीर रही है। लेख में पातलखी परमार पुत्र अर्जुन का उल्लेख है। लेख चन्द्रावती के परमार शासनकाल विषयक महत्वपूर्ण साक्ष्य है
29. धनारी का जैन मंदिर लेख तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरौही-1291 ई. वि.सं. 1348, उक्त प्रस्तर लेख में परमार वंशीय शासक सालासुत का जिक्र है, लेख में ग्राम धनारी स्थित जैन मंदिर के जिर्णोद्धार उक्त परमार शासक द्वारा करवाया जाना ज्ञात है।
30. लूणवसहि मंदिर लेख आबूपर्वत जिला सिरौही-वि.सं. 1287 फाल्गुन कृष्ण तृतीय के लूणवसहि मंदिर की उक्त प्रशस्ति से आबू-चन्द्रावती के परमार शासकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लेख में विस्तृत परमार वंशीय शासकों की वंशावली एवं जैन तेजपाल के व्यापार वाणिज्य की योग्यता आदि के जानकारी प्राप्त होती है।
31. खोबालेख जिला सिरौही -1405 ई., 1463 वि.सं., यह लेख खोबी की सिरौही पुरानी सिरौही (शिवपुरी) स्थित जैन मंदिर में स्थित है। सिरौही के महाराव शिवभान (1392-1425 ई.) के काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य है
32. सारणेश्वर मंदिर लेख जिला सिरौही-वि.सं. 1758 के इस लेख में वैजनाथ के धाम पर पुजारी जगसी एवं सौतसी के क्रमशः वि.सं. 1132 व 1184 में काम आने का वर्णन है
33. मुण्डस्थल (मुगंथला) जैन मंदिर लेख आबुरोड़ जिला सिरौही-1273 वि.सं., इस लेख में प्राचीन काल में भगवान महावीर के छद्म अवस्था में इस क्षेत्र में विचरण करने की जानकारी मिलती है।
34. सारणेश्वर मंदिर लेख गुम्बज जिला सिरौही-1742 वि.सं., सारणेश्वर मंदिर के इस लेख में सिरौही के महाराव अक्षपराज द्वारा इस मंदिर में एक नन्दी की प्रतिष्ठा करने का विवरण मिलता है।

अलवर राज्य की स्थापत्यकला महाराजा विनयसिंह (1826 ई. से 1857 ई.) के विशेष सन्दर्भ में डॉ. फूल सिंह सहारिया एवं विमल कुमार कोली

अलवर राज्य की स्थापना 1875 में राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई अलवर राज्य में राव प्रताप सिंह, राव राजा बख्तावर सिंह, विनय सिंह, शिवदान सिंह, मंगल सिंह, जयसिंह और तेज सिंहने शासन किया। इन नरूका शासकों द्वारा न केवल अच्छा शासन दिया बल्कि सांस्कृतिक पक्ष पर भी बराबर ध्यान रखते हुये अलवर पर चहुमुखी विकास किया। अलवर नरेशों द्वारा विशेषकर प्रतापसिंह द्वारा अलवर राज्य की स्थापना के साथ ही विभिन्न किलों का निर्माण करवाया और कइयों का जिर्णोद्धार करवाया² अलवर राज्य में इन नरूका शासकों द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में विभिन्न किले बावड़ियाँ, महलों, छतरीयों आदि का निर्माण किया।

1770 से राव प्रताप सिंह ने अनेक किलों का निर्माण करवा करके यहां की स्थापत्य कला को समृद्ध किया³ राजगढ़ का किला स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दुर्ग की बारहदरिया, छतरियां, गवाक्ष, चित्रशाला, सीताराम जी का मन्दिर देखकर ज्ञात होता है कि ये राजपूत कला के प्रतीक है।⁴ बख्तावर सिंह द्वारा चित्रकार डालूराम के माध्यम से राजगढ़ के महलों में चित्र बनवाये, स्थापत्य की दृष्टि से जनाना महल का निर्माण करवा और कृष्ण कुण्ड के पानी को रोककर विशाल सागर बनवाया। इसी प्रकार विनय सिंह द्वारा स्थापत्य की दृष्टि से अलवर के चार चाँद लगा दिये जिसका वर्णन विस्तार से आगे किया जायेगा। तिजारा सरकार के राव राजा बलवन्त सिंह ने भी तिजारा की ऊँची पहाड़ी पर किला बनाने के क्रम में बारह दरी अपनी माँ की याद में मुसी महारानी की छतरी जनाना महल तथा दरवार हॉल आदि बनाना प्रारम्भ किया राव राजा शिव दान सिंह संगीत प्रेमी था जिसके दरबार में संगीतकारों, गायकों को आश्रय देकर सांस्कृतिक परिवेश को अधिक उजागर किया। विक्टोरिया शैली में बड़े बाग में उन्होंने एक गोल कोठी बनवायी जो कलर का उत्तम उदाहरण है महाराजा मंगलसिंह के द्वारा भी बड़े बाग में एक गोल कोठी बनवायी जो आज भी राजर्षि पुस्तकालय के रूप में देखी जा सकती है महाराजा राजर्षि जयसिंह के स्थापत्य की दृष्टि से काया पलट दी।⁵

रावराजा विनय सिंह और स्थापत्य कला – राव राजा विनय सिंह का समय 1826 ई. से 1857 ई. तक रहा है इन्होंने अपने समय के अलवर राज्य में कला एवं

संस्कृति को उच्च स्तर तक पहुँचाया। स्थापत्य एवं अन्य कलाओं में उनकी गहरी रूचि थी इसलिए अलवर राज्य में पोथीखाना, पील खाना, रथ खाना, रत्न शाला, शास्त्र शाला आदि की स्थापना के साथ ही शहर में महल विनय विलास, मोती डूंगरी, सीलीसेढ़, महल तथा दरबार हॉल आदि का निर्माण करवाया।⁶ अलवर के इतिहास में विनय सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। इनका शासन काल अलवर के इतिहास में स्थापत्यकला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। अलवर को कलात्मक परिवेश से सुशोभित करने का श्रेय इन्हें ही है। स्थापत्यकला की दृष्टि से महाराजा विनयसिंह जी ने हर महल से लेकर विनय विलास तक के निर्माण द्वारा अलवर को सुन्दर बनाया।⁷

स्थापत्यकला के प्रति जितने जागरूक महाराजा विनयसिंह जी थे उतना अन्य कोई शासक नहीं रहा। अलवर को कलात्मक परिवेश से सुशोभित करने का श्रेय आपको ही प्राप्त है। यही कारण है कि कला प्रेमी जनता के हृदय में महाराजा विनयसिंह के लिए अटूट श्रद्धा है।⁸ पुराने राजमहलों से सटे हुए अन्य राजप्रासाद जिनमें शीतल निवास या शीशमहल, आमखास आदि का निर्माण महाराजाधिराज विनयसिंह ने 1848 ई. में करवाया था तथा उन्होंने यहाँ पर एक पुस्तकशाला का निर्माण भी करवाया था।⁹ इस शहर के महल शीशमहल, दीवानेखास, छतरियां आदि राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला से प्रभावित हैं। सागर को भी नया रूप देने का श्रेय भी इन्हें ही है। जिन्हें देखने से अलवर के महाराजाओं के स्थापत्यकला के प्रति अभिरूचि प्रकट होती है।¹⁰

मूसी महारानी की छतरी

अलवर में सागर पर स्थित मूसी महारानी की विशाल ऐतिहासिक छतरी नरूकावंशीय राजपूती शान तथा स्थापत्यकला की एक महान धरोहर के रूप में आज भी विद्यमान है।¹¹ सागर के दक्षिण की ओर यह विशाल गोलाकार लाल पाषाण तथा संगमरमर की बनी सुन्दर छतरी विद्यमान है। इस छतरी को महाराजाधिराज श्री बख्तावरसिंह की छतरी भी कहते हैं। सागर के तट पर इस स्थान पर एक छतरी बनाने की आज्ञा स्वयं महाराजाधिराज श्री बख्तावरसिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही प्रदान कर दी थी। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके उत्तराधिकारी सवाई महाराज श्री विनयसिंह जी ने रामू जी खवास तथा ठा. अखेसिंह बांकावत की देखरेख में सन् 1815 ई. में स्मारक स्वरूप इसे बनवाया था।¹² अलवर नगर के दर्शनीय स्थानों में यह छतरी भी दर्शनीय है। इसकी शिल्पकारी प्रशंसनीय है। सागर के ऊपर दक्षिण दिशा में लगभग 150 फुट लम्बा तथा उतना ही चौड़ा एक चबूतरा है। जिस पर बंशी के लाल चौकोर पत्थर के चौके लगे हैं। जिनसे इसका फर्श बहुत सुन्दर दिखाई देता है। इस चबूतरे के बीचोंबीच दो मंजिल की यह छतरी बनी हुई है। छतरी की नीचली मंजिल

पर नाली, लाल बंशी के पाषाण की बनी हुई है।¹³ इस मंजिल में चारों ओर परिक्रमा पथ है। छतरी के गोल अण्डे के नीचे मकान है। इसके इधर-उधर चोकोर कोठरी बनी हुई है। नीचे वाली मंजिल में पश्चिम की ओर ऊपर की मंजिल में पहुँचने के लिए आमने-सामने दो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। छतरी के चारों ओर लाल पाषाण की चार बुर्ज है।¹⁴ प्रत्येक बुर्ज पर एक लाल पाषाण स्तम्भ की सुन्दर छतरी है। चारों ओर की छतरियों के मध्य में चारों ओर शिखरनुमा कमानियाँ हैं जिनमें आठ-आठ स्तम्भ लगे हैं। इन कमानियों पर पांच-पांच कलश है। यह विशाल छतरी संगमरमर के बारह विशाल स्तम्भों पर टिकी हुई है। इसके बाहर चार द्वारी में चारों ओर 27 संगमरमर के बड़े स्तम्भ हैं।

इस छतरी के बीचों-बीच संगमरमर की सुन्दर वैदिका है। जिस पर महाराजा श्री बख्तावरसिंह तथा महारानी मूसी जो महाराजा के साथ सती हुई थी की चार चरण पादुकाएँ हैं। छतरी के अण्डे के नीचे भाग में श्री कृष्ण, श्री रामचन्द्र जी, लक्ष्मण तथा सीता माताजी आदि देवताओं के चित्र चित्रित हैं। इन चित्रों की उत्तर की ओर महाराजा की आकृति खुदी हुई है। इसके बाईं ओर महाराजा श्री बख्तावरसिंह जी हाथियों के युद्ध कौशिक का निरीक्षण कर रहे हैं जिसका चित्र चित्रित है।¹⁵ दाहिनी ओर सांडनी पर सवार महाराजा श्री बख्तावरसिंह जी और उसके खवास लच्छीराम जी तथा आगे पैदल छैला गूजर का चित्र खुदा है। दक्षिण की ओर भी संगमरमर में खुदे हुए महाराजा की जुलूस सवारी के चित्र हैं। इस जुलूस सवारी के चित्र में महाराजा अपने सम्पूर्ण शाही लवाजमें के साथ विराज रहे हैं। जिसमें समस्त सामन्तगण तथा सेवकगणों के चित्र श्री खुदे हुए हैं। इस चित्र के दाहिनी ओर ताड़ के वृक्ष की आड़ में श्री महाराज अवध बिहारी रामचन्द्र जी बलि का वध कर रहे हैं। इसका चित्र दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य देवतागणों तथा महाराजा श्री बख्तावरसिंह तथा गुरु निश्चयनाथ जी का चित्र खुदा हुआ है।¹⁶ इस छतरी में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग खास तबेला होकर जाता है। दूसरा मार्ग राजप्रसाद की ओर से सागर के ऊपर से जाता है तीसरा मार्ग लादीया की ओर से जाता है इस सम्पूर्ण छतरी के निर्माण में लगभग दो लाख रूपये खर्च हुए थे।¹⁷ स्थापत्य कला का भावुकता पूर्ण चित्र कविवर नाथूराम भारद्वाज ने इस प्रकार अंकित किया है-

*अरे राजपूताने के शुभ गौरव, शिल्प कला के प्राण ।
ओ, नारी जग के पावनतम, मंगल मय आदर्श महान ।।
महा महिम मूसी रानी के, अमर स्मारक पुण्य प्रकाश ।
अडिग अरावलि के अंचल में करते कब से समुद विलास ।।¹⁸
प्रतिबिम्बित हो सागर-जल में बढ कर फिर लहरों के संग ।
छूने को चरणारविन्द तब, भरता रहता अमित उमंग ।।*

धन्य-धन्य पाति-ब्रत-प्रतिमा, हे मूसी के अमर-सुहाग।
बलिहारी तब पद-पद्मों पर, कोटि-कोटि शत पुण्य-प्रयाग।।.....¹⁹

रात -

विनय विलास से एक छाया निकलती
है काले सन्नटे में बैठ विशाल दर्पण
में अतीत देखती है।²⁰

विनय विलास महल -

विनय विलास विनयसिंह जी का प्रमुख महल था।²¹ जिसे महाराजा विनय सिंह ने अपने आवास के लिए 1849 ई. में बनवाया था। यह कलात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण महल है।²² बहुत बड़ा बाग लगवाकर उसके बीच में उन्होंने संगमरमर के स्तम्भों एवं जालियों से युक्त राजपूत एवं मुगल शैली का यह सुन्दर महल बनवाया। उसके सामने संगमरमर के पत्थरों की जड़ाई का बना सरोवर कला का अनुपम उदाहरण है।²³ इस सर्वोत्तम महल विनय विलास में महाराज विनय सिंह प्रायः निवास करते थे। कलात्मक शैली की दृष्टि से इस महल की इमारत अध्ययन योग्य है। इस महल की शैली भरतपुर राज्य के डीग के महलों के अनुरूप है। पुराने महलों की अपेक्षा इसमें एक विशेषता यह है कि इसके कमरे बड़े हैं जो पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अधिक सुविधाप्रद बनाए गए हैं।²⁴

विनय विलास महल यद्यपि पूरी तरह से जर्जर और खण्डहर हैं किन्तु इसका अतीत अत्यन्त समृद्ध रहा है। जहाँ एक ओर महल के बाग में आम, जामुन, अमरूद, अनार, नीबू के फलदार वृक्ष थे।²⁵ वहीं दूसरी ओर गुलमोहर, सुगन्धित देवदार जैसे छायादार वृक्ष भी थे। कहीं-कहीं संगमरमर का प्रयोग महल के निर्माण में किया गया है। महल में बसंतोत्सव मनाया जाता था। इस अवसर पर नृत्य-गान, नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन होता था, जिसमें राजपरिवार का मनोरंजन किया जाता था। इस उत्सव पर सम्पूर्ण रात्रि में इस राज महल में विलासिता का वातावरण रहता था।²⁶ यह विनय विलास महल इण्डोसोरसेनिक शैली का अनुपम दृष्टान्त है।²⁷ यह 'विनय विलास' कोठी उन्हीं की स्मृति का चिन्ह है। जिसमें आजकल राजर्षि कॉलेज चल रहा है। इस महल का चतुष्कोणीय प्रांगण बहुत ही भव्य था। अनेक सीढ़ियाँ दरबार सभागार तक ले जाती हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर तीन सफेद छत्रियाँ बनी हैं। महल के निर्माण में मुगल व राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है।²⁸ इसका चित्रण कवि जुगमन्दिर तायल ने इस प्रकार किया है-

साँझ होते ही सन्नटा उतर आता है अंधकार
में सब कुछ डूब जाता है।

विनय विलास से एक छाया निकलती
है विशाल-दर्पण में झुक भविष्य
देखती ।²⁹

सीलीसेढ़ महल

अलवर नगर से दक्षिण पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर किशनपुर ग्राम के पास सीलीसेढ़ नामक बांध है। इस बांध का निर्माण महाराव राजा विनय सिंह ने करवाया था। इस बांध के ऊपर की ओर पहाड़ की चट्टान पर एक सुन्दर भवन बना हुआ है।³⁰

एक पहाड़ी पर बने हुए इस विशाल महल को देखकर अलवर के महाराजा विनय सिंह का वैभवपूर्ण इतिहास उत्तर आता है। इस महल के पत्थरों में भी एक अत्यधिक मृदुल कहानी सोयी हुई है। महाराजा विनय सिंह जी की रानी शीला, शहर के शोर-शराबे पूर्ण वातावरण को बिल्कुल पसन्द नहीं करती थी, इसलिए महाराजा विनयसिंह जी ने शहर से दूर अपनी रानी के लिए यही उपर्युक्त स्थान समझा और यहाँ पर इस महल का निर्माण करवाया था।³¹

यद्यपि राजस्थान सरकार ने इस महल को राजस्थान होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तब भी यह महल अपनी पुरानी कहानी कहने में पूर्ण सक्षम है। महाराजा विनय सिंह की महारानी शीला के नाम पर ही इस स्थान का नाम सीलीसेढ़ पड़ा था ऐसा लोगों का अनुमान है।³² जिसमें पारम्परिक राजपूत शैली का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इस बांध के मध्य भाग अर्थात् पानी के भीतर एक जल महल महाराव राजा श्री शिवदानसिंह जी के द्वारा बनवाया हुआ अधूरा पड़ा है।³³ महाराजा विनयसिंह जी का अलवर की राजपूती स्थापत्य कला के निर्माण में जो योगदान रहा है, वह अविस्मरणीय है। इसकी कला पर राजपूत स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। महाराजा विद्वानों, कलाकारों, कारीगरों आदि का आदर करते थे तथा उन्हें दरबार में विशेष आदर देते थे। महाराजा विनयसिंह जी का अलवर के इतिहास में वही स्थान है जो मुगल इतिहास में अकबर का है।

संदर्भ

1. डॉ. जयसिंह नीरज, डॉ. बेला माथुर, अलवर की चित्रांकन परम्परा, पृ. 5-13
2. श्यामलदास, वीर विनोद, पृ. 1377
3. विनय : अलवर अंक, 1969, पृ. 80
4. डॉ. जयसिंह नीरज, डॉ. बेला माथुर, अलवर की चित्रांकन परम्परा, पृ. 21
5. डॉ. जयसिंह नीरज, बेला माथुर, वही पृ. 21, 22
6. डॉ. जयसिंह नीरज, बेला माथुर, अलवर की चित्रांकन परम्परा, पृ. 21

7. राजा रामसिंह - जयजगदम्बे सुयश, पृ. 13
8. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 50
9. क्रमांक 861 बधांक 123 ग्रन्थांक 1, पृ. 5 रा.रा.अभि.बीकानेर
10. जयसिंह नीरज - विनय अलवर, अंक, पृ. 50
11. राजा रामसिंह - जयजगदम्बे सुयश, पृ. 4
12. क्रमांक 156 बधांक 23 ग्रन्थांक 1, पृ. 10 रा.रा.अभि. बीकानेर
13. क्रमांक 156 बधांक 23 ग्रन्थांक 1, पृ. 10 रा.रा.अभि.बीकानेर
14. वही
15. वही, पृ. 11
16. क्रमांक 156 बधांक 23 ग्रन्थांक 1, पृ. 11 रा.रा.अभि. बीकानेर
17. वही, पृ. 12
18. जयसिंह नीरज- विनय अलवर अंक, पृ. 136
19. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 137
20. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 137
21. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 50
22. सुरेश पण्डित- अलवर कल आज और कल, पृ. 38
23. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 50
24. अनिल जोशी - अलवर का कलात्मक खजाना, पृ. 30
25. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, द्ववर्णन जुग मन्दिर तायलत्र पृ. 137
26. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, द्ववर्णन जुग मन्दिर तायलत्र पृ. 137
27. अनिल जोशी - अलवर का कलात्मक खजाना, पृ. 42
28. राधेश्याम जोशी - सचित्र राजस्थान दर्शन, पृ. 29
29. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 137-138
30. क्रमांक 1765 बी बंधांक 236 ग्रन्थांक 5 बी, पृ. 69, 70, 71 रा.रा.अभि. बीकानेर
31. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 60, 61
32. जयसिंह नीरज - विनय अलवर अंक, पृ. 60, 61
33. क्रमांक 1765 बी बधांक 236 ग्रन्थांक 5 बी, पृ. 71, 72 रा.रा.अभि. बीकानेर

जयपुर में ताज़ियेदारी की परम्परा एवं इतिहास

जाहिदा शबनम

इस्लामी यानि हिजरी वर्ष का पहला माह मोहर्रम है। मुस्लिम धर्मग्रन्थ के अनुसार 61 हिजरी सम्बत (680 ई.) में चौथे खलीफा हज़रत अली¹ के निधन से उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। नया मनोनीत खलीफा यज़ीद व्यभिचारी और अधर्मी था। उसके गलत कार्यों एवं आचरण का हज़रत इमाम हुसैन² ने विरोध किया। इसी कारण मोहर्रम के महीने में एक यात्रा के दौरान हज़रत इमाम हुसैन, उनके परिवार के सदस्यों और अनुयायियों को खलीफा के सैनिकों ने घेरकर बंधक बना लिया। खलीफा के सेनापति उमर बिन साद ने मोहर्रम की 9 तारीख की रात को हज़रत हुसैन के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसमें उनसे सच्चाई के मार्ग को छोड़कर समर्पण करने के बदले जीवन-दान देने की पेशकश की। इस प्रस्ताव को हज़रत हुसैन ने निडरता से अस्वीकार कर दिया। अन्त में मोहर्रम की 10 तारीख 61 हिजरी सम्बत³ को हज़रत हुसैन साहब का भी सिर काट दिया गया। ये घटना इराक के कर्बला नामक स्थान पर घटित हुई थी। तब से ही उनकी याद में मोहर्रम का पर्व मनाया जाता है।

सन 680 ई. में कर्बला⁴ नामक स्थान पर एक धर्मयुद्ध हुआ था, जो पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन तथा अधर्मी खलीफा यज़ीद के बीच हुआ इस धर्मयुद्ध में यज़ीद ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके सभी 72 साथियों⁵, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी थे, को शहीद कर दिया, जिसमें हज़रत हुसैन का मात्र 6 माह का बच्चा⁶ भी शामिल था। तभी से तमाम दुनिया के न सिर्फ मुसलमान बल्कि अन्य धर्मों के लोग इस महिने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का ग़म मनाकर उन्हें याद करते हैं। 10 अक्टूबर 680 ई. को घटित कर्बला (इराक) की यह घटना विश्व इतिहास में बड़ी वीभत्स और निन्दनीय घटनाओं में से एक मानी जाती है।

भारत में मोहर्रम और ताज़ियेदारी

ताज़िये का अर्थ है 'प्रतिकृति'। दरअसल में ताज़िया हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े⁴ की प्रतिकृति है। जो लोग धन की कमी, बीमारी, वृद्धावस्था या लम्बी यात्रा की परेशानियों के कारण प्रतिवर्ष मोहर्रम के माह में कर्बला (इराक) में जाकर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े⁷ की ज़ियारत⁸ नहीं कर पाते वो अपने देश, शहर अथवा कस्बे में ही उस रोज़े की प्रतिकृति तैयार करके ज़ियारत कर सकते हैं।

भारत में ताज़ियेदारी का प्रारम्भ

भारत में ताज़ियेदारी की शुरुआत तैमूरलंग⁹ के भारत पर आक्रमण (1398-99 ईस्वी) से मानी जाती है। तैमूरलंग शिया मतावलम्बी था और इमाम हुसैन में बड़ी अक़ीदत (श्रद्धा) रखता था। वह हर वर्ष मोहर्रम के माह में हज़रत हुसैन के रोज़े के दर्शन करने कर्बला (इराक) जाया करता था। एक बार उसके भारत में प्रवास के दौरान वह बहुत बीमार हो गया और कर्बला नहीं जा सका। उसने दुआ मांगी और रात को ख़्वाब में उसे बशारत¹⁰ हुई कि तुम हज़रत हुसैन के रोज़े की नकल (प्रतिकृति) बनवाकर यहीं (भारत में ही) ज़ियारत कर लो। उसने तुरन्त अपने शिल्पकारों और सैनिकों को इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति तैयार करने का आदेश दिया। उस प्रतिकृति (ताज़िया) के दर्शन के बाद तैमूर स्वस्थ हो गया।¹¹ तब से भारत में प्रतिवर्ष मोहर्रम के माह में ताज़िये निकालने की प्रथा (जिसे 'ताज़ियेदारी' कहा जाता है) शुरू हो गई। कालान्तर में मुगलकाल और ब्रिटिश युग से लेकर आज तक भारत के विभिन्न हिस्सों में ताज़ियेदारी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

जयपुर रियासत में ताज़ियेदारी का प्रारम्भ

राजस्थान की जयपुर रियासत में ताज़ियेदारी को महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय (1835-1880 ईस्वी) के शासनकाल में अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। महाराजा सवाई रामसिंह स्वयं एक कलाप्रेमी एवम् संगीतज्ञ थे और हर क्षेत्र के कलाकारों के सच्चे पारखी थे।¹² उन्होंने ताज़िए बनाने वाले कारीगरों को उचित वेतन, नज़राने व राजकीय प्रश्रय दिया। उनके समय में ऐसे ताज़िए बनने लगे जिनमें जयपुर की स्थानीय ढूंढाड़ स्थापत्य शैली व मुगल निर्माण शैली का मिश्रण कर एक नई 'जयपुरी' ताज़िया निर्माण शैली का जन्म हुआ। एक बार महाराजा सवाई रामसिंह बहुत बीमार हो गए। कई नामी वैद्यों और हकीमों से ईलाज कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ तभी उनके दरबार के एक उच्चाधिकारी उस्ताद रजब अली ख़ाँ महाराज की कुशलक्षेम पूछने महल गए और उन्होंने ताज़िए पर से उतारकर लाई गई कलावे की डोरी महाराज को पहना दी। इसके बाद महाराज के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आने लगा और पूर्णतया ठीक होने पर महाराज की आस्था हज़रत हुसैन के ताज़िए में बेहद प्रगाढ़ हो गई। महाराज ने अपने सामन्त नवाब फ़ैज अली ख़ाँ को बुलाया और आदेश दिया कि तुरन्त राजकोष से सोने व चांदी का एक ताज़िया बनाया जाए। पण्डित नन्दकिशोर पारीक और फ़ैज अली ख़ाँ की देखरेख में सोने चांदी का एक उत्कृष्ट ताज़िया तैयार किया गया और त्रिपोलिया दरवाजे के पास आतिश के दरवाजे के गोखों पर ताज़िया रखा गया।¹³ यह परम्परा आज भी कायम है। प्रतिवर्ष मोहर्रम की नौ तारीख (हिजरी सम्बत्) को ढोल-ताशों के साथ आतिश के दरवाजे से ताज़िया रवाना होकर हवामहल तक आता है और वापस आतिश तक लौटता है। फिर अगले दिन मोहर्रम की दस

तारीख को पांच-सात सिपाहियों की निगरानी में ये ताज़िया कर्बला (जयपुर) तक ले जाया जाता है और पुनः अपने मूल स्थान पर लौटाकर लाया जाता है। इस ताज़िये को दफनाया नहीं जाता। इसके अतिरिक्त अन्य मोहल्लों के ताज़िये कर्बला में ले जाकर विधिवत दफन कर दिये जाते हैं।

जयपुर में 'कर्बला-शरीफ' की स्थापना

जयपुर शहर में रामगढ़ मोड़ के समीप एक पवित्र स्थान है जिसे 'कर्बला-शरीफ' के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष मोहर्रम की दस तारीख को शहर के हर ताज़िए को दफनाने के लिए यहाँ लाया जाता है। इस स्थान का निर्माण महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के शासनकाल में उनके ख्वासजी श्री रामप्रताप धाभाई के पुत्र रामचन्द्र धाभाई ने 1352 हिजरी (1933 ईस्वी) में करवाया था। रामचन्द्र धाभाई के कोई सन्तान नहीं थी। अपनी पुत्र-प्राप्ति की मनोकामना लेकर रामचन्द्र स्वयं इराक में कर्बला स्थित हज़रत हुसैन के मकबरे पर गये और मन्त मांगी कि यदि मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मैं आपका स्थान जयपुर में भी बनवाऊंगा। कर्बला से लूटते समय वहाँ की पवित्र मिट्टी एक पोटली में बांध कर रामचन्द्र अपने साथ जयपुर लेकर आए। अगले ही वर्ष रामचन्द्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री धाभाई ने मनोकामना पूर्ण होने पर महाराजा सवाई मानसिंह जी से 40 बीघा 3 बिस्वा भूमि रामगढ़ मोड़ के समीप 'कर्बला-शरीफ' के नाम से आवंटित करवाई। इस भूमि के मध्य में कर्बला (इराक) से लाई गयी मिट्टी को दफन कर एक दरगाह का निर्माण करवाया और समीप ही दो कक्ष और चारदीवारी का भी निर्माण करवाया।¹⁴

महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय (1922.1970) के शासनकाल में जयपुर रियासत में ताज़ियेदारी

महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय¹⁵ का शासनकाल (1922.1970) जयपुर रियासत में ताज़ियेदारी के विकास में नए आयाम लेकर आया। जयपुर रियासत की फौज में उस समय 12 बेड़े थे। हर बेड़े के सैनिक अपने बेड़े का अलग ताज़िया बनाया करते थे। जयपुर महाराज की ओर से हर बेड़े को 250 रुपये प्रतिवर्ष ताज़िया निर्माण के लिए मिलते थे। ताज़ियों के निर्माण कार्य हेतु हर बेड़े के 50 सैनिकों को हर साल मोहर्रम से पहले एक माह के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाता था। प्रत्येक बेड़े के ताज़िए को महाराज व राजपरिवार के सदस्य हवामहल से देखा करते थे और उत्कृष्ट कलाकृति वाले ताज़ियों के शिल्पकारों को महाराज स्वयं विशेष पुरस्कार बाँटते थे।¹⁶ कालान्तर में जयपुर शहर के हर मोहल्ले का अपना एक अलग ताज़िया बनने लगा और सभी ताज़िये एक जुलूस के रूप में क्रम से चलते हुए हवामहल होते हुए कर्बला शरीफ पहुंचने लगे। प्रतिवर्ष ताज़ियों के निर्माण को लेकर जयपुर के मोहल्लों में प्रतिस्पर्द्धा होने लगी जो आज तक चल रही है।

जयपुर की ताज़िया निर्माण शैली

जयपुर की ताज़िएदारी सम्पूर्ण भारत में अपना एक अनोखापन लिए हुए है। यहां के ताज़िए निर्माण शैली में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसका सम्पूर्ण श्रेय महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय को जाता है। जयपुर में प्रत्येक ताज़िए की उंचाई अधिकतम 7 ऋ गज़ (लगभग 22 फीट) और चौड़ाई अधिकतम 5 ऋ गज़ (लगभग 15 फीट) होती है। ताज़िया निर्माण शैली की रिवायत के अनुसार ताज़िए के 9 भाग-तख्त, इजारा, कनास, पावा, बांस, पौड़ी, मंजिल, पालकी और कलस होते हैं। जयपुर में ताज़ियों का निर्माण मुख्यतः छह हिस्सों में किया जाता है, जिनके नाम हैं - तख्त, रोज़ा, अठवास, गुम्बद, कलस व तुरा। छतरी लगाना ऐच्छिक है, इसलिए छतरी इन हिस्सों में शामिल नहीं है। कुछ गुम्बदों पर छतरी लगाकर भी ताज़िए बनाए जाते हैं जबकि कुछ बिना छतरी के बनते हैं। ताज़िया निर्माण में काम आने वाली सामग्री में बांस, लकड़ी के पट्टे, अभ्रक, कागज़, पन्नी, कचकड़ा (कच्चा प्लास्टिक), तामड़ा, कपड़ा, चमकी, थर्मोकॉल व डोरे का प्रयोग होता है। बांस व लकड़ी के पट्टों से सर्वप्रथम ताज़िए का ढांचा तैयार किया जाता है। तत्पश्चात कागज़, पन्नी, कपड़ा, अभ्रक, थर्मोकॉल व अन्य सामग्री से ताज़िए को बड़ी मेहनत और कलाकारी से सजावट करके बहुत सुन्दर रूप दिया जाता है।¹⁷

जयपुर के ताज़ियों की निर्माण शैली में एक विशिष्टता महाराजा सवाई रामसिंह के शासनकाल से आई। उनके समय से ही ताज़ियों के निर्माण में अभ्रक की कटिंग, रंगबिरंगे कागज़ों से बने गुलदस्ते और कलात्मक जालियों का प्रयोग शुरु हुआ। ताज़ियों के निर्माण में परम्परागत आर्ट और आर्किटेक्चर के मिश्रण से बांस की खपच्चियों को भवन का रूप देकर ताज़िए बनाए गये और फिर सजावट में बेहतरीन अभ्रक की कटिंग, रंगबिरंगे कागज़ों से बने गुलदस्ते व कलात्मक जालियाँ काट कर खूबसूरती से लगाये जाते थे।

ताज़ियेदारी की रस्में व सामाजिक पहलू

ताज़िएदारी की रस्में आज भी वैसी ही चल रही हैं जैसी महाराजा सवाई रामसिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है।¹⁸ प्रतिवर्ष मोहर्रम की 7 तारीख को गश्त.ए.अलम, 9 तारीख को शहादत की रात और 10 तारीख (अशुरा) को सुपर्द-ए-खाक की रस्में अदा की जाती हैं। जयपुर में मोहर्रम और ताज़िएदारी हिन्दु-मुस्लिम एकता और मोहब्बत का सर्वोत्तम उदाहरण है।

मोहर्रम की 9 तारीख की रात और 10 तारीख को सुबह ताज़ियों का जुलूस देखने लायक होता है। 9 तारीख की रात को 11 बजे ढोल ताशों के साथ हर मोहल्ले का ताज़िया जुलूस के रूप में निकल कर हवामहल तक पहुँचता है।¹⁹ ताज़िये के साथ

साथ लोग जुलूस में पटेबाज़ी और तलवारबाज़ी करते हुए चलते हैं जिसे 'हाई-दौज़' कहा जाता है।

ताज़ियों के जुलूस में 'हाई-दौज़' करते पटेबाज़

ये ताज़िए मध्य रात्रि तक लौटकर वापस अपने मुकाम पर आ जाते हैं। अगले दिन मोहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए फिर से दिन में जुलूस के रूप में निकलते हैं और हवामहल के रास्ते कर्बला तक ले जाए जाते हैं। ताज़ियों के इस जुलूस में शिया मुसलमान काले कपड़े पहनते हैं और नंगे पैर चलते हैं और अपने सीने पर हाथ मारते हैं, जिसे 'मातम' कहा जाता है। मातम के साथ वे 'हाय हुसैन' की सदा लगाते हैं और साथ ही कुछ शोक गाथाएं भी कविता के रूप में पढ़ते हैं, जिन्हें 'नौहा' कहा जाता है।²⁰ ताज़िये के साथ एक झण्डा रूपी अलम भी होता है, जिसे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए उनके छोटे भाई हज़रत अब्बास की याद में निकाला जाता है। इसे स्थानीय लोग 'अलम-सद्दा' कहते हैं। बावन अखाड़ा पंचायत मोहल्ला महावतान की ओर से उस्तादों के बीच तलवारबाज़ी और पटेबाज़ी के मुक़ाबले आयोजित किए जाते हैं। मोहर्रम का महीना शुरू होते ही शिया समुदाय की ओर से मजलिसों (शोक सभाओं) का सिलसिला शुरू हो जाता है। जनाबे कासिम (हज़रत ईमाम हुसैन) की याद में मेहंदी निकाली जाती है। कई स्थानों पर ईमामबाड़े सजाए जाते हैं। शिया समुदाय की सबसे बड़ी मजलिस बासबदनपुरा में स्थित शिया कोमी ईमाम बारगाह में आयोजित की जाती है। मोहर्रम के दिन मुसलमान रोज़ा (उपवास) रखते हैं। भारतीय परम्परा में हिन्दु, मुसलमान और सिख सभी कर्बला के शहीदों की याद मनाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक जयपुर के दत्त ब्राह्मणों के परिवारों में भी मोहर्रम के दिन ताज़िया निकालने की परम्परा थी जो अब समाप्त हो चुकी है।²¹

ताज़ियेदारी का आर्थिक पहलू

जयपुर में ताज़ियों के निर्माण में हर मोहल्ले के तकरीबन 50 से 100 व्यक्ति अपना योगदान देते हैं। कुछ लोग निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं और कुछ पारिश्रमिक लेकर काम करते हैं। इस प्रकार लगभग 3 से 4 हजार लोगों को एक माह के लिए रोजगार उपलब्ध हो जाता है। कई कारीगर रोजी रोटी की तलाश में अजमेर, अलवर, खैरथल, दौराई, बहादुरपुर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, कोटा व उदयपुर आदि अन्य शहरों व कस्बों में ताज़िये बनाने जाते हैं। मोहर्रम पर शहर के विभिन्न मोहल्लों व मुख्य सड़कों पर रोशनी की विशेष व्यवस्था की जाती है और ताज़ियों के जुलूस के दिन शहर में एक मेले के जैसा दृश्य होता है। सभी दुकानों पर अच्छी बिक्री होती है। भीड़ की गहमा-गहमी में खिलौने वालों, झूले वालों व अन्य फुटकर ठेले वालों की अच्छी कमा होती है।

जयपुर में सोने-चांदी के ताज़िये

जयपुर में सोने व चांदी से निर्मित चार ताज़िए हैं। पहला ताज़िया महाराजा जयपुर का, दूसरा ताज़िया मोहल्ला महावतान इमाम चौक का तीसरा ताज़िया जुलाहान का और चौथा सराए वालों का। इन चारों ताज़ियों को कर्बला में नहीं दफनाया जाता वरन कब्रिस्तान तक ले जाकर वापस उनके मूल स्थान पर ले आते हैं।²²

अन्य ताज़िये

जयपुर के कई मोहल्लों के ताज़िए बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे पंचायत शेखावाटी रंगरेज़ान, हिरनवालान, गुलज़ार मस्जिद, हांडीपुरा, नीलगरान, नाहरगढ, सिलावटान, माहीगीरान, खुमरान, फर्राशान, तवाईफान, पन्नीगरान, नालबन्दान, कस्साबादान खण्डार, बासबदनपुरा, पल्लेदारान, बड़वाली मस्जिद, शास्त्रीनगर इत्यादि। इन प्रमुख ताज़ियों के अतिरिक्त अन्य छोटे मोहल्लों, गलियों में छोटे व बड़े साईज के कई ताज़िए बनाए जाते हैं।

ताज़ियेदारों की पंचायत समिति

जयपुर में ताज़ियेदारों की एक पंचायत समिति है, जिसके सदर इलियास मौहम्मद मिस्कीनी और सेक्रेट्री मिर्जा अशफाक बेग हैं।²³ शहर में लगभग 15 उस्तादगान हैं, जिनके लगभग 100 खलीफा²⁴ हैं। खलीफाओं के गुरु 'उस्ताद' कहलाते हैं। ताज़िया निर्माण शैली में गुरु-शिष्य परम्परा महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय के समय से चली आ रही है।²⁵ जयपुर की ताज़िया निर्माण कला में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता प्राप्त करने और श्रेष्ठतम ताज़िए बनाने को लेकर हर साल उस्तादगानों में कड़ी स्पर्धा होती है। अपने ताज़िए को सुन्दरतम दिखाने की होड़ में शिल्पकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।

सन्दर्भ

1. पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के दामाद।
2. हज़रत अली के पुत्र और पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब के नाती।
3. ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार 10 अक्टूबर 680 ईस्वी।
4. इराक की राजधानी बग़दाद से 100 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक कस्बा।
5. शिया मत के अनुसार 123 लोग (72 मर्द-औरतें और 51 बच्चे) थे।
6. हज़रत हुसैन के 6 माह के बालक का नाम हज़रत अली असगर था।
7. मकबरा, मज़ार।
8. दर्शन।
9. मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग ने 1398-99 ईस्वी में भारतीय राज्यों पर आक्रमण किए।

10. स्वप्न में अलौकिक घोषणा सुनना या ईश्वरीय आदेश प्राप्त होना।
11. मौलाना शरफुद्दीन अली यज़दी कृत ज़फ़रनामा (उर्दू अनु: हिदायत हुसैन, 1951) पृ.सं. 37.44
12. आर.के. गुप्ता, एस.आर. बख़्शी, राजस्थान थ्रू द एजेज़, वॉल्यूम-4, जयपुर रुलर्स एण्ड देयर एडमिनिस्ट्रेशन (सं. पृ. 290-345
13. मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला फरहती कृत तारीख़े तोहफा ए राजस्थान, पृ. 112-167
14. जयपुर की कर्बला-शरीफ में स्थित दरगाह के दाएं दरवाज़े पर फारसी भाषा में एक कतबा हिजरी सम्वत 1352 (1933 ई.) का उत्कीर्ण है, जिसमें कर्बला शरीफ के निर्माण का सम्पूर्ण वृतान्त वर्णित है।
15. आर.के. गुप्ता, एस.आर. बख़्शी, पूर्वोक्त, पृ. 290-345
16. ताज़ियेदारों की पंचायत समिति सेक्रेट्री मिर्जा अशफ़ाक बेग, सदर इलियास मौहम्मद मिस्कीनी, उस्ताद बुन्दू खाँ और वरिष्ठ सदस्यों से लिए व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर।
17. जयपुर में ताज़ियेदारी के उस्तादगानों (ताजिया निर्माण कला के विशेषज्ञ शिल्पी गुरुओं और अनुभवी खलीफाओं (उस्तादगानों के सहायकों) से लिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर।
18. ताज़ियेदारों की पंचायत समिति के सेक्रेट्री मिर्जा अशफ़ाक बेग, सदर इलियास मौहम्मद मिस्कीनी, उस्ताद बुन्दू खाँ और वरिष्ठ सदस्यों से लिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर।
19. वही
20. शिया समुदाय की क़ौमी ईमाम बारगाह के वरिष्ठ सदस्यों व 'अंजुमने-मोइनुल-अज़ा' के सदर जनाब ज़ाफ़र अब्बास से लिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर।
21. ताज़ियेदारों की पंचायत समिति के सेक्रेट्री मिर्जा अशफ़ाक बेग, सदर इलियास मौहम्मद मिस्कीनी, उस्ताद बुन्दू खाँ और वरिष्ठ सदस्यों से लिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर।
23. वही
24. ताज़िया निर्माण कला के विशेषज्ञ शिल्पी गुरु 'उस्ताद' (बहुवचन- उस्तादगान) कहलाते हैं। उस्ताद के सहायक (शिष्य) ख़लीफा कहलाते हैं।
25. ताज़ियेदारों की पंचायत समिति के सेक्रेट्री मिर्जा अशफ़ाक बेग, सदर इलियास मौहम्मद मिस्कीनी, उस्ताद बुन्दू खाँ और वरिष्ठ सदस्यों से लिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर।
26. वही

जयपुर की मीनाकारी हस्तकला के तकनीकी पक्ष

पूजा नेगी

मीनाकारी हस्तकला भी राजस्थान की उन हस्तकलाओं में ही एक है जिसके द्वारा जयपुर ही नहीं अपितु राजस्थान भी गौरवान्वित हुआ है। मीनाकारों द्वारा इस हस्तशिल्प को सदैव विशिष्ट बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। तकनीकी पक्ष द्वारा हस्तशिल्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष तकनीक को माना जा सकता है। मीनाकारी की कलात्मक वस्तुओं में आकृति अलंकरण, मीना का भराव इसे विशिष्टता प्रदान करता है। मीनाकारी आरम्भ से ही मुख्यतः स्वर्ण रजत तथा ताम्र धातुओं पर की जाती रही है, वर्तमान में अन्य धातुओं जैसे पीतल पर की जाती है, संगमरमर पर भी मीना के रंगों द्वारा अलंकरण किया जाता है। मीनाकारों द्वारा मीनाकारी की विविधतापूर्ण वस्तुएं निर्मित की जाती रही हैं। जिनमें रुचि के अनुसार आकृति अंकित की जाती है। मीनाकारी का कार्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर किया जाता रहा है। उदाहरणार्थ कण्ठहार कंगन, कर्णफूल, तलवार की मूठ, कप, पूजा की थाली, फूलदान, गुलदान इत्यादि।

मीनाकारी हस्तकला में रूप निर्माण

मीनाकारी एक तकनीकी प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध एवं चरणवार रूप से होती है। इस हस्तकला को पूर्णता प्रदान करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है जैसे धातु को आकार में ढलवाना, आकृति अलंकरण, अलंकरण पर मीना का भराव। मीनाकारी की तकनीकी प्रक्रिया हेतु सर्वप्रथम उपयुक्त माध्यम का चयन किया जाता है। यह माध्यम धातु, पत्थर एवं कांच होते हैं। मीनाकारी परम्परागत रूप से मुख्यतः स्वर्ण, रजत एवं ताम्र धातुओं पर की जाती रही है।¹ धातु चयन के पश्चात् जिस कलाकृति को निर्मित करना है, उसका डिजाइन चित्तेरा तैयार करता है² उदाहरणार्थ कण्ठहार की डिजाइन किस प्रकार की होगी तदुपरान्त धातु को आकृति में ढालने सम्बन्धित कार्य सुनार द्वारा किया जाता है।³ तत्पश्चात् इस धातुयी कृति पर अलंकरण अंकन को घराई द्वारा किया जाता है।⁴ डिजाइन या अलंकरण अंकन को घराई द्वारा अपनी रुचि व आवश्यकता अनुरूप कृति पर नुकीली सलाइयों से आकृति अलंकृत करने को खुदाई कहते हैं।⁵ यह विधि चम्पवेली कहलाती है। मीनाकृति में आकृति अलंकरण विविध प्रकार के होते हैं। जैसे-प्रकृति, मानव, प्राणी जगत अलंकरण का

माध्यम बनते हैं। घराई द्वारा आकृति अलंकरण करने के पश्चात् निर्मित कृति के अलंकरण में रंग भरने का कार्य आरम्भ होता है, जिसे मीनाकार द्वारा पूर्ण किया जाता है।⁶

रंग निर्माण तकनीक

मीनाकारी में रंगों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। 19वीं सदी में मीनाकारी के रंगों को अन्यत्र स्थानों से मंगाया जाता था उस समय लाहौर में रंग निर्यात किया जाता था।⁷ वर्तमान में धातुओं के मिश्रण से रंग बनाए जाते हैं, जैसे-सिलिका में ताम्बा और सोना मिलाने से लाल मीना, सिलिका में जिंक मिलाने से हरा रंग निर्मित होता है।⁸

रंग भरने की प्रक्रिया

मीनाकृति में आकृति अलंकरण के पश्चात् रंगने का कार्य आरम्भ होता है। मीनाकृति में मीना भरने की तीन विधियां मुख्य रही हैं – प्रथम विधि में मीना के रंग को कृति पर ऐसे लगाया जाता है जैसे कैनवास पर रंग करते हैं। द्वितीय विधि में कृति पर बने अलंकरण पर मीना डालकर उसे हथौड़े से ठोककर या चिपकाकर जमा दिया जाता है। तृतीय विधि में मीनाकृति पर खुदाई कर उसमें सलाइयों से रंग भरा जाता है इसे चम्पवेली कहते हैं।⁹

कलाकृति को भट्टी में पकाने की प्रक्रिया

इन्दरसिंह जी¹⁰ के अनुसार मीनाकृति को पकाने के लिए भट्टी का निर्माण स्वयं मीनाकारों द्वारा किया जाता है। मीनाकारी हस्तशिल्प में प्रयुक्त होने वाली भट्टी भिन्न-भिन्न कलाकृति के अनुरूप भिन्न-भिन्न आकारों में तैयार की जाती रही है। वर्तमान में बिजली से संचालित भट्टी का उपयोग किया जाने लगा है।¹¹ मीनाकृति में मीना करने के पश्चात् भट्टी में कलाकृति को पका कर मीना को बैठाया जाता है। मीनाकार पहले सफेद रंग को भरने के बाद हरा, नीला, गुलाबी इत्यादि रंग भरता एवं पकाता है। कलाकृति को बाहर निकालने के बाद बरते से घिसाई कर मीना को समतल किया जाता है। जब रंग समानता में आ जाता है तो मीनाकार उसकी कुरणु से पॉलिश करता है।¹²

मीनाकारी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण

भिन्न-भिन्न आकार की सलाइयां, भट्टी (रंग को पकाने के लिए), फूंकनी (भट्टी में कोयले को जलाने के लिए), बरता (घिसाई के लिए), चिमटा (मीनाकृत वस्तु को भट्टी में पकाने के लिए), प्लेट (भट्टी में वस्तु पकाने के लिए प्लेट भी होती थी), रंग कूटने का बर्तन, रंग घोलने का बर्तन

मीनाकारी के किस्में/प्रकार

परम्परागत मीनाकारी की चार प्रमुख किस्में प्रचलित हैं, जिसके आधार पर मीनाकार द्वारा मीनाकारी की जाती रही। यह प्रमुख किस्में हैं—सफेद चलवां, लाल जमीन, बूंद तिला, तैयारी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मीना के तकनीकी पक्ष इस कला को वैविध्य प्रदान करते हुए चित्ताकर्षक बनाते हैं। मीनाकारी हस्तशिल्प तकनीकी आधार पर ही विशिष्ट बनी हुई है।

सन्दर्भ

1. P.N. Maga, Jewellery, Marg Pathway A Magazine of Arts, Vol. XVIII, No. 1, Dec., 1964, p. 15
2. Jamila Brij Bhushan, Enamels and Jewellery in Marg Homage to Jaipur, Vol. XXX, No. 4 Bombay, 1977, p. 101
3. W. Griggo, Jacob Hendley, Jaypore Enamels, Elm House Hanover Street, Peckham, 1886, p. 6
4. R.J. Mehta, The Handicrafts and Industrial Arts of India, Taraporvala Treasure House of Books, Bombay, 1960, p. 30
5. श्री इन्दरसिंह जी (मीनाकार, सिटी पैलेस) से दिनांक 20.02.2009 को वार्ता से ज्ञात
6. श्री लक्ष्मी लाल गाडरी, मीनाकार से वार्ता के आधार पर (दिनांक 05.02.2208)
7. The Journal of Indian Art, No. 2, April 1884, p. 2
8. मोहनलाल गुप्ता, राजस्थान जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2004, पृ. 115
9. राजस्थान की हस्तकलाएं, द राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर, पृ. 9
10. श्री इन्दरसिंह जी (मीनाकार) से 19.09.2010 से वार्ता के आधार पर ज्ञात
11. श्री गोपाल सैनी (मीनाकार) से 28.12.2010 को वार्ता के आधार पर ज्ञात
12. श्री राजकुमार (मीनाकार) से 06.01. 2011 को साक्षात्कार से ज्ञातव्य

बिलाड़ा संग्रह और उसका ऐतिहासिक महत्व

डॉ. नीलम आज़ाद

बिलाड़ा शहर जोधपुर से 44 मील पूर्व में तथा लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। परगना जोधपुर के तफा (टप्पा) बिलाड़ा में महाराजा जसवन्तसिंह के समय में बिलाड़ा खास, खारिया भाणा का, जैतीवस, हरस, ऊंची याहेड़ा, पचीपाक, वीझवाड़िया, वीझीया वासणी, कूपड़ावस, मुदियारड़ा कुल 11 गांव इनमें से 9 गांव 37200/- की वार्षिक आय के शेष दो गांव सूना तथा चार गांव जेसलावास, उदलीयावस, खंडी का वास (सारंग का वास व रामचंद्र का वास) कुल आय 1050/- के। यों कुल अनुमानित आय रु. 38700/- थी। वास्तविक आय रु. 24409/-¹ जबकि 1925 में बिलाड़ा की वार्षिक अनुमानित आय 1 लाख 50 हजार रु. और भूमि 276 वर्गमील थी। यहां पर मुख्य जातियां जाट, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माली, सीरवी और बलाई थे। बिलाड़ा में दीवान माधवसिंह के यहां ऐतिहासिक बहियों और अभिलेखों का महत्वपूर्ण संग्रह है। वर्तमान दीवान श्री माधवसिंह जी से श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ ने महत्वपूर्ण अभिलेखों और बहियों की फोटो कापी प्राप्त की जो निम्नानुसार है।

कंवर हरिदासजी के विवाह का चौपनिया² (सं. 1798 वि.)

कंवर हरिदास के विवाह के समय के रीति-रिवाज का विशद विवरण है। इससे तत्कालीन समाज में विवाह पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। इस विवरण में विवाह के अवसर पर हुए खर्च का विवरण भी दिया गया है, जिससे उस समय के जीन्स के भावों पर प्रकाश पड़ता है। गुड़ प्रति रुपया 10 सेर अर्थात् 4 रु. का एक मण, घी एक रुपया का 7 सेर, मूंग प्रति रुपया 1 मण, चावल रु. 2.50 प्रति मण।

कंवर हरिदासजी का मल्हारराव होल्कर से मिलने जाने की यात्रा का चौपनिया³

बिलाड़ा के कंवर हरिदासजी की मल्हारराव होल्कर से मिलने जाने की यात्रा सं. 1814 वि. की कार्तिक बदी 3 रविवार (अक्तूबर 30, 1757 ई.) से माघ बदि (अमावस्या) बुधवार (फरवरी 8, 1758 ई.) तक में हुए खर्च का पूरा विवरण है। बिलाड़ा से रवाना होने के बाद दिल्ली पहुंचने तक के पड़ावों का विगतवार उल्लेख मिलता है। इस विवरण से तत्कालीन जीन्स के भावों पर प्रकाश पड़ता है तथा

हरिदासजी के साथ वाले व्यक्तियों और उनके रहन-सहन, खान-पान का भी पता चलता है। यात्रा के उद्देश्य के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है।

दीवान राजसिंहजी की काबुल यात्रा का चौपनिया क्र. 1⁴

संवत् 1734 वि. में दीवान राजसिंह महाराजा जसवंतसिंह से मिलने के लिए काबुल गये। उस यात्रा में हुए प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा इस चौपनिये में लिखा गया है। यह ब्यौरा आश्विन वदि 2, सं. 1734 वि. (सोमवार, सितम्बर 3, 1677 ई.) में मेड़ता के पड़ाव से प्रारम्भ होता है। इसके बाद प्रतिदिन के पड़ाव के स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसमें पिछले पडत्राव से उसकी दूरी और उस स्थान पर मिलने वाले पानी के प्रकार व पानी के साधन-कुआं, तालाब आदि का उल्लेख किया गया है जैसे-“ आसोज बदि 6 कोस 7, फतैपुर, पाणी मीठो, कुआ छै”, आसोज बदि 11 बुध 1 गांव भाद्रा कोस 13, पाणी तालाब। इसी तरह फतियाबाद के उल्लेख में आसोज सुदी 7, फतियाबाद कोस 10, पाणी कुआ नदी गोइदवाल लोपी ने फतियाबाद जणा नदी ता कोस 3.....”

इस तरह उनकी काबुल पेशावर तक की यात्रा का विवरण है। पेशावर में निवास करने के बाद वापसी यात्रा का भी फाल्गुन शु. 10, 1734 के दिन ‘खराड़ी’ ग्राम के पड़ाव तक का विवरण मिलता है।

विवाह खर्च रो चौपनियो⁵

इस चौपनिये में दीवान भगवानदास, कंवर कल्याणदास, कंवर चंद्रभाण और बाई अणदकंवर अजब कंवर के विवाहों में हुए खर्च का विवरण मिलता है। साथ ही इसमें नेग, नूत व अन्य रीति रिवाजों का उल्लेख है। भगवानदास का एक विवाह मार्गशीर्ष सुदी 11, 1747 वि. - मंगलवार, दिसम्बर 2, 1690 ई., दूसरा माघ सुदी 5, 1748 वि. - बुधवार, जनवरी 13, 1692 ई., तीसरा विवाह फागुण सुदी 15, 1750 वि. - गुरुवार, मार्च 1, 1694 ई. को हुआ था। इसी तरह कंवर कल्याणदास का विवाह मार्गशीर्ष सुदी 11, 1747 - मंगलवार, दिसम्बर 2, 1690 ई. को, दूसरा विवाह ढालोप के चौधरी नगा की पुत्री से वैशाख सुदी 15, 1750 वि. - रविवार, अप्रैल 29, 1694 ई. को तथा कंवर चंद्रभाण का सोमवार, फागुण वदि 9, 1755 वि. - फरवरी 13, 1699 ई. को तथा गुरुवार जेठ वदि 3, 1756 वि. - अप्रैल 25, 1700 ई. के दिन हुआ था।

कागज पत्र

बिलाड़ा दीवान के संग्रह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वहां संग्रहीत जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा आदि विभिन्न शासकों और जागीरदारों के पत्र

तथा मालवा के सीतामऊ, सैलाना, रतलाम, झाबुआ और अमझोरा राज्य के राजपूत शासकों, इन्दौर के होल्कर और ग्वालियर के सिंधिया आदि मराठा शासकों के कागज पत्र हैं। ये 16वीं सदी से 19वीं सदी तक 891 हिन्दी और 73 मराठी कुल 964 कागज पत्र हैं। इनमें से पत्र सं. 15, 21, 33, 139, 171 से 200, 218, 219, 221, 283, 357, 367 से 405 (जो अप्राप्य हैं) को छोड़कर शेष सभी की फोटो कापी संस्थान में संगृहीत है।

इन कागज-पत्रों से मेवाड़, मारवाड़ ही नहीं मालवा और मराठा इतिहास पर भी नवीन जानकारी मिलती है। इन पत्रों से ज्ञात होता है कि रोहितास को राजा उदयसिंह ने बिलाड़ा का चौधरी नियुक्त किया था। तदनन्तर बिलाड़ा चौधरी लक्ष्मीदास, राजसिंह, भगवानदास, हरिदास, उदयसिंह, अनोपसिंह, लालसिंह, शिवदानसिंह, लक्ष्मणसिंह और शक्तिदान को समय-समय पर मिलने वाली हिदायतें और जमीन का विवरण भी इन पत्रों में मिलता है। आई पंथ के कारण बिलाड़ा का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और अधिक बढ़ गया। अतः संक्षेप में आई पंथ का विवरण यहां दिया जा रहा है।

गुजरात में भूतपूर्व दांता राज्य के अन्तर्गत अम्बापुर नगर के निवासी बीका डाभी के यहां संवत् 1472 वि. में बालिका के रूप में एक देवी का अवतार हुआ तो जीजी बाई अथवा आई माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। बाल्यकाल से ही जीजी अम्बा माता की भक्ति में लीन रहने लगी और योग साधना में दत्तचित्त रहने लगी। गुजरात में निवास करने के बाद जीजी वहां से मेवाड़ होती हुई मारवाड़ में आयी। मेवाड़ में जीजी सर्वप्रथम नारलाई में ठहरी जहां उसने अम्बा का मंदिर बना कर अखण्ड ज्योति जलाई। नारलाई के बाद जीजी डायलाणा (गोडवाड़ परगना) में आयी। जहां पर मेवाड़ का राजकुमार रायमल उससे मिला। तब उसने रायमल को मेवाड़ की गद्दी मिलने का आश्वासन दिया। जब रायमल को मेवाड़ की गद्दी मिल गई तो उसने देवी को आग्रहपूर्वक डायलाणा में जागीर प्रदान की। डायलाणा से जीजी सोजत होती हुई संवत् 1521 वि. (1465 ई.) में बिलाड़ा पहुंची। इस समय बिलाड़ा में हामड़ व राठौड़ों की दो पोलें थी तथा राठौड़ों की पोल में राव जोधा के पुत्र भारमल का कामदार जाणोजी राठौड़ प्रतिष्ठित पुरुष था। राठौड़ों की पोल में जीजी को आदर सत्कार मिला और वह वहीं रहने लगी। जाणोजी राठौड़ का पुत्र माधवदास (माधा) पर जीजी की कृपा हुई और उसने संवत् 1525 वि. में माधवदास का विवाह सीरवी बीलाजी हांबड़ की पुत्री सोढी से करवाया। माधवदास के गोयंददास पुत्र हुआ। जिसको 1557 वि. के माघ सुदी 7 शनिवार को जीजी ने अपना मुख्य पुजारी 'दीवान' बनाया तथा सूत के 11 धागों की 'बेल' बांध कर डोराबंद पंथ अथवा 'आई पंथ' का प्रचलन किया। यहीं से आई पंथ का शुभारम्भ हुआ जिससे सीरवी जाति के अलावा अनेक दीगर जातियों के लोगों को भी इस पंथ की शिक्षा दी गई। गोयंददास के वंशज 'दीवान' अथवा पंथ के प्रमुख पुजारी हुए। जीजी शनिवार, चैत्र सुदी 2, 1561 वि. में अलोप हुई।⁶

बिलाड़ा संग्रह में संगृहीत गौरीशंकर ओझा के पत्र का भी यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है—

(पत्र संख्या-199)

अज इजलास श्री कंसलटेटिव कौंसिल बजरिये कमीशन ब मुकाम अजमेर पंडितजी रे मकान ता. 3 नवम्बर सन् 38, 1995 रा कार्तिक सुद 11 वार गुरु

बहलफ

बयान ओझा गौरीशंकरजी वल्द हीराचंदजी उमर 76 साल पेशा गवर्नमेंट सर्विस

सवाल राजबान में लिखाई के मनै श्री गवर्नमेंट सिरकार सु राय बहादुर वो महामहोपाध्याय रो टाइटल है और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी सु डी.लिट्. अर्थात् डाक्टर ऑफ लिटरेचर और गत सितम्बर सन् 38 रा महीना में शिमला में हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ उसमें साहित्य वाचस्पति का खिताब मिला और रियासत उदयपुर में इतिहास कार्यालय में 20 बरस तक सेक्रेटरी रहा और वीर विनोद नाम का इतिहास बना फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने श्री महाराणा साहब फतेसिंहजी से मांग कर मुझे अजमेर म्युजियम का क्यूरेटर बनाया सो तीस बरस 3 महीना श्री गवर्नमेंट सरकार की सेवा की अब मैं तारीख 1 जुलाई सन् 38 मे बवजे बीमारी रिटायर हो गया अब मुझे पेंशन मिलती है। मैंने यहां राजपूताना का इतिहास बनाना शुरू किया जिसकी 3 जिल्दें तो प्रकाशित हो गई हैं और दोय जिल्दें जिनमें जोधपुर व बीकानेर का इतिहास है छपने आई है और करीब 2 महीना में एक-एक जिल्द प्रकाशित हो जायगी। मैंने किताबें बनाई जिसकी लिस्ट पेश करता हूं। यू.पी. गवर्नमेंट की स्थापित की हुई हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने हिन्दुस्तान की ईस्वी सन् 600 से लगाकर सन 1200 तक की सब तरह की हालत पर तीन व्याख्यान देने के लिए मुझे इलाहाबाद बुलाया और रु. 1000/- ईनाम दिया। मेरे व्याख्यानों को एकेडेमी ने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति नाम से पुस्तक रूप में प्रकट किया है। उसका उर्दू अनुवाद भी छप गया और गायकवाड़ सरकार से दिये हुए रुपयों से उसका गुजराती अनुवाद भी छप गया क्योंकि वो लोगों में बड़ी अच्छी समझी गई और मेरे राजपूताना के इतिहास के बारे में योरोप और हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े विद्वानों ने तारीफ की है जिसकी नकलें पेश हैं। जोधपुर के इतिहास लिखते समय बहुत बड़ी सामग्री इकट्ठी की जिससे मालुम हुआ कि बिलाड़े के दीवानजी जोधपुर के राव धूहड़जी के एक पुत्र चंद्रपालजी के वंश में है। मुंशी देवीप्रसादजी जोधपुर के इतिहास कार्यालय में अफसर थे। उन्होंने भी मेरे पास जोधपुर के कंवरो, राणियों, बायां, राजाओं आदि की अलग-अलग ख्यातों बहियों आदि से जो सूची तैयार कर भेजी उसमें भी धूहड़जी रे एक कंवर चंद्रपालजी के वंश में बिलाड़ा के दीवाण का होना लिखा है। यह सूची 88 पेज की है और महाराजा श्री सरदारसिंहजी

साहब के जमाने में मेरे पास भेजी थी और जगह-जगह पर उनकी खुद की कलम के दस्तखत हैं और दीवाण बिलाड़ा का धूहड़जी के वंश में होना पेज 6-7 में लिखा है। उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंहजी (दूसरे) का सही भाले वाला एक खास रुका बिलाड़े दीवाण पदमसिंहजी के नाम का संवत् 1789 जेठ सुदी 14 का है जिसमें पदमसिंहजी को राठौड़ लिखा है इसकी नकल मेरे संग्रह में है। इस रुके को मैंने असली देखा। यह रुका श्री महाराणा संग्रामसिंहजी का ही है। अच्छी तरह से कहता हूँ कि कई रुके इनके मैंने देखे सही व दस्तखत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बीकानेर के महाराजा सूरतसिंहजी तथा महाराजकुमार रतनसिंहजी का एक खास रुका दीवाण लालसिंहजी हरीसिंघोत के नाम का संवत् 1864 चैत्र शुदि 5 का मुकाम पीपाड़ से भेजा हुआ मेरे संग्रह में है। उसकी नकल है। और वो मैंने असली देखा। उस पर महाराजा की मोहर लगी हुई है और उसमें लालसिंहजी को राठौड़ लिखा है। बीकानेर के कई खास रुके मैंने देखे और बीकानेर की तवाररख में उनका हवाला दिया है। महाराजा सूरतसिंहजी की मोहर रुके पर है वो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ और श्री जोधपुर महाराजाओं के खास रुके बिलाड़े दीवाणों के नाम हैं। उनकी नकलें कई मेरे संग्रह में हैं और कई शख्सों के नाम जोधपुर राजाओं के रुके हैं वो मेरे संग्रह में हैं। और असली भी कई देखे। और उदयपुर में जोधपुर के महाराजाओं के रुकों में बिलाड़ा दीवाणों को छोरु लिखा है जिसका अर्थ है हमारे वंश के। बिलाड़ा दीवाणों के पास 8 रुके जोधपुर महाराजाओं के हैं। वो जिसकी नकलें मेरे संग्रह में मौजूद है। मेरी सम्मति में बिलाड़ा के दीवाण राठौड़ राजपूत हैं जब कि श्री उदयपुर महाराणा तथा बीकानेर के महाराजा उनको राठौड़ लिखते हैं। और श्री जोधपुर के कई महाराजाओं ने उनको छोरु लिखा है। सो उनके राठौड़ होने में कई सुबा नहीं हो सकता। और बिलाड़ा के दीवाण राजसिंहजी की बहुत बड़ी जन्मपत्री जो अब टूटी फूटी हालत में है उसमें भी राजसिंहजी को राव धूहड़ की संतान होना लिखा है। जो मैंने असली देखी। सही है। यह जन्मपत्री उसी जमाने की है। उदयपुर के महाराणा श्री एकलिंगजी महादेवजी के दीवाण कहलाते हैं और खानवा की लड़ाई में महाराणा घायल होने से उनकी जगह प्रतापगढ़ रावत दीवाण कहलाते हैं यानी देवलिया दीवाण कहलाते हैं। वैसे ही बिलाड़े श्री आई माताजी का ईस्ट होने से बिलाड़ा के राठौड़ दीवाण कहलाते हैं। और राय, चौधरी, मिर्जा, पटेल आदि खिताब साही है जो राजपूतों वो मुसलमानों, महाजनों आदि को समय-समय पर मिलते रहे हैं जैसे-राय दुरगा सिसोदिया रामपुरे वाला और चौधरी का खिताब खानदानी होने से जोधपुर का रेवेन्यु मिनिस्टर मोहम्मददीनजी के घराने में है जिससे चौधरी कहलाते हैं। और इसी तरह बिलाड़ा के दीवाण के राय को चौधरी का खिताब है। फकत-

।।ली।। गौरीशंकर हीराचंद ओझा-

ता: 3-11-38

उपर्युक्त पत्र का शोधपूर्ण अध्ययन करने पर ओझा द्वारा लिखे गये इतिहास पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

बिलाड़ा के चौधरी आई माता के पुजारी थे और दीवाण कहलाते थे। अतः आई माता की सेवा अर्चना तथा भेंट आदि के लिए मेवाड़, मारवाड़ और मालवा में कहां-कहां जमीन मिली इसकी विस्तृत जानकारी इन पत्रों में मिलती है। हमें इन पत्रों से जानकारी मिलती है कि सिरवियों के अतिरिक्त किन-किन शासकों एवं जागीरदारों की आई पंथ में आस्था थी। यों ये पत्र प्रमुख रूप से बिलाड़ा दीवाण और आई पंथ की ऐतिहासिक जानकारी के लिये तो महत्वपूर्ण है ही, परन्तु इनका महत्व यहीं तक सीमित नहीं है। ये पत्र तत्कालीन इतिहास की कई कड़ियों को जोड़ने का काम भी करते हैं।

भोंसला घराने का इलाहाबाद में रहने वाला वंश परम्परागत पंडा कवि कलश कनौजिया ब्राह्मण था। वह संभाजी के राज्याभिषेक से कुछ दिन पहले ही रायगढ़ पहुंचा और उसने जल्दी ही संभाजी पर अपना प्रभाव जमा लिया तथा उसका विश्वास पात्र बनकर कवि कलश की उपाधि प्राप्त कर ली। यही नहीं वह राज्य शासन का भी एक मात्र कर्ताधर्ता बन गया। संभाजी का अधिकांश समय सुरा और सुंदरियों की उपासना में ही व्यतीत होने लगा।

एक फरवरी 1689 को औरंगजेब की सेना के हाथों संभाजी पकड़ा गया। 15 फरवरी को शाही पड़ाव बहादुरगढ़ पहुंचा और संभाजी तथा अन्य कैदी भी औरंगजेब के सामने लाए गए तथा औरंगजेब ने मराठा राजा के अपराध को अक्षम्य मानकर उसी रात संभाजी की आंख फोड़ दी गई और दूसरे दिन कवि कलश की जीभ काट डाली गई। 11 मार्च 1689 को इन कैदियों को मृत्यु दण्ड दिया गया। संभाजी और कवि कलश की मृत्यु के साथ ही कवि कलश परिवार को घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा तथा उन्हें महाराष्ट्र छोड़कर मजबूर होकर मेवाड़ और मारवाड़ की शरण लेनी पड़ी।

बिलाड़ा संग्रह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने अज्ञात इतिहास की कड़ी को जोड़ने का काम किया है। बिलाड़ा संग्रह के प्राप्त अभिलेख क्रमांक 192 में लिखा है कि—

॥ श्री परमेश्वरजी ॥

स्वरूप श्री राय श्री भगवानदासजी जौग्य राजि श्री दुरगदासजी लिखावतु जुहार वाचजौ अठारा समाचार श्री परमेश्वरजी रा प्रताप सु भला छै राजि रा सदा भला चाहिजै राजि घणी वात छै राजि उपरांयत कोई वात न छै। अप्रंच भट कव कलस रौ

कबीलौ अठै आयौ थौ सु अठै राषण रौ तौ सबब न छै तिण सु उदैपुर मेलियो थो सु उठे तो यांने हरामघोर ठेहराया सु कीसमत यांरी जु उठे न वणी तिण सु रु. 111) यां नै रोजीनो मेडता ऊपरै कर दीयौ छै ने रुपीया 50) पचास री हुंडी उठा सु व्यास नरोतम नै मैलि छै जु यांरो कबीलौ मेडते पांहचाय देजो ने ईतरा रुपीयां न पाहचे नै फेर षरची रुपीया पचीस-पचास सुधा जोईजै तो राज सरभरा कराय देजौ म्है अठा सु राज ने मैलाय दैसां पीण बहु बाई उदैपुर छै सु उदैपुर सु बुलाय गाड़ी भाड़े कराय नै साथ साथ सगाय देनै हर भांत कर राज यांनै मेडता सुधा पांहचता करावजौ सलता कागल समाचार वैगा देजौ सांवत 1762 रा असाढ शुदि 13 (शनिवार, जून 23, 1705 ई.)

यों बिलाड़ा संग्रह के कुल 529 पत्रों की इस सूची पत्र में सम्मिलित किये गये हैं। ये पत्र जोधपुर महाराजा उदयसिंह, गजसिंह, जसवन्तसिंह, अजीतसिंह, अभयसिंह, बख्तसिंह, रामसिंह और मानसिंह आदि द्वारा बिलाड़ा दीवाण को लिखे गये। इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा अमरसिंह, जगतसिंह, जयसिंह, राजसिंह, संग्रामसिंह, अरिसिंह आदि के द्वारा बिलाड़ा दीवाण को भेंट में दी गयी जमीन, सीरवियों को गोडवाड़ में बसाने और आई माता के दीवाण से किसी प्रकार टैक्स न लेने सम्बन्धी पत्र व्यवहार है।

राजस्थान के शासकों के अतिरिक्त मालवा के सीतामऊ, सैलाना, रतलाम, झाबुआ, अमझेरा के राजपूत शासक और जागीरदार तथा इन्दौर के होल्कर और ग्वालियर के सिंधिया शासकों पर भी आई माता का प्रभाव था। इन पत्रों से तत्कालीन राजस्व व्यवस्था, इजारा व मुकाता व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और राजनैतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। पत्र सं. 438 से इन्दौर और भोपावर में 1857 में छावनी लूट और अमझेरा के राजा का विद्रोह का उल्लेख है। यों ये पत्र तत्कालीन राजस्थान, मालवा की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के लिये उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं।

सन्दर्भ

1. मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग 1, पृ. 256-259
2. श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ में संगृहीत चौपनिया सं. 2 (हस्त प्रतिलिपि)
3. चौपनिया संख्या 2, मूल चौपनिया दीवान बिलाड़ा के यहां संगृहीत है।
4. हस्तलिखित प्रतिलिपि - संस्थान में संगृहीत
5. संस्थान में चौपनिया नं. 5 की जेराक्स प्रति संगृहीत है
6. आई पंथ का संक्षिप्त इतिहास, लेखक शिवसिंह चोयल, पृ. 1-5

मालाणी प्रदेश-एक भौगोलिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पुष्पा कुं. भाटी

मालाणी प्रदेश पश्चिमी राजस्थान के राठौड़ों का पालना रहा है।¹ मालाणी के गजेटियर में उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई 150 मील एवं पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 120 मील है।² मालाणी प्रदेश में कई सारे प्रदेश शामिल हैं जिसमें निम्नलिखित प्रदेश आते हैं-

1. **महेवा**- ये प्रदेश लूणी नदी जो की पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहलाती है के किनारे बसा है। इसकी लम्बाई 68 मील और चौड़ाई 56 मील है।³ रावल मल्लीनाथ ने इस प्रदेश को अपनी राजधानी बनाकर रखा था।

2. **जसोल**-दूसरा प्रदेश जसोल है जो कि मालाणी के पूर्व में स्थित है। इसकी ल. 80 मील एवं चौ. 18 मील है। इसका क्षेत्रफल 1019 मील रहा है।⁴ मल्लीनाथ की दूसरी राणी चंद्रावल की पुनर्जन्म में प्रसिद्धि इसी गांव में हुई जो कि आज राणी भटियाणी के नाम से जानी जाती है।

3. **तिलवाड़ा**- यह मालाणी का वह प्रदेश है जहां रावल मल्लीनाथ ने अपनी समाधि लगाई थी।⁵ ये प्रदेश चैत्र मास में लगने वाले पशु मेले के लिये जग विख्यात है।

4. **सिणधरी**- ये लूणी नदी के पूर्व में स्थित है जो की 877 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी ल. 62 मील और चौ. 32 मील है।⁶

5. **बाड़मेर**-यह मालाणी का सबसे बड़ा परगना माना जाता है जो कि मालाणी के पश्चिम में 1338 वर्गमील में फैला हुआ है। इसकी ल. 69 मील एवं चौ. 62 मील है। 1892 में इसका जनसंख्या घनत्व 29.2 था।⁷

6. **विसाला**-विसाला मालाणी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे 'विसाला' के नाम से भी जाना जाता है। पुराने जमाने में इस प्रदेश के लोग 'स' को 'ख' कहकर बुलाते थे जैसे कि 'जसोल' को 'जखोल' आदि।⁸

7. **सेतरावा**-यह बाड़मेर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 305 वर्गमील रहा है।⁹ अमरकोट जहां बादशाह अकबर का जन्म हुआ वो यहां से मात्र 80 मील की दूरी पर है।

8. **सियानी**-यह बाड़मेर के उत्तर में स्थित है। किराडू जो कि पंवारों का गढ़ रहा है वो सियानी में ही है।¹⁰

9. **तखताबाद**-मालाणी के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस प्रदेश का नामकरण महाराजा तख्तसिंह के नाम पर हुआ।¹¹

10. **चौहटन**-यह बाड़मेर के पूर्व पश्चिम में 611 वर्गमील में फैला हुआ है। चौहटन में विरातरा (वांकल माता) का मन्दिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा पहाड़पूरी स्वामी का मठ भी प्रसिद्ध है।¹²

11. **राड़धरा**-यह भी लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है जिसके एक तरफ नगर और दूसरी तरफ सांचौर प्रदेश है। इसका नामकरण एक ऋषि के नाम पर पड़ा। गुड़ा, नगर और धोरीमना सब इसी के भाग हैं। जिसमें नगर का क्षेत्रफल 399 वर्गमील हैं और गुड़ा का क्षेत्रफल 1149 वर्गमील। राड़धरा में एक धोरा जो कि आलमजी का धोरा नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस धोरे पर नौ जो देवी देवता एक साथ मिले थे। यह धोरा घोड़ों के प्रजनन के लिये भी प्रसिद्ध है।¹³

12. **सीवाना**-यह प्रदेश जसोल के दक्षिण में स्थित है जिसको रावल मल्लीनाथ ने जीतकर अपने भाई राव जैतमाल को दिया था।

इस तरह मालाणी प्रदेश कोई छोटा सा प्रदेश ना होकर एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें ऊपर लिखित सारे प्रदेश शामिल हैं। मालाणी प्रदेश में अधिकतर बालू मिट्टी के धोरे ही देखने को मिलते हैं। जिसे रेत के समुद्र भी कहा जाता है।¹⁴ मालाणी प्रदेश के लिये राजस्थानी में एक कवित्त इस प्रकार है-

कवित्त मालाणी रो

जैसलमेर सूमेरू बनाय कै, दुदा तिलोक मरे रन रत्ता ।
सातल सोम सिवाने मरे, रिपुसेन पै दै कराका कत्ता ।
बंक कहै कबहूँ नहीं जाय, चहुं जुगलौं थिट नामकी सत्ता ।
गौरा औ बादल जूँझै चितौड़ पै, अैसे ही जूँझै है जैमल पत्ता ।।
रावल माल को तेज निहार कै, मेछन के मुख होत है पीरे ।
होत जहां अति आछे तुरंगम, हीरे की खान में होत ज्यूं हीरे ।।
लोक मजीठ के रंग रंगे जित, ओढत ग्रीम में पट सीरे ।
लौनी बहैरू लसै थल तुंग, मेहेवे सुधारस होत मतीरे ।।¹⁵

अर्थात् जिस तरह जैसलमेर में दूदा और तिलोक काम आये, सीवाना में सातल और सोम काम आये, चितौड़ में गौरा और बादल, जयमल और पत्ता काम आये उसी तरह मालाणी में रावल मल्लीनाथ प्रसिद्ध है। ज्यूं हीरे की खान में हीरे होते हैं उसी तरह

मालाणी मे रावल मल्लीनाथ थे। साथ ही साथ यहां होने वाले मतीरों की भी प्रसंशा की गई है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के तौर पर देखे तो मालाणी का बाड़मेर प्रदेश एक पावन धरोहर माना जाता है। वर्तमान मे इस प्रदेश मे कई सारे पर्यटन स्थल हे जो लोगों का मन मोह लेते हैं। जिसमे कीराडु का मन्दिर, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ का मन्दिर, रूपादे का मन्दिर, मालाजाल, जसोल में माता राणी भटियाणी का मन्दिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा जसोल के दक्षिण मे स्थित नाकोड़ा जैन श्वेताम्बर मन्दिर, जिसे तीर्थो का तीर्थ भी कहा जाता है। जसोल के उत्तर मे मां सती भगवतीबाई का मठ, सिणधरी के पास गोयणा के पहाड़ों की पाषाणकला आदि दर्शनीय है।

मालाणी का नाम रावल मल्लीनाथ के नाम पर पड़ा। मल्लीनाथ मारवाड़ के संथापक राव सीहा के नौवीं पीढ़ी के राठौड़ शासक राव सलखा के बेटे थे। मल्लीनाथ के कुल चार भाई थे जिनमे वीरमदेव, जैतमाल और सोभित थे। चूंकि मल्लीनाथ बहुत ही वीर और पराक्रमी शासक थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में मुसलमानों के साथ पांच बार युद्ध किये। उन्होंने सीवाना जीत कर अपने भाई जैतमाल को दिया¹⁶ और ओसियां सोभित को।¹⁷ उनकी दो रानियां थी-एक देवड़ी रानी चंद्रावल और दूसरी परिहार रानी रूपादे। रानी रूपादे एक भगतिमय नारी थी। उनका ध्येय सदैव कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का रहा। रावल माल की शादी रूपादे के साथ लालर के पुनर्जन्म के रूप मे हुई। अन्त में वो अपनी दूसरी रानी रूपादे के साथ नाथ पंथ की एक शाखा में सम्मिलित होकर सन्त बन गये। कहा जाता है कि काठियावाड़ के पास झिंझयाली प्रदेश में 'अलसी' नाम के एक जागीरदार रहते थे। उनके सात बेटे और एक बेटी थी। उनकी इच्छा थी कि चारणों और भाटों काठियावाड़ी घोड़ा दान करना, नहीं तो उनके प्राण नहीं छूटेंगे। उनके बेटे जब ये काम नहीं कर सके तो उनकी बेटी लालर ने ये बीड़ा उठाया और कहा कि आप स्वर्ग सिंधारो मैं यह काम कर लूंगी। लालर कहती है—

लालर कैवे भाभोजी सुरग सिधावो, मन मे धीरज धारो।

काठियावाड़ रा घोड़ा लासूं, कारज सारसूं थारो।।

और इतना कहते ही उनके प्राण निकल जाते हैं। अब लालर मर्दाना वेश पहनकर लालसिंह बनकर अपने काम पर निकलती है। रास्ते मे उसकी मुलाकात मल्लीनाथ से होती है। वो भी काठियावाड़ी घोड़े लेने जा रहे होते हैं। दोनों का लक्ष्य एक होने के कारण साथ हो जाते हैं और मिलने वाले घोड़ों को आधा आधा करने का निर्णय लेते है। इस तरह वो 25 घोड़ों को लाने में समर्थ होते हैं। पर जब बटंवारे की बात आती है तो 12-12 घोड़े लेने के बाद एक घोड़ा बच जाता है। अब इसका

बंटवारा कैसे किया जाय। पर लालसिंह इसके दो टुकड़े कर अपने वाले भाग को जीवित कर देता है। इससे मल्लीनाथ आश्चर्यचकित हो जाता है और उनका लालसिंह के दिव्य रूप का पता चल जाता है। अब मार्ग में जब वे विश्राम करने रुकते हैं तो लालसिंह नहाने जाता है तो मल्लीनाथ का एक नाई उसे स्त्री रूप में देख लेता है। जब ये बात रावलजी को पता चलती है तो वो लालर से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पर लालर अपने इस जन्म को पूरा बताकर अगले जन्म में 'रूपादे' के रूप में 'दूधवा' गांव में जन्म लेने की बात कहती है और उनसे विवाह का भी। पिता का नाम 'वाला बदरा' बताती है।¹⁸ दुधवा गांव वर्तमान में बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा के उत्तर में स्थित है। यह बात सच होती है और कुछ ही समय बाद बलभद्र पंवार के घर 'रूपादे' का जन्म होता है और मल्लीनाथ की उनसे शादी होती है।¹⁹ रूपादे एक भगतिमय नारी होती है जिनके 'धारू मेघ' सखा एवं 'उगमसी भाटी' गुरु होते हैं। आरम्भ में मल्लीनाथ रूपादे का उनकी भक्ति में साथ नहीं देते पर अन्त में रूपादे की अटल भक्ति को जान लेते हैं और इनके पंथ में शामिल हो जाते हैं। आज भी रानी रूपादे का तिलवाड़ा में लूणी नदी के तट पर मन्दिर बना हुआ है जो 'रूपादे का पालिया' कहलाता है एवं तिलवाड़ा में ही रावल मल्लीनाथ का समाधि स्थल भी है। एक ओर पवित्र स्थल 'मालाजाल' है जहां पर मल्लीनाथ ने दातुन करके जाल की टहनी रोपी थी जो कुछ दिनों में जाल का वृक्ष बन गई। ऐसी मान्यता है कि इस जाल की पत्तियां खांसी वाले रोगी को खिला दी जाये वो तुरन्त आराम मिल जाता है।

कविदन्तियों के अनुसार रानी रूपादे की भक्ति को देखकर चंद्रावल रानी जो कि शुरु से ही उनके खिलाफ थी, रूपादे से आग्रह करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाये। तब रानी रूपादे उसे एक वर देती है कि जिस तरह इस जन्म में मेरी प्रसिद्धि होगी उसी तरह अगले जन्म तू जोगिदा गांव में भाटी कुल में जन्म लेकर शादी के बाद जसोल में राणी भटियाणी के नाम से प्रसिद्ध होगी, ये मेरा वचन है।

मल्लीनाथ की कृपा सूं, बसायो मालाणी गढ़।

कलियुग में रूपादेजी, स्वरूपादेजी हुआ प्रकट।²⁰

ये बात सच होती है और रानी चन्द्रावल जैसलमेर के भाटी वंश के ठाकुर जोगराजसिंह के घर जन्म लेकर जसोल के राव जैतमालसिंह के बेटे राव कल्याणसिंह से ब्याही जाती है। कुछ समय पश्चात स्वरूपा रानी के एक पुत्र होता है जिसका नाम लालसिंह रखा जाता है और उसको राव कल्याणसिंह की पहली रानी देवडीजी येन केन प्रकारेण दूध में जहर मिलाकर मरवा देती हैं। अब रानी भटियाणी पुत्रवियोग में अपने प्राण त्याग देती है और यही रानी अपने मायके आये दमामी को श्मसान में दर्शन देती है। यह बात जब रावजी को पता चलती है तो उनको विश्वास नहीं होता और वो इसकी पुष्टि के लिये खेजड़ी का तिनका रोपते हैं और कहते हैं कि अगर ये तिनका

तीन दिन में पेड़ बन जायेगा तो मान लेंगे कि रानी दिव्य रूप में है और देखते ही देखते टहनी बड़ा वृक्ष बन जाती हैं।²¹ इससे रावजी एवं समस्त गांव वाले रानी भटियाणी की पूजा व आराधना चालू कर देते हैं। वो खेजड़ी का पेड़ आज भी मन्दिर परिसर में विद्यमान है। इनके भक्तों की संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है। इनकी याद में कार्तिक माह में लूणी नदी के तट पर जसोल में हर वर्ष पशुमेला भरता है जिसमें अनेक पशुओं की खरीद बिक्री होती है। शुक्लपक्ष की त्रयोदशी को भटियाणी का विशेष दिन माना जाना है। इस दिन व्रत रखने से मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार मालाणी का और मालाणी में भी जसोल और तिलवाड़ा का अपना अलग ही महत्व है। यह एक तपोभूमि है जहां एक नहीं कई सारे तपस्वी और सिद्ध पुरुष हुये। जिनकी मिसाल हमारे सामने है।

सन्दर्भ

1. Brief Account of Mallani by Munshi Hardayal Singh, p. 5
2. वही, पृ. 25
3. वही, पृ. 27
4. वही, पृ. 28
5. वही
6. वही, पृ. 28
7. वही, पृ. 27
8. वही, पृ. 31
9. वही, पृ. 31
11. वही, पृ. 32
12. वही, पृ. 37
13. वही, पृ. 42
14. वही, पृ. 5
15. बांकीदास आसिया ग्रंथावली, भाग 2 सं. सौभाग्यसिंह शेखावत और सन्त शिरोमणी रांणी रूपादे और मल्लीनाथ, डॉ. डी.बी. क्षीरसागर, पृ. 233
16. नैणसी की ख्यात, भाग प्रथम, पृ. 16, उदयभाण चंपावत री ख्यात, ग्रंथ सं. 75 पत्र 44 ख
17. रेड, मारवाड़ का इतिहास, प्रथम, पृ. 54
18. सन्त शिरोमणी रांणी रूपादे और मल्लीनाथ, डॉ. डी.बी. क्षीरसागर, पृ. 22
19. सन्त शिरोमणी रांणी रूपादे और मल्लीनाथ, डॉ. डी.बी. क्षीरसागर, पृ. 24
20. भटियाणी की महिमा, राजेन्द्र अवस्थी
21. जसोल का इतिहास, भाग प्रथम, भंवरलाल भादानी, सं. नाहरसिंह जसोल, पृ. 436

महाराजा अभयसिंह के काल का डिंगल साहित्य

डॉ. दिनेश राठी

महाराजा अभयसिंह (1724 ई.-1749 ई.) महाराजा अजीतसिंह की मृत्यु के पश्चात् मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे।¹ महाराजा अभयसिंह की गद्दीनशीनी के समय इतिहास एक निर्णायक मोड़ की ओर अग्रसर था। मराठों का पुनरुत्थान हो रहा था। एक ओर मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी, दूसरी ओर राजपूत राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि हो रही थी। इधर मारवाड़ की आंतरिक स्थिति भी विकट थी क्योंकि अजीतसिंह की हत्या के पश्चात् कई सामंत विद्रोह की ओर अग्रसर थे।² ऐसी विकट परिस्थितियों में भी महाराजा अभयसिंह ने न केवल अपने गृह राज्य में शान्ति स्थापित की, बल्कि इसके साथ ही साथ अपना प्रभाव मुगल दरबार में बढ़ाया और मुगल बादशाह मुहम्मदशाह से गुजरात की सूबेदारी लेकर गौरव बढ़ाया।³

तत्पश्चात् महाराजा अभयसिंह को गुजरात हस्तगत करने हेतु मुगल अधिकारी सरबुलंद खां से अहमदाबाद में युद्ध करना पड़ता है। एक भयंकर युद्ध के पश्चात् महाराजा अभयसिंह गुजरात के सूबेदार बन सके। इसी युद्ध को लेकर ही महाराजा अभयसिंह के समय कई डिंगल साहित्यों का सृजन हुआ। जिसमें प्रमुख रूप से वीरभाण रतनू कृत राजरूपक, कविया करणीदान कृत-सूरजप्रकाश और विरद सिणगार, बखता खिड़िया कृत महाराजा अभैसिंहजी रा कवित, कवि सेवक प्रयाग कृत अभैगुण, विशानसिंह बारहठ कृत विजैविलास तथा सूजा सांदू व द्वारकादास दधवाड़िया द्वारा रचित डिंगल गीतों का प्रमुख स्थान है।⁴

मारवाड़ में साहित्य सृजन का इतिहास अत्यन्त ही सुदृढ़ व गौरवशाली रहा। जिसमें डिंगल साहित्य सृजन का कार्य अग्रणी रहा है। साहित्य लेखन व संरक्षण की गौरवमयी परम्परा को महाराजा अभयसिंह ने पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। महाराजा अभयसिंह के समय डिंगल साहित्य अपने पूर्ण यौवन पर था। महाराजा अभयसिंह के दरबार में अनेक चारण और कवि आश्रय पाते थे। कविया करणीदान ने उसके आश्रय में रहकर ही डिंगल की सर्वोत्कृष्ट कृति 'सूरजप्रकाश' नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की। जिसमें रामचंद्र और पुंजराज से लेकर अजीतसिंह तक संक्षिप्त हाल और अभयसिंह का सरबुलन्दखां के साथ युद्ध तक का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।⁵ यह कवि स्वयं उस युद्ध में मौजूद था अतः आंखों देखा वर्णन होने से इसकी प्रामाणिकता एवं सजीवता स्वयं सिद्ध है। सूरजप्रकाश डिंगल भाषा में लिखा है जो अब प्रकाशित

(3 भागों में) हो चुका है। कविया करणीदान ने ही सूरजप्रकाश को 138 छंदों में लिखकर उसका नाम 'बिड़द शृंगार' रख दिया था। इन्हीं दो काव्यों के पुरस्कार में महाराजा अभयसिंह ने करणीदान को लाख पसाव और 2000 रुपये वार्षिक आय की जागीर अलसाव गांव दिया तथा कविराज की उपाधि प्रदान की।⁶ इसके अतिरिक्त उसका सम्मान भी किया। स्वयं महाराजा घोड़े पर सवार होकर तथा कविराज को हाथी पर चढ़ाकर मण्डोर से उसके घर तक पहुंचाने गये। महाराजा ने अपने हाथों से कविराज के सिर पर पाग बांधी और तुरा टांकते हुए सम्मानित किया था।⁷

'सूरजप्रकाश' में कई वर्णन मिलते हैं, जिनमें नई-नई उक्तियों के द्वारा कवि ने अपना कल्पना-कौशल सिद्ध किया है। डमरू एवं त्रंबकों की गड़गड़ाहट से पहाड़ों की गुफाओं में स्थित सिद्धों की समाधियां खुलने लगती हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी एवं परधारी सर्प कलमलाते हुए अमूझने लगते हैं। चतुर्दिक धुंआधोर मच जाने से दिन में भी रात्रि का-सा दृश्य बन जाता है और चकवा-चकवी निशा के भ्रम में बिछुड़ने लगते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में यही वर्णन है—

वाजतां त्रंवागळ डाक वाधि। सिध गिरंद गुफा छूटै समाधि।

भमता खग उडता बह भुजंग। कळमळै पडै मूझै कुरंग।

चौगड़द धोम रज डमर चाक। वीछटिया मेळा चक्रवाक।।

विड़द सिणगार कविराज करणीदानजी कविया कृत प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य 'सूरजप्रकाश' का तत्त्व सार है, ऐसा स्वयं कवि ने माना है—'सूरजप्रकाश' रौ तंत सार'। यह 138 छंद का अत्यन्त लघु खण्ड काव्य है। संवत् 1787 में रचित इस कृति में प्रारम्भ में एक दोहा फिर 135 पद्धरी छंद और अंत में दो दोहे, इस प्रकार कुल 138 छंद हैं।

महाराजा अभैसिंहजी रा कवित्त

इस डिंगल कृति में जोधपुर के महाराजा अभयसिंहजी द्वारा संवत् 1787 में की गई अहमदाबाद-विजय का वृत्तान्त अंकित किया गया है। उस युद्ध में कविवर बखताजी खिड़िया स्वयं सम्मिलित थे अतः आंखों देखा हाल उसी वर्ष वर्णित किया है। यह कवि मारवाड़ के कांवलियां गांव का निवासी था और बाद में महाराजा अभयसिंहजी द्वारा इन्हें राणास नामक गांव प्रदान किया गया। इस कृति में कुल 166 छप्पय हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति लेखक के निजी संग्रहालय में है। राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर द्वारा 'परम्परा' एक अंक में (भाग 77-78) में 'अहमदाबाद री राड़ रा कवित्त' शीर्षक से सन् 1986 में प्रकाशित हो चुके हैं।

बखता खिड़िया ने महाराजा अभयसिंहजी रा कवित्त (166 छप्पय कवित्त) में महाराजा अभयसिंह की सैनिक तैयारियां, सेना का, सरबुलन्दखां का, उसके साथ युद्ध तथा विजय का सांगो-पांग वर्णन किया है।

अभयसिंह की सैनिक तैयारी का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया—

कौल हेत कामरां कीयां कूरमां कमंधां!
 च्यार सक चळचळै मिळै फौजां अनमंधां!
 धसल बाज साकुरां जळळ बगतरां जलमां।
 अड़े दोयण काढवा किले काढवा किलमां।
 करोड़ा दरब बुगदी कठठ गजां सिर धींग दे।
 अैमदा दिस राजा अभौ दिस उजेण जैसींग दे।।

कवि ने इस प्रसंग में हाथी घोड़ों और ऊंटों की विशेषता का जहां विस्तृत वर्णन किया है वहीं युद्ध के साज-समान का वर्णन भी प्रभावशाली ढंग से किया है। फौज की विशालता के साथ-साथ हाथी, घोड़ों और योद्धाओं के चलने का चित्रण भी कवि ने वास्तविकता के साथ किया है। कवि ने जहां महाराजा अभयसिंह के शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व को इस काव्य में उजागर किया वहीं प्रतिपक्षी युद्ध-नायक सरबुलन्दखां के वीर और ओजपूर्ण व्यक्तित्व के चित्रण में भी कोई कमी नहीं रखी।

में पातसाहां मौर केई चत्रुरंग विरोळे।
 में बांगास श्रोग में कोई बेर जकजोळे।
 में मोटां आसंगे बड़ा गढ कोटां दुकाँ।
 केई फतै में करी कदै अवसाण न चुकाँ।
 आयो नजीक राजा अबै बढै काय हूरां वरूँ।
 निसाला हाथ ताला नमधकाय बोलबाला करूँ।।

‘सूरजप्रकाश’ और ‘राज-रूपक’ जितना विस्तार तो बखता खिड़िया के कवित्तों में नहीं है परन्तु सैन्य-सज्जा, हाथियों घोड़ों और ऊंटों की सजावट, शिकार एवं भोजन नगर एवं प्रकृति वर्णन का सुन्दर निरूपण उनके कवित्तों में मिलता है।

परम्परागत उपमानों के माध्यम से भी स्वाभाविक एवं सटीक वर्णन कवि की कुशलता का परिचायक है। वीरत्व का निदर्शन, शौर्य का चित्रण बखता खिड़िया की विशेषता है। सर बुलन्दखां जैसे महाबली को अधीनस्थ करने की चुनौती जब मुहम्मद शाह के अन्य सेनापति स्वीकार करने से कतराते हैं तब महाराजा अभयसिंह जोश एवं उत्साह से उफनते हुए बेझिझक इसे स्वीकार करते हैं। कवि ने इसका बहुत सटीक चित्र अंकित किया है—

अहि धिखियौ आसंगै, कवण एहौ कर घल्लै।
 आसमान खड़हड़त, वीज पड़ती कुण झल्लै।
 दावानत धड़हड़ै, वीच कुण धसै विचारै।
 कुण झांपै परबतां, कवण हासै विष जाँरै।

अतरू नदी वहती अतर, वीच कवण छाती वगै।
सिर बिलंद खान दिखणी सहित, अभा बिनां कुण आसंगै।।

सिवाय महाराजा अभयसिंह के कौन दुर्दमनीय फुफकारते हुए सर्प को अपने हाथों से वश में कर सकता है? भीषण वज्रपात करते हुए आकाश से निपतित होने वाली बिजली को कौन झेल सकता है? लपलपाते हुए दावानल के बीच कौन बेधड़क प्रवेश कर सकता है? उफनती हुई नदी के बीच निधड़क प्रवेश करने का कौन साहस कर सकता है? वास्तव में दुर्गम पर्वतों को लांघने के समान महाबली सर बुलन्दखां को परास्त करने का काम सिवाय महाराजा अभयसिंह के और किसी के वश का नहीं है।

सटीक उपमाओं एवं रूपकों के माध्यम से मानवीय भावों का सजीव वर्णन प्रस्तुत करना कवि बखता खिड़िया की बहुत बड़ी विशेषता है। सजीव युद्ध वर्णन डिंगल कवियों की अपनी विशिष्टता है। युद्ध के दृश्यों का ध्वन्यात्मक रूप प्रस्तुत करने में डिंगल कवि बेजोड़ हैं। तलवार के धनी ये डिंगल कवि राजप्रसादों के विलासी वातावरण के बीच यथार्थता से अछूते, कोरी कल्पना में पगे वर्णन प्रस्तुत करने वाले कवि नहीं थे। युद्ध के भीषण घात-प्रतिघात को दूर से देखने वाले ही नहीं वरन् उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले ऐसे कवि संसार के किसी भी कोने में मिलना दुर्लभ है। कवि बखता खिड़िया द्वारा अंकित युद्ध का वर्णन ध्वन्यात्मकता एवं सजीवता की दृष्टि से बेजोड़ है।

अभैगुण

जोधपुर के महाराजा अभयसिंहजी की अहमदाबाद विजय (सं. 1787) का वर्णन करते हुए जोधपुर के सेवक प्रयाग ने उसी वर्ष 'अभैगुण' नामक खंडकाव्य की रचना की। इस कृति में कुल 305 छंद हैं। इसकी प्राचीनतम एवं पूर्ण प्रति बीकानेर के श्री अगरचंद नाहटा के संग्रहालय में है, जिसका लिपिकाल ग्रंथ-निर्माण के केवल 4 वर्ष बाद संवत् 1791 कार्तिक शुक्ला 2 बुधवार अंकित है। ग्रंथ की पुष्पिका में लिखा है—'अती श्री अभैगुण राजराजेश्वर श्री महाराज श्री अभैसिंहजी, नवाब सिरविलदंखां पराजै वरण(ण) सम्पूर्ण।। सं. 1791 रा वर्षे कार्तिक सुदि 2 तिथौ बुधवासरे लिखितं पं. देवराजेन मुं. सवाईसिंहजी वाचनार्थ।। श्री जोधपुर मध्ये लिखितं।।'⁸

कवि ने महाराजा अभयसिंह को इन्द्र के रूप में मानकर अहमदाबाद युद्ध में सरबुलंदखां के सिर पर खड्ग रूपी धारा की बरसात चित्रित की है। 'छप्पय दौढों' में यह रूपक अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है, जिसमें फौज रूपी घटा, भालों रूपी बिजली, तोपों रूपी गर्जना, खेह का अंधकार बाणों की झड़ी और गोले रूपी ओले गिरने से दुर्जन रूपी दुर्भिक्ष भाग गया बताया है।

राजरूपक

‘राजरूपक’ के रचयिता वीरभाण रतनू मारवाड़ के घड़ोई ग्राम के निवासी थे। यह ग्रंथ संवत् 1787 वि. में महाराजा अभयसिंह द्वारा की गई अहमदाबाद विजय के उपलक्ष में रचा गया और इसका रचनाकाल भी उक्त वही वर्ष है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा सं. 1998 वि. में हो चुका है। इसकी कुल छंद संख्या 3353 है। अन्य हस्तलिखित प्रतियों में छंद संख्या इससे कुछ अधिक भी मिलती है।⁹ तिथिक्रम से लिखा गया मारवाड़ का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य है। राजरूपक में वर्णित तथ्य प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के हैं। इतना विशाल ग्रंथ होते हुए भी तिथिक्रम से प्रामाणिक वर्णन करना ‘राजरूपक’ की ऐसी महान विशेषता है कि समूचे डिंगल साहित्य में इस दृष्टि से प्रथम स्थान कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। निःसंदेह ‘राजरूपक’ इतिहास और काव्य दोनों ही दृष्टियों से एक अनुपम कृति है। इस डिंगल कृति में वीररस की जो बहुरंगीय छटा अंकित की गई, वह बेजोड़ है, जैसे कि—

*जवन्निय सेन प्रलै किर जाल। घमंघम पक्खर घुग्घरमाल।
टमंकि तब्बल नफेरिय टीप। जुझाऊ त्रंबक वाज सजीप।
खिवै फल सेल खुलै दल खगग। दिपै दव आग कि झाल सदगग।
हुवै रव हक्क किलक्कि हजार। धड़क्किय नाल भलक्किय धार।*

डिंगल, राजस्थान की वह पुरातन, परिनिष्ठत व प्रशस्त भाषा है, जिसका अपना विशाल शब्दकोश तथा व्याकरण है। निजी रीतिशास्त्र के आधार पर विभिन्न विषयों पर रचा गया विपुल साहित्य इस समृद्ध भाषा की अपनी निधि है, जिसकी समता अन्यत्र दुर्लभ है।

सन्दर्भ

1. राठौड़ां री ख्यात, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, पृ. 1, संपादक कैलाशदान उज्ज्वल, पुष्पेन्द्रसिंह
2. वही
3. सूरजप्रकाश, भाग 1, पृ. 235-248
4. कविया, डॉ. शक्तिदान, डिंगल के ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, पृ. 134-161
5. राठी, डॉ. दिनेश, अठारहवीं सदी के प्रारम्भ में मारवाड़, पृ. 206
6. परम्परा, अंक 77-78, अहमदाबाद राड़ रा कवित्त, पृ. 8, संपादक डॉ. नारायणसिंह भारी
7. कविया, डॉ. शक्तिदान, डिंगल के ऐतिहासिक प्रबंध काव्य, पृ. 270
8. वही, पृ. 274
9. वही, पृ. 269

महाराजा मानसिंह की महारानी तीजा भटियाणी की सरकार तालके हथ बही में परवाने की नकलें : एक अध्ययन

डॉ. विक्रमसिंह भाटी

प्रस्तुत आलेख महाराजा मानसिंहजी के राजलोक श्री तीजा भटियाणीजी के हथ बही (वि.सं. 1918) से सम्बन्धित है।¹ बही के प्रारम्भ में 'हथ बही' लिखा है। हथ बही दैनिक डायरी के तर्ज का अभिलेख माना जाता है। बही का प्रारम्भ सावण वद 1 से है। प्रारम्भ में 'प्रवाणा तलवा उधड़ा री रकमां' ऐसा शीर्षक लिखा है। इससे जाहिर है कि महारानी की सरकार के कामों के लिये भिन्न-भिन्न लोगों के लिये परवाने-आदेश जो भेजे गये उनकी नकलें हैं तथा तलबा यानी किसी को तलब करना, बुलाना ऐसे हुकमनामों की नकलें इस बही में दर्ज है। वस्तुतः बही में मूल रूप से महाराणी द्वारा विभिन्न लोगों के लिये परवाने आदेश जो भेजे गये उनके नकल का हवाला इसमें दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि तीजा भटियाणी का नामोल्लेख महाराजा मानसिंह की धर्मपत्नी के रूप में हुआ है। यह तीजा भटियाणी जाखण ठिकाने के ठाकुर गोयन्ददास की पुत्री प्रताप कुंवरी थी, जिन्हें महाराजा मानसिंह की महारानी बनने का सौभाग्य मिला था। वह बड़ी विदुषी एवं धर्म-कर्म में आस्था रखने वाली थी। 'भाटी वंश के गौरवमय इतिहास'² से ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने जीवनकाल में कई रचनाएं लिखी, जिनमें उनकी चौदह रचनाएं ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रताप पच्चीसी, प्रेम सागर, रामचन्द्र नाम महिमा, रामगुण सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम प्रेम सुख सागर, राम सुजस पच्चीसी, रघुनाथजी रा कवित्त, भजन पद हरजस संग्रह, प्रताप विनय, श्री रामचन्द्र विनय, हरिजस, प्रकाश में आती हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका विवाह महाराजा मानसिंह के साथ 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उक्त महाराजा की वि.सं. 1900 में मृत्यु होने के पश्चात् इन्होंने अपना जीवन पाठ-पूजा और भजन भाव में व्यतीत किया। जाखण ठिकाने की रानी भटियाणी ने न केवल धार्मिक ग्रन्थों का प्रणयन किया बल्कि मन्दिरों का निर्माण कार्य भी करवाया। इन्होंने गुलाब सागर की पाल पर एवं घासमंडी में ठाकुरजी श्री रघुनाथजी का मंदिर भी बनवाया था। उसकी भी बहियें क्रमशः वि.सं 1903-1904 और वि.सं. 1915-1917 के समय की है,

जिनमें मन्दिर निर्माण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यह बहियें महाराजा तखतसिंह के काल की हैं। तीजा भटियाणी की हथ बही के प्रारम्भ में सावण बद् 1 (एकम) की तिथि का हवाला देते हुए पहली टिप्पणी याददास्त के तौर पर लिखी गई है। इसमें उल्लेख है कि मण्डोर के बड़े बेरे (कुए) के माली पोकरिया तथा भंडारी बख्तावरमल से रुपये प्राप्त करने हैं।

दूसरी टिप्पणी में लिखा है कि गढ़ जोधपुर के गांव बड़ा अरटिया से जाट कमीया तथा बोरा माधोराय से रुपये लेने हैं। इस मामले में सरकार के आदमियों से दरखास्त की गई जिससे बकाया रकम भी झमेले में पड़ गई, अनन्तर उनसे इस बाबत रु. 150/- लिया गया।

तीसरी टिप्पणी में एक परवाने की नकल दर्ज है — गढ़ जोधपुर का गांव बावड़ी के एक बनिक साह जालमचंद को लिखा है कि “तुम विश्वास और धैर्य रख कर गांव में व्यापार करते रहना। तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा यहां पर तुम्हारे बारे में जो शिकायत की गई उसका समाधान भी कर लिया गया है।” इस तरह से एक व्यापारी की समस्या का समाधान करके उसे आश्वासन दिया गया है। बही का प्रथम पत्र आधा फटा हुआ है इसके पीछे की तरफ गांवों के नामों की सूची दी गई है जिसमें पांच गांवों के नाम दर्ज हैं जो तीजा भटियाणी के पट्टे के गांव थे—

1. गढ़ जोधपुर का गांव बावड़ी।
2. परगना मेड़ता का गांव पादू।
3. परगना फलोदी का गांव भोजासर।
4. परगना गोडवाड़ का गांव डेडा।
5. परगना सोजत का गांव मैलावास।

आगे बही में गांव बावड़ी के चौधरियों को निर्देश देते हुए लिखा मिलता है कि फकीर अलाबक्स के लिये घरदीठ यानि प्रतिघर से एक पैसे की लाग है सो इस वर्ष की उगाई वसूल करके दे देना। इसके पश्चात् सावण वद् 14 (चवदस) का एक परवाना दर्ज है जो मुता गंभीरमल को लिखा गया है कि “मेरे पट्टे का गांव डेडा आपको इजारे यानि ठेके पर दिया गया है, इस कारण तुम पांच वर्षों की साखें (कृषि उपज) दस (प्रति वर्ष दो साख-खरीफ व रबी) की आय ले लेना।

सावण सुद् 1 (एकम) की तिथि में गढ़ जोधपुर के गांव बड़ा अरटिया के जाट कमीया के बेटे ने बोरा माधोराय से रु. 2/- छीन लिये, इस बाबत सरकार की ओर से आदमी भेजा गया और जाट को जवाब देने बाबत लिखा अन्यथा सख्त कार्यवाही की चेतावनी देने की बात बही से प्रकट होती है।

सावण सुद 3 (तीज) की तिथि में मेड़ता परगने का गांव सोवणिया के गेनीये को निर्देश दिया कि नरूका कुसलसिंह भोमसिंह के खेत हमेशा की भांति रोके गये हैं उनको तुम साथ रहकर बोवा देना तथा पूर्व वाली साख को पड़ा रखा, उस बाबत यहां आकर जवाब देना। देर की तो अधिक तलब होगी।

सावण सुद 5 में — जोधपुर के गांव भेंसारा के प्रोहित राजसिंह तथा मदनसिंह को हुकम दिया कि ओझा मूलचंद के रुपया लेकर आना इसमें देर करोगे तो ज्यादा तलब भेजी जाएगी।

सावण सुद 8 (आठम) में तीन गांव के चौधरियों को निर्देश दिये गये मिलते हैं। बही में लिखा मिलता है कि “फकीर जमाल सा, फते सा के चेलों को प्रतिघर एक पैसा दिया है, इसलिए इनको लोगों से इसकी उगाई (वसूली) करने देना। ये तीन गांव हैं—(1) जोधपुर का बावड़ी, (2) गोडवाड़ का डेडा, (3) सोजत का मैलावास।

सावण सुद 12 (बारस) में जोधपुर के गांव नेतड़ा के बोहरा खेता को निर्देश दिया है कि तुम्हारे और बोहरा उमा के बीच भूखण्ड बाबत विवाद है और इस बाबत तुमने पंचायती कराने का मुचलका भरा है, लेकिन तुमने पंचायती करवाई नहीं सो पंचायती कराने के खर्चे के रुपये लेकर आओ।

भाद्रपद वद 1 (एकम) की तिथि में गढ़ जोधपुर के गांव भेंसारा के जागीरदार को हुकम का परवाना लिखा गया कि (जागीरदार का नाम प्रोहित मदनसिंह हीमतसिंह लिखा है) तुम्हारे ऊपर ओझा कसनचंद मूलचंद की देणदारी बकाया थी। इस बाबत पहले तुमको तलब किया था पर तुमने माना नहीं और आदमी भेजा गया, उसके साथ तुमने बेइज्जती की, इनबातों का जवाब यहां आकर दो देर की तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भाद्रपद वद 6 (छठ) में फलोदी के गांव मूजासर के रूपावत जसवंतसिंह, भाना, गुला, माधव व माना तथा आसो, पीरदार इन लोगों को आदेश दिया कि तुम लोगों में कुशालीराम दवे के रुपये बकाया है, सो लेकर आवें।

भाद्रपद वद 7 (सातम) की तिथि में गढ़ जोधपुर के गांव बावड़ी के चौधरियों को आदेश दिया कि बोहरा का आदमी वहां आ रहा है सो अपने इलाके की उगाई (वसूली) हमेशा की तरह इसे करवा देना तथा वसूल किये गये रुपये बोहरा के आदमी को देना। इस बाबत सरकार का समर्थन है, इसलिए देर नहीं करें।

भाद्रपद सुद 3 (तीज) में भी जोधपुर के गांव जाणादेसर के चौधरियों को उपरोक्त जैसा आदेश भेजा गया कि यह गांव ओझा मूलचंद के पास गिरवी था, जिसके आदमी को गांव के हासल की उगाई करवा देने बाबत गांव के चौधरियों को ओदश दिया गया।

अश्विन वद 7 (सातम) में मेड़ता के गांव मेवाड़ा के ब्राह्मण नंदु तीवाड़ी को आदेश दिया कि पादू गांव के महाजन लोढ़ा खूबचंद के रुपयों की व्यवस्था करें। इसी तरह मेड़ता के गांव पादू के नाई तेजा को भी महाजन खूबचंद लोढ़ा के रुपयों की व्यवस्था करने बाबत हुकम दिया गया।

अश्विन सुद 1 (एकम) में फलौदी परगने के गांव भोजासर के चौधरियों को आदेश दिया कि तुम लोगों में नोता के रु. 200/- भाद्रपद की किस्त के बकाया है तथा संवत् 1916 के वर्ष के पेटिये के रुपये 50/- भी बाकी है सो कुल रुपये 250/- तुरन्त भेज देना।

अश्विन सुद 10 (दसम) में परगना सोजत के गांव मेलावास के चौधरियों को आदेश दिया कि जमा बंधी का कार्य करवाना।

अश्विन सुद 15 (पूनम) की तिथि में जोधपुर के गांव चाडी के हवालदार तथा चौधरियों को आदेश भेजा कि वहां के कुम्हार सला, उमेदा ये लोग सरकार के बंदगीदार हैं, इनसे किसी तरह की गैर वाजिब व्यवहार नहीं करें तथा मुकाता हमेशा की तरह लें। इसके साथ ही चाडी गांव के कुम्हार सला व उमेदा को भी आदेश दिया कि तुम लोग सरकार के बंदगीदार हो और गांव का हवालदार तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है लेकिन तुम मन में तसल्ली रख कर वहीं गांव में रहना।

अश्विन सुद 15 (पूनम) को ही एक परवाना मेड़ता परगना के गांव सोवणिया के चौधरी लोग, भोमिया लोग तथा हासल देने वाले सभी लोगों के नाम भेजा गया कि हम यहां से अपने पक्ष का आदमी भेज रहे हैं तब तक तुम लोग फसलों को हवालदार से लटवाना (हासल देना) मत तथा कोई पैसा रकम नहीं देना। नहीं तो दुबारा ले ली जावेगी। इसके साथ ही उसी दिन मेड़ता के गांव सोवणिया के भोमिया नरूका शिवसिंह को आदेश दिया कि तुम रीयां के मार्ग ऊपर स्थित खालसा के खेतों का हासल का धान लेकर जबरदस्ती अपने घर ले गये, इसलिये इसे लेकर आना।

कार्तिक सुद 6 (छठ) में गांव गुंदोच के प्रोहित रूपा को आदेश दिया कि आप जोड़ (खालसा भूमि जहां सरकारी घोड़ा व पशुओं के लिये घास होती है) से घास चोरी कर ले गये उसका जवाब दें। इसी तरह गांव कोबदलाव (गोयंदलाव) के जागीरदार व कामदार को पत्र भेजा कि तुम लोगों ने डेडा गांव से तीन बैल चुराये, उनको 15 दिन में वापस करने का आदेश दिया, उनकी पालना नहीं की गई। अतः आदेश की पालना करें। इसी दिन कार्तिक सुद 6 को जोधपुर के गांव भटकीरीया के जागीरदार हुकमसिंह को आदेश भेजा कि बावड़ी गांव के व्यास तथा पुनीया री वासणी के गोस्वामी रतनगिरी के घरेलू सामान, रोकड रुपया, 2 ऊंट तथा गायें इत्यादि सामान तुम्हारे वहां रह गई है सो तुम लेकर आना, देर करोगे तो कठोर कार्यवाही की जावेगी।

कार्तिक सुद 14 (चवदस) की तिथि में गांव बावड़ी के चौधरियों को परवाना भेजकर निमंत्रण दिया कि मिंगसर वद 11 को वेतरणी का उजवाणा (उद्यापन) व्रत होगा सो चौधरी व पटवारी लोग समय पर आ जाना।

कार्तिक सुद 15 (पूनम) में फलोदी के गांव नोखड़े के नाई जीवण को परवाना भेजा कि महाजन नाहरमल के रुपये तुम में बकाया है और इस बाबत पंचायत तक कराई नहीं इसका जवाब यहां आकर दें।

इसके पश्चात् कार्तिक सुद 13 की तिथि का एक परवाना बही में दर्ज है। इसमें बावड़ी गांव के आगे (नागौर की तरफ) खेड़ापा धाम है (रामस्नेही संप्रदाय की आचार्यपीठ) उसके महन्त श्री उरजणदासजी को बावड़ी की सीमा का एक खेत डोहली के रूप में दिया, इसका हवाला दे रखा है। यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है, जिसकी नकल तुरंत संदर्भ के लिये नीचे दर्ज है—

“। कार्तिक सुद 13

। प्रवाणो 1 खेड़ापा रा मेहंतजी श्री उरजणदासजी ने गढ जोधपुर रो गांव बावड़ी री डोहली 1 हलवा अेक री समचोरस दीवी है तीण रो तांबा पत्र भाद्रवा सुद 13 तेरस री मिती रो कर दीयो है तीण मुजब डोहली भेंट दी है सु ईणा रै आल औलाद भोगवसी ओ दत पर दत मही री आल औलाद हींदवाण तुरकांण कोई उथापण पावे नहीं कोई उथपसी जीको आपरा ईसट धरम सुं वे मुख होसी नै चीतोड़ भागा रो दोस उथपसी तीण ने लागसी-सीलोक

स्वदत्रा पदत्रा वावे पालेती वसुंधरा।

तन रा स्वर गया तिया वसंद्र दिवा करा।।1।।

स्वदत्रा परदत्रा वाहै हरती वसुंधरा।

ते नरां नरक जाय तीया वसुद्र दिवा करा।।2।।

।। ह. कामदार कुंपावत बिसनसिंघ अखेसिंघोत

संमत् 1918 रा काती सुद 13

।। आडी ओल में खास दसकत हींदु ने तो गाय री सोगन ने मुसलमान ने सुर री सोगन है।”

इसके पश्चात् मार्गशीर्ष माह का विवरण है मार्गशीर्ष वद 1 (एकम) की तिथि में वेतरणी के उजवणे के संबंध में गांवों में जो परवाने भेजे इनका उल्लेख है—

गांव मेलावास में 2 परवाने - चौधरी लोगों के लिये तथा भोमिया बसपती के नाम से।

गांव पादु के भोमियों के नाम का परवाना।

गांव बावड़ी के भोमियों के नाम का परवाना।

गांव डेडा के लिए – गांवों से आगे भी भेजा।

उपर्युक्त निम्नलिखित गांवों के भूमियों—फतेसिंह, भांनीसिंह, सबलसिंह, भभूतसिंह और समस्त लोगों के नाम परवाने भेजे गये, इसी तरह गांव बावड़ी में परवाने भेजे गये जिनमें मुता कीस्तूरचंद सायबचंद, भंडारी ईंदरचंद, सीरीचंद, काहोला के भूमिया छतरसिंह, ईसरीसिंह, भांनीसिंह इत्यादि नाम अंकित हैं।

मार्गशीर्ष वद 5 (पांचम) में गांव पादु के चौधरियों के नाम परवाना में लिखा है कि फकीर नबीबगस को हर घर से दो टके उगाहने देना।

मार्गशीर्ष वद 14 (चवदस) की तिथि में गढ़ जोधपुर के गांव कीरमरीया के जागीरदार को हुकम दिया कि बावड़ी गांव के मुता कीस्तूरचंद की सांड (मादा ऊंट) पिछले जेठ सुद 3 को चोरी गई और उसके पांवों की खोज के निशान तुम्हारे गांव में आये। तुमने 20 दिन में यह सांड देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अतः अब तुरन्त इस काम को पूरा करें।

मार्गशीर्ष सुद 6 (छठ) में गांव जाणादेसर के पटवारी को निर्देश दिया गया कि गांव के हासल के रुपये आवे वे बोहरा को दे दें। इसी तिथि में ओझा किशनचंद तथा दवे कुशालीराम के नाम का रूक्का है जिसमें फतेराम कंदोई को रु. 400/- देने का निर्देश दिया गया है।

पौष सुद 5 (पांचम) में मुथा हिम्मतमल की गांव के आसामियों में लेणदारी का उल्लेख किया गया मिलता है।

फाल्गुन वद 12 (बारस) में गांव डेडा के सोनगरा भोमा, उदा, तखता ने वहां के माणक से सीधी अपनी मर्जी से गुनहगारी ले ली उस बाबत 3; 1.50 उनके नाम लिखा है।

फाल्गुन वद 13 में गांव बावड़ी के बोहरा के नाम परवाना है। उसे आश्वासन दिया गया है कि तुम्हें बकाया रुपये समय पर दे दिये जावेंगे।

फाल्गुन सुद 1 (एकम) में गढ़ जोधपुर का गांव फलसूंड के जागीरदार को निर्देश दिया है कि भंडारी नवलमल के रुपये तुम में बाकी है सो लेकर आओ। इसी तिथि फाल्गुन सुद 1 (एकम) में डीडवाण कस्बे के महाजन शिवदान खांगड़ तथा लावोटी की बहू के बीच विवाद का निर्धारण करने तथा रु. 410/- दिलाने का उल्लेख है और रु. 927/- बाकी दिलाने का उल्लेख है।

फाल्गुन सुद 10 (दशम) में आसामियों के रुपयों का लेन-देन का हवाला है। गढ़ जोधपुर का गांव गोदलाव में—

ब्राह्मण अमरे के रु. 200/- खीची हीरा से लेने जिसके चार टके रोज के किये गये, ब्राह्मण मना सगराम के खीची हीरा से रु. 400/- लेने उसके लिए 6 टके रोज के किये। ब्राह्मण गंगाराम के खीची हीरा से रु. 42/- तम्बाकु की खली के लेने उस बाबत 2 टके रोज के किये गये।

चैत्र वद 7 (सातम) गढ़ जोधपुर का गांव आगणवा जिसमें श्रीजी के मंदिर के कुए के कृषक जटिया लोग हैं और उसका हासल साध थानदास लेता है, उस बाबत कृषकों को निर्देश दिये हैं कि अब हासल के रुपये उक्त ब्राह्मण को नहीं देवें और सीधे नोहरे में जमा करावें। इसी तिथि में आगे साह हिम्मताराम को निर्देश दिये हैं कि मंदिर के नीचे की दुकानों का बकाया किराया लेकर आवें।

चैत्र वद 9 (नम्म) में सोजत के गांव मेलावास के चौधरियों को लिखा है कि तुम्हारे लिये नोता के रु. 200/- निर्धारित किये गये हैं और यहां पर व्यास आसकरण ने दे दिये हैं सो तुम इनको ये रुपये गांव के हिसाब में से दे देना।

चैत्र सुद 1 (एकम) में सोजत के गांव बगड़ी के महाजन जोरा काठेड़ को आश्वासन दिया गया है कि तुम वहां पर अपना व्यापार निश्चित होकर करते रहना।

चैत्र सुद 14 (चवदस) में गांव बावड़ी के परासला-भगा-छाबा-गुमाना को आदेश दिया कि बोहरा गुला को इस वर्ष की बोरगत के रुपयों की व्यवस्था कर देना। साथ ही निर्देश दिया कि रु. 2/- प्रति आदमी देना तथा भविष्य में भी 2 टका रोजाना देना।

वैशाख वद 2 (दूज) में गांव बावड़ी के बास झवेला के सारण हरकीसन को आदेश दिया है कि तुम्हारा ऊंट भंडारी सुगालचंद के पास आहीवाल था और तुमने ऊंट बेच दिया तथा भंडारी को रुपया नहीं दिया सो अब जल्दी दे देना।

वैशाख वद 8 (आठम) में जोधपुर के गांव मादड़ीये के रायगुरु पमदा को हिदायत दी है कि तुम रायगुरु नथसिंह की जमीन में कृषि कर रहे हो जबकि नीवाड़ा के गुंदेचा सेरा के रुपये नथसिंह में बकाया है और तुम उसके रुपये नहीं दे रहे हो सो अब रुपया दे देना नहीं तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संवत् 1918 के वैशाख बद 30 (अमावस) के समय भुवाजी श्री दोलतकंवरजी ने 'दरजिया' के नाके स्थान पर श्री ठाकुरजी का मंदिर बनवाया और उसका संकल्प कर सूरज प्रब के नाम का ताम्रपत्र लिख कर दिया जिसमें मंदिर की सेवा सौंपी और मंदिर के निमित्त अणवाड़ा गांव में एक कुआं तथा दो दुकानों का पट्टा परवाना करके दिया। यह सारी जायदाद उसके तथा उसकी आल औलाद के लिये अधिकृत कर दी गई है।

ज्येष्ठ सुद 6 (छठ) 1918 की तिथि में जालोर के गांवों के जागीरदार लोग तथा कामदारों के निर्देश भेजे कि सेठ गुणसदास लीखमीचंद के रुपये सराफ प्रतापमल के हस्ते के लेने हैं सो तुरंत लेकर आवें इसके साथ ही चार गांवों पर रोजाना चार टका देना भी निश्चित किये गये। गांवों के नाम अग्रलिखित हैं—गांव रामसीण 4। (चार टका) रोजीना, गांव नसाणो 4। (चार टका) रोजीना, गांव सीराणो 4। (चार टका) रोजीना, गांव भंवरणी 4। (चार टका) रोजीना।

ज्येष्ठ वदी 5 (पांचम) की तिथि में गढ़ जोधपुर के गांव आगणवा में श्री रघुनाथजी महाराज के बेरे (कुएं) के कृषकों को निर्देश दिया कि कुएं का हासल व धान वगैरे साद धनदास को देना है — ब्राह्मण को नहीं देना। ब्राह्मण को दिया तो दुबारा देना पड़ेगा।

ज्येष्ठ वदी 7 (सातम) में तलब सम्बन्धित पत्र है, बावड़ी गांव के माली राजीया ने अपने सीरवाल (भागीदार) के साथ फसल के बारे में मनमानी की और वचन तोड़ा उस बाबत जवाब देने के लिए और उपस्थित होने के लिये बुलाया गया।

ज्येष्ठ सुदी 15 (पूनम) में सोजत के गांवों के बाबत इसमें सेठ गणेशदास लिखमीचंद के रुपयों के बाबत गांव के चौधरियों को लिखा है—

“। सोजत का गांव खोखरा के चौधरी लोगों को लिखा इनके लिये 8 टके प्रतिदिन तय किये।

। सोजत का गांव बगड़ी के कोठारी पचाणदास नथमल को लिखा उसके लिये रु. 2/- एक मुश्त तय किये जाये।

। जालोर का गांव केसवाणो के जागीरदार कामदार इन पर रु. 4/- एक मुश्त किये तथा चार टका चाल रखा।

। सीवाणा का गांव भांडीयावास।”

इसके पश्चात् आगे दो परवाना है—पहला परवाना परगना गोडवाड़ का गांव डेंडा का है। वहां स्थित ठाकुरजी आनंदघनजी के मंदिर के पुजारी केसर प्रसाद को प्रति चार आना (पाव रुपया) निरंतर देने का आदेश दिया गया है।

दूसरा परवाना सोजत के गांव खोखरा के जागीरदार तथा कामदार के नाम से है इसमें सेठ गणेशदास लीखमीचंद की बोरगत (गिरवी के) के रुपये नहीं देने बाबत तथा खरड़ा भेजा परन्तु म्पया नहीं दिया उसका जवाब देने बाबत हाजर होने की तलब है।

संवत् 1919 का श्रावण वद 2 (दूज) में गढ़ जोधपुर के गांव खटोड़ा के चौधरियों को बोहरा लोगों के रुपये देने बाबत ताकीद लिखी है।

भाद्रपद सुदी 1 में परवाना गांव पादु के भोमिया के नाम बाबत महाराज कुमार के ब्याव के न्योता के तथा खेतों के रु. 4/- (चार) रुपयों बाबत ताकीद।

भाद्रपद सुदी 3 (तीज) की तिथि में गांव बीठवासियां के जागीरदार तथा कामदार लोगों को हिदायत दी कि तुम्हारे गांव में सेवग पन्ना की बेटी का विवाह जबरदस्ती नहीं होने देंगे तब तक तुम लोग हमारे आदमियों को आठ आना रोजाना के हिसाब से दोगे—इसमें चार आना प्रतिदिन परिहार सादूल को तथा चार आना रमजान को दोगे। यह आदेश दिया गया।

भाद्रपद सुदी 9 (नम) की तिथि मेलावास तथा भोजासर के गांवों के चौधरियों को निर्देश भेजा कि बेतरणी के न्योता बाबत रोजाना दो टका पेश करो — मेलावास रा

रोजीना तथा भोजासर रा रोजीना। यही निर्देश गांव बावड़ी के चौधरियों को भी दिया है। इसमें लिखा है कि सरकार की पिछली रकम यानी पहले के बकाया रुपये बाकी है तथा बेतरणी की भेंट भी बाकी है सो जमा करावें तब तक दो टका रोजाना देने होंगे जो बीरामण चगनीराम को दे।

भाद्रपद सुद 14 (चवदश) में दो परवाने दर्ज हैं। पहले में जोधपुर के गांव तापु के बिसन, मदीया को निर्देश है कि तुम लोगों में जागीरदार का हासल बकाया है वह लेकर आओ। दूसरा परवाना गांव बावड़ी के चौधरियों के नाम से है। यहां पर गांव की सुरक्षा एवं प्रबन्ध के लिये हवालदार भेजा गया है वह गांव का प्रबन्ध करेगा और इसे आप रोजगार व पेटिया निर्धारित मानदण्ड के अनुसार देते रहेंगे। यह परवाना नीचे मुजब है—

“। गढ जोधपुर रो गांव बावड़ी रा चौधरीयां लोकां तथा गांव रा जाबता सारू हवालदार मेलीयो है सु गांव रो जाबतो करसी ने रोजगार सरसता मुजब पावसी मती भादवा सुद 14 री रोजगार पेटियो सरसता मुजब पावसी।”

अश्विन वद 2 (बीज) वर्ष 1919 की तिथि में सोजत परगने के गांव मेलासर के चौधरियों को निर्देश है कि पिछली जमाबंदी की जांच करवाना तथा बेतरणी के नौवें के रुपये लाना। जब तक नहीं लावोगे तब तक प्रतिदिन दो टका भोमा पडियार को देना होगा।

संवत् 1919 की काती बद 2 में गांव बड़ी पादु के गोगाजी के पुजारियों में मंदिर की आमदनी तथा मंदिर के कुएं खेत की आय का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ इस बाबत पुजारियों (फकीरों) में विवाद हुआ। इसलिये इसका निर्णय/निस्तारण करने बाबत पंचायत का गठन किया गया और फकीरों से इस बाबत लिखित करवाया। इस मंदिर के चार पुजारी थे—(1) मोतीसा, (2) खुदा बगस, (3) समद सा, (4) सुभान सा। इन चारों में मोतीसा तथा खुदाबगस का प्रथम पक्ष था तथा समदसा तथा सुभानसा का दूसरा पक्ष था। कुआं तथा खेत प्रथम पक्ष के अधिकार में था। जिसकी आय दूसरे पक्ष वालों को नहीं मिल रही थी। इसके लिए आठ प्रतिष्ठित आदमियों की पंचायत का गठन कराया गया। दोनों पक्षों की तरफ के चार आदमी थे। दोनों पक्षों ने लिखकर दिया कि इन पंचों द्वारा किया गया फैसला हम सबको मंजूर होगा। अगर हम इस पंचायत के फैसले को नहीं मानेंगे तो रुपये 5/- का जुर्माना सरकार को देंगे।

उल्लेखनीय है कि गोगाजी हिन्दू समाज के लोक देवता अथवा पीर माने जाते हैं। परन्तु इनके मंदिर के पुजारी मुसलमान समाज के फकीर लोग थे। इससे स्पष्ट है कि धर्म या किसी देवता में आस्था रखने में समुदाय विशेष का कोई प्रतिबंध या सीमा/परहेज इत्यादि नहीं था। इसके आगे के पत्रों में नोहरे में रखे सामान की विगत है जो वर्ष 1918 में सामान देखकर तथा गणना कर लिखी गई। इसमें सामान का

वर्गीकरण भी किया हुआ है। इसके पश्चात् ऊंटों व घोड़ों की विगत और आसामियों के हिसाब के खाते हैं। इसके बाद गांव बावड़ी की आमदनी का लेखा है। इसके अलावा डेंडा तथा मेलावास के विवरण के साथ ही गांव भोजासर को ईजारे दिया उसका विवरण इस प्रकार है—

“पट्टो 1 वैशाख वद 1 री मिति रो गांव भोजासर प्रगणा फलोधी रो सु ईजारे दीयो मुता गणेशदास अनराज नै संमत 1918 रा सावण वद 1 सुं बरस 4 रो तीण रा प्रत बरस 1 रा रुपीया 3401) बीजे साई तीण में बाद सिर पाव रा रुपीया 34) बाकी 3367) अखरे तेतीसौ सडसठ तीण रा बरस 4 रा मुकरड़े रुपीया 13468) अखरे तेरे हजार च्यार सौ अडसठ में दीयो बरस 4 रो।”

इसी तरह गांव बावड़ी को भी इसी आसामी को चार वर्ष के लिए ईजारे दिया गया। उसकी दर प्रतिवर्ष की रु. 5001/- तय की गई थी। इस प्रकार का आगे गांव मेलावास तथा डेडा को ईजारे देने का उल्लेख व उनके पट्टों की नकलें दर्ज हैं। अनन्तर बड़ी पादु को रु. 10700/- प्रतिवर्ष के अनुसार तीन साल के लिये इजारे देने का विवरण है। इसमें कुछ शर्तें रखी गईं जो इस प्रकार से हैं—

“इजारे दीयो बरस 3 री साख ये भोगवसो सावणु उनालु माल मुकातो घासमारी री जमाबंधी री रकमां मापो झुंपी कणवार तफा रो दोजग रा सरब थे लेसो गुनेगारी रुपीया 11) ईगारै नोरे ईजारा में लीरीजसी ईजारे होसी सो सिरकार लेसी बधतो पटो राज रो छै।

। फेर कलमां

1 गांव में आदमी रेसी तीण रो खरच सिरकार में मंडसी

1 गांव ईजारै रेसी जीतरे थां सु गेर-वाजबी खेचल होसी नहीं

1 मुलक सरसते खेचल होसी सवाय होसी नहीं

1 हवालदार रो रोजगार गांव रा देसी सवाय खेचल होसी नहीं

1 खालसा री जमी भोमीया हेठै है जीण रो बीराड़ सीरकार सु दीराय देसी ऊपर करने

1 सिरकार री लागती रकम ईजारा में है पैला री रकमा सिरकार री छै

1 चोथा रे रुपीया 7 (सात) ईजारा में है सवाय सिरकार रा

इस माफक कलमां सही छै।”

इसके पश्चात् कतिपय पत्रों में रुपये उधार लेने के परवाने हैं। आगे फिर सामान (स्टॉक) की सूचियां के अतिरिक्त कोठार के खाते गांवों के खेतों एवं कुओं का विवरण दिया गया मिलता है।

प्रस्तुत हथ बही इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत है जो तत्कालीन प्रशासनिक पहलू को उजागर करने में सहायक है। इस बही के अध्ययन से निम्नलिखित तथ्य उजागर होते हैं—

1. उस समय राज्य की ओर से रानियों के हाथ खर्च हेतु किस प्रकार गांव पट्टे में दिये जाते और उन गांवों की व्यवस्था पत्राचार से किस प्रकार की जाती थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है।
2. भटियाणी रानी के निर्देशानुसार लिखे गये परवानों से विदित होता है कि गांवों की समस्याओं के समाधान हेतु गांव के चौधरियों की विशेष भूमिका रहती थी। यद्यपि गांव में हवालदार नियुक्त किया जाता था परन्तु जब वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता तब चौधरियों को आवश्यक निर्देश दिये जाते थे।
3. भटियाणी रानी के निर्देशानुसार फकीर लोगों की आजीविका हेतु गांव के प्रतिघर से एक पैसा लेने का अधिकार था। इस प्रकार के निर्देश चौधरियों को दिये जाते थे।
4. पट्टे के गांव हासल अथवा ईजारे पर दिये जाते थे। हासल में जहां उपज का एक निश्चित हिस्सा भूमि की पैदावार के अनुसार लिया जाता वहीं ईजारे में सुनिश्चित राशि लेने का प्रावधान था। यह भी ज्ञात हुआ है कि इजारे में गांव पांच वर्ष के लिए दिया जाता था जिसके अनुसार कृषक अपनी इच्छानुसार खेती कर सकता था।
5. गांवों में चोरी करने, रुपये छीनने, उधार लिये गये रुपये समय नहीं लौटाने जैसी घटनायें होती रहती थी। इसके निस्तारण हेतु परवाने लिखे जाते थे और आदेश की पालना नहीं होने पर कठोर कार्यवाही की जाती थी। इससे यह प्रकट होता है कि अपराधों की रोकथाम हेतु तत्परता से कदम उठाये जाते थे और आवश्यकता पड़ने पर दण्ड भी दिया जाता था।
6. गांव के खेतों आदि भूखण्डों के बारे में विवाद उत्पन्न होता उस समय पंचायत बुलाई जाती थी और इसका खर्चा पंचायत बुलाने वाले करते थे। पंचायत बुलाने के पश्चात् पंचायत नहीं कराने पर भी उसे खर्चा वहन करना पड़ता था।
7. गांव गिरवी रखने का उदाहरण भी मिलता है ऐसे में गांव का हासल लेने का अधिकार उसका होता था। इसमें रोक-टोक होने पर गांव के चौधरी हस्तक्षेप करते थे।
8. गांव के कुछ लोगों से नोता और पेटिया के रुपये लेने का प्रावधान था इसकी अवहेलना करने पर वसूली के आदेश दिये जाते थे।

9. गांव के कुम्हार आदि कुछ लोग राज्य के 'बंदगीगार' अर्थात् सेवा-चाकरी करने वाले होते थे, उनके साथ हवलदार अनुचित व्यवहार करता तब उसकी रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते थे।
10. हासल लेने का कार्य हवलदार का होता था परन्तु अविश्वास उत्पन्न होने पर राज्य की ओर से व्यक्ति भेजे जाते थे।
11. व्रत विशेष के समय उद्यापन-आयोजन में गांव के चौधरी और पटवारी आदि को राज्य की ओर से निमंत्रण भेजा जात था।
12. रामस्नेही सम्प्रदाय के आचार्य पीठ खेड़ापा धाम के संचालन हेतु गांव 'डोळी' के रूप में आवंटित किया गया। इससे उक्त रानी की धार्मिक प्रवृत्ति का बोध होता है।
13. गांव के जमीदार लोगों से अपराध करने पर 'गुनहगारी' के रुपये नहीं ले सकते थे इसके लिए राज्य में सूचना भेजना आवश्यक होता था।
14. गांव में व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए चौधरियों को आवश्यक निर्देश दिये जाते थे। ऐसा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था।
15. यह भी जानकारी मिलती है कि जब तक कोई बकाया राशि नहीं चुकाता है उस समय तक राज्य की ओर से भेजे जाने वाले व्यक्ति को रोजाना खर्च की निश्चित राशि उसे देनी पड़ती थी।
16. यह भी उल्लेख मिलता है कि हासल के रुपये लिये जाते और यह राशि 'नोहरे' में जमा कराई जाती थी।
17. गांव में मंदिर का निर्माण कराने के साथ ही उसके पूजा-पाठ की व्यवस्था के लिए भूखण्ड आवंटित किया जाता था।
18. बलात विवाह करने की घटनाएं भी घटती थी उसकी रोकथाम के लिए राज्य की ओर से व्यक्ति भेजे जाते थे उसका खर्चा सम्बन्धित पक्ष वहन करता था।

इस प्रकार कुल मिलाकर बही प्रशासनिक व्यवस्था के साथ गांव के लोगों की गतिविधियों, मान्यताओं और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

सन्दर्भ

1. महाराजा मानसिंह के राजलोक तीजा भटियाणी के सरकार तालके हथ बही क्रमांक वि.सं. 1918, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, जोधपुर
2. भाटी वंश का गौरवमय इतिहास, डॉ. हुकमसिंह भाटी, भाग 2

पुरालेखीय अध्ययन में मारवाड़ की 18वीं सदी की कर व्यवस्था

डॉ. ताराचन्द्र बैरवा

राज्य की आय के प्रमुख स्रोत वे अनेक कर होते थे जो समय-समय पर व्यापारियों, किसानों एवं शिल्पकारों से वसूल किये जाते थे। इन करों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है—

1. वाणिज्यिक कर
2. गैर वाणिज्यिक कर

राहादरी—राहादरी वस्तुतः एक प्रकार से सीमा शुल्क था। जब व्यापारी अपना माल लेकर किसी राज्य के क्षेत्र से गुजरते थे तो उनसे उस राज्य द्वारा राहादरी नामक कर वसूल किया जाता था। राज्य की सीमा में से गुजरने वाली प्रत्येक वस्तु पर राज्य की सीमा में स्थित प्रथम चौकी पर राहादरी ली जाती थी तथा उस चौकी के अधिकारी द्वारा व्यापारी को एक पर्ची दी जाती थी जिसको दिखाने पर उस राज्य की शेष चौकियों से माल पुनः कर दिये बिना निकाल सकते थे। दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर व्यापारी को पुनः राहादरी देकर दूसरे राज्य की सीमा में स्थित प्रथम चौकी के अधिकारी से पर्ची लेनी पड़ती थी। सरकार द्वारा जागीरदारों एवं किसानों को जब वे अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए समीपस्थ कस्बों के बाजारों में ले जाते थे तो उन्हें राहादरी में छूट प्रदान की जाती थी।¹ उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अकाल या सूखा पड़ने पर व्यापारियों द्वारा जो अनाज बाहर ले जाता था उस पर राज्य द्वारा राहादरी में छूट दी जाती थी।² सरकार द्वारा कभी-कभी स्थानीय एवं बाहर से आकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी राहादरी में छूट प्रदान की जाती थी। खास रुक्का परवाना बही नं. 1 में हमें उल्लेख मिलता है कि व्यास नन्दराम, सालगराम, हनुवन्तदास आदि व्यापारियों को जो जोधपुर में व्यापार करते थे, दरबार की तरफ से राहादरी में आधी छूट प्रदान की गई थी।³ इसी बही में उल्लेख मिलता है कि मुल्तानी ब्राह्मण व्यापारी, केशोराय, खुशालचन्द एवं चैनराय को जो जोधपुर में व्यापार करते थे, राहादरी में आधी छूट दी गई थी।⁴ बहावलपुर के मुहणोत जीवणदास, आसकरण एवं कुशालचन्द जोधपुर में व्यापार करते थे उन्हें राहादरी में एक चौथाई छूट प्रदान की गई थी।⁵

सरकार द्वारा कभी-कभी व्यापारियों को राहादरी में पूरी छूट भी प्रदान कर दी

जाती थी। खास रुक्का परवाना बही नं. 1 में उल्लेख है कि जोधपुर के सेठ मोहन भूथरा को राहादरी में पूरी छूट प्राप्त थी।⁶ सनद परवाना बही नं. 25 में उल्लेख मिलता है कि कोटा राज्य के कामदार जोधपुर से 22 बैलों की जोड़ी खरीदकर ले गए, उन्हें राहादरी में पूरी छूट प्रदान की गई थी।⁷ सनद परवाना बही नं. 29 में उल्लेख मिलता है कि परगना परबतसर के सायर के इजारेदार सरकार के घोड़े और ऊंटों के लिए किशनगढ़ से चारा, मोठ, मूंग और 20 मन चीनी लकर गए तो उन्हें राहादरी में पूरी छूट दी गई थी।⁸ सनद परवाना बही नं. 9 में उल्लेख मिलता है कि बीकानेर का पांचूराम 150 मन धान नागौर से ले गया, दरबार की तरफ से उसे राहादरी में पूरी छूट हुई थी।⁹ इसी प्रकार सनद परवाना बही नं. 5 से हमें जानकारी मिलती है कि उदयपुर के अली मोहम्मद और फतह महमूद, जोधपुर से 50 घोड़े खरीदकर लाए थे, उन्हें राहादरी में पूरी छूट दी गई थी।¹⁰ नीचे दी गई तालिका से राहादरी की दर का पता चलता है—¹¹

परिवहन	चौकी	दर
नमक की एक पोठ	नावा	12 आना
एक घोड़ा माल	रूपनगर	1 रु. 12 आना
तीन ऊंट माल	नागौर	12 रु.

सनद परवाना बही नं. 21 में उल्लेख है कि जब रामदेवरा से घोड़े बिक्री के लिए दक्खन (हैदराबाद) ले जाए गए तो उन पर राज्य में प्रति घोड़ा इस प्रकार राहादरी वसूल की गई—¹²

1.	जोधपुर -	12 आना
2.	मेड़ता -	4 रुपया
3.	तातौंटी -	13 आना

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि कस्बा जोधपुर में राहादरी के रूप में प्रतिवर्ष कितनी आय हुई थी।¹³

क्रम सं.	विक्रम संवत्	कर की राशि
1.	1808 (1751 ई.)	4,000 रु.
2.	1821 (1764 ई.)	4,511 रु.
3.	1832 (1775 ई.)	4,590 रु.
4.	1833 (1776 ई.)	5,107 रु.
5.	1835 (1778 ई.)	3,524 रु.
6.	1865 (1808 ई.)	3,502 रु.

नीचे दी गई तालिका से परगना नागौर की विभिन्न वर्षों में प्राप्त हुई राहादरी की राशि इस प्रकार थी¹⁴—

क्रम सं.	विक्रम संवत्	कर की राशि
1.	1825 (1768 ई.)	42,525 रु.
2.	1832 (1775 ई.)	21,980 रु.
3.	1835 (1778 ई.)	32,107 रु.
4.	1840 (1783 ई.)	42,128 ई.
5.	1850 (1793 ई.)	42,728 रु.
6.	1860 (1803 ई.)	42,029 रु.

सामान्यतया राहादरी वसूल करने का कोई कार्य 'महकमा माल' नामक विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वसूल किया जाता था। उपलब्ध विवरणों से जानकारी मिलती है कि राहादरी वसूल करने का कार्य कभी-कभी साहूकारों को इजारे पर भी दे दिया जाता था। उदाहरण के लिए सनद परवाना बही नं. 17 में हमें उल्लेख मिलता है कि जोधपुर के फतेहचंद एवं खुशालचंद को परगना पाली की राहादरी साल भर के लिए 35,101 रु. में दी गई थी।¹⁵ इसी बही में उल्लेख मिलता है कि जोधपुर के फतेहचंद, खुशालचंद को मेड़ता परगना की राहादरी साल भर के लिए 28,401 रु. में इजारे पर दी गई थी।¹⁶ सनद परवाना बही नं. 21 में उल्लेख मिलता है कि वि.सं. 1835 में अचलदास मलूकचंद को परगना सोजत की राहादरी 13,501 रु. में 14 महिने के लिए इजारे पर दी गई थी।¹⁷ इसी तरह सनद परवाना बही नं. 30 से जानकारी प्राप्त होती है कि जोधपुर के मोदी हरनाथ को नागौर की राहादरी एक साल के लिए 50,001 रु. में दी गई थी।¹⁸

मापा—मापा हाट, मेलों अथवा विभिन्न कस्बों के बाजारों में वस्तुओं की बिक्री एवं खरीद दोनों पर वसूल किया जाता था। यह खरीददार एवं विक्रेता दोनों पर ही लगता था। मापा कृषकों द्वारा खेती के लिए खरीदे गए बीज पर नहीं लगता था। इजारेदारों एवं जागीरदारों या भू-राजस्व के रूप में वसूल किये गये अनाज को बेचने पर भी मापा नहीं लगता था।¹⁹ वि.सं. 1715 के दौरान हमें विभिन्न वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर मापा की दरें इस प्रकार मिलती हैं²⁰—

वस्तु का नाम	मापा की दर
रेशमी एवं सूती कपड़ा (प्रति मन)	8 दुगानी
रेशम, कस्तूरी, कपूर (प्रति मन)	1.50 फीरोजी
ताम्बा, कांसा, पीतल, जसद, कथरी	8 दुगानी

मिर्ची, हींग एवं तेल (प्रति मन)	
शक्कर, सूत, सूंठ, पीपलामूठ एवं घी (प्रति मन)	6.50 दुगानी
गुड़, तेल, लोहा, लाख (प्रति मन)	5.50 दुगानी
जीरा, अजवाइन, हल्दी (प्रति मन)	3.50 दुगानी
मेथी, राई, सरसों, अलसी, तिल, मूँज, साजी (प्रति मन)	5.60 दुगानी

नागौर हुकुमत जमाबन्दी बही नं. 1279²¹ (वि.सं. 1808) में हमें विभिन्न पशुओं की बिक्री पी ली जाने वाली 'मापा' की दर इस प्रकार मिलती है—

पशु	कर की राशि
13 सांड (बैल)	1 रु.
1 ऊंट	1 रु.
2 ऊंट	2 रु.

दरीबे पचपदरा री कचेड़ी री जमाखर्च बही नं. 1416²² में हमें नमक की बिक्री पर वसूल किए गए मापा की दर इस प्रकार मिलती है—

5 मण नमक	1 रु.
2 गाड़ा नमक	3 रु. 8 आना
3 गाड़ा नमक	6 रु. 10 आना
8 गाड़ा नमक	13 रु. 1 आना

बही खाते खजाने री बही में उल्लेख मिलता है कि वि.सं. 1822 में परगना नागौर में स्थित मूँडवा कस्बे में जो मेला लगा था, उसमें मापा कर के रूप में सरकार को 224 रुपये प्राप्त हुए थे।²³ परगना सांभर री कचेड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1676 में उल्लेख है कि सांभर कस्बे में राज्य का वि.सं. 1877 में 641 रु. 12 आना, 12 पैसे मापा कर के रूप में प्राप्त हुए थे।²⁴ इसी बही में उल्लेख है कि परबतसर में तेजाजी का मेला लगता था, इसमें 'मापाकर' के रूप में 575 रु. 4 आना 12 टके प्राप्त हुए थे।²⁵ राहादरी कर की भांति मापा में भी छूट का प्रावधान था। सनद परवाना बही नं. 8 में हमें उल्लेख मिलता है कि सोजत के मूलचन्द की बेटी प्यारों के विवाह पर पाली से जो जिनस खरीदकर लाई गई उस पर मापा में पूरी छूट प्रदान की गई थी।²⁶ इसी तरह खास रुक्का परवाना बही नं. 1 में उल्लेख मिलता है कि पुरोहित कसूरजमल के बेटे-पोते जोधपुर में व्यापार करते थे, उन्हें दरबार की तरफ से मापा में पूरी छूट प्रदान की गई थी।²⁷

पेसार और नेकाल—जब किसी कस्बे से माल विक्रय के लिए बाहर ले जाया जाता था या दूसरे कस्बों के गांवों से किसी कस्बे में लाया जाता था तो उस पर सरकार द्वारा जो कर लिए जाते थे उन्हें क्रमशः नेकाल और पेसार के नाम से जाना जाता था। नेकाल और पेसार की दरें भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर अलग होती थी। इन करों से राज्य को अच्छी आय होती थी। उदाहरण के लिए परगना सांभर की कचेड़ी की जमाबन्दी बही नं. 1676 में उल्लेख मिलता है कि परगना सांभर में वि.सं. 1843 में पेसार और नेकाल के रूप में सरकार की क्रमशः 2468 रुपये 12 आना और 1893 रुपये प्राप्त हुए थे।²⁸ कुछ व्यापारियों को राज्य द्वारा इन करों में छूट भी दे दी जाती थी। खास रुक्का परवाना बही नं. 1 में हमें उल्लेख मिलता है कि डीग के शाह राधाकिशन रूपचन्द और कोटा के लक्ष्मणदास नन्दलाल को अन्य करों के साथ इन करों में भी आधी छूट प्रदान की गई थी।²⁹ जब किसी विशेष कार्य के लिए कुछ निश्चित वस्तुएं कस्बे से बाहर ले जायी जाती थी तो उन पर भी नेकाल कर में छूट प्रदान की जाती थी। उदाहरण के लिए जब गुड़, घी और शक्कर विवाह के लिए कस्बे से खरीदकर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने गांव लायी जाती थी तो उन पर नेकाल कर नहीं लिया जाता था।³⁰ इसी तरह जब किसी दूसरे राज्य के राजा के लिए जो भी माल खरीदा जाता था उस पर भी नेकाल नहीं लिया जाता था।³¹

कयाली—यह कर व्यापारियों से वस्तुओं के तौल के समय वसूलन किया जाता था। प्रत्येक जगात चौकी, चबूतरा कोतवाली और कस्बों के बाजारों में सरकार के द्वारा 'कयाल' नामक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, जो माल को तोलने का कार्य करता था। इसके लिए राज्य द्वारा माल के मालिक से एक कर लिया जाता था जिसे कयाली कहा जाता था। कयाली के लिए 'तुलाई' शब्द का प्रयोग किया जाता था। अन्य वाणिज्यिक करों की भांति कयाली को भी वसूल करने का कार्य इजारे पर दिये जाने वाले उल्लेख हमें समकालीन बहियों में मिलता है। उदाहरण के लिए सनद परवाना बही नं. 25 में उल्लेख मिलता है कि 'कयाल' अमरा को जोधपुर कस्बे की मण्डी की कयाली 111 रुपये में इजारे पर दी गई थी।³² अन्य करों की भांति कयाली में भी व्यापारियों को सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती थी। खास रुक्का परवाना बही नं. 1 में उल्लेख मिलता है कि शाह राधाकिशन और रूपचन्द जोधपुर राज्य की हद में व्यापार करते थे, उन्हें कयाली में आधी छूट प्रदान की गई थी।³³ इसी बही में उल्लेख है कि बीकानेर का मुहणोत कल्याण दरबार की हद में व्यापार करता था उसे भी कयाली में आधी छूट प्रदान की गई थी।³⁴ इसी बही में उल्लेख मिलता है कि पुरोहित सूरजमल के बेटे-पोते जोधपुर में व्यापार करते थे उन्हें भी दरबार की तरफ से कयाली में आधी छूट प्रदान की गई थी।³⁵ समकालीन अभिलेखीय स्रोतों से विभिन्न कस्बों में भिन्न-भिन्न वर्षों में वसूल की गयी कयाली की राशि का भी उल्लेख मिलता है। बही

खासै खजाने री बही नं. 5 में उल्लेख मिलता है कि वि.सं. 1822 में नागौर परगने के अन्तर्गत मूंडवा के पशु मेले में 8 रु. कयाली के रूप में प्राप्त हुए थे।³⁶ दरीबे पचपदरा री कचेड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1404 के अनुसार वि.सं. 1820 में पंचपदरा की नमक की खान में राज्य को 913 रु. 14 आना कयाली के रूप में प्राप्त हुए थे।³⁷

चौथाई—चौथाई नामक कर भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कर था। मारवाड़ के प्रायः सभी परगनों में यह एक चूड़ीगरों से 'हाथी दांत' की चूड़ियों के निर्माण करने पर लिया जाता था। 'चूड़ीगरों' से प्राप्त चौथाई कर सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। हमें समकालीन अभिलेखीय साक्ष्यों³⁸ में चौथाई कर की दरें इस प्रकार मिलती हैं—

1. एक जोड़ी हाथी दांत की चूड़िया	2 आना
2. एक मूठिया हाथी दांत का	1 आना
3. एक जोड़ा छोटी चूड़ियां	1 आना 3 पैसा
4. एक छावन्द	4 आना

कुछ बहियां में हमें चूड़ीगरों से किन-किन वर्षों में कितना चौथाई कर लिया गया इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। परगना पाली में³⁹ वि.सं. 1875 में चूड़ीगरों से निम्नलिखित राशि चौथाई कर के रूप में प्राप्त हुई थी—

क्र.सं.	चूड़ीगरों के नाम	चौथाई के रूप में वसूल की गई राशि		
		रुपया	आना	पैसा
1.	सत्तार ईमाम बगस	18	12	0
2.	शाहबजा भूरा	26	12	2
3.	महमूद	52	18	2
4.	भूरजी ईमाम बगस	30	8	0
5.	मेहमूद	24	0	2
6.	सैय्यद अली	28	12	0

वि.सं. 1831 में जोधपुर कस्बे के चूड़ीगरों से राज्य को चौथाई के रूप में जो राशि प्राप्त हुई, उसकी जानकारी हमें जोधपुर कोतवाली चौतरा जमाबन्दी बही नं. 887⁴⁰ से प्राप्त होती है जो इस प्रकार है—

क्र.सं.	चूड़ीगरों के नाम	चौथाई के रूप में वसूल की गई राशि		
		रुपया	आना	पैसा
1.	अल्लाबगस	38	12	3
2.	भूरे खां	18	0	2

3.	मोहम्मद खान	59	8	0
4.	जीवण आसकरण	39	4	0
5.	जान मोहम्मद	24	0	0
6.	जानम	5	0	1
7.	गफूर	10	0	0

थड़ी भाड़ा—यह कर उन छोटे व्यापारियों से वसूल किया जाता था, जो हाट और मेलों में अपनी दुकान लगाते थे। जोधपुर कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 884 में उल्लेख मिलता है कि जोधपुर में जो हाट लगता था उसमें वीरछोड़ जी ने 8 रु. थड़ी भाड़ा के चुकाए थे।⁴¹ इसी तरह जोधपुर कोतवाली चौतरा जमाबन्दी बही नं. 887⁴² में उल्लेख मिलता है कि जोधपुर कस्बे स्थित जालोरी गेट पर लगाने वाले हाट से वि.सं. 1831 में एक साल में सरकार को हाट में अपनी दुकान लगाने वाले कुछ व्यापारियों एवं दस्तकारों से निम्नलिखित राशि थड़ी भाड़ा के रूप में प्राप्त हुई थी—

1.	जेठा अग्रवाल	5	6 रु.
2.	सौदागर बगसू	-	1 रु. 8 आना
3.	प्रिया (पारिया)	-	3 रु.
4.	रंगरेज सेरा	-	2 रु. 4 आना
5.	मोची तुलसा	-	1 रु. 8 आना

घाणी पाटा—18वीं सदी के दौरान मारवाड़ में हमें 'घाणी भाटा' नामक कर के प्रचलन का भी उल्लेख मिलता है। यह कर तेली नामक जाति के लोगों से वसूल किया जाता था। तेली मेले या हाट से घाणियों के लिए जो पाटे खरीद कर लाते थे उस पर यह कर लगता था।⁴³ जैसा कि परगना पाली जमाखर्च री बही हाकम रे दफ्तर री नं. 1532⁴⁴ से हमें जानकारी मिलता है कि कस्बा पाली के कुछ तेलियों से वि.सं. 1875 में घाणी पाटा के नाम से निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई—

	तेलियों के नाम	कर कर राशि
1.	केसर	2 रु. 2 आना
2.	धन्ना देवजी	2 रु. 2 टका 25 दाम
3.	अणदा	2 रु. 2 टका 25 दाम
4.	जीवण	2 रु. 2 टका 25 दाम
5.	देवा	4 रु. 2 आना

सन्दर्भ

1. सनद परवाना बही नं. 13, वि.सं. 1830 (1773 ई.) पृ. 58, सनद परवाना बही नं. 16, वि.सं. 1833 (1776 ई.)
2. सनद परवाना बही नं. 13, वि.सं. 1830 (1773 ई.) पृ. 58, सनद परवाना बही नं. 21, पृ. 286, वि.सं. 1834 (1778 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
3. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, वि.सं. 1825 (1771 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
4. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, पृ. 228, वि.सं. 1825 (1767 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
5. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, पृ. 275, वि.सं. 1853 (1768 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
6. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, वि.सं. 1824 (1767 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
7. सनद परवाना बही नं. 25, पृ. 470, वि.सं. 1838 (1781 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
8. सनद परवाना बही नं. 29, पृ. 5, वि.सं. 1838 (1781 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
9. सनद परवाना बही नं. 9, मिंगसर सुदि 15, पृ. 8, वि.सं. 1825 (1768 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
10. सनद परवाना बही नं. 5, पृ. 9, वि.सं. 1823 (1766 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
11. सनद परवाना बही नं. 9, पृ. 214-215, वि.सं. 1826 (1769 ई.), सनद परवाना बही नं. 29, पृ. 28-29, वि.सं. 1840 (1783 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
12. सनद परवाना बही नं. 21, पृ. 239, वि.सं. 1835 (1778 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
13. जोधपुर हुकूमत जमाबंदी बही नं. 934, वि.सं. 1821 (1764 ई.), बही नं. 935, वि.सं. 1823 (1766 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
14. नागौर कोतवाली चौतरा जमाबंदी बही नं. 1191, वि.सं. 1850 (1793 ई.), बही नं. 1197, वि.सं. 1860 (1803 ई.), नागौर हुकूमत जमाबंदी बही नं. 1283, वि.सं. 1825 (1768 ई.) जो.रि., रा.रा.अ., बी.
15. सनद परवाना बही नं. 17, पृ. 306, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
16. वही, जो.रि., रा. रा. अ., बी.
17. सनद परवाना बही नं. 21, पृ. 205, जो.रि., रा. रा. अ., बी.
18. सनद परवाना बही नं. 30, पृ. 334, वि.सं. 1831 (1774 ई.), जो.रि., रा. रा. अ., बी.
19. सनद परवाना बही नं. 13, वि.सं. 1830 (1773 ई.), पृ. 58, सनद परवाना बही नं. 16, वि.सं. 1833 (1776 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
20. मारवाड़ री परगनां री विगत, भाग द्वितीय, पृ. 324 से 326

21. नागौर हुकूमत जमाबंदी बही नं. 1279, वि.सं. 1808, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
22. पंचपदरा री कचेड़ी री जमाखर्च री जमाबन्दी, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
23. बही खासे खजाने री बही वि.सं. 1822 (1765 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
24. परगना सांभर री कचेड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1676 वि.सं. 1877 (1820 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
25. परगना सांभर री कचेड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1676 वि.सं. 1877 (1820 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
26. सनद परवाना बही नं. 8, पृ. 107, वि.सं. 1825, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
27. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, पृ. 226 वि.सं. 1824, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
28. परगना सांभर री जमाखर्च री जमाबंदी बही नं. 1676 वि.सं. 1861 (1804 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
29. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, वि.सं. 1824 (1767 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
30. कगोड़ा री बही नं. 6, वि.सं. 1829 (1772 ई.), बीकानेर रिकार्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
31. सनद परवाना बही नं. 25, पृ. 76 वि. सं. 1838, जो.रि., रा. रा. अ., बी.
32. वही नं. 25, पृ. 218 वि.सं. 1838, जो.रि., रा. रा. अ., बी.
33. खास रुक्का परवाना बही नं. 1, पृ. 226 वि.सं. 1824, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
34. वही नं. 1, पृ. 228 वि.सं. 1824, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
35. वही नं. 1, पृ. 226, वि.सं 1821, जो.रि., रा.रा.अ., बी.
36. बही खासा खजाना री (जोधपुर दफ्तरी हजुरी) नं. 5 वि.सं. 1822 (1765 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
37. दरीबा पंचपदरा कचेड़ी री जमाखर्च री जमाबंदी बही नं. 1404 वि.सं. 1820 (1763 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
38. जोधपुर कोतवाली चौतरा जमाबंदी बही नं 883 वि.सं. 1832 (1775 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
39. परगना पाली जमाखर्च री हाकम रे दफ्तर री बही नं. 1529 वि.सं. 1875 (1818 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
40. जोधपुर कोतवाली चौतरा जमाबंदी बही नं. 887 वि.सं. 1831 (1774 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
41. वही नं. 884 वि.सं. 1824 (1767 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
42. वही नं. 887 वि.सं. 1831 (1774 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
43. परगना पाली जमा खर्च री हाकम री बही नं. 1529 वि.सं. 1875 (1818 ई.), जो.रि., रा.रा.अ., बी.
44. वही

महारावल के मराठों से सम्बन्ध

प्रो. नीलम कौशिक

मेवाड़ का महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय (1710-1734 ई.) में दूरदर्शिता एवं नेतृत्व के गुण थे, परन्तु एक ओर पारस्परिक फूट, ईर्ष्या, द्वेष एवं संघर्ष ने तनावपूर्ण स्थिति पैदा की तो दूसरी ओर मराठा शक्ति के उत्तरी भारत (मालवा एवं गुजरात) में निरन्तर आक्रमण से महाराणा संग्रामसिंह प्रभावशाली सिद्ध न हो सका। गद्दी पर बैठने के चार माह बाद ही उसे अप्रैल, 1711 ई. में मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा।¹ इससे छुटकारा मिलने के पश्चात् जब एक ओर महाराणा संग्रामसिंह का राज्याभिषेकोत्सव मनाया जा रहा था², तो दूसरी ओर मेवाड़ की सीमा तक मराठा आगमन के समाचार प्राप्त हुए। मई, 1711 ई. में मराठा नर्मदा नदी को पार कर मार्ग में अव्यवस्था फैलाते हुए मंदसौर के पास मेवाड़ के क्षेत्रों में प्रवेश कर धन वसूल करने लगे।³ महाराणा संग्रामसिंह इस अप्रत्याशित घटना से बड़ा चिन्तित हुआ। उसने इस समस्या को केवल मेवाड़ की ही नहीं अपितु समस्त राजस्थान की समस्या माना और आमेर के सवाई जयसिंह से सम्पर्क स्थापित किया। सवाई जयसिंह ने चिन्ता तो व्यक्त की परन्तु सैनिक सहायता का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। मराठा समस्या ने मुगल-राजस्थान सम्बन्धों में परिवर्तन कर मधुर सम्बन्धों के निकट ला दिया। फिर भी मराठा विरोधी सहायता देने में मुगल बादशाह ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। 1715 ई. में बादशाह फर्रुखसियर ने सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया, जिससे कुछ वर्षों तक तो मालवा एवं राजस्थान में शांति बनी रही। परन्तु 1720 ई. में बाजीराव के पेशवा बनते ही मराठा विस्तार नीति सुनिश्चित होने लगी। उसका तो मानना था कि “पके हुए पेड़ के तने को काटो और टहनियाँ अपने आप गिर जायेंगी, हमारे प्रत्यन हिन्दुस्तान की तरफ लगा देने से मराठा झंडा कृष्णा से अटक तक लहरायेगा।⁴” अतः मालवा की सुरक्षार्थ पूर्ण प्रयत्न किये जाने पर भी वहाँ लूट-खसोट की स्थिति बनी रही।⁵ राजस्थान में 1724 ई. में पुनः मराठा संकट प्रारम्भ हो गया। 1726 ई. में तो ये आक्रमण अपनी चरम सीमा पर पहुँच गये।⁶

1728 ई. में जनकोजी और एक अन्य मराठा अधिकारी ससैन्य मेवाड़ में प्रवेश कर शाहपुरा के बलांड व कदीसहणां गाँवों के बीच ठहरे और शाहपुरा राज्य से युद्ध खर्च की मांग करने लगे। परिणामस्वरूप दोनों के मध्य युद्ध हुआ और मराठा भाग गये।⁷ इससे यह स्पष्ट है कि उस समय मराठों में दृढ़तापूर्वक सामना करने की क्षमता नहीं थी। यदि राजस्थान की समस्त प्रमुख शक्तियाँ संगठित होकर इस समस्या का

सामना करती तो परिणाम ही दूसरे होते। परन्तु पुनः हम देखते हैं कि उसी वर्ष बाजीराव ने मेवाड़ के अर्द्धस्वतन्त्र राज्य डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से चौथ वसूल की।⁸

महारावल रामसिंह की मराठा पेशवा बाजीराव से संधि : 1702 ई. में महारावल रामसिंह ने गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए शाही दरबार से अपने सम्बन्ध बढ़ाये। परिणामस्वरूप जब तक बादशाह औरंगजेब का शासनकाल रहा तब तक मेवाड़ राज्य की ओर से शांति बनी रही। लेकिन ये सम्बन्ध अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सके क्योंकि 1707 ई. में बादशाह औरंगजेब के देहांत के बाद मुगल साम्राज्य डांवाडोल होने लगा।

मौके का फायदा उठाते हुए मेवाड़ पुनः डूंगरपुर पर दबाव बढ़ाने का प्रयास करने लगा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर से 1717 ई. में डूंगरपुर राज्य का फरमान प्राप्त कर मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने सेना भेजकर डूंगरपुर को अधीन करने का प्रयास किया, लेकिन महारावल रामसिंह ने अपनी शक्ति क्षीण करना उचित न समझ कर महाराणा से सुलह कर ली।⁹ धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तेज होने के साथ-साथ राज्य में मराठा प्रभाव बढ़ने लगा। इन परिस्थितियों में महारावल रामसिंह के सामने अब पहले से भी अधिक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई। एक तरफ मेवाड़ आक्रमण का तो दूसरी ओर मराठों द्वारा अपने राज्य की लूटमार का भय बढ़ गया। इन समस्याओं के समाधान के लिये महारावल ने मराठों से गठजोड़ करना ही उचित समझा। अतः उसने मराठा पेशवा बाजीराव से संधि कर ली और मराठों को वार्षिक खिराज देना स्वीकार कर लिया। तदनुसार 1728 ई. में पेशवा बाजीराव ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का खिराज वसूल करने का अधिकार धार राज्य के संस्थापक उदाजी पंवार को दिया और नियमित खिराज उसे देते रहने के लिए महारावल रामसिंह के नाम पत्र लिख भेजा।¹⁰ “इस प्रकार डूंगरपुर राज्य के खिराज का सम्बन्ध धार राज्य से स्थापित होकर प्रतिवर्ष उक्त राज्य के द्वारा वह पेशवा को दिया जाने लगा। परन्तु मराठा उच्च अधिकारी राधोजी कदमराव और सवाई काटसिंह कदमराव ने 1729 ई. में डूंगरपुर राज्य में लूटमार कर वहाँ से 113000 रुपये वसूल किये। पेशवा बाजीराव के पास इसकी शिकायत पहुँचने पर उसने उक्त दोनों अफसरों को पत्र द्वारा डाट-फटकार लगाते हुए, वहाँ से जो रुपये वसूल किये गये थे, वे अपने पास मंगवा लिये।¹¹

पेशवा बाजीराव की मेवाड़ यात्रा के दौरान डूंगरपुर के महारावल शिवसिंह द्वारा पेशवा को धन देना : महारावल शिवसिंह द्वारा मराठा पेशवा बाजीराव को धन देना : महारावल रामसिंह की मृत्यु 1730 ई. के बाद उसका पुत्र महारावल शिवसिंह गद्दी पर बैठा। उस समय तक राजस्थान में मराठा उपद्रव उत्तरोत्तर बढ़ने लगे तो महाराजा शाहू को मेवाड़ से कटु सम्बन्ध हो जाने का भय हुआ। शाहू के मेवाड़

से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने के कारण उसने अपने सरदारों को इस राज्य में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया।¹² परन्तु ये आदेश कागजों तक ही सीमित रहे और इन्हें व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया।

मराठा आक्रमण के भय से मेवाड़ के महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने सवाई जयसिंह से वार्तालाप कर नवम्बर, 1730 ई. में शाहू से पारस्परिक समझौते की वार्ता करने के लिए 'दीपसिंह शिष्ट मण्डल' में अपने प्रतिनिधि पीपलिया के रावत बाघसिंह शक्तावत को भी भेजा।¹³ यह शिष्ट मण्डल अपने प्रयोजन में असफल रहा।¹⁴ अतः मराठों को अपनी पूर्व नीति में सलंगन देख, महाराणा ने सवाई जयसिंह के साथ एक सैनिक संधि की जिसके अनुसार महाराणा ने मालवा में अपना थाना स्थापित किया।¹⁵ कुछ महीनों पश्चात् ही फरवरी, 1733 ई. में मराठों ने सवाई जयसिंह को मंदसौर के युद्ध में पराजित कर दिया।¹⁶ तब राजस्थान के शासकों का भय और अधिक बढ़ गया। मुगल बादशाह मुहम्मदशाह ने भी अमीर-उल-उमरा व अन्य सरदारों को मालवा के थाने को हटा दिया।¹⁷ इस समय सभी प्रमुख शक्तियों में आपसी मनमुटाव था। राजस्थानी नरेश अपनी कूटनीति से मराठों से बचने का प्रयास करते तो मुगल बादशाह मालवा की सूबेदारी को बदल कर उनकी बनी हुई योजना पर तुषारपात कर देता। ऐसी विषम एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों में महाराणा संग्रामसिंह मराठों के विरुद्ध अपने सभी संभव प्रयास कर रहा था कि जनवरी 1734 ई. में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र जगतसिंह मेवाड़ का महाराणा बना।

सवाई जयसिंह ने मराठों के साथ समझौता वार्ता जारी रखी। इन समझौता वार्ताओं के माध्यम से सवाई जयसिंह व पेशवा बाजीराव में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये। परिणामस्वरूप सवाई जयसिंह ने पेशवा बाजीराव को मुगल बादशाह मुहम्मदशाह से स्पष्ट वार्ता कर एक निश्चित समझौता करने के लिये आमंत्रित किया। तब पेशवा अक्टूबर, 1734 ई. में पूना से अपने प्रमुख अधिकारियों मल्हार राव होल्कर, राणोजी सिंधिया, आनन्दराव पंवार आदि के साथ उत्तरी भारत के लिये रवाना हुआ। अपनी इस यात्रा के दौरान वह सर्वप्रथम राजस्थान के राज्यों में आया।¹⁸ पेशवा के यो राजपूत राजाओं से मिलने तथा प्रमुखतः मेवाड़ में आने के कई प्रयोजन थे। पहला, वह मित्रतापूर्ण वार्तालाप द्वारा राजस्थान के शासकों को अपने पक्ष में करने का यह अत्युत्तम अवसर समझता था। उस समय तक पेशवा की इन राज्यों में युद्ध व विनाश की नीति नहीं रही थी, क्योंकि राजा शाहू ने उसे इससे पूर्व 17 मार्च, 1734 ई. को मेवाड़ व जयपुर राज्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव न कर मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का आदेश दे दिया था।¹⁹ अतः उसने अपनी सुरक्षार्थ 8000 घुड़सवार सैनिक ही रखे तथा शेष सैनिकों को शाहपुरा की ओर भेज दिया।²⁰ दूसरा, बाजीराव यहाँ के शासकों को अपने नेतृत्व में लेकर हिन्दू संगठन स्थापित करना चाहता था, जिसे महाराणा

राजसिंह ने भी स्वीकारते हुए कहा कि सभी हिन्दू राजाओं को एक होकर पेशवा के साथ हो जाना चाहिए।²¹ तीसरा, राजस्थान के राज्यों की राजनैतिक स्थिति का अवलोकन कर उत्तरी भारत की शक्ति का अनुमान लगाना। चौथा, राजपूत शासकों से चौथ आदि वसूल करने की शर्तें निश्चित करना। पाँचवा, व्यक्तिगत रूप से उसका मेवाड़ में आने का वास्तविक उद्देश्य यह था कि सदाशिव बल्लाल जो कि एक वर्ष से महाराणा राजसिंह से पट्टे की सनद के लिए प्रयास कर रहा था, उसे पूर्ण कर चौथ के बारे में निश्चित समझौता करना।²²

अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब पेशवा बाजीराव उत्तरी भारत की ओर आ रहा था, तब यह ज्ञात होने पर सभी जगह भय व्याप्त हो गया।²³ यहाँ तक कि मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह स्वयं पेशवा बाजीराव से उदयपुर में नहीं मिलना चाहता था। उसने अधिक निकट मिलने की अपेक्षा अपने प्रधान बिहारीदास को देवलिया (प्रतापगढ़) का स्थान इसके लिए उचित बताया।²⁴ परन्तु महाराणा को जब पेशवा के उत्तरी भारत की ओर उत्तरोत्तर बढ़ने के समाचार ज्ञात हुए तो उसने बिहारीदास पंचोली को एक फौज के साथ रामपुरा भेजा। चूंकि मंदसौर पर मराठा आधिपत्य पहले से ही था। अतः बिहारीदास सलूमबर की राह होता हुआ रामपुरा पहुँचा, तब बिहारीदास के साथ जयपुर की सेना भी सम्मिलित हो गई।²⁵ इस समय महाराणा द्वारा बिहारीदास को पेशवा की अगवानी के लिए फौज सहित भेजने के दो कारण थे- पहला, पेशवा से मिलने की योजना उदयपुर से दूर कहीं अन्यत्र रहे। दूसरा, यदि पेशवा की नीति युद्ध या विनाश की हो तो मेवाड़ सीमा से बाहर ही निपट लिया जाये। इस प्रकार से पेशवा के विरुद्ध सैनिक तैयारी अवश्य की गई किन्तु उधर पेशवा बाजीराव सुल्तानपुर में ताप्ती नदी को पार कर कुक्षी किले को विजय करने के पश्चात् पेशवा गुजरात के मार्ग से लूनावाडा होता हुआ डूंगरपुर पहुँचा।²⁶ पेशवा ने डूंगरपुर पहुँच कर उसे घेर लिया तो महारावल शिवसिंह ने मराठों द्वारा अपने राज्य में लूटमार के भय से पेशवा का विरोध न कर उसे 3 लाख रुपये देकर विदा किया।²⁷ इससे पेशवा बाजीराव का हौंसला बढ़ गया और वह भली भौँति समझ गया कि भयभीत राजपूत उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अतः जनवरी, 25, 1736 ई. को वह मेवाड़ में प्रवेश कर उदयपुर की ओर बढ़ने लगा। उदयपुर पहुँचने पर महाराणा जगतसिंह व बाजीराव के मध्य 'चौथ' वसूली के बारे में समझौता हो गया।

मल्हार राव होल्कर और डूंगरपुर :- 1736 ई. में मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह एवं पेशवा बाजीराव के मध्य 'चौथ' के मामले पर हुए समझौते का 1742-43 ई. तक तो पालन होता रहा। परन्तु इसके पश्चात् महाराणा जगतसिंह जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में व्यस्त हो गया। इस कारण मेवाड़ की आर्थिक दशा अस्त-व्यस्त हो गई। यहाँ तक कि फौज खर्च आदि भी समय पर पूरा नहीं दिया जा

सका। ऐसे समय में मराठों को मेवाड़ द्वारा एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष नियमित रूप से नहीं दिया गया। तब मराठों ने मेवाड़ से 'चौथ' मांगना प्रारम्भ किया।²⁸ चौथ एकत्रित करने के लिए उदयपुर में एक मराठा अधिकारी नियुक्त था। उसने सोचा कि बिना दबाव डाले उदयपुर से शेष रकम एकत्रित करना असम्भव है। अतः 1746 ई. में इंदौर राज्य का संस्थापक प्रसिद्ध मल्हार राव होल्कर ने तांडा व अन्य हिस्सों को अधीन कर, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। तत्पश्चात् फरवरी, 1746 ई. में वह डूंगरपुर पहुँचा।²⁹ वहाँ से उसने सिन्धिया की तरफ से कोटा के एजेन्ट बालाजी यशवन्त गुलगुले और कोटा के कमाविसदार हरिबल्लाल को फाल्गुन सुदी 5 (14 फरवरी) को पत्र में लिखा कि पावागढ़ आदि का काम कर मैं डूंगरपुर आ गया हूँ और अब यहाँ से उदयपुर होकर हाडौती जाने का विचार है। इसी तरह का एक पत्र उसने पेशवा बालाजी बाजीराव को लिखा कि मैं डूंगरपुर प्रांत को गया, जहाँ एक अरसे से कोई मराठी सेना नहीं गई थी। इसलिए मुझे वहाँ जाकर प्रबन्ध करना आवश्यक था।³⁰

मल्हार राव होल्कर की डूंगरपुर पर इस चढ़ाई के पीछे प्रमुख कारण क्या था? ओर इसका क्या परिणाम हुआ? यह अभी तक अनिश्चित है। लेकिन उसके द्वारा लिखे गये पत्रों से तो यही प्रतीत होता है कि मराठों द्वारा पूर्व निर्धारित 'चौथ' की राशि जिन-जिन राज्यों से नियमित वसूल नहीं हुई थी, वहाँ-वहाँ पहुँचकर उसने चौथ की राशि वसूल करने के लिए दबाव डालने का प्रयास किया। अतः संभव है कि डूंगरपुर के महारावल शिवसिंह द्वारा पेशवा बाजीराव को 1736 ई. में 3 लाख रुपये नगद देने के साथ ही एक निश्चित धनराशि चौथ के रूप में प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया हो जिसका भुगतान मराठों को नियमित नहीं किया गया हो। इस कारण मल्हार राव होल्कर डूंगरपुर पर दबाव डालकर चौथ की राशि वसूल करने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा। चढ़ाई के परिणाम के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय महारावल शिवसिंह ने उसे कुछ रुपये दे-दिलाकर और आगे से नियमित चौथ देते रहने का आश्वासन देकर विदा किया हो।³¹

महारावल शिवसिंह की बालाजी बाजीराव के साथ संधि :- डूंगरपुर पर मराठों द्वारा निरन्तर होने वाले आक्रमणों के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। मराठों सरदारों की भूख शान्त करते रहने पर भी कोई स्थाई समाधान नजर नहीं आ रहा था। जब मल्हारराव होल्कर व अन्य मराठा सरदारों के आक्रमण का भय ओर अधिक बढ़ गया तब महारावल शिवसिंह ने अपने राज्य को मराठों के द्वारा होने वाली बर्बादी से बचाने के लिए पेशवा बालाजी बाजीराव से संधि करने का विचार किया। इस विचार से महारावल शिवसिंह ने 1747 ई. में एक एजेन्ट पूना भेजा, जहाँ डूंगरपुर राज्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में पेशवा के साथ एक

समझौता हुआ जिसमें वार्षिक 'चौथ' के रूप में 35,000 सालीमशाह तय हुआ। यह चौथ वसूली का कार्य तीन मराठा सरदारों-सिन्धियों, होल्कर व धार शासक द्वारा किया जाता था। उक्त राशि का आधा हिस्सा धार शासक, चौथाई भाग सिन्धियों व चौथाई भाग होल्कर को प्राप्त होता था।³²

महारावल वैरिशाल और मराठा :- महारावल शिवसिंह की मृत्यु के पश्चात् 1785 ई. में उसका पुत्र वैरिशाल गद्दी पर बैठा। उस समय तक मुगल साम्राज्य की शक्ति बहुत ही क्षीण हो चुकी थी और दिल्ली की बादशाहत नाममात्र की रह गई थी। उसका अस्तित्व उसके अमीरों एवं मराठों की कृपा पर निर्भर था। मराठों ने उत्तरी भारत में आंतक जमाकर राजपुताने के राज्यों से चौथ वसूल कर उनकी आर्थिक स्थिति को अत्यधिक शोचनीय बना दिया था। धनलोलुपी मराठों में स्वार्थ की मात्रा अधिक थी। धीरे-धीरे पेशवा के होल्कर, सिन्धियां, गायकवाड़ आदि सेनापति शक्तिशाली बनते जा रहे थे, जिससे पेशवा की शक्ति क्षीण होने लगी।³³ होल्कर और सिन्धियां के निरन्तर आक्रमणों से राजपुताने की बड़ी दुर्दशा हुई तथा यहाँ के नरेश इतने शक्तिहीन हो गये कि बाहरी सहायता के बिना वे अपने घरेलू झगड़ों का निपटारा भी नहीं कर सकते थे। ऐसे अशान्त वातावरण में अंग्रेजों को अपनी सत्ता दृढ़ करने का अच्छा अवसर मिला और क्रमशः आगे चलकर वे यथावसर उन लोगों को दबाने लगे जो उनकी उन्नति में बाधक थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि महारावल शिवसिंह द्वारा जो वार्षिक चौथ की राशि तय की गई थी, वही निरन्तर वसूल की जाती रही।³⁴ उसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। 1796 ई. तक मराठा एजेन्ट डूंगरपुर में रहकर वार्षिक चौथ वसूल करते रहे³⁵, जिसे महारावल द्वारा प्रति एजेन्ट 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का वार्षिक भुगतान वहन किया जाता रहा।³⁶

डूंगरपुर गृहकलह और जसवंतराव होल्कर का सेनापति रामदीन :- महारावल वैरिशाल की मृत्यु के बाद 1790 ई. में उसका पुत्र फतहसिंह गद्दी पर बैठा। उसमें राजनैतिक योग्यता एवं दूरदर्शिता का अभाव था। इसलिए इनके शासनकाल में राज्य में अशांति बनी रही और मराठों एवं पिण्डारियों का जोर बढ़ा। महारावल फतहसिंह शराब के अत्यधिक शौकीन थे। इन्होंने भामा बखारिया³⁷ के पुत्र पेमा को मंत्री बनाया जो झामा के जैसा ही अत्याचारी था। महारावल की शराबखोरी यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन शराब के नशे में उसने अपनी रानी को तलवार से मार डाला। राजमाता मेड़तणी शुभकृंवरी ने जो बड़ी बुद्धिमती थी, अपने पुत्र की यह दशा देख कर राज्य को बर्बादी से बचाने के लिए मंत्री पेमा द्वारा महारावल फतहसिंह को बंदी बनवा लिया³⁸ और राज्य कार्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली।³⁹ शासन प्रबंध में राजमाता का हस्तक्षेप सरदारों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजमाता के विरुद्ध षडयंत्र रचा और उस कार्य में सफल होने के लिए मंत्री पेमा का वध करना चाहा। इस कार्य

के लिए उन्होंने ऊंमा सुरमा को नियुक्त किया, जो इन्हीं दिनों कोतवाल बनाया गया था। एक दिन ऊंमा सुरमा को अपने मकान के नीचे जाता देख पेमा मंत्री ने प्रसन्नता प्रकट कर उसे अपने यहाँ अफीम पीने के लिए बुलाया। ऊंमा तो उसे मारने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश में ही था, अतः उसे यह अवसर उचित जान पड़ा। तत्क्षण वह पेमा की बैठक में गया और झरोखे में बैठे हुए पेमा पर तलवार का वार किया। मरते-मरते उसने भी कटार से ऊंमा को घायल कर दिया। परन्तु वह भागकर महलों में चला गया। इस घटना से राज्य में दो दल बन गये एक दल राजमाता का और दूसरा सरदारों का।⁴⁰

ऐसे अंशात वातावरण में कोई भी व्यक्ति मंत्री पदग्रहण करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था।⁴¹ आपस की छोटी-बड़ी लड़ाइयों में सरदार लोग कट-मरने लगे। पेमा की मृत्यु के बाद साहस जुटाकर शंकरदास गांधी मंत्री बना, परन्तु उसने भी भय के मारे शीघ्र ही त्याग पत्र दे दिया। तब बनकोडा के ठाकूर भारतसिंह और मांडव के ठाकूर प्रतापसिंह ने मंत्री की रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया, जिससे हिम्मत कर तिलोकचन्द मेहता ने मंत्री बनना स्वीकार किया। उस समय राज्य का खजाना खाली था। अतः लोगो ने राजमाता को नवीन मंत्री से भारी धनराशि लेने की बात सुझाई।⁴² लेकिन तिलोकचन्द के द्वारा धनराशि देने से मना करने पर राजमाता के दल ने उसको राज्य का अहितचिन्तक मानकर मार डालने का विचार किया। यह सूचना मिलते ही उसने मंत्री का पद छोड़ दिया। फिर भी उसके शत्रु शान्त न हुए। भारतसिंह एवं प्रतापसिंह के रहते किसी का साहस न हुआ कि उसके प्राण ले। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वे दोनों सरदार अपने-अपने ठिकानों में चले गये, तब तिलोकचन्द के विरोधियों को उचित अवसर मिल गया और एक दिन उन्होंने माधवसिंह सोलंकी के द्वारा फाँसी लगवाकर उसे मरवा डाला।

यह समाचार सुनकर बनकोडा एवं मांडव के सरदार बहुत क्रुद्ध हुए और वे सलूमबर से सहायता लेकर डूंगरपुर की तरफ बढ़े। जब राजमाता को सरदारों के सेना लेकर आने की सूचना मिली तो उसने अपने भाई सरदार सिंह को जो आसपुर में था, उनको सजा देने की आज्ञा दी। विहाणां गाँव के पास दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई हुई। जिसमें दोनों तरफ के 25-25 आदमी मारे गये।⁴³ अंत में सरदार सिंह ने बनकोडा के ठाकूर भारतसिंह को इस झगड़े को मिटा देने के लिए बातचीत करने के बहाने धोखे से अपने पास बुलाया। ज्योंही वह उससे मिलने आया, त्यो ही सरदार सिंह ने तलवार का वार कर उसे मार डाला।

भारतसिंह की मृत्यु के बाद सरदार सिंह को विश्वास था कि राजमाता के विरोधियों का अन्त हो जाएगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस घटना से अन्य सरदार भडक उठे और उन्होंने अपने विरोधियों को जडमूल से उखाड़ फेंकने का संकल्प कर लिया। इसके लिए उन्होंने जसवंतराव होल्कर के सेनापति रामदीन⁴⁴ के पास जो कि

उस समय बॉसवाडा में पडाव डाले हुए था सहायता के लिए अपना दूत भेजा और उसे प्रलोभन देकर डूंगरपुर आने के लिए कहलाया।⁴⁵ दूरदर्शी सरदार सिंह भी शांत न था। वह राजमाता के विरोधी सरदारों के षडयंत्र पर नजर रखे हुए था। उसने बॉसवाडा पहुँचकर रात्रि के समय मराठा वेश में मराठों की छावनी में प्रवेश किया और विद्रोही सरदारों के दूत को मार डाला। उधर राजमाता ने अपने विश्वसनीय कर्मचारी जवाहिरचन्द खडायत को बहुत कुछ धनराशि देकर रामदीन के पास भेजा और उसे विद्रोही सरदारों का साथ छोड़ देने के लिए कहलाया। पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्राप्त होने पर रामदीन ने उनका साथ छोड़ दिया और बनकोडा के सरदारों को मूंडकटी में एक गाँव दिलवा दिया।⁴⁶

इस कार्य के लिए प्रजा से अत्याचार पूर्वक धनराशि वसूल की गई, जिससे सब लोग राजमाता के विरोधी हो गये और उसके दल के बहुत से लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। मौके का फायदा उठाते हुए राजमाता के विरोधियों ने राजमाता को मारने के लिए षडयंत्र रचा। उन्होंने इस कार्य को अंजाम देने के लिए अपने पक्ष के सरदारों को नियत समय पर डूंगरपुर आने के लिए पत्र भेजे।⁴⁷ लेकिन संयोग वश ऊंमा सुरमा के नाम का पत्र, जिसमें इस सारे षडयंत्र का विवरण था और जिसे रतनचन्द गांधी ने लिखा प्रमाणित हुआ, जिससे वह गिरतार कर लिया गया। उसने आम दरबार में इस पत्र को अपने हाथ का लिखा होना स्वीकार किया, जिस पर राजमाता की आज्ञा से उसे तोप से उडा दिया गया। फिर भी पूर्व निश्चित दिन विद्रोही सरदार राजधानी में आने लगे। जब वे सब आ चुके तो उन्हें राजमाता के सरदारों ने घेर लिया। उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब राजमाता के विरोधियों का अन्त होने ही वाला है। लेकिन पासा उलटा पडा क्योंकि ऊंमा सुरमा किसी तरह उसके घेरे में से निकल गया। उसने अपने सरदारों को एकत्रित कर राजमहलों पर आक्रमण किया, जिसमें राजमाता के सहायकों की पराजय हुई। विद्रोही सरदारों ने आगे बढ़कर राजमाता को मार डाला⁴⁸ और राजमहलों को लूटा। राजमाता के मारे जाने पर महारावल फतहसिंह कैद से मुक्त हुआ।⁴⁹ बहुत से सरदार ऊंमा सुरमा का साथ छोड़कर महारावल के साथ हो गये। राजमाता के मारे जाने की घटना के पन्द्रह दिन बाद ही मांडव के ठाकूर प्रतापसिंह का पुत्र दुर्जनसिंह ऊंमा को पकड़ लाया। तत्काल ही महारावल फतहसिंह ने उसका उसी स्थान पर वध करवाया जहाँ राजमाता का वध हुआ था।⁵⁰

सदाशिवराव की डूंगरपुर पर चढ़ाई :- एक ओर महारावल फतहसिंह स्वयं बंदीगृह से मुक्त होकर गद्दी पर बैठा तो दूसरी ओर 1805 ई. में दौलतराव सिन्धियां ने मेवाड पर चढ़ाई करके महाराणा भीमसिंह से धन वसूला।⁵¹ इसी दौरान उसने अपने एक सेनाध्यक्ष सदाशिवराव को सेना सहित डूंगरपुर भेजा।⁵² महारावल फतहसिंह

सदाशिवराव की चढ़ाई के समाचार सुनकर पहाड़ों में चले गये। लेकिन अपने राज्य की लूटमार के भय से महारावल ने उससे सुलह करना ही उचित समझा और 2 लाख रुपये लेकर चले जाने के लिए राजी कर लिया।⁵³ उस समय राजकोष खाली था क्योंकि लम्बे समय से चल रहे गृहकलह के कारण राज्य की स्थिति बिगड़ गई थी। ऐसी परिस्थिति में जनता से रुपये वसूल करना निश्चय हुआ। अतः मंत्री वर्ग ने वहाँ के निवासी नागर ब्राह्मणों से, जो सम्पन्न थे उनसे कठोरता पूर्वक रुपये वसूल कर सदाशिवराव को दिये। इस पर नागर ब्राह्मणों ने नाराज होकर डूंगरपुर राज्य छोड़ दिया, जिससे वहाँ की आर्थिक स्थिति को गहरा धक्का लगा।⁵⁴

सन्दर्भ

1. ओझा, जे.के. मेवाड़ का इतिहास, पृ. 6
2. रा.रा.पु.अ. बीकानेर, ड्राट खरीतान ऑफ, जयपुर, रील नं. 22, डी नं. 56 नकल परवाना, सवाई जयसिंह का श्री निवास को दि. जेठ वदी 9, वि.सं. 1768 (सोमवार, अप्रैल 30, 1711 ई.)
3. रा.रा.पु.अ. बीकानेर ड्राट खरीतान ऑफ, जयपुर, रील नं. 22, डी नं. 61 नकल परवाना आमेर के सवाई जयसिंह का उदयपुर बिहारीदास पंचोली को दि. आषाढ़ सुदी 2, वि.सं. 1768 (गुरुवार, जून 07, 1711 ई.)
4. किनकोइड एण्ड पारसनीस, ए हिस्ट्री ऑफ दी मराठा पीपुल, पृ. 224
5. सीतामऊ, जयपुर ट्रांसक्रिप्ट्स, एडिशनल पार्शियन जि. 2, पत्र सं. 187
6. ओझा, जे.के., मेवाड़ का इतिहास, पृ. 9
7. सीतामऊ, शाहपुरा रिकॉर्ड्स (हिन्दी), जिल्द 3, भाग 2, पृ. 23
8. लेले व ओक, धारच्या पवाराचे महत्व व दर्जा, पृ. 30-34
9. ओझा, गौ. ही. राजपुताने का इतिहास, जिल्द 3, भाग-1, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 124
10. लेले तथा ओक, धारच्या पवारां चे महत्व व दर्जा, पृ. 34-35, यह पत्र वि.सं. 1785 ज्येष्ठ सुदी 1 (28 मई, 1728) को लिखा गया था।
11. के.के. सहगल, राजस्थान डीस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, डूंगरपुर, (1974 संस्क.), पृ. 32
12. ओझा, जे.के. मेवाड़ का इतिहास, पृ. 9-10
13. रा.रा.पु.अ. बीकानेर, उदयपुर खरीता, डी.नं. 298 खरीता महाराणा संग्रामसिंह का सवाई जयसिंह को दि. मगसर सुदी 3, वि.सं. 1787
14. सरदेसाई, न्यू हिस्ट्री ऑफ दी मराठाज, भाग 1, पृ. 112-125 (हिन्दी संस्करण)
15. सीतामऊ, जयपुर रिकॉर्ड्स (हिन्दी) जिल्द 3, भाग 5, पृ. 48
16. पेशवा दतर, जिल्द 14, पत्र सं. 2
17. रा.रा.पु.अ. बीकानेर, खतूत अहंरुकारान (जयपुर) ब. नं. 2, डी.नं. 354, पत्र - राव जगराम का जोरावर सिंह को दि. कार्तिक सुदी 11, वि.सं. 1790
18. ओझा, जे.के. मेवाड़ का इतिहास, पृ. 30

19. नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ, कपटद्वार 665/1037
20. रा.रा.पु.अ. बीकानेर, आमेर रिकॉर्ड्स नं. 1792/1, डी.नं. 243, पत्र दीवान फतहराम का जोरावर सिंह को दि. चैत्र वदी 7, वि.सं. 1792
21. पेशवा दतर, (न्यू सीरीज) जिल्द 1, पत्र सं. 27
22. पेशवा दतर, (न्यू सीरीज) जिल्द 1, पत्र सं. 128, 134, 142, 143
23. पेशवा दतर, (न्यू सीरीज) जिल्द 14, पत्र सं. 43
24. कर्नल टॉड कृत, राजस्थान का इतिहास भाग 1, पृ. 335-336, पाट्टिप्पणी सं. 1
25. रा.रा.पु.अ. बीकानेर, आमेर रिकॉर्ड्स नं. 1792/1, डी.नं. 163, पत्र - कुँवर दौलतसिंह, दीवान दौलतराम का जोरावरसिंह को दि. फाल्गुन वदी 2, वि.सं. 1792 (रविवार, जनवरी 18, 1736 ई.)
26. गुप्ता, के. एस. मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स, पृ. 12
27. ओझा, गौ. ही. ने राजपुताने का इतिहास जिल्द 3 भाग 1 डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 128 पर पेशवा बाजीराव को 3 लाख रुपये देकर विदा करना लिखा है, जबकि इसी पुस्तक को आधार मानते हुए के.एस. गुप्ता, मेवाड़ एण्ड दी मराठा रिलेशन्स, पृ. 42-43 एवं जे.के. ओझा, मेवाड़ का इतिहास पृ. 31 पर पेशवा को वार्षिक चौथ के रुपये में 3 लाख रुपये देना स्वीकार कर विदा किया लिखा है, उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसी यात्रा के दौरान मेवाड़ जैसे राज्य से 1 लाख 50 हजार रुपये वार्षिक चौथ तय हुई थी।
28. ओझा, जे.के. मेवाड़ का इतिहास, पृ. 86
29. होल्कर शाहीच्या इतिहांची साधने, भाग 1, पत्र सं. 65
30. शंदेशाही इतिहासाची साधने, भाग 2, पत्र सं. 37
31. डूंगरपुर राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि महारावल शिवसिंह के समय मल्हार राव होल्कर ने वि.सं. 1837 ई. में एक दिन पिछली रात को आकर डूंगरपुर पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय महारावल शिवसिंह अपने कृदुम्ब आदि को लेकर लींबखाडे की पाल में चला गया। पन्द्रह दिन बाद फिर उसने अपने सरदारों को साथ लेकर दिन अस्त होते समय मल्हार राव की सेना पर आक्रमण कर उसे तितर-बितर कर माही नदी के किनारे तक भगा दिया। उस युद्ध में मल्हार राव का प्रमुख सरदार बादल महल में मारा गया। ऐतिहासिक कसौटी पर जाँच करने से पता लगता है कि मल्हार राव होल्कर पर विजय पाने की बड़वे की यह सारी कथा कपोल कल्पित है, क्योंकि मल्हार राव देहांत वि. सं. 1823 (1766 ई.) में हो चुका था और वि. सं. 1837 (1780 ई.) में इन्दौर का शासन प्रसिद्ध अहिल्या बाई करती थी।
32. सहगल, के.के. राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, डूंगरपुर, पृ. 33
33. ओझा, गौ. ही. डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 132
34. सहगल, के.के. राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, डूंगरपुर, पृ. 33
35. वही

36. वही
37. महारावल वैरिशाल ने गद्दी पर बैठते ही अपने पिता की नीति की अवहेलना की और महारावल शिवसिंह के समय के मंत्री तुलसीदास गांधी को पदच्युत कर उसके स्थान पर झामा बखारिया के पुत्र पेमा जो कि अत्यन्त क्रूर हृदय था, मंत्री बनाया।
38. सैय्यद सफदर हुसैन लिखित, डूंगरपुर राज्य का गजेटियर्स का हिन्दी अनुवाद (हस्तलिखित), पृ. 16
39. सहगल, के.के. राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, डूंगरपुर, पृ. 33
40. ओझा, गौ. ही., डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 136
41. गहलोत जगदीश सिंह, राजपुताने का इतिहास भाग 1, पृ. 417
42. गौ. ही. ओझा, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 136
43. वही पृ. 137
44. माल्कम, मेमोइर्स ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया, जिल्द 1, पृ. 276-277
45. गहलोत जगदीश सिंह, राजपुताने का इतिहास भाग 1, पृ. 417
46. ओझा, गौ. ही. राजपुताने का इतिहास, जिल्द 3, भाग 1, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 138
47. ओझा, गौ. ही. डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 138
48. सैय्यद सफदर हुसैन लिखित, डूंगरपुर राज्य का गजेटियर्स, पृ. 16
49. सहगल, के.के. राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर्स, डूंगरपुर, पृ. 33
50. ओझा, गौ. ही. डूंगरपुर राज्य का इतिहास, जिल्द 3, भाग 1, पृ. 139
51. ओझा, गौ. ही. डूंगरपुर राज्य का इतिहास, जिल्द 3, भाग 1
52. गहलोत जगदीश सिंह, डूंगरपुर राज्य का इतिहास भाग 1, पृ. 417
53. ओझा, गौ. ही. डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृ. 140
54. वही

19वीं शताब्दी की राजनैतिक जानकारियों का स्रोत : कानोड़ ठिकाने की एक अप्रकाशित पट्टा बही

डॉ. प्रियदर्शी ओझा

मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के ठिकाना कानोड़ के रावत उम्मेदसिंह कालीन (1850 ई.-1883 ई.) पट्टा बही 19वीं शताब्दी के राजनैतिक इतिहास की जानकारियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस भांति पट्टा बही से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है।¹ प्रस्तुत शोध पत्र में राजनीतिक जानकारी को विवेचित करने का प्रयास किया गया है। यह पट्टा बही श्रीमती मांगबाई ओझा, कानोड़ संग्रह के बस्ता नं. 1, बही संख्या 9 के रूप में संग्रहीत एवं सुरक्षित है। कुल 102 अ व ब पृष्ठों में समाहित इस बही के पृष्ठ 1, 2, 4, 44 व 45 आधे फटे हुए हैं। इसमें कुल 382 पट्टों की नकलें हैं जो विविधता लिये हुए हैं। प्रस्तुत बही से हमें मेवाड़ एवं विशेषतया ठिकाने की राजनैतिक जानकारियां उपलब्ध होती हैं।

कानोड़ ठिकाने का प्रमुख शासक-सामन्त 'रावत' कहलाता था। यह वंशानुगत पैतृक पद था। ज्येष्ठाधिकार के नियम की कठोरता से पालना की जाती थी। अतः राजतंत्रीय कुलीन-व्यवस्था यहां की शासन व्यवस्था का मुख्य आधार था। 'रावत' शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं प्रमुख हुआ करता था। नियमानुसार पट्टा प्रदत्त जागीर में ठिकानेदार महाराणा की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं कर सकता था। परन्तु व्यवहार में ये पट्टा प्रदत्त ठिकानेदार अपने ठिकाने के स्वामी थे। अतः वे स्वतंत्र रूप से महाराणा की भांति अपनी जागीरों में भूमि अनुदान आदि करने लग गये थे। प्रस्तुत 'पट्टा बही' से उसकी सर्वोच्चता का बोध इस भांति होता है कि उसके आदेश के बिना कोई भी पट्टा जारी नहीं हो सकता था। प्रत्येक पट्टे का प्रारंभ इस भांति होता था—

'सीध श्री महाराजधराज महारावत श्री ऊमेदसीघ जी वचनातु।'

स्पष्ट है कि वह अपने ठिकाने के शासन-प्रबंध का सर्वोच्च था। इसलिए 'महाराजाधिराज' एवं 'महारावत' उपाधि से अपने आपको अभिहित करता हुआ पट्टा जारी करने का आदेश देता था जैसा कि दि. शुक्रवार फरवरी 6, 1857 ई. के पट्टे में लिखा कि "शह रोड़ा मुर्दिया को शाह नीमा मुर्दिया की जगह (जमीन) घर-दो, पोळ एक तथा पोळ एक बाजार की तरफ की, दरीखाना एक (तेरी पोळ के अन्दर का) के

125 रु. नजराना के लेकर साबत करके बक्षा गया है। अतः इसे उपयोग में लेवें नष्ट नहीं करें। प्रतदुअे (द्वितीय आदेश) शाह धनराज हुकमीचंद बाबेल, हस्ताक्षर वजा लखदार के श्री हजूर के हुक्म (आदेश) से लिखा।² प्रत्येक पट्टे के नीचे 'प्रतदुअे' अर्थात् द्वितीय आदेश और फिर पट्टा जारी करने वाले का नाम शाह धनराज हुकमीचंद बाबेल लिखा हुआ है। यदि देखा जाये तो पट्टा देने का वैधानिक आदेश तो कानोड़ रावत ही करता था किन्तु उस प्रथम आदेश की पालना करते हुए ठिकाने का कामदार पट्टा जारी करता था। इसलिए 'प्रतदुअे' लिखा जाता था। कहीं-कहीं पट्टों पर पट्टा लिखने वाले का नाम जैसा कि उपरोक्त पट्टे में वजा लखदार के हस्ताक्षर है। वजा लखदार ने लिखा कि 'हजूर के हुक्म से लिखा'।³

'रावत' (महारावत)-अपनी प्रजा, अधीनस्थ कर्मचारियों एवं जागीरदारों में अत्यधिक सम्मानीय था। ठिकाने की सर्वशक्ति उसमें निहित थी। वह प्रशासन, न्याय, धर्म, सैनिक आदि सभी क्षेत्र में सर्वोपरि होता था। ठिकाने के अधिकारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति उसी के अधिकार क्षेत्र में थी। वह अपने ठिकाने के आंतरिक मामलों में संप्रभु होता था।⁴ पट्टे उसी के नाम से जारी होते थे। इस बही से हमें शासन के सुसंचालन के लिये नियुक्त विभिन्न ठिकाना अधिकारियों के पदों की जानकारी भी मिलती है यथा-कामदार-यह ठिकाने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। ठिकाने का सामान्य प्रशासन उसी की देखरेख में होता था। इस ठिकाने के कामदारों में महाजनों की बाबेल, नंदावत, नरसिंघपुरा व नलवाया जातियां प्रमुख रही थी। अलग-अलग विभागों के अलग-अलग कामदार हुआ करते थे। ठिकाने के खालसा गांवों का राजस्व, भोग, बराड़ आदि कामदार के पास ही जमा होता था। यह जिम्मेदारी से युक्त एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद था।⁵ शनिवार, जुलाई 5, 1856 ई. के पट्टे से स्पष्ट होता है कि पीथलपुरा गांव की बराड़ 'खालसा' के कामदार लेंगे।⁶

फौजदार- 'रावत' के पश्चात् फौजदार मुख्य पद होता था। इस पद पर प्रायः ठिकानेदार का छोटा भाई अथवा पुत्र होता था। उसका पद बड़ा सम्मानजनक होता था। फौजदार ठिकानेदार की अनुपस्थिति में ठिकाने की देखभाल करता था। वह पुलिस और सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। फौजदार राजस्व प्रशासन से भी सम्बद्ध था और तलब क्षेत्रों से राजस्व वसूली के लिए भी वह पूर्णतया जिम्मेदार होता था।⁷

पुरोहित⁸-धार्मिक विभाग का मुखिया पुरोहित होता था। यह पद सर्वाधिक सम्मानजनक होता था। वह धार्मिक और राजकीय उत्सवों का सम्पादन करता था।

कोठारी⁹-ठिकाने में कोठार का प्रबंध करने वाला अधिकारी 'दरोगा-कोठार' होता था। कोठारी राज परिवार के लिए आवश्यक सामग्री खरीद कर कोठार में संग्रहित करने तथा लेन-देन क हिसाब में व तोल आदि में वह दक्ष होता था। यह पद

प्रायः महाजन जाति के लोगों को ही दिया जाता था। रावत उम्मेदसिंह ने शाह जोरा नलवाया को कोठार का काम सौंपते हुए उसे एक वर्ष की दो साख फसल सियालू व उन्हालू के क्रमशः 20+20=40 रुपये रोजगार के दिये थे। घोड़ों की देखरेख करने वाला 'फेरणा' कहलाता था। उसकी सहायता के लिए चाबुक सवार अथवा चरवादार¹⁰ रहता था। हमेरखां को सोमवार, अगस्त 18, 1856 ई. को रोजगार के लिए पट्टा देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि उसे एक वर्ष की दो साख अर्थात् 6-6 महिनों की फसल के अनुरूप 12 महिने का 45 मन धान तथा कपड़ों के लिए 24 रु. नकद दिये जायेंगे।¹¹ शुक्रवार, जुलाई 23, 1858 ई. को फेरणा हमेरखां को नवीन पट्टा दिया गया जिसके अनुसार धान तो पूर्व पट्टे के अनुरूप 45 मन ही रखा गया परन्तु नकद राशि में 17 रु. बढ़ाये गये। अतः साख सियालू व उन्हालू में क्रमशः धान के साथ-साथ साढ़े बीस रुपये एवं साढ़े बीस रुपये कुल 41 रु. नकद दिये जाने का उल्लेख किया गया था।¹² मई 14, 1877 ई. को हमेरखां के 35 रु. सियालू तथा 35 रु. उन्हालू के कुल 70 रु. वार्षिक कर दिये और कोठार से प्रतिदिन 'पेटिया' (खाने पीने का सामान) दिया जाता था।¹³ ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा स्फीति के कारण ही नकद राशि बढ़ाई जा रही थी। फर्राशखना के दरोगा चाकर फत्ता को रावत उम्मेदसिंह ने एक वर्ष की दो साख का धान 12 मन तथा 9 रु. नकद चाकरी का पट्टा दिया।¹⁴ उम्मेद विलास गोखड़ा के नीचे घर बनाने के लिये कुल 140 हाथ जगह का पट्टा कर दिया जिसमें आधी जगह नौकरी के बदले में तथा आधी जगह के 21 रु. नजराना के लेकर दी गई।¹⁵

पटेल-प्रत्येक गांव का मुखिया पटेल अथवा नम्बरदार होता था। वह ठिकाने द्वारा निर्धारित राजस्व, भोग, बराड़, खड़लाकड़ (घास लकड़ी) आदि संकलित कर उसे ठिकाने में भेजने के लिये अथवा कामदार के पास जमा कराने के लिए उत्तरदायी होता था। इस कार्य के बदले उसे भू-राजस्व से मुक्त भूमि प्राप्त होती थी।¹⁶ पटवारी-पटेल के बाद गांव में प्रमुख स्थान पटवारी का था। वह गांव की व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ लगान आदि वसूल करता था। भू-राजस्व संकलन में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता था।¹⁷ छड़ीदार देवला, अमरा, सीताराम, मोतो, ओवरीदार, चतुरभुज, हमेरा, बागवान, बलदेव, भिश्ती, जमादार, सेहणा, गांव बलाई, सिपाही, हुकादार, महावत आदि विभिन्न पदों की जानकारी मिलती है।¹⁸

कानोड़ रावत ने चाकरी (सेवा) के बदले में आजीविका के लिये जो पट्टे प्रदान किये उससे यह प्रकट होता है कि 'चाकरी' (सेवा) ठीक तरह से न करने पर पट्टा खालसा (पट्टा निरस्त अथवा खारिज) करने का प्रावधान भी था जैसे-शनिवार, जुलाई 8, 1865 ई. को गुलाबसिंह सारंगदेवोत को दिये गये पट्टे में लिखा कि "..... और गुलाबसिंह शादी करके मनुष्य कबीला सहित कानोड़ में पोळ बांध कर उपस्थित रहे और हुक्म (आदेश) के अनुसार देश प्रदेश में सेवा करें और कानोड़ में जगह बांध कर नहीं रहेगा तो श्री रावले खालसा कर दी जावेगी...."।¹⁹ रविवार, जुलाई 9,

1865 ई. को खेड़ा निवासी चणसिंह सारंगदेवोत ने अपने पुत्र गुलाबसिंह को दिये गये पट्टे के बारे में लिखा कि “....कानोड़ में पोळ बांध कर सेवा करेगा और रात-दिन उपस्थित रहेगा। यदि इसमें कमी करेगा तो यह जगह खालसा कर ले जिसका कोई उज्र (दावा) नहीं किया जावेगा....।”²⁰ दिनांक रविवार, जून 10, 1866 ई. को देवीसिंह चूडावत को पट्टे में लिखा कि “.....आदेश के अनुरूप सेवा करें। कानोड़ में ही रहे और सेवा करे। इसमें कसर (कमी) करेगा तो जगह जमीन आदि खालसा हो जावेगी तथा गलती होगी जिसका कोई उज्र नहीं होगा....।”²¹ इसी भांति बुधवार, अप्रैल 26, 1871 ई. को रूण्डेड़ा के झाला महासिंह ने रावत उम्मेदसिंह को लिखा कि “.... मैं गांव रूण्डेड़ा कोटड़ी में चौकी, पहरा रखूंगा और आदेश के अनुरूप सेवा करूंगा। जब तक सेवा करूंगा तब तक आजीविका के लिए पांच बीघा जमीन बक्ष दें। उस पर आश्रित रह कर खाता-पीता रहूंगा। यदि सेवा नहीं करूंगा तो इस जमीन पर मेरा कोई उज्र नहीं।” इस पर रावत उम्मेदसिंह ने उसे पट्टा प्रदान करते हुए लिखा कि “.....आजीविका के लिए तुम्हें 5 बीघा रांकड़ में से नेतावाला के रास्ते सेहजा में ब्राह्मण ऊंकार चपना के पास की पटवारी रामो हांकता (जोतता) था उस खेत में से दी गई सो हुकम के अनुसार बंदगी (सेवा) करें जब तक खाते-पीते रहना....।”²²

दि. शनिवार, नवम्बर 15, 1856 ई. के पट्टे में गणेशघाटी की ओर जमीन दी गई जिसके नजराने के रुपये ठिकाने के कामदार, नम्बरदार की लागत वसूल की गई। इस पट्टे पर नीचे की ओर लिखा हुआ है कि यह पट्टा रात को उतारा गया।²³ ऐसा प्रतीत होता है कि ठिकाना प्रशासन किसी विवाद विशेष से बचने के लिए रातों-रात पट्टा प्रदान कर शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता था। इतना ही नहीं आवासीय भू-खण्डों अथवा दुकान आदि के लिये प्रदत्त भू-खण्डों की स्थिति पट्टे में स्पष्ट कर दी जाती थी जिससे भविष्य में भी कभी किसी व्यक्ति को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था और ठिकाना प्रशासन उनके व्यर्थ के विवादों को निपटाने में नहीं उलझता था। गुरुवार, जुलाई 31, 1862 ई. को बोहरा रजबा को दिये गये पट्टे में उल्लेख है कि “गुलाब बाड़ी के दरवाजे के ऊपर की जगह धनराजजी के दुकान के ‘सरवेला’ (सीध से) से सिकलीगर की जगह के बीच की जगह जिसके नजराने के 9 रु. ले कर कर दी गई। अतः बांधे (बनवाये) दरवाजा अच्छा बनावें। नीचे की जगह फरणेट की तो सरकारी है और ऊपर की तुम्हारी है। दरवाजा ऊंचा करना जिसमें से रेतगाड़ी, ऊंट जोड़ी निकल सकें, ऐसा बनावें और दरवाजे के किंवाड़ अच्छे कराने हैं।”²⁴ इसी प्रकार से कृषि के लिए दिए गए खेत की जमीन (कृषि भूमि) के पट्टे भी सुस्पष्टता लिए होते थे यथा-सोमवार, अगस्त 11, 1862 ई. को ब्राह्मण भगवानदास को खेत का पट्टा इस भांति दिया गया, “खेत बीघा 1.5 कुल्मी भवना का जिसकी मेर (भेड़) एक करेरी के रास्ते की पश्चिम की (आथमणी), मेर दो उत्तर (धराऊ) की भवना की, मेर 3 पूर्व की (अगमणी) मेहतर

डूंगा की, मेर 4 दक्षिण (लंकाऊ) श्री रावली। यह जमीन रांकड़ बक्षी गई (दी गई)।²⁵

शासन-प्रबंध की कुशलता का बोध गांव की बसावट के रूप में भी नजर आती है। तब बाजार गणेश घाटी के पूर्व की ओर विकसित किया गया था। अतः व्यापारी वर्ग को उस ओर दुकानें बनाने व लगाने के लिये भूखंड आवंटित कर पट्टे प्रदान किये गये थे। प्रायः 15 हाथ लम्बी व 4 हाथ चौड़ी कुल 60 हाथ जमीन का पट्टा प्रत्येक व्यापारी को दिया गया था। यों तो व्यापारी वर्ग में विशेषतया जैन समुदाय ही था, किन्तु मुस्लिम बोहरों को भी दुकानों के लिये पट्टे दिये गये थे। दि. मंगलवार, अगस्त 12, 1856 ई. को शाह धनराज जी हुकमीचंद बाबेल को गणेश घाटी की तरफ दुकान के लिए 12 हाथ लम्बी, 7 हाथ चौड़ी कुल 84 हाथ जमीन सात रुपया लेना निश्चित कर बक्षी गई। अतः दुकान बंधावे और रहें परन्तु नष्ट नहीं करें। नजराना के 7 रु. भी छोड़े गए और दुकान के लिये यह जगह दी गई।²⁶ दि. मंगलवार, अगस्त 12, 1856 ई. को ही शाह खीमा पोखरना, शाह भोपा जारोरी, शाह गमेर जी वरदावत, शाह देवा मोरवानिया, शाह लक्ष्मीचंद बाबेल व बोहरा मेमद, बोहरा रजबा, बोहरा गुलाब मेमद को गणेश घाटी की ओर दुकान के लिए 12 गुणा 5 = 60 हाथ के भूखंड जिसके नजराने के 7 रु. लेकर कर दिये गये।²⁷ प्रस्तुत बही से हमें रावत उम्मेदसिंह के समय की सुशासन-प्रबंध की एक अन्य झलक उसके द्वारा नवीन खेड़ा अथवा लघुग्राम बसाने के संदर्भ में दिये गये पट्टों से भी देखने को मिलती है। नवीन खेड़ा बसाये जाने से जिस व्यक्ति विशेष को खेड़ा बसाने का अधिकार दिया गया उसके स्वाभिमान की संतुष्टि एवं अधिकार की पूर्ति तो होगी ही किन्तु वह ठिकानेदार का स्वामिभक्त सेवक बना रहेगा तथा ठिकाने को उस 'खेड़ा' से राजस्व आदि विभिन्न लागतें एवं कर प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़ा लाभ तो यह था कि ठिकाने की पड़त भूमि का उपयोग हो जाता था जैसे शुक्रवार, जून 15, 1855 ई. को किशोरसिंह शक्तावत को गांव चापरी में खेड़ा बसाने के लिए 60 बीघा जगह दी गई, अतएव खेड़ा बांधना, आबाद करें। 'बराड़' आदि तो श्री रावले में लिया जावेगा।²⁸

शनिवार, जुलाई 8, 1885 ई. को गुलाबसिंह सारंगदेवोत को खेड़ा बसाने व आबाद करने का पट्टा दिया गया था।²⁹ रविवार, जून 3, 1866 ई. को 'रूण्डेड़ा की सीम (क्षेत्र) में नया खेड़ा बसाने के लिए पट्टा जारी करते हुए लिखा कि - "रूण्डेड़ा की सीम में बरोड़ा के पास नया बसा कर, आसामी रहें उनकी इस प्रकार खातिरी रहेगी—

वर्ष 2 तक 'उगाई' नहीं लगेगी। इसके बाद रूण्डेड़ा में लगती आई उसके अनुसार ली जावेगी। भोग-हांसल पहले वर्ष छठी पांती (1/6 हिस्सा), दूसरे वर्ष पांचवी पांती (पांचवा हिस्सा), तीसरे वर्ष चौथी पांती (चौथा हिस्सा) फिर रूण्डेड़ा

में वसूल होता आया उसके अनुसार लिया जावेगा। वर्ष 2 तक एक बीघा अमल (अफीम) के 2.00 रु. प्रति बीघा पर लिए जायेंगे। 2 वर्ष तक जूना पानी (पुराना, बरसाती नहीं) की मक्की का वाटा (हिस्सा) चार लिया जावे।

उपरोक्त लिखे अनुसार खातरी रहेगा और फिर बेट-बेगार लागत, विलगत, हांसल, भोग आदि रूण्डेड़ा के अनुरूप लिया जावेगा। कुआं खोदें और खुशी से खेड़ा बसावें।³⁰ स्पष्ट है कि नया खेड़ा बसाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। विभिन्न प्रकार के राजस्व, लागत-विलगत आदि की वसूली से आसामियों को राहत पहुंचाते हुए नवीन खेड़े को 2 वर्षों तक पूर्णतया आबाद करने का भरसक प्रयास करते हैं। 'पट्टा' बही से हमें शासक की कुशलता का बोध भी होता है कि जब तक भी पूरे गांव के लोग अथवा पटेल आदि एकत्र होकर सामूहिक रूप से अर्ज करने आते तो ठिकानेदार उनकी बात सुनकर अपने निर्णय व न्याय अथवा फैसले का 'पट्टा' जारी कर देता था जैसा कि शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1857 ई. को बलीचा के पटेल लोग धावडुया गांव में चढ़कर आये तब निम्नानुसार निश्चय करने पर वे पुनः बलीचा चले गये।³¹

1. घास के पूले संदीप (सदैव से) प्रति घर मास एक से 25 पूले गढ़ में घोड़े रहते हैं उनके लिए देते रहे।
2. 'मूगधणो' (जलाऊ लकड़ी) गढ़ में सरदारों के लिए बलाई सदैव से डालते आये हैं, उसी के अनुसार बलाई अपने घर से डालेगा।
3. गढ़ में सरदार फाजदार आदि के सदैव से पीसना पीसते हो तो पीसे। गांव के जागीरदारों के जिनके सदैव से नहीं पीसते हो तो पीसे।
4. अमल (अफीम) की डोरी गटती (कम) कर दी गई। अभी कामदार 'मुकाता' वाला के तो सदैव से डोरी है और तुम कहते हो की राजपुरा, सारंगपुरा की बराबर डोरी है तो तुम्हारे शुरू के अनुरूप डोरी पड़ेगा। कम होगी तो सदैव की भांति पूरी हो जावेगी।
5. बलाई के घर अभी हैं वहां नहीं रहेंगे। पहले बलाईयों के घर है वहां बलाई का घर हो जाएगा। तुम्हारे घर यहां बलाई नहीं आवेगा।

ऊपर लिखे अनुसार करके ले गए और 'नुद' के (सामान, भोज, गोठ) लिए 'श्री हजूर' से अर्ज करनी और पूरी मेहनत करनी और मेहनत में कमी नहीं रखें और मेहनत में कमी रखे तो सौगंध है।

इस प्रकार से तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था पर इस पट्टा बही से अच्छा प्रकाश पड़ता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण मौलिक स्रोत है जिसका उपयोग करते हुए कई नवीन जानकारियां प्राप्त की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. श्रीमती मांगबाई ओझा संग्रह, कानोड़ ठिकाना की पट्टा बही नं. 9
2. वही पट्टा नं. 38
3. वही पट्टा नं. 38, 39, 88
4. डॉ. जे.के. ओझा, दी अगरेरियन सिस्टम ऑफ दी जागीर एरियाज (अप्रकाशित),
अध्याय 2
5. पट्टा बही नं. 9 पट्टा नं. 36, 248, 321, 354, 355, 465, 367
6. वही नं. 6
7. डॉ. जे.के. ओझा, पूर्वोक्त
8. पट्टा बही नं. 9 पट्टा नं. 108, 237, 250, 330-332
9. वही नं. 52
10. वही नं. 226
11. वही नं. 146
12. वही
13. डॉ. जे.के. ओझा, पूर्वोक्त
14. पट्टा बही नं. 9 पट्टा नं. 147
15. वही, पट्टा नं. 151 ब
16. वही नं. 36, 53, 240, 252, 256, 261, 266, 278, 284, 288, 324,
363-365, 367, 371-373
17. वही नं. 367
18. वही नं. 50, 91, 95, 124, 174, 185, 309, 342, 344, 365, 367
19. वही नं. 203
20. वही नं. 204
21. वही नं. 219, 221, 227
22. वही नं. 297, 298
23. वही नं. 36, 38, 44, 133-136
24. वही नं. 160, 175, 179, 192
25. वही नं. 152, 200
26. वही नं. 24
27. वही नं. 25-33
28. वही नं. 4 ब
29. वही नं. 204, 214
30. वही नं. 215
31. वही नं. 365

स्वतंत्रता आन्दोलन में भोगीलाल पण्डया का योगदान

(भीलों एवं हरिजनों में जागृति तथा डूंगरपुर प्रजामण्डल
आन्दोलन के विशेष संदर्भ में)

डॉ. सुखवीरसिंह बैस

भोगीलाल पण्डया जिन्हें बांगड़ के गांधी, राजस्थान के 'पद्म' भारत राष्ट्र के 'भूषण' तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत 'श्री' आदि के नामों से जाना जाता है, का जन्म डूंगरपुर के सिमलवाड़ा ग्राम में 13 नवम्बर 1904 को निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री पिताम्बर तथा माता का नाम श्रीमती नानी बाई था। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा स्व-अर्जन तथा अपने गुरु महन्त सरयूदास की सेवा सुश्रूषा कर प्राप्त की। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर वे डूंगरपुर की राजकीय पाठशाला में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए जहां पर 1942 तक निरन्तर सेवाएं देते रहे।¹ वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से अत्यन्त प्रभावित थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारम्भ होते ही वे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े। यद्यपि समाज सेवा के माध्यम से तो वे 1919 से ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुके थे। वे डूंगरपुर प्रजामण्डल तथा सेवा संघ के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने रियासती अत्याचारों का निर्भय होकर विरोध किया तथा राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग की।² यहां यह उल्लेखनीय है कि पण्डयाजी 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा तथा 1957 के द्वितीय विधानसभा चुनाव में सिमलवाड़ा क्षेत्र से महारावल को पराजित किया। इस प्रकार वे निरन्तर संघर्षरत रहे और अन्त में 23 मार्च 1981 को उनका स्वर्गवास हो गया।³ उन्होंने जयनारायण व्यास एवं 1954 में श्री मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में क्रमशः समाज कल्याण मंत्री एवं उद्योग मंत्री के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी। सत्ता में रहते हुए भी पण्डयाजी जन सेवा में जुटे रहे तथा उन्होंने खादी ग्रामोद्योग के साथ आदिवासी समाज कल्याण मण्डल तथा हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य श्री भोगीलाल पण्डया के भीलों एवं हरिजनों में जन-जागृति तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके योगदान की समीक्षा करना है।

भीलों एवं हरिजनों में जन-जागृति-पण्डयाजी भीलों एवं हरिजनों में व्याप्त अज्ञानता, अशिक्षा तथा उनकी दयनीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से भलीभांति

परिचित थे साथ ही रियासत द्वारा उनके प्रति किए दुर्व्यवहार से अत्यन्त द्रवित थे। अतः उन्होंने उनमें शिक्षा एवं ज्ञान का प्रसार कर उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए—

शिक्षा की व्यवस्था करना—पण्डयाजी ने राजकीय सेवा में रहते हुए हरिजनों एवं असहाय ग्रामीणों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपने निवास में एक पाठशाला प्रारम्भ की तथा छात्रों के निवास हेतु छात्रावास की स्थापना की और इसके संचालन हेतु सम्पन्न एवं धनिक वर्ग से आर्थिक सहायता प्राप्त कर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं खान-पान की सुविधाएं प्रदान की। उनके इस यज्ञ में उनकी सहधर्मिणी श्रीमती मणिबेन ने विद्यार्थियों की ममतामयी सेवा कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति भी जागरूक किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि उनके होनहार विद्यार्थियों में से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी तथा पूर्व सांसद श्री भीखा भाई आदि थे। पण्डयाजी के इस कार्य में श्री रामनारायण चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया तथा खड़लाई नामक ग्राम में एक आश्रम की स्थापना की जिसके माध्यम से भील समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों का निवारण तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयत्न किया। परिणामतः भील समाज में जागृति आने लगी जैसे ही ये समाचार डूंगरपुर महारावल को मिले, उन्होंने श्री रामनारायण चौधरी को रियासत से निष्कासित करने के आदेश कर दिए। तत्पश्चात् खड़लाई आश्रम का उत्तरदायित्व भी पण्डयाजी ने ही संभाला। इसके साथ ही पण्डयाजी ने अपने साथियों के सहयोग से भीली-पाल, डोजा सुराता, गन्धवा, बोखला तथा मडकोला आदि क्षेत्रों में भी पाठशालाएं स्थापित की तथा शिक्षण कार्य का उत्तरदायित्व अपने साथियों को सौंपा।⁴

श्री रामनारायण चौधरी के रियासत से निष्कासन के पश्चात् श्री माणिक्यलाल वर्मा ने खड़लाई आश्रम की गतिविधियों में पण्डयाजी का साथ दिया तथा उन्होंने आश्रम के माध्यम से भील समाज में तीव्र गति से जागृति लाने के लिए अपनी गतिविधियों तेज कर दी। जैसे ही ये समाचार महारावल के पास पहुंचे तो उन्होंने भीलों के गिरदावरों को भील क्षेत्र में भेजकर उन्हें माणिक्यलाल वर्मा जी के विरुद्ध भड़काया परिणामतः वर्माजी एवं रियासत के मध्य मतभेद बढ़े और रियासत ने वर्माजी को भी डूंगरपुर रियासत से निष्कासित कर दिया तत्पश्चात् पण्डयाजी ने अपने साथियों के सहयोग से रचनात्मक कार्यों का उत्तरदायित्व संभाला। उनके साथियों ने मिलकर 15 मार्च 1938 को डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की⁵ तथा श्री भोगीलाल पण्डया को अध्यक्ष बनाया। पण्डयाजी ने सेवा संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भीलों में व्याप्त कुरीतियों यथा 'दापा पउला', स्त्री रूपहल, कुंआरी कन्याओं को भगा ले जाना,

मद्यपान तथा नागरिक अधिकारों के प्रति जागृति लाने आदि का प्रयास किया। जिसमें अन्ततः पण्डयाजी को सफलता मिली। पण्डयाजी के प्रयासों से भील समाज में इतनी जागृति आ गई कि उन्होंने न केवल अपनी सामाजिक कुरीतियों को समझा वरन् सियासी चालों को भलीभांति समझने लगे। अब उन्हें कहीं भी और किसी भी प्रकार की रियासती हलचल की आशंका होती तो उसका विरोध करने के लिए आगे आ जाते। यहां यह उल्लेखनीय है कि उनमें पण्डयाजी के प्रति इतना सम्मान और विश्वास उत्पन्न हो गया कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की सियासी चाल का अंदाजा लगते ही भील उनकी सुरक्षा में आ जाते।⁶

1936-41 ई. का अकाल तथा श्री भोगीलाल पण्डयाजी-1936 से 1941 के मध्य डूंगरपुर रियासत में भयावह दुर्भिक्ष पड़ा जिसका प्रभाव भील एवं आदिवासियों पर अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी हुआ। पण्डयाजी इस प्राकृतिक विपदा के समय अपने सहयोगियों श्री माणिक्यलाल वर्मा, श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, बांगड़ के श्री गौरीशंकर उपाध्याय तथा श्री चन्द्रूभाई के साथ भीलों एवं आदिवासियों की सहायता के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय रहे। उन्होंने अकाल पीड़ितों को सहायताार्थ अनेक कुएं खोदे तथा पुराने कुओं को और गहरा करवाया। अकाल निवारण केन्द्रों पर निःशुल्क औजार वितरित किए। इस कार्य में ठक्कर बापा की प्रेरणा से घनश्यामलाल बिड़ला का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इस समय रियासत की ओर से भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किए गये थे परन्तु 24 अगस्त 1939 को डूंगरपुर में अच्छी बारिश हो जाने के साथ ही महारावल ने अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये। इस बरसात से अकाल पीड़ितों को पानी की कमी से राहत अवश्य मिली लेकिन वे भूखमरी एवं बेरोजगारी से बुरी तरह त्रस्त थे। पण्डयाजी ने महारावल के इस कदम का विरोध किया। वे सम्पूर्ण अकाल के समय भीलों एवं असहायों के मध्य रहे और उनकी तन-मन से सहायता करते रहे। पण्डयाजी के निःस्वार्थ सेवा भाव से भील अत्यन्त प्रभावित हुए। भील समाज रियासत से विमुख होने लगा तथा पण्डयाजी उनके रोम-रोम में रच-बस गये।⁷

हरिजन सेवा समिति की स्थापना-पण्डयाजी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान यरवदा जेल में गांधी द्वारा किए अनशन से अत्यन्त प्रभावित हुए। उन्होंने उसी समय डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य हरिजनों के प्रति समाज में व्याप्त भेदभाव एवं छूआछूत जैसी बुराइयों को समाप्त कर उनमें जागृति लाना था। इस कार्य में पण्डयाजी की सहायता बाबा लक्ष्मणदास, श्री मदनसिंह तोमर व उनकी धर्मपत्नी ने की। 1933 में पण्डयाजी के नेतृत्व में महन्त सरयूदास के सहयोग से डूंगरपुर शहर में हरिजनों का एक जुलूस निकाला तथा हरिजनों को राजाजी की छतरी

के मन्दिर में प्रवेश देकर दर्शन कराए। जैसा कि सर्वविदित है कि उस काल में हरिजनों का मन्दिर में प्रवेश वर्जित था। इससे हरिजनों में पण्डयाजी के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ।⁸

बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक की समाप्ति तक गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। दूसरी ओर श्री भोगीलाल पण्डया, श्री माणिक्यलाल वर्मा, श्री रामनारायण चौधरी तथा श्री जयनारायण व्यास जैसे निडर एवं साहसी नेताओं एवं सेनानियों के प्रयास से राजपूताने में भी जन-जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। इससे डूंगरपुर रियासत भी अछूती नहीं थी। पण्डयाजी के निरन्तर प्रयासरत रहने के कारण यहां अन्य के साथ-साथ हरिजनों एवं भीलों में जागृति आ चुकी थी और वे सभी रियासत के अत्याचारों का सामना करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार हो चुके थे। वे (आदिवासी समाज) पण्डयाजी के सेवा भाव ससे इतने प्रभावित थे कि उनके एक इशारे पर मर-मिटने को तैयार थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान की अन्य रियासतों में 1938 के पश्चात् प्रजामण्डल आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। परन्तु डूंगरपुर में प्रजामण्डल की स्थापना 1944 में हुई और तत्पश्चात् प्रजामण्डल के माध्यम से राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आंदोलन चला। यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि डूंगरपुर रियासत में हुए स्वतंत्रता आन्दोलन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—प्रथम 1938 से अगस्त 1944 तथा द्वितीय अगस्त 1944 से उत्तरदायी शासन की स्थापना तक।

प्रथम चरण—प्रथम चरण में पण्डयाजी ने स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रति जनमानस में जागृति उत्पन्न की और इसके लिए सेवा संघ एवं हरिजन सेवा समिति के माध्यम से रियासत के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया। पण्डयाजी ने बांगड़ के युवाओं को एकजुट होने, राजकीय सेवाओं में न जाने तथा ऐसी पाठशालाओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया, जो नागरिकता का पाठ नहीं पढ़ाती थी। 1942 में उन्होंने स्वयं भी राजकीय नौकरी से तिलांजलि दे दी और भारत छोड़ो आन्दोलन में कूद पड़े। 17 एवं 27 अगस्त 1942 को सेवा संघ की बैठकें सम्पन्न हुईं जिनमें पण्डयाजी को संघ संचालक होने के नाते यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वे डूंगरपुर नरेश एवं दीवान से मिलकर दबाव बनाए कि रियासत राज्य शिक्षा विरोधी नीति छोड़े। पण्डयाजी ने प्रयास किया परन्तु सरकार ने न केवल उनके सुझाव को अस्वीकार कर दिया वरन् यह शर्त भी रखी कि यदि किसी शिक्षण संस्था का संचालक जनसाधारण के कार्य, राजनीति अथवा अन्य किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यों में सम्मिलित पाया गया तो उस शिक्षण संस्थान की समस्त रचनात्मक गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी जायेगी। पण्डयाजी ने सरकार की चेतावनी को अनदेखा करते हुए समस्त कार्यकर्ताओं एवं उन

समस्त संस्थाओं को, जिन पर उक्त आदेश लागू होता हो, का विरोध करने का आह्वान किया।⁹

प्रयाण सभाओं का आयोजन—पण्डयाजी ने एक ओर 1944 में सेवा संघ के माध्यम से जनता को सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर विरोध करने के लिए 'प्रयाण' सभाओं का आयोजन किया तो दूसरी ओर जनमानस को प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय टोलियों का गठन करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। इस समय तो सरकार पण्डयाजी एवं उनके साथियों को गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा सकी परन्तु उन्हें भयभीत करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्राम घनोरा, सारसपुर व काब्जा आदि क्षेत्रों में पण्डयाजी एवं उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किए। लेकिन वे इससे भयभीत नहीं हुए बल्कि उन्होंने और अधिक साहस एवं जोश का परिचय दिया।¹⁰

प्रजामण्डल की स्थापना—डूंगरपुर में 26 जनवरी 1944 को प्रजामण्डल की स्थापना के साथ ही आन्दोलन का द्वितीय चरण प्रारम्भ हो गया। पण्डयाजी ने प्रजामण्डल का उद्घाटन करते हुए जनता की ओर से रियासती सरकार के समक्ष ये मांगें रखी—सरकार शिक्षा विरोधी प्राइवेट 'पाठशाला संचालन एवं कवायद' छात्रालय वाले कानून वापिस ले, राज्य में निःशुल्क शिक्षा दी जाये, जनता को राज्य के प्राथमिक अधिकार दिये जायें, बेगार कानून का हटाया जाए, मजदूरों को उचित मजदूरी दिये जाने की व्यवस्था की जाए तथा राज्य का दीवान नियुक्त करने का अधिकार जनता को दिया जाये। परन्तु रियासती सरकार ने उपर्युक्त मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः पण्डयाजी ने 28 मई 1945 को डूंगरपुर में प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि जनता निर्भय होकर राज्य के आतंकी एवं एकतंत्रीय शासन का विरोध करे। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही उचित कार्यवाही नहीं की तो राज्य में 'सत्याग्रह' किया जायेगा।¹¹

श्री पण्डयाजी ने डूंगरपुर में आन्दोलन का नेतृत्व करने के साथ-साथ राजपूताना के अन्य राज्यों के आन्दोलन से सम्बन्धित गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने दो हजार कार्यकर्ताओं के साथ उदयपुर में देशी राज्य लोक परिषद के होने वाले अधिवेशन में भाग लिया तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़ तथा कुशालगढ़ आदि रियासतों का रीजनल कौंसिल में प्रतिनिधित्व किया।¹² इसी दौरान श्री पण्डयाजी को कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ा। रियासत के द्वारा अनेक प्रकार के झूठे आरोप लगाकर उन्हें तथा उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की तथा धारा 144 आई.पी.सी के अन्तर्गत अप्रैल 1946 में उन्हें 28 कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय पण्डयाजी ने कटारा आन्दोलन का नेतृत्व

किया। सरकार ने श्री हरिदेव जोशी व श्री गौरीशंकर उपाध्याय को देश निकाला दे दिया तथा पण्डयाजी एवं उनके साथियों पर अमानुषिक अत्याचार किए। पण्डयाजी ने सरकार के दमन के विरुद्ध जेल में अनशन किया। अन्ततः रियासती सरकार को झुकना पड़ा तथा उसने पण्डयाजी के मांग के अनुरूप सभी घायलों को राजनीतिक कैदी मानकर उनके उपचार की व्यवस्था की तथा श्री जोशी एवं उपाध्याय जी के निष्कासन सम्बन्धी आदेश वापिस ले लिए।

प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन-30 जून से 5 जुलाई 1946 तक डूंगरपुर प्रजामण्डल के अधिवेशन का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री पण्डयाजी ने की। यहां यह उल्लेखनीय है कि रियासत के समस्त प्रकार के विरोध के बावजूद भी सम्मेलन में तीन हजार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में भूपेन्द्र नाथ द्विवेदी, चिमनलाल, माणिक्यलाल वर्मा, श्री हीरालाल शास्त्री तथा श्री मोहनलाल सुखाड़िया आदि महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में बेगार हटाने तथा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुए इसके अतिरिक्त 7 अन्य प्रस्ताव भी पारित किए। जिनमें अधिकांश प्रस्ताव पूर्व में सेवा संघ द्वारा भी पारित किए जा चुके थे।¹³

पूनवाड़ा काण्ड एवं श्री पण्डयाजी-रियासती सेना द्वारा एक जून 1946 को संघ द्वारा संचालित पूनवाड़ा की पाठशाला को बंद कराने के उद्देश्य से अध्यापक श्री शिवराम पर हमला किया तथा घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की। इसके साथ ही मास्टर शिवराम को सैनिक अपने साथ ले गए। परिणामतः जनता में रोष उत्पन्न हुआ। जैसे ही समाचार पण्डयाजी को मिला वे अपने साथियों के साथ पूनवाड़ा पहुंच गए उन्होंने देखा कि वहां सरकारी कर्मचारी चुंगी नाका पर लूटपाट एवं आगजनी कर रहे हैं तथा वहां एकत्रित भील आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री पण्डयाजी ने भीलों को समझा कर अपने घरों के लिए वापिस भेज दिया तथा उन्हें आश्वासन दिया कि वे मास्टर शिवराम जिन्दा या मुर्दा लेकर आयेंगे। पण्डयाजी कुछ भीलों के साथ भूथा गांव गए जहां शिवराम को ले जाये जाने के समाचार थे। परन्तु वहां की स्थिति अत्यन्त विस्फोटक थी। रियासती सेना और पुलिस एकत्रित ग्रामीणों पर लाठियां एवं गोलियां बरसा रही थी। पण्डयाजी स्वयं भीड़ में सम्मिलित हो गए और पुलिस के सामने सीना तानकर खड़े हो गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पहले मुझ पर गोली चलाओ तब आगे बढ़ सकोगे। परिणामतः पुलिस कार्यवाही रोक दी गई साथ ही पण्डयाजी को बताया गया कि मास्टर शिवराम जिन्दा है और उसे उसके घर पहुंचा दिया गया है। पण्डयाजी एवं उनके साथी जो कि दो दिन से भूखे थे भोजन करने बैठे ही थे कि राज्य की सेना एवं जागीरदार वहां आ धमके तथा उन पर हमला बोल दिया जिसमें

पण्डयाजी सहित सभी कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आईं। पण्डयाजी एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जेल में भी उन्हें अमानुषिक यातनाएं दी गईं। श्री जवाहर चौबीसा नामक मजिस्ट्रेट ने धम्बोला की पाठशाला में मुकदमों की सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि वहां पर भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। परन्तु पण्डयाजी ने धैर्य के साथ सामना किया।¹⁴ इसी दिन रियासत की ओर से रास्तापोल की पाठशाला को बन्द कराने के आदेश पुलिस को मिले। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पाठशाला के अध्यापक व उसके भाई नानाभाई खांट की बेरहमी से पिटाई की जिसमें नानाभाई खांट की मृत्यु हो गयी। जैसे ही यह समाचार आस-पास के गांवों में फैला तो भील हथियारों सहित एकत्रित होने लगे। रियासत द्वारा धारा 144 लगाई गई परन्तु भीलों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रियासती पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलायी जाने लगी। भीलों ने गोलियों का जवाब ढोल बजाकर दिया। इससे सरकार पर प्रभाव पड़ा और उसने जेल में बंद पण्डयाजी एवं उनके साथियों को रिहा कर दिया। रिहा होते ही पण्डयाजी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे तो कैदियों की आंखों में आंसू बहने लगे, तो पण्डयाजी ने सोचा कि वे अपने कष्टों के कारण विलाप कर रहे हैं। जब उन्होंने भीलों से उनके कष्टों के विषय में संवेदना की तो उन्होंने कहा कि हमारे यह अश्रु अपने कष्टों के कारण नहीं बल्कि आपको सकुशल देखकर खुशियों के आंसू हैं।¹⁵ पण्डयाजी एवं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा रियासत के अत्याचारों का निरन्तर विरोध करने, जनमानस में जागृति आने तथा निडरता पूर्वक आन्दोलन में भाग लेने एवं अन्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ते कदमों के कारण महारावल डूंगरपुर को भी 1 दिसम्बर 1947 को अन्तरिम सरकार के गठन की घोषणा करनी पड़ी तथा प्रजामण्डल से भेजे जाने वाले दो व्यक्तियों को नामजद करने हेतु गठित समिति में श्री पण्डयाजी को मनोनीत किया। पण्डयाजी ने श्री गौरीशंकर उपाध्याय तथा श्री भीखाभाई को अन्तरिम सरकार के मंत्रिमण्डल में भेजने का निर्णय लिया। 1948 में श्री उपाध्याय को राज्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रजामण्डल में से तीन मंत्रियों को लिया गया और चौथा जागीरदारों से।¹⁶

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि श्री भोगीलाल पण्डयाजी का योगदान न केवल इतिहास के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है वरन् भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है।

सन्दर्भ

1. नटवर त्रिपाठी, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा, भोगीलाल पण्डया, जयपुर, पृ. 1-2
2. सुमनेश जोशी, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जयपुर, पृ. 349-50

3. बी.एल. पनगड़िया, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, पृ. 90
4. सुमनेश जोशी, पूर्वोक्त, पृ. 341
5. प्रो. आर.पी. व्यास, आधुनिक राजस्थान का वृहत् इतिहास, द्वितीय भाग, जयपुर, पृ. 358-59
6. सुमनेश जोशी, पूर्वोक्त, पृ. 342-43
7. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, डूंगरपुर, पृ. 37-38
8. बी.एल. पनगड़िया, पूर्वोक्त, पृ. 92
9. राजपूताना राज्य पाक्षिक रिपोर्ट, 1945, उदयपुर, सी.वी. बस्ता नं. 1 क्रमांक 12, पृ. 64
10. सुमनेश जोशी, पूर्वोक्त, पृ. 345
11. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पूर्वोक्त
12. राजपूताना राज्य पाक्षिक रिपोर्ट, 1945, पूर्वोक्त, पृ. 70
13. पूर्वोक्त, पृ. 90
14. सुमनेश जोशी, पूर्वोक्त, पृ. 347-348
15. पूर्वोक्त, पृ. 349
16. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, पूर्वोक्त तथा प्रो. आर.पी. व्यास, पूर्वोक्त, पृ. 37-38

राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के दौरान हुए जन आन्दोलनों के सम्बन्ध में कुछ विचारणीय प्रश्न डॉ. गिरिजा शंकर शर्मा एवं डॉ. चेतना मुद्गल

राजस्थान में पिछले पचास साठ वर्षों से वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय यहां की छोटी बड़ी रियासतों के वृहद् राजस्थान में एकीकरण के समय, वहां की जनता अपने-अपने राज्यों में स्वशासन प्राप्ति हेतु राज्य शासकों के आधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करवाने के लिए आन्दोलनरत हो गई थी। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारत के रियासती मंत्रालय (सरदार पटेल के अधीन) ने भारत की सभी छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में कुछ दिशा निर्देश नियत कर दिये थे। इनमें उसने प्रत्येक राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटी रियासतों जिनके पास आय के पर्याप्त साधन, जनसंख्या व बड़ा क्षेत्रफल नहीं था, का बड़ी-बड़ी इकाइयों में एकीकरण करने का निर्णय लिया। किन्तु उसने भारत की 18 बड़ी रियासतों को उक्त एकीकरण की परिधि से बाहर रखते हुए उन्हें वायबल (अलग रहने योग्य) रियासत माना। इसकी पृष्ठभूमि में उन बड़ी रियासतों के भारत की विधान निर्मात्री सभा (कॉन्स्टिट्यूट-असेम्बली) में पहले से ही प्रतिनिधि विद्यमान थे। उनकी कुल जनसंख्या 10 लाख अथवा उससे अधिक थी तथा उनकी वार्षिक आय भी एक करोड़ अथवा उससे अधिक थी। किन्तु उक्त रियासतों के शासकों के लिए उनके अधीन वहां के निवासियों की अपेक्षानुसार उत्तरदायी शासन स्थापित करना भी एक शर्त के रूप में मानना आवश्यक रखा गया था। उक्त 18 बड़ी रियासतों में राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतों को ही सम्मिलित किया गया था। ऐसी सभी बड़ी रियासतें पहले से ही तीन विषयों यथा सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार साधनों को भारत सरकार के अधीन कर शेष विषयों को उनके अधीन स्वतंत्र छोड़ भारतीय संघ में सम्मिलित कर दिया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के प्रारम्भ से ही उक्त रियासतों के सम्बन्ध में विचार थे कि वहां के शासक अपने राज्यों में वैधानिक प्रधान बन जाये और उनकी देखरेख में वहां की जनता अपना शासन चलाये।¹ पं. नेहरू भी प्रारम्भ से ही इसी विचार के थे। जब उन्होंने दिसम्बर 1946 में ही भारत की विधान निर्मात्री सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रियासतों में कैसी सरकार बने यह बात वहां के लागे सोचें।² अगर वे शासक के अधीन शासन चलाये तो भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। अप्रैल 1947 में

पं. नेहरू ने विधान निर्मात्री सभा में पुनः यही आश्वासन दोहराया।³ इसी भांति 5 जुलाई 1947 को भारत के रियासती मंत्रालय के मंत्री सरदार पटेल ने इन बड़ी रियासतों के शासकों को आश्वासन दिया कि जिन तीन विषयों को लेकर उनकी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई थीं को छोड़ शेष सभी विषयों के सम्बन्ध में उक्त रियासतों का स्वायत्तरूप कायम रखा जायेगा।⁴ एक अन्य पत्र में सरदार पटेल ने इन रियासतों के शासकों को अन्तिम समय तक यह आश्वासन दिया था कि उनकी रियासत के विलय का कोई भी प्रस्ताव रियासती मंत्रालय तभी स्वीकार करेगा जब उसे विश्वास हो जायेगा कि ऐसे प्रस्ताव को राज्य का शासक व जनता दोनों का समर्थन प्राप्त होगा।

ऐसे में इन बड़ी रियासतों के शासकों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं के आश्वासनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था।⁵ फलस्वरूप वे उन्हीं आश्वासनों के अनुरूप अपने-अपने राज्यों में अपने अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रक्रिया में सलग्न हो गये। परन्तु दूसरी ओर कांग्रेस के उक्त राष्ट्रीय नेताओं के आश्वासनों के पश्चात् रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान इन रियासतों की जनता में अपने-अपने भविष्य के लिए एक वैचारिक बहस चल पड़ी। संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय रियासतों में यह पहली जनतांत्रिक वैचारिक बहस मानी जा सकती है। जब भी, दुनिया भर में कहीं भी किसी क्षेत्र का पुनर्गठन अथवा स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना होती है, वहां के निवासी वैचारिक सोच के अतिरिक्त अपने-अपने हितों के अनुरूप दो या उससे अधिक धड़ों में बंट जाते हैं। उक्त राज्यों में भी यही स्थिति पैदा हो गई। यहां मुख्य रूप से दो बड़े धड़े अस्तित्व में आ गये थे। उक्त दोनों धड़ों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि जो धड़ा उक्त राज्यों को राष्ट्रीय नेताओं के आश्वासनों के अनुरूप एकीकरण से पृथक इकाई रखने के पक्ष में था, उसमें अधिकांश लोग यहां के मूल निवासी ही थे। वे शासन व राज्य में एक लम्बे अन्तराल से सुविधाजनक पदों अथवा व्यवसायों से जुड़े थे। इनमें सरकारी नौकरों से लेकर बड़े-बड़े बुद्धिजीवी यथा वकील, डॉक्टर, शिक्षाविद् आदि व्यवसायों में रत लोगों के साथ तत्कालीन कांग्रेस नीत प्रजा परिषद व प्रजामंडल के राज्यों के मूल निवासी जो कांग्रेस के सदस्य भी थे शामिल थे। यही ही नहीं इस धड़े को राज्य के स्थानीय अल्प संख्यकों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त था। वहीं दूसरे धड़े के जो उक्त राज्यों को एक वृहद इकाई में एकीकरण समर्थक था, में अधिकांश प्रमुख लोग स्थानीय निवासी न होकर राज्य से बाहर, विशेषरूप से उत्तरप्रदेश, मध्य भारत, पंजाब अथवा अजमेर आदि से यहां विभिन्न व्यवसायों से जुड़े गये लोग थे। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस धड़े का नेतृत्व करने वाले अधिकांश ऐसे लोग राज्यों में प्रजापरिषद् प्रजामण्डलों आदि से सम्बद्ध हो गये थे।

राजस्थान में विभिन्न राज्यों में उनके एकीकरण के समय उभरे उक्त दोनों धड़ों, पक्ष व विपक्षी विचारों के लोगों में वैचारिक मतभेदों के फलस्वरूप उत्तरदायी शासन

स्थापित करवाने के लिये हुए आन्दोलनों में जो भूमिका रही उनको लेकर अनेक अध्येताओं ने कुछ पक्षों को लेकर भ्रांतियां पैदा कर दी जिससे राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ न्याय नहीं हो सका। अब चूंकि भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने सभी प्रकार के गोपनीय प्रलेख आम अध्येताओं के लिये पूर्ण रूप से खोल दिये हैं। ऐसे में उक्त इतिहास को सही दिशा मिल सकेगी।

प्रस्तुत आलेख लिखने का मेरा उद्देश्य एकीकरण के उक्त दोनों वैचारिक धड़ों के स्वरूप एवं गतिविधियों को लेकर आन्दोलन के दौरान उत्पन्न विभिन्न घटनाक्रमों का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत करना है। इस अध्ययन को पुष्ट करने हेतु मैंने मुख्य रूप से राजस्थान राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध आन्दोलनों से सम्बन्धित राजकीय और गैर राजकीय पत्रावलियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन सर्वोच्च नेताओं एवं राज्य शासकों के साथ हुए उनके पत्र व्यवहार को आधार बनाया है। इन धड़ों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं की भूमिका को स्पष्ट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सन् 1944-46 तक की इकोनॉमिक कमिटी रिपोर्टों को विशेष रूप से उपयोग करने का यथा संभव प्रयास किया है।

एकीकरण के समय उभरे दोनों ही धड़े अपनी-अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि के अनुसार जनतांत्रिक पद्धति से एकीकरण के पक्ष एवं विपक्ष में अपनी भूमिका निभाने में संलग्न थे। एकीकरण का विरोध करने वाले लोग जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के आश्वासनों से प्रतिबद्ध राज्य शासक की नीतियों का समर्थन करते हुए विभिन्न गैर राजनीतिक संगठनों के माध्यम से जनमानस के सम्मुख अपने विचार रख रहे थे। इस तरह के संगठनों में केवल बीकानेर राज्य में ही इस पक्ष के लोगों ने लोक परिषद्, राज्यप्रजा सेवक संघ, करणी पुत्र संघ व अकाली जत्था आदि संस्थायें स्थापित की हुई थी।⁶ स्वतंत्रता आन्दोलन के अध्येताओं ने एकीकरण विरोधी उक्त संगठनों एवं राज्य शासक की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। वैसे आलोचना करना बुरा नहीं होता है और इससे इस धड़े की कार्यप्रणाली का अधिक गहराई से अध्ययन का अवसर ही मिलता है। इन गैर सरकारी संगठनों में राज्य की बुद्धिजीवी वर्ग यथा बड़े-बड़े कानूनविद, शिक्षाविद व अन्य पेशों के विशेषज्ञ लोग जुड़े हुए थे। इन लोगों ने इन संगठनों के माध्यम से जनतांत्रिक तरीके से राज्य के जनमानस के सम्मुख अपने पक्ष के विचारों को रखने हेतु साहित्य प्रकाशन व सभाओं का सहारा लिया। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि बीकानेर राज्य का शासक बहुत पहले से ही भारत भर के देशी राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाने का पक्षधर रहा था। जैसा पूर्व में बतलाया जा चुका है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय बड़े नेता इन देशी राज्यों को उनकी जनसंख्या, आर्थिक साधन व उनके शासकों की अपने-अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की क्षमता को देखकर बड़ी इकाई में एकीकरण की अपेक्षा उससे अलग रहने योग्य (वायबल) राज्य का दर्जा देने का निश्चय कर चुके

थे। ऐसे में तत्कालीन वातावरण में उनका राज्य एवं अपने हित में उस व्यवस्था का विरोध करने का कोई कारण नहीं था। इस धड़े के अनेक लोग बीकानेर राज्य विधान सभा के सक्रिय सदस्य थे, अतः उन्होंने वहां भी अपने पक्ष को संबल देने हेतु सक्रिय भूमिका निभाई। जब भारत के रियासती मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री मेनन आदि राज्य में अपना पक्ष रखने हेतु आते तो उक्त संगठनों से जुड़े कानून विशेषज्ञों के विचार जानने का प्रयास करते थे। जैसा हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं कि सन् 1948 के अन्तिम समय तक बीकानेर राज्य में यहां के शासक सादुलसिंह द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित करने के दौरान राज्य के अन्तरिम मंत्री मण्डल के मनोनीत कांग्रेसी मंत्री भी बीकानेर राज्य के एकीकरण प्रक्रिया से अलग एक (वायबल) राज्य की मांग के समर्थक थे। इनमें चौ. हरदत्तसिंह व चौ. कुंभाराम आदि ने इस विचार का खुलकर समर्थन किया था।⁷ यहीं ही नहीं राज्य में दूसरा धड़ा जो राज्य का बड़ी इकाई में एकीकरण का पक्षधर था, एक लम्बे समय तक राज्य को अलग इकाई रखने के विचार से ही सहमत था। यह बात राज्य की गोपनीय पत्रावलियों से पुष्ट होती है। राज्य का शासक उनके इस विचार से बखूबी परिचित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1948 के अन्त तक भारत की रियासती मंत्रालय व कांग्रेस के बड़े नेता, राज्य के शासक, कांग्रेस का अग्रणीय संगठन व उसके सदस्य के साथ राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग राज्य को एक अलग इकाई कायम रखने का पक्षधर था। ऐसे में इस धड़े की आलोचना युक्ति संगत नहीं कही जा सकती। अध्येतागण से अपेक्षा है कि वे उक्त धड़े की गतिविधियों का ही विश्लेषण करने के लिये उनसे सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध दस्तावेजों की गहराई तक जाने का प्रयास करें।

इस उद्देश्य प्राप्ति हेतु हमें राज्य में एकीकरण के पक्षधर, राज्य प्रजापरिषद् से सम्बद्ध धड़े पर भी अलग गहराई से विचार करना अपेक्षित होगा। जैसा हम पूर्व में बतला चुके हैं कि इस धड़े का नेतृत्व समय-समय पर राज्य के बाहर से आये लोगों के हाथ में था। उन लोगों को अंग्रेजी भारत के अपने मूल प्रदेशों में अंग्रेजी कानूनों के संरक्षण में देशी राज्यों की अपेक्षा अधिक एवं खुला वातावरण में रहने का अनुभव एवं अवसर मिला था। जबकि राजस्थान के सभी राजपूत राज्यों में सामन्ती व्यवस्था के अन्तर्गत अशिक्षा एवं सीमित अधिकारों के साथ विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न भरे वातावरण में रहना पड़ता था। इसके उपरान्त भी अंग्रेजी भारत से आये इन लोगों को शिक्षित होने के कारण रोजगार के अवसर अधिक दिख रहे थे। वे यहां के मूल निवासियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित होने के कारण देशी राज्यों में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहते थे। यहां के कानूनी पेशों में तो इस वर्ग के लोगों का वर्चस्व हो गया था। अर्जीनवीस से लेकर वकील, अध्यापक, क्लर्क व पत्रकारिता के रूप में उनका अच्छा हस्तक्षेप था। इसी कारण उनके सहायक के रूप में यहां के अनेक

मूल निवासी अपने रोजगार के लिये उनसे जुड़ चुके थे। शिक्षित वर्ग होने के कारण प्रारम्भ में तो वे यहां राजभक्त के रूप में ही जाने जाते थे। किन्तु कालान्तर में जब देश अंग्रेजी दासता से मुक्त होने के लिए आन्दोलनरत था और देशी राज्यों में भी पहले की अपेक्षा उनमें कुछ जन जागृति आने लगी तो उक्त शिक्षित वर्ग जो प्रारम्भ में राजभक्त था वह धीरे-धीरे भारत में कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप अंग्रेजी भारत की तर्ज पर राज्यों में भी खुला वातावरण लाने और सदियों से सामन्ती व्यवस्था से दबे यहां के जनमानस को राहत दिलवाने हेतु अधिक से अधिक अंग्रेजी भारत में विद्यमान कानून कायदों को लागू करवाने में रुचि लेने लगे। उसी क्रम में राज्यों में राज्य शासक के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मुहिम में अग्रणीय भूमिका में आ खड़ा हुआ। राज्य का शासक भी देश के बदले हुए वातावरण में उसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य में उत्तरदायी शासन क्रमिक रूप से स्थापित करना चाहता था किन्तु इस धड़े के लोग कुछ जल्दी में इसकी स्थापना करना चाहते थे। उनका यह प्रयास जनतांत्रिक प्रक्रिया का एक सार्थक प्रयास माना जा सकता है। क्योंकि उनकी उक्त मांग भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप ही थी। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रारम्भ से ही इस विचार का था कि राज्य के शासक की छत्रछाया में ही उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ग का अंग्रेजी भारत में राजनीतिक घटनाक्रम से निरन्तर सम्पर्क बना रहता था। धीरे-धीरे इस वर्ग के शीर्ष नेताओं को राजपूताना मध्यभारत सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् व अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी आदि संगठनों से दिशा निर्देश प्राप्त होने लगे। उक्त संगठनों के नेता लोग यहां आने जाने लगे और यहां के लोग उन संगठनों के राजनीतिक गतिविधियों से सम्बद्ध हो गये। फलस्वरूप राज्य में भी कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने के लिए प्रजामण्डल व प्रजापरिषद् आदि की स्थापना हो गई। इस वर्ग के लोगों ने इनके माध्यम से राज्यों में सामन्ती वातावरण में राज्य में कृषकों, मजदूरों, आदिवासियों एवं छोटे व्यापारियों आदि के साथ कहीं भी कैसा भी अत्याचार हो रहा था को लेकर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जन आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये। इन आन्दोलनों के दौरान उनका यह प्रयत्न रहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता, जिनका राज्य शासकों के प्रति जो सहानुभूति युक्त सम्बन्ध बना हुआ था, उसको बदला जाये।

इस वर्ग का उपरोक्त पूरे घटनाक्रम से जो जुड़ाव रहा, उसे नकारा नहीं जा सकता। जन आन्दोलनों के दौरान इस वर्ग के लोगों को जो जेल व निर्वासन यात्राओं का दंश झेलना पड़ा वह भी उसे उसके उद्देश्य प्राप्ति में काफी सहायक रहा। इस वर्ग की अपने अन्तिम उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो नैतिक भूमिका रही, उसे भी अध्येताओं को सांगोपांग समझ लेना आज की आवश्यकता है। जैसा हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं

कि राजस्थान के अधिकांश अध्येताओं ने अपने लेखन में राजस्थान में एकीकरण के पक्षधर धड़े की नकारात्मक भूमिका की अपेक्षा सकारात्मक भूमिका पर ही ज्यादा जोर दिया। किन्तु इसके विपरीत एकीकरण विरोधी धड़े की केवल नकारात्मक भूमिका पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया। यहां हम दस्तावेजों के आधार पर बीकानेर राज्य में अस्तित्व में आये इस धड़े की नकारात्मक भूमिका की ओर भी संकेत करना उचित समझते हैं।

राजकीय दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि उक्त धड़े से सम्बद्ध अधिकांश नेतागण जो कालान्तर में राज्य प्रजापरिषद् के सक्रिय सदस्य थे, में से अनेक सदस्य पूर्व में राज्य में अपनी राजकीय सेवाओं से दुराचरण के आरोपों में बर्खास्त अथवा हटाये गये राज्य कर्मचारी थे। उन पर यह आरोप भी था कि जब कभी इन लोगों को प्रजापरिषद् के संगठन हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए चन्दा उगाही का कार्य सौंपा जाता तो वे उसमें हेरफेर करने में संकोच नहीं करते थे। इस बात की पुष्टि स्वयं राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक प्रकाशित रिपोर्ट में नाम व गबन की गई राशि के साथ सूची उपलब्ध होती है।⁸

इस धड़े के ही अनेक लोग यह आरोप लगाते रहते थे कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो प्रजा परिषद् की गोपनीय गतिविधियों को राजकीय अधिकारियों को देने अथवा भेजने में संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार की कुछ जानकारी राजकीय दस्तावेजों में उपलब्ध है।⁹ इसी प्रकार जब उत्तरदायी शासन प्राप्ति हेतु जन आन्दोलनों में भागीदारी निभाने हेतु उन्हें राज्य की जेलों में भेज दिया जाता था, तब वहां से वे मुक्त होने के लिए राज्य से माफी मांगने में भी संकोच नहीं करते थे। उक्त सभी तथ्य उनकी चारित्रिक स्थिति की ओर इंगित करते हैं।¹⁰ इनके अतिरिक्त इस धड़े से सम्बद्ध लोग कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य के शासक के प्रति अपना पूर्व दृष्टिकोण बदलने के लिए उन पर मिथ्या आरोप लगाने में पीछे नहीं रहे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि उन आरोपों का खण्डन स्वयं भारत सरकार के मंत्रालय को करना पड़ता था।¹¹ यद्यपि इस धड़े पर लगे उपरोक्त आरोप उनके द्वारा जन आन्दोलनों के दौरान किये गये सकारात्मक कार्यों के सामने अधिक महत्व नहीं रखते। किन्तु आज शोध क्षेत्र में जो नये आयाम खुल रहे हैं, उनमें उपरोक्त गौण तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस अध्ययन की गहराई तक पहुंचने के पश्चात् अध्येताओं के सामने कुछ अनछुए प्रश्न खड़े होते हैं। पहला यह कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो स्वतंत्र भारत के भावी स्वरूप के नीति निर्धारक भी थे, ने उक्त 18 भारतीय राज्यों के शासकों को उनके राज्यों को अलग रहने योग्य राज्य रखने का आश्वासन पर आश्वासन देते रहे और उनके परिणामस्वरूप उक्त राज्यों के शासकगण कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के उक्त आश्वासनों को अपने राज्यों के भावी स्वरूप निर्धारण का एक

मूल मंत्र मान कर जनतांत्रिक तरीके से उत्तरदायी शासन की ओर कदम बढ़ा रहे थे। तब क्या यह मान लिया जाये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने उक्त राज्यों को दिये गये ठोस आश्वासनों से अचानक परे हटकर उन राज्य के शासकों एवं उनके समर्थकों को अंधेरे में रखकर जनतंत्र के सिद्धान्त के प्रतिकूल आचरण किया। इस प्रश्न को लीपापोती करके अनुत्तरित छोड़ देना उचित नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यों के उत्तरदायी शासन स्थापित करने के सम्बन्ध में जो आन्दोलन चले, उनकी शोध समीक्षा करते समय तत्कालीन राज्यों में एकीकरण पक्षधर एवं विरोधी धड़ों की भूमिकाओं पर शोधपरक चिन्तन हो पाया है। क्या यह सही नहीं है कि अधिकांश शोध ग्रंथों में राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राज्यों में अस्तित्व में आये दोनों पक्षों के सम्यक अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं हुआ और मात्र एकीकरण के पक्षधर कांग्रेस नीत प्रजा परिषद् से जुड़े लोगों को गौरवान्वित करने में रुचि ली। अन्त में हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि राज्य प्रजा परिषद् के उक्त सदस्यों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने में राज्य शासक, सामन्तों व शासन द्वारा दी गई कठोर यातनाओं को सहते हुए वृहद् राजस्थान के निर्माण में योगदान दिया।

सन्दर्भ

1. सर मिर्जा इस्माइल, माई पब्लिक लाइफ, पृ. 133, 412
2. विधान निर्मात्री सभा की बहस, पृ. 55-56
3. वही, पृ. 351
4. निजी सचिव कार्यालय, फाईल नं. 1252/9, सन् 1947
5. भारत की राष्ट्रीय सरकार ने अपने प्रारम्भिक सोच में ही निर्णय कर लिया था कि भारत की कुछ छोटी बड़ी रियासतें हैं जो भारतीय संघ की पूर्ण इकाई रहने योग्य मानदण्डों को पूरा करती है। इतना ही नहीं उसने अपने उक्त विचार को मूर्तरूप देने के लिये तत्कालीन विधान निर्मात्री सभा (कोस्टिच्युट एसेम्बली) में संविधान के मसौदे के सम्बन्धित भाग में उक्त 18 रियासतों के नामों का भी उल्लेख कर दिया था। राजस्थान में बीकानेर रियासत भी एक थी।
6. उक्त संगठनों की पूरी जानकारी बीकानेर राज्य की होम डिपार्टमेंट की गोपनीय पत्रावलियों में द्रष्टव्य है। (राज.रा.अ.बी.)
7. इन कांग्रेस के मंत्रियों में मुख्य रूप से जाट व अल्प संख्यक वर्ग के मुस्लिम व सिख जाति से सम्बन्धित थे।
8. इकोनॉमिक कमेटी रिपोर्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नई दिल्ली, 1944-46
9. ये गोपनीय सूचनार्यें राज्य के तत्कालीन होममिनिस्टर को दी जाती थी।
10. बीकानेर राज्य की होम मिनिस्टरी की (गोपनीय) पत्रावलियों में सुरक्षित है।
11. देखें बीकानेर महाराजा सादुलसिंह को पं. नेहरू को लिखा पत्र, दिनांक 15 जुलाई 1947

20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राजपूताना में सामाजिक चेतना का विकास

डॉ. भरत देवड़ा

राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना के पश्चात् राजपूत राज्यों में नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। यहाँ के शासकों एवं सामन्तों के आपसी मतभेद व संघर्ष के संबंध में ब्रिटिश नीति किसी का पक्ष लेना नहीं बल्कि दोनों पक्षों को कमजोर कर उनके राज्यों की आन्तरिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये प्रयास राजस्थान के लोगों में जनजागृति का आधार स्तम्भ सिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप सती-प्रथा, कन्या वध, डाकन प्रथा, समाधि प्रथा, दास प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों पर का तो अन्त हो गया लेकिन अभी भी समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनी रही। स्त्रियों की स्थिति सुधारने में आर्य समाज ने राजस्थान में सराहनीय कार्य किया था। आर्य समाज का राजस्थान के शासकों एवं सामन्तों पर बढ़ते प्रभाव को कम करने तथा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से ए.जी.जी. वाल्टर ने 1888 में 'वाल्टरकृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। इस सभा के प्रयासों से राजपूत और चारण जातियों में टीका, मृत्यु भोज जैसी अनेक कुरीतियों पर काफी हद तक रोक लगी।¹ इस प्रकार यहाँ उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक जन-जागृति का प्रादुर्भाव हो चुका था।

देश के अन्य क्षेत्रों की भाँति यहाँ पर भी प्राचीनकाल से चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के लोग रहते थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में यदि राजस्थान के सामाजिक परिदृश्य पर प्रकाश डाला जाये तो हमें ज्ञात होता है कि यह वर्ण व्यवस्था जातियों में विभक्त हो चुकी थी। सन् 1931 तक आते-आते इन जातियों की संख्या 2378 हो गई थी 1901 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 98,42,486 व्यक्ति थी तथा इस समय प्रति दस हजार पर महज 334 लोग ही साक्षर थे यानि 3.34 प्रतिशत साक्षरता।² धीरे-धीरे शिक्षित वर्ग से कर्मचारी वर्ग का उदय हुआ, यह लोग आमजन व शासकों के मध्य सीसे की मोटी दीवार की भूमिका निभाते थे। इससे जन असंतोष पनपा। समाज में एक तरफ शासित एवं उच्च वर्ग तो दूसरी तरफ शोषित वर्ग था जिसके चलते सामाजिक एकत्व का भाव पनप ही

नहीं सका था। जहाँ एक वर्ग यानि शासक आदि अंग्रेजों के पोषक रहे तो शेष लोग भीतर ही भीतर में शासन का विरोधी रहा, जिसके चलते क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई। किसान एवं प्रजामण्डल आंदोलनों का उदय हुआ। सामाजिक गतिशीलता एवं यातायात के साधनों के विकास के परिणामस्वरूप राजस्थान के लोगों का राष्ट्रीय नेताओं के सम्पर्क में आने से यहाँ पर जन-जागृति की नयी बहार बही। इस समय राजपूताने के अधिकतर शासक अयोग्य और अशिक्षित थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार को रोकने का हर संभव प्रयास किया। दमन एवं शिक्षा प्रसार रोकने के कुंठित प्रयास भी अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति में सहायक सिद्ध हुए।³

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय जनता और विशेषकर राजस्थान की जनता में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति लाने में आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द सरस्वती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। राजस्थान में आर्य समाज की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार में चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा एवं मानकरण शारदा की महती भूमिका रही। आर्य समाज के सामाजिक पुनरूत्थानवादी आंदोलन का राजस्थान पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडा। 1920 ई. के बाद रियासतों में आर्य समाज के बाल विवाह एवं वृद्ध विवाह विरोधी आंदोलन को जातीय सभाओं ने सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया था। विभिन्न रियासतों द्वारा इस कुप्रथा के विरुद्ध कानून पारित किए गए। 1926 ई. में भरतपुर राज्य में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लड़की की आयु 11 वर्ष और लड़के की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1 अप्रैल, 1930 ई. को बाल विवाह निषेध कानून लागु हुआ। जिसमें लड़की और लड़के के विवाह की आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निश्चित की गई। 'आर्य प्रतिनिधि सभा' राजस्थान ने बाल विवाह विरोधी आंदोलन के लिये रियासतों में 'बाल विवाह निषेधक' मण्डल बनाकर भेजे। जिन्होंने बाल विवाह रोकने के लिये व्यापारियों तथा बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर वातावरण तैयार किया। जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में विवाह के योग्य लड़की एवं लड़के की आयु सीमा बढ़ाई गई। बाल विवाह रोकने संबंधित अनेक अधिनियम बनाये गये।⁴

25 दिसम्बर, 1925 ई. के वार्षिक उत्सव में भरतपुर नरेश किशनसिंह ने आर्य समाज के समाज सुधार कार्यों से प्रभावित होकर अपने राज्य में बाल विवाह रोकने तथा विधवा पुनर्विवाह से उत्पन्न सन्तानों को वैधता प्रदान करने के लिये कानून बनाने की घोषणा की। परिणामस्वरूप अक्टूबर 1926 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया गया। इसी प्रकार 1946 में जोधपुर व बीकानेर तथा 1948 में जयपुर राज्य में विधवा पुनर्विवाह संबंधित अधिनियम पारित किये गये। आर्य समाज ने असहाय एवं विधवा स्त्रियों के संरक्षण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अक्टूबर 1909 में 'दयानन्द अनाथालय' तथा 'विधवा आश्रम' की स्थापना अजमेर में की।⁵

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्त्रियों को वेदाध्ययन के लिये प्रेरित किया, वे कन्याओं को सभी प्रकार की शिक्षा देने के समर्थक थे। आर्य समाज ने अजमेर में 1898 में 'आर्य पुत्री पाठशाला' और आर्य समाज सेविका गुलाबदेवी ने 'आर्य कन्या पाठशाला' स्थापित कर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। 26 दिसम्बर, 1904 को गुलाबदेवी माहेश्वरी ने राजस्थान में सर्वप्रथम अजमेर में तथा अक्टूबर 1906 ई. को भरतपुर में 'स्त्री आर्य समाज' की स्थापना की।⁶

अकाल, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय अनाथ एवं निरक्षित हुए बच्चों के रक्षण, पालन पोषण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्य समाज में सर्वप्रथम 1895 में केसरगंज, अजमेर में 'दयानन्द अनाथालय' स्थापित किया। इसी प्रकार के अनाथालय राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी खोले गये। साथ ही आर्य समाज ने राजस्थान में दलितोद्धार के लिए अनेक कार्य किये। 1900 ई. में जयपुर में आर्य समाज ने अछूत बस्तियों में पाठशालाएं स्थापित कर निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया। झालावाड़ के शासक राजेन्द्रसिंह (1929-1943 ई.) ने आर्य समाज के अछूतोद्धार कार्यक्रम को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया। यहाँ 1937 में 'हरिजन सेवा समिति' स्थापित की गई। 1928 के बाद 'दलितोद्धार मण्डलों' की स्थापना आर्य समाज द्वारा राजस्थान के सभी क्षेत्रों में की गई।⁷ राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये राजनीतिक आंदोलनों के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों की अहम् भूमिका रही। उनसे प्रभावित होकर राजपूताना में भी जन जागृति पैदा करने वाले कार्यकर्ताओं व संस्थाओं ने गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया। इस समय जब किसान व आदिवासी आंदोलन हुए तथा प्रजामण्डलों की स्थापना हुई तब उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक उत्थान एवं जनजागृति के लिए रचनात्मक कार्य भी किये। इनमें खादी प्रचार, मद्य निषेध, शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का विकास, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना आदि कार्यक्रम सम्मिलित थे।

मेवाड़ में किसान एवं आदिवासी आंदोलनों के समय शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। बिजौलिया किसान आंदोलन के समय विजयसिंह पथिक ने 'विद्या प्रचारिणी सभा' के अन्तर्गत रात्रिशालाएं संचालित की थी। इन शालाओं में युवाओं, तथा प्रौढ़ों को शिक्षा के साथ-साथ देश की गतिविधियों की सूचना भी दी जाती थी। 1935 में गौरीशंकर उपाध्याय एवं भोगीलाल पंड्या द्वारा डूंगरपुर में 'वागड़ सेवा मंदिर' की स्थापना आदिवासी भीलों, हरिजनों व पिछड़े लोगों में शिक्षा प्रसार तथा समाज सुधार के लिए की थी। मोडक में पं. नथनूराम शर्मा ने 'हाड़ौती शिक्षा मण्डल' तथा वनस्थली में पं. हीरालाल शास्त्री ने 'जीवन कुटीर' नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की।⁸ इन संस्थाओं के द्वारा शिक्षा प्रसार के साथ-साथ राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का भी तीव्र गति से विकास हुआ।

गाँधीजी ने अपने सत्याग्रहों में खादी के प्रचार पर विशेष बल दिया। जमनालाल बजाज एवं उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी ने जयपुर एवं शेखावाटी क्षेत्र में खादी प्रचार एवं सामाजिक सुधार के लिए अनेक कार्य किये। श्री बजाज ने खादी को 'स्वदेशी' एवं गरीबी का आर्थिक आधार बताया। बिजौलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम दास ने खादी प्रचार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। हरिभाऊ उपाध्याय और रामनारायण चौधरी के प्रयासों से 'राजस्थान सेवा संघ' की स्थापना 1920 ई. में अजमेर में की गई। इस संघ के उद्देश्यों में मद्यनिषेध, शिक्षा प्रचार, कुरीतियों का निवारण तथा खादी प्रचार प्रमुख था। एकी आंदोलन के प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत ने भी मद्यनिषेध के साथ खादी प्रचार के कार्य को बड़े उत्साह के साथ किया।

महात्मा गाँधी अस्पृश्यता को एक पाप मानते थे। राजस्थान के किसान एवं प्रजामण्डल आंदोलनों के समय यहाँ के सभी वर्गों के लोग एक साथ वर्गभेद छोड़ समर्पित भाव से काम करने लगे। ठक्कर बापा, माणिक्यलाल वर्मा और भूरैलाल बया के प्रयासों से हरिजनोद्धार के लिए मेवाड़ में 'हरिजन सेवक संघ' और 'वनवासी सेवा संघ' की स्थापना की गयी। इसी प्रकार के प्रयास राजस्थान की अन्य रियासतों में भी किये गये। इस समय समाज में मद्यपान एक प्रमुख बुराई थी। मद्य निषेध के संबंध में माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावल ने मेवाड़ क्षेत्र, हीरालाल शास्त्री ने जयपुर तथा जयनारायण व्यास ने मारवाड़ क्षेत्र में प्रजामण्डल आंदोलनों द्वारा राजनीतिक माँगों के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए कार्य भी किये थे।⁹ इस प्रकार किसान, आदिवासी तथा प्रजामण्डल आंदोलनों के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा निर्देशित सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं ने जनहित के लिए कार्य कर जनता में सामाजिक चेतना का प्रसार किया।

संदर्भ

1. व्यास, डॉ. रामप्रसाद, आधुनिक राजस्थान का वृहत् इतिहास, खण्ड-द्वितीय, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2010, पृ. 412-414
2. सेंसस ऑफ इण्डिया 1901: वोल्यूम 25, राजपूताना भाग-प्रथम
3. गहलोत, जगदीश सिंह, राजपूताने का इतिहास, भाग-प्रथम, पृ. 87
4. इण्डिया चाइल्ड मैरीज प्रोहिबिशन एक्ट, 1929; सेंसज ऑफ इण्डिया, राजपूताना एजेन्सी, 1941
5. अनाथ रक्षक, 10 मई, 1922, विधवा आश्रम केसरगंज की एक रिपोर्ट।
6. आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान, वार्षिक रिपोर्ट 1906-07, पृ. 22
7. आर्य समाज, जयपुर - ए रिपोर्ट, हस्तलिखित फाइल नं. 10, 1905
8. नवजीवन, 6 नवम्बर, 1944
9. वही, पृ. 150-152

प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के संदर्भ में अजमेर की प्रवासी पत्रिका का योगदान

डॉ. राकेश कुमार दूबे

औपनिवेशिक भारत में प्रवासी भारतवासियों की समस्या का प्रश्न एक अत्यंत ही गंभीर विषय रहा है। 19वीं सदी के आरंभ से ही हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य प्रवासी भवानी दयाल संन्यासी और उनके द्वारा अजमेर से प्रकाशित 'प्रवासी' पत्रिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने एवं लोकमानस को उससे परिचित कराने का भगीरथ उद्योग किया।

भवानी दयाल के पूर्वज यद्यपि बिहार के शाहाबाद जिले के निवासी थे, परन्तु इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के 'जोहांसबर्ग' नामक नगर में 10 सितम्बर, 1892 ई. को हुआ था। इनके पिता बाबू जयरामसिंह शर्तबंदी कुलीप्रथा के शिकार होकर दक्षिण अफ्रीका चले गये थे। 1889 ई. में इनकी माता का निधन हो जाने के बाद सन् 1904 ई. में ये अपने पिता के साथ पहली बार भारत आये।¹ जब ये भारत आये उस समय भारत में 'बंग-भंग एवं स्वदेशी आंदोलन' जोरों पर था। अपने गांव में आकर इन्होंने हिंदी का अच्छा अभ्यास किया वहां एक 'राष्ट्रीय पाठशाला' खोलकर वहां के बच्चों को निःशुल्क हिंदी की शिक्षा देने लगे। सन् 1909 ई. में ये पूर्णतः आर्यसमाज के प्रभाव में आ गये और अपने ग्राम में 'वैदिक पाठशाला' खोलने के अतिरिक्त सासाराम शहर में भी आर्यसमाज की स्थापना करने में सहयोग किया। सन् 1911 ई. में इन्होंने 'बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा' का अवैतनिक उपदेशक पद स्वीकार कर लिया साथ ही सभा की ओर से प्रकाशित होने वाले 'आर्यावर्त' नामक मासिक पत्र के भी ये सहकारी सम्पादक बन गये।

इनका विवाह शाहाबाद जिले के 'सखरा' गांव की एक कन्या के साथ हुआ जिनका नाम जगरानी देवी था। 1911 ई. में भवानी दयाल जी के पिता का देहावसान हो गया और 1912 ई. में ये फिर दक्षिण अफ्रीका चले गये जहां अपनी पत्नी के साथ महात्मा गांधी के सत्याग्रह में उत्साह से भाग लिया और सपत्नीक जेल जीवन व्यतीत किया। 1914 ई. में गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका से 'इंडियन ओपिनियन' नामक जो अंग्रेजी पत्र प्रकाशित किया, उसके हिंदी संस्करण का संपादन भवानी दयाल जी ने ही किया था।²

जर्मिस्टन में मजदूरी करते हुए भी इन्होंने 'ट्रांसवाल हिंदी प्रचारिणी सभा' की स्थापना की। पांच साल लगातार नेटाल और ट्रांसवाल में हिंदी का प्रचार कार्य किया और इस दौरान जर्मिस्टन, न्यूकासल, डेनहाउसर, हाटिंगस्पुट, ग्लेंको, वर्नसाइट, लेडीस्मिथ, विनेन एवं जेकोब्स आदि शहरों और कस्बों में 'हिंदी प्रचारिणी सभाएं' और हिंदी पाठशालाएं स्थापित कीं। इन सभाओं को एक केन्द्रीय मंडल के अंतर्गत संगठित करने के लिए 'दक्षिण अफ्रीका हिंदी-साहित्य-सम्मेलन' की स्थापना की जिसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1916 ई. में लेडीस्मिथ में और दूसरा वार्षिक अधिवेशन 1917 ई. में पीटर मेरित्सवर्ग में बड़ी धूमधाम से हुआ।³ उन्हीं दिनों इन्होंने 'धर्मवीर' नामक एक साप्ताहिक पत्र का भी संपादन प्रारम्भ किया था, जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। मातृभाषा हिंदी की पताका फहराना इन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था।⁴ 1919 ई. में 'काठियावाड़' नामक जहाज से ये भारत आये। जलियावाला बाग हत्याकांड के कारण 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ और ये उसमें शामिल हुए। यहीं पर उन्होंने भारत के कई बड़े-बड़े नेताओं को देखा और उनसे सम्पर्क किया। कांग्रेस में शामिल होकर इन्होंने प्रवासी भारतीयों की समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया फलस्वरूप कांग्रेस में प्रवासियों की समस्या पर अच्छी चर्चा हुई। इसी कांग्रेस में भानी दयाल के अलावा एम.पी. ठाकुर, बिहारी लाल अनन्तमी और नादिरशाह कामा आदि प्रवासी भी उपस्थित थे जिनके व्याख्यान भी इस कांग्रेस में हुए। जुलाई, 1920 ई. में ये पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गये।⁵ अप्रैल, 1922 ई. में इनकी पत्नी और इस कार्य में इनकी मुख्य सहयोगी का असामयिक निधन हो गया। इन्होंने दिवंगत आत्मा की स्मृति में छापेखाने का नाम 'जगरानी प्रेस' रखा। इसी प्रेस से मुद्रित होकर मई के प्रथम सप्ताह में 'हिंदी' नामक पत्रिका का प्रथमांक निकला। उसके उद्घाटनोत्सव में डरबन के प्रायः सभी प्रतिष्ठित नागरिक और जन-नायक सम्मिलित थे। यह पत्रिका सचित्र और विषयवस्तु की दृष्टि से काफी समुन्नत थी और प्रवासी भारतीयों में तो वह ऐसी लोकप्रिय हुई कि नेटाल के साथ ही साथ ट्रांसवाल, केप, रोडेशिया (वर्तमान जिम्बाब्वे), मोजाम्बिक, टंगेनिका, युगान्डा, केनिया, मॉरीशस, फिजी, डमरारा, जमैका, ग्रेनेडा, सुरीनाम, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और भारत में भी उसकी काफी मांग थी।⁶ इस पत्रिका के भवानी दयाल संन्यासी जी ही मालिक, संचालक, व्यवस्थापक, संपादक, संवाददाता, क्लर्क और सब कुछ थे। इस पत्रिका के कई सचित्र विशेषांक यथा 'राष्ट्रीय अंक'⁷ 'तिलक अंक'⁸ 'दीपावली अंक'⁸ इत्यादि इतने सर्वांग सुंदर निकले थे कि वे पत्रकारिता के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।

1922 ई. में दयाल जी अपनी विमाता की मृत्यु पर भारत आये। उसी वर्ष कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस के नये संविधान में प्रवासियों

के प्रश्न को हटा दिया गया था, अतएव बहुत अधिक कहसुन कर प्रवासियों के प्रतिनिधित्व संबंधी एक विशेष प्रस्ताव पास कराया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि नेटाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन और केप ब्रिटिश इंडियन कौंसिल के 10 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हो सकेंगे। इनका ही प्रभाव था कि कांग्रेस में प्रवासियों पर काफी चर्चा हुई। 1923 ई. के कानपुर हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी से सम्मिलित हुए, जहां प्रवासी भारतीयों के प्रश्न पर अच्छी चर्चा हुई। एक प्रस्ताव में इनकी पत्नी जगरानी देवी के निधन पर परिताप किया गया और दूसरे प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों में हिंदी प्रचार संबंधी कार्यों की प्रशंसा की गई और हिंदी पत्रिका को 500 रु. देकर भवानी दयाल की सेवाओं पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई।⁹ 1925 ई. में स्वामी दयानंद की जन्म-शताब्दी मनाई जा रही थी तो उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष संन्यासी जी ही बनाये गये। इसी अवसर पर 'नेटाल आर्य प्रतिनिधि सभा' की भी स्थापना हुई और उसके भी अध्यक्ष संन्यासी ही बनाये गये।¹⁰

भारत में स्थायी रूप से बसने के बाद अपना शेष जीवन भी हिंदी और प्रवासियों की सेवा में उत्सर्ग करने के विचार से 1942 ई. में अजमेर में 'प्रवासी भवन' बनवाया। हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि और प्रवासी साहित्य की सृष्टि और अभिवृद्धि के अभिप्राय से संन्यासी जी ने 'प्रवासी-पुस्तकमाला' का प्रकाशन आरंभ किया और द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण कागज के दाम अत्यधिक होते हुए भी पाँच पुस्तकें गूर्थी-वैदिक प्रार्थना, स्वामी शंकरानंद संदर्शन, अब्दुल्ला इस्माइल काज़ी (अंग्रेजी), पोर्तगीज पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी और वर्ण व्यवस्था या मरणअवस्था।¹¹ अजमेर में 'प्रवासी भवन' में रहते हुए भवानी दयाल अक्सर बीमार ही रहा करते थे। ऐसे समय में प्रवासी भारतीयों की समस्या को भारत और विश्व स्तर पर उठाने के उद्देश्य से 1947 ई. में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ प्रसिद्ध 'प्रवासी' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह था कि समूचे भारत में प्रवासियों से संबंधित कोई पत्रिका नहीं थी, जैसा कि संन्यासी जी ने स्वयं रेखांकित किया था कि "इस समय हिंदुस्तान में ऐसा एक भी अखबार नहीं है, जिसका मुख्य उद्देश्य हो-प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर प्रकाश डालना, उनके दुःख-सुख की कथा देशवासियों को सुनाना और संकट की घड़ी में उनको धैर्य बँधाना तथा मातृभूमि की ओर से उनको सहायता पहुँचाना।¹²

अत्यंत रोगग्रस्त रहते हुए और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विपन्न होते हुए भी शाहपुरा के महाराजा श्री उम्मेद सिंह की आर्थिक सहायता से विजयादशमी, सं. 2004

को "प्रवासी" पत्रिका निकाली। इस पत्रिका का एकमात्र लक्ष्य प्रवासी भारतीयों की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालना एवं संकट-विपदा में उनकी तरफ से संदेशवाहक का कार्य करना था। इस पत्रिका के मुखपृष्ठ पर जो चित्र छपता था वह यह स्पष्ट कर देता था कि भारत में किन स्थानों से और किस अमानवीय तरीके से भेड़ की भाँति अपने को तथाकथित सभ्य कहने वाली जाति भारतवासियों को उपनिवेशों में कार्य करने के लिए ले जाती थी। प्रवासी पत्रिका के माध्यम से संन्यासीजी ने न केवल भारतीयों के प्रवास के इतिहास पर प्रकाश डाला बल्कि उस समय प्रवासी भारतीयों की जो अवस्था थी उसको भी बखूबी पटल पर रखा।¹³ फीजी, गुयाना, मारीशस, सुरीनाम के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर जो अत्याचार किये जा रहे थे उससे विश्व के जनमानस को परिचित कराया। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने जब भारतीयों के खिलाफ काला कानून पास किया तो प्रवासी पत्रिका ने इसे अत्यंत ही घृणित बताया और पत्रिका का 'Naked dance of Nazism in S. Africa' शीर्षक लेख देखते ही बनता है।¹⁴

भवानी दयाल संन्यासी का निधन 9 मई, 1950 ई. को अजमेर में हुआ। अपने अत्यंत व्यस्त जीवन में लगातार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यात्रा करने और प्रवासियों की सेवा करने के साथ ही हिंदी की सेवा करते हुए भी उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जो अपना अलग ही महत्व रखती हैं। उन्होंने 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास', 'दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव', 'सत्याग्रही महात्मा गांधी', 'हमारी कारावास कहानी', 'ट्रांसवाल में भारतवासी', 'नेटाली हिंदू', 'शिक्षित और किसान', 'वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता', 'भजन-प्रकाश', 'प्रवासी की आत्मकथा', 'बोअर युद्ध का इतिहास', 'स्वामी शंकरानंद की वृहत् जीवनी' और 'सत्याग्रह का इतिहास' सदृश पुस्तकें लिखीं। इसके साथ ही संन्यासी जी ने कितने ही लेख लिखे जो समकालीन प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

संदर्भ :

1. प्रवासी पत्रिका, भवानी दयाल संन्यासी स्मृति अंक, जनवरी, 1953 ई., फाइन आर्ट प्रेस, अजमेर, पृ. 44
2. संन्यासी, भवानी दयाल, प्रवासी की कहानी, कलकत्ता, 1939 ई., पृ. 37
3. वही, पृ. 63
4. सुमन, क्षेमचंद्र सं. दिवंगत हिंदी सेवी, द्वितीय सं. संवत् 1983, पृ. 286
5. प्रवासी पत्रिका, भवानी दयाल संन्यासी स्मृति अंक, जनवरी, 1953 ई., पृ. 45
6. वही, पृ. 42

7. देखिए हिंदी पत्रिका, भाग-2, अंक-13, 27 जुलाई, 1923 ई., जगरानी प्रेस, जेकोब्स, नेटाल, दक्षिण अफ्रीका
8. देखिए हिंदी पत्रिका, दिपावली अंक, अक्टूबर, 1924 ई.
9. प्रवासी पत्रिका, भवानी दयाल संन्यासी स्मृति अंक जनवरी 1953 ई., पृ. 42
10. प्रवासी पत्रिका, वर्ष-2, अंक-8, अक्टूबर, 1949 ई., पृ. 6-7
11. प्रवासी पत्रिका, वर्ष-1, अंक-1, विजयादशमी, सं. 2004, पृ. 1
12. वही, पृ. 1-2
13. प्रवासी पत्रिका, वर्ष-1, अंक-11, दिवाली, 1948, पृ. 30-36
14. प्रवासी पत्रिका, वर्ष-2, अंक-2, फरवरी, 1949 ई., पृ. 1-3

महाराजा गंगासिंह के काल की शिक्षण व्यवस्था

डॉ. जगदीश नारायण ओझा

सन् 1870 से पूर्व बीकानेर में राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। उस समय की पाठशालाओं में जिनकी संख्या उस समय बारह थी, प्रारम्भिक शिक्षा और कुछ हिसाब-किताब की पढ़ाई होती थी। संस्कृत, हिन्दी, गणित पढ़ने वाले, पंडितों के यहां और फारसी तथा उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी मौलवियों के घर मकतबों में पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त सात जैन उपासरे भी थे, जहां संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था थी। स्त्री-शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि के नाम से अलग से कोई प्रबंध नहीं था।

इन पोशालों (पाठशालाओं) का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होता था, पर स्वरूप आज की पाठशालाओं से भिन्न था। साधन, सामग्री की दृष्टि से एक तख्ती होती थी और गली-सड़क के किनारे छायादार स्थान इनका भवन होता था। तीन वर्ष के इस अध्ययन-काल में शिक्षण शुल्क स्वरूप कुल मिलाकर छः मण बाजरी या आठ रुपये नकद देना होता था। धनी लोग निर्धारित राशि के अतिरिक्त करीब सौ रुपये और देते थे।¹ गुरुजी ऊंचे आसन पर विराजते थे और कमजोर विद्यार्थी इनके समीप ही बैठते थे तथा कुछ विशिष्ट योग्यता रखने वाले बालक 'वईदार' गुरुजी से संकेत पाकर समूह-शिक्षण का कार्य-सम्पादन करते। अनुशासन अति कठोर था और दण्ड व्यवस्था भी कम असह्य नहीं थी। अपने घर से पाठशाला पहुंचते समय गुरुजी उन बालकों के अभिभावकों से मिलते चलते थे जो उपस्थित या अध्ययन की दृष्टि से अनियमित होते थे। यह 'अध्यापक-अभिभावक स्नेह सम्मेलन' पूर्णतः अनौपाचारिक होता था,² लेकिन इससे पाठशाला अनुशासन एवं शिक्षण स्तर उत्तम कोटि का रहता था। अपराधी बालकों के शिक्षण की भी व्यवस्था थी। अध्यापक-अभिभावक मिलने के अतिरिक्त गुरुजी द्वारा नियुक्त एवं निर्देशित विद्यार्थी पिछड़े बालकों को पाठशाला में नियमित रूप से उपस्थित रहने एवं अध्ययन में पिछड़े रहने की कमी को पूरा करने में पूरा सक्रिय सहयोग देते थे। इस तरह उस समय की शिक्षण व्यवस्था अनायास ही शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा सिद्धान्त का पूर्णतः निर्वाह करती थी, जिसका अभाव आज भी खटकता है।

इन परम्परागत पोशालों की विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए पाउलेट महोदय लिखते हैं कि जैन उपासरे से उपलब्ध सामग्री के एक नक्शे को 1871 ई. में

केशिंगटन प्रदर्शनी में भेजा गया था, जहां वह दर्शकों के आकर्षण का बिन्दु था। इसी तरह यहां की पाठशालाओं में अध्ययन कर रहे बालकों ने गणित के दुरूह प्रश्नों का तुरन्त हल बताकर विदेशियों को आश्चर्यचकित किया था। हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी समर्थवान होने पर भी समय के थपेड़ों के सम्मुख ये पोशालें अपने उस अस्तित्व को बनाये रखने में समर्थ नहीं रह सकीं, जिसका प्रमुख कारण बाल-विवाह प्रथा का अधिक प्रचलन था। विवाह के पश्चात् अभिभावक अपने बालकों को आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से दूर स्थानों में कमाने हेतु भेज देते थे। अतः 1860 ई. के करीब इन पोशालों की नियमित उपस्थिति में शिथिलता आने लगी।³

राज्य स्तर पर शिक्षा-समस्या की मान्यता के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि सन् 1872 में सर्वप्रथम राज्य सरकार की ओर से एक स्कूल (दरबार हाई स्कूल) खोला गया, जिसमें परम्परागत चली आ रही पोशालों की तरह ही हिन्दी, संस्कृत, फारसी और देशी तरीके के हिसाब की पढ़ाई होती थी और विद्यार्थियों की संख्या 275 थी। सन् 1874 के सम्पादित गजेटियर में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार से है— "A school which contains three hundred students in Persian and Hindi, has recently been established." वह समय महाराजा डूंगरसिंहजी का था इन्हीं के समय में सन् 1882 ई. में उर्दू की और सन् 1885 में पहले-पहल अंग्रेजी की पढ़ाई भी इसी स्कूल में आरम्भ हुई। प्रबन्ध की दृष्टि से स्कूलें सीधे होम-मेम्बर से जुड़ी होती थी और स्कूल का हैडमास्टर, एक बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था।⁴ सन् 1884 में यहां पहले पहल बी.ए. पास प्रधानाध्यापक आये, श्री बिहारीलाल और उन्हें हाथी की सवारी पर घुमाया गया।

सन् 1885 के तीन वर्ष पश्चात् सरकार का ध्यान स्त्री शिक्षा की ओर गया और राजस्थानी में स्कूल लड़कियों के लिए अलग से खोला गया। इस तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या सन् 1893 में 12 थी, जिनमें 994 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। स्मरण रहे इस समय बीकानेर राज्य की गद्दी पर महाराजा गंगासिंहजी थे, पर शासनाधिकार मिलने में पांच वर्ष का समय शेष था। सन् 1893 में ही राज्य के सरदारों के लड़कों की पढ़ाई के लिए कर्नल सी.के.एम. वाल्टर के नाम पर 'वाल्टर नोबल स्कूल' की स्थापना हुई। इस तरह राज्य में स्कूलें खुलीं, पर तत्कालीन अन्य देशी रियासतों की तरह बीकानेर में भी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं थी और सेवा-नियमों, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा आदि विषयों में उस समय के संयुक्त प्रांत (आज का उत्तरप्रदेश) के शिक्षा निदेशक से ही सम्पर्क रखना होता था और इसीलिए परीक्षाएं इलाहाबाद से संचालित होती थी। सन् 1907 में पहली बार 'आल राजपूताना मिडिल स्कूल परीक्षा बोर्ड' बना और आठवीं कक्षा के विद्यार्थी अब

इलाहाबाद की बजाय अजमेर से संचालित परीक्षाओं में बैठने लगे। नवीं और दसवीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, जिसके लिए देशी राज्यों के विद्यार्थी बैठ नहीं सकते थे।⁵ देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रजाजनों के मध्य भेदभाव किया जाता था। लेकिन गर्व का विषय है कि जब बोर्ड की परीक्षा हुई तो उसमें बीकानेर से प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी सर्वोत्कृष्ट रहे। राज्य के तत्कालीन (अवकाश प्राप्त) शिक्षा निदेशक हरबर्ट शेरिंग ने इस खुशी के असवर पर पं. पुरुषोत्तम लाल आचार्य को (जो शिक्षा विभाग में उनके निकट सम्पर्क में थे) लंदन से एक निजी पत्र लिखकर अपने उद्गार इस तरह व्यक्त किए—“.....It is a splendid result.....The fame of Bikaner as an Educational centre will spread throughout India.”

19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में तथा बीसवीं सदी के आरम्भकालिक पाठ्यक्रम में फारसी का अध्ययन प्रमुख रूप से होता तथा राज्य में अध्यापकों का नामकरण भी फारसी में ही होता था। उदाहरण के लिए अध्यापक शब्द के लिए प्रचलित शब्द ‘मुद्दरिस’ था। मुद्दरिस अब्बल, मुद्दरिस दोयम, सोयम, जहारूम आदि।⁶ हिन्दी की पढ़ाई के साथ पटवार, गिरदावरी आदि के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हुई तथा पदाधिकारियों एवं अध्यापकों के नामों में भी परिवर्तित हुआ। विभाग में प्रचलित पद कुछ इस प्रकार थे—निदेशक, हैडमास्टर, प्रथम सहायक मास्टर, सैकण्ड मास्टर, विज्ञान मास्टर, हैड मैथेमैटिकल मास्टर, सहायक मैथेमैटिकल मास्टर, फोर्थ मास्टर, ड्राईंग मास्टर, हैड पंडित, हैड मौलवी (मि. रूपलाल), हिन्दी टीचर (बुक कीपिंग क्लास), मास्टर पटवारी, गेम्स इन्सट्रक्टर आदि। ‘स्वस्थ शरीर मस्तिष्क’ की मान्यता थी। अतः स्कूलों में खेलकूद के कार्यों को आज की तुलना में अधिक चेष्टा से सम्पादित कराने का रिवाज था। खेलकूद के कई एसोसियेशन थे और क्रिकेट तथा पोल-जम्प तक की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी।

सेवा नियम, वेतन, भत्ते आदि उस समय के बाजार भाव को देखते हुए, जबकि घी एक रुपये का डेढ़ सेर और सोना पन्द्रह रुपये तोला था, वेतन-भत्ते बुरे नहीं थे और न ही कर्मचारियों के वेतन आदि भी जमीन-आसमान का अन्तर ही था, जो आज प्रत्येक स्तर पर खटकने वाला बना हुआ है।⁷ शिक्षा निदेशक, बाबू शिवगोविन्दसिंह बी.ए. का मासिक वेतन रु. 225/- था और हैडमास्टर पं. कृष्णशंकर तिवारी बी.ए. का मासिक वेतन रु. 200/- था तथा निदेशक एवं हैडमास्टर दोनों को ही घुड़सवारी भत्ता देय था। ‘प्रोबेशन’ के स्थान पर सेवा-नियमों में ‘ट्रॉयल’ शब्द का प्रयोग भी होता था। बीकानेर के तत्कालीन शिक्षा जगत की जानकारी प्राप्त करते समय एक तथ्य जो प्रकाश में और आया है, वह यह है कि उस समय जहां स्कूल का प्रधानाध्यापक उन्नति करता हुआ एक प्रशासक पद पर पहुंचता था,⁸ वहां आज इसके ठीक विपरीत

प्रशासक वर्ग के व्यक्ति शिक्षाधिकारी होकर आने लगे हैं। कह नहीं सकते कि इस उल्टी गंगा की व्यवस्था के क्या परिणाम होंगे ?

बीकानेर राज्य में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के समय राजगद्दी पर महाराजा श्री गंगासिंहजी थे। इन्होंने अपनी रजत जयन्ती तथा स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर बीकानेर में शिक्षा जगत को अमूलचूल परिवर्तन करने का भरसक प्रयास किया। नागरिकों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और इसमें शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने हेतु छात्रवृत्तियों की समुचित व्यवस्था थी।

सन्दर्भ

1. पाउलेट गजेटियर, पृ. 150
2. ओझा रचित बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग प्रथम, पृ. 27
3. पाउलेट गजेटियर, पृ. 150
4. पाउलेट गजेटियर, पृ. 110-111
5. ओझा रचित बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग प्रथम, पृ. 28
6. नये क्षितिज, पृ. 6
7. दिनांक 10 जुलाई, 1914 का पत्र
8. बीकानेर स्टेट ऑफिसियल्स, अर्द्धवार्षिक लिस्ट, पृ. 15

स्वामी गोपालदास और चूरु की पुत्री पाठशाला

डॉ. योगवती पारीक

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में अशिक्षा, गरीबी, उत्पीड़न एवं शोषण व्याप्त था। यहां की जनता दोहरी गुलामी से जकड़ी हुई थी—एक अंग्रेजों की एवं दूसरी रियासती नरेशों की, क्योंकि सम्पूर्ण भारत दो राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था—एक ब्रिटिश भारत एवं दूसरा रियासती भारत। रियासती भारत विभिन्न रियासतों को सामूहिक संज्ञा दी गई है, जो किसी राजा के अधीन थी और राजा ब्रिटिश सरकार के अधीन। इन रियासतों में प्रजा किसी भी प्रकार के अधिकार से विहीन तथा राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन से वंचित थी। क्योंकि यहां न राजनीतिक संस्थाएं एवं सभाएं थी और न अखबार निकलते थे। प्रजा राजनीतिक जागृति व राजनीतिक जीवन के प्रति अनभिज्ञ तो थी ही, साथ ही साथ उसके प्रति प्रजा में कोई उत्सुकता भी नहीं थी। वास्तविक स्थिति तो यह थी कि रियासतों के भाग्य विधाता अंग्रेज थे तथा रियासती प्रजा के भाग्य विधाता रियासती नरेश थे एवं प्रजा की मानसिकता अब भी मध्ययुगीन थी।¹

ऐसी ही एक रियासत राजपूताना में बीकानेर थी। यहां राजपूतों के राठौड़ वंश का शासन था। इस रियासत में भी वही जीवन एवं लक्षण थे, जिनका हमने पूर्व में वर्णन किया है। इसी रियासत में चूरु मंडल² स्थित है। यहां भी समाज में अशिक्षा, कुरीतियां, पिछड़ापन, अंधविश्वास, महिलाओं की दयनीय दशा आदि व्याप्त था। ऐसे असहनीय वातावरण में एक महापुरुष का जन्म चूरु मंडल में 1882 ई. में हुआ, जिनका नाम गोपालदास³ था। लेकिन उनके कृतित्व की वजह से वे स्वामी गोपालदास के नाम से विख्यात हुए। स्वामी गोपालदास की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही सार्वजनिक कार्यों की ओर थी। समाज में फैली अशिक्षा और कुरीतियां उन्हें बहुत तकलीफ देती थी और वे समाज से इन बुराइयों का उन्मूलन करना चाहते थे। स्वामी गोपालदास आर्य समाज से प्रभावित थे, अतः उन्होंने जनजागृति व लोगों में अधिकारों व कर्तव्यों का बोध तथा उनके लिए संघर्ष की मानसिकता के लिए जनसेवा व ठोस रचनात्मक कार्यों के मार्ग का अवलम्बन किया। अशिक्षा व धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिए उन्होंने क्रांतिकारी नेता अर्जुनलाल सेठी व अजमेर के आर्यसमाज के नेता हरविलास शारदा, चूरु के पं. कन्हैयालाल, पं. श्रीराम मास्टर और अंग्रेजी भारत में रहने वाले मारवाड़ियों के सहयोग से चूरु में 1907 ई. में सर्वहित कारिणी सभा

नामक संस्था को स्थापित किया जो आगे चलकर अपने कार्यों की विशिष्टता के कारण 'चूरू की कांग्रेस' कहलाई। इसी सभा के माध्यम से स्वामीजी ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए।⁴ यह उल्लेखनीय है कि इस सभा की सदस्यता सभी धर्मों के लोगों के लिए खुली थी। जो कि तत्कालीन समय में एक अत्यन्त ही प्रगतिशील कदम था। इस सभा के 18 उद्देश्यों में विद्याप्रचार, पीढ़ियों की सेवा व सामाजिक सुधार प्रमुख थे।⁵ सर्वहित कारिणी सभा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य एवं अस्तेय जैसे महान् सिद्धांतों पर आधारित एवं स्थापित थी। यहां उल्लेखनीय है कि बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सभी की गतिविधियां बीकानेर रियासत को सचेत होने के लिए संकेत करती थी। क्योंकि उन्होंने सभा भवन में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिनचन्द्र पाल के फोटो भी लगा दिये थे और वे विभिन्न राजनीतिक संगठनों से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। सर्वहित कारिणी सभा के अन्तर्गत पुस्तकालय, वाचनालय, पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला,⁶ उद्योग-वर्धिनी सभा, आतुरालय, महिलाश्रम एवं विधवाओं को मासिक वृत्ति देकर स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण आदि गतिविधियों को संचालित किया गया।⁷ इस प्रकार सभा के माध्यम से जनसेवा और जन जागृति का महत्वपूर्ण कार्य होने लगा।

सर्वहित कारिणी सभा की शाखाएं तत्कालीन बीकानेर और जयपुर राज्य के अनेक कस्बों में भी स्थापित हुईं। हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि स्वामीजी से प्रेरित होकर चूरू के ही निकटवर्ती कस्बे राजगढ़ के मुख्य बाजार के बीचोंबीच सर्वहित कारिणी सभा की स्थापना 29 नवम्बर 1920 को यहां के कुछ समाजसेवी बन्धुओं ने की थी, जिसमें पुस्तकालय, वाचनालय, महिला शिक्षण केन्द्र, रेलवे बुक स्टॉल, नेहरू बाल मंदिर आदि संचालित किए गए।⁸ चूरू की सर्वहित कारिणी सभा की ख्याति शीघ्र ही राजस्थान भर में फैल गयी और स्थान-स्थान से स्वामी गोपालदास जी के पास विभिन्न उद्देश्यों को लेकर पत्र आने लगे।⁹ स्वामी गोपालदास स्वयं आस्तिक थे, लेकिन इसके बावजूद धर्म के नाम पर संकीर्णताओं के लिए उनके मन में जरा भी स्थान नहीं था। सर्वधर्म समभाव में उनकी आस्था थी। सर्वहित कारिणी सभा के प्रयत्न से बनाए गए 'धर्म स्तूप' पर स्थापित भगवान श्रीकृष्ण, महावीर और बुद्ध आदि की मूर्तियां आज भी सर्वधर्मों के प्रति स्वामी जी की समादर की भावना को व्यक्त कर रही हैं। लेकिन वे धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित ढोंगों के सर्वथा विरुद्ध थे और इसी से संकीर्ण विचारधारा वाले कुछ लोग स्वामीजी व उनकी संस्थाओं के विरुद्ध प्रचार करने में संलग्न रहते थे और वे लोग गुप्त रूप से शिकायतें बीकानेर सरकार को पहुंचाने लगे कि स्वामी गोपालदास राज्य विरोधी कार्यवाहियां करता है। इसके फलस्वरूप सरकार की आंख स्वामीजी व सर्वहित कारिणी सभा पर लग गयी और अनेक बार सभा को संकट की घड़ियों से गुजरना पड़ा।¹⁰

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना न ही तो समाज वांछनीय समझता था और न ही सरकारी प्रयत्न पर्याप्त थे। इसको विपरीत स्थिति यह थी कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति समाज से कट कर रह जाता था। ऐसे में स्त्री शिक्षा के लिए सोचना और प्रयत्न करना अपने आप में एक अद्भुत कार्य था। लेकिन स्वामीजी नारी शिक्षा के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए वे बड़ी से बड़ी परेशानी भुगतने के लिए तैयार थे। क्योंकि उन्होंने इस बात को गहराई से अनुभव कर लिया कि जब तक राष्ट्र का आधा अंग अशिक्षित और निष्क्रिय रहेगा तब तक समाज और राष्ट्र की उन्नति कदापि नहीं हो सकती।¹¹ अतः स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु सर्वहित कारिणी सभा ने 10 नवम्बर 1911 को चूरू में पुत्री पाठशाला की स्थापना का निर्णय लिया, जिसे शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया, जो अपने समय की श्रेष्ठ पुत्री पाठशाला थी।¹² चूरू के पं. भगतराम जी दाधीच की धर्मपत्नी पार्वती देवी इस पाठशाला में प्रथम अध्यापिका नियुक्त हुई।¹³ पुत्री पाठशाला के सम्मति प्रकाश रजिस्टर से पता चलता है कि रामकुमार जी गोयनका दिनांक 5 दिसम्बर 1912 को ब्रह्मचारी योगेश्वरानन्द जी के साथ पाठशाला में आए थे और पुत्री पाठशाला के कार्य की दोनों ही महानुभावों ने बड़ी प्रशंसा और सराहना की थी।¹⁴ बालचन्द्र मोदी के पत्र से भी पता चलता है कि चूरू आने वाले लोग पुत्री पाठशाला की प्रशंसा किया करते थे और कहते थे कि चूरू की पुत्री पाठशाला का ढंग बड़ा निराला है।¹⁵ पुत्री पाठशाला में शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए यह स्वामीजी का 'क्रांतिकारी कदम' था क्योंकि समाज सम्पूर्णतम संकीर्णताओं से भरा हुआ था। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, सिलाई का प्रशिक्षण, बालिकाओं के खेलकूद व मनोरंजन हेतु व्यवस्था, बोर्डिंग हाउस व्यवस्था, शिल्प भवन, स्वालंबन व राष्ट्रीय भाव की जागृति आदि इसकी विशेषताएं थीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वधर्म समभाव तथा नारी शिक्षा तत्कालीन समाज द्वारा अपराध माने गए व अछूतों की दशा सुधार के लिए कबीर पाठशाला ने विरोध को चरम पर पहुंचाया तथा बीकानेर सरकार को सभा के राज्य विरोधी व जनविरोधी होने के सन्दर्भ में निरन्तर शिकायतें होने लगीं। फलस्वरूप स्वामीजी बीकानेर राजद्रोह षडयंत्र केस 1932 के मुख्य अभियुक्त बनाए गए।¹⁶

20वीं शताब्दी में समाज काफी पिछड़ा हुआ था। इसका पता तो इसी बात से लग जाता है कि जब स्वामीजी ने नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की तो बहुत से लोगों ने इसे धर्म विरुद्ध कार्य बताया और विरोध स्वरूप शाला पर पत्थर बरसाए। लेकिन स्वामीजी समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए नारी शिक्षा को बहुत आवश्यक समझते थे अतः उन्होंने इस विरोध की जरा भी परवाह नहीं की और पुत्री पाठशाला का संचालन बड़े सुन्दर ढंग से होता रहा। पाठशाला का पाठ्यक्रम भी सभा

की ओर से ही तय होता था और बालिकाओं को पुस्तकें व पढ़ाई का सारा सामान मुफ्त दिया जाता था। बालिकाओं को सीने पिरोने आदि की भी शिक्षा दी जाती थी और उनमें राष्ट्रीय भावनाएं भरी जाती थीं, चर्खे के गीत भी उनसे गवाए जाते थे। जबकि खद्दर व चर्खे को सरकार बहुत ही आपत्तिजनक मानती थी।¹⁷ नारी शिक्षा के लिए न केवल चूरू में बल्कि अन्य बहुत से नगरों में भी उन्होंने पुत्री पाठशालाएं खुलवायीं। रिणी (जो कि वर्तमान में तारानगर के नाम से जाना जाता है) की पुत्री पाठशाला का संचालन तो बहुत वर्षों तक सभा द्वारा ही होता रहा।¹⁸ पुत्री पाठशाला का खर्च प्रारंभ में कुछ समाजसेवी लोगों के सहयोग एवं सरकार से मिले अनुदान से चलता था।¹⁹ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बीकानेर के 26 फरवरी 1919 को लिखे पत्र से पता चलता है कि राज्य की तरफ से 300 रु. तुरन्त भेजे गए एवं 50 रु. मासिक राज्य से मिलते थे।²⁰ स्वामीजी ने सर्वहित कारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना तो कर दी थी लेकिन शाला का निजी मकान नहीं था अतः बार-बार स्थान बदलने पड़ते थे। इसलिए स्वामीजी चाहते थे कि पाठशाला का निजी मकान बन जाए। उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। 7 जनवरी 1926 के रामशरण तिवाड़ी के बीकानेर से लिखे पत्र से पता चलता है कि राज्य सरकार के द्वारा पुत्री पाठशाला के लिए जमीन देना मंजूर हो गया था।²¹ श्री रामशरण जी तिवाड़ी शिक्षा विभाग में उच्च पद पर थे। स्वामीजी के साथ इनके सम्बन्ध बहुत अच्छे थे और स्वामीजी के कार्यों में पूर्ण सहयोग देते थे।²² अतः कन्या पाठशाला के लिए 1000 गज जमीन सरकार से मिली। जो कि निश्चित तौर पर स्वामीजी की मेहनत और देशसेवा का ही फल था। 501 रु. गंगाप्रसाद बुधिया ने स्वामीजी को शाला के निजी मकान बनवाने के लिए भिजवाए।²³ इस प्रकार स्वामीजी के अथक प्रयत्नों से पाठशाला के लिए जमीन राज्य से प्राप्त हो गई और विद्याप्रेमी सज्जनों को प्रेरणा देकर उन्होंने पाठशाला का निजी मकान बना दिया। बालिकाओं को शिल्प कला की शिक्षा देने के लिए पाठशाला में एक शिल्पशाला का निर्माण करवाया गया और बालिकाओं के खेलकूद व मनोरंजन के साधन भी जुटाए गए।

तत्कालीन समाज में विधवा जीवन एक अभिशाप के तुल्य था। समाज के द्वारा विधवाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता था। यहां तक कि उनके घरवाले भी उनके लिए सहायक नहीं थे। विधवाओं के लिए कदम कदम पर अपमान और तिरस्कार था। ऐसे समय में विधवा शिक्षा के लिए सोचना स्वामीजी का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कदम था। स्वामीजी के द्वारा प्रारम्भ की गई पुत्री पाठशाला में अनाथ विधवाओं को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाया जाता था और सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उनको इस योग्य बनाया जाता था कि बाद में वे अध्यापिकाएं बनकर विद्यादान दे सकें एवं स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। उस समय के समाज एवं परिस्थितियों में स्वामीजी का यह कार्य समाज को

स्वयं के खिलाफ कर देने के लिए पर्याप्त था लेकिन स्वामीजी ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वे अपने उद्देश्यों की तरफ बढ़ते चले गए। धीरे धीरे समाज का प्रबुद्ध वर्ग एवं धनाढ्य वर्ग उनके साथ हो लिया और उनकी सहायता करने लगा। हमें यह जानकारी मिलती है कि श्री जुगलकिशोर बिड़ला²⁴ ने 7 रु. मासिक के हिसाब से छात्रवृत्ति देकर दो विधवाओं को पढ़ाया था।²⁵ इसी तरह अन्य लोगों ने भी उनके इस पुनीत कार्य में उनकी मदद की होगी क्योंकि ऐसे कार्यों में प्रेरणा स्रोत एक व्यक्ति होता है लेकिन सफलता के लिए बहुत से लोगों का योगदान अपरिहार्य है।

स्वामीजी महिला उत्थान के प्रबल हिमायती थे। वे इस तथ्य से परिचित थे कि तत्कालीन समाज में महिलाओं को कौन कौनसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वामीजी एक महिला मण्डल की भी स्थापना करना चाहते थे। यह जानकारी हमें बालचन्द्र मोदी के कलकत्ता से 11 मई 1913 के लिखे पत्र से होती है।²⁶ महिला मंडल की स्थापना के पीछे स्वामीजी का मन्तव्य यह था कि प्रौढ़ा स्त्रियों को प्रेरणा देकर सामाजिक कार्यों की ओर प्रवृत्त किया जाए जिससे समाज में कुछ उपयोगी कार्य भी हों और चेतना भी आए।²⁷ स्वामी गोपालदास के प्रयत्नों से चूरू में समाज सुधार एवं समाज विकास के उल्लेखनीय कार्य हुए एवं साथ ही साथ ही सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हुए उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना भी लोगों में जागृत की।

सन्दर्भ

1. एसेज ऑन राजपूताना, रूडोल्फ व रूडोल्फ, कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1984, पृ. 8
2. चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास, गोविन्द अग्रवाल, लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री चूरू, 1974, पृ. 1-7
3. स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 36
4. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 37
5. बीकानेर में जन आन्दोलन, चेतना मुदगल, पृ. 24-26, रचना प्रकाशन, जयपुर
6. जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 39
7. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 39
8. श्री सर्वहित कारिणी सभा स्वर्ण जयंती स्मृति सरोज, 1976, संपादक-गोकुलचन्द्र शर्मा, बनवारी लाल शास्त्री, आनन्द वल्लभ शास्त्री, प्रकाशक-सर्वहित कारिणी सभा, राजगढ़ चूरू, पृ. 129-132

9. मरु श्री, जुलाई-दिसम्बर, 1972, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 14-15
10. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 38
11. वही, पृ. 111-112
12. कार्यवाही रजिस्टर, श्री सर्वहित कारिणी सभा, चूरू
13. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 54
14. वही, पृ. 55
15. नगर श्री चूरू, पत्र संख्या 86
16. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 38-39
17. मरु श्री, जुलाई-दिसम्बर, 1972, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 16
18. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 38-39
19. 1.11.12 को फतहपुर से लिखा श्रीराम का पत्र, नगर श्री, पत्र संख्या 53
20. नगर श्री, चूरू, पत्र संख्या 4
21. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 112
22. 10.7.1922 कैनिंग हाउस, 137, कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता से लिखा श्री जुगलकिशोर जी बिड़ला का पत्र, नगर श्री, चूरू, पत्र संख्या 4
23. नगर श्री, चूरू पत्र संख्या 114
24. पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 123-124
25. रांची से लिखा 17.1.1926 का गंगाप्रसाद बुधिया का पत्र एवं झरिया से लिखा 20.1.1926 का मदनलाल गोयनका का पत्र, नगर श्री, चूरू, पत्र संख्या 275 एवं पत्रों के प्रकाश में जनसेवक स्वामी गोपालदासजी का व्यक्तित्व व कृतित्व, संपादक गोविन्द अग्रवाल, पृ. 125
26. नगर श्री, चूरू, पत्र संख्या 103
27. पगोविन्द अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ. 58

दक्षिणी राजस्थान में रचनात्मक कार्यक्रम (डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सन्दर्भ में)

डॉ. हेमन्द्र चौधरी

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर-बांसवाड़ा में अठारहवीं शती के चौथे दशक में इस क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों, आडम्बर, जाति-पांति एवं हिंसा को समाप्त करने हेतु संत मावजी ने अध्यात्म का मार्ग अपनाकर समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में संत सूरमाल दास ने भी धार्मिक चेतना के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने का कार्य किया। 20वीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में डूंगरपुर-बांसवाड़ा में सामाजिक चेतना का मुख्य कार्य सम्पसभा एवं उनके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सार्थक हुए।¹ डूंगरपुर-बांसवाड़ा में ठक्कर बापा के अथक प्रयासों से रचनात्मक कार्यों द्वारा राष्ट्रीय चेतना पैदा करने वाले जन नेताओं का एक बड़ा वर्ग गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप रचनात्मक कार्यों में जुट गया। गुजरात के निकट होने के कारण यह क्षेत्र वहां की आने वाली ऊर्जा से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। यहां के अधिकांश जन-नेता अहमदाबाद में साबरमती आश्रम व वर्धा में सेवाग्राम आश्रम से जुड़े रहे। कार्यकर्ता गांधीजी द्वारा शिक्षित होने के बाद नये विचारों नये सिद्धांतों के साथ रचनात्मक कार्यों का प्रण लेकर इस क्षेत्र में आते एवं मिशन की तरह आदिवासियों के कल्याण के लिए लग जाते। डूंगरपुर-बांसवाड़ा मेवाड़ रियासत से जुड़ा होने के कारण यहां पर होने वाली राजनयिक गतिविधियों से जनता परिचित हो जाती थी तथा समय-समय मेवाड़ के जन नेताओं का सहयोग-समर्थन पाकर डूंगरपुर-बांसवाड़ा रियासती नेताओं को रचनात्मक कार्यों द्वारा राष्ट्रीय जागृति पैदा करने के लिए जोश मिलता रहता था।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा में सामाजिक चेतना जागृति का कार्य सम्पसभा के साथ शुरू हुआ और फिर गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित नेताओं ने अनेक संस्थाओं के द्वारा अस्पृश्यता निवारण, आदिवासियों व दलितों के शिक्षा प्रसार, खादी प्रसार, मद्य निषेध, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि को समाप्त करने में लग गये। जिसमें प्रमुख संस्थाएं वागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति, वागड़ नवयुवक मंडल, शान्तसेवा कुटी, डूंगरपुर-बांसवाड़ा में अनेक स्थानों पर गांधी आश्रम व खादी आश्रम, डूंगरपुर सेवासंघ, भील आश्रम, वनवासी संघ, भील सेवा समिति, ग्रामोद्योग समिति, सद्बिचार एवं संस्कार हेतु मंच आदि। इन संस्थाओं ने रचनात्मक कार्यों द्वारा प्रजा में सामाजिक,

आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार कर राष्ट्रीय जागृति पैदा की। 1944 में डूंगरपुर में राजनीतिक मंच डूंगरपुर प्रजामण्डल तथा 1945 में बांसवाड़ा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुयी।

प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम

हरिजनोद्धार-महात्मा गांधी ठक्कर बापा के निर्देशानुसार डूंगरपुर-बांसवाड़ा में हरिजनोद्धार का कार्य शुरू हुआ, इसमें हरिजनों में शिक्षा प्रचार-प्रसार करना, उनको संस्कारित करना, उन्हें खादी पहनाना, चरखा, सूत कातना, सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकालना, मंदिर में प्रवेश करवाना तथा उन्हें सवर्णों की तरह सामान्य वर्ग में प्रविष्ट करवाने का कार्य यहां के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने रचनात्मक कार्यों द्वारा किया।

डूंगरपुर में 1928 में धुलजी भाई भावसार ने हरिजन सेवा से सार्वजनिक जीवन शुरू किया, जिस समय हरिजनों से बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता था तब धुलजी भाई ने हरिजन छात्रों को अपने घर पढ़ाना शुरू किया।² सन् 1931 में धुलजी भाई, जगन्नाथ कसारा और अनेक कार्यकर्ताओं ने 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर हरिजनों की सेवा की, हरिजनों के लिए पुस्तकालय व औषधालय भी खोले।³ इन कार्यों से धुलजी भाई भावसार व जगन्नाथ कसारा को समाज से बहिष्कृत कर दिया तथा जगन्नाथ कसारा को मारा-पीटा गया और कई तरह की यातनाएं भी दी। परतापुर में किशनसिंह सोलंकी ने हरिजनों व आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी।⁴ कुशलगढ़ में दाडमचन्द दौसी जेल से छूटने के बाद गांधीजी के सानिध्य में रहे और 1943 से कुशलगढ़ में हरिजनों के लिए पाठशाला, वस्त्र, भोजन आदि सुविधाओं में जुट गये।⁵ इन कार्यों में इनके साथी वधु मिानजी गदीया, पन्नालाल गौरीशंकर त्रिवेदी रहे। बांसवाड़ा के कोदरमल जैन गांधीजी की डांडी यात्रा से प्रभावित हो धुलजी भाई की 'हरिजन सेवा संघ' से जुड़े तथा हरिजनों को खादी प्रचार-प्रसार, कताई-बुनाई, चरखा, सूत कातने आदि कार्यों का प्रशिक्षण दिया।⁶ धुलजी भाई ने अपनी पुत्री का विवाह हरिजन से करवाकर यथार्थ में जाति-भेद को मिटाने का प्रमाण सम्पूर्ण मानव समाज को दिया।⁷ बांसवाड़ा में जगन्नाथ कसारा ने हरिजन छात्र-छात्राओं के शिक्षा एवं छात्रावास हेतु बांसवाड़ा जिला सेवा संघ का निर्माण किया, भरकोव परा, चीखली, ओबला, सुन्दरराव आदि स्थानों पर पाठशालाएं खोली।⁸ बांसवाड़ा के चिमनलाल मालोत एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन हरिजन सेवा में लगाया। इन्होंने हरिजन महिला से विवाह किया जिसकी एक पुत्री थी तथा अपना निवास स्थान हरिजन बस्ती में बनाया।⁹ 1966 में मालोतजी ने हरिजन कार्य से इतना लगाव था कि बुजुर्ग अवस्था में उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष से

स्वीपर के पद की मांग की और नियुक्ति स्वीपर पद पर हुयी, ये रोज हरिजनों को गांधी मूर्ति पर लाते, प्रार्थना सभा करवाते, उन्हें संस्कारित होने का पाठ पढ़ाते। स्वीपर पद पर रहकर उन्होंने 'भंगी जीवन' अपनाया, ये वो सारा कार्य करते थे, जो हरिजन साफ-सफाई के लिए किया करते थे। खुद सवर्ण होकर भंगी बन कर लोगों के सामने मानवता का आदर्श रखा।¹⁰ इन्होंने सर्वोदय नामक पत्र प्रकाशित किया। इसके द्वारा हरिजन बंधु नाथाभाई एवं कालूलाल नामक व्यक्तियों को शिक्षित व दीक्षित किया गया। मालोत ने रूप चतुर्भुज राय मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया, इन्होंने कई पाठशालाएं भी खोली। इन्होंने अपने वसीयतनामे में अपनी जमा पूंजी सार्वजनिक कार्यों में लगाने तथा अपनी अर्थी हरिजनों द्वारा उठवाने के लिए लिखा।¹¹

परतापुर में गोपाल हरिवर्मा एवं माणिक्यलाल विद्यार्थी ने हरिजन सेवा का कार्य किया, गोपाल हरि वर्मा ने तो ठिकाने की सेवा से त्याग पत्र देकर, हरिजनों के उद्धार के लिए 'गांधी आश्रम' की स्थापना की।¹² माणिक्यलाल विद्यार्थी को हरिजन सेवा कार्य के कारण घर परिवार छोड़ना पड़ा, इस कार्य में उनकी 9 बार पिटाई तथा पत्नी व बहनों की 2 बार पिटाई हुई। भोगीलाल पण्ड्या ने डूंगरपुर के राजगुरु मठ के महन्त सरयुदास के सहयोग से राजाजी की छतरी में स्थित जगदीश मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया।¹³ 1934 में सागवाड़ा में गौरीशंकर उपाध्याय ने 'हरिजन आश्रम' की स्थापना कर जन-जागृति का कार्य शुरू किया, इन्होंने महात्मा गांधी के पन्द्रह सूत्रीय रचनात्मक कार्यों के आधार पर इस क्षेत्र में लोक शिक्षा व राजनीतिक चेतना फैलाने का कार्य शुरू किया।¹⁴

खादी प्रचार-दक्षिणी राजस्थान में दयानन्द सरस्वती के प्रभाव से स्वदेशी वस्त्रों के पहनने पर विशेष जोर पकड़ा, जिसमें खादी पहनने की प्रेरणा मिली। डूंगरपुर-बांसवाड़ा में खादी प्रचार का कार्य स्थानीय नेताओं ने गांधीजी की प्रेरणा से शुरू किया। धुलजी भाई भावसार 1932 में साबरमती गये, यहां गांधीजी के पारम्परिक व्यवसाय (कपड़े रंगने) से प्रभावित हुए। यहीं इन्होंने खादी कपड़े पहनने तथा इन कपड़ों को देश में बने रंग से रंगने का व्रत लिया। धुलजी भाई अहमदाबाद से 20 पेटी चर्खे एवं पिसाई मशीन परतापुर लेकर आए, यहां के लोगों को कताई का प्रशिक्षण दिया। धुलजी भाई स्वयं गुजरात विद्यापीठ में एक घंटा ग्रामवासियों के उद्धार के लिए खर्च करते थे। इन कार्यों से धुलजी भाई ने जनता में स्वदेशी व स्वरोजगार का सन्देश दिया। 1954 ई. में गांधी जयंती पर धुलजी भाई ने खादी ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा की स्थापना की।¹⁵

कुशलगढ़ में दाडमचन्द दौसी ने 'गांधी आश्रम' की स्थापना की। इस आश्रम में एक खादी घर खोला, इस खादी घर में आस-पास गांवों में चरखा, सूत कताई,

बुनाई, रंगाई, छपाई का प्रशिक्षण दिया जाता था।¹⁶ डूंगरपुर में गौरीशंकर उपाध्याय ने 1929 में खादी पहनना शुरू किया, खादी प्रसार के लिए एक सेवाश्रम नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य खादी के माध्यम से क्षेत्र में विचार क्रांति का प्रसार करना था।¹⁷ बांसवाड़ा में राजनीतिक जागृति के प्रेरक श्री चिमनलाल मालोत ने 1930-32 में खादी बिक्री का कार्य प्रारम्भ किया, रियासती शासकों ने खादी-बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन मालोत ने यह कार्य निरन्तर रखा। 1944-45 में मालोत नगर की नयी आबादी में विशाल पैमाने पर खादी उत्पादन केन्द्र स्थापित किये, जहां कताई-बुनाई, पुणी बनाने व प्रशिक्षण का कार्य होता था।¹⁸ बांसवाड़ा के गोविन्द लाल याज्ञनिक ने 1938 ई. से खादी पहनना शुरू किया, जब इनके पिता का देहावसान हुआ, तब पगड़ी रस्म के समय इन्होंने गांधी टोपी पहनी। जीवन पर्यन्त गांधी टोपी एवं खादी को नहीं छोड़ा।²⁵

मद्यनिषेध- भारतीय समाज अशिक्षा के कारण अनेक बुराइयों से ग्रस्त था, जिसमें मद्यपान एक प्रमुख बुराई थी। मद्यनिषेध के बारे में 15 दिसम्बर 1941 को महात्मा गांधी ने बारडोली में कहा था, “अगर हम अहिंसात्मक प्रचार द्वारा अपना ध्येय प्राप्त करना चाहते हैं तो लाखों लोग जो शराब, अफीम आदि नशीली चीजों के व्यसन के शिकार हो रहे हैं, उनके भाग्य का निर्णय हम भारत सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं।²⁰ मद्यनिषेध के कार्यक्रम को गोविन्द गिरी ने भगत आंदोलन में प्रमुख स्थान दिया, जिससे आदिवासियों में कुछ सीमा तक मद्यनिषेध भी हुआ। सम्पसभा, वागड़ सेवा मंदिर, वागड़ नवयुवक मण्डल, शान्त सेवा कुटी, सेवा संघ, प्रजामण्डल आदि सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं ने आदिवासियों में मद्यनिषेध के कार्यक्रम को प्रमुखता दी।

धुलजी भाई भावसार ने आदिवासियों में जीवन भर शराब बन्दी का प्रचार किया तथा सम्पूर्ण जीवन काल में आदिवासियों को शराब न पीने की प्रतिज्ञा दिलाते रहे। यह कार्य उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक किया। 14 नवम्बर 1988 को आयोजित आदिवासियों के विशाल समूह को शराब न पीने की प्रतिज्ञा दिलाते, जन समूह से शराब बन्दी के खिलाफ अपने दोनों हाथ खड़े करवाकर नारे बुलवाते हुए इस भौतिक जगत से महाप्रयाण कर गये।²¹ कुशलगढ़ में श्री पन्नालाल गौरीशंकर त्रिवेदी ने 1927 से आदिवासियों में मद्यनिषेध का कार्यक्रम चलाया।²² परतापुर में गोपाल हरि वर्मा ने शराब तथा मृत्युभोज बन्द करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग दिया। गोपालजी ‘बांसवाड़ा नशा बन्दी मण्डल’ के अध्यक्ष भी रहे तथा शराब बन्दी आंदोलन में जेल भी गये।²³

शिक्षा-डूंगरपुर-बांसवाड़ा में जनता शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी, यहां की संस्थाओं तथा स्थानीय नेताओं ने रचनात्मक कार्यक्रम में शिक्षा को महत्वपूर्ण

स्थान दिया। बांसवाड़ा में महिलाओं ने प्रौढ़ शिक्षा का कार्य आरम्भ किया। शकुंतला वर्मा, कमलाबाई, विजय बहन, सरयु बहन, चन्दन बहन, तारा बहन आदि ने मिलकर प्रौढ़ शिक्षा शिविर लगाया, जिसमें बच्चों व औरतों को शिक्षा दी गयी। कुशलगढ़ में आदिवासियों को साक्षर करने का कार्य श्री पन्नालाल, गौरीशंकर त्रिवेदी द्वारा स्थापित गांधी आश्रम द्वारा किया गया। पाठशालाओं के साथ-साथ भीलों को संस्कारित करने के लिए संस्कार केन्द्र भी खोले गये।²⁴ 1932 चिमनलाल मालोत ने राष्ट्रीय चेतना जागृति के लिए बांसवाड़ा में बड़े पैमाने पर पुस्तकालय वाचनालय की स्थापना की, 1935 में शान्त सेवा कुटी की स्थापना की।³¹ जिसमें राष्ट्रीय जागृति हेतु पुस्तकें, समाचार पत्र मंगाये जाते थे। भोगीलाल पण्ड्या और कार्यकर्ताओं ने भीलों में शिक्षा के प्रसार के लिए पालों पर पाठशाला खोली, 1941 में नौ दिवसीय तथा 12 रात्रि पाठशाला आरम्भ की, जिसमें 2 हरिजनों के लिए थी। छात्रावास भी खोला, जिसमें 94 भील छात्र रहते थे, इसके अतिरिक्त एक सार्वजनिक छात्रावास भी डूंगरपुर में चलाया जा रहा था, जिसमें 53 विद्यार्थी थे।²⁶

धर्मान्तरण-गांधीजी के विचार से ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य आदिवासियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात था, यह आदिवासी समाज के विघटन की ओर अग्रसर होने का संकेत था तथा अभारतीयकरण का प्रतीक था। गांधीजी ने स्पष्ट संकेत भी दिया था, ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन से उनमें तथा हिन्दू कार्यकर्ताओं में संघर्ष अवश्यंभावी है।²⁷ ईसाई मिशनरियों का धर्म परिवर्तन कार्य डूंगरपुर-बांसवाड़ा में निरन्तर था इसका विरोध यहां के गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने किया। कुशलगढ़ ईसाई मिशनरियों का प्रमुख केन्द्र रहा। स्वामी स्वतंत्रानन्द महाराज ने धर्मान्तरण की चुनौती को स्वीकार कर कुशलगढ़ में 'दयानन्द सेवाश्रम' की स्थापना की तथा भोले-भाले आदिवासियों व वनवासियों को धार्मिक शोषण से बचाया। इसमें उन्हें ईसाई मिशनरियों का विरोध भी झेलना पड़ा तथा छात्रों को प्रताड़ित भी किया गया, परन्तु स्वामीजी ने यह कार्य दृढ़ संकल्प से पूरा किया। बांसवाड़ा में भी एक दयानन्द आश्रम स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य भी ईसाईयत पर रोक तथा आदिवासी युवकों को शिक्षा प्रदान करना था।

रचनात्मक कार्यक्रम के प्रभाव

डूंगरपुर-बांसवाड़ा में गोविन्द गिरी के भगत आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त रचनात्मक कार्यक्रम और ठक्कर बापा के अथक प्रयासों ने राष्ट्रीय चेतना की जोत जगा दी। ये रचनात्मक कार्य आदिवासियों व हरिजनों में तीव्र गति से राजनीतिक जागृति एवं सामाजिक सुधार करने में सफल रहे, जिससे आदिवासियों की समस्या क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय प्रश्न बन गयी। 1948 से भारतीय आदिम जाति सेवा संघ ने

अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासियों के लिए एकरूपता से कल्याणकारी कार्य प्रारम्भ किया।

रचनात्मक कार्यक्रमों से आदिवासियों में राजनैतिक जागृति भी उत्पन्न हुयी तथा उन्हें अहिंसा के मार्ग की ओर प्रेरित किया। जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो डूंगरपुर में सेवासंघ के नेतृत्व में यह आंदोलन चला तथा बांसवाड़ा के नेताओं ने रचनात्मक कार्यों द्वारा इनका विरोध किया। 1944 तथा 1945 में क्रमशः डूंगरपुर, बांसवाड़ा में प्रजामण्डलों की स्थापना हुई, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र, परतापुर, कुशलगढ़ आदि में भी राजनैतिक संगठनों की स्थापना हुई। 1945 में विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना बांसवाड़ा में हुई। 1946 में प्रजामण्डल के नेतृत्व में बांसवाड़ा के अनाज आंदोलन में जब धारा 144 लगा दी तब सभी आदिवासियों व हरिजनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों के प्रयासों से डूंगरपुर-बांसवाड़ा की जनता उत्तराधिकार शासन हेतु संघर्षरत रही और ये संघर्ष भारत आजादी के साथ-साथ रियासती एकीकरण तक चलता रहा।

सन्दर्भ

1. मीणा जगदीशचन्द्र (2003), भील जनजाति का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, पृ. 113-118
2. सामवेदी चक्रकीर्ति (2003) राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा-धुलजी भाई भावसार, राजस्थान स्वर्ण जयंती समारोह, जयपुर, पृ. 4
3. वही
4. त्रिवेदी हिम्मतलाल, बांसवाड़ा सांस्कृतिक, सामाजिक-राजनैतिक चेतना का संक्षिप्त इतिहास, नगावत प्रिण्टर्स, बांसवाड़ा
5. बांसवाड़ा सूचना केन्द्र, फाईल क्रमांक 21
6. त्रिवेदी हिम्मतलाल, पूर्वोक्त
7. वेदालंकार प्रशान्त कुमार (1983), पिताश्री धुलजी भाई और माताश्री विजयादेवी, कर्मयोगी भावसार दम्पति ले. चन्द्रशेखर शर्मा, पृ. 68-69
8. बांसवाड़ा जन-सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ का परिचय
9. श्रीमाल दीपक (2002), इतिहास पुरुष मालोत, वागड़ ना अम्बा, बांसवाड़ा, पृ. 5-15
10. यादे-57वें स्वतंत्रता दिवस पर वागड़ के देशभक्तों और उनकी स्मृतियों का विनम्र स्मरण (2004), दैनिक भास्कर 18 अगस्त 2004, पृ. 8
11. स्वतंत्रता सेनानी चिमनलाल मालोत का संक्षिप्त परिचय एवं वसीयतनामा, बांसवाड़ा जन-सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
12. सेवा को समर्पित रहे स्व. श्री गोपाल हरि वर्मा (1996), माही प्रवाह (समाचार

- पत्र) 27 जुलाई 1996, पृ. 7
13. शर्मा, राम गोपाल, बांसवाड़ा में प्रजामण्डल आंदोलन, पृ. 100
 14. स्व. गौरीशंकर का संक्षिप्त परिचय, बांसवाड़ा जन सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
 15. जगन्नाथ कसारा का संक्षिप्त परिचय बांसवाड़ा जन सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
 16. बांसवाड़ा सूचना केन्द्र, फाईल क्रमांक 21
 17. स्व. गौरीशंकर उपाध्याय का संक्षिप्त परिचय, बांसवाड़ा जन-सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
 18. श्रीमाल दीपक (2002), पूर्वोक्त, पृ. 11
 19. साक्षात्कार स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविन्द लाल याज्ञानिक, जून 1999
 20. वशिष्ठ विजयकुमार (2204), महात्मा गांधी की आदिवासियों के प्रति अनुभूति एवं रचनात्मक कार्यक्रम राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस सत्र 20, जोधपुर
 21. पारगी, लाल शंकर (1983), श्रद्धेय बापुजी, कर्मयोगी भावसार दम्पति, लेखक चन्द्रशेखर शर्मा, पृ. 21-24
 22. श्री पन्नालाल गौरीशंकर त्रिवेदी का संक्षिप्त परिचय, बांसवाड़ा जन-सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
 23. श्री गोपाल हरिवर्मा का जीवन परिचय, बांसवाड़ा जन सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
 24. श्री पन्नालाल गौरीशंकर का परिचय, बांसवाड़ा जन सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त
 25. श्रीमाल दीपक (2008), पूर्वोक्त, पृ. 5-15
 26. शर्मा, उत्सव लाल (1986), पदम भूषण भोगीलाल पण्ड्या स्मृति ग्रंथ, गांधी आश्रम, डूंगरपुर, भारत, पृ. 43
 27. वशिष्ठ विजयकुमार (2004), महात्मा गांधी की आदिवासियों के प्रति अनुभूति एवं रचनात्मक कार्यक्रम राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस सत्र, 20, जोधपुर

**पश्चिमी राजपूताना में प्रचलित बेमेल-विवाह
तथा उन्मूलन हेतु गैर शासकीय प्रयास
(19वीं तथा 20वीं शताब्दी)**

डॉ. सुमेष्ठा

पश्चिमी राजपूताना की बीकानेर, जोधपुर (मारवाड़) व जैसलमेर रियासतें अपनी राजनीतिक भूमिका के कारण राजपूताना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। परन्तु यह भी कटु सत्य है कि प्राकृतिक संसाधनों की अपर्याप्तता, आर्थिक पिछड़ेपन, सामंतीय-औपनिवेशिक शोषण, प्रशासनिक शिथिलता एवं संघर्ष, अनुपयोगी और अकृषियोग्य भूमि की अधिकता से सामान्य जीवन काफी कष्टकर रहा। साथ ही शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण जनमानस में काफी अंधविश्वास और अतार्किक मान्यताएँ घर कर गईं। रूढ़ियों व परम्पराओं के नाम पर समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित हो गईं, जिन्हे लोगों के धार्मिक विश्वास ने और भी गहरा कर दिया। इन्हीं कुरीतियों में बेमेल-विवाह जैसी कुरीति ने समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा रखी थी।

प्रस्तुत शोध पत्र में बेमेल-विवाह से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करके उन्हें सामने लाने का प्रयास है:

- (1) उक्त कुरीति की व्यापकता के चलते समाज के एक विशेष वर्ग महिलाओं व बालिकाओं के प्रताड़न, उनकी स्थिति तथा उनके प्रति पुरुष समाज के दृष्टिकोण का आकलन;
- (2) समाज के रसुखदार महाजन वर्ग का विवाह के प्रति दृष्टिकोण यानि महिलाओं को सिर्फ भोग्य-व्यंजना की वस्तु समझकर मृत्यु शैय्या को प्राप्त होने वालों में भी विवाह करने की लालसा;
- (3) 20वीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों तक जाति पंचायतों के कुछ सदस्यों द्वारा रुपयों के लालच में बेमेल-विवाहों को होने देने से इस कुप्रथा के अनवरत जारी रहने; एवं,
- (4) तत्कालीन समाज सुधारक संस्थाओं एवं समाज सुधारकों के बेमेल विवाह जैसी कुरीति की विकरालता को समाप्त करने के लिए किये गये दृढ़ प्रतिज्ञ प्रयासों को सामने लाना।

बेमेल विवाह की कुप्रथा-विवेचक काल में न केवल पश्चिमी राजपूताना में बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान में महिलाओं विशेषकर कम उम्र की बालिकाओं की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। अतः वृद्ध व्यक्ति अर्थात् 50 या 45 वर्ष का व्यक्ति भी लड़की के माता-पिता अथवा उसके रिश्तेदार को पैसे देकर 8, 10, 12 या 14 वर्ष की लड़की से विवाह कर लेते थे। बेमेल विवाह अथवा बालिका-वृद्ध विवाह अवयस्क कन्याओं (बालिकाओं) पर अत्यधिक अत्याचार करने जैसा था। दूसरी तरफ कभी-कभी 17 या 18 वर्ष की कन्या का विवाह 8 वर्ष अथवा उससे भी कम आयु के लड़के से कर देने से उन दोनो अबोध बालकों के साथ अत्याचार करने जैसा ही होता था।¹ बेमेल विवाह के लिए उत्तरदायी कारणों में एक प्रमुख कारण था-राजपूतों में विवाह का क्षेत्र सीमित हो जाना एवं विवाह को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना। यह कुरीति राजपूत समाज के साथ-साथ महाजन वर्ग में भी प्रचलित थी। महाजन वर्ग में जाति पंचायतों के प्रभावशाली सदस्यों को व्यवसायी धनी लोग रूपया देकर अपने पक्ष में कर लेते थे, जिससे जाति पंचायतें ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेती थी।² राजपूत समाज एवं महाजन वर्ग के धनी वृद्ध लोगों को जब पैसों में लड़कियां मिलने लगी तो गरीबों को कन्याएँ मिलनी कठिन हो गई। उधर कन्या-विक्रेताओं के स्वयं के लड़कों के विवाह की समस्या खड़ी हो गई। अतः उन्होंने रुपयों में लड़कियों को बेचने के साथ-साथ बदले में लड़की लेने की तरकीब निकाल ली। अर्थात् जिस वृद्ध को वो लड़की देते थे (रुपयों में) उनके घर में बदले में देने को लड़की नहीं होती थी तो वे वृद्ध रूपयों की जगह तो रूपये देते ही थे साथ ही बदले में लड़की देने के लिए तयनामा भी लिख देते थे कि जब भी कभी उनके (उस नये विवाहित वृद्ध एवं बालिका के) लड़की जन्म लेगी तब वह उसका विवाह जिस किसी के भी साथ करने को कहेंगे वह उसी के साथ कर देंगे।

इस प्रकार के विवाह से रूपयों के लालच में लड़की के माता-पिता (कई बार माता पिता न होने की स्थिति में उसके निकट सम्बंधी) उस लड़की का जीवन तो कष्टकार बना ही देते थे जिसका विवाह एक वृद्ध अथवा अर्धेड उम्र के व्यक्ति से किया जाता था, दूसरी तरफ तयनामा लिखकर उस अजन्मी लड़की का जीवन भी दांव पर लगा दिया जाता, जिसके होने न होने पर अभी सवाल लगा हुआ था। अर्थात् अपनी स्वयं की भावी कन्या के बदले में पिता अपना विवाह करता था।³

बेमेल विवाहों से निश्चित तौर पर नुकसान महिलाओं व अबोध बालिकाओं को ही उठाने पड़ रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इस प्रकार के विवाहों के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इस प्रकार के सुधारों की गतिविधियों से तत्कालीन समस्या पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। जिसका दृष्टांत जैसलमेर के सामाजिक सुधारक स्वानाम धन्य कवि तेज की रचना 'नैना खसम री

ख्याल' से मिलता है। कवि ने इस 'ख्याल'⁴ के माध्यम से राजस्थानी समाज में आई सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें दूर करने के प्रयास किये। जिसका संक्षेपण इस प्रकार है:

अपने छोटे पुत्र के लिए धनवान लोग पैसे के बल पर बड़ी आयु की लड़की से विवाह कर घर लाते हैं। कवि की इस रचना में छोटा पति व बड़ी बहु के परस्पर संवाद बड़े ही मर्मस्पर्शी हैं। कन्या का प्रलाप, अपने माता-पिता के द्वारा पैसा लेकर उसका जीवन नष्ट करने हेतु आक्रोश। छोटे पति की माताओं को उसके अनुचित अनैतिक देह सम्बन्धों पर शिक्षा। कन्या की कुमती और सुमती दो सहेलियों द्वारा अलग-अलग सलाह, रसोईये आदि अनुचरों की करतूतें। कन्या की शील भंग होने की स्थिति में उपदेशक का आना और उसके चरित्र की रक्षा करना।⁵ 19वीं शताब्दी के जैसलमेर समाज की यह रचना स्वनाम धन्य कवि तेज के साहस और वीरता के साथ-साथ पश्चिमी राजपूताना के समाज व उसमें प्रचलित इस प्रकार के विवाहों (बेमेल-विवाहों) की अत्यन्त स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है। जिससे बेमेल विवाह जैसी एक विसंगती से समाज में होने वाले अनेकों अनाचारों पर से पर्दा उठता है। साथ ही कवि तेज पर उक्त पुस्तक के लिए जैसलमेर में मुकदमा चलाया जाना और पुस्तक के बम्बई से छपकर जैसलमेर आते ही जब्त करवा देना, तत्कालीन प्रशासन एवं उसमें बड़े लोगों की इस प्रकार की सामाजिक विसंगतियों को समाप्त न होने देने की ओर इंगित करने के साथ-साथ उन्हें समाप्त करने के पक्षधर लोगों के प्रति प्रभावशाली लोगों की मंशा का ज्वलत प्रमाण भी देता है। प्रशासन एवं जातीय पंचायतों के रसुखदार (रुपयों के लालची) व्यक्तियों की बदौलत उन्नीसवीं शताब्दी में यह कुरीति पूरे पश्चिमी राजपूताना में प्रचलित रही।

कुप्रथा उन्मूलन हेतु समाज सुधारक संस्थाओ, समाज सुधारकों एवं पत्र-पत्रिकाओं के प्रयास:

पश्चिमी राजपूताना में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से 20वीं सदी के चौथे दशक तक व्यवहारिक तौर पर समाज सुधार के व्यक्तिगत तथा सांगठनिक तौर पर अत्यधिक प्रयास हुए, जिनमें स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा आर्य समाज, स्वामी विवेकानन्द, प्रसिद्ध स्थानीय समाज सुधारकों यथा केशवानन्द,⁶ हरबिलास शारदा,⁷ तेज,⁸ भास्कर नंद, प्रकाश नंद, बालकृष्ण पुरोहित विभिन्न जाति सभाओं, जाति पंचायतों इत्यादि की अहम भूमिका रही। उक्त समय में पश्चिमी राजपूताना में आर्य समाज प्रभावी सुधार आन्दोलन के रूप में उभरा। 13 फरवरी 1881 ई. राजस्थान के अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की गई।⁹ 1881 ई. से 1883 ई. के मध्य स्वामी जी ने पश्चिमी राजपूताना के जोधपुर (मारवाड़) का भ्रमण किया तथा वहाँ आर्य समाज की शाखाएं खोली। धीरे-धीरे बीकानेर, चुरू इत्यादि अन्य स्थानों में भी इसकी शाखाएं खोली गई।

सर प्रतापसिंह ने आर्य समाज की स्थापना को देश के उत्थान के लिए शक्तिशाली एवं प्रभावी साधन बताया।¹⁰ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए स्वामी दयानन्द ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों के अनुसार ही विधवा पुनर्विवाह को व्याख्यित किया।¹¹ स्वामी जी ने समाज में स्त्री की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के साथ-साथ वृद्ध विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, बहु विवाह और वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक कुरीतियों के समाधान के लिए चेतना जागृत की। स्वामी दयानन्द ने लड़की की न्यूनतम विवाह आयु 16 वर्ष व लड़के की आयु 25 वर्ष निर्धारित की।¹² उच्च वर्ग में निषेधित विधवा-विवाह के प्रति जागरूकता उत्पन्न की¹³ स्वामी जी ने बहुविवाह प्रथा का विरोध करते हुए कहा एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरूष द्वारा दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं है।¹⁴

जोधपुर में स्वामी जी के अनुसरणकर्ता भास्कर नंद (1888), प्रकाश नंद (1889), गिरीनंद (1891), ठाकुर प्रसाद (1892) और सुल्तानसिंह (1898) ने भी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु स्वामी दयानन्द सरस्वती व आर्य समाज द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों व मुहिम में बढ़चढ़ कर भाग लिया।¹⁵ भास्कर नंद व प्रकाश नंद ने समय-समय पर जोधपुर राज्य का भ्रमण किया और इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की और प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को समय-समय पर भाषणों के जरिए जागरूक किया।¹⁶ जोधपुर के रावराजा जवानसिंह, तेजसिंह, कुचामन ठाकुर केसरीसिंह एवं कुंवर शेरसिंह, ठाकुर रोपट, ठाकुर गिरधारी सिंह आदि वे प्रमुख शासक व सामन्त थे जो स्वामी दयानन्द के उपदेशों से प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त सामन्ती समाज में प्रतिष्ठित चारण वर्ग भी आर्य समाज के प्रभाव में आया।¹⁷ विभिन्न राज्यों के प्रमुख चारण जैसे चारण मुरारदान (जोधपुर) महाजन वर्ग में, चुरू के सेठ निर्भयराम (बीकानेर राज्य), जोधपुर बेंकर आदि भी दयानन्द के उपदेशों से प्रभावित हुए और उनके अनुयायी बन गए तथा इन्होंने समय-समय पर दयानन्द के व्याख्यानो का प्रबन्ध कराया एवं निमन्त्रण दिया।¹⁸ 1880-1891 ई. तक लगभग सभी रियासतों में आर्य समाज की स्थापना हो गई थी तथा इसकी शाखाएँ जोधपुर, सरदारशहर, सुजानगढ़, श्रीकरणपुर, नीमाड़ में भी स्थापित की गई।¹⁹

स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए आर्य समाज ने शारदा महिला आर्य प्रतिनिधि सभा एवं उसकी उपशाखाएँ भी स्थापित की। श्रीमती गुलाब देवी, गंगा देवी, कलयंत्री, सिद्ध कुंवरवाई, कृष्णा देवी, सुखदा देवी, सत्यवती देवी, सरस्वती देवी, जानकी देवी बजाज, जवाहर देवी, उमराव देवी, गोदावरी देवी, आनन्दी देवी, शान्ति देवी, रामप्यारी इत्यादि ने सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि स्थानों पर प्रचार का कार्य

किया तथा स्त्री अशिक्षा, पर्दा-प्रथा, बेमेल-विवाह, बाल-विवाह आदि सामाजिक दोषों को दूर करने एवं स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए जागरूकता उत्पन्न की।

1930 ई. में हरविलास शारदा ने बाल व बेमेल विवाह रोकने के लिए मुहिम चलाई तथा नियम व विधान बनवाये जिनको 'शारदा एक्ट, 1930' के नाम से जाना गया। इस कानून के अनुसार 12 वर्ष से पहले लड़की व 15 वर्ष से पहले लड़के के विवाह को निषेधित किया गया।²⁰

जोधपुर के देवीचन्द्र जोशी न केवल बाल-विवाह जैसी कुरीति के विरुद्ध लोगों को शिक्षित कर रहे थे बल्कि उन्होंने जोधपुर के महाराजा को शारदा एक्ट को ग्रहण करने व अपने राज्य में लागू करने के लिए भी अनुरोध किया।²¹ इसी प्रकार के अनुरोध पत्र जोधपुर महाराजा को जोधपुर के विभिन्न वर्गों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ चुरू, सरदारशहर, बीकानेर, झालावाड़, और डूंगरपुर के आर्य समाज के कार्यकर्ताओं तथा अन्य वर्गों के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी सम्मिलित रूप से भेजे गये।²² श्री तेजराजजी की अध्यक्षता में 23 मई 1936 ई. में आर्य समाज सरदारपुरा की स्थापना हुई। श्री तेजराजजी, श्री रामशरणलालजी आदि कार्यकर्ता साप्ताहिक अधिवेशन करते तथा भजनों व व्याख्यानों द्वारा जनता में जागृति पैदा करते थे। समाज के पुरोहित जी तथा तेजराजजी ने पीपाड़, फलौदी, खिचन, लोहावट और मलार आदि स्थानों पर भी प्रचार किया। मेलों में भी समाज के उत्साही कार्यकर्ता तथा आर्य कुमार सभा के नवयुवकों ने मुफ्त पत्राचार वितरण करने के साथ मौखिक प्रचार भी किया। आर्य वीर दल की स्थापना की गई तथा चौधरी तेजसिंह ने भजनों व श्री विश्वानन्दजी, श्री रघुवीरानन्दजी के व्याख्यानों द्वारा कृप्रथाओं के विरुद्ध प्रचार किया। वृद्ध व बाल विवाह निषेध नियमों व अस्पृश्यता निवारण के प्रस्ताव स्वीकार किये। उपरोक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं की पत्नियों ने भी इन कार्यों में सहृदय सहयोग दिया।²³ सांभर आर्य समाज द्वारा लड़के व लड़की के लिए न्यूनतम विवाह आयु के बाद पुरुष के विवाह पर रोक, बाल विवाह, बेमेल विवाह व वृद्ध विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने तथा कानून बनाने की भी माँग की गई थी।²⁴

1940 ई. में आर्यसमाज नागौर द्वारा, 1941 ई. में आर्य प्रतिनिधि सभा के राजस्थान, मालवा व अजमेर के भजनीकों द्वारा राजस्थान में फैली कुरीतियों के विरुद्ध जागृति फैलाने के लिए सुधार भजनावलियाँ निकाली गईं। इनमें बाल विवाह, बेमेल विवाह, इत्यादि पर सुधार गीत छापे व मेलों में आकर लोगों को इन कुरीतियों के खिलाफ जागृत किया।

विधवा-विलाप इस प्रकार है-

पनघट पर बैठा रहे गुण्डा, मुख सूँ बोले भूँडा भूँडा ।।

पति हीना मोय जाए मसकरी कर रहा भारी जी ।।²⁵

बना बाल ब्याव रूकवा वो, बुढ़ाने मत परणार्ई जो जी ।।
बनी बिन जोड़ी मती ब्यावो, यू सास ने समझार्ई जो जी ।¹⁶

अर्थात् बाल विवाह रोको, अपनी बेटी का विवाह वृद्ध के साथ मत करो तथा अपने बच्चों की शादी उम्र के हिसाब से जोड़ा मिलाकर करो।

अविधा नींद पापिन दूर हटार्ई चलो.....
दीनों को गले लगाओ, अछूतो को पास बिठाओ.....
रोको अनमेल शादी, की है कितनी बरबादी
विधवा बहिनों के सारे, दुखड़े मिटार्ई चलो ।¹⁷

अर्थात् शिक्षित हो तथा अस्पृश्यों को गले लगाओ तथा अनमेल विवाह रोको क्योंकि यह बरबादी का कारण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्य समाजियों ने भजनों, कविताओं व पेम्फलेट्स के माध्यम से कुरीतियों को मिटाने के प्रयास किये व जागृति फैलायी।

विवेच्य काल में सम्पूर्ण उत्तर भारत में समाज सुधारकों व उनके द्वारा चलाये जाने वाली मुहिम यथा समाज सुधारकों द्वारा शिक्षाप्रद व सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ प्रकाशित रचनावलीयों का युवाओं पर अत्यधिक प्रभाव हुआ। फलतः अखिल भारतीय स्तर पर जातीय महासभाओं की स्थापना होने लगी। अखिल भारतीय व क्षेत्रीय प्रवृत्ति की महासभाओं व सभाओं का गठन मोटे तौर पर 1877 ई. से 1949 ई. के मध्य हुआ। अतः विभिन्न राज्यों में स्थापित जाति सभाओं की शाखाएँ पश्चिमी राजपूताना में भी स्थापित की जाने लगी। उदाहरणतः 1887 ई. में लखनऊ में स्थापित “अखिल भारतीय कायस्थ महासभा” की शाखाएँ प्रान्तीय स्तर पर जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर राज्यों में भी खोली गई। 1891 ई. तक उक्त सभा की 6 शाखाएँ राजपूताना में कायस्थ समाज की सामाजिक व भौतिक उन्नति के लिए कार्य करने लगी।²⁸ उक्त सभा ने कायस्थ समाज के लोगों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देने के साथ उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैण्ड भेजने हेतु आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया।²⁹ उक्त सभा के सम्मेलनों में समाज सुधार के अन्य प्रयासों के साथ-साथ बेमेल विवाह निषेध व विवाह की न्यूनतम आयु पर विचार-विमर्श किया गया, तथा इन्हे समूल नष्ट करने के प्रावधानों पर जनजागृति पैदा की जाती थी।³⁰ 1933 ई. में ‘अखिल भारतीय कायस्थ युवक संघ’ ने अजमेर में वार्षिक अधिवेशन में जोधपुर महाराजा से अपील की कि राज्य में बेमेल विवाह एवं बाल विवाह रोकें व विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाये व इस प्रकार विवाह रजिस्टर किये जायें।³¹ 1890-91 ई. में जोधपुर व बीकानेर में पुष्करणा एवं ब्राह्मण सभा, सिद्ध समाज, श्रीमाली समाज व अजमेर-मेरवाड़ा में मेर समाज की स्थापना की गई।³² 1941 ई. में श्री नवयुवक पुस्तक माला का 15वाँ भाग ‘सुन्दर संगीत संग्रह’ के

नाम से प्रकाशित किया गया और इसके माध्यम से कुँवर सरदारमल थानवी, मानमलजी व्यास, पुखराज जी पुरोहित, भँवर रामदत्तजी थानवी, पंडित रूपरामजी कल्ला, श्री भगवती प्रसाद जी व्यास 'अभय' (नागौरवासी) ने तत्कालीन समाज को कुरीतियों से बाहर निकालने का संदेश देते हुए, बाल विवाह, बेमेल विवाह, बेटी का विक्रय, इत्यादि को रोकने के साथ-साथ इसमें पहली बार गर्भपात का विवरण देते हुए इसकी भयानकता से अवगत कराया।³³

वैश्य महासभा राजपूताना जो अखिल भारतीय वैश्य महासभा के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रही थी ने भी सम्पूर्ण राजपूताना में वैश्य समाज के सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक व वाणिज्यिक हितों के उत्थान के लिए सक्रिय पहल की। समाज के उत्थान के लिए समय-समय पर इस सभा की प्रान्तीय शाखाओं के सम्मेलन भी होते रहते थे। 1894 ई. में वैश्य कान्फ्रेंस सहारनपुर के अधिवेशन में किशनगढ़ राज्य के मंत्री सुन्दरलाल और जैसलमेर राज्य के दीवान नथमल मेहता ने भाग लिया, जिसमें लड़की की विवाह आयु 11 वर्ष और लड़के की आयु 15 वर्ष व किसी भी पुरुष द्वारा 40 वर्ष से अधिक की आयु में विवाह न करने का प्रस्ताव पारित किया गया।³⁴ सन् 1925 ई. में 'सथानक वासी जैन कान्फ्रेंस' का बड़ा अधिवेशन 12 साल बाद मलकापुर (बरार) में 27, 28 व 29 जून 1925 ई. को मेघजी भाई थोयर के सभापतित्व में हुआ, जिसमें पश्चिमी राजपूताना से भी प्रतिनिधि शामिल हुए।³⁵ इस सम्मेलन में जमकर उन सामाजिक कुरीतियों की निन्दा की गई जो जैन समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक को सकती थी।

इसी प्रकार हँस गायन माला के रचयिता हँसराजजी कर्णावट ने भी बहुपत्नियों की हानियाँ, नशा मुक्ति, वेश्यावृत्ति से लोगो को परिचित करवाते हुए उनसे दूर रहने की प्रेरणा दी।³⁶ धीरजमलजी ने 'सुधार संगीत में बेमेल विवाह व बाल विवाह की हानियों से लोगो को अवगत करवाया व इनसे मुक्ति पाने की सलाह दी।³⁷ 'मनोहर पुष्पावली' पुस्तिका के माध्यम से हँसराज जी करणावट (जोधपुर), हँसराज जैन आदि ने बेमेल विवाह का विरोध निम्न प्रकार से दिया:-

मेरे कसाई बाप ने बुढ़े को ब्याही है,

ये माँस मेरा बेच के कीनी कमाई है।³⁸

अर्थात् मेरे पिता ने मुझे बुढ़े के साथ शादी करवाकर पैसों के बदले बेच दिया है और मुझे कष्ट पहुँचाया है।

'मीणा राजपूत महासभा राजपूताना' की स्थापना 1931 ई. में जयपुर में की गई। जिसकी शाखाएँ बीकानेर व जोधपुर में भी स्थापित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मीणा समुदाय में विवाह की आयु लड़कियों के लिए 13 वर्ष करने व बेमेल विवाहों को रोकने पर जोर देना था।³⁹ जोधपुर में लगभग 36 जाति मंडल/संगठन सामाजिक सुधारों के लिए सक्रिय थे जिनमें मुख्यतः मारवाड़ जैन युवक संघ, ओसवाल नवयुवक

मंडल, श्री वर्द्धमान जैन युवक मंडल, खींवड़ी, जैन सेवा समिति मंडल, पोरवाल सेवा समिति नवयुवक मंडल गुडाबालोतार, सुथार मारवाड़ लोक परिषद् जैतारण, श्री ब्राह्मण स्वर्णकार नवयुवक मंडल, फलौदी, माहेश्वरी सभा, पुरातन धर्म आर्य समाज, मारवाड़ आदि प्रमुख थे।⁴⁰ इन नवयुवक संगठनों के अथक प्रयासों से समाज में बहुत सी कुप्रथाओं पर लगाम लग सकी और उन्होने बाल-वृद्ध विवाह निषेध जैसे कानून पारित करवाये।⁴¹

राजपूताना मध्यभारत सभा के वार्षिक अधिवेशन सामान्यत राजस्थान में पुष्कर मेले के अवसर पर होते थे जहाँ समस्त राजपूताना रियासतों से लोग भाग लेने आते थे। इस सभा के अधिवेशनों में प्रजा के सुधार कार्यों में देशी राज्यों की आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च करने, अनिवार्य शिक्षा पर बल देने आदि के प्रस्ताव पारित हुए। इस सभा का 18वाँ अधिवेशन 28 नवम्बर 1936 ई. को हुआ जिसका सभापतित्व कन्हैयालालजी कलयन्त्री ने किया तथा सभा में कई प्रस्ताव पास किये गये जिनमें यह भी तय हुआ कि सभा समस्त रियासतों के शासकों से जोरदार अनुरोध करती है कि जिनके यहाँ बाल-वृद्ध विवाह, कन्या-विक्रय और मृतक-भोज को नियन्त्रित करने के कानून नहीं है वे शीघ्र ही कानून बनायें, तथा ग्वालियर, इन्दौर की कौंसिलों एवं शासकों को इस प्रकार के कानून बनाने के लिए धन्यवाद दिया।⁴²

1925 ई. में पुष्कर में अखिल भारतीय जाट क्षत्रिय सभा के अधिवेशन में पश्चिमी राजस्थान के जाटों ने भी भाग लिया तथा सभा में आये विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनसे प्रेरित होकर उन्होने अपने क्षेत्र के जाटों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य समझा।⁴³ 'जाट वीर' (साप्ताहिक समाचार पत्र) में जाट समाज में प्रचलित बेमेल विवाहों के खिलाफ तथा समानता (आयु में) के आधार पर विवाह करने पर जोर दिया।⁴⁴

शिक्षा प्रसार व 'अखिल भारतीय जाट सभा' से प्रेरित होकर चौधरी मुलचन्द व अन्य जाट नेताओं ने मिलकर 22 अगस्त 1938 ई. को तेजा दशमी के दिन परबतसर के पशु मेले के अवसर पर 'मारवाड़ जाट-कृषक सुधारक सभा' नामक संस्था की स्थापना की।⁴⁵ इस सभा के उद्देश्य जाटों व अन्य कृषक समुदायों में विद्या उन्नति के लिए देहातों में पाठशालाएँ व छात्रावास स्थापित करना व कुरीतियों का निवारण करना भी शामिल था।⁴⁶ सभा ने मारवाड़ में किसानों में प्रचलित सामाजिक-कुरीतियाँ जैसे बेमेल विवाह, बाल-विवाह, मृत्युभोज, दहेज प्रथा, शादियों में अधिक खर्च, लड़ाई-झगड़े व मुकदमेबाजी इत्यादि को हटाने के प्रयास किये।⁴⁷ उदाहरणतः विद्यार्थियों की टोलियों को कविताओं व भजनों के साथ उपदेशकों के रूप में तैयार करके उपरोक्त सामाजिक कुरीतियों से जाट समाज को बचाने व जागृत करने के लिए क्षेत्र के गाँव-गाँव में भेजा। विद्यार्थियों की ये टोलियाँ न केवल गाँवों में बल्कि पशु

मेलों में भी (जहाँ लोग मवेशी खरीदने-बेचने के उद्देश्य से आते थे) जाकर लोगो को जागृत करने का कार्य करती थी।⁴⁸

अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए पश्चिमी राजपूताना के भी प्रतिनिधि जाते थे और इसके अधिवेशनों की सूचना तरुण राजस्थान में दी जाती ताकि राजपूताना के प्रतिनिधि भी अधिवेशनों में पहुँचे। श्रीयुत रामकुमार नेबाटिया ने कानपुर से तार द्वारा सूचित किया कि अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का आगामी छठा वार्षिक अधिवेशन सन् 1924 ई. (चैत्र शुक्ल 1, 2 और 3 वि. सं. 1981) को कानपुर में होना तय हुआ है।⁴⁹ इसमें जोधपुर से सेठ जमनालाल जी बजाज व अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। सभा में जाति सुधार सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव पास हुए। इस सम्मेलन में बाल-वृद्ध विवाह को दूर करने, विधवाओं और अनाथों के अधिकार स्वीकार करना व विद्या का प्रकाश राजस्थान के प्रत्येक झोंपड़े तक पहुँचाने के प्रस्ताव स्वीकार किए गए।⁵⁰

कमलापति सिंघानिया (अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के सभापति) रामकुमार नेबाटिया (प्रधानमंत्री) ने अग्रवाल समाज में जोश भरने के लिए तरुण राजस्थान में लिखा-सारे देश की छोटी बड़ी जातियाँ अपनी-अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न कर रही हैं ऐसी द॥ में क्या मारवाड़ी पीछे रहेंगे?⁵¹ 15 से 17 मार्च 1926 ई. के दौरान दिल्ली में मारवाड़ी अग्रवाल सभा का आठवाँ वार्षिक अधिवेशन होना तय हुआ। इसमें जमनालाल जी बजाज ने अपने समाज में प्रचलित कुरीतियों पर अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता मिलने पर ही आना स्वीकार किया। विद्वानों से महासभा ने कुरीति निवारण एवं जातीय उन्नति सम्बन्धी उपयोगी प्रस्ताव भी मंगवाये।⁵² उक्त सभा ने समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों से निपटने के लिए अनेकों प्रस्ताव पास किये तथा समाज के लोगों से इनका पालन करने का आग्रह किया। सभा में सेठ जमनालाल बजाज ने अपने भाषण में बेमेल विवाह व बाल विवाह होने, मारवाड़ी अग्रवालों में उपजातियों में विवाह, न होने का घोर विरोध किया।⁵³ 17 फरवरी 1927 ई. को अग्रवाल नवयुवक सभा नामक संगठन का अधिवेशन इन्दौर में श्री शिवप्रताप जी (परमानन्द जी) के सभापतित्व में हुआ जिसमें कन्या-विक्रय करने वालों के घर अन्न-पानी ग्रहण न करने का प्रस्ताव पास किया गया।⁵⁴

अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा भी माहेश्वरी समाज में सुधार के प्रयास कर रही थी। 30 सितम्बर 1923 ई. के तरुण राजस्थान में अपने कार्यों का प्रचार किया व माहेश्वरी समाज से अपने अन्दर प्रचलित कुप्रथाओं के निवारण की अपील की।⁵⁵ 6 अप्रैल 1924 ई. के तरुण राजस्थान में माहेश्वरी बन्धुओं को समाज में जागृति पैदा करने के लिए 19, 20 व 21 अप्रैल के बम्बई अधिवेशन (सातवाँ अधिवेशन) में आने का निमन्त्रण दिया और अपनी-अपनी श्रीमतीयों (महिलाओं) को भी साथ लाने

की अपील की।⁵⁶ 1929 ई. में 'माहेश्वरी महिला परिषद्', बम्बई, की मंत्री सत्यवती देवी ने भरतपुर, कोटा, अलवर और बीकानेर राज्यों में पारित कानूनों को ध्यान में रखते हुए जोधपुर व जैसलमेर के शासकों से अनुरोध किया कि वे भी अपने राज्यों में सुधार कार्यों की ओर ध्यान दे। परिषद् के अधिवेशन में इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया कि वहाँ के नरेश बाल व अनमेल विवाहों को निषेध करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।⁵⁷ श्री संघ ओसवाल (साजनां) कांठा का गठन 1928 ई. में किया गया। इसमें कन्या विक्रय, बाल और वृद्ध विवाह आदि कुरीतियों को दूर करने हेतु 40 वर्ष के पार होने पर किसी भी पुरुष के विवाह न करने, पर जोर दिया।⁵⁸ ओसवाल समाज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने की जरूरत समझी गई तथा इसके लिए शिक्षा प्रसार का कार्य भी प्रारम्भ किया गया।⁵⁹

इन संगठनों, सभाओं के अलावा अन्य संगठनों द्वारा भी बेमेल-विवाह व बाल-विवाह रोकने के लिए अपीलें की गई उदाहरणतः नवम्बर 1928 ई. में दी राजपूताना प्रॉविन्शियल हिन्दू कान्फ्रेंस के अधिवेशन; जैन वूमैन कान्फ्रेंस, अजमेर; श्वेताम्बर सभा, अजमेर व राजपूताना लेडीज कान्फ्रेंस, अजमेर द्वारा बाल-वृद्ध विवाहों पर रोक लगाने के प्रस्ताव पारित हुए।⁶⁰ जैन वूमैन कान्फ्रेंस की अध्यक्ष किरन देवी ने बाल-विवाह पर रोक लगाने की अपील की।⁶¹ मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के प्रधान तुलसीराम सरावगी ने जोधपुर, बीकानेर और नागौर में इस प्रकार के विवाहों का सर्वेक्षण किया तथा धन देकर होने वाले वृद्ध विवाहों की बढ़ती प्रवृत्ति की जानकारी देते हुए जयनारायण व्यास को लिखा कि इस और ध्यान दिया जाये।⁶² इन सभाओं व कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयासों के सकारात्मक परिणाम निकले और बीकानेर राज्य में 1928 ई. में हिन्दू मैरिज एक्ट पारित हुआ तथा जोधपुर में 1930 ई. में मारवाड़, मैरिज एक्ट पास किया गया।⁶³

आर्य समाज व जैसलमेर के राजनीतिक महानुभावों ने असहयोग आन्दोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इतना ही नहीं उन्होंने असहयोग आन्दोलन का एक मंच के तौर पर इस्तेमाल भी किया और वहाँ के लोगों को सामाजिक कुरीतियों से होने वाली हानि से अवगत करते हुए उन्हें जागरूक करने के प्रयास किये।⁶⁴ दूसरी तरफ 1932 में महेश्वरी नवयुवक मण्डल ने अपने गीतों, भजनों, कविताओं के माध्यम से समाज में अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के साथ-साथ बेमेल विवाह के खिलाफ लोगों में चेतना फैलाने का कार्य किया।⁶⁵

जैसलमेर में सामाजिक कुप्रथाओं बेमेल विवाह, बाल विवाह, अनैतिक देह सम्बन्ध, औसर-मौसर इत्यादि के खिलाफ 20वीं सदी में एक आवाज बुलंद होने लगी थी। यह साहस का कार्य किया जैसलमेर के स्वनाम धन्य कवि तेज ने। उन्होंने अपनी कविताओं व ख्यालों⁶⁶ की रचनाओं से तत्कालीन समाज पर इन कुरीतियों को लेकर

तीखे प्रहार किये। उदाहरणार्थ कवि तेज ने राजा जोग भृत्तहरी नामक ख्याल में श्रृंगार भोग, माया, इत्यादि विषयों पर कटाक्ष करते हुए उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो अपने विलासिता पूर्ण जीवन जीने व भोगने के लिए वृद्धा अवस्था में भी कम आयु की लड़कियों से विवाह करते थे। इसी प्रकार नैना खसम ख्याल में तत्कालीन समाज में व्याप्त अनमेल विवाह तथा अनैतिक देह सम्बन्धों का पर्दाफाश किया है। इस प्रकार की ख्याल कवि द्वारा जैसलमेर के सदर मण्डी में खेली गई, जिसके माध्यम से कवि ने इन कुरीतियों से समाज के रसातल में चले जाने से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया।⁶⁷

1930 ई. में जब कुछ जाति पंचायतों ने एक्ट का विरोध किया तो नवयुवकों ने यह मांग की कि जो जाति पंचायतें इन सुधार कानूनों का विरोध करती हैं तथा बाल-वृद्ध विवाह न होने देने का आश्वासन देती हैं, इन्हीं जाति पंचायतों के कुछ सदस्य पैसा लेकर ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करते हैं। अतः जाति पंचायतों पर नियंत्रण कायम किया जाये और नवयुवक ग्रामीण पंचायतें स्थापित की जाए।⁶⁸

1934 ई. में मारवाड़ी यंगमैन पूना ने 160 व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर जोधपुर महाराजा के पास एक अपील भेजी कि बेमेल विवाह व बाल-विवाह रोके जाएँ तथा लड़की की आयु 14 वर्ष व लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की जाए। उक्त अपील में विवाह रजिस्टर रखने का भी सुझाव दिया गया। 1939 ई. में नेशनल प्लानिंग कमिटी (लक्ष्मीबाई रानाडे की अध्यक्षता में ग्वालियर में आयोजित) के सचिव ने राज्यों में कार्यकर्ताओं की उदासीनता पर खेद प्रकट किया तथा जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा कि वे इस सम्बन्ध में कार्यकर्ता भेज कर सहयोग दें। ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस, बम्बई द्वारा भी जोधपुर महाराजा को अपील की गई।⁶⁹ कलकत्ता के नानगराम, बम्बई के खेमजी पोरवाल ने व्यक्तिगत स्तर पर पत्र भेजकर जोधपुर के महाराजा और आई. जी. (पुलिस अधिकारी) को वृद्ध-विवाह रोकथाम की अपील की।⁷⁰ रतनगिरि से शाह सेरमल गोवाणी ने जोधपुर राज्य के 48 गाँवों के सम्पन्न महाजनों में वृद्ध-विवाह के प्रचलन के बारे में लिखा तथा नवयुवक मंडलो के सुधार प्रयासों की प्रशंसा की व राज्य अधिकारियों को इस और ध्यान देने की अपील की।⁷¹

सन्दर्भ

1. जगदीश सिंह गहलोत, मारवाड़ राज्य का इतिहास, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश दुर्ग, जोधपुर, पुर्नमुद्रण, 1991, पृ. 328
2. मन्जु कन्धल, पृ. 85
3. वही, पृ. 328-29
4. 'ख्याल' लोक नाट्य-गीत परम्परा की एक विधा है जिसमें एकाधिक पात्र कथापूर्ण गाथा को पद्य के रूप में गाकर प्रस्तुत करते हैं।

5. नन्द किशोर शर्मा, जैसलमेर का राजनैतिक इतिहास, सीमान्त प्रकाशन, जैसलमेर, 1993, पृ. 301-02
6. स्वामी केशवानन्द : उनका जन्म सम्भवतः 1883 ई. में गाँव मगलूना, सीकर ठिकाना (वर्तमान सीकर जिला), जयपुर रियासत के शेखावटी क्षेत्र में हुआ।
7. हरबिलास शारदा (1867-1952) : जन्म 1867 ई. में अजमेर में हुआ। उन्होंने अजमेर, आगरा व कलकत्ता (अब कोलकाता) से शिक्षा प्राप्त की। 1888 में वह राजकीय कॉलेज अजमेर में प्राध्यापक नियुक्त हुए।
8. तेज : स्वनाम धन्य कवि तेज का जन्म जैसलमेर में हुआ।
9. सत्यकेतु विद्यालंकार, आर्य समाज का इतिहास, भाग द्वितीय, आर्य स्वाध्याय केन्द्र, ए 1/32 सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली, 1984, पृ. 113
10. परोपकारिणी सभा रिपोर्ट, अजमेर, 1883(आर. ब्रेमले वानवर्ट, दी लाइफ आफ लेफ्टिनेंट एच. एच. सर प्रतापसिंह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (ओ.यू.पी.), लंदन, 1926, पृ. 192-94
11. पंडित भगवद्दत्त (सम्पादित), ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगाढ., सोनीपत, 1993, पृ. 332, 446
12. वही, पृ. 372
13. पंडित लेखराम, महर्षि दयानन्द सरस्वती जीवन चरित्र, पृ. 583
14. वही
15. जोधपुर रिकार्ड्स, हकीकत बही नं. 33, फॉलियो 456ए, दिनांक कार्तिक सुदी 2, वि. सं. 1945
16. वही, हकीकत बही नं. 35, फॉलियो 18ए, दिनांक कार्तिक वदी 4, वि. सं. 1946
17. मानव एफ., बारहठ कृष्ण सिंह का जीवन-चरित्र और राजपूताना का इतिहास (1850-1998)
18. पंडित भगवद्दत्त (सम्पादित), पूर्वोक्त, पत्र न. 235
19. वही, पत्र न. 235
20. एन. एन. मित्रा (एडि.), इण्डियन एन्वेल रजिस्टर, वॉल्यूम प्रथम, ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, 1990, पृ. 48; वॉल्यूम 3, पृ. 127-28
21. वही
22. द लिडर, 23 जून 1928
23. 5/आर्य, 1264, आर्य समाज सरदारपुरा, जोधपुर का पाँच वार्षिक वृत्तान्त सन् 1936-1941 मार्च तक, पृ. 3, 5, 9, 10, 15, 20, 21, रा. रा. अ., बी.
24. वही, 31 जनवरी 1943 पृ. 6
25. भगवती प्रसाद 'अभय', फागुन सुधार भजनावली, प्रकाशक श्री श्रद्धानन्द पुस्तकालय, आर्य समाज नागौर, श्री सुमेर प्रिन्टिंग प्रेस, जोधपुर, सम्बत् 1997, पृ. 5 व 12; राष्ट्र (हिन्दी)-4 (11), रा. रा. अ., बी.

26. राष्ट्र (हिन्दी)-4 (11) नारी कण्ठा भूषणा, प्रथम भाग, प्रकाशक श्री श्रद्धानंद पुस्तक भण्डार, आर्य समाज नागौर, सुमेर प्रिन्टिंग प्रैस, जोधपुर, वि. सं. 1998, पृ. 2, रा. रा. अ., बी.
27. कुँवर मोहरसिंह आर्य (प्रकाशक व लेखक), मोहरसिंह भजन रतनावली, श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा, अजमेर, सन् 1941 ई. (वि. सं. 1998), पृ. 8
28. वही
29. वही
30. रिपोर्ट ऑफ दी टेंथ नेशनल सोशल कान्फ्रेंस, पूना 1897, पार्ट 2, पृ. 59
31. महकमा खास, जोधपुर, फाईल नं. 121, 26-1-48, रा. रा. अ., बी.
32. रिपोर्ट ऑफ दी नेशनल सोशल कान्फ्रेंस, पूना 1897, पार्ट 2, पृ. 41; बाम्बे क्रानिकल, 5 सितम्बर 1927; दी टाइम्स ऑफ इण्डिया 22 अप्रैल 1938
33. 171/राष्ट्र हिन्दी-4 (11): सुन्दर संगीत संग्रह, प्रथम भाग (नवयुवक पुस्तक माला का 15वाँ पुष्प), प्रकाशक श्री पुष्करणा नवयुवक मण्डल, जोधपुर, मुद्रक-कुँवर सरदारमल थानवी, श्री सुमेर प्रिन्टिंग प्रैस, फुलारोड़, जोधपुर, वि. सं. 1998
34. दी इण्डियन रिफार्मर, 21 जनवरी 1900, पृ. 46-51
35. तरुण राजस्थान 31 मई 1925, पृ. 11, (मंत्री द्वारा सूचना प्राप्त), रा. रा. अ., बी.
36. 40/जैन समाज सुधार, हँस गायन माला (12वाँ भाग), रचियता हँसराज जी कर्णावट, प्रकाशक-ज्ञान भण्डार, जोधपुर (युद्धकालीन तीसरा संस्करण), रा. रा. अ., बी.
37. जैन समाज सुधार, सुधार संगीत (प्रथम भाग) रचियता धीरज लालजी बच्छावत, प्रकाशक-जैन ज्ञान भण्डार वि. सं. 1933 ई., रा. रा. अ., बी.
38. जैन समाज सुधार, मनोहर पुष्पावली रचियता - हँसराज जैन (जोधपुर-मारवाड़), सुमेर प्रिन्टिंग प्रैस, 1928 ई. व 1933 ई.
39. जरनल, फाईल नं. 152, पार्ट 2, महकमा खास जयपुर, रा. रा. अ., बी.
40. महकमा खास, जोधपुर, फाईल नं. सी 2/10, सामाजिक बस्ता नं. 6, सन् 1926-36, रा. रा. अ., बी.
41. वही, भाग 2, 1936-38, रा. रा. अ., बी.
42. वही, पृ. 6, 9, 10 व 13
43. डॉ. पेमारांम, शेखावटी किसान आन्दोलन का इतिहास, श्री गणेश सेवा समिति, जसनगर, नागौर, 1990, पृ. 22
44. जाट वीर, 1924 में आगरा से प्रकाशित होना आरम्भ हुआ।
45. रिपोर्ट श्री मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा, नागौर, फरवरी 1942 ई., पृ. 1
46. वही, पृ. 1-2
47. वही, पृ. 17, 18

48. रिपोर्ट ऑन दी मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा, जोधपुर, पृ. 15
49. तरूण राजस्थान, 16 दिसम्बर 1923, पृ. 1, रा. रा. अ., बी.
50. वही, 13 अप्रैल 1924, पृ. 3-4
51. वही, 17 फरवरी 1924, पृ. 11
52. वही, 28 फरवरी 1926, पृ. 3 व 14, रा. रा. अ., बी.
53. अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल "पंचायत" के विशेष अधिवेशन, बम्बई का विवरण, स्वागतकारिणी समिति, बम्बई, 1928, पृ. 7-10
54. वही, रामप्रताप गोयल, मन्त्री द्वारा सूचना प्राप्त, 18 फरवरी 1927, पृ. 2, रा. रा. अ., बी.
55. तरूण राजस्थान, 30 सितम्बर 1923 ई., पृ. 10, कॉलम 2 (गंगादास मूंदड़ा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा, कलकत्ता द्वारा सूचना प्राप्त), रा.रा.अ.,बी.
56. वही, 6 अप्रैल 1924, पृ. 1, रा. रा. अ., बी.
57. महकमा खास जोधपुर, सामाजिक बस्ता नं. 6, 537/29, फाईल नं. सी 2/10, सन् 1926-36, रा. रा. अ., बी.
58. श्री संघ ओसवाल (सांजनां) कांठा रे न्याति बन्दोबस्त री कलमां, प्रकाशक श्री संघ समस्त, सम्बत् 1995 रा माघ (माह) वद 14 पृ. 1, 3 व 7, रा. रा. अ., बी.
59. वही, सम्बत् 1998 ई. (1941 ई.) प्रथम ज्येष्ठ सुद 9, पृ. 10 अपील
60. दी हिन्दुस्तान टाइम्स, 1 दिसम्बर 1928
61. दी टाइम्स ऑफ इण्डिया, 22 अप्रैल 1938
62. महकमा खास जोधपुर, सामाजिक बस्ता नं. 6, फाईल नं. सी 2/10, सन् 1928-30, 1930-49, रा. रा. अ., बी.
63. बीकानेर पेपर कटिंग्स, फाईल नं. 41, सन् 1928 ई.; जोधपुर रिकार्ड, फाईल नं. 31, एक्ट नं. 4 ऑफ 1928
64. के. के. सहगल, राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर जैसलमेर, जयपुर, 1973, पृ. 51
65. होम डिपार्टमेंट (पोलिटिकल), फाईल नं. 18/8/1932, एन. ए. आई., नई दिल्ली
66. ख्याल को जैसलमेर की स्थानीय भाषा में रम्मत कहा जाता है।
67. नन्द किशोर शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 301-02
68. महकमा खास जोधपुर, फाईल नं. 1632, 12 फरवरी 1948 (12.2.48), रा. रा. अ., बी.
69. महकमा खास जोधपुर, फाईल नं. 121, 26-1-48, रा. रा. अ., बी.
70. वही, नं. 368 र 9/39, रा. रा. अ., बी.
71. वही, नं. 2723 र 44, रा. रा. अ., बी.

**आधुनिक राजस्थान की भू-प्रशासनिक व्यवस्था में
'भौमिया वर्ग' का योगदान :
अजमेर-मेरवाड़ा के विशेष सन्दर्भ में
वीरेन्द्र शर्मा**

भौम का अर्थ भूमि से है इसलिए इसका स्वामित्व धारण करने वाला वर्ग भौमिया कहलाया, जिसकी स्थिति सामन्ती प्रमुख एवं खालसा भूमि के कृषक से सर्वथा भिन्न थी। केवल राजपूत एवं पठान ही भौमिया हो सकते थे।¹ भौमिया वर्ग से पुलिस एवं स्थानीय अनियमित सैनिकों के रूप में भी सेवाएं ली जाती थी। यह वर्ग कृषि फसल एवं मवेशियों की लुटेरों से रक्षा हेतु भी प्रतिबद्ध था।² यह वर्ग जिस गांव में होता था, उसकी जान माल की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी।³ यद्यपि इन्हे अपने निर्धारित व आवंटित क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालने के लिए सूबेदार की सहायता करनी पड़ती थी, लेकिन इन्हीं अपने आवंटित क्षेत्र से बाहर सेवाएं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। अपने क्षेत्र में हुई चोरी, डकैती एवं लूट की रोकथाम के साथ-साथ अपराधी को निर्धारित समय में पकड़ने की जिम्मेदारी इनकी होती थी अन्यथा इन्हीं लूटे गये माल की कीमत जमा करवानी होती थी।

कर्नल टॉड भौमियों को अर्द्ध सैनिक सामन्त के रूप में बतलाते हुए राज्य को लगान के एवज में सेवाएं देने एवं आक्रमण के समय सहायता करने का उल्लेख करते हैं। भौमिया वर्ग की प्रतिष्ठा एवं महत्व इतना अधिक था कि बड़े-बड़े ठाकुर भी अपने अधीनस्थ गावों में इनकी सेवा प्राप्त के लिए लालायित रहने थे। 'भौम' ऐसा भू-भाग था जिसका राज्य पुनर्ग्रहण नहीं कर सकता था। इस अर्थ में यह वास्तविक रूप से वंशपरम्परागत था। पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार की भूमि का विभाजन राज्य की अनुमति से ही संभव हो पाता था।⁴ सामान्य रूप से भौमिया गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति था एवं ग्रामीण समाज उन्हें भय तथा आदर की दृष्टि से देखता था।⁵ इनका निवास गढ़ी में होता था। राजपूत सैनिक होने के नाते वह तलवार धारण करता था एवं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप एक-दो घोड़े भी रखता था। विपत्ति काल में परिवार के भरण-पोषण हेतु वह कृषि कार्य करने के लिए स्वतंत्र था।⁶ इनकी प्रतिष्ठा व उच्च स्थिति के कारण इनके वैवाहिक सम्बन्ध मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर के ठाकुर परिवारों के साथ होते थे।

ब्रिटिश शासन काल के दौरान अजमेर-मेरवाडा क्षेत्र की भौम व्यवस्था से सम्बन्धित उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं:-

भौम एक प्रकार की वंश परम्परागत सम्पत्ति थी जिस पर राजस्व कर नहीं लगता था। इस क्षेत्र का स्वामित्व राज्य के द्वारा सम्बन्धित भौमिया को प्रदान किया जाता था। इस प्रकार यह 'माफी' और 'जागीर' से पृथक था क्योंकि भौम क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार भी सन्निहित थे। राज्य 'भौम' सम्पत्ति का पुनर्ग्रहण केवल राज्य के विरुद्ध अपराध की स्थिति में करता था। राज्य द्वारा पुनर्ग्रहण की स्थिति में 'भौम' क्षेत्र में निहित स्वामित्व एवं राजस्व से मुक्ति सम्बन्धी अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते थे। भौमिया वर्ग द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना अथवा त्रुटि करने पर राज्य जुर्माना लगा सकता था एवं इनके चुकाये जाने तक राज्य उसकी भौम सम्पत्ति को जब्त कर सकता था। यदि कोई भौमिया बिना सरकार से पूछे अपनी भूमि हस्तान्तरित करता था तो ऐसी स्थिति में राज्य उसकी जमीन को पुनर्ग्रहित कर किसी अन्य को आवंटित कर सकता था।

भौमिया वर्ग के सामान्य उत्तरदायित्व⁷

अपने क्षेत्र से निकलने वाले व्यापारियों व यात्रियों की सुरक्षा करना। अपने क्षेत्र में होने वाली चोरी, लूट-डकैती को रोकना। आवश्यकतानुसार सूबेदार का अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाना। भौमिया वर्ग के आन्तरिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अति आवश्यक होने पर ही किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अपने परिवार में विवाह, मृत्यु अथवा संस्कार विशेष होने की स्थिति में अतिरिक्त व्यय के वहन हेतु अतिरिक्त उपकर अपने क्षेत्र में लगाने को अधिकृत थे। अजमेर मेरवाडा क्षेत्र में पांच प्रकार की भूमि का उल्लेख प्राप्त होता है-

1. मुंडकटी अर्थात् युद्ध में शहीद होने पर राजा द्वारा प्रदत्त भूमि।
2. आन्तरिक शान्ति अथवा आमजन के जान माल की सुरक्षा हेतु किये प्रयत्नो के प्रसन्न होकर राज द्वारा प्रदत्त भूमि।
3. युद्ध में शौर्य व पराक्रम दिखलाने पर राज्य द्वारा पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त भूमि।
4. राज्य द्वारा सीमा सुरक्षार्थ प्रदत्त भूमि।
5. गांवों में गश्त व निगरानी के उद्देश्य से ग्राम जनों द्वारा प्रदत्त 'भौम'।

इस प्रकार की भूमि ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्वीकृति से प्रदान की जाती थी जिसमें उत्तरदायित्व पूर्ण न कर पाने की स्थिति में भूमि के पुनःअधिग्रहण करने का राज्य को अधिकार था।⁸ मुगल शासक आलमगीर द्वितीय व उसके उत्तराधिकारी

शाहआलम द्वितीय के समय अजमेर मेरवाडा की अधिकांश भौम सम्पत्ति स्थानीय लोगो की मेरो और चीतों के आक्रमण से सुरक्षा के एवज में दी गयी था,इसके साथ ही इन्हें विविध करो से मुक्त रखा गया था।⁹ भौमिया वर्ग द्वारा उनके क्षेत्र से गुजरने व राशि पड़ाव के एवज में उपलब्ध वस्तुओं पर 'भौम' शुल्क वसूला जाता था। इसके अलावा गाव में बेची जाने वाली सभी चीजों पर वस्तु के मूल्य का कुछ प्रतिशत 'मापा' शुल्क के रूप में वसूला जाता था, लेकिन कृषि सामग्री इस प्रकार के शुल्क से मुक्त थी। मराठों द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करके भौमिया से 'भौम' बाब एवं 'भौम दस्तूर' नामक कर वसूले।¹⁰ इसके अतिरिक्त प्रति दूसरे वर्ष इनसे भौमियों की हैसियत से एवं फसल के आधार पर कर वसूला जाने लगा।¹¹ 1792 ईस्वी में स्थानीय मराठा अधिकारी शिवाजी नाना के समय से 'भौम बाब' नियमित रूप से वसूला जाने लगा। यह कर भौमियों की हैसियत के आधार पर निर्धारित होता था। मराठा सरदार तांतिया सिंधिया ने यह कर प्रति दूसरे वर्ष वसूलने की प्रथा आरम्भ की जो पहले प्रति तीसरे वर्ष वसूला जाता था।

सन् 1818 मे यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिया गया। प्रति दूसरे वर्ष प्राप्त 'भौम बाब' नामक कर को आधार बनाकर अजमेर के पोलिटिकल ऐजेन्ट एवं सुपरिटेण्डेंट एफ. विल्डर ने यहा की आय 8,408 रूपये 12 आने व 9 पाई निर्धारित की। यह राशि 1842 तक प्रति दूसरे वर्ष प्राप्त होती रही। 1842 मे 'पटेल बाब' व 'फौज खर्च' के साथ ही इसे भी समाप्त कर दिया गया।¹² जिसमें अजमेर के कमिश्नर सदरलैण्ड की प्रमुख भूमिका रही। इस एवज में गवर्नर जनरल ने भौमियो को भी इसी प्रकार उनके द्वारा ग्रामीण जनता से वसूले जा रहे करो को समाप्त करने का आवाहन किया ताकि आमजन को राहत प्राप्त हो सके। भौमियों द्वारा अपनी इच्छानुसार विभिन्न गांवों से अलग-अलग उपकार निर्धारित कर रखे थे जिन्हें 'लाग' कहा जाता था। यह सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू व प्रक्रिया पर आरोपित थे। इनके द्वारा होली व दशहरा पर भेंट वसूली जाती थी,वही कुछ गांवो से बकरा तो कुछ गांवों से प्रति वर्ष भैंसा भेंट स्वरूप प्राप्त करते थे। अपनी गढी की मरम्मत के लिए बेगार ली जाती थी।गांव के बलई प्रतिवर्ष भौमिया के कुएं के लिए एक चरस व जूतों की जोडी देते थे। भौमियों द्वारा कुछ गांवों के खेतों से अन्न के 70 पूले लिये जाते थे तो कुछ गाँवों से प्रति खेत केवल मुट्ठी भर अन्न ही वसूला जाता था। भौमिया के ज्येष्ठ पुत्र के विवाह अवसर पर ग्रामीणों द्वारा अनिवार्य भेंट दी जाती थी साथ ही प्रत्येक ग्रामीण के घर में विवाह के अवसर पर भी भौमिया को चैवरी व कांसा भेजना पड़ता था।

19वीं शती तक अजमेर-मेरवाडा क्षेत्र में कुल 111 भौम थी।¹⁴ जो निम्न प्रकार विभाजित थी।

भौम	भूसम्पत्तियों की संख्या	ग्रामों की संख्या
राठौड़	82	78
गौड़	09	08
कछवाता	06	05
सिसोदिया	01	01
पठान	09	09
सैय्यद	01	01
मेर	01	01 कोथाज
चीता	01	01 सोमुलपुर
मुगल	01	0 बीर
कुल योग	111	104

इन भौम सम्पत्तियों में लगभग आधी दिल्ली के सम्राटों द्वारा प्रदान की गयी थी तथा शेष राठौड़ों के पास थी जो स्वयं को पडौसी रियासतों के राजा महा राजाओं के रिश्तेदार मानते थे। उपर्युक्त भौम सम्पत्ति के अन्तर्गत औसत भूमि 464 बीघा थी परन्तु इन भौम में 2102 हिस्से थे। इस प्रकार प्रत्येक भौम में औसतन बीस भागीदार थे जिनमें प्रत्येक के हिस्से में औसतन 26 बीघा 14 बिस्वा भूमि आती थी। पुराने बन्दोबस्त की शर्तों के अन्तर्गत इनका कराधान किया जा चुका था और इनमें से प्रत्येक को 17 रुपये 8 आने राजा को देना पडता था।¹⁵ 19वीं शताब्दी के आरम्भ तक भौमियों द्वारा नियम विरुद्ध अपनी भौम सम्पत्ति को वंश परम्परागत मानकर बंधक रखने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वे कार्यों के प्रति लापरवाह उदासीन व आलसी भी हो गये थे जो अपने गांवों की सुरक्षा करने में भी कोताही बरतने लगे थे। ये ने तो घोड़ों का खर्च वहन करने की स्थिति में थे, न ही चौकीदार रख पा रहे थे, जिसका मूल कारण इनकी विलासिता पर बढ़ता खर्च व अपव्यय था। इनके क्षेत्र में चोरी या डकैती पडने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति करने के लिए जब इन्हे कहा जाता था तो ये अपनी भौम सम्पत्ति के बंधक होने का बहाना बनाकर अपने उत्तरदायित्वों को टाल जाते थे। इन भौमियों के पास सवारी के साधन व आवश्यक हथियार न होने के कारण अपने क्षेत्र की निगरानी करने में असमर्थ होने लगे।¹⁶ भौम सम्पत्ति महाजन के पास के गिरवी रखे जाने के उपरान्त महाजन के बढ़त कर्ज के चक्र से उसे छुड़ा पाना अत्यन्त कठिन हो जाता था।

इस स्थिति से निपटने व भौमियों की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1843 ई. में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आदेश प्रसारित किया गया कि कोई भी महाजन भौम सम्पत्ति को बंधक नहीं रखेगा। साथ ही भौमियों को भी अपनी भूसम्पत्ति के विक्रय

व गिरवी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस नियम के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान रखा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायालय भौम सम्पत्ति सम्बन्धी किसी के क्षेत्र विशेष में उनके आमजनों की सुरक्षा के उत्तरदायित्व को प्रमुखता देते हुए अपराध की स्थिति में क्षतिपूर्ति भौम सम्पत्ति से दी जाएगी।¹⁷ लेकिन इसके बावजूद भौमियों द्वारा निरन्तर आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी भौम सम्पत्ति गिरवी रखने की प्रक्रिया जारी रखी गयी। प्रशासन भौम सम्पत्ति के विक्रय व बंधक रखे जाने के विरुद्ध इसलिए था क्योंकि यदि भौम सम्पत्ति अन्य पक्ष को हस्तान्तरित हो जाती तो सम्बन्धित भूमि सम्बन्धी अधिकार व उत्तरदायित्व भी दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने पड़ते, लेकिन महाजन वर्ग भौमियों की तरह चौकीदार व निगरानी करने में कुशल नहीं था। भौमियों के बढ़ते दवाब के कारण राजपूताने की कुछ रियासतों में भौमियों को केवल दो अवसरों अर्थात् पिता के अन्तिम संस्कार में व्यय के वहन हेतु एवं अपने पुत्र के विवाह अवसर पर व्यय हेतु अपनी भौम सम्पत्ति को बंधक रख सकते थे, लेकिन यह कुल सम्पत्ति का निर्धारित भाग था। ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा विविध प्रशासनिक आदेशों के बावजूद सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी प्रश्न विवादास्पद ही बने रहे। अजमेर-मेरवाड़ा के कार्यवाहक कमिश्नर कर्नल ब्रुक्स के मतानुसार विविध प्रकार के भौम प्रचलित थे अतएव उनके साथ व्यवहार में भी भिन्नता आवश्यक थी। उनके अनुसार यह राजस्व सम्बन्धी प्रश्न के स्थान पर सामान्य नीति का प्रश्न था। वे प्रथम चार श्रेणी के भौमियों को उनके उच्च घरानों के कारण भौम सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त अधिकारों को दिये जाने के पक्षधर थे, वही पांचवी श्रेणी के भौमियों को भौम सम्पत्ति के अधिकार निर्धारित शर्तों के आधार पर दिया जाना प्रस्तावित किया। भौम सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के हल के लिए 1871 में गवर्नर जनरल की परिषद ने निम्न सिद्धान्त स्वीकार किये -

1. भौम सम्पत्ति के प्राप्तकर्ता व उसके परिवार से इस सम्पत्ति के एवज में कोई कर न वसूला जायें।
2. हस्तान्तरित होने वाली भौम सम्पत्ति पर कराधान लागू हो।
3. चौथी एवं पांचवी श्रेणी की भौम सम्पत्ति यदि सम्बद्ध शर्तों को पूरा न कर पाये तो हस्तान्तरण होने पर कराधान की श्रेणी में लायी जायें।
4. भौम सम्पत्ति के एवज में सेवा सम्बन्धी उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाये। नियम विरुद्ध भौम सम्पत्ति के बंधक व विक्रय पर दण्डस्वरूप कराधान निर्धारित किया जायें।¹⁹

इस एक्ट के आधार पर डिप्टी कमिश्नर ने सभी भौमियों को अपना नाम चौकीदारों की सूची में दर्ज करवाने का आदेश जारी किया। व्यक्तिगत चौकीदार न कर पाने की स्थिति में उन्हें अपने क्षेत्र में प्रति 20 बीघा सिंचित भूमि पर एक

चौकीदार के अनुपात में चौकीदार की नियुक्ति करने एवं 60 रूपये प्रति चौकीदार को वार्षिक वेतन अदा करने का दायित्व सौपा गया। इस आदेश के विरुद्ध भौमिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। विवादों के कारण यह आदेश क्रियान्वित न हो पाया।²⁰ भौमिया की नियुक्ति उस काल में हुई थी जब सरकार की स्वयं की कोई व्यवस्थित पुलिस व्यवस्था नहीं थी। अतः सामान्य जन की सुरक्षा के उद्देश्य से भौमिया को उतरदायित्व के आधार पर नियुक्त किया गया, लेकिन व्यवस्थित पुलिस व्यवस्था के स्थापित होने के साथ भौमियों की उपयोगिता समाप्त होने लगी। प्रशासन में भौमियों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने अजमेर के डिप्टी कमिश्नर मेजर रिपटन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति ने इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये -

1. भौमियों की ग्रामीण सुरक्षा का कार्य व चोरी डकैती के एवज में क्षतिपूर्ति अदा करने की व्यवस्था समाप्त की जायें।
2. भौमियों का उपयोग गांव में होने वाले दंगों को रोकने, चोर-डाकुओं का पीछा करने में किया जायें।
3. प्रत्येक भौमिया सम्राट के जन्म दिवस के अवसर पर डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में उपस्थित होकर नजराना प्रस्तुत करेगा।
4. नजराना की राशि का निर्धारित 'भौमबाब' कर की राशि के अनुपात में निर्धारित की जाएगी।
5. भौम भूमि को ऋण अदायगी, बेचान अथवा बंधक रखने के रूप में उपयोग में ना लाया जायें।

भौम सम्पत्ति के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ऐसा करने पर असंतोष पनप सकता था एवं बेदखल किया गया भौमिया लोगों की सहानुभूति व सहयोग प्राप्त कर सरकार के समक्ष नयी समस्या खड़ी कर सकता था। सरकार के द्वारा पुरानी भू-भाग व्यवस्था एवं प्रथाओं के साथ समयानुकूल सामंजस्य की नीति अपनाई गई। सरकार के द्वारा भौम समिति की सिफारिशों को मानते हुए भौमियों को 1874 से निगरानी व चौकीदारी की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया एवं क्षतिपूर्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया।

सन्दर्भ

1. एल.एस. सांडर्स, कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र दिनांक 12 सितम्बर 1873, राजपूताना गजेटियर्स भाग 3 पृ. 37

2. आर. केवेंडिश, सुपरिटेण्डेंट एवं पोलिटिकल ऐजेन्ट, अजमेर द्वारा रेजीडेन्ट, दिल्ली को पत्र दिनांक 8 जुलाई 1830
3. कर्नल डिक्सन, कमिश्नर, अजमेर का सैक्रेट्री, उ.प.सूबा सरकार को पत्र, दिनांक 14 अप्रैल 1856
4. टॉड- एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, खण्ड 1 पृष्ठ 168
5. कर्नल जे.सी.ब्रुक्स, कार्यवाहक चीफ कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार को पत्र, दिनांक 17 अगस्त 1871
6. उपरोक्त
7. चीफ कमिश्नर, अजमेर द्वारा सैक्रेट्री, भारत सरकार को पत्र दिनांक 10 जनवरी 1874
8. कर्नल ब्रुक्स, कार्यवाहक चीफ कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव, परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार को पत्र, दिनांक 17 अगस्त 1871
9. एफ. बिल्डर, पोलिटिकल ऐजेन्ट एवं सुपरिटेण्डेंट, अजमेर द्वारा रेजीडेण्ट मालवा एवं राजपूताना को पत्र, अजमेर, दिनांक 5 सितम्बर 1822
10. कर्नल डिक्सन, कमिश्नर, अजमेर द्वारा सैक्रेट्री उ.प.सूबा सरकार को पत्र, दिनांक 30 अक्टूबर 1854
11. केवेंडिश, सुपरिटेण्डेंट व पोलिटिकल ऐजेन्ट द्वारा रेजीडेन्ट देहली को पत्र, दिनांक 8 जुलाई 1830
12. उपरोक्त
13. सचिव, भारत सरकार द्वारा आर.एम.सी.हेमिल्टन, सचिव, उ.प. सूबा सरकार को पत्र दिनांक 14 नवम्बर 1832
14. भौम कमेटी रिपोर्ट, 1873
15. एल.एस. सांडर्स, कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को प्रेषित पत्र, दिनांक 12 सितम्बर 1873
16. 'भौमियों की सनद अदायगी' फाइल, सुपरिटेण्डेंट, अजमेर कार्यालय की हिन्दी अनुवाद, दिनांक 4 मई 1843
17. उपरोक्त
18. ब्रुक्स का सचिव, परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार का पत्र, 19 अगस्त 1871
19. उपरोक्त
20. उपरोक्त

मारवाड़ में कुटीर उद्योग संस्थान (केन्द्र) : एक अध्ययन

मंजु चौहान

किसी भी उद्योग को प्रारम्भ करने से पहले सरकार द्वारा उसके संबंध में कुछ नियम या कानून पारित किये जाते हैं जिसमें मिल तथा मिल मालिकों के लिये आवश्यक निर्देश होते हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही उन्हें कार्य करना पड़ता है तथा इन नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दण्ड स्वरूप जुर्माना देना पड़ सकता है।

मारवाड़ सरकार द्वारा भी किसी उद्योग को प्रारम्भ करने से पहले आवश्यक नियम पारित किये गये थे जैसे – मारवाड़ में फैक्ट्रियों में दबी हुई रूई की गांठों को चिन्हित करने संबंधी नियम-इस नियम के तहत मिल मालिकों को यह सूचित किया जाता था कि मिल प्रारम्भ करने के एक माह के भीतर उन्हें प्रत्येक गांठ के लिये चिन्ह का आंवटन करना होगा तथा प्रतिदिन चिन्हित की गई गांठों का एक रजिस्टर विवरण भी रखना होगा। इन नियमों का पालन करने में असफल मिल मालिकों को 50 रू. तक का जुर्माना नियम 11 के तहत देय होगा।¹ इस प्रकार के नियमों की प्रतिलिपि मिल मालिकों द्वारा महकमा खास विभाग से 12 आना भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है।²

मिल तथा फैक्ट्रियों के कार्य को एक विभाग से दूसरे विभाग में हस्तांतरित करने संबंधी नियम भी पारित किये गये थे जैसे फैक्ट्री के निरीक्षक कार्य का बिजली विभाग से सार्वजनिक सेवा विभाग को हस्तांतरण किया जाना।³ कुछ इसी प्रकार के नियमों के अन्तर्गत मारवाड़ सरकार द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु एक आवश्यक कदम उठाया गया अर्थात् कुटीर उद्योग में काम करने हेतु छात्रों को प्रशिक्षित करने का, जिसका यहाँ विवेचन किया जा रहा है।

आधुनिक काल में सरकार द्वारा अनेक प्रकार के वॉकेशनल कॉर्स (व्यावसायिक पाठ्यक्रम) चलाये जा रहे हैं जैसे – कताई, बुनाई, सिलाई, शॉपट टोयज बनाना, तकनीकी प्रशिक्षण जैसे-कम्प्यूटर, मशीने चलने आदि का प्रशिक्षण। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में किसी विषय के जानकर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये अनेक प्रशिक्षक लगाये जाते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों के प्रति मारवाड़ सरकार भी जागरूक थी, सरकार की इसी जागरूकता का परिणाम था-मारवाड़ में कुटीर उद्योग संस्थान/केन्द्र की स्थापना, जिसके माध्यम से मारवाड़ में लघु शिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास कर रोजगार भी

प्रदान किया जा सके। जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इस संस्थान से संबंधित रिकॉर्ड्स राजस्थान राज्य अभिलेखागार (जोधपुर) में उद्योग से संबंधित फाइल संख्या - 3 (Permission to start factories Mills) में मिलता है।

वर्तमान में भी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तथा लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिये “स्वदेशी उद्यमिता” योजना चलाई जा रही है। वर्ष 1946-47 में मारवाड़ सरकार द्वारा भी इसी प्रकार के प्रयत्न के तहत मारवाड़ में कुटीर उद्योग संस्थान की स्थापना की योजना बनाई गई, जिसके लिये उद्योग तथा कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर द्वारा श्री बड़ा महाराज कुमार साहब के सैक्रेटरी को लिखे गये पत्र में इस योजना की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया।

इस पत्र में श्री बड़ा महाराज कुमार साहब के सैक्रेटरी को यह लिखा गया कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इण्डस्ट्रीज एवं कॉमर्स विभाग द्वारा मैसर्स के कारखाने में 10 मजदूरी छात्र के साथ एक हथकरघा बुनाई केन्द्र चल रहा है। जिसका नाम है दीपक वस्त्र कम्पनी रातानाड़ा निर्माण केन्द्र।” यह केन्द्र एक प्रयोगात्मक उपाय, विप्रगति तथा समय की आवश्यकता को देखकर प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की तुलना वर्तमान में 2015 चलाई जा रही “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से की जा सकती है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के रोजगारोन्मुख कौशलों का विकास किया जाता है जिसके लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें कुछ निश्चित वजीफा (स्टाइपण्ड) भी दिया जाता है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। हथकरघा चलाने, आभूषण बनाने, कृषि कार्य, भोजन पकाने, चमड़ा शिल्प, संचार माध्यम तथा मनोरंजन संबंधी, हस्तशिल्प, पर्यटन, आतिथ्य सत्कार आदि विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। डायरेक्टर द्वारा यह महसूस किया गया कि सरकार को एक नियमित कुटीर उद्योग केन्द्र स्थापित करना चाहिये जहां छात्रों को विभिन्न कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा।

लगभग सभी प्रांतीय राज्यों तथा पूर्ववत भारतीय राज्यों में लोगों को लघु उद्योगों का प्रशिक्षण देने हेतु इस प्रकार के कुटीर उद्योग केन्द्र चलाए जा रहे हैं ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके तथा देश में उपभोग योग्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

बाद में भारत सरकार द्वारा भी इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना पर बल दिया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त हुए लोगों को अपनी आजीविका चलाने हेतु सक्षम करना तथा उन्हें नागरिक जीवन में व्यवस्थित करने के लिये उन्हें इन

केन्द्रों में भर्ती कर प्रशिक्षण देना आवश्यकता समझा गया। अतः अब मारवाड़ में भी इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इस योजना अर्थात् मारवाड़ में एक कुटीर उद्योग केन्द्र की स्थापना के आर्थिक पक्ष को निर्मित करते हुए यह अनुभव किया गया कि इसका वार्षिक व्यय लगभग 30000 रू. वार्षिक आयेगा।⁴

प्रस्तावित योजना का विकास :- उद्योग तथा कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर द्वारा मारवाड़ में कुटीर उद्योग संस्थान केन्द्र बनाने की जो योजना प्रस्तुत की उसका विवरण इस प्रकार है :-

1. **लोकेशन (स्थान) :-** इस योजना को कार्यान्वित करने में सबसे बड़ी कठिनाई थी-एक उपयुक्त भवन की कमी। नए भवन के निर्माण कार्य में बहुत अधिक समय लग जायेगा। इसलिए एक उपयुक्त भवन की कमी को देखते हुए श्री बड़ा महाराज कुमार साहब से यह प्रार्थना की गई कि वे सरदारपुरा स्थित सिविल हॉस्टल के भवन को इस केन्द्र के लिये उपयोग करने की स्वीकृति देवे। इस भवन की मांग शिक्षा विभाग द्वारा भी की गयी थी। सैनिकों की बेटियों के लिये पुरदाह स्कूल के रूप में जो कि इस सरदारपुरा क्षेत्र की भांति धनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है। शिक्षा तथा उद्योग दोनों विभाग श्री बड़ा महाराज कुमार साहब की निवेश श्रेणी में आते थे। अतः अब इन्हें यह निश्चित करना था कि किस विभाग की आवश्यकता अधिक बड़ी है तथा सिविल हॉस्टल भवन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिक उपयुक्त है।
2. **योजना का उद्देश्य :-** लघु स्तरीय उद्योगों में सुधार करना तथा श्रम की बचत की दृष्टि से कुशल उपकरणों का प्रशिक्षण देना।
3. **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :-** इस योजना के अंतर्गत प्रारम्भ में मुख्यतया तीन मूलभूत प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जायेंगे जैसे- सूत काटना तथा बुनना, रंगाई, छपाई, गरम कपडे बुनना तथा चारपाई बनाना। प्रस्तावित संस्थान या केन्द्र की प्रगति के साथ-साथ इसमें अन्य पाठ्यक्रम जैसे चमड़ा, शिल्प, कृषि उपकरणों तथा चॉक, छुरी, चम्मच, कांटे, चारपाई, कपडों की सिलाई, साबुन, तेल, खिलौना, बटन निर्माण आदि का प्रशिक्षण भी शामिल किया जायेगा।
4. **प्रशिक्षण अवधि :-** इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य दो सत्र में रखा जायेगा जिनके मध्य 6 माह का अन्तराल होगा (जनवरी तथा जुलाई)। इस योजना से प्रत्येक वर्ष कुशल कारीगरों के समूह प्राप्त किये जा सकेंगे।

5. **कर्मचारीगण :-** योग्यता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों के रूप में एक पृथक कर्मचारी विभाग की भर्ती की जायेगी।
6. **वेतन :-** प्रारम्भ में प्रत्येक वर्ग में 10 विद्यार्थी होंगे, जिन्हें 30 रूपये प्रतिमाह की एक निश्चित राशि अदा की जायेगी। इस प्रकार के संस्थानों में ग्रामीण इलाकों से लड़कों को आकर्षित किया जाता है, प्रशिक्षुओं को वेतन देने के लिये यह आवश्यक है। सरकार द्वारा कपड़ा तथा चमड़ा निर्माण के केन्द्र में लगे प्रत्येक प्रशिक्षु को वजिफा 15 रू. स्वीकृत है जो बहुत कम है तथा इससे प्रशिक्षुओं को जोधपुर में अपना भरण-पोषण करने में कठिनाई होती है। अतः उद्योग तथा कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर द्वारा प्रशिक्षुओं का वेतन 25 रू. करने की सिफारिश की गई, जो की उन दिनों में सरकारी विभाग में एक व्यक्ति को मिलने वाले वेतन से कम है। वेतन के अतिरिक्त अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त लोगों के प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। हॉस्टल भवन की व्यवस्था तथा देखभाल के लिये एक वार्डन रखने तथा उसे 20 आना इस कार्य के लिये देने की बात कही गई। कुल अनुमानित व्यय है - 23,772 वार्षिक।
7. **उपकरण, औजार एवं फर्नीचर :-** कुटीर उद्योग केन्द्र में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ नये प्रकार के उपकरण जैसे - स्पीनिंग, व्हील्स, फ्लाई शटल, लूमस, वार्पिंग ड्रम, डाइंग वेट्स आदि खरीदे गये। कार्यालय तथा प्रशिक्षण कक्ष के लिये भी कुछ उपकरण खरीदे जायेंगे। इन सभी के लिये लगभग 8,000 रूपये व्यय होगा।
8. **राजस्व :-** इस केन्द्र में उत्पादित माल की बिक्री पर कुछ राजस्व तय होगा, जो प्रारम्भ में लगभग रू. 30,000/- होगा।

बचत:- इस संबंध में यह बताया जा सकता है कि विभागीय बजट के अंतर्गत प्रशिक्षण कक्षाओं में रंगाई, बुनाई, कताई तथा चमड़ा शिल्पकला के प्रशिक्षण के लिये 15000 रूपये का प्रावधान है। जब कुटीर उद्योग संस्थान कार्य करना प्रारम्भ करेगा तो पृथक प्रशिक्षित कलाओं को जारी रखना किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं होगा, जिससे 15000 रू. की बचत होगी।⁵

सिविल हॉस्टल बिल्डिंग किसकी दी जाये, इस विषय पर श्री बड़ा महाराज कुमार साहब के सैक्रेटरी, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, प्रधानमंत्रीजी तथा कानून सदस्य आदि के मध्य पत्राचार हुआ। अंततः यह बिल्डिंग कुटीर उद्योग संस्थान के उपयोग हेतु रखी गई।⁶

APPENDIX-A RECURRING EXPENDITURE⁷

प्रस्तावित कुटीर उद्योग प्रशिक्षण संस्थान पर लगने वाला कुछ व्यय

तकनीकी विभाग

कोटेज स्पिनिंग एण्ड विविंग सेक्शन	ड्राईंग एण्ड प्रिंटिंग सेक्शन	वूल विविंग एण्ड फेल्ट सेक्शन
1. बुनाई सिखाने वाला प्रशिक्षक (विविंग इन्स्ट्रक्टर)- 2. सहायक बुनाई सिखाने वाला प्रशिक्षक (Assistant W.I.) 60 रू वेतन 3. सहायक बुनाई इन्स्ट्रक्टर 42 रू. वेतन (Matge Weaving Instructor) 4. सेवक, नौकर, परिचायक (Attendant Weaving Instructor)	1. रंगाई इन्स्ट्रक्टर-80/- 2. सहायक छपाई करने वाला - 60/- 3. अटेण्डेन्ट-12/-	1. बुनाई प्रशिक्षण - 2. सहायक प्रशिक्षण-60/- 3. स्पिनिंग मेट -42/- 4. अटेण्डेन्ट-12/-

कर्मचारी कार्यालय

लिपिक (clerical)	नौकर-चाकर (menial)
1. मुख्य कर्मचारी-80/- 2. सादञ्जक कर्मचारी-31/- (Corres Pondersh Clerk) 3. स्टोर कीपर-30/- (कच्चा माल, उपकरण तथा तैयार माल का भण्डारण करने वाला) 4. कारपेन्टर - 42/-	1. अटेन्डेन्ट -12/- 2. पिजन्स (2)-241/- 3. साईकिल सावर (1)- 171/- 4. फराश (2)-24/- 5. स्वीपर्स (2)- 241/-

भत्ते

1 हॉस्टल वार्डन भत्ता रू. 20/- फीक्सड रू. 20 कुल रू. 73/- प्रतिमाह

2. वेतन भत्ता :-

विवरण	वार्षिक व्यय
1. कॉटन विविंग एण्ड स्पिनिंग सेक्शन 10 स्टिपन्ड्स (Stipends)	3000/- रू./- प्रतिमाह/प्रत्येक
2. डाइंग एण्ड प्रिंटिंग सेक्शन 10 स्टिपन्ड्स (Stipends)	3000/- रू. प्रतिमाह/प्रत्येक
3. वूल विविंग एण्ड फेल्ड सेक्शन 10 स्टिपन्ड्स (Stipends)	3000/- रू./- प्रतिमाह/प्रत्येक
कुल योग -	9000/- आना
3. कच्चा माल :-सूत, ऊन, तागा, रंग, केमिकल्स इत्यादि की खरीद पर लगाने वाला व्यय रूपये 6000/- प्रति वर्ष।	

Total Recurring Exp. Rs. 23,772/- per annum

S.No.	Non-Recurring Exp.	No. Recurred	Amount
1	कॉटन विविंग एण्ड स्पिनिंग सेक्शन		
	1) इम्पूटड स्पिनिंगव्हील्स प्रति व्हील्स रू. 30/-	5	150.00
	2) Warping Drums वारपिंग ड्रम्स	1	150.00
	3) फ्लाई शटल लुम्स	4	400.00
	4) फिट फ्रेम	10	500.00
	5) डबल बॉक्स एफ.एस. स्लेस	2	50.00
	6) हेल्ड्स	100	600.00
	7) रोड्स	25	300.00
	8) शटल्स	25	150.00
	9) बॉबिन्स	1000	60.00
	10) पर्मस	1000	60.00
	11) निवार तथा परी सेट	1000	370.00
	12) अन्य	1000	210.00
	कुल योग		3000.00
2.	डाइंग सेक्शन		
	1) वूडन बेट्स (5'x2 $\frac{1}{2}$ 'x2 $\frac{1}{2}$ ')	4	300.00
	2) वॉशिंग वेट्स (6'x4'x2 $\frac{1}{2}$ ')	1	300.00
	3) बेसिन एण्ड पेन्ट्स	1	200.00
	4) डाइंग फ्रेम	1	150.00

	5) ब्लाक्स एण्ड टेबल्स फोर प्रिन्टिंग 3	300.00
	कुल योग	2000.00
3.	वूल विविंग एण्ड फेल्ड मेकिंग	
1.	कार्डिंग मशीन	
	2. हेंड कार्ड्स	
	3. स्पनिंग व्हील्स 10	300.00
	4. फिनिशिंग यूटेनसिल्स 10	200.00
	5. पिट एफ. एस. लूम्स 10	500.00
	6. फ्रेम्ड एफ.एस. लूम्स 4	400.00
	7. हेल्ड्स (Healds) 4	200.00
	8. रीड्स (Reads) 4	200.00
	9. शटल पर्नस (Petns) एण्ड	
	बॉबिन्स 4	200.00
	कुल योग	2000.00
	संस्थान के लिए फर्नीचर -	1000.00
	Total Non Recurring Expenditure	8000.00
	अनुमानित व्यय (Estimated Expenditure)	
1.	नॉन रिकरिंग परचेज ऑफ टूल्स एण्ड फर्नीचर	8000.00
2.	रिकरिंग एक्सवेनडिचर	
	1. टेकनिकल एण्ड ऑफिस एश्टेबलिशमेन्ट	8772.00
	2. स्टीपेन्ड्स टू 30 ट्रेनिज	9000.00
	3. पर्चेज ऑफ रो-मेटेरियल	600.00
	अनुमानित प्राप्ति :-	
1.	तैयार माल की बिक्री	3000.00
	(Sale of Finished Prasd)	

कुल रूपये 31,772 - 3000 = 28,772.00

Net Expenditure - 28772.00 Rs.⁸

शिक्षा विभाग के डायरेक्टर द्वारा अपने पत्र संख्या W/45/46/9 तारीख 18. 12.1946 में सरदारपुरा स्थित सिविल छात्रावास भवन को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की प्रार्थना की, किंतु यह छात्रावास शिक्षा विभाग को न देकर 'कुटीर उद्योग संस्थान' के उपयोग हेतु दी गई।⁹ तत्कालीन जोधपुर सरकार श्री महाराज साहब बहादुर द्वारा भी जोधपुर में कुटीर उद्योग संस्थान की स्थापना योजना की 1 जुलाई 1947 से प्रभावी व्यय संबंधी विवरण के साथ मंजूरी दे दी गई।¹⁰

सरदारपुरा सिविल हॉस्टल बिल्डिंग को कुटीर उद्योग संस्थान के उपयुक्त बनाने हेतु उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन करने थे। अतः इस संबंध में उद्योग तथा कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर ने पब्लिक सेवा विभाग, सिविल इंजीनियर को पत्र लिख कर कहा कि वह जुलाई माह से इस संस्थान को प्रारम्भ करना तय हुआ है। अतः वे शीघ्र ही सिविल हॉस्टल बिल्डिंग के मरम्मत कार्य का एक आंकलन तैयार करें तथा सरकार की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करें।¹¹

तत्कालीन अर्थमंत्री द्वारा जोधपुर विकास विभाग मंत्री के सैक्रेटरी को यह लिखा गया कि सिविल हॉस्टल बिल्डिंग की मरम्मत हेतु 8,200 की अतिरिक्त अनुदान परिषद से समर्थित है।¹² सिविल इंजीनियर ने मरम्मत कार्य हेतु 8,200 रूपये का आंकलन किया तथा एक अतिरिक्त अनुदान के लिये प्रशासनिक मंजूरी तथा धन की व्यवस्था की मांग की। जिसे परिषद् में समर्थित किया था।¹³ तत्कालीन सरकार महाराजा साहब बहादुर ने मरम्मत हेतु 8200 तथा इसी कार्य हेतु 8200 की अतिरिक्त अनुदान की भी मंजूरी दे दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के अधीन विभागीय कार्य के लिये यह अनुदान राशि 2326 रूपये से 31420 रूपये हो गई तथा पूरी बिल्डिंग 16,82,320 रू. से बढ़कर 16,90,520 रू. हो गई।¹⁴ उद्योग तथा कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर द्वारा इस संस्थान में एक टेलीफोन लगाने के लिये तथा कुटीर उद्योग संस्थान के लिये आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये भी पत्राचार हुआ।¹⁵

यह प्रस्तावित था कि यह संस्थान 1 जुलाई 1947 से प्रारम्भ होना था, लेकिन एक दुःखद घटना अर्थात् भूतपूर्व महाराजा का देहांत हो जाने के कारण बिल्डिंग तथा उपकरणों का निर्माण कार्य रुक गया तथा इस संस्थान की मरम्मत करने में कुछ विलम्ब हो गया। अतः तब तक कुछ पुराने उपकरणों को इस संस्थान में लगाया गया। इस कार्य हेतु मिस्टर प्रभुराम को लगाया गया जो बुनाई निरीक्षक थे उन्हें करघा इत्यादि लगाने का कार्य भी सौंपा गया।

इस प्रशिक्षण संस्थान में 27 प्रशिक्षु ने जिनका कुल मासिक वेतन 675 रू. था अर्थात् प्रति प्रशिक्षु 25 रू. मासिक वेतन। वेतन पर होने वाला खर्च आकस्मिक व्यय निधि में से दिया जाता है। लेकिन उद्योग तथा कामर्स विभाग के डायरेक्टर को इस आकस्मिक व्यय विधि में से 250/- रूपये से अधिक व्यय करने का अधिकार नहीं था अतः डायरेक्टर द्वारा विकास मंत्री से यह प्रार्थना की गई कि वह सितमबर माह, 1947 के लिये 675 रू. वेतन मिल पारित करने की मंजूरी देवे। चूंकि यह वेतन संबंधी खर्च प्रतिमाह होने वाला खर्च है इस आधार पर उद्योग तथा कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उसे प्रतिमाह 675 रू. का वेतन बिल पारित करने का अधिकार देवे।¹⁶

यह भी कहा गया कि अक्टूबर माह के लिये 30 प्रशिक्षुओं के लिये आकस्मिक व्यय प्रशिक्षण कक्षा वेतन चित्र विधि से 750 रू. का वेतन बिल पारित करने के लिये एकाउन्टेन्ट जनरल को आदेश दिया जाए।¹⁷ इस संबंध में परिषद् (सरकार) को भी पत्र लिखा गया तथा इस पर उसकी मंजूरी मांगी गई।¹⁸ योजना में कुछ विलम्ब हो जाने के कारण प्रशिक्षण सत्र का प्रारम्भ सितम्बर 1946 से फरवरी 1947 तथा दूसरा सत्र अगले छह माह के लिये रखा गया।

प्राप्तियां :-

1. गौण	
1. ईडीडी	
2. सीआईआई सेल ऑफ फिनिशड प्रोडक्ट	- 3000
संस्थापन :-	
1. तकनीकी स्टॉल	- 1100
2. ऑफिस स्टाफ	- 370
3. नौकर-चाकर	- 220
2. आकस्मिक व्यय विशेष	
1. उपकरण	- 8000
2. ट्रेनिंग डेसिस स्टिपेन्ड्स-	1500
योग	9500
3. आकस्मिक व्यय सामान्य	- 3850
कुल	15040

उपरोक्त अध्ययन से यह पता चलता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु उत्साहित थी तथा सरकार द्वारा कुटीर उद्योग के लिये जो व्यय संबंधी ब्यौरा दिया गया उससे यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार अपने खर्च पर युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु तैयार थी यह तत्कालीन शासन या राजव्यवस्था की जनता के प्रति सजगता तथा व्यवहार को प्रकट करता है।

संदर्भ

1. फैक्ट्रीज एण्ड मिल्स आदि $\frac{-c}{1} - III$, पत्र संख्या 1643, 1947-48
2. फैक्ट्रीज एण्ड मिल्स आदि $\frac{-c}{1} - III$, पत्र संख्या 4238, 1947-48
3. फैक्ट्रीज एण्ड मिल्स आदि $\frac{-c}{1} - III$, पत्र संख्या 1757, 1947-48
4. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $\frac{-c}{1} - I$, पत्र संख्या 8233, 1946-47
5. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $\frac{-c}{1} - I$, पत्र संख्या 10036, 1947

6. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 1482]W/45/48, INDS/317 1947
7. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, एपेन्टीक्स ए, 1947
8. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, एपेन्टीक्स बी, 1947
9. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 3277, 3278 1947
10. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 654, 1947
11. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 3276, 1947
12. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 8276, 1947
13. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 4592, 1947
14. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, सी आर नं. 30, 1947
15. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 17137, 1947
16. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 19552, 1947
17. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 881, 1947
18. परमिशन टू स्टार्ट मिल्स एण्ड फैक्ट्रीज $-\frac{c}{i/1}-I$, पत्र संख्या 681, 1947

भील जनजाति की सांस्कृतिक विरासत-पर्व एवं त्यौहार डॉ. (श्रीमती) दिग्विजय भटनागर

भारतीय समाज में पर्वों एवं त्यौहारों का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है विशेषकर आदिवासी जनजातियों में ये पर्व और त्यौहार, उनकी जीवन शैली और मनोरंजन का मुख्य आधार है एवं उनके उत्साह, उमंग, उल्लास के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ की भील जनजाति में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर उनसे पर्व एवं त्यौहारों की वास्तविक जानकारी लेने का प्रयास किया गया।

नवरात्रा : नवरात्रों का प्रारम्भ विक्रम संवत् अश्विन शुक्ल की एकम् से होता है। रियासत काल में भी एकम्, पंचमी, अष्टमी विशेष दिन होने के कारण इन दिनों को राजकीय अवकाश रखा जाता था।¹ एकम् के दिन घट स्थापना कर देवी पूजा का अनुष्ठान प्रारम्भ, पंचमी के दिन शासक वर्ग एवं जनसाधारण द्वारा खड्ग पूजन, अश्व पूजन, गज पूजन की परम्परा थी। भील समाज में गांव के पटेल या महाराज के द्वारा नवरात्रों की स्थापना करना अनिवार्य है इनमें लोक देवी-देवताओं जैसे हूरामाता, भेरूजी, सूरणामाता, हनुमान पावजी, कसूमोर पावजी, काली माता आदि की स्थापना की जाती है। गांव का कोई भी व्यक्ति गांव के पटेल की सहायता से नवरात्रों की स्थापना मन्त मांगने के लिए करवा सकता है। साधारणतया भील आदिवास बच्चे के लिए, बीमारियों से मुक्ति तथा खुशहाली के लिए नौ बाड़ी या सात बाड़ी की मन्त मांगते हैं अर्थात् उनका कार्य सिद्ध होने पर वे आने वाले नौ सालों तक या सात सालों तक नवरात्रों की स्थापना करेंगे। इसे आदिवासियों में 'जौवरा डालना' कहा जाता है। जौवरा डालने में गैहूं को पूजा स्थल के पास बोया जाता है। इस उत्सव में परिवार के, गांव के तथा दूसरे गांवों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। आदिवासी लोग लगातार नौ दिन तक रात्रि को भोजन के बाद पूजा अर्चना करने के लिये आते हैं तथा जौवरा के सक्षम भजन कीर्तन किया जाता है।

चौकूं होनू मेलों रे भवानी मां चौकू होनू मेलू
भवानी मां तो पावागढ़ रानी.....

इस दौरान ऐसा भी मानते हैं कि कई पवित्र लोगों में दैवीय भाव आ जाता है, इन्हे 'धुन्ना' कहा जाता है। ये 'धुन्ना' भविष्यवाणी करते हैं कि अगला वर्ष कैसा होगा, विपत्तियां कब-कब आयेगी, साथ ही ये जौवरा में आये लोगो के प्रश्नों के उत्तर भी

देते हैं। विश्वास किया जाता है कि इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य साबित होती हैं। रात को ही जौवारे के आगे परिवार तथा गांव के लोग गरबा खेलते हैं जो अपनी परम्परागत सादी पौशाकों में होते हैं। सप्तमी और अष्टमी को बड़ी पूजा का आयोजन किया जाता है। जिसे देखने काफी संख्या में आदिवासी आते हैं। इन दिनों गरबे की धूम होती है तथा बड़ी नाटकों की टोली को विशेष तौर पर बुलाया जाता है जो सामान्यतया किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, इसे वे एक धार्मिक कार्य मानते हुए गर्व का अनुभव करते हैं।¹² गांव के बड़े-बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी लोग इसे देखने के लिए एकत्र होते हैं। नवमी के दिन “जौवारा बुड़ाना (डुबोना)” की रस्म होती है। इसमें रिश्तेदारों, गांव के लोगों, मित्रों को निमंत्रण भेजा जाता है। रिश्तेदार नये कपड़े लेकर आते हैं जिसे ‘ममेरा’ कहा जाता है। जौवारे को बुरी नजर से बचाने के लिए चले और भोपे बांस की लकड़ी के ऊपर लोटा, नारियल, नींबू और तलवार बांध कर बनाये गये ‘लीसान’ को लेकर आगे-आगे करतब दिखाते हुए चलते हैं तथा अन्य सभी लोग उनके पीछे-पीछे। नाला या नदी के किनारे जौवारे को बुड़ाया (विसर्जित) किया जाता है। यहां पर घी से बनी गेहूँ की पुड़ियों को चले और भोपे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं जिसे नहीं मिलता वह नाराज हो जाता है अतः यह प्रसाद सभी को मिलना अनिवार्य है।

दशहरा पर्व : यह भीलों का लोकप्रिय एवं धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा महोत्सव है। दशहरा चैत्र शुक्ल की दशमी को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आस-पास क्षेत्र के सभी भील आदिवासी जो बाहर काम के लिये गये होते हैं वे दशहरा पर अवश्य घर पर आते हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे से मिलने का वायदा भील प्रेमी-प्रेमिकाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दशहरा धार्मिक पर्व के साथ सामाजिक मेल-मिलाप का क्षण भी लेकर आता है जिसका भील समाज में अत्यधिक महत्व है। भिन्न-भिन्न गांवों के भील आदिवासी डूंगरा और कुशलगढ़ में दशहरा का मेला देखने आते हैं।¹³ गांव से समूह में लड़के-लड़कियां, स्त्री-पुरुष दोनों गाना गाते हुए विभिन्न साधनों से यहाँ तक पहुंचते हैं। पहले लड़के गाना गाते हैं फिर शोरिया (लड़कियां) उसे दोहराती हैं।

मेळी मेळी सरियो मळी वेवाण मेळा मां

सई मां मेळा थायां वेवाण मेळा मां (लड़कों का समूह)

ऐम, थोड़ो रईना डोले वेवइ मेळा मां

मेळा मां सई मां मळा थायां वेतई दाहरा मां (लड़कियों का समूह)

झूलों पर बांसुरी बजाने वाले पुरुष के साथ लड़कियां अधिक संख्या में जाती हैं अर्थात् व्यक्तित्व और कुशलता का महत्व आदिवासी स्त्री समाज में विशेष है। नवयुवकों में मिश्रित पहनावा प्रचलित है - लुंगी और शाल, धोती और झूलड़ी

(शर्ट), पेन्ट व शर्ट आदि। युवातियों को आकर्षित करने के लिये नवयुवक चांदी की धातु के बने बोरिया⁴ और तागड़ी⁵ नामक आभूषण पहनते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है। कई बार तो युवतियों को प्रभावित करने के लिये भील युवक अपने मित्रों व रिश्तेदारों से बोरिया और तागड़ी मांगकर पहनकर आते हैं। साथ ही जिस भील नवयुवक के पास मेले में कोई हथियार विशेषकर तीरकमान होता है, उसके व्यक्तित्व से भील नवयुवतियां प्रभावित होकर उसे रोबीला हडीला पुरुष मानती हैं और आकर्षित होती हैं। यह उसके उच्च सामाजिक स्तर का परिचायक माना जाता है।

दीपावली – सबसे पहले धनतेरस का पर्व मनाते समय भील आदिवासी गांव में किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तथा लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे भील श्रद्धा एवं आस्था का प्रतीक मानते हैं। धनतेरस के दूसरे दिन घरों की साफ सफाई की जाती है। इस दिन गाय-बैल सभी पशुओं को नहलाया जाता है। नहलाने के बाद शाम को जब पशु घर लौटते हैं तब दरवाजे पर दीपक जलाया जाता है तथा पशुओं की आरती उतारी जाती है। बाद में पूर्वजों की समाधियों पर जाकर उन्हें याद करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, शराब की धार देते हैं तथा फटाके फोड़ते हैं और नया ध्वज भी चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी घरों में मीठा-पकवान व स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। भोजन करने के बाद सभी लोग ढोल और बांसुरी बजाते हुये प्रत्येक घर में दीवाली की शुभकामनाएं देने जाते हैं। मेरिया (मेहमान) तोमड़ी को लेकर आगे-आगे चलते हैं। प्रत्येक घर से तोमड़ी में तेल बिना कहे डाला जाता है। भील आदिवासी जयगुरु जी या राम-राम द्वारा अभिवादन करके हाथ मिलाकर या गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यहां पर स्त्री-पुरुष का लिंग भेद नहीं होता है कि स्त्री-स्त्री से तथा पुरुष-पुरुष का स्वागत करेगा। तोमड़ी के बीज प्रत्येक आदिवासी परिवार में उगाकर दीवाली की तैयारी की जाती है। तोमड़ी का आदिवासी भील जनजाति में धार्मिक महत्व है। मेरिया जिस परिवार के टापरो (घरों) पर जाते हैं वहां स्वागत में मिठाई और शराब की आशा अवश्य करते हैं। महुआ के फल की शराब विशेष तौर पर पसंद की जाती है।

रात्रि के मेरिया में नवयुवक और बच्चे अधिक जाते हैं। बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी शराब पीते हैं और मेरिया बोलकर सो जाते हैं। इस दिन रात भर में रहीडा गाथा गाये जाने की परम्परा है, जिसमें धरती का, सृष्टि का उससे जुड़े बैल हल का वर्णन होता है। अगली सुबह मुर्गे की बांग देते समय प्रत्येक घर में नारियल, बकरा, मुर्गा और दारू, पूर्वजों तथा देवी देवताओं की याद में अपने झापे (दरवाजे) पर बलि देते हैं। परिवार का मुखिया अपने पूर्वज और लोक देवी-देवताओं से सुख शान्ति की मन्त मांगता है। इसे 'मनवना' कहा जाता है। इसके बाद सभी घरों में अपने-अपने जानवरों को रंगों से रंगा जाता है तथा गांव की एक निश्चित चुनी हुई जगह पर जिसे

'गांव का गोन्दरा' कहा जाता है, गांव के समस्त जानवरों को इकट्ठा किया जाता है। इन्हें डोल बजाकर खेलाते हैं। इसे 'डगरे भड़काना' कहते हैं। जब सभी जानवर एक साथ दौड़कर आते हैं तब गांव के एक या अनेक व्यक्तियों पर देवीय शक्ति रहती है। वह व्यक्ति जानवरों को दौड़कर आते देखकर जमीन पर लेट जाता है जिसे 'गोयरी पड़ना' कहते हैं। इस अवसर पर जो पशु सबसे पहले गोयरी पड़ना को स्पर्श करता है उसके आधार पर आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है जैसे सबसे पहले काली गाय का पैर गोयरी को स्पर्श करें तो पूरा साल अकाल या विपत्ति का माना जाता है। यदि चितकवरी गाय का पैर-व्यक्ति को छुए तो पूरा वर्ष मध्यम प्रकार का रहता है तथा सफेद गाय के सबसे आगे आने पर अगला वर्ष अति उत्तम माना जाता है। इस परम्परा के बाद गांव का जो भी देवी-देवता होता है वहां पर जाकर सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं तत्पश्चात् उन परिवारों में सबसे पहले जाया जाता है जिनके यहां मृत्यु हो गयी हो। वहां पर लोग ढोल बजाते हुए सांत्वना देने के लिये जाते हैं। बाद में गांव के अन्य सभी परिवारों में नाचते गाते हुए सजी-धजी 'रई बुढिया' (दो पुरुष एक महिला वेश में तथा दूसरा जोकर के रूप में जो करतब करने तथा नाचने में पारंगत होते हैं) के साथ सभी आदिवासी परिवार एक के बाद-दूसरे इसमें शामिल होते रहते हैं। इसे 'बड़ा मिलन' कहा जाता है क्योंकि इसमें गांव के प्रतिष्ठित लोग (पटेल, उसका परिवार, रिश्तेदार) भी शामिल होते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।

दीवाली मगरा - आस पास के क्षेत्रों के विभिन्न गांवों से कस्बों से अलग-अलग रई-बुढिया आते हैं। वे सामूहिक रूप से नाचते हैं और विभिन्न गांवों से आयी रई-बुढिया के बीच प्रतियोगिता होती है और मेला भरता है जिसमें अलग-अलग गांवों के लोग आते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। दीवाली मगरा में भी पूर्व की भांति गाय-बैलों को दौड़ाया जाता है। इसके पश्चात् वह गांव की भविष्यवाणी और मगरे की भविष्यवाणी के आधार पर इलाके की भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा होगा। दीवाली मगरा की अन्य विशेषता है कि यहां विवाह भी होते हैं। यदि किसी भील नवयुवक को कोई युवती पसंद आ जाये तो वह अपने साथियों के साथ 'लाड़ी घिहना' को उठाकर जबरदस्ती मारपीट करते हुए ले जायेगा या फिर यदि लड़का-लड़की राजी है किंतु माता-पिता रिश्ते के लिए सहमत नहीं है तो वे लोग भी भागकर विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार लोग 'लाड़ी घिहना' को उठाकर ले जाने की घटना को बहुत ही रोमांचकारी मानते हैं और बड़ी संख्या में इसे देखने के लिये एकत्र होते हैं।¹⁶ टीमेड़ा, लौहारिया और डूंगरा के दीवाली मगरे में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं।

चौदस- दीवाली के 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल की चौदस मनायी जाती है। इसमें दीवाली के पहले जिन लोगों की मृत्यु हो गई हो, उनका 'आंख उगाड़ना' नामक

रिवाज भील जनजाति में प्रचलित है। प्रातः सुबह 4 बजे चावल बनाये जाते हैं, जिनमें नमक नहीं डाला जाता है लेकिन पड़ौसी उन चावलों में छुपके से नमक डाल देते हैं जिसकी जानकारी उस परिवार के लोगों नहीं होनी चाहिए। चावल को टोकरी में लेकर साथ में दीपक और बांस की झोपड़ी लेकर नदी, नाले, या तालाब में शोकाकुल परिवार के केवल पुरुष, बच्चे और पड़ौसी जाते हैं। झोपड़ी को पानी के नजदीक खड़ी कर देते हैं, दीपक को उपली या चौकोर लकड़ी के पाटे पर सात दीपक जलाकर पानी में रख देते हैं। बाद में आंखे और मुंह धोते समय ईश्वर से मरने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी भी आंखे खोल दे ताकि वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके। चावलों को पुनः घर नहीं लाया जाता, बल्कि दिन उगने से पहले ही उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा उसी स्थान पर खा लिया जाता है।⁷ इसी दिन जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित अंदेश्वरजी का मेला आदिवासी भीलों में काफी प्रसिद्ध है। इसमें कुशलगढ़, बागीदोरा, दानपुर, बांसवाड़ा, जालौर, दाहोत, झबुआ आदि क्षेत्रों के आदिवासी भील मेला देखने के लिये एकत्र होते हैं। इस मेले में आस-पास क्षेत्र के लोग जिन की मन्ते होती है, जौवारा भी लाते हैं। भील युवक-युवतियां का हर्षोल्लास और स्वतंत्र जीवन का आनंद देखते ही बनता है वे गाना गाते हुए भजन-कीर्तन करते हुए, झूले झूलते हैं।

होली पर्व- कुशलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी भील जनजाति में भी होली उसी प्रकार महत्वपूर्ण पर्व है जैसा कि अन्य समाजों में देखने को मिलता है। रियासत काल में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। 6 दिन का राजकीय अवकाश रखा जाता था।⁸ होली फाल्गुन मास में आती है लेकिन इसे मनाने के रीति-रिवाजों में भिन्नता भील समाज में देखने को मिलती है। होली के दिन नव-विवाहित अदिवासी भील उपवास रखते हैं जिनकी पहली होली होती है। सभी टापों में मीठा भोजन बनाया जाता है तथा शाम को सभी लोग होली दहन के लिये जाते हैं। होली दहन पटेल या पटेल के परिवार के लोग, जो विवाहित हो, वही कर सकता है। नारियल, घी, धूप, पकवानों से पूजा की जाती है। 15 दिन पहले से ग्वाल-बच्चे, विशेष प्रकार की गोल, गोबर से बनी 'अहेड़ा' बनाते हैं। नवविवाहित लोग अपने सुखद दामपत्य जीवन के लिये होली के सात फेरे लगाते हैं तथा जो निःसंतान दम्पति है, वे संतान प्राप्ति के लिये मन्त मांगकर 7 फेरे लेते हैं। होली दहन पर आये भील लोग गीत गाते हैं, एक दूसरे को गाली-गलौज कर मजाक करते हैं। इस समय उम्र का भेद नहीं किया जाता है तथा बुजुर्ग लोग भी मजाक का बुरा नहीं मानते हैं।

होली के जलते समय लोक मान्यता के आधार पर यह माना जाता है कि यदि आग की लपटे सीधी रहती है तो पूरा वर्ष अच्छा रहने तथा किसी एक दिशा में आग

की लपटे बार-बार जाती है तो उस दिशा में अकाल, भूकंप या अन्य ऐसी ही प्राकृतिक विपत्ति का संकेत होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि होली का 'ढाण्डा' पूर्व, उत्तर दिशा में गिरता है तो वर्ष उत्तम रहता है, अगर पश्चिम व दक्षिण दिशा में गिरता है तो पूरा वर्ष विपत्तियों में कटता है। होली जलने के बाद 'ढाण्डा' की रखवाली के लिये दो-चार आदमी अवश्य रखे जाते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता भीलों में प्रचलित है कि ढाण्डा को खाली छोड़ने पर डाकन या कोई भी बुरी आत्मा आकर आग का दुरुपयोग कर सकती है।

धुलण्डी के दिन प्रातः काल कुंवारियां नदी नाले में पानी भरकर होली को ढाण्डी करती है तथा गाना गाती हुई जाती है -

पैसे पैसे रेगणो रें डामोरिया

कालीया वाळी ने रेगणों रे डामोरिया

होली ठण्डी होने के बाद गांवों के सभी घरों में जाकर होली खेली जाती है। होली खेलने में रंगों व राख के कीचड़ का प्रयोग किया जाता है। जो लोग होली नहीं खेलते उनके साथ जबरदस्ती की जाती है और उन्हें होली अवश्य खिलाई जाती है। इस दिन भीलों में शराब का सेवन अवश्य किया जाता है। उनके रंगों का उल्लास और उमंग देखते ही बनता है। डूंगरपुर के भीलूड़ा गांव में पत्थरों की होली या राड़ खेलने की परम्परा है।⁹ रंगपंचमी के दिन सम्पूर्ण गांव एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करते हैं। यह शौर्य के प्रतीक के रूप में जनजाति के लोग लम्बे समय से मनाते आ रहे हैं। यह पाषाण युद्ध के समान है, जिसे भीलूड़ा गांव की राड़ के नाम से जाना जाता है।¹⁰ इसी प्रकार चीतरी और गलियाकोट के होली चौक पर कंडों एवं मशालों की राड़ खेलने की परम्परा भी देखने को मिलती है। सागवाड़ा के पास कोकापुर में होलिका दहन के बाद जलते अंगारों पर चलने की परम्परा भी शौर्यता का प्रतीक मानी जाती है। डूंगरपुर रियासते के ओबरी गांव में होली पर्व पर फूतणा पंचमी मनाने की अनूठी परम्परा है। इस दिन गांव वासी एक खजूरी के वृक्ष पर एक नया धोती बांध देते हैं। अफीम, कंसूबा, नारियल आदि भी बांटा जाता है। होली की गैर खेली जाती है, स्त्रियाँ श्रृंगार के गीत गाती हैं। दोपहर में पुरुष खजूरी के नीचे खड़े हो जाते हैं और ऊपर चढ़कर धोती उतारने का प्रयास करते हैं, जो पुरुष विजयी होता है उसे उस वर्ष का वह गांव का वीर पुरुष बन जाता है, सदियों से चली आ रही यह परम्परा अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है।¹¹ वमासा गांव में होली पर गेर खेलने की परम्परा है जो 'हांकणियाणी गेर' कहलाती है। यह पुरुषों द्वारा ही ढोल की थाप पर डांडिया द्वारा खेली जाती है। इसकी ताल, लय, गति सब कुछ आश्चर्य चकित करने वाली होती है। गीत भी गाये जाते हैं जो प्रेम, मस्ती से भरे होते हैं।¹²

मकर संक्रांति पर्व - भील समाज में मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह पर्व पुरुष वर्ग द्वारा विशेषतौर पर मनाया जाता है। लोकश्रुति के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है जिससे दिन लम्बे हो जाते हैं, मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन तिल से बनी चीजों का सेवन अवश्य किया जाता है तथा खाना घर के बाहर ही बनाया जाता है। कस्बों जैसे सज्जनगढ़, डूंगरा, लोहारिया, रामगढ़, टीमेड़ा, तामेसरा, भीलकुआं, सरवा, मोहकमपुरा आदि में इस दिन गिल्ली-डण्डा, सितौलिया, गेंद और गोंडा का खेल बच्चों और नवयुवकों द्वारा खेला जाता है।¹³ कई गांवों में इन खेलों को खेला जाता है किंतु समय के साथ इनका प्रचलन कम हो गया। गुजरात के प्रभाव के कारण वर्तमान में पतंग उड़ाने की परम्परा है।¹⁴ जनजाति वर्ग में इस दिन जंगलों में दीवी नामक पक्षी को छोड़कर पीछा किया जाता है। वह उड़कर सूखे पेड़ या हरे पेड़ किस पर बैठती है, देखा जाता है। वृक्ष पर बैठने के आधार पर अगले वर्ष का भविष्यफल या शगुन देखा जाता है।¹⁵

आखातीज - चैत्रमास की तृतीया के दिन को अक्षय तृतीया के रूप में माना जाता है। हिन्दु धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसे अबूझ मुहूर्त माना जाता था अर्थात् यह एक पवित्रम् दिन है। अक्षय का अर्थ - जिसका कभी क्षय या नाश न हो, जिसको लोक भाषा में आखातीज बोला जाता है। इसे नव वर्ष का आरम्भ माना जाता है। इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व था। इस त्यौहार पर कोरा (कुश) दान जाता था। बीजनी, मिट्टी के खरबुजे आदि में देते थे। वर्तमान में भी यह पर्व उमंग और हर्षोउल्लास से मनाया जाता है। कुशलगढ़ आदिवासी क्षेत्र में आखातीज का भील समुदाय में विशेष महत्व है। आखातीज को हल तथा धरती की पूजा की जाती है। खेत में हल से कम से कम 5 रेखाएं जोती जाती हैं तथा खेत में पांच-पांच टोकरे गोबर की खाद के डालते हैं। इस दिन पशुओं की भी पूजा की जाती है, चींटियों को आटा खिलाया जाता है। कुशलगढ़ क्षेत्र में आखातीज पर बाल विवाह या रोकने की परम्परा नहीं है।

रक्षाबंधन - समाज की मुख्य धारा से जुड़ने तथा हिंदु समाज के सम्पर्क में आने के बाद भीलों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू कर दिया। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहिन की शादी के प्रथम वर्ष भाई बहिन के घर जाकर बहनोई के लिये कपड़े ले जाता है। बहिन भाई को कलाई पर सुरक्षा व कल्याण की भावना से राखी बांधती है तथा भाई उसे उपहार स्वरूप कपड़े और रूपये देता है। बहिन के ससुराल वाले इनका बड़ा स्वागत करते हैं। अगले दिन भाई बहिन को अपने घर लिव्वा लाता है। डूंगरपुर रियासत के भीलूड़ा गांव में रक्षाबंधन पर्व पर हरिया परम्परा भी प्रचलित है जिसमें वर्षा के आंकलन की परम्परा रही है। गांव के रघुनाथ

मंदिर एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ मंदिर परिसर में हरिये¹⁶ को खूंटे के रूप में गाड रक्षासूत्र बांधा जाता है। फिर मानसूत्र के चार प्रतीक चार घड़ों को जल से भरकर उन पर आषाण, श्रावण, भाद्रपद एवं अश्विन मास लिखकर उत्साही युवकों द्वारा एक एक घड़ों को खूंटे के ऊपर फोड़ कर फूटे घड़ों के नाम लिखे टुकड़े को इकट्ठा कर गांव के बुजुर्गों द्वारा अगले वर्ष होने वाली वर्षा का अनुमान लगाते हैं। टुकड़ों को इकट्ठा कर देखा जाता है कि कलश पर लिखे महीनों के नामों के कितने अक्षर सुरक्षित हैं एवं कितने टूट चुके हैं। माह के प्रत्येक अक्षर को दस दिन का मानकर देखा जाता है कि अगले वर्ष वर्षा का योग क्या है? जितने शब्द टूटे हुए होते उतने दिन वर्षा योग माना जाता है। इस भविष्यवाणी के आधार पर किसान अगले साल का बुवाई कार्य करते हैं। इस प्रकार इन उत्सव और त्यौहारों के माध्यम से भील संस्कृति का वास्तविक चलचित्र उभर आता है। भील आदिवासियों की सादगी, पवित्रता और धर्म के प्रति निष्ठा देखते बनती है।

संदर्भ

1. डूंगरपुर राज्य पत्र, शुक्रवार, 1939 ई. पृ.15; के.एल. सहगल, राजस्थान डिस्ट्रीक्ट गजेटियर ऑफ डूंगरपुर, पृ. 54
2. सुन्दर लाल शर्मा, जनजाति, संस्कृति, लोकगीत व लोकनृत्य, पृ. 34
3. शरद चंद्र पण्ड्या, वागड़ नी संस्कृति, 1999, पृ. 94
4. बोरिया- हाथ में पहनने वाला चांदी का आभूषण (चांदी का कड़ा)
5. तागड़ी-गले में पहने जाने वाला आभूषण, जो विशेष अवसरों पर नवयुवकों द्वारा पहना जाता है।
6. सुन्दर लाल शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 37
7. साक्षात्कार पर आधारित
8. के.डी. अर्सकीन, दी भील्स, गजेटियर्स ऑफ दी उदयपुर स्टेट 1908 ई. पृ. 236
9. सुन्दर लाल शर्मा, पूर्वोक्त, पृ.2
10. राजस्थान पत्रिका, वागड़ पृष्ठ, बुधवार 29 अगस्त 2005 पृ. 2
11. फूतणे सरया मारा फलाणा भीई वीर..... ?
12. गीत लाल केसा वाड़ी मंचमों सांपलियों कटावो, के तेनो घड़ावों रंग पर ढोलियों. द्वाणों द्वाणो ओणी ने सेक रंग पर ढोलियों.....लाल केसा पोड़े दारी अमुक नार ढोलियो, लाल के सा खले दारिने गायना वगेरे
13. सी.एल. शर्मा, भील, समाज कला व संस्कृति, 1998 पृ. 197
14. शरद चन्द्र पण्ड्या, पूर्वोक्त, पृ. 94
15. राजस्थान पत्रिका, डूंगरपुर बांसवाड़ा संस्करण 15 जनवरी 2007 पृ. 6
16. हरिया लकड़ी से बना ही आकार का होता है।

राजस्थान की देशीय बैंकिंग : कार्य प्रणाली एवं ऋणी-ऋणदाता सम्बन्ध में राज्य की भूमिका (1750 ई.-1870 ई.)

डॉ. कुलवन्त सिंह शेखावत

मुगल राजसत्ता के पराभव के पश्चात् 18वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान की सभी राजपूत रियासतें स्वतंत्र संप्रभु हो गयीं। उन्होंने अपने राज्य निर्माण के लिए प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को संचालित किया यह क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 1818 की संधियों के पश्चात् कंपनी की नीतियों का प्रभाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में दिखने लगा। वह बैंकिंग व्यवस्था में दिखाई देता है। शोध-पत्र में निरूपित काल में राजस्थानी भाषा के दस्तावेजों से बैंकिंग के कुछ नवीन पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री, चूरू भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान बीकानेर एवं राजस्थान अध्ययन केन्द्र जयपुर आदि संस्थानों से प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग किया गया है।

मध्यकालीन देशीय बैंकिंग में कोठीवाल, बोहरा, साहूकार, सराफा एवं महाजन आदि बैंकर कार्यरत थे। सभी की अपनी-अपनी पृथक आसामी (ग्राहक), कार्य एवं पद्धतियां होती थी।¹ राजस्थान में भी प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य कोठीवाल राज्यों के शासकों जागीरदारों एवं बड़े व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाते थे। इस काल में राजस्थान की सभी देशी रियासतों के शासकों द्वारा समय-समय पर ऋण लिया जाता था। शासकों के द्वारा ऋण के एवज में साहूकार के पक्ष में राज्य की आय के विभिन्न स्रोतों को आरक्षित करते थे। उन राजस्व स्रोतों से प्राप्त धनराशि से ऋण की अदायगी कर दी जाती थी। सौभाग्य से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के बीकानेर राज्य के कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि इन आरक्षित आय के स्रोतों (ठोड़ों की जमा) के क्षेत्रों में किस प्रकार ऋण वसूली की कार्य प्रणाली अपनाई जाती थी। बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह (1787-1827 ई.) ने 1827 ई. में चूरू के प्रसिद्ध सेठ मिर्जामल पोद्दार से 4 लाख रुपये ऋण के बदले राज्य के विभिन्न आय के स्रोतों को सेठ के पक्ष में आरक्षित करते हुए एक वचनबद्ध पत्र (हुंडी) जारी की जो लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू में सुरक्षित उपलब्ध है।² अभी तक विभिन्न स्रोतों से इस प्रकार के ऋण की वसूली की प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिलती किन्तु राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में कागदों की बही नं. 33/2 वि.सं. 1884

(1827 ई.) में दरबार की ओर से हनुमानगढ़, छत्रगढ़, रावतसर, भादरा एवं नोहर के हुवलदारों को भेजे गये शासकीय आदेशों में आरक्षित आय के स्रोतों की वसूली प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ता है।³ इन दस्तावेजों से साहूकार के पक्ष में आरक्षित आय के स्रोतों से ऋण वसूली में अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार सेठ के कर्मचारी सम्बन्धित क्षेत्र में जाकर राजस्व संग्रहण करते थे तथा सभी प्रशासनिक एवं भू राजस्व अधिकारियों को उनका सहयोग करना होता था। राज्य की ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि सम्बन्धित क्षेत्र का राज्याधिकारी सेठ के कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए जिम्मेदार था। इसमें महीनादार, रोजगार के रूप में वेतन एवं पेटे (दैनिक भोजन) प्रमुख था।⁴ राजस्व की वसूली होने पर सीधे साहूकार के प्रतिनिधियों को सौंप दी जाती थी, उन राजस्व प्राप्तियों को अन्य किसी मद में खर्च नहीं करने के स्पष्ट निर्देश थे। यदि राज्य का कोई कर्मचारी पदाधिकारी ऐसा नहीं करता तो उस पर हराम खोर चाकर मानने की चेतावनी दी जाती थी। राज्य के इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आरक्षित आय के स्रोतों की ठीक समय पर राजस्व वसूली कर ऋण का समायोजन करने की यह एक कुशल प्रबंधकीय कार्यप्रणाली थी जिसमें सेठ के गुमाश्ते राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते थे।⁵

ऋणी-ऋणदाता के सम्बन्ध में राज्य की भूमिका

राजस्थान के राजतंत्रीय सामंतीय व्यवस्था और ग्रामीण कृषिगत सीमित मौद्रिक अर्थव्यवस्था में साहूकार (ऋणदाता) एवं उधारिया (ऋणी) के सम्बन्ध लम्बे एवं स्थाई होते थे। कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी एक साहूकार के नियमित ग्राहक होते थे। लोकमणी संग्रह बहियों के ऋण-पत्रों में कुछ ऋणियों के खाते इस बात का परिचायक हैं कि वह साहूकार के नियमित ग्राहक थे।⁶ साहूकार ऋण-पत्र तैयार करते समय सभी तथ्यात्मक सूचनाओं को लिखता था ताकि किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सके यद्यपि इसके बावजूद भी दोनों के मध्य विवाद हो जाते थे। जिसे पंचायतों सामंतों (ठिकानेदारों) एवं देशी रियासतों के शासकों द्वारा निपटाया जाता था। उस समय के न्यायालय (कचेड़ी) में आने वाले मामलों का गौर से अध्ययन किया जाये तो पाते हैं कि वह ऋण-प्रणाली में प्रचलित नियमों एवं परम्पराओं के उल्लंघन करने सम्बन्धी होते थे।⁷ राजस्थान से कुछ ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिसमें ऋणी-ऋणदाता के सम्बन्धों में राज्य की विशेष भूमिका दिखाई देती है। राज्य ऋणी की निर्बल आर्थिक स्थिति होने पर साहूकार को ऋण राशि को स्थगित करने ब्याज दर को कम करने एवं ऋण को किश्तों में वसूल जैसे निर्देश एवं आदेश देता था।

(1) बीकानेर राज्य का श्रावण सुदी द्वितीया वि.सं. 1854 (1797 ई.) के एक शासकीय पत्र में उल्लेख मिलता है कि देशनोक गांव में अजय कुमोणी की बरु

के पूर्वजों ने खेत गिरवीर रख ऋण लिया था जिसमें ऋण राशि का भुगतान कर दिया था शेष राशि की अदायगी ऋणदाता को करनी थी। इस सम्बन्ध में राज्य से प्रार्थना करने पर दरबार ने उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऋणदाता को रियायत करने को निर्देश दिया था।⁸

- (2) बेदला के ठिकानेदार द्वारा आसोज बदी दसमी वि.सं. 1908 (1857 ई.) में एक परवाना जारी किया गया जिसके अनुसार रामगढ़ के शाह धन्ना सुराणा को निर्देशित किया गया कि शाह कालु जयसिंह की दुकान तुम्हारे पास गिरवी है जिसके कारण यह गांव से पलायन कर गया है अतः उसे पुनः बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में उसके ऋण को कुछ समय के लिए स्थगित करके 1.25 (सवा) रुपया प्रतिमाह किश्त निश्चित कर वसूल किया जाये।⁹
- (3) बेदला ठिकाने का 1870 ई. का एक परवाना जिसमें उल्लेख मिलता है कि गांव जूणदा के बोहरा गुमान चतुर्भुज चमार भुवाना में रुपये मांगता था जिसकी वसूली के लिए उसने ऋणी भुवाना का खेत जोत लिया अतः ठिकाने ने बोहरे को खेत छोड़कर भुवाना को सौंपने का आदेश दिया। इसके लिए पंचायत को भी अनुपालना के लिए कहा गया।¹⁰ यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस काल में गिरवी रखे खेत पर साहूकार के व्यापक अधिकार होते थे वह उसे जोतने, मुकाते (ठेके) पर देने या उसकी उपज को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र था।¹¹

राज्य के द्वारा ऋणी के साथ साहूकार के भी हितों का ध्यान रखा जाता था। राज्य के द्वारा साहूकार के ऋण राशि की वसूली करवाने के लिए मदद के लिए कदम उठाये जाते थे। विशेषतः साहूकारों को सामंतों एवं जागीरदारों को प्रदान ऋण की वसूली करवाने में राज्य हस्तक्षेप करता था। राज्य सामंतों एवं जागीरदारों को उनकी जागीर से प्राप्त हासिल (भू-राजस्व) से ऋणराशि अदा करने एवं जागीर को खालसा करने की चेतावनी तक दे देते थे। जयपुर राज्य ने 1752 ई. में राजसिंह शेखावत को टोडा महाजन की ऋण अदायगी जागीर से प्राप्त हासिल से करने के लिए कहा गया।¹² मेवाड़ के शासक ने रूपाहेली के भीमसिंह राठौड़ को सेठ ताराचंद का ऋण नहीं अदा करने पर जागीर को खालसा करने की चेतावनी दी।¹³ साहूकार की ऋण वसूली के लिए उस काल में ऋण एवं उसकी सम्पत्ति पर अटक करवाने की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। इस सन्दर्भ में अत्यन्त रोचक दस्तावेज लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर-श्री चूरु से प्राप्त हुए हैं। पत्र संख्या एस-601 में ऋण पर अटक होने की सूचना मिलती है। जिसके अनुसार 1863 ई. में चूरु के सेठ हरभगत गुरुमुख पोद्दार ने रतनगढ़ के दौले सिंघानिया को ऋण दे रखा था। ऋणी सिंघानिया रतनगढ़ से कलकत्ता जाने की सोच रहा था। तब चूरु के पोद्दार सेठ के कहने पर सिंघानिया पर अटक आ

गयी जिसके परिणाम स्वरूप वह रतनगढ़ से अन्यत्र नहीं जा सकता है।¹⁴ पत्र संख्या ए-245 में ऋणी की संपत्ति पर अटक आने का उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार 1838 ई. में चूरू के सेठ मिर्जामल पोद्दार ने ऋषिकेश पोद्दार को एक हजार का ऋण दे रखा था जिसकी वसूली करने के लिए उसके मोठ के भंडार गृह को अटकवा कर उस पर अधिकार कर लिया। यह उदाहरण किसी भी प्रकार से राज्य की किसी नीति का परिचायक नहीं है फिर भी यह तय है कि राज्य के शासकों एवं ठिकानेदारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की ग्रामीण कृषिगत अर्थव्यवस्था एवं वाणिज्यिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलती रहे इसके लिए कृषक, दुकानदार एवं छोटे व्यापारी जैसे ऋणियों की सहायता के लिए ऐसे आदेश एवं आज्ञाएं निकालते थे।

सन्दर्भ

1. इरफान हबीब, बैंकिंग इन मुगल इंडिया, तपन राय चौधरी (सं.) कान्ट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री, वाज्यूम 1 कलकत्ता, 1960, पृ. 1-20
2. महाराजा सूरतसिंह की चूरू के सेठ मिर्जामल के पक्ष में हुण्डी वि.सं. 1884 (1827 ई.) लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर-श्री चूरू, गोविन्द अग्रवाल, चूरू मंडल का शोध पूर्ण इतिहास, चूरू 1976 पृ. 486-89
3. बीकानेर राज्य के भादरा, छत्रगढ़, राजगढ़, नोहर एवं रावतसर के हुवलदारों को भेजे गये शासकीय पत्र भादवा वदी द्वितीय वि.सं. 1884 (1827 ई.) कागदों की बही नं. 33/2 बीकानेर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
4. वही
5. वही
6. ऋणियों के खाते (1784 ई.) लोकमणी संग्रह बही भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान बीकानेर
7. सनद परवाना बही नं. 105 वि.सं. 1899 (1842 ई.) नं. 116 वि.सं. 1906 (1849 ई.) जोधपुर रिकॉर्ड्स
8. बीकानेर राज्य का राजकीय पत्र, श्रावण वदी 2 वि.सं. 1854 (1797 ई.)
9. ठिकाना बेदला से शाह धन्ना सुराणा रामगढ़ को परवाना, परवाना संख्या 91 बेदला पेपरस (पट्टा परवाना बही) विगत नं. 17
10. ठिकाना बेदला का परवाना, श्रावण वदी 14 वि.सं. 1827 (1770 ई.) बेदला पट्टा परवाना बही, राजस्थान अध्ययन केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
11. बीकानेर राज्य का चूरू के हुवलदार को राजकीय पत्र चैत्र सुदी 10, वि.सं. 1880 (1823 ई.) कागदों की बही नं. 29 बीकानेर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर
12. उद्धृत 'रूरल इनडेबेटडेशन्स इन इस्टर्न राजस्थान ड्यूरिंग एटीथ सेन्चुरी' प्रोसिडिंग्स राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस पाली सेशन, 1974, पृ. 56
13. विगत नं. 13, पृ. 12 राजस्थान अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
14. पत्र संख्या एस 601 लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर-श्री चूरू, मरु श्री, जुलाई-दिसम्बर 1982, पृ. 22

सुजानगढ़ के गाड़ोलिया लुहारों का सांस्कृतिक विकास

डॉ. अरुणा सोनी

राजस्थान के विभिन्न जनजातियों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था है। राजस्थान की विभिन्न जनजातियों में गाड़ोलिया लुहार खानाबदोश समूह के अन्तर्गत सम्मिलित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इन गाड़ोलिया लुहारों का जीवन घुमन्तु था परिणामतः इनके स्थायी आवास, भविष्य निधि की अनेक समस्याएं सामने थी। राजस्थान के गाड़ोलिया लुहार आज भी अपने को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मान कर खानाबदोश जीवन बिता रहे हैं। 1955 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा गाड़ोलिया लुहारों को स्थायी आवास हेतु जमीनें आवंटित करने की स्वीकृति एवं आदेश देने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किये गये।¹ जिसके तहत 46 परिवारों को प्रथम किस्त प्रदान की गई।² सरकार द्वारा आवास आवंटन के दौरान सुजानगढ़ में 19 लुहारों को आवास भूमि एवं 1 पंचायती भवन आवंटित किये गए। समय-समय पर सरकार द्वारा गाड़ोलिया लुहारों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अलग-अलग सुविधाएं प्रदान की गईं और इसी दौरान भारत सरकार द्वारा गाड़ोलिया लुहारों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया।³ जवाहरलाल नेहरू एवं माणिकलाल वर्मा ने गाड़ोलिया लुहार के लिए जो स्वप्न देखा आज वर्तमान में पूरा होता जा रहा है।

सुजानगढ़ राजस्थान के चुरू जिले की एक तहसील है। यहां की कुल जनसंख्या 1.5 लाख है। यहां पर मुख्यतः हिन्दू, मुसलमान एवं जैन धर्म के लोगों का स्थायी निवास है। सुजानगढ़ में इन तीन जातियों के अलावा जनजातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के लोग भी निवास करते हैं। सुजानगढ़ में जनजाति समूह में गाड़ोलिया लुहारों का एक समूह भी स्थायी निवास कर रहा है। वर्तमान में सुजानगढ़ में लगभग 40 गाड़ोलिया लुहार रह रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के तहत इन 60 वर्षों में इन गाड़ोलिया लुहारों स्थायी निवास प्राप्त हो गया परिणामतः इनके घुमन्तु जीवन में ठहराव आया। इन 60 वर्षों में इन गाड़ोलिया लुहारों के जीवन में अन्य जातियों के समान साम्यता देखने को मिलती है। सुजानगढ़ में गाड़ोलिया लुहारों के परम्परागत गाड़ी लुहार एवं स्थायी निवास दोनों देखने को मिलते हैं। सुजानगढ़ के लगभग 40 गाड़ोलिया लुहारों में लगभग 30 परिवारों ने स्थायी निवास बना लिया और लगभग 10 परिवारों को अभी भी स्थायी आवास प्राप्त नहीं हुआ।

गाड़ोलिया लुहारों की भी अनेक जातियां हैं जिनमें सुजानगढ़ में मुख्यतः पडिहार, रतनानी, सोलंकी, नान्दी, बोरणा, भूरानी, मन्दरका, डाबी, भोजानी, मखानी, बालबूक, पुरखानी आदि गाड़ोलिया लुहारों का आवास निवास है। इनमें पडिहारी, सांखला सर्वाधिक है। गाड़ोलिया लुहारों का परम्परागत व्यवसाय लौह कर्म था। ये गाड़ोलिया लुहार अनेक प्रकार के हथियार, औजार, खेती के औजार आदि बनाते थे। परम्परागत रूप से इनकी गाड़ियों पर मुख्यतः एक मांचा (पलंग), सन्दूक, थोड़े से बर्तन एवं औजार बनाने की अंगीठी रहती थी। लेकिन आज इनको स्थायी आवास प्राप्त होने के बाद इनके व्यवसाय में भी परिवर्तन एवं वृद्धि हो गई है। वर्तमान में इन गाड़ोलिया लुहारों के कई परिवारों ने दूकानी व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया जिनमें परचून की दुकान, नाई की दुकान, छोटे-मोटे टूल्स की दुकान एवं लोहे के गेट, खिड़की, जाली बनाने की दुकान आदि प्रमुख हैं।

सुजानगढ़ में निवास करने वाले सोहनलाल के परिवार के सदस्यों ने तो पृथक्-पृथक् पेशा अपना रखा है। इस परिवार में मुखिया और उनकी पत्नी लौह कर्म करती हैं, वहीं उनके दो पुत्र दुकान में सामान बेचने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार योजना के तहत मकान नहीं मिलने वाले एक परिवार के तीन भाई मदन, श्रवण एवं गोपाल ने मुख्यतः लौह कर्म, टैक्सी चालक एवं टेन्ट हाउस में नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सावरमल का यह परिवार आज भी स्थायी आवास न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझ रहा है। इस परिवार के तीन अस्थाई झोपड़ी में कुल 12 लोग निवास कर रहे हैं। आंधी, बरसात एवं सर्दियों के दिनों में इन परिवार वालों को इन्हीं झोपड़ियों को अपना आसरा बनाना पड़ता है।

परम्परागत रूप से इनके पहनावे में स्त्रियां मुख्यतः सौ कली का लहंगा (घाघरा), चटारा का लहंगा (छोटे-छोटे कपड़ों को जोड़ कर बना लहंगा), फरदी लहंगा एवं कुर्ती तथा ओढ़ना पहनती थी। वहीं अब इनके पहनावे में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी लहंगा चुन्नी इनका पहनावा बन गया है और बच्चियां सलवार सूट पहनती हैं। इसी प्रकार पुरुषों के धोती कुरता, साफा पहनावे में भी अब परिवर्तन आ गया है। अब वे समय के साथ पेन्ट शर्ट, जिन्स, टी-शर्ट, मफलर, ऊनी कपड़ों को पहनने लग गये हैं।

महंगाई का असर इन पर स्पष्ट देखने को मिलता है। परम्परानुसार गाड़ोलिया लुहारों में स्त्री एवं पुरुष दोनों को आभूषण का शौक रहता था। उनके पास जो भी आभूषण होता वे उसे पहनकर ही रहते विशेषतः स्त्रियां कण्ठी, बोरला, कड़ला, टडिया (बाजूबंद), जूटना (कान का आभूषण), हथफूल, हंसली (गले का आभूषण), मूरत (सोने का गले में पहनने का आभूषण जिसे काली डोर में पिरोकर पहना जाता था),

भंवरिया (नाककांटा) आदि पहनती थी वहीं अब केवल घर की बुजुर्ग स्त्रियां गले में हंसली व पैरों में कड़ला एवं बोर पहनती है और अन्य स्त्रियां आधुनिक परिवेश में केवल गले में छोटा सा हार व चूड़ियां एवं कान में बाली पहनती हैं। गाड़ोलिया लुहारों में गोदना का रिवाज भी परम्परागत था। स्त्रियां विशेषतः ललाट (बिन्दी वाले स्थान पर) पर चांद, कलाई पर मोर तथा हाथ पर फूल, आंख के किनारे तीन बिन्दियां का अंकन कराती थी वहीं आज सुजानगढ़ में जिन परिवारों ने स्थायी आवास में रहना प्रारम्भ कर दिया उन परिवारों की बुजुर्ग महिलाओं के ही इस प्रकार का गोदना अंकित है, जबकि अन्य स्त्रियों के नहीं। वहीं सुजानगढ़ के उन गाड़ोलिया लुहारों में आज भी इस प्रकार के संस्कार को देखा जा सकता है। जिन्हें स्थायी आवास नहीं मिला है।

सुजानगढ़ के स्थायी आवास प्राप्त गाड़ोलिया लुहारों के त्योंहारों एवं अस्थायी गाड़ोलिया लुहारों के त्योंहारों में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। स्थायी गाड़ोलिया लुहारों का समाज में अन्य वर्णों के साथ तालमेल देखने को मिलता है। वहीं अस्थायी गाड़ोलिया लुहार आज भी निम्न एवं भिन्न समझे जाते हैं।

सुजानगढ़ में निवास करने वाले सोहनलाल, लालचन्द के परिवार में आधुनिक दैनिक आवश्यकता की प्रत्येक सामग्री जैसे-गैस चूल्हा, सिलेण्डर, टी.वी., फ्रीज, मोटरसाइकिल, कूलर आदि है। इस परिवार के सदस्यों में शिक्षा के प्रति भी काफी रुझान है।

राजस्थान भारत के पांच जनजाति बहुत राज्यों में से एक है। इस क्षेत्र की जनजातियों का जीवन बहुत ही संघर्षमय तथा कष्टमय है। अधिकांश परिवार सामान्य से भी निम्न जीवन स्तर बिताने की समस्या से ग्रसित हैं। राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है।

गाड़ोलिया लुहार अनुदान योजना में गाड़ोलिया लुहार परिवारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए 5000 रुपये अनुदान, 5000 रुपये बैंक ऋण तथा 2000 रुपये व्यक्तिगत श्रमदान द्वारा दुकान मकान निर्माण का कार्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त गाड़ोलिया लुहारों के आर्थिक विकास हेतु कच्चा माल क्रय करने के लिए 500 रुपये की अनुदान सहायता प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाई जाती है। सुजानगढ़ के गाड़ोलिया लुहारों के अध्यक्ष लालजी के अनुसार गाड़ोलिया लुहारों को जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत 19 आवास प्राप्त हुए जिनमें प्रत्येक परिवार के पुत्रों ने अपने लिये पृथक आवास बना लिया इस प्रकार अब वर्तमान में कुल 55-60 (58) घर बने हुए हैं। प्रत्येक मकान आधुनिक सुविधाओं से सज्जित है। मगर अब

भी सागरमल के पास आवास हेतु जमीन नहीं है। सुजानगढ़ के गाड़ोलिया लुहारों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के तहत शिक्षा का भी पूर्ण विकास हुआ। वर्तमान में कुछ गाड़ोलिया लुहार सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। रामनिवास पुलिस विभाग में कान्सटेबल, दीपाराम बिजली बोर्ड में सरकारी कर्मचारी, जयचन्द रोडवेज बस ड्राइवर के रूप में सरकारी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार भंवरलाल ने ग्रेजुएशन कर अपना परम्परागत व्यवसाय (लौह कर्म) अपनाया हुआ है। लालचन्द भानावत की लकड़ी भगवती नर्सिंग क्षेत्र में कार्यरत है। इस प्रकार समय के साथ इन गाड़ोलिया लुहारों में भी जागरुकता आई है।

25 मार्च 1981 को मांगी हुई आरक्षण की मांग अभी तक पूर्ण नहीं हुई। जिसमें फीस माफ, सड़क सुविधा एवं मुहल्ले में हरिजन की नियुक्ति आदि प्रमुख है।⁴ एक किवदन्ती के अनुसार विवाह के उपरान्त वर वधू गाड़ी (गाड़ोलिया लुहारों की गाड़ी) को धोक लगाते मगर स्थायी आवास के कारण इस प्राचीन परम्परा को तोड़ दिया मगर अभी भी उनकी मांगें पूर्ण नहीं हुई। गाड़ोलिया लुहारों की सामाजिक रीति जिस में लड़की खरीदने का उल्लेख मिलता है। वह भी प्रथा अब लगभग समाप्त हो गई है।⁵

इस प्रकार परम्पराओं एवं प्राचीन संस्कृति को संजोया हुआ समाज गाड़ोलिया लुहार लगभग 60 वर्षों में विकास के चरण को पार करता हुआ वर्तमान समाज के समकक्ष खड़ा होने में सक्षम हुआ है और समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है।

सन्दर्भ

1. नाटाणी प्रकाश नारायण, राजस्थान का स्वाधीनता आन्दोलन, जयपुर 1998
2. शर्मा, अभिषेक, राजस्थान एक समग्र अवलोकन, नई दिल्ली, 1998
3. नाटाणी प्रकाश नारायण, अपना राजस्थान, पिकसिटी पब्लिशर्स, जयपुर, 1983
4. पालीवाल डॉ. देवीलाल, महाराणा प्रताप महान, जोधपुर, 1998
5. शर्मा डॉ. गिरिजाशंकर, राजस्थान में शिक्षा का इतिहास (1818-1950 ई.), कलासन प्रकाशन, बीकानेर
6. जैन श्रीचन्द्र, वनवासी भील और उनकी संस्कृति, जयपुर, 1973
7. राठौड़, डॉ. अमरसिंह, संदर्भिका राजस्थान सूजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2011-12

ओसियां मन्दिरों की शैव मूर्तियां

डॉ. रवीन्द्र टेलर

ओसियां पूर्वमध्यकाल में कला का प्रमुख केन्द्र था। ओसियां (प्राचीन मेलपुर पट्टन या उपकेश) जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित एक छोटा ग्राम है।¹ यहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य मन्दिरों का निर्माण हुआ जिनमें बहुत-सी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कला के साथ-साथ यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। ओसियां में बीस स्वतंत्र ब्राह्मण मन्दिर एवं जैन मन्दिर और सात जैन देवकुलिकाएं हैं जिनका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों द्वारा करवाया गया। सर्वप्रथम डी.आर. भण्डारकर ने 1906-07 एवं 1908-09 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ओसियां तथा वहां के मन्दिरों पर विस्तृत अध्ययन कर शोध पत्र प्रकाशित किये।²

भण्डारकर के अनुसार सर्वप्रथम जैन एवं ब्राह्मण परम्पराओं में ओसियां की चर्चा है। ओसियां का पूर्व नाम 'मेलपुरपट्टन' था, किन्तु ढण्डिमल नामक साधु द्वारा यहां के निवासियों से कुपित होकर शाप दे देने से यह उट्टन (श्मशान) रूप में परिवर्तित हो गया। परमार राजकुमार उप्पलदेव द्वारा इसे पुनः बसाया और इसका नाम नवसेरी नगरी रखा। इसे ओसियां भी कहा गया, क्योंकि उप्पलदेव ने यहां 'ओसला' प्राप्त किया था। ओसला का मारवाड़ी भाषा में शाब्दिक अर्थ शरण है। डॉ. के.सी. जैन के अनुसार श्रीपुंज नामक प्रतिहार राजकुमार ने ओसियां नगर की स्थापना की। 1326 ई. में रचित उपकेशगच्छ प्रबन्ध नामक ग्रन्थ के विवरण में भीनमाल के अनेक राजकुमारों का उल्लेख है।³ कुवलयमाला में वत्सराज का उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में वत्सराज के शासन की चर्चा है। ओसियां में मन्दिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी में ही हुआ था।⁴ 8वीं शताब्दी के आरम्भ में ओसियां एक प्रमुख नगर के रूप में विद्यमान था। जहां ब्राह्मण एवं जैन धर्म का प्रभाव था। यहां के मन्दिरों से जैन, विष्णु, शैव, गणेश, सूर्य, शक्ति एवं अन्य प्रतिमायें प्राप्त होती हैं। जिनमें से शैव प्रतिमाओं की ओर इस शोध पत्र में ध्यान इंगित किया गया है।

ब्राह्मण धर्म में शिव प्रमुख स्थान रखते हैं शिव को मुख्यतः सृष्टि के संहार कार्य से सम्बन्धित किया गया है। शिव महादेव के रूप में पांच स्वरूपों सद्योपात, वामदेव, अघोर, तत्परूप और ईशान में सृष्टि के पांच मूल तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश को भी नियंत्रित करते हैं।⁵ शैव मूर्तियों के शांत, मृदु, सौम्य और रौद्र

मुखों से विभिन्न भाव दृष्टिगत होते हैं। शिव को नीलकण्ठ, पशुपतिनाथ, महेश्वर, शंकर, उपापति, नपराज, महेश, भूतनाथ आदि नामों से जाना जाता है।

शिव के मूर्त अंकन का प्रारम्भ सैन्धव सभ्यता से ही माना जाता है। जहां पशुपति शिव के सम्भावित रूपांकन तथा शिव लिंगों के उदाहरण मिलते हैं।⁶ शिव के सामान्य लक्षणों में जटाभार, त्रिनेत्र, वृषभ वाहन तथा हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प आदि का अंकन मूर्तियों से दृष्टिगत होता है। ऋग्वेद में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है। श्वेताम्बर उपनिषद् में ईशानशिव प्रत्येक योनि पर प्रतिष्ठित है। यह उल्लेख मिलता है-“यो योनिमधितिष्ठति.....तमीशान।”⁷ इस पद्य की आर.जी. भण्डारकर ने बाद में विकसित लिंग और अर्ध्य के वर्तमान पूजा प्रतीक का स्रोत माना है।⁸ महाभारत में शिव पूजा का उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज ने ग्रीक देवता डायोनियस को शिव के समकक्ष देव माना है।⁹

भारतीय कला में शिव को मुख्यतः तीन रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। 1. प्रतीक (लिंग, मुखलिंग), 2. पशु (वृषभ/नन्दी), 3. मानव रूप में -इन्हें चार वर्गों में विभाजित किया जाता है-(अ) सौम्य एवं शांत मूर्तियां, (ब) अनुग्रह मूर्तियां, (स) उग्र मूर्तियां, (द) अन्य रूप में। शिव के इन विविध रूपों का अंकन 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य बने मन्दिरों में दृष्टिगत होता है।

ओसियां मन्दिर समूह से भी विभिन्न देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं जिनमें शिव की भी कुछ मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ओसियां से शिव की स्वतंत्र मूर्तियां कम संख्या में प्राप्त होती हैं। इसका कारण ओसियां में वैष्णव धर्म की प्रधानता रही है। यद्यपि शिव और विष्णु के सम्पृक्त रूप हरिहर स्वरूप की यहां पर्याप्त मूर्तियां बनीं जो दोनों विचारधाराओं के सामंजस्य का सूचक हैं। ओसियां से शिव के दो स्वतंत्र मन्दिर प्राप्त होते हैं-प्रथम मन्दिर का निर्माण लगभग 775-800 ई. में मध्य हुआ। स्थानीय लोग इसे शिवजी की डेरी के नाम से जानते हैं। यह महामारु शैली का है। मन्दिर से गर्भगृह, अर्धमण्डप, सभामण्डप, जगती, जंघा, शिखर आदि दृष्टिगत होते हैं। गर्भगृह से एक मुख लिंग मिलता है शिवलिंग (107 गुणा 34 सेमी) आधुनिक पीठिका से संयुक्त है। शिव का मुख भाग जटाभार, लम्बकर्ण तथा मूँछ युक्त है। लिंग के सामने मण्डप में नन्दी की मूर्ति है।¹⁰ द्वितीय शिव मन्दिर का निर्माण 800-825 ई. के मध्य हुआ था। यह सूर्य मन्दिर 2 के पश्चिमोत्तर में स्थित है यह भी महामारु शैली का है। इसमें गर्भगृह, अर्धमण्डप, जंघा, शिखर आदि दृष्टिगत होते हैं। ओसियां मन्दिर समूह से प्राप्त शिव के विभिन्न रूपों की मूर्तियां इस प्रकार हैं-

एकल मूर्तियां-एकल मूर्तियां द्वारा उत्तरंगों, देवकुलिकाओं तथा पंचायतन मन्दिरों के कर्णप्रासादों पर द्रष्टव्य होती हैं। शिव को स्थानक एवं आसीन दोनों स्वरूपों

में दिखाया गया है। कुछ स्थानों पर शिव को सौम्य स्वरूप देवता चतुर्भुज रूप में, कुछ स्थानों पर उग्र तथा द्विभुज रूप में उकेरा गया है। द्विभुज प्रतिमा हरिहर मन्दिर के कर्णप्रासाद की दक्षिणी जंघा की कर्ण रथिका में उकेरी है। सौम्य मुख शिव के करों में कपालपात्र एवं खट्वांग है। यहीं से चतुर्भुज रूप में खुले नेत्र, मुण्डमाला, कपालपात्र, डमरू, सर्प और कमण्डल से युक्त मूर्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त त्रिशूल का भी अंकन मिलता है। दोनों रूपों में वाहन के रूप में वृषभ का अंकन है। विष्णु मंदिर से भी शिव की ऐसी ही मूर्तियां मिलती हैं, एकल मूर्तियों में शिव की चार आसीन मूर्तियां प्रमुख हैं। ये मूर्तियां मन्दिरों के उत्तरंग में अन्य मूर्तियां देवताओं के साथ आकारित हैं। इनमें शिव को त्रिशूल, सर्प और कमण्डलु से सुशोभित एवं वृषभ वाहन पर आरूढ़ दिखाया गया है।

नटराज-नृत्यरत शिव को नटराज के नाम से जाना जाता है, जिसे विद्वान सौम्य रूप की श्रेणी में रखते हैं। नाट्यशास्त्र में वर्णित 108 प्रकार की नृत्य मुद्राओं को स्वयं शिव ने प्रस्तुत किया था। इन्हीं नृत्य मुद्राओं के आधार पर नृत्य शैलियों का विकास हुआ। मत्स्यपुराण¹¹ से शिव के नटराज स्वरूप के विवरण मिलते हैं जिसमें शिव चार, आठ, दस और सोलह भुजाओं वाले होंगे। शिव के हाथ आयुधों एवं नृत्य मुद्राओं से युक्त होंगे। दक्षिण भारतीय ग्रन्थों मयतम, अशुमदभेदागम, कामिकागम तथा शिल्प प्रकाश में भी शिव की नृत्य स्वरूप की मूर्तियों का विवरण है।¹² इस स्वरूप में ओसियां से दो शिव मूर्तियां प्राप्त होती हैं। प्रथम सूर्य मन्दिर-3 से, दूसरी हरिहर मन्दिर-2 से¹³ प्राप्त दोनों मूर्तियों में शिव का दाहिना पैर कुंचित मुद्रा में ऊपर उठा है, जबकि पैरों की अंगुलियां भूमि पर स्पर्श कर रही है, बायां पैर घुटने से मुड़ा हुआ है। सूर्य मन्दिर से प्राप्त मूर्ति अष्टभुजाकार है, एक हाथ में पताका, दूसरे में गजहस्त मुद्रा में, दो में सर्प एवं दो अन्य करों में त्रिशूल और कपालपात्र प्रदर्शित है। यह प्रतिमा त्रिनेत्र रूप में प्रदर्शित नहीं है। दूसरी प्रतिमा हरिहर मन्दिर-2 की शिव समर्पित कर्णप्रासाद की पश्चिमी जंघा पर उत्कीर्ण है। यह मूर्ति दस भुजाओं से युक्त है। मूर्ति के पीछे वेणु एवं मृदंग वादकों की आकृतियां शिव के नृत्य मूर्ति की सहायक हैं।

उमा-महेश्वर-भारतीय शिल्प में विभिन्न देवताओं को शक्तियों के साथ आलिंगन रूप में दिखये जाने की परम्परा रही है। ओसियां में लक्ष्मीनारायण मूर्तियों के समान ही उमा-महेश्वर मूर्तियों का भी अंकन हुआ है। मत्स्यपुराण¹⁴, विष्णुधर्मोत्तरपुराण¹⁵ एवं अपराजितपृच्छ में शिव के इस रूप का उल्लेख है। ओसियां में एकल मूर्तियों की अपेक्षा उमा-महेश्वर की मूर्तियों का अंकन लोकप्रिय रहा। कुल सात मूर्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से पांच आसीन अवस्था में और दो स्थानक अवस्था में है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शिव के बाएं भाग में ही देवी को दिखाया गया है (एक में दायीं ओर)। इन्हें

वृषभ पर एवं आसनपट्ट पर दिखाया गया है। पांचों मूर्तियों में शिव के करों में क्रमशः पद्म, त्रिशूल एवं सर्प है तथा चौथे कर से शिव उमा का आलिंगन कर रहे हैं। उमा शिव की ओर देखते हुए प्रदर्शित है। आसीन प्रतिमाओं में हरिहर मंदिर-3 का उदाहरण सबसे सुन्दर एवं आकार बड़ा है। इसके पार्श्व में मयूरासीन चतुर्भुज कार्तिकेय का अंकन है। सूर्य मंदिर-2 में उमा-महेश के पार्श्व में गणेश और कार्तिकेय का अंकन है।

भैरव-यह शिव का उग्र स्वरूप है। वी.एस. अग्रवाल ने भैरव को रुद्र का एक भयानक स्वरूप बताया है।¹⁶ विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भैरव का निरूपण किया गया है। उन्हें घटोदर गोल तथा पीत नेत्रों एवं सर्पाहार, गजधर्मधारी तथा नुकीले दांतों वाला बताया है।¹⁷ ग्रन्थों में भैरव के कई स्वरूपों का उल्लेख है जिसमें बटुक, स्वर्णाकर्षण, असितांग, चण्ड कपाल, भीषणक्रो, संहार मुख्य है। जिसमें शिव का बटुक भैरव रूप लोकप्रिय है। स्पमण्डन एवं बटुक भैरवकल्प में इस स्वरूप का विस्तृत वर्णन मिलता है।

ओसियां मन्दिरों से इसके दो उदाहरण-पहला विष्णु मंदिर-5 एवं दूसरा सच्चिदाय माता मंदिर¹⁸ से। विष्णु मंदिर के पूर्वी अधिष्ठान की रथिका में तथा सच्चिदाय माता मंदिर की स्थानक मूर्ति त्रिभंग में रौद्र स्वरूप वाली है भैरव के एक पार्श्व में नग्न और नृत्यरत गण है दूसरे में दो पैरों पर खड़ा श्वान नरमुण्ड से गिरते रक्त का पान कर रहा है।

रावननुग्रह शिव-यह शिव का अनुग्रह स्वरूप है। रावननुग्रह स्वरूप से सम्बन्धित कथा शिवपुराण में मिलती है। इस स्वरूप का अंकन गुप्त काल से प्रारम्भ हुआ। ओसियां में शिव के स्वरूप का अंकन पंचायतन हरिहर मंदिर-2 के उत्तर-पश्चिम कर्णप्रासाद की उत्तरी जंघा से मिलता है। दृश्य में चतुर्भुज रावण का मुख मध्य आकार का है तथा अन्य मुख छोटे हैं, कुल नौ मुख हैं। रावण ने दो भुजाओं से सम्पूर्ण पर्वत को उठाये तथा दो में खड़ग और खेटक लिये प्रदर्शित है। शिव को नन्दी पर आसीन दिखाया गया है जिनकी बायीं गोद में शिव को दो भुजाओं से पार्वती को पकड़े दिखाया गया है। पार्वती को भयमुक्त करने के प्रयास में उनका एक हाथ पार्वती के मस्तक को स्पर्श कर रहा है। पार्श्ववर्ती रथिकाओं में खड़ग एवं त्रिशूलधारी पुरुष आयुध चलाने की मुद्रा में दिखाये गये हैं। ये सम्भवतः शिवगण है जो शिव के आदेश से युद्धरत है।

कल्याणसुन्दर शिव-शिव पार्वती के विवाह की कथा विभिन्न पुराणों तथा आगमों में वर्णित है।¹⁹ कल्याणसुन्दर मूर्ति में शिव-पार्वती पाणिग्रहण की मुद्रा में निरूपित होते हैं। ओसियां से भी हरिहर मंदिर-2 के उत्तर-पश्चिम कर्णप्रासाद की

जंघा पर ऐसा एक मात्र अंकन मिलता है। कल्याणसुन्दर रूप में पार्वती को शिव के बायें स्थान पर दायें ओर दिखाया गया है। चतुर्भुज शिव दो हाथों में द्विभुजा पार्वती के दोनों हाथ पाणिग्रहण मुद्रा में पकड़े हैं। शिव के दो अन्य करों में त्रिशूल एवं सर्प हैं। ब्रह्मा विवाह संस्कार को सम्पादित कर रहे हैं। यहां गंगा-यमुना की उपस्थिति भी दिखाई गई है। शिव को आभूषणों से युक्त तथा पार्वती को वधू के समान अलंकृत दिखाया गया है। इस प्रकार ओसियां के विभिन्न मन्दिरों से शिव के विभिन्न स्वरूपों का अंकन दृष्टिगत होता है।

सन्दर्भ

1. डॉ. दुर्गानन्द तिवारी, ओसियां के मन्दिरों की देव मूर्तियां, कला प्रकाशन, वाराणसी, 1999, पृ. 1
2. डी.आर. भण्डारकर, ओसियां, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1908-09, पृ. 100-115
3. दर्शन विजयमुनि, उपकेशगच्छपट्टावली, वीरागम, 1933
4. देवेन्द्र हांडा, ओसियां हिस्ट्री आर्कियोलोजिकल आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर, दिल्ली, 1984, पृ. 11-12
5. डॉ. दुर्गानन्द तिवारी, पूर्वनिर्दिष्ट, पृ. 65
6. जान मार्शल, मोहनजोदड़ो एण्ड इट्स सिविलाइजेशन, खण्ड 1,2, लन्दन, 1931, पृ. 52, फलक 12
7. श्वेताम्बर उपनिषद्-4, श्लोक 11
8. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, वैष्णविज्म शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजियस सैक्ट्स, पृ. 114, फुटनोट 1
9. सुधाकर चटोपाध्याय, इवोल्यूशन ऑफ थीइस्टिक सेक्ट्स इन एनशेन्ट इंडिया, पृ.4
10. डॉ. दुर्गानन्द तिवारी, पूर्वनिर्दिष्ट, पृ. 67
11. मत्स्यपुराण-248, 3-12
12. मयतम 36, 67-69, अशुमद्भेदागम, ई.एच.आई. खण्ड-2, भाग 1, पृ. 224, शिल्पप्रकाश 92-97
13. डॉ. दुर्गानन्द तिवारी, पूर्वनिर्दिष्ट, पृ. 69
14. मत्स्यपुराण 260, 11-20
15. इन्द्रमती मिश्रा, प्रतिमा विज्ञान, भोपाल, 1972, पृ. 271
16. वी.एस. अग्रवाल, शिव महादेव, वाराणसी, 1966
17. विष्णुधर्मोत्तर पुराण 59, 1-4
18. डॉ. दुर्गानन्द तिवारी, पूर्वनिर्दिष्ट, पृ. 71
19. एलिमेन्ट्स ऑफ हिन्दू आइकोनोग्राफी खण्ड 2, भाग 1, पृ. 337-38

राजस्थानी गजल परम्परा : ऐतिहासिक स्रोत

डॉ. (श्रीमती) अनिला पुरोहित एवं डॉ. (श्रीमती) इन्द्रा विश्नोई

राजस्थान में राजस्थानी भाषा में रचित 'नगर वर्णन' सम्बन्धी रचनाओं को 'गजल' नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या भी बहुत है। इनके लेखकों में अधिकतर जैन हैं, इनमें नगरों व स्थानों का वर्णन हुआ है और शैलीगत समानता के बावजूद इनमें अलग-अलग विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। इन गजलों की रचना-विधान उर्दू-फारसी गजलों के प्रचलित रूप से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार की रचनाओं में दूसरे छन्दों का प्रयोग भी हुआ है, पर 'गजल' नाम जो छन्द इनमें प्रयुक्त हुआ है, वह प्रायः 14 मात्राओं वाला छन्द है। 'छन्द-प्रभाकर' में भी लिखा गया है कि 'विजात' के दोगुने में 'गजल' की एक चाल होती है। वह 14 मात्राओं का छन्द-भेद है। इस प्रकार इन राजस्थानी गजलों की अपनी एक अलग पहचान है, अलग शैली है और अलग ही छन्द-विधान है।

राजस्थान की गजलों में यहां के नगरों का विस्तार से वर्णन करना ही प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन गजलों का नाम भी सम्बन्धित नगर के नाम पर ही रखा गया है, जैसे- 'उदयपुर गजल', 'गिरनार गजल', 'चित्तौड़ गजल', 'जैसलमेर गजल', 'बीकानेर गजल', 'पाटण गजल', 'सूरत गजल' एवं 'लाहौर गजल' इत्यादि।

नगर-वर्णन परम्परा पर दृष्टिपात करें, तो यह कोई नई बात नहीं है कि राजस्थानी गजलों में ही नगर-वर्णन का उल्लेख हुआ है, बल्कि प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास में देखा जाए, जो संस्कृत की कृतियों में देशों एवं नगरों के वर्णन बहुत ही सुन्दर रूप में देखने को मिलते हैं।¹ कथा-साहित्य में भी नगरों के वर्णन उपलब्ध होते हैं। रामायण और महाभारत जैसे इतिहास-पुराण के ग्रन्थों में अयोध्या-वर्णन, लंकानगरी का वर्णन, हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, बारणावत व एकचक्रा नगरी आदि का वर्णन अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी परम्परा में ऐतिहासिक नाटकों में भी नगर-वर्णन को संकलन-त्रयी यानी देश-काल व वातावरण की दृष्टि से उल्लेखनीय कहा जा सकता है। राजस्थानी गजलों में लगभग तथ्यपरक एवं यथार्थ रूप में ही नगर-वर्णन उपलब्ध होता है। सम्भवतः अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसा वर्णन मिलता हो, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शोधपरक कार्य नहीं हुआ है।²

इन गजलों को काव्यशास्त्रीय स्वरूप में भिन्न जनजीवन अथवा लोकोन्मुखी

काव्य-विधा के रूप में मान्यता दी जाती है। राजस्थानी गजलों में नगरों का वर्णन 17वीं शताब्दी से मिलना प्रारम्भ होता है। यह परम्परा 20वीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। प्राचीनता की दृष्टि से देखें तो सबसे प्राचीन गजल जैन कवि जटमल द्वारा लिखी गयी 'लाहौर गजल' है, जो विक्रम संवत् 1680 के आसपास लिखी गई है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक गजलें लिखी गईं। यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि इनका मूल उद्देश्य नगर-वर्णन के माध्यम से वहां के स्थापत्य, भूगोल आदि को विशेषताओं सहित प्रामाणिक जानकारी देना था, अतः इनकी भाषा भी सहज-सम्प्रेषणीय लोकभाषा रखी गई। यही कारण है कि इन गजलों में बहुत ही सरस एवं सरल शब्दावली का प्रयोग देखने में आता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आते-आते गजल-लेखन की यह परम्परा अवरुद्ध होने लगी।³

राजस्थान के श्वेताम्बर पंथ के जैन कवियों ने अनेक गांवों, नगरों एवं तीर्थ स्थलों का पैदल भ्रमण किया और उन स्थलों का आंखों देखा यथार्थ वर्णन वे जहां भी चौमासा करते, वहां 'गजल' के माध्यम से बहुत ही प्रामाणिक रूप से किया करते थे। इससे गजल-लेखन की परम्परा ने गति पकड़ी और सरल शब्दावली द्वारा स्थान विशेष की विशेषताओं के प्रति लोगों के मन में भरपूर रुचि भी जागृत हुई। ये जैन कवि जिस प्रमुख नगर में चौमासा करते थे, उस दौरान उस नगर की समस्त सूचनाएं विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी गजल में शामिल करते थे, साथ ही ऐतिहासिक स्थलों, नगरीय जीवन की गतिविधियों, राजकीय प्रबन्ध तथा सम्पूर्ण सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख भी कर देते थे। अतः ऐसी गजलों में गजलकार की बहुज्ञता, बहुश्रुतता तथा सर्वेक्षणात्मक कौशल की भी झलक मिलती है।⁴

राजस्थानी गजलों की वर्णन शैली पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इनका रचना-विधान एक खास तरह का रहा है और प्रायः सभी गजलों का सृजन उसी रचना विधान के अनुसार हुआ है। इनमें नगरों का जो वर्णन मिलता है, उससे तत्कालीन नगरीय स्वरूप की सही स्थिति हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। यह वर्णन चित्रोपम भाषा शैली में मिलता है, जहां नगर-चित्रण का एक विहंगम दृश्य हमें देखने को मिलता है। दुर्ग, आवास, देवालय, मस्जिद, पाठशालाएं, हाट-बाजार, व्यापारी, व्यापार की वस्तुएं, अलग-अलग काम-धंधों में लगे हुए लोग, हाथी, घोड़े, राजकीय प्रबन्ध, सुरक्षा-व्यवस्था, दीवान, उमराव इत्यादि प्रमुख राजकीय पदाधिकारी, नगर-नायिका, नारी की सुन्दरता, अलग-अलग समुदाय तथा उनके धंधे, तत्कालीन खान-पान, पहनावा, गहने, फसलें, मिठाइयां, कुएं, तालाब, बावड़ियां तथा नगर के प्रायः सभी विशेष स्थल गजल के वर्ण्य विषय रहे हैं।

दुर्ग, किला या गढ़ नगर का प्रमुख स्थल होता है, अतः उसका वर्णन तो बहुत ही जरूरी समझा जाता था। दुर्ग मध्यकालीन इतिहास में युद्ध तथा सुरक्षा की दृष्टि से

अपना अलग ही महत्व रखते थे, अतः मध्यकालीन शासन-व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता के रूप में उन्हें अत्यधिक महत्व दिया जाता था।⁵

‘चित्तौड़ गजल’ में चित्तौड़ दुर्ग की महिमा का वर्णन करते हुए कवि खेतल गजल के प्रारम्भ में कहता है—

चरण चतुर्भुज धारि चित,
ठीक करी चित्त ठौड़।
चौरासी गढ चक्कवै,
चावौ गढ चित्तौड़।।
गढ चित्तौड़ है वंकाक,
मानु समुंद में लंकाक।
बेड़छपुर तलहटीक,
अर गम्भीर भीर हतीक।।
वैसे तीन परकोटेक,
अनड़ टूंक अति ऊंचेक।
है जिहां बुरज दोड़ हजार,
न लगै नाल गोव्या मार।।

हाट-बाजार का वर्णन तो और भी अधिक विस्तार के साथ उपलब्ध होता है, जिससे तत्कालीन व्यवसायों की जानकारी के साथ-साथ आर्थिक पक्ष के अनेक मौलिक पहलुओं की जानकारी भी मिलती है। उस समय प्रचलित व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी तथा व्यवसाय के आधार पर ही व्यापारियों के नामकरण का पता भी चलता है, जो व्यवसाय के आधार पर ही जातियों में बंटते गए, जैसे-सोने, चांदी तथा जवाहरात का व्यवसाय करने वाला व्यापारी ‘सर्पाफ’ कहलाने लगा। कपड़े के व्यापारी ‘बजाज’, रेशम या सूत के धागों में गहने गूँथने का काम करने वाला व्यापारी ‘पटवा’ कहलाने लगा और इत्र बेचने वाला ‘गांधी’, चमड़े का काम करने वाला ‘जीनगर’, मसाले व औषधियां बेचने वाला ‘पंसारी’, सोने का काम करने वाला ‘सोनार’, लोहे का काम करने वाला ‘लोहार’, लकड़ी का काम करने वाला ‘सुथार’, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला ‘कुम्हार’, पीतल एवं तांबे के बर्तन बनाने वाला ‘कंसारा’, कपड़े रंगने वाला ‘रंगरेज’, चना भूनने वाला ‘भड़भूजा’, चूड़ियां बेचने वाला ‘चूड़ीगर’, कपड़ों की सिलाई करने वाला ‘दर्जी’, मिठाई बनाने वाला ‘हलवाई’, लाख की चूड़ियां बनाने वाला ‘लखारा’, कपड़े धोने वाला ‘धोबी’, बाल कनाने वाला ‘नाई’ कहलाने लगा और इसी प्रकार तेली, तम्बोली, मोची, घांची, खैरादी, डबगर तथा भरावा इत्यादि व्यावसायिक जातियों के उल्लेख इन गजलों में मिलते हैं।⁶

‘गिरनार गजल’ में व्यावसायिक काम-धंधों के आधार पर अनेक जातियों की ओर संकेत किया गया है—

आगै वसत है बाजार,
हाटां वसी लम्बी हार ।
सोना घड़त है सोनार,
लोका कसत है लोहार ।।
कांसां करे कंसाराक,
जड़ीया जड़त है कीराक ।
माणक लाल पीरोजाक,
पन्ना लक्षणीया पुजाक ।।
सरवरे परखते सर्राफ,
धोबी करत कपड़े साफ ।
सरी तरै सुं साहूकार,
बैठे करत है व्यापार ।।
गांधी हाट तूणारीक,
साची हत सूतारीक ।
दरजी खूब तम्बोलीक,
घांची, मोची, मालीक ।।

बीकानेर नगर के वर्णन से पूर्व मंगलाचरण में कवि उदयचन्द सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और फिर पृथ्वी पर बीकानेर नगर को हर प्रकार की सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण बताते हुए लिखता है कि उस समय नए इन्द्र के समान यशस्वी महाराजा अनूपसिंह के पुत्र हिन्दू राजा सुजानसिंह जी शासन कर रहे हैं, जो दूसरों के दुखों को दूर करने वाले, शत्रुओं का संहार करने वाले और सभी शास्त्रों के विधि-विधानों का ज्ञान रखने वाले हैं—

सारद मन समरूं सदा प्रणमुं सदगुर पाय ।
महियल में महिमा निलो सब जन कुं सुखदाय ।।
वसुधा माहे बीकपुर दिन दिन चढ़ते दाव ।
सर्व लोक सुखीया वसै राज करै हिन्दु राव ।।
पर-दुख भंजन रिपुदलन सकल शास्त्र विधि जाण ।
अभिनव इन्द्र अनूप सुत श्री महाराज सुजाण ।।

यहां महाराजा सुजानसिंह की सहृदयता एवं विद्वता का वर्णन किया गया है, जो ऐतिहासिक ग्रन्थों में भी द्रष्टव्य है। उक्त गजल की रचना के बारे में श्री भंवरलाल नाहटा लिखते हैं कि बीकानेर गजल के रचयिता कवि उदयचन्द खरतरगच्छ के मथेन

थे, जिनकी सबसे पहली रचना अनूप सिंगार सं. 1728 वि.सं. की अश्विन सुदी 11 की, दूसरी रचना संस्कृत भाषा में रचित 'पाण्डित्यदर्पण' वि.सं. 1734 की तथा तीसरी रचना 'बीकानेर गजल' वि.सं. 1765 की रची उपलब्ध है। गजल उनकी वृद्धावस्था की रचना है, अतः इसमें दिया गया महत्वपूर्ण स्थानों का विवरण अधिक विश्वसनीय है।⁸

राजस्थानी नगरीय गजलों में तत्कालीन समाज का सांस्कृतिक इतिहास प्रामाणिक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। इस नगरीय वर्णन के साथ-साथ तत्कालीन राजकाज व्यवस्था पर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है और इसी के साथ वहां की भौगोलिक विशेषताएं भी प्रकट होती हैं।⁹ उस समय के उद्योग धंधों एवं खेत-खलिहानों एवं फसलों की पैदावार के बारे में भी इन गजलों से उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। गढ़ों एवं नगरों के भवनों की स्थापत्य कला और अन्य कलाओं पर भी इन गजलों में प्रकाश डाला गया है। पशु-पक्षियों और नर-नारियों के आचार-व्यवहार पर भी ये गजलें प्रकाश डालती हैं। वर्तमान में जब मौखिक इतिहास पर भी इतिहासकारों ने काम करना शुरू किया है और वे इस दिशा में राजकीय अभिलेखों के साथ लोक-अभिलेखों, जन श्रुतियों एवं लोकाख्यानों में भी इतिहास की खोज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्द्ध-ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में ये नगरीय गजलें अवश्य ही कहीं-न-कहीं अपनी अहमियत रखती हैं।¹⁰

सन्दर्भ

1. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, बीकानेर राज्य का इतिहास (प्रथम खंड), प्रकाशक राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, संस्करण-द्वितीय संशोधित संस्करण, 2007
2. वही
3. गुप्ता डॉ. कृष्ण स्वरूप, व्यास डॉ. गोपाल वल्लभ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, प्रकाशक पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर
4. मुंहता नैणसी, मुंहता नैणसी री ख्यात, संपादक आचार्य बदरीप्रसाद साकरिया, प्रकाशक राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
5. मुंहता नैणसी, मारवाड़ रा परगनां री विगत, संपादक डॉ. नारायणसिंह भाटी, प्रकाशक राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
6. दयालदास, दयालदास री ख्यात, प्रकाशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
7. शर्मा गिरिजाशंकर (सं.), देश-दर्पण (बीकानेर का इतिहास), प्रकाशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
8. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिन्दी शब्दकोश
9. आचार्य रामचन्द्र वर्मा, शब्दार्थ-विचार-कोष
10. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, ए बिबलियोग्राफी ऑफ मिडाइवल राजस्थान

18वीं शताब्दी में मारवाड़ में नाप एवं तोल का विवरण- एक अध्ययन

डॉ. विमलेश राठौड़

व्यापार एवम् वाणिज्य की दृष्टि से राजपूताना का सदा ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र के व्यापार वाणिज्य के अध्ययन हेतु साधारणतया व्यापार के स्थान संबंधी स्वरूप, बाजार व्यवस्था, व्यापारिक मार्ग, व्यापारिक केन्द्र, व्यापारिक मेले, आवागमन के साधन, मार्गों की सुरक्षा, मुद्रा, ब्याज, कर व्यवस्था, व्यापारियों के कार्य आदि बिन्दुओं का अध्ययन किया जाता है। इन समस्त बिन्दुओं के साथ ही साथ व्यापार एवम् वाणिज्य के अन्तर्गत नाप एवम् तोल की इकाईयों का अध्ययन भी स्वयम् में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तुत शोधपत्र के अन्तर्गत 18 वीं शताब्दी के मारवाड़ में नाप व तोल की प्रचलित व्यवस्था का एक संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

व्यावहारिक रूप में लम्बाई नापने की ईकाई 'यार्ड' थी जिसे 'गज' कहा जाता था। जोधपुर में बत्तीस अंगुल का गज होता था।¹ एक कपड़े के थान की लम्बाई सामान्यतः बीस गज होती थी। 24 गज का मलमल का थान 4 रूपये, 4 आना, 3 टका कीमत का था।² इसी तरह मारवाड़ में मोटे कपड़े के 22 थानों की लम्बाई 299) गज होने की जानकारी मिलती है जिनकी कीमत 16 रूपये 11 आने थी।³ कोहनी से शुरू करके बीच की अंगुली के छोर तक हाथ से लम्बाई मापी जाती थी। इसे बोलचाल की भाषा में एक हाथ, दो हाथ की लम्बाई कहा जाता था। एक हाथ की लम्बाई 24 अंगुल होती थी।⁴ वि.सं. 1831 में राजघराने के लिए रजाईयाँ बनाने हेतु 255 थान मूमनीयाँ कपड़े के खरीदे गए थे। प्रत्येक थान की लम्बाई 25 हाथ और चौड़ाई, 1 गज थी।⁵ वि.स. 1883 में जालोर परगने में लाल और सफेद रंग के दो थान खरीदे गए थे। लाल थान की लम्बाई 11 हाथ और सफेद थान की लम्बाई 28 हाथ थी। लाल थान की कीमत 11 आने 3 पैसे प्रति 15 हाथ प्रति रूपया आंकी गई और सफेद रंग के कपड़े की कीमत एक रूपया छः आना तीन पैसा, प्रति 19.5 हाथ प्रति रूपया आंकी गई थी।⁶ मिंगसर वद छठ बुधवार संवत् 1838/1781 ई. में जोधपुर किले में नागौर से दो ताइते (चिमटे) इस प्रकार के नाप के मंगवाए गए - "ताईता दोय फुलका उथलण (पलटने) रा तिणा रै डांडी हाथ पूण-पूर्ण री न तोल में हल्का करावणा भारी

नहीं करावणा,⁷ महाराजा अजीतसिंह जी की कुंवरी सूरज कवर के विवाह की वेदी के निर्माण तथा उस पर बनाये जाने वाले मण्डप की लम्बाई, चौड़ाई व ऊंचाई आदि के मान हाथ, बेंत व अंगुल में दिए गए हैं।⁸ इस प्रकार किसी वस्तु की लम्बाई- चौड़ाई हाथ व अंगुल से नापी जाती थी।

बहुत सी वस्तुएँ तादाद या नग के रूप में गिनी जाती थी। जैसे कि मिगसर वद छठ, संवत् 1830 में 300 तथा 200 की संख्या में कम्बल मंगवाने का उल्लेख बही में मिलता है।⁹ इसी तरह चेत वद तीज, संवत् 1838 में नागौर के छीपें गुलाम महमद को रंगने के लिए पाग नग-28 देने की जानकारी मिलती है।¹⁰ जमीन की माप के लिए गज, पांवडे एवं डोरी आदि का उपयोग किया जाता था। लेकिन गज व डोरी के नाप में भिन्नता भी होती थी।¹¹ खेत जमीन की माप 'बीघो' में की जाती थी। वैसाख वदी सातम्, गुरूवार, संवत् 1822 को जौहरी हीरानन्द, माणकचन्द, पुरूषोत्तमदास को मेड़ता परगने के गांव सातलवास में 45 बीघा जमीन देने के आदेश की जानकारी मिलती है।¹² अधिक दूरी की लम्बाई के लिए 'कोस' का उपयोग किया जाता था। आम जनता द्धरैय्यतऋ के लिए जो कासिद डाक लेकर जाया करते थे उन कासिद को 20 'कोस' की दूरी का एक रूपया मुकर्रि था।¹³

मारवाड़ में दो प्रकार के तोल थे। एक कच्चा मण कहा जाता था व दूसरा पक्का मण कहा जाता था। पक्का मण आदर्श मानक था। पक्का मण 40 सेर के बराबर था। एक सेर सोलह छटांक के बराबर था। कच्चा मण का वजन विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता था। जोधपुर में एक कच्चा मण 30 सेर का माना जाता था।¹⁴ मारवाड़ के विभिन्न भागों में भी तोल में परस्पर कुछ अन्तर होता था जैसे कि पाली का 11 मण 21 सेर जालोर के 12 मण 3) सेर के बराबर था। इसी प्रकार जालोर के 17 पक्का मण जालोर के 34 कच्चा मण के बराबर था अर्थात् दो कच्चा मण का एक पक्का मण।¹⁵ जालोर में सेर व मण के अलावा 'पायली' भी तोल की इकाई थी। सरकार के अनाज भण्डार में काम करने की एवज में 13 मजदूरों को 13 पायली (26 सेर के बराबर) गेहूं दिया गया अर्थात् एक पायली दो सेर की होती थी।¹⁶ इसी तरह वैसाग वद बारस, सोमवार, वि.स. 1838 को सिवाणा में एक अपंग महिला द्वारा एक महाजन से आधी पायली तोल में गेहूं प्राप्त करने की जानकारी मिलती है।¹⁷ महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश में उपलब्ध दस्तूर बहियों व सूरज कवर के विवाह की बही आदि के अध्ययन से ज्ञात होता है कि खुशी के प्रत्येक अवसर पर देवताओं, राजलोक (राजघराने की महिला सदस्य) कमीणों व अन्य अनेकानेक लोगों को जो गुड़ बांटा जाता था उसकी इकाई भी मण व सेर में ही होती थी उदाहरणार्थ-

-पांच सेर मण्डोवर देवता रै

- तीण मण मेला सायवां रे
- पावमण रणीजी जी राणावता जी रै
- आधा मण छः सेर सहेलियां खालसा री रै।¹⁸

इसी तरह सनद परवाना बहियों में भी ऐसे अनेकानेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिससे ज्ञात होता है कि मारवाड़ के अन्य परगनों से जोधपुर के लिए जो विभिन्न जीनस मंगाई जाती थी उनका तोल भी मण व सेर में ही होता था जैसे कि मिति अषाढ़ बंद छठ वि.स. 1838 को पाली के व्यापारी शाह खानचन्द जीवनदास से 21 रूपये में प्रति एक मण के हिसाब से चन्दन खरीदने की जानकारी बही में मिलती है।¹⁹ इसी प्रकार जेठ बंद सातम् को जोधपुर के अन्न के कोठार के लिए पाली से अधसेर (आध आसेर) तोल पक्के की केसर मंगवाई गई।²⁰

जौहरियों, बैंकरों द्वारा छोटे तोल काम में लाए जाते थे, इन्हें तोला माशा, रत्ती के नाम से जाना जाता था। ये सर्राफा, साहुकार, वैद्य तथा जौहरियों द्वारा प्रयोग में लाये जाते थे।²¹ सूरज कंवर व अन्य राजकुमारियों को दहेज में दिए गए आभूषणों तथा सोने चांदी के बर्तनों आदि के विवरणों से आभूषणों के तोल की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस बही में एक स्थान पर मालवा तोल का भी उल्लेख मिलता है।²² आठ रत्ती के बराबर एक माशा होता था। बारह माशा के बराबर एक तोला होता था। ये तोल प्रायः सोना, चांदी व अन्य जवाहरात तोलने के लिए और वैद्यों के द्वारा औषधियों की मात्रा तोलने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे।²³ इस प्रकार सामान्यतः मन, सेर, पाव, तोला, माशा व रत्ती के बांट हुआ करते थे।²⁴

सन्दर्भ

1. भण्डार नं. 10, बस्ता नं. 31, वि.सं. 1864/1807 ई. कोटा रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर-उदधृत-गुप्ता, बी.एल, ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान, पृ-181, जयपुर पब्लिशिंग हाऊस
2. मारवाड़ रा परगनां री विगत, भाग-2, पृ. 456
3. गुप्ता, बी.एल., पूर्वोक्त, पृ. 181
4. तोलमाप गणित ग्रंथानक एम एस नम्बर 2690, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, जोधपुर
5. सनद परवाना बही, नं. 14, पंत्राक-33ब, इमेज-64, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर
6. कोतवाली चबुतरा जमाबंदी बहीं नं. 753, परगना जालोर, वि.स. 1833/1776 ई. जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आर्काइव्ज, जोधपुर-उदधृत-गुप्ता, बी.एल., पूर्वोक्त, पृ-181
7. सनद परवाना बही, नं. 25, पंत्राक 34, इमेज-60, म.मा.पु.प्र. जोधपुर
8. सूरज कंवर रै ब्याव री बही संपादक-महेन्द्रसिंह नगर, पृ. 79, म.मा.पु.प्र. जोधपुर

9. सनद परवाना बही नं. 13, पत्रांक-24, इमेज-47, म.मा.पु.प्र. जोधपुर
10. सनद परवाना बही, नं. 25, पत्रांक-49, इमेज-90, म.मा. पु.प्र. जोधपुर
11. व्यास, डॉ. आर.पी, राजस्थान का बृहत इतिहास, खण्ड-1 पृ. 444, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर
12. सनद परवाना बही, नं. 2, पत्रांक-50, इमेज-101, म.मा. पु.प्र. जोधपुर
13. मुंशी हरदयाल सिंह- मजमुए हालात राज मारवाड़, पृ- 606, म.मा. पु.प्र. जोधपुर
14. गुप्ता, बी.एल. पूर्वोक्त-पृ. 182
15. गुप्ता, बी.एल. पूर्वोक्त-पृ. 184
16. कोतवाली चबुतरा जमाबंदी बही, नं. 753, परगना-जालोर, वि.स. 1833/1776 ई, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आर्काइव्ज, जोधपुर-उद्धृत- गुप्ता, बी.एल. पूर्वोक्त, पृ. 184
17. सनद परवाना बही, नं. 25, पत्रांक-237 ब, इमेज, 467, म.मा. पु. प्र. जोधपुर
18. सूरज कंवर रे ब्याव री बही, संपादक-महेन्द्र सिंह नगर, पृ. 14-18
19. सनद परवाना बही नं. 25, पत्रांक-210, इमेज-411, म.मा.पु.प्र, जोधपुर
20. सनद परवाना बही, नं. 25, पत्रांक-208अ, इमेज-407, म.मा.पु.प्र, जोधपुर
21. गुप्ता, बी.एल. पूर्वोक्त, पृ. 182-83
22. सूरजकंवर रै ब्याव री बही, संपादक- महेन्द्रसिंह नगर, पृ.-136-381 महाराजा मनासिंह पुस्तक प्रकाश में जवाहर खाना की बहियों व आभूषणों से संबंधित अनेकानेक बहियों के अध्ययन से सोने चाँदी के माप की इकाई का ज्ञान होता है
23. गुप्ता, बी.एल. पूर्वोक्त, पृ. 183
24. व्यास, डा.आर.पी. पूर्वोक्त, पृ. 444

मध्यकालीन जैन शिलालेखों में वर्णित महिलाओं की स्थिति

डॉ. तेजेन्द्र वल्लभ व्यास

इतिहास अतीत का दर्पण और अनागत (भविष्य) का प्रकाश-स्तम्भ है और अभिलेख इतिहास निर्माण के प्रमुख साधन। इतिहास की साधना सामग्री में अवशेष (खण्डहर), मुद्राएं (सिक्के), मोहरें (राजकीय नामांकित छापें) आदि भी परिगणित होते हैं, पर अभिलेखों में वर्ण्यविषय की स्पष्टता, समसामयिक एवं भूतकालिक घटनाओं के विवरण की विश्वसनीयता-प्रामाणिकता और उनकी जैसी काल विषयक निश्चित अभिव्यक्ति पायी जाती है, वैसी इतिहास की अन्य पुरातात्विक सहायक शोध सामग्री में मिलना असम्भव है। अभिलेख हमारे समक्ष जिन घटनाओं और परिस्थितियों का विवरण उपस्थित करते हैं, इतिहास उस विवरण को देशकाल की शृंखला में सुव्यवस्थित (शृंखलाबद्ध) करता है, वह उसका यथास्थान उचित काल में अभियोजन और विवेचन-विश्लेषण करता है। अभिलेखों में तत्कालीन लेखल शैली तथा लिपि, भाषा, संवत् आदि का उल्लेख मिलता है। देश और काल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान अभिलेखों में उत्कीर्ण विवरणों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेखों द्वारा साहित्य और धार्मिक प्रणालियों के विकास का विवरण प्राप्त होता है। किसी राज्य के तिथिक्रम, वार एवं इतिहास लेखन में अभिलेख सदैव सहायक रहते हैं। साहित्य एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को शुद्ध एवं पूर्ण करने में अभिलेख महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।¹

जैन अभिलेखों की सामान्य रूप से प्राप्ति जैन मन्दिरों से ही होती है। वृहद् प्रशस्तियां पृथक रूप से शिलाओं पर उत्कीर्ण कर मंदिरों में संरक्षित रखी जाती थी। देवकुलिकाओं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार से सम्बन्धित अभिलेख देवकुलिका पर लिखे जाते थे। दान दक्षिणा से सम्बन्धित अभिलेख जैन मंदिरों के स्तम्भों पर अथवा 'सुरह' अभिलेख के रूप में लिख जाते थे। तीर्थ यात्राओं से सम्बन्धित अभिलेख सामान्यतः मन्दिरों के स्तम्भों अथवा भित्तियों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। निषेधिकाओं के अभिलेख उनके भीतर समाधियों के स्तम्भ पर अंकित किए जाते थे। गंगारार के दिगम्बर जैन साधुओं के अर्पित युक्त अभिलेख वहीं की निषेधिकाओं से वि. सं. 1374 में प्राप्त हुए हैं।² प्रतिमा अभिलेख अधिकांशतः प्रतिमाओं के पाद-पीठ पर उत्कीर्ण होते थे। जबकि कांस्य प्रतिमाओं में इन अभिलेखों का अकन पृष्ठ भाग पर किया जाता था।

राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में जैन शिलालेखों की संख्या अधिक है। ये लेख प्रायः मन्दिरों, मूर्तियों, स्तम्भों, निषेधिकाओं और कीर्ति स्तम्भों पर विशेष रूप से उत्कीर्ण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सुरह लेख एवं चट्टानों पर खुदे हुए लेख भी मिले हैं। जैन धर्म के विकास क्रम के विषय में अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। यह अभिलेख समृद्ध तथा मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में भी प्रकट होते हैं, जिन्हें निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है—ऐतिहासिक लेख, मन्दिर की प्रतिष्ठा एवं व्यवस्था सम्बन्धी लेख, संघयात्रा सम्बन्धी विरण, मूर्तियों के लेख एवं निषेधिकाओं और कीर्ति स्तम्भ लेख।

महिलाओं की स्थिति

मध्यकालीन अभिलेखों के अनुसार समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था।³ धार्मिक कार्यों के प्रति स्त्रियों का झुकाव पुरुषों से अधिक था।⁴ अनेक महिलाओं द्वारा विभिन्न देवकुलिका का निर्माण एवं मूर्ति स्थापना का कार्य किया जाता था। महिलाएं सामान्यतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी तथा धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। वि.सं. 1485 के देलवाड़ा से प्राप्त जैन अभिलेख से ज्ञात होता है कि ऊकेशवंशी श्रेष्ठ रामदेव ने अपनी पत्नी के साथ आचार्य सोमसुन्दर के नेतृत्व में नन्दीश्वर पट्ट की स्थापना करवाई थी।⁵

विवाह—मध्यकालीन समाज में विवाह समान जाति में प्रचलित था। समाज लघु एवं वृहद् शाखा में विभाजित था। विवाह अलग अलग जाति में नहीं हो सकते थे। अन्तरजातीय विवाह को समाज में पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं थी। मध्यकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि समाज में बहुपत्नीत्व प्रथा का प्रचलन था। बहुपत्नीत्व प्रथा राजपरिवारों, धनी, वैश्यों तथा उच्च वर्णों में विशेषतः प्रचलित थी।⁶ सामन्त और षडानादय परिवार द्वारा भी इस प्रथा का अनुकरण किया जाता था। परमार राजवंश की आबू शाखा के शासक धारावर्ष की दो रानियां थी—गंगादेवी एवं शृंगारदेवी।⁷ वि.सं. 1491 के देवकुलपट्टक अभिलेख⁸ एवं वि.सं. 1494 के नांगदा अभिलेख⁹ से ज्ञात होता है कि रामदेव नवलखा ने दो स्त्रियों से विवाह किया था। वि.सं. 1507 के पाली से प्राप्त लघु जैन अभिलेखा में सिंघवी परिवार के श्रेष्ठ भीमा ने भामिनी, नानलदेवी, पद्मावती से विवाह किया था।¹⁰ वि.सं. 1532 के हमिरगरी अभिलेख में श्रीमती कर्मा की पुत्री नाथी का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख की विशेषता है कि पिता के नाम के स्थान पर माता के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है।¹¹

मध्यकालीन समाज में पत्नी के लिए विशेषकर भार्या, कलात्रा एवं ठाकुर¹² शब्द का प्रयोग किया जाता था। भार्या शब्द का सबसे अधिक तथा कलात्रा शब्द का सबसे कम प्रयोग मिलता है। वि.सं. 1206 के अरसाणा जैन अभिलेख में कलात्रा शब्द

का उल्लेख मिलता है।¹³ वि.सं. 1293 के आबू से प्राप्त लूणवसही अभिलेख में सोढ़ादेवी की पुत्री ठाकुर रतनदेवी का उल्लेख मिलता है।¹⁴

विचाराधीन काल में विवाह से पूर्व कन्याएं अपने माता-पिता के संरक्षण में रहती थी। विवाह के समय वर की जाति, गोत्र, प्रवर, शिक्षा, आयु, गुण, जन्मस्थल इत्यादि प्रमुख तथ्यों का परीक्षण किया जाता था।¹⁵ मध्यकाल में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जब राजपरिवारों ने अन्य जातियों के साथ विवाह किया था। वि.सं. 1233 के नाडोल से प्राप्त लखनपाल अभिलेख के अनुसार चाहमान शासक केलहन ने जैन धर्म की अनुयायी महिबलदेवी के साथ विवाह किया था।¹⁶ वि.सं. 1444 के सांचौर से प्राप्त जैन अभिलेख के अनुसार चाहमान शासक प्रतापसिंह ने कमलादेवी से विवाह किया था, जिसने महावीर मन्दिर को दान दिया था।¹⁷ हमारे अध्ययनकाल के अभिलेखों में अन्तरजातीय विवाह के भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं। नाडोल के शासक लक्ष्मण ने वैश्य कन्या से विवाह किया था।¹⁸

मध्यकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कभी कभी स्त्रियां विवाह के पश्चात् पति का नाम धारण कर लेती थीं। वि.सं. 1501 के कोटा से प्राप्त चन्द्रप्रभ मन्दिर अभिलेख में श्रेष्ठि हीरा एवं उसकी पत्नी हीरादेवी का उल्लेख मिलता है।¹⁹ वि.सं. 1510 के नागौर से प्राप्त जैन मन्दिर अभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रीमाल जाति के श्रेष्ठि पेल्ला एवं उसकी पत्नी पेल्ली ने जैन मन्दिर में प्रतिष्ठात्मक कार्य करवाया था। अभिलेखों में रानियों द्वारा जनकल्याणकारी तथा धार्मिक कार्य हेतु दान देने के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं।²⁰ वि.सं. 1236 के साण्डेराव अभिलेख के अनुसार रानी आनलदवी न राजकीय भोग में से एक हल भूमि भगवान महावीर के निमित्त अनुदान में दी थी।²¹ वि.सं. 1236 के पाली से प्राप्त जाल्हणदेवी अभिलेख से ज्ञात होता है कि रानी जाल्हणदेवी के काल में श्रेष्ठि राल्ला ने पार्श्वनाथ मन्दिर को स्वयं का घर दान में दिया था। जिससे प्रतिवर्ष चार द्रम्म की प्राप्ति होती थी।²² वि.सं. 1292 के मारवाड़ से प्राप्त जैन अभिलेख से ज्ञात होता है कि जयादित्य की पत्नी राजदेवी ने मन्दिर में मूर्ति स्थापित करवाई थी।²³ वि.सं. 1343 के रतनपुर जैन अभिलेख से ज्ञात होता है कि रानी महणदेवी ने पार्श्वनाथ मन्दिर के भण्डार हेतु दस द्रम्म प्रदान किए थे।²⁴ वि.सं. 1356 के जूना से प्राप्त आदिनाथ मन्दिर अभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठि आल्लहन ने माता पद्मनी के श्रेयार्थ आदिनाथ मन्दिर में चतुष्टिका का निर्माण करवाया था।²⁵ वि.सं. 1444 के जालोर से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा प्रतापसिंह की रानी कमलादेवी ने जैन मन्दिर में जीर्णोद्धार करवाया था।²⁶ वि.सं. 1475 के पाली से प्राप्त जैन अभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठि कडुआ की पत्नी कमलादेवी ने मण्डपिका का जीर्णोद्धार करवाया था।²⁷ वि.सं. 1496 के पाली से प्राप्त जैन अभिलेख के अनुसार पोरवाल वंश के श्रेष्ठि की पत्नी कमलादेवी ने चतुर्मुख युगादीश्वर का निर्माण करवाया था।²⁸

शिक्षा-विचाराधीन काल में उच्च परिवार में उत्पन्न कन्याओं की शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाता था। उनकी शिक्षा में संगीत, गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला इत्यादि सम्मिलित किए जाते थे। उनको दार्शनिक एवं धार्मिक विवादों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता था। वि.सं. 1219 के लाडनू से प्राप्त प्रतिमा तोरण अभिलेख के अनुसार श्रेष्ठ सर्वदेव की पत्नी विद्यादेवी विदुषी थी।²⁹ वि.सं. 1356 के जूना से प्राप्त जैन अभिलेख में राजदेव की माता पद्मनी का उल्लेख मिलता है, जिसने संस्कृत में श्लोकों की रचना की थी।³⁰ मध्यकाल में सामान्य परिवार में स्त्रियों के अशिक्षित रहने के भी उदाहरण मिलते हैं। किन्तु कुछ ऐसी स्त्रियां के उदाहरण उपलब्ध होते हैं जो धर्म, दर्शन एवं साहित्य में रुचि रखती थी।³¹

व्रत-विचाराधीन काल में जैन अभिलेखों में कल्याणिक पर्व पर व्रत किए जाने का उल्लेख मिलता है। यह कल्याणिक पर्व तीर्थकरों के च्वयन, जन्म, दीक्षा, केवल्य ज्ञान, निर्वाण से सम्बन्धित मांगलिक उत्सव के उपलक्ष में मनाए जाते थे।³² वि.सं. 1367 के सांचौर से प्राप्त जैन अभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ रामसेन ने क्षतिग्रस्त महावीर मंदिर का निर्माण करवा कर पुनः प्रतिष्ठा करवाई थी। इस उपलक्ष में उसने कल्याणिक पर्व का आयोजन किया था।³³ जैन सम्प्रदाय में भादव पक्ष के 'पर्युषण पर्व' का अन्तिम दिन 'संवत्सरी' कहलाता है। इन आठ दिनों में सभी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित्त हेतु व्रत, दान-पुण्य, पूजा इत्यादि धार्मिक कार्य करते हैं। जैन समाज का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है।

वस्त्राभूषण-मध्यकालीन जैन अभिलेखों एवं जैन साहित्यिक स्रोत से महिला की वेशभूषा सम्बन्धी उल्लेखनीय विवरण होते हैं। आबू के विमलवसही मंदिर में देवी अम्बिका की बीस भुजाओं वाली सुन्दर आकृति है, जो हाथ में खड्ग, शक्ति, सर्प, गदा, ढाल, कुल्हाड़ी, अभय और वरद मुद्राओं से सुसज्जित है तथा मुकुट, बालियां, कुण्डल, हार, माला, मेखला, बाजूबन्द, अधोवस्त्र इत्यादि से सुशोभित है एवं सरस्वती देवी कमण्डल, वीणा एवं गुलाब से सुसज्जित है। सेवाड़ी से प्राप्त शान्तिनाथ मंदिर की देवी प्रतिमा ने वरद मुद्रा, परशु, मुद्गर, जलपात्र, वरदाक्ष, त्रिभुज, नाग एवं फल धारण किए हुए हैं। वि.सं. 1308 के आबू से प्राप्त विमलवसही अभिलेख से ज्ञात होता है कि उदयपुर के दो श्रेष्ठ ने मूलनायक की मूर्ति हेतु आभूषणों का दान दिया था।³⁴

सन्दर्भ

1. गोविन्द श्रीमाली, राजस्थान के अभिलेख, भाग 1, जोधपुर, पृ. 7
2. शोध पत्रिका, भाग 27, पृ. 41
3. के.है. डीक्यू, त्रयस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर, जीवराज जैन ग्रन्थमाला, शोलापुर, 1949, पृ. 76

4. लैंगे, रिकॉर्ड्स आफ बुद्धिज्म किंगडम्स, पृ. 53
5. पूर्णचन्द नाहर, जैन लेख संग्रह, भाग 2, 1972, पृ. 249
6. मुनि जिनविजय, गुजराती गद्य संग्रह, पृ. 69
7. प्रतिपाल भाटिया, द परमाराज, पृ. 178
8. विनयधर्म सूरि, जैन लेख संग्रह, भाग 1, पृ. 26
9. पी.आर.ए.एस.डब्ल्यू.सी., 1907-08, पृ. 36
10. गोविन्द श्रीमाली, राजस्थान के अभिलेख, पृ. 289
11. मुनि जिनविजय, गुजराती गद्य संग्रह, भावनगर, लेख संख्या 69, 73
12. शनो ठ. जयचंद्र भार्या ठ. चाहिणदेवि तत्पुत्र....
भार्या अमिदेवि ठ..... ।।
अर्बुदाचलप्रदक्षिणा जैन लेख संदोह, भाग 2, लेख संख्या 5, पृ. 209
13. मुनि जिनविजय, जैन लेख संग्रह, पृ. 73
14. अ.प्र.जे.ले.सं., भाग 2, लेख संख्या 279, 287, 289
15. समराइच्चकहा, पृ. 93
16. पूर्णचन्द नाहर, जैन लेख संग्रह, भाग 1, पृ. 231
17. एपीग्राफिया इंडिका, भाग 2, पृ. 65
18. पुरातन प्रबन्ध संग्रह, पृ. 102
19. विनय सागर, जैन लेख संग्रह, लेख संख्या 356
20. रामवल्लभ सोमानी, जैन इन्सक्रिपशन्स इन राजस्थान, पृ. 75
21. कल्याणिक निमित्तं राजकीय भोग मध्यात् युगदर्याः हाएल एकः प्रदत्तं ।।
जिनविजय, जैन लेख संग्रह, भाग 2, लेख संख्या 349, पृ. 207
22. ई.आई., भाग 2, पृ. 55
23. पूर्णचन्द नाहर, जैन लेख संग्रह, भाग 2, लेख संख्या 1713, पृ. 106
24. वही, पृ. 163
25. वरदा, वर्ष 35, अंक 4, 1992
26. ई.आई., भाग 2, पृ. 55
27. मरुभारती, अंक अप्रैल 1967, पृ. 1
28. भावनगर प्राचीन शोध संग्रह, पृ. 56
29. डॉ. परमेश्वर सोलंकी, लाडनू इतिहास का पुनश्चरण, पृ. 14
30. वरदा, वर्ष 35, 1992, पृ. 24
31. बाड़मेर के प्राचीन जैन शिलालेख, पृ. 78
32. श्री महावीर देवायः चैत्र वदि 13, कल्याणिक निमित्तः राजकीय....
गोविन्द श्रीमाली, राजस्थान के अभिलेख, पृ. 155
33. विविध तीर्थ कल्प, पृ. 30
34. अर्बुदालप्रदक्षिणा जैन लेखसंदोह, पृ. 185

मारवाड़ की रानियों द्वारा निर्मित जलाशय
(राणीभंगा भाटों की बही के विशेष संदर्भ में)

डॉ. ज्योत्सना व्यास

नदियों के किनारे जल संचयन करने के लिए प्राचीन काल से ही लोग जलाशयों का निर्माण कर रहे हैं। मारवाड़ में भी प्राचीन काल से ही जलाशयों का निर्माण किया गया है। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं।

मारवाड़ में प्राचीन काल से ही जलाशयों का निर्माण किया गया है। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं।

मारवाड़ में प्राचीन काल से ही जलाशयों का निर्माण किया गया है। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं।

मारवाड़ में प्राचीन काल से ही जलाशयों का निर्माण किया गया है। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं। इन जलाशयों में से कुछ प्राचीन हैं, जो प्राचीन काल से ही बनाए गए हैं।

and On {Yn H\$ sanZr Og nK} hms r Z{ 1459 B. {hanZJ>H\$S \ \$h m} lo
H{\$ [ngp r WanZ ga Vlon] H\$ mCZ n@UH\$ adn mWt& and Jng m H\$ sanZr [X_H\$S\$ca
_nUH\$X] Wr C\$ m|Z{ {hanZJ>H{\$ g r{ 1515 B. | [X_ga H\$ mCZ n@UH\$ adn m
Wt& [X_ga H{\$ cZ n@Vm H{\$ e\$| _| h | g{R> [X_H\$ m^r Zn_o b m h; \$&

ghrEa n g yagh Cr H\$S H\$ N h rEaZ ren{ nK{ On{ cH\$ IES>{on, CR H\$Z{
H\$S Wr C\$ m|Z{ X{Eoa _| col.gS. 1644 | "'gm{^nUga' Vlon] IwCh mOg H\$S
à dV R mod. gS. 1674 | h p&S&

_hman On Jogh Cr H\$ sanZr H\$ g rax; M dV, CR H\$ Zn, an [wa, B\$ m|Z{
and Jng m Ūhan [ZchEJS J b d Vlon] H\$ m{ col.gS. 1715 | Z m [Zch n\$& _hman On
H\$S A^ anZr H\$ g w X{ chK{lonZ{ ^r H\$ m r Vlon] [Zch n\$&

Byr V h _hman On Gp S vgh Cr h s r anZr Gp S V X; On{ cH\$ l y S r CR H\$Z{
H\$S Wr C\$ m|Z{ col.gS. 1720 | "H\$ è n Uga' [Zch n mWt& B\$ m|Z{ col.gS. 1727
_| a mZ m{S m Vlon] ^r [Zch n\$& Gp S V g h H\$S sanZr Og nK{ e{Ind V Anja
g Cr ISS {onc R H\$Z{ H\$S Wr C\$ m|Z{ col.gS. 1710 | w\$ b and Vlon] | h d H\$ r
[Zch n r Wt&

Gp S V g h à W H\$S E H\$ Anja anZr AZ S J X; e{Ind V ISS>{onc R H\$Z{
H\$S hr Wt& C\$ m|Z{ An Og{ b^ J 450 d f@ [hb { {S> d^ m X ad h{ g{ b^ J
E H\$ _rb X ya B y Vlon] H\$ m col.gS. 1724 | cZ n@UH\$ adn m W m On{ e{Ind V Cr
H{\$ Vlon] H{\$ Zn g{ OnZ n m h; \$& B y S à d V R m g d^ 1730 | h p&W S& V Z Anja
[h m O S^ m] g{ d^ kan ^ h Vlon] b^ J E H\$ S h On ad J@ w\$ Q> j{ I _| \; S on h; Anja
b^ J 20 w\$ Q> J h m h; \$& B y Vlon] H{\$ cH\$ Zn a{ an On Gp S V g h Z{ E H\$ ^ i`
_h b H\$ m^ r cZ n@UH\$ adn m W m O g | an On Anja a an cZ m t d f n O H{\$ o Z m | d V
W{\$& Vlon] H{\$ M an V a \$ b o b [E W an] H\$S X i ch an V m V Z Anja g o d^ m t [Zr
h p&O h; \$& B y Vlon] | E H\$ h d H\$ S r h; \$& d f n O H{\$ o Z m | O] Vlon] g y I O m V
W m V] h d H\$ S r H\$ m [n Zr H\$ m | An V m Wt&

Byr V h an d Z m | H{\$ A b d n O z m S^> m{ T r H\$S X y g ar d h o An] Z{ ^ H\$ E
R V an] H\$ mCZ n@UH\$ adn m Wt& O g{- _hman On A Q V g h H\$S sanZr [X_H\$S\$ca
O m S^ M r On{ cH\$ Zn Z ad CR H\$Z{ H\$S Wr C\$ m|Z{ M r X m{ h{ H\$ h i a P i t a{ H\$ mCZ n@
H\$ adn m h P i t a n On { Y [wa _| "'O m S^ { r a n{ P i t a n { " H{\$ Zn g{ OnZ n m h; \$&
anZr ^ S m ^ n Q m] H\$S J n r g{ h r B y H\$ mCZ n@UH\$Z{ d i t r anZr H\$ m Zn g n Z{
An m h; \$& _hman On A^ g h H\$S sanZr O H\$S\$ca W S\$ca, On{ cH\$ [n Q Z CR H\$Z{ Z{
g d^ 1735 | J n { o a r K i Q r _H\$ a Ū m | P i t a{ H\$ mCZ n@UH\$ adn m Wt& B y r

Veh_hanO\SV\hghOrHsHsSaUrXn;OHSsaOn{ OnUcR>HhZ{ HsWc
Cfm|Z{_{S>r`mYadO|H{\$ hnaPban^r |ZchmWih&

ancZ`m|H{\$Abdn[¶S>XnV{ ^rcZ_nOUHsm`CHSadVrW&ch^rOZ
Hs`nUHsarHsm`CHSadZ{_|gnZ&Mb{VrW&ch hOZrWrd\$ hOHSr
IwchZ{ E& hJbJchZ{ g{ CH{\$Zn_HsSaVrRm |I>{JrS&_hanOn_nZogh
Hs[¶S>XnV[ZanZ{ hOHSr IwchHs&_hanOnJogh (ãW_) Hs[¶S>XnVOr
AZhanZ{ AZhan|hOHSr |Zch`rS&_hanOnVIVghHs [¶S>XnV [JanUhan
hOHSrKOr_|Vbn|AnaznmaYadO|H{\$ hna hOHSrHsadhrJrS&_hanOn
V>vghHsEHAY´ [¶S>XnVOnanZ{ ^r hOHSr |ZchrWm hJbJchmS&

On{Y{waH{\$Core`m|_|AaJbn|gnAHSmOCHZht`chmOEVm{ hV
AYar`bVr;h;S& hg|Hsm{ knVh; ch\$ Jbn| gnAHSmOZ_n@1788BE. |
hanOnO`oghHs [ngHZJbn|an`Z{ [wanZ{ On{Y{waZa|gXa_nH}SQ>
_|ZchmWih&HsmOvnh; ch\$ Jbn|an A[Z{ g_HsAdUr` gWArW&
[hb{ hnt`amZ hOHSrWroG{ Jbn| gnA_| [radVOC`chmJnS& hCore`
AnR>dfm}S_|ZH&V; nah|AnAnjaBj[a]¶S>YZaroei``hBS&Bj{ Xn{
^nAm|_|ZchmJnS&Nm{Om^no> "Ubn| gnAHSm |AMn' H{\$Zn_g{ aogO
h;S&BjH{\$ [ngJbn|an`Z{ A[Zn_hb^r |ZchmS&

BjCore`H{\$Miam|AnjaK¶S>EXagWAgroD>mtbJhBOJOWOn{
AnO^rCgr gWAXAmH{\$ gnW_m;OyXh;S&BjCore_|]nbg_YXPrbg{
ZaH{\$_mü`_g{ [mZrAnVmWmOg{ ZJa_| [{`CbH{\$ÊS|_|Hsm`do`m
OvWih&A}Zag{ [mZrHsAnd\$]YXm{ JCh;S&H{\$Sb lagVHsm[mZr
Bj|AnVnh;S&

AYW: hriQ>hm{Ovnh; ch\$ nah¶S>aoS`Hs`dibE`g{SArYUm|
g{ hrZht |p&SAA>r`mZnAm| g{ ^rodyofVW&Cfm|Z{ g`_g` [a
CbHs`nUHsarHsm`CHSaCHsmOZmH{\$ a>VbJndXen`mh;S&

सन्दर्भ

- 1. डॉ. महेन्द्रसिंह नगर, राणी मंगा भाटों की बही, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर

SUMMARY / सारांश**Baba Ramdevpir-Ramshah Pir****Dr. Manish Parmar & Dr. Rajendra Singh Rathore**

Ramdevji is a folk-deity of Rajasthan in India. He were a saint of the fourteenth century who devoted his life to the upliftment of the downtrodden. Ramdevji i considered to be an incarnation of Krishna.

Muslim venerate Ramdevji a 'Ramshah Pir'. He were siad to have had miraculous powers, and his fame reached far and wide. Legend has it that five Pirs (saints) from Mecca came to test Ramdevji' powers. After being convinced of his abilities, they paid their homage to him. Since then he is venerate by Muslim also as Ramshah Pir or Rama Pir.

Ramdevji believed in the equality of all human beings, be they high or low, rich of poor. He helped the down-trodden by granting them their wishes. Baba Ramdev is often depicted on horseback. His worship crosses the Hindu-Muslim divide as well as the distinctions of caste. His followers include caste Hindus and the Dalits in modern-day Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh, Mumbai, Delhi and also in Sindh in Pakistan. Several Rajasthani melas (fairs or festivals) are held to commemorate him.

**A Historical Overview of Relationship of
Rajput and Charan castes in Rajasthan****Dr. Bhanwar Singh Rathore**

Both Rajput and Charan castes played an important role in the history of Rajasthan, Gujarat and Sindh. Their relationship and association is as old as their emergence in history of Rajasthan. Both of them acquired prominence from 8th Ce onwards in their respective fields, Rajputs in art of military warfare and Charans in literary field of composing ballads in praise of their masters' deeds of unparalleled chivalry, patriotism and courage. Rajputs would have

never acquired the heroic status in the annals of Rajasthan without the moral and political support of Charans. Charans would have not got due respect and recognition in the society if they had not found Rajputs as their sovereign and patrons. Their survival as a separate caste and community was only possible with support in form of patronage from Rajput rulers. Rajputs needed them to replace hegemony of Brahmans which exerted unlimited influence over Rajput in all spheres being poets and genealogists Charans, especially Kacchela clan also indulged in trade of horses and other things. Although, geographically Charans mostly remained confined to the limits of Rajput ruled states of Rajasthan, Gujarat and Sindh. Clans of different Rajput lineage not only ruled these states but were spread in entire northern India and beyond. Their relationship is a curious case of mutual understanding and interdependence. Their relationship was not always smooth and amiable as it is generally reported and perceived by historians. History of 1300 years of their association has witnessed many ups and downs. Although Rajputs of the rulers of all princely states or Rajwadas generally revered Charan clans associated with them. Sometimes a rift would be deliberately created by other influential rival classes of Brahmans and Bhat genealogists against Charans in one of the princely states to degrade them socially and politically. As recorded by Col. James Tod in *Annals and Antiquities of Rajasthan* "since the times of Hammir the Charan influence had far eclipsed the rest. It was obvious that jealousy was bound to grow between Brahmans and Charans."

None of them lost any opportunity to degrade and defame the other class in the eyes of ruler and seek his favour towards it.

Tod further mentions that in the times of Kumbha, a Brahman astrologer predicted Kumbha's death through a Charan and as the class had given other cause of offence, Kumbha banished the fraternity his dominions resuming all their lands. It was a strong measure in those days and which few would have had a nerve to attempt or firmness to execute. Later Raimal got the edict set aside and his race restored to their lands and the kings. There are other similar instances where Charans restored to making unjustified demands to be met by their sovereign or patrons and in turn making him annoyed. Their subsequent involvement in trade of Arab horses

and other commodities made Rajputs enemy of each other. Their keeping large caravans and wandering in other areas without paying due levy also caused resentment in some princely states. Enmity that grew over a demand of a mare named 'Kalvi' by Jindrao Khichi from Charani Deval Bai and her deliberate denial on the plea of giving her to Pabu Rathore for the prospective services of protection of her herd of cattle, horses and caravan from thieves and outlaw bandits. Enmity so caused resulted in many bloody skirmishes and in final bloodshed where Pabu while fighting to restore Deval Charani's cattle killed in the battlefield. For keeping his solemn pledge of providing protection Pabu Rathore who had gone to Amarkot in Sindh to marry the Sodha princess left the nuptial rites called - Feras in between and led his men straight to battlefield for the cause of fulfilling his promise made to the revered Charani Deval Bai never to come back to complete the 'Feras' or taking round in circles around the fire altar. Pabu Rathore for his unparalleled chivalry and courage is sung in ballads composed by bards and also in folksongs and folklores. Tessitori beautifully described their relationship in effusive style resembling that of Charan poets in the following words. "In these golden times of Rajput life when swords were never allowed to rust nor steeds to rest, and the bard was always wanted at the side of the warrior as a witness of his deeds and a singer of his praises, the lavishness of the chiefs to the bards had known no limits."

The relationship of Rajputs and Charans is multi faceted. For the sake of convenience this has been divided in five broad links that had with each other.

Gandhian Strategy and Tactics: An Overview

Vikram Jha

The chief element in Gandhian strategy was Satyagrah which may be defined as truth force or soul force. According to Eric Ericson's analysis it is a measure of self suffering to make the opponent realize the correctness of one's stand. The creed of Ahimsa or non violence also constituted a salient part of Gandhi's political philosophy.

The importance of Ahimsa to the Indian situation has to be emphasized. The recruitment policy of the British based on the concept of martial races as well as Arms act (which made it impossible for Indians to legally own fire arms) created a sense of demoralization and fear in the minds of the Indian people. [By enunciating Ahimsa, Gandhi enabled Indians to get rid of their sense of fear and fight heroically without arms].

Again non-violence had special appeal for the propertied class and business groups to whom very idea of violent and unrestrained mass agitation was anathema. Gandhi's insistence on non-violence has been criticized as being subservient to the interests of the propertied class of the society. But keeping in mind the immense coercive power at the disposal of the state, non-violent agitation was the only feasible alternative. Besides any effort by the Britishers to brutally stamp out such a movement would expose the repressive character of the imperialist state. As Bipin Chandra Pal said 'In carrying out passive resistance, we keep ourselves in the right.

The next thing Gandhi gave importance to was mass participation (contact). Gandhi believed in participation by the masses in the politics but controlled and disciplined participation. At the practical level, he used the philosophy Ahimsa to keep the movement controlled and non-violent. He said 'the energy of the youth has to be harnessed, regulated and released in a strictly controlled manner'.

During 1917-18 Gandhi successfully conducted three local agitations in Champaran, Kheda and Ahmadabad which catapulted him to the forefront of mainstream politics. In Champaran district, landless peasants who rented land from indigo cultivators had to cultivate indigo on three kathas of land per bigha under a system known as 'Tinkhatia'. In the mid 1890's indigo cultivation became unprofitable following the introduction of synthetic dyes in the market. The planters agreed to free the raiyats of their obligation to cultivate indigo for payment of a certain amount of money, either in the form of rent enhancement called Sharabeshi (at times as high as 50 to 60% of previous rent) or payment of lump sum called Tawan. Gandhi succeeded in getting an inquiry instituted. By its recommendations the Tinkathia system was abolished, enhancement of rent was fixed at 20 to 25% and repayment of Tawan was also enforced by executive order.

In Kheda , the kharif crops failed in 1917-18 and simultaneously the prices of salt, kerosene, cloth etc. and cost of wage labour rose. Gandhi urged Kheda cultivators to withhold revenue payment when repeated pleas for revenue remission failed. Gandhi had to call off the satyagrah after the government granted them concessions.

In Ahmadabad, the mill owners had been paying a plague bonus to the workers which had to affect the war time increase in the cost of living. January 1918 one mill owner announced the withdrawal of the plague bonus. The workers demanded 50% increase in wages in its lieu while the owners consented to pay only 20%. Through intervention Gandhi successfully won a wage hike of 35% for the workers.

According to Judith brown the real significance of these movements lay in the recruitment of sub-contractors from amongst the small town intelligentsia who would serve as his life long lieutenants. These movements also made Gujarat and Bihar which had been quiescent earlier, into the strongest bases of Gandhian nationalism.

In march 1919 Gandhi launched the first all India struggle to oppose the Rowlatt Bill which attempted to make war-time restrictions on civil rights permanently.

Gandhi based his next campaign in the Non-Cooperation movement of 1921-22 against the British on three issues: the Khilafat wrong, the Punjab wrong and Swaraj. In December 1919, the central khilafat committee was constituted to articulate Muslim sympathies for the Sultan of Turkey. The demands of the committee were as follows; the Khalifa should retain his empire with sufficient temporal power to defend the faith, the geographical centre of Islam the Jazirat-ul-Arab should remain under Muslim sovereignty and lastly, the Khalifa should be left in possession of Muslim holy places when the treaty of Sevres (14th May 1920) with Turkey and the Hunter Commission report (28 may 1920) on Punjab violence were published, the mood within the country was extremely volatile and Gandhi decided to spearhead another round of All India agitation and bring the Muslims in the mainstream of nation.

An important feature of Gandhian strategy was to undertake constructive work and Harijan welfare programmes in the

countryside during years of retreat. He wanted the upliftment of all humans- 'Sarvodaya'. Sarvodaya is the Gandhian 'welfare function' which replaces the Marxist thesis of class war and the 'trickle down' welfare capitalism in favor of a more equitable distribution of resources and opportunities. It rejects the utilitarian approach of "the greatest good of the greatest number". For me the rule is, the good of all, the progress of all and 'the weakest first'. The issues of poverty, inequality, and alienation continue to plague the world today. Gandhi has shown us how we may try to build up a more humane and harmonious society.

Rajput Origin of Phulkian States of Patiala, Nabha and Jind

Kulbir Singh

The Princely States of Punjab, Patiala, Jind and Nabha were collectively known as the Phulkian states after the name of their common ancestor, Phul. The remote ancestors of Baba Phul, as he is lovingly called, are rather shadow figure, about most of whom much has not been cannot be ascertained. The Phulkian House is lineally descended from Sri Krishna Chandra or to use a wider appellation, it falls under the genus of Chandra-Vanshi Rajputs of which the Yadavas formed the most illustrious branch. The learned scholar, on the basis of his researches on the antiquity of the ruling family of the Phulkian House, has divided its early history into four clearly marked periods.

Phul had six sons, of whom Tiloka and Rama became the founders of ruling dynasties of Patiala, Nabha and Jind the Maharajas of Jind and Nabha being the descendents of Tiloka and the Maharaja of Patiala of the Rama the four other sons only succeeded to a small share of their father's possessions. Tiloka and Rama, the ruler of Phulkian States of Punjab were staunch followers of Guru Gibind Singh. They served the Guru on many occasions. They showed their devotion to Guru Govind Singh when he was fighting with the Hill Rajas of Shivalik Hills at Anandpur and they sided with the Guru against the Hill Rajas. The autograph letter of the Guru sent on this

occasion dated 2nd Bhadon Sambat 1753 (1696 A.D.) contain, these significant words; 'Tera, Ghar Mera Asai'. (I am much pleased with you. Your House is Mine). They were deputed in 1705 by Guru Gobind Singh himself and become Tilok Singh and Ram Singh. From here Rajput clan of Bhattis enter into Sikhism and popularly called Sidhu Brar Bans of Jat Sikhs clan.

बीकानेर क्षेत्र में प्रवासी मारवाड़ी समुदाय द्वारा देवालय निर्माण

डॉ. प्रेरणा माहेश्वरी

प्रस्तुत शोधपत्र में बीकानेर क्षेत्र के 1900-1956 ई. की अवधि के उन कतिपय देवालयों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें प्रवासी मारवाड़ी समुदाय द्वारा बनवाया गया। राजस्थान के बाहर विभिन्न प्रदेशों में प्रवासित मारवाड़ी समुदाय ने धनार्जन के पश्चात् सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त कला व संस्कृति को भी संरक्षण दिया। मारवाड़ी समाज में वे सब व्यक्ति सम्मिलित हैं जिनका उद्भव स्थान राजपूताना, मालवा, दिल्ली और पंजाब के हिंदी भाषा भाषी भाग है।

प्रवासी मारवाड़ी समुदाय द्वारा उक्त अवधि में निर्मित प्रमुख देवालयों की रूपरेखा इस प्रकार है—

दाऊजी का मंदिर, बीकानेर—यह मंदिर बीकानेर में कोटगेट से जाने वाली दाऊजी रोड पर स्थित है। बीकानेर के सदासुख कोठारी ने इसका निर्माण 1904 ई. में करवाया। गर्भगृह में श्याम वर्ण मकराना पाषाण से निर्मित दाऊजी की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह का द्वार चांदी का बना है। गर्भगृह के बाहर अंतराल में आठ स्तम्भ बने हैं। मंदिर हवेली शैली में निर्मित है।

सिंधी मंदिर, सुजानगढ़—प्रवासी मारवाड़ियों द्वारा बनाये गये मंदिरों में सुजानगढ़ का सिंधी मंदिर भव्य है। इसका निर्माण 1915 ई. में पन्नेचंद सिंधी ने करवाया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान पार्श्वना की संगमरमर की प्रतिमा है तथा दायें-बायें लक्ष्मीजी व गणेशजी की प्रतिमाएं हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, सुजागनढ़—मंदिर 1927-28 ई. में रामकिशन गाड़ोदिया ने 25000 रुपये व्यय करके बनवाया। गर्भगृह में सफेद संगमरमर के कलात्मक आसन पर कृष्ण-राधा, लक्ष्मीनारायण एवं शालिग्राम की छोटी मूर्तियां स्थापित हैं। ये मूर्तियां अष्टधातु की हैं।

बिठुलनाथजी का मंदिर-बीकानेर में तेलीवाड़ा मौहल्ले में स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण रिखिनाथ बागड़ी के पुत्र बिठुलदास बागड़ी की पत्नी रंभाबाइ ने 1935 ई. में करवाया। इस मंदिर की पुष्टिमत अनुसार प्रतिष्ठा 1941 ई. में कराई गई। गर्भगृह में विठुलनाथजी व स्वामीजी की मूर्तियां स्थापित हैं। ये मूर्तियां सोने की हैं। गर्भगृह आयताकार है। मंदिर शिखर सहित है।

श्री रामचन्द्र मंदिर, रतनगढ़-शहर के पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1936 ई. में चिमनलाल बृजलाल गनेड़ीवाला ने करवाया। गर्भगृह में राम, सीता, लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां चांदी के सिंहासन पर स्थापित हैं। गर्भगृह के द्वार के बाहर लोकपाल व परियों को संगमरमर में उभारा गया है।

श्री रामेश्वरम् शिवालय, रतनगढ़-शहर के उत्तर में स्थित रामचन्द्र पार्क में बना है। इसका निर्माण नागरमल बाजोरिया ने 1953 ई. में करवाया। गर्भगृह में शिवलिंग व नंदी स्थापित हैं। चारों तरफ चार आलों में क्रमशः गणेशजी, कार्तिकेयजी, पार्वतीजी व शालिग्रामजी की मूर्तियां स्थापित हैं।

मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा व साहित्य का विकास मेवाड़ तथा बीकानेर के सन्दर्भ में

प्रमोद कुमार

शिक्षा चाहे किसी भी काल की क्यों न हो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करती है जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति अपने व अपने समाज तथा देश को स्वच्छ बनाकर रखता है। मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा विशेष रूप से विचारधारा और उद्देश्य पर आधारित होती थी। उस काल में शिक्षा का प्राथमिक ध्येय आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक होने के साथ-साथ नैतिक और आध्यात्मिक भी होता था। धन प्राप्त और बौद्धिक विकास के साथ-साथ मनुष्य को परम शान्ति पहुंचाना उस काल की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होता था। मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा घरेलू शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध रही थी, संयुक्त परिवार प्रथा होने के कारण परिवार का मुखिया या पिता अपने पुत्रों को आरम्भ से लगाकर ऊंची से ऊंची शिक्षा घर में ही दिया करते थे। पिता पुत्रों के लिये प्रसिद्ध पुस्तकों की प्रतिलिपियां तैयार करते थे। इन प्रतिलिपियों को घर की सम्पत्ति समझा जाता था जब संयुक्त परिवार या भाई भाई से अलग होता तो इन प्रतिलिपियों को स्थावर सम्पत्ति की तरह बांट कर दे दिया जाता

था। मध्यकालीन राजस्थान की शिक्षा का प्रचलन व्यावसायिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता था, मध्यकालीन शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा में बने हुए चित्र, किले, जेवर, महल आदि उस काल की शिक्षा की दक्षता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मध्यकालीन राजस्थान की बस्तियों में शिक्षा ग्रहण करवाने के लिये शिक्षा केन्द्र बनवाये गये थे जिनका संचालन गुरु अपने तत्वावधान में करता था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के नगरों, कस्बों में शिक्षा के केन्द्र बने होते थे जिन्हें उपासर कहा जाता था वहां पर शिक्षा साधुओं द्वारा प्रदान की जाती थी तथा गांवों और कस्बों में शिक्षा का प्रचार स्थानीय अध्यापक द्वारा होता था। इस प्रकार मध्यकालीन राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था उत्तम थी।

प्राचीन इतिहास में जल एवं जल प्रबन्धन का महत्व

अनुराग विजय, डॉ. एच.सी. जैन एवं प्रो. आर.के. वर्मा

संस्कृत शब्द आपः का अर्थ हिन्दी में जल है।¹ हिन्दू धर्मशास्त्रों में भी इसकी उत्पत्ती के बारे में बताया गया है। एक मत के अनुसार विराट पुरुष ने पृथ्वी के परमाणुकर स्वरूप से स्थूल पृथ्वी तथा उसमें जल की उत्पत्ती की। पुरुष सूक्त² के 17 वे मंत्र में कहा गया है कि परमेश्वर ने अग्नि के परमाणुओं के साथ जल के परमाणुओं को मिला कर जल की रचना की।

ज्योतिष शास्त्र में जल का बहुत महत्व है। जल सृष्टि का आदि तत्व है, वह न केवल जीवन को धारण करता है बल्कि स्वयं जीवन है, जल ही हमारा रक्षक है, जल से ही आरम्भ है और जल से ही अन्त। जल तत्व की उचित स्थिति, भण्डारण व उपयोग से जीवन में सुख, समृद्धि व सफलता मिलती है। वृहतसंहिता में भू गर्भ जल का पता लगाने व वर्षा सम्बन्धी योग के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है।

जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अन्तिम वर्षों में भयंकर अकाल पड़ा था तब चन्द्रगुप्त ने अकाल प्रबन्धन व जल की उपलब्धता के लिए अथक प्रयास किए और श्रवणबेलगोला में जाकर उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा।¹⁶ चन्द्रगुप्त मौर्य ने वर्षा जल संग्रहण व वितरण के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया। यह निर्माण उसके राष्ट्रिय पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सुराष्ट्र प्रान्त में कराया था।¹⁷ यह झील उर्जयन्त एवं रैवतक पहाड़ियों से निकलने वाली पलाशिनी एवं सुवर्ण सिकता नदियों पर है।¹⁸ इसके पश्चात अशोक ने अपने राज्यपाल तुषास्फ की सहायता से इस झील का जीर्णोद्धार कराया। तत्पश्चात् शक महाक्षत्रप रूद्रदामन ने भी अपने राज्यपाल सुविशाख की सहायता से इस झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया और

अन्त में गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्त ने सुदर्शन झील व इसकी नहरों का अन्तिम रूप से जीर्णोद्धार अपने राज्यपाल चक्रपालित के माध्यम से कराया। पकी ईंटों व मण्डल कूपों का प्रयोग भी सबसे पहले मौर्यकाल में दृष्टिगोचर होता है। मण्डल कूपों के निर्माण से पानी के लिए नदी तट पर बस्तियों के निर्माण की परम्परा में परिवर्तन हुआ। अब लोग कुँए खोदकर नदी तट से दूर-दूर के इलाकों में भी बसने लगे। अतः मण्डल कूपों ने पानी की समस्या के समाधान में मदद दी।

चोल, चेर व पाण्ड्यों के काल ६ प्रथम शताब्दी से ३ शताब्दी ऋ में नहरों, झीलों व अन्य जल स्रोतों का निर्माण कराया गया। चोल नरेश करिकाल ने पुहार ६ आधुनिक कावेरी पत्तनमन्त्र की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे १६० किमी लम्बा बांध बनवाया। पुहार कावेरी की सहायक नदी वैगई पर स्थित है। हाथीगुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने अपने शासन के ५वें वर्ष में कलिंग नहर का पुनर्निर्माण कराया जिसे ३०० वर्ष पूर्व कलिंग नरेश नन्दराज ने बनवाया था।

गुप्तकाल में धार्मिक महत्त्व के कुँए, तालाब जैसे अनेक जल स्रोत खुदवाने की परम्परा बलवती हुई। अमर कोश से ज्ञात होता है कि गुप्तकाल में नदियों से नहरें निकाली गयीं और तालाब भी बनवाये गये। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि अत्यधिक वर्षा से सुदर्शन झील का पानी चारों ओर फैल गया था इसके कारण वहाँ के निवासियों के लिए दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। सुदर्शन झील सिंचाई हेतु काम में ली जाती थी। जूनागढ़ अभिलेख गुप्त कालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है। सिंचाई रहट से होती थी, संस्कृत ग्रन्थों में अरघट्ट का उल्लेख है जो रहट के लिए ही है।

चौथी व आठवीं शताब्दियों के काल में उड़ीसा के तीतलागढ़ के निकट दासमती सागर का निर्माण कराया गया। पाल व सेन राजाओं ने अपनी राजधानियों में तालाबों, झीलों, कुण्डों का बड़ी संख्या में निर्माण कराया। दक्षिण भारत में भी सातवीं सदी में पल्लवों ने जल संरक्षण के लिए स्रोत विकसित करवाए। कावेरी का प्रसिद्ध एनिकट इसी काल में बनवाया गया। साथ ही इस काल में बड़ी संख्या में तालाब व वर्षा जल को एकत्रित करने वाले कुण्ड तमिलनाडू में बनवाये गये। चोल काल (९८५-१२०५) में अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे वर्षा जल संग्रहण के साधन विकसित कराए गए। इस काल में न केवल नदियों पर एनिकट बनवाए गए बल्कि तालाबों व कुण्डों की श्रेणी का निर्माण कराया गया जो ओवरलो होने पर एक दुसरे से जुड़े हुए थे। यह नयी व्यवस्था जल की उपलब्धता व उसके वितरण के लिहाज से ज्यादा विश्वसनीय व कारगर थी।

बीकानेर राज्य के रियासत कालीन सिक्के, मुद्राएं व उनकी विशेषताएं

राजेश पंवार

क्रय-विक्रय के विनिमय का माध्यम धातु मुद्रा ही था। बीकानेर के शासकों ने मुगल सम्राटों से सम्पर्क स्थापित करने से पूर्व अगर कोई सिक्के चलाये हो तो ये सिक्के आज उपलब्ध नहीं हैं। महाराजा गजसिंह (1746-1787) के काल में बीकानेर में एक टकसाल स्थापित की गई और जो रुपया टकसाल में गढ़ा गया था उसको फरूखशाही रुपये कहा जाता था (जो मुगल सम्राट फरूखशाह के जमाने में प्रचलित हुआ) इसके लिए महाराजा गजसिंह ने सम्राट आलमगीर द्वितीय से सनद के द्वारा सिक्का ढालने की अनुमति प्राप्त की थी। इससे यह विदित होता है कि 1759 से पहले कोई सिक्का बीकानेर राज्य में नहीं गढ़ा गया। महाराजा गजसिंह के समय के शाहआलम के नाम से सिक्के चलते रहे और 1859 में इंग्लैण्ड की महारानी के नाम का सिक्का जारी किया गया।

बीकानेर के नरेश अपने सिक्कों को अपने पहले वाले शासक से भिन्न करने के लिए विशेष चिह्नों का उपयोग करते थे। बीकानेर रियासत के सिक्कों का राज्य चिह्न, पताका, त्रिशूल, किरनिया, छत्र आदि मिलते हैं।

महाराजा गजसिंह के सिक्कों में पटका और ध्वज होता था और महाराजा सूरतसिंह का विशेष चिह्न त्रिशूल था और महाराजा रतनसिंह का किरनिया (साफे का सितारा) महाराजा सरदारसिंह का चिह्न छाता और महाराजा डूंगरसिंह का चिह्न चंवरी और महाराजा गंगासिंह का चिह्न मोर छल। बीकानेर राज्य में सोने के सिक्के कभी भी नहीं गढ़े गये। यहां के शासकों ने चांदी और तांबे के सिक्के ही चलाये थे। रुपया जो नजर कहलाता था। वह अच्छी क्वालिटी का होता था और वजन में पूरा होता था और दूसरे साधारण रुपया होता था। महाराजा सरदारसिंह और डूंगरसिंह ने अट्ठनी, चवन्नी और दो आनी के सिक्के चलाये थे। जो चांदी के थे। बीकानेर में रुपये का वजन 174 ग्रेन होता था। जिसमें शुद्ध चांदी 167.47 ग्रेन होती थी।

महाराजा सरदारसिंह और डूंगरसिंह के तांबे के सिक्के अच्छी क्वालिटी के होते थे। इनसे पहले के तांबे के सिक्के घटिया तरीके से गढ़ा होता था। महाराजा गंगासिंह के समय (1880-1943) के सिक्के राजपूताने के राज्यों में सबसे अच्छे माने जाते थे। इन दोनों प्रकार के सिक्कों पर सम्बन्धित महाराजा का नाम अंकित होता था। इसके आगे शाही शब्द लिखा होता था।

दरबार अपनी ओर से सिक्के जारी नहीं करते थे बल्कि जब कभी भी कोई साहूकार सिक्के गढ़वाने के लिए आता था तब वह 1.25 माशा चांदी देता था और उसके बदले 100 रु. के सिक्के उसको गढ़ दिये जाते थे। जिनका वजन 10 माशा होता था। 25 माशा चांदी गढ़ते समय टूट-फूट राज्य का कर, छपाई इत्यादि के खर्च के रूप में ली जाती थी। अतः राज्य में तांबे, चांदी के सिक्के प्रचलन में थे। जगात बहियां, टकसाल की विगतों में इन सिक्कों का विस्तृत विवरण है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा राजकीय टकसाल में सिक्के घड़वाने की प्रथा के प्रचलन की जानकारी भी मिलती है। चांदी व तांबे के सिक्के घड़वाने पर सिक्कों में उसे शुल्क में आधी छूट की व्यवस्था थी।

बड़े सिक्कों में रुपया हुआ करता था। छोटे सिक्कों में व्यापारी लोग टका, पैसा, छदाम व दमड़ी का प्रयोग किया करते थे तथा सबसे कम मूल्य के सिक्के के रूप में कौड़ी का उपयोग भी होता था। इसके अतिरिक्त राज्य के व्यापारी वास्तविक सिक्कों के साथ-साथ हिसाबी मुद्रा का भी काफी उपयोग करते थे। हिसाबी मुद्रा में दाम, टुकड़ा, दुकानी व फुदिया आदि नामों का उल्लेख मिलता है। किन्तु उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में मुद्रा की स्थिति में परिवर्तन आ गया और सन् 1893 में अंग्रेजी प्रभाव के फलस्वरूप बीकानेर राज्य में अंग्रेजी ढंग का रुपया प्रचलन में आ गया।

मध्यकालीन राजस्थान में साहित्य का सृजन हाड़ौती, प्रतापगढ़ और मारवाड़ के संदर्भ में

भगवाना राम

मध्यकालीन राजस्थान में आने वाले क्षेत्र हाड़ौती, प्रतापगढ़ और मारवाड़ ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राज्य जो इतिहास में अपना अहम स्थान बनाये हुए हैं, उनके उस उत्तम स्थान में वहां का साहित्य अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि साहित्य के माध्यम से हम वहां की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक जानकारी को उस काल के साहित्य का सृजन हमें उस का की राजनीतिक स्थिति, जिसमें उस काल के राजाओं का अपने पड़ोसी देशों से सम्पर्क प्रजा के प्रति व्यवहार, कर प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, साम्राज्य आदि की जानकारी प्राप्त करवाता है। धार्मिक दशा की जानकारी साहित्य द्वारा आसानी से जानी जा सकती है कि उस काल में राजा व वहां की प्रजा किस धर्म के प्रति आस्था रखती थी। सामाजिक दशा को जानने में साहित्य का सहयोग लेना जरूरी जान पड़ता है। जिसस वहां के खान-पान, मनोरंजन, नारियों की स्थिति,

पहनावा की जानकारी होती है और आर्थिक क्षेत्र में साहित्य उस काल की कृषि, पशुपालन, व्यवसाय आदि की जानकारी प्रदान करती है। अतः मध्यकालीन राजस्थान में साहित्य का सृजन करना आवश्यक है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में बसे ज्यादा उपयोग उन शिलालेखों का है जो बूंदी तथा कोटा और झालावाड़ के राजाओं से संबंधित थे। जो आज वर्तमान में भी कोटा तथा बूंदी नरेशों के निजी संग्रहालयों में सुरक्षित रूप से रखे गये हैं। इन निजी संग्रहालयों में अधिकांश ग्रन्थ ज्योतिष, वैद्यक तथा काव्य विषयों से संबंधित हैं। प्रतापगढ़ राज्य में संस्कृत भाषा का महत्व अधिक रहा था, क्योंकि वहां से मिलने वाले शिलालेख और ख्यातों की भाषा संस्कृत है, इसकी जानकारी वहां से प्राप्त दो शिलालेखों जो घोटासी गांव के 11वीं शताब्दी के प्रारम्भ के आसपास के और तीसरा लेख गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का उल्लेखनीय जान पड़ता है। प्रतापगढ़ में स्थानीय भाषा का भी अच्छा प्रसार था उस काल के बड़वे तथा भाटों की बनायी हुई ख्यातें तथा वंशावलियां वहां की स्थानीय भाषा के विकास पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। मारवाड़ के साहित्य को संस्कृत और डिंगल भाषा के माध्यम से पहचाना जा सकता है उस काल में मारवाड़ क्षेत्र में संस्कृत और डिंगल भाषा में स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना होती थी, यहां के राजाओं की दृष्टि विद्वानों के प्रति अच्छी थी। किन्तु मेवाड़ की भांति यहां विस्तार वाले शिलालेखों का अभाव था। यहां कुछ संस्कृत भाषा के शिलालेख प्राप्त होते हैं। जिनमें सीहाजी के स्वर्गवास के अवसर पर लगाया गया एक लेख वि.सं. 1330 का बीटूं से मिला है जो मारवाड़ के इतिहास के लिए बड़े महत्व का है।

मानसिंह जब गद्दी पर बैठा तब साहित्य रचना में प्रेगति का काल माना जाता है। मानसिंह स्वयं कविता करने में रुचि रखता था। वह भाषा और संस्कृत का अच्छा विद्वान था। उसके बनाए गये ग्रन्थों की एक लम्बी सूची मिलती है, जिनमें नाथ चरित्र, विद्वज्ज, मनोरंजनी, कृष्णविलास, भागवत टीका, चौरासी पदार्थ नामावली, जलंधर चरित, जलंधर चन्द्रोदय, नाथस्तोत्र प्रश्नोत्तर, शृंगाररस कविता, जलंधर, ज्ञान सागर, पंचवली, मानविचार आदि प्रसिद्ध रहे थे। मानसिंह की पत्नी भटियानी रानी प्रतापकुंवरी ने अनेक भक्ति संबंधी ग्रंथों की रचना की थी। महाराजा मानसिंह के समय में बांकीदास अच्छा कवि था, जिसने मानजसोमण्डन की रचना कर अपनी अद्वितीय कवित्व शक्ति का परिचय दिया था। उसका गद्य का ग्रंथ बांकीदास री ऐतिहासक वार्ता राजस्थान के इतिहास के लिए बड़ा उपयोगी ग्रन्थ है।

मानसिंह के आश्रित कवियों में वागीराम और ग्रंथों में गाडूराम कृत जसभूषण और जसरूप, मनोहरदास कृत जसआभूषण चन्द्रिका और फूलचरित्र बड़े सुन्दर ग्रंथ हैं। उसके आश्रित लेखक उत्तमचन्द ने अलंकार आशय, नाथचन्द्रिका तथा तारकनाथ

पंथियों की महिमा नामक ग्रंथ लिखे थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हाड़ौती, प्रतापगढ़ तथा मारवाड़ में साहित्यिक सृजन विशाल रहा जिसकी जानकारी से वहां के लोगों ने अपने इतिहास को जानने की कोशिश की आगे चलकर यही जानकारी मध्ययुगीन राजस्थान के इतिहास में अपना अहम स्थान रखती है।

मेवाड़ में महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव एवं राष्ट्रीयता

राजेश बाबू

19वीं शदी के तत्कालीन समय में मेवाड़ रियासत के राजसिंहासन पर महाराणा सज्जन सिंह (8 जुलाई 1859 ई.-1884 ई.) ही विराजमान थे। स्वामी दयानंद जी तत्कालीन समय में बनेड़ा से भीलवाड़ा और सोनियाणा होते हुए (कार्तिक शुक्ला पंचमी) 27 अक्टूबर 1881 दिन गुरुवार को मेवाड़ राज्य की प्राचीनतम राजधानी (क्षत्रिय इतिहास के गौरव स्थल) चित्तौड़गढ़ पहुँचे। उस दौरान उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह नवयुवक ही थे। उस समय स्वामी जी की चर्चाएं (धर्म, समाज आदि के सुधार कार्य और लोकहित चिन्तन तथा शास्त्रार्थ से खण्डन इत्यादि) समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जा रही थीं। ये चर्चाएं एवं सूचनाएं उक्त अधिकारियों के माध्यम से महाराणा तक पहुंच जाती थीं। इसी आधार पर पं. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने स्वामी जी से पत्र के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर निवेदन किया कि जब भी उनका भविष्य में राजस्थान आगमन हो, तो उन्हें सूचित किया जाये। महर्षि दयानंद ने आषाढ़ शुक्ला अष्टमी, 1939 वि. 24 जून 1882 शनिवार को बम्बई से प्रस्थान किया। विभिन्न स्थानों से होते हुए अन्त में वे श्रावण (द्वितीय) कृष्णा त्रयोदशी, 11 अगस्त 1882 दिन शुक्रवार को मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर पहुँचे। उदयपुर में स्वामी जी का प्रवास छः मास से कुछ अधिक काल तक रहा।

महाराणा सज्जनसिंह की स्वामी दयानंद जी के प्रति विशेष अनुरक्ति थी। वे विनयपूर्वक प्रातः तथा सायंकाल स्वामी जी के निवास स्थान पर आकर उनके सत्संग का लाभ प्राप्त करते। उन्होंने एक शिष्य के रूप में स्वामी जी के चरणों में बैठकर संस्कृत वाङ्मय के महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया करते। जबकि महाराणा को आरम्भ में संस्कृत का स्वल्प ज्ञान भी नहीं था, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें सरल तरीके से व्याकरण का ज्ञान कराकर श्लोकों के पदच्छेद एवं संधिविषयक नियमों को इस तरह पढ़ाया कि तीन मास के अन्दर ही महाराणा का देववाणी पर असाधारण अधिकार हो गया।

स्वामी दयानंद जी की यह प्रबल इच्छा थी कि महाराणा अपनी दैनिक दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करें ताकि उनका प्रत्येक दिन स्वयं और मेवाड़ राज्य की प्रजा के लिए अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो सके। महर्षि दयानंद ने महाराणा सज्जन सिंह को राजधर्म की सम्यक व्यवस्था हेतु मनुस्मृति के आधार पर राजधर्म का उपदेश दिया। स्वामी जी महाराणा की तीव्र बुद्धि से प्रभावित व प्रसन्न थे और वे अशान्वित भी थे। उधर स्वामी जी के सत्योपदेश से स्वयं महाराणा सज्जनसिंह बड़े प्रभावित हुए।¹⁷ 'स्वामी जी ने महाराणा को आर्ष ग्रन्थों के अलावा पत्र विज्ञापन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विचार दिये जिनके अनुसार राज्य शासन सम्बन्धी व्यवस्था चलाने हेतु निर्देश और राजा के कर्तव्यों के सम्बंध में विशेष पत्र भी लिखे।

स्वामी जी ने महाराणा सज्जन सिंह को जिन इति कर्तव्यों का बोध कराया, उनका पालन करने में उन्होंने तत्परता दिखाई। इससे स्वामी जी को सन्तोष हुआ और उन्होंने देहरादून के पं. कृपाराम को अपने लिखे पत्र में सूचित किया कि 'श्रीयुत आर्यकुल दिवाकर महाराणा जी बहुत योग्य हैं। उन्होंने हमारे उपदेशानुसार अपनी दिनचर्या, राजकार्य और धर्मकृत्य भी करना आरम्भ कर दिया है।

स्वामी दयानंद द्वारा महाराणा सज्जनसिंह को दिये गये राजनीतिक उपदेश महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके द्वारा बताई गई शान विधि तथा राजनय के अनुसार शासन चलाने का भरसक प्रयत्न किया।

राजकार्यों में हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रचलन की प्रेरणा भी स्वामी जी ने महाराणा को दी। मेवाड़ राज्य के राजपत्र को सज्जनकीर्तिसुधाकर नाम देकर प्रकाशित कराने तथा राज्य की सर्वोच्च शासन समिति को 'महद्राजसभा' का नाम देने के पीछे भी स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा ही कार्य कर रही थी। स्वामी जी ने राज्य के न्यायालयों, प्रशासन एवं कचहरी इत्यादि में आर्य भाषा देवनागरी हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया।

उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह स्वामी जी के उपदेशानुसार अपनी दैनिक दिनचर्या, राजकार्य और धर्मकृत्य करना आरम्भ कर दिया। अतः स्वामी जी के शास्त्रार्थ खण्डन, उपदेश, पत्र एवं विज्ञापनों से महाराणा सज्जन सिंह प्रभावित हुए। स्वामी जी का मेवाड़ भ्रमण का प्रायोजन सफल हुआ। स्वामी दयानंद ने राजा, महाराजा एवं महाराणाओं में स्वशासन, स्वदेशी वस्तुएं व स्वभाषा हिन्दी इत्यादि के प्रति नवचेतना का संचार कर राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मारवाड़ में प्रजामण्डल आन्दोलन

सूरज सोनी

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में 19वीं सदी के अंतिम दशक में सामन्ती अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुए, मगर इन जन आंदोलनों का उद्देश्य केवल भू-राजस्व में कमी एवं सामन्ती अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीजी के पदार्पण के साथ ही राजस्थान में भी राष्ट्रवादी लहर का प्रसार हुआ तथा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई एवं रियासती राजाओं पर भी जनता को प्रजातांत्रिक अधिकार देने का दबाव बढ़ गया। इसी क्रम में कांग्रेस के 1938 ई. के 'हरिपुरा अधिवेशन' में देशी राज्यों के आंदोलन का समर्थन देने तथा रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आन्दोलन तेज करने के प्रस्ताव पारित हुए। कांग्रेस के समर्थन से उत्साहित होकर रियासतों में प्रजामण्डल आन्दोलन की शुरुआत हुई तथा विभिन्न प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिसने रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष के साथ-साथ ब्रिटिश शासन का विरोध किया।

मारवाड़ में जनसमस्याओं के लिए 1920 ई. में ही 'मारवाड़ सेवा संघ' एवं 1924 ई. में 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' का गठन किया गया। इसी क्रम में 1934 में छगनराज चौपासनी वाला, अभयमल मेहता, भंवरलाल सर्राफ आदि ने मिलकर 'मारवाड़ प्रजामंडल' का गठन किया। जिसका उद्देश्य मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था।

राज्य द्वारा मारवाड़ के सर्वोपरि नेता जयनारायण व्यास को निर्वासित करके अगस्त 1936 में मारवाड़ प्रजामण्डल को अवैध घोषित कर दिया तथा प्रजामण्डल के सदस्यों पर दमन चक्र चलाया, जिससे यह आन्दोलन शिथिल पड़ने लगा। परन्तु 1938 ई. में ही 'सुभाषचन्द्र बोस' के जोधपुर आगमन के बाद इस आन्दोलन में युवा वर्ग की बड़ी भागीदारी से यह आन्दोलन पूरी मारवाड़ रियासत में फैलने लगा।

प्रजामण्डल पर प्रतिबंध के कारण मई 1938 में रणछोड़दास गट्टानी तथा जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 'मारवाड़ लोक परिषद्' का गठन हुआ, इसका उद्देश्य जागीरदारी प्रथा की समाप्ति तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, परन्तु इसे भी राज्य के दमनचक्र का सामना करना पड़ा। परन्तु मथुरादास माथुर के सत्याग्रह के बाद राज्य व लोक परिषद में जून 1940 में समझौता हो गया तथा लोक परिषद को मान्यता मिल गयी। कालांतर में इस परिषद द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी तथा अक्टूबर 1946 में जागीरदारों के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा। इसी क्रम में

‘डाबड़ा’ कांड, डीडवाना हुआ, जिसकी देश भर में निंदा हुई। आजादी के बाद भी लोक परिषद ने जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ रियासत के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः सितम्बर, 1948 में व्यासजी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसने उत्तरदायी शासन एवं जन अधिकारों की जनता की मांग को साकार करने का प्रयास किया।

राजस्थानी काव्य में वर्णित महाराणा प्रताप की शौर्य

गाथा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. संतोषकुमार गढ़वीर

प्रताप के संघर्षमय जीवन पर तत्कालीन तथा परवर्ती साहित्यकारों ने अनेक भावपूर्ण दोहों, सोरठों, छन्दों की रचना की जिनसे ही आने वाली पीढ़ियां निरन्तर मार्गदर्शन लेती रहेगी। उस समय भारत पर मुगलों का आधिपत्य था तथा बादशाह अकबर ने राजस्थान की अधिकांश रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए दूत भेजा। किन्तु प्रताप ने इसे अस्वीकार कर संघर्ष का मार्ग चुना। इस सम्बन्ध में अनेक आख्यान विख्यात हैं। अकबर एवं प्रताप के बीच में वार्ता के चार दौर चले किन्तु प्रताप न अपनी मातृभूमि को मुगलों की अधीनता में देने से स्पष्ट मना कर दिया। परिणामस्वरूप महाराणा प्रताप एवं मानसिंह की सेना के मध्य हल्दीघाटी नामक स्थान पर 18 जून 1576 को भीषण युद्ध हुआ।

प्रताप के शौर्य एवं वीरता पर अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने अनेक दोहों की रचना की। पृथ्वीराज राठौड़ के प्रताप पर रचित डिंगल भाषा के अनेक गीत भी मिलते हैं, जिनमें प्रताप के वीरोचत गुणों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। हल्दीघाटी के युद्ध के उपरान्त अकबर ने मानसिंह के स्थान पर अब्दुलरहीम खानखाना को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। राजप्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि एक बार कुंवर अमरसिंह ने खानखाना की बेगमों को बन्दी बनाकर प्रताप के सम्मुख उपस्थित किया। किन्तु प्रताप ने बेगमों को ससम्मान वापिस पहुंचाने का आदेश दिया। यह घटना प्रताप के सहिष्णु शासक होने की पुष्टि करती है। इस घटना के सम्बन्ध में निम्न आख्यान मिलता है—

धरम रहसी रहसी धरा, खप जासी खुरसाण।

अमर विसम्बर ऊपरे, राख नहच्यो राण।।

महाराणा का मनाने के लिए अकबर ने आमेर के राजकुमार मानसिंह को भी मेवाड़ भेजा। उदयसागर की पाल पर दोनों में मंत्रणा होती है, किन्तु महाराणा प्रताप मानसिंह के साथ भोजन करने से मना कर देते हैं। इस घटना से मानसिंह अत्यन्त कुपित होकर वहां से चला जाता है। इस घटना के बारे में कवि राम कृत 'जयसिंह चरित्र' नामक काव्य में भी भोजन के समय मानसिंह एवं प्रताप के मध्य कटुता उत्पन्न होने का उल्लेख है। अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने हेतु अनेक यत्न किये किन्तु वह प्रताप के स्वाभिमान को तोड़ने में विफल रहा। अकबर के ही दरबारी कवि दुरसा आढा ने प्रताप की प्रशंसा में 'विरुद छहतरी' नामक ग्रंथ लिखा है। महाराणा प्रताप के जीवन पर परवर्ती साहित्यकारों ने भी अपनी लेखनी चलाई है। प्रताप को कवियों ने हिन्दू धर्म के रक्षक के रूप में भी चित्रित किया है। 1903 ई. में प्रताप के वंशज तत्कालीन महाराणा फतेहसिंह ने जब दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान कर चुके थे, तब क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहठ ने महाराणा प्रताप की याद दिलाते हुए फतेहसिंह को 'चेतावनी का चूंगट्या' नामक कविता लिख भेजी। आधुनिक कवियों में राजस्थानी के ख्यातिलब्ध मूर्धन्य साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया ने महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य हुए पत्र-व्यवहार पर वीररस से परिपूर्ण राजस्थानी कविता 'पीथल और पाथल' की रचना की।

बीकानेर राज्य का परम्परागत चर्म उद्योग एवं व्यवसाय (18वीं एवं 19वीं सदी के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. राजशेखर पुरोहित

उद्यम साहस धैर्य विद्या बुद्धि परामर्कम।

षडेतत् यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक्रत।।

उद्योग किसी भी समाज की अनिवार्य क्रिया होती है। पूर्व बीकानेर राज्य में औपनिवेशिक शोषण के उपरान्त भी विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धे धीमी गति से चलते रहते थे। चूंकि ये उद्योग स्थानीय मांग एवं सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर संचालित किए जाते थे इसलिए उन्हें परम्परागत उद्योग कहा गया। इन्हीं परम्परागत उद्योगों में से एक था-चर्म उद्योग।

प्राकृतिक रूप से विपन्न किन्तु पशुधन से सम्पन्न बीकानेर में चमड़ा उद्योग के विकास की अनेक सम्भावनाएं थीं। किन्तु आधुनिक काल में सामाजिक रूप से हय दृष्टिकोण एवं राजकीय संरक्षण के अभाव में यह उद्योग घरेलू अथवा लघु पैमाने तक

ही सीमित रहा। 18वीं सदी उत्तरार्द्ध तक बीकानेर में चमड़े से निर्मित जूते-जूतियां, सामान रखने के बीटके, जामदानी, थैई, घोड़े की काठी अर्थात् जीन, कृषि कार्य से सम्बन्धित उत्पादों में डोलची, चड़स, मशक तथा अन्य उत्पादों में तेल घी रखने के कुप्पे-कुप्पियां, म्यान तथा कमर पट्टे आदि उल्लेखनीय थे। इन उत्पादों का निर्माण स्थानीय मांग के आधार पर ही होता था, फिर भी गुणवत्ता के कारण देश के विभिन्न भागों में इनकी काफी मांग थी।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है कि बीकानेर राज्य में चर्म उद्योग को विकसित करने का कार्य चर्म कार्य में संलग्न विभिन्न चमार जातियों ने ही किया, जिन्हें पूर्व मारवाड़ राज्य में बलाई के नाम से जाना जाता था। मरदुमशुमारी राज मारवाड़ में विभिन्न जातियों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चर्म उद्योग में संलग्न विभिन्न चमार जाति के लोग स्वयं को पूर्व से ब्राह्मण मानते थे और दिल्ली को अपनी जन्मस्थली। कालान्तर में आजीविका की तलाश में ये दिल्ली से अजमेर, अजमेर से जोधपुर और जोधपुर से बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए।

बीकानेर में बसने वाली इस जाति से निसृत अनेक उपजातियों में-जीनगर, जोड़ीगर, म्यानगर, ढालगर एवं साजगर (चर्मवाद्य बनाने वाले) आदि प्रमुख रहीं जिन्होंने न केवल अपने द्वारा उत्पादित सामान का लोहा भारत भर में मनवाया बल्कि चर्म उद्योग के परम्परागत स्वरूप बनाए रखने में भी महती भूमिका निभाई, परन्तु 18वीं सदी में अंग्रेजी प्रभाव, प्रचलित कर व्यवस्था एवं एकाधिकार व्यापार प्रणाली के कारण यह व्यवसाय स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहा। कालान्तर में बीकानेर नरेश गंगासिंह एवं उनके पुत्र महाराजकुमार शार्दूलसिंह ने इस उद्यम को आधुनिक धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया परन्तु स्वतंत्रता के उपरान्त ये प्रयास भी नव औद्योगिकीकरण की भेंट चढ़ गए। शहर के मध्य भागों में आज भी चर्मकार जाति अपने पारम्परिक अस्तित्व को कायम रखने और स्थाई रोजगार हेतु संघर्षरत है।

आधुनिक जयपुर के निर्माता महाराजा रामसिंह द्वितीय

मीना भास्कर

महाराजा सवाई जयसिंह तृतीय की पत्नी चन्द्रावत रानी से उत्पन्न पुत्र महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय (1835-1880) का जन्म सितम्बर 1833 ई. में हुआ। महाराजा रामसिंह ने प्रशासनिक तंत्र को पुनर्गठित किया। प्रशासन में कुशलता लाने के लिए इसने सम्पूर्ण राज्य को 10 निजामतों में बांटा। 1844 ई. से राज्य की आर्थिक दशा

सुधरने लगी व राज्य समृद्धिशाली होने लगा। जयपुर के निर्माण और सुधार के लिए रामसिंह का काल विशेष प्रसिद्ध है। 1867 ई. में जयपुर शहर का सर्वे और जनगणना करायी गयी। जयपुर के चारों ओर नई सड़कें और पक्की गलियां 1869 ई. में बनायी गयी। नगर की सफाई व्यवस्था के लिए एक म्युनिसिपल कमेटी गठित की गयी। पहल बाजारों में मिट्टी के तेल के लैम्प जलते थे, 1874 ई. में उन्हें हटाकर गैस की रोशनी की गयी। राज्य में कई जगह प्रजा के हितार्थ कुएं, तालाब और बांध बनवाये गये, नगर के पास ही अमानीशाह नाले पर 4 लाख रुपये खर्च कर बांध बनाया गया जिससे नगर को पानी नहरों से दिया जाने लगा। महाराजा रामसिंह द्वारा जयपुर में विशाल एवं भव्य मेयो अस्पताल बनवाया गया, जिसका शिलान्यास वायसराय लार्ड मेयो ने 15 अक्टूबर 1870 ई. के दिन किया। अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना में भी रामसिंह द्वितीय का अभूतपूर्व योगदान रहा। 1879 ई. में यहां नाट्य कला के विकास के लिए थियेटर बना। 1871 ई. में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई जिसमें अंग्रेजी और प्राच्य विद्या की दुर्लभ पुस्तकें रखी गयी। महाराजा रामसिंह के काल में अनेक सामाजिक सुधार किये गये। इनमें सती प्रथा की समाप्ति मुख्य था। लार्ड लुडलो ने 26 अप्रैल 1846 ई. में रेजीन्सी कौंसिल के माध्यम से जयपुर राज्य में सती प्रथा को अवैध घोषित करने के आदेश जारी कर दिये, सती को दण्डनीय अपराध माना गया। लुडलो ने बंधुआ दासों का अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास किया तथा इनके सुझावों पर दासों के बारे में कठोर नियम बनाये गये और राज्य में गुलाम शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया। फरवरी, 1847 ई. में एक घोषणा करके दास व्यापार को अवैध घोषित कर दिया। मानव बलि को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सबसे अधिक महत्व का सुधार कार्य शादी के अनिवार्य दहेज व त्याग के खर्चों में कमी करवाना था। राजपूताने में चारणों व भाटों, मिरासियों व ढोलियों द्वारा ब्याह के वक्त 'त्याग' के नाम पर राजपूतों को बहुत तंग किया जाता था। इस त्याग के दुख से कई गरीब राजपूत अपनी लड़कियों को मार तक डालते थे। 1844 ई. में जयपुर राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सवाई जयसिंह के समय में भी ये प्रश्न उठा था और इसके समाधान भी ढूंढे गये, मेजर लुडलो ने सवाई जयसिंह की व्यवस्थाओं को पुनीर्जीवित करते हुए चारण भाटों को सिर्फ राजपूत सामन्तों से 'त्याग' मांगने का अधिकार दिया गया और किसी से नहीं। इसके बाद 1847 ई. में एक कानून बनाकर सामन्तों से भी इस मांग की सीमा तय कर दी गयी।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली मेजर लुडलो द्वारा सन् 1844 ई. में लागू कर दी गयी थी। 1844 ई. में रामसिंह द्वितीय ने जयपुर में 'महाराजा स्कूल' की स्थापना की। 1847 ई. में इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, 1873 ई. में इसे इन्टरमीडिएट और 1888 ई. में इसे डिग्री कॉलेज बनाया गया जो आगे चलकर 'महाराजा कॉलेज'

के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1844 ई. में जो कॉलेज 40 छात्रों को लेकर खोला गया था, 1866 ई. में उसकी दैनिक उपस्थिति बढ़कर 800 हो गयी। शिक्षा का सारा व्यय महाराजा की तरफ से किया जाता था। महाराजा रामसिंह के काल में जयपुर में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1845 ई. में की गयी। महाराजा रामसिंह द्वितीय ने चिकित्सा की सुविधा के लिए 7 सितम्बर 1861 ई. में जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 6 वर्ष की अवधि में मात्र 12 विद्यार्थियों ने डिग्री प्राप्त की, लेकिन यह मार्च 1868 ई. में बन्द कर दिया गया क्योंकि आगरा व कलकत्ता मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा दिलाना सस्ता पड़ता था। जयपुर में 1866 ई. में सरदारों तथा राजपूत बालकों के लिए 'नोबल्स स्कूल' की स्थापना की गयी, उसी वर्ष जयपुर में स्त्री शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खोले गये। 1866 ई. में प्रसिद्ध मिशनरी डॉ. कोलिन वलेनटाइन ने जयपुर महारानी का इलाज किया, जिससे प्रसन्न होकर महाराजा रामसिंह ने उसे जयपुर में स्कूल खोलने और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की। जून 1867 ई. में सर चार्ल्स ट्रेवेलियन की सलाह पर महाराजा ने स्कूल ऑफ आर्ट्स भी शुरू किया। 1876 ई. में जयपुर में दो वर्नाकुलर स्कूल थे। 1875 ई. में राज्य में कुल 412 पाठशालायं थी, जिनमें से 33 राज्य के व 379 राज्य से सहायता प्राप्त थे। इनमें कुल 7905 विद्यार्थी पढ़ते थे। 26 मार्च 1869 ई. को महाराजा ने 'सोशल साइन्स कॉन्फरेन्स' नामक संस्था को जन्म दिया। जो सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों में सुधार और परिशोधन का कार्य करती थी। इस सोसायटी ने सफाई के कई तरीके सुझाये, कृषि के नये यंत्र विकसित किये और शिक्षा सुधार के कार्य किये।

पुलिस का प्रबंध राज्य में पहले से ही चला आ रहा था। 1836 ई. में जिलों में भी पुलिस तैनात कर दी गयी थी। 1854 ई. में जब रामसिंह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पुलिस व्यवस्था में सुधार प्रारम्भ किये। नगर पुलिस का हाकिम कोतवाल था और वह फौजदार क अधीन रहकर काम करता था। शेखावाटी क्षेत्र की अराजकता का अन्त करन क लिए वहां पुलिस कोतवालयों की व्यवस्था की गयी। 1858 ई. में इलाकों में चार थाने स्थापित किए गए। 1860 ई. में पुलिस के लिए नियम बनाए गए। 1865 ई. में ठगी व डकैती पर नियंत्रण करने के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया, जो जनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस कहलाता था। रामसिंह के काल में पुलिस के दो हिस्से किये गये, पहली-देहात की पुलिस जिसमें चौकीदार और तहसील के सिपाही होते थे जो मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलते थे। दूसरी, सामान्य पुलिस जो अपने अपने क्षेत्र में सभी पुलिस कार्य करती थी और सीधी दरबार या उसके एजेन्ट के प्रति जिम्मेदार थी। पहले कैदियों को किलों में रखा जाता था। फिर उन्हें नाहरबाड़े (रामगंज) में बन्द किया जाने लगा। 1840 ई. में शहर की जेल नाहरबाड़े से हटाकर लूणकरण नाटाणी की हवेली में कर दी गयी जहां शहर कोतवाली बनायी गयी थी।

वर्तमान केन्द्रीय कारागृह 1854 ई. में बना। 1878 ई. में मेजर बेले ने इसे बहुत अच्छी जेल बताया, जिसमें 1000 कैदी रहते थे।

मेजर थोर्सबी ने 1840 ई. में ब्रिटिश भारत की तरह यहां भी दीवानी और फौजदारी अदालतें कायम कर दी थी। मुकदमे वालों को मुकदमे के लिए वकील करने की इजाजत दे दी गयी। 300 से कम के मुकदमे मुंसिफ की अदालत में और उससे अधिक के मुकदमे सदर दीवानी अदालत में पेश किए जाते थे। राजधानी में फौजदारी मुकदमे, फौजदारी अदालत में दर्ज होते थे। राजधानी में एक अपील अदालत थी, जिसने 20वीं सदी में हाईकोर्ट का रूप ले लिया। 1870 ई. में कानूनों में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के कानूनों में संशोधन किया गया। बजट बनाने व तैयार करने के भी नियम बनाये गये।

जैसलमेर राज्य में शिल्पकला, शिल्पकार एवं चित्रशैली

खेवरा राम

जैसलमेर के स्थापत्य और शिल्पकला के विकास के पीछे यहां के शासकों का शिल्प प्रेम ही रहा है। जैसलमेर के महारावल अमरसिंह ने अपने देश में सरोवरों, कुओं और राजप्रासादों का निर्माण करवाया। इसके बाद महारावल अखेसिंह से महारावल जवाहरसिंह तक के 250 वर्षों के राज्य काल में शिल्पकला का सांगोपांग विकास हुआ। इस समय में पालीवालों के गांवों में छतरियां, चबूतरे, कुओं, सरोवरों व मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा नगर में बड़ी-बड़ी हवेलियों, भवनों, राजप्रासादों, धर्मशालाओं, मंडपों, मंदिरों, देवस्थानों, कूपों एवं सरोवरों का निर्माण हुआ जिनमें आज भी जैसलमेर के शिल्पकला की झलक देखने को मिलती है। प्राचीन समय में जैसलमेर की शिल्पकला बहुत विकसित थी। जैसलमेर की शिल्पकला के उच्च स्तर का अंदाजा यहां के हाथी दांत, लकड़ी तथा कूटे की वस्तुओं, शीशे और धातु की वस्तुओं, प्राचीन मूर्तियों, भित्तिचित्रों, चांदी व सोने की मीनाकारी की वस्तुओं को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। यहां की शिल्पकारों द्वारा निर्मित लकड़ी के बने शतरंज के खिलौने, लकड़ी की सन्दूकें, उन पर बने सुन्दर चित्र, ऊंटों के पलाण, सुन्दर कांच की मणियों तथा कलाबतू में मंडे हार, मूर्तियां, इत्रदानियां, शराबदानियां तथा चांदी की सुन्दर झरियां बहुत आकर्षक और सुन्दर होती थी।

जैसलमेर के कलाकारों ने अपने द्वारा बनाये जाने वाली शिल्प (डिजाइन) के नाम भी दिये थे। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

गज छः ओंस	-	छै फूल की पंखड़ी वाली डिजाइन
कतीबो	-	चार पांखुड़ी वाले फूलों की डिजाइन
तीजव	-	बीच में तीन जवों की आकृतियां बनी डिजाइन
चार जव	-	चार जव की आकृति वाली डिजाइन
राजस	-	आठ पंखड़ी वाले फूलों की डिजाइन
खरलिया	-	बावड़ी की आकृति की डिजाइन।

उपरोक्त डिजाइनों के अतिरिक्त अन्य डिजाइनों के नाम कंवल (कमलनुमा गोखड़ा), झूलण झरोखा (झूलेदार डिजाइन के झरोखे), लूम्बोवाला गोखड़ा (जिसके लूम्बे लटकती हो), कबाणीदार गोखड़ा, बंगली, छतरीनुमा झरोखा, बरादरी (बारह थम्भों वाला) महल आदि हैं।

जैसलमेर में स्थित विभिन्न मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों में भी यहां की शिल्पकला की झलक देखने को मिलती है। सीमित साधनों के होते हुए भी शिल्पकारों ने नयनाभिराम मूर्तियों की रचना की है। पत्थर की मूर्तियों के अलावा धातु की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। ये मूर्तियां धातुओं को ढाल कर बनायी गयी हैं। लगभग छः सौ वर्षों पूर्व बने इन मंदिरों में पूर्णतः हिन्दू संस्कृति की झलक देखने का मिलती है। 16वीं व 17वीं सदी में बने इन मंदिरों एवं मूर्तियों में कहीं भी मुस्लिम संस्कृति दृष्टिगोचर नहीं होती है।

महारावल मूलराजजी के समय में जैसलमेर राज्य में स्थापत्य कला का अलग से विभाग स्थापित हुआ। महारावल मूलराज ने अनेक तीर्थ यात्राएं की जहां वे कला एवं कलाकारों के सम्पर्क में आये। उन्होंने उन्हें जैसलमेर आमंत्रित कर उनकी शिल्पकला को सम्मान भी दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जयपुर के उस्ते, उदयपुर के चितेरे, बीकानेर के यवन, छिनेने, सिन्ध के सिलावटे, पालीवालों के सुथार, धायसर के गजधर, जाजियों के जोडाइये तथा कनोई के कारीगरों ने मिलकर जैसलमेर नगर को अपने मनोभावों से संवारा।

जैसलमेर में हिन्दू और मुसलमानों दोनों धर्मों के कलाकारों ने आपसी समन्वय से कला संसार को विकसित किया है। हिन्दू और मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी तथा वे अपने धार्मिक चित्रों को बनाने के लिए स्वतंत्र थे। हिन्दू कलाकारों ने जहां मूर्तियों, पशु-पक्षियों, मयूरों, विविध प्रकार के चक्रों एवं पुष्पों को हिन्दू कला के रूप में उभारा है तथा मंदिर के शिखरों एवं राजप्रासादों को सजाया है वहीं मुस्लिम कलाकारों ने ज्यामितीय कलाकृतियों से पारदर्शक जालियों, मस्जिदों एवं ताजियानुमा राजप्रासादों को बना कर अपने-अपने सांस्कृतिक स्वरूप को उद्घाटित किया है।

इसके अतिरिक्त यहां के कलाकार भवनों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर लेते थे। हिन्दू कलाकार मूर्तियां, पशु-पक्षियों की आकृतियां, हाथी-घोड़े, हरिण, ऊंट, शेर, मयूर आदि बनाते थे और मुसलमान डिब्बे, सुराई, पानदान, इत्रदान, गमले, दीवट, ओरीसा, खरल, कूंडा तथा सुन्दर प्याले बनाते थे तथा उन पर फूल-पत्तियां आदि बनाते थे। जिनमें भी यहां की स्थापत्य कला झलकती थी।

चित्रकला की दृष्टि से जैसलमेर का विशिष्ट स्थान रहा है। यहां के जैन ज्ञान भण्डार में संग्रहित प्राचीन चित्रावशेषों का आज भी अत्यधिक महत्व है। दसवें कालिक सूत्र चूर्ण व ओथनिर्युक्त जिन्हें नागपाल के वंशज आनन्द ने पाहिल नामक व्यक्ति से प्रतिलिपि करवाया था, जैसलमेर का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में लक्ष्मी, इन्द्र, हाथी आदि की आकृतियां बहुत कलात्मक एवं दर्शनीय हैं। जैसलमेर में खरतरगच्छी साधुओं का विशेष रूप से आवागमन रहा है। उनकी चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कई ग्रंथों को चित्रित ही नहीं करवाया बल्कि उनके ऊपर भण्डार में विभिन्न चित्रों से अलंकृत कुछ पट्टिकाएं संग्रहित हैं। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर चित्र शैली की भांति जैसलमेर में भी एक स्वतंत्र चित्र शैली विकसित हुई। किन्हीं कारणों से मध्यकाल में यह चित्रकला यहां से विलुप्त हो गई और चित्रकार भी यहां से पलायन कर गये। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जैसलमेर चित्रकला का पुनः प्रादुर्भाव हुआ जिसे मुगल शैली की संज्ञा दी गई।

राजस्थान में प्रचलित स्त्रियों के आभूषण (सुहागिनों के संदर्भ में)

हेमा रजक

राजस्थान प्रदेश में आभूषण धारण करने के प्रमाण प्रागैतिहासिक युग से ही प्राप्त होते हैं। तब से अब तक आभूषणों के विभिन्न सांस्कृतिक कारकों में विकास का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। अंगों के अनुसार आभूषणों को वर्गीकृत किया गया है, जैसे—

सिर के आभूषण—

शीशफूल—स्त्रियां जब सिर पर बोरला (चूड़ामणी) नहीं गुथवाती हैं तो बालों को सुव्यवस्थित रखने के लिए बालों के बीचो बीच के हिस्से में शीशफूल बांधती हैं। इसकी बनावट बड़ी सुन्दर होती है। यह मस्तक का पेडल भी कहलाता है। इसे सूरज, शीशमणि, सिरमांग भी कहते हैं। **बोरला**—यह अत्यन्त पुराना शिरोभूषण है। महाकाव्य

रामायण एवं महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान में महिलाओं का तो यह अतिप्रिय आभूषण है। वे बड़े चाव से इसे सिर व मस्तक पर धारण करती हैं। इसके बीच में कांच या हीरे आदि जड़े हुए होते हैं, जिससे यह प्रकाश में बहुत चमकता है। यह आकार में बड़ा या छोटा होता है। बोर के साथ चांद की आकृति का आभूषण जुड़ा रहता है, जिसे 'मोड़िया' कहते हैं। **सरी**-यह बहुत पतली होती है और बोरले के पास से दोनों कानों तक बांधी जाती है। **फीणी**-यह अंगुल भर चौड़ी होती है और सरी के नीचे बांधी जाती है। यह सरी जितनी ही लम्बी होती है। **सांकली**-यहां के लोकगीतों में 'मैमद' के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और माथे की शोभा बढ़ाने वाला अद्वितीय आभूषण है। यह दो अंगुल चौड़ा होता है और फीणी के नीचे बांधा जाता है। इसके बीच में एक लड़ लगी रहती है जो बोरले में डाली जाती है। यह भी सरी व फीणी जितनी लम्बी होती है। **खेंचा**-सांकली के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला यह दूसरा आभूषण है। इसकी बनावट बड़ी मनभावन होती है। यह मोतियों का बनाया जाता है। **मांग (टीका)**-यह सुन्दर गहना बोरले के स्थान पर बांधा जाता है। इसके आगे एक गोल टिकड़ा होता है और पीछे एक लड़ रहती है जो चोटी में बांधी जाती है।

नाक के आभूषण

कांटी या लोंग-सुहागिन स्त्रियां सदैव नाक पहले रहती हैं। यह चांदी, सोने, मोती तथा हीरे आदि का बनाया जाता है। **बालानाथ या नथ**-इसे सौभाग्यवती स्त्रियां विभिन्न उत्सवों पर धारण करती हैं। यह सदैव पदने रहने का गहना नहीं है। यह सोने के गोल तार का बना होता है। जिसके अंदर मोती पिरोये हुए रहते हैं। बड़ी नथ में एक मोतियों की लड़ या साधारण धागे की डोरी लगी रहती है जिसे कान में बांध दिया जाता है। **भोगली**-स्त्रियां नाक में पहनती हैं। कांटे की जगह इसे पहनती हैं। **बेसर**-यह सोने या चांदी का चौकोर आकार का टुकड़ा होता था जिसके ऊपरी छोर पर मोती जड़े होते थे और दूसरे छोर पर सोने या चांदी का तार लगा रहता था और यह तार मोती से जड़ा होता था। यह आभूषण नाक पर लटका रहता था। **फूली**-यह आभूषण फूल की कली से जुड़ी डण्डी जैसा होता था। कली नाक के ऊपरी भाग से चिपकी रहती थी तथा डण्डी नाक के अंदरूनी भाग में रहकर उसे सहारा देती थी। **बुलाक**-यह नाक के नथुनों में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण था। बुलाक दो तरह की होती थी। एक तो साधारण बुलाक व दूसरी चांद की बुलाक। साधारण बुलाक केवल धातु (सोना, चांदी, तांबा) की गोल आकार की बाली जैसी होती थी। इसे निम्न वर्ग की महिलाओं द्वारा पहना जाता था। किन्तु चांद की बुलाक गोल छल्ले को आधे भाग में अर्द्ध चन्द्रमा की आकृति की बनी होती थी तथा इस अर्द्ध चन्द्रमा को

मूल्यवान पत्थरों (हीरा, मणि, माणक, नीलम, पुखराज) से सजाया जाता था। यह उच्च वर्ग की महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। **भंवरियो**-यह नाक में पहनने की बड़े आकार की बाली थी। यह करीबन डेढ़ से दो इंच की गोल आकार की होती थी इसमें फिरकी (गोल चक्की) के आकार की दो लालें, दो सोने के मोती व एक सफेद मोती लगा होता था। बाली के मध्य में घुमावदार तार लगा होता था। इसके अतिरिक्त कोको, डांडलो, फिणी, भलको, सरी, नक, चुनी वारी सांव इत्यादि कई नाक के आभूषण राजस्थान की सुहागिनों में प्रचलित हैं।

कान के आभूषण

मणी-सोने की जंजीर से इसे लटकते हैं, सोने का ढांचा बना कर लाल नगीना और मणि उसमें लगाते हैं। यह कान में नीचे लटकती है। **कर्णफूल**-कान के निचले हिस्से में पहने जाना वाला यह आभूषण पुष्पाकार होने से कर्णफूल के नाम से जाना जाता था। इनके अतिरिक्त झुमका, बाली, पीपल पत्र, चम्पाकली आदि पहने जाते थे।

दांत के गहने

राजस्थान में दांतों को श्रृंगारित करने की परम्परा प्रचलित थी। दांत में पहने जाने वाले गहने में राखन, चूप, मासा, सोने का दांत (दांतों पर सोने का खोल चढ़ाना) आदि थे।

गले के आभूषण

गले या ग्रीवा से लेकर छाती अथवा वक्ष तक के विभिन्न आभूषण कंठ की शोभा व स्वास्थ्य बढ़ाने में सहायक थे। इनके अलावा गले की शोभा बढ़ाने के भी अन्य कई आभूषण प्रचलन में हैं। जैसे-**सतलड़ा**-यह सोने का एक हार होता है। स्त्रियां गले में पहनती हैं। इसमें सोने की कई लड़ें होती हैं। फूल पत्तियां उनमें जड़ी होती रहती हैं। **गलपटिया**-यह सोने का आभूषण है और गले में पहना जाता है। इसकी कटाई होती है। इसमें लाल, हरे नग भी लगे रहते हैं। दोनों तरफ रस्सी लगा कर इसमें हीरा पोत भी लगाते हैं। **कालर**-इसे स्त्रियां गले में पहनती हैं। पहले एक कंठी की तरह जंजीर बनाते हैं और फिर उसमें सोने की पत्तियां लगाते हैं। **हमेल**-यह सोने की होती है, स्त्रियां इसे गले गले में पहनती हैं इसमें मोहरें लगी हुई होती है और बीच में एक बड़ी चौकी होती है। चौकी में एक तस्वीर भी बनाते हैं। **मुक्ताबाला**-गले में मोतियों की माला प्रायः सभी घरों की स्त्रियां धारण करती थी। मुक्ताबाला बहुमूल्य मोतियों से बनी होती थी। यह सुमर्गों के नाम से भी जानी जाती थी। मुक्तामाला मोतियों के स्थान पर सुवर्ण मनकों से भी बनाई जाती थी। **गलसर**-स्त्रियां इसे गले में पहनती

हैं। छोटे-छोटे गोल दाने बना कर उनको धागों में गूंथा जाता है। गुंथाई बहुत सुन्दर की जाती है। पहले आदमी भी इसे गले में पहना करते थे। हार गलपटिया चिक आदि भी गले के ही गहने हैं। किन्तु इसकी बनावट में भिन्नता रहती है। हार व चिक में गुंथाई नहीं होती, केवल साने की लड़ों से बनाया जाता है। **टेक्टो**-इसे स्त्रियां गले में पहनती हैं। बीच में सोने का गहना बना कर उसके दोनों तरफ 'चीड़' पिरोई जाती है। **तिमणिया**-यह सोने की पत्तरी में मोती जड़ कर बनाया जाता था। **हंसली**-इसे हंसली या हांसली आदि क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार बोला जाता रहा था। यह निम्न वर्ग की महिलाओं का मुख्य आभूषण था। यह उच्च वर्ग में प्रचलित था। **टुस्सी**-इसे गले से चिकपी हुई अवस्था में पहना जाता था। यह सोने के मोतियों को आपस में एक साथ जोड़कर बनाई जाती थी। **कण्ठी या कण्ठहार**-सोने के महीन तारों के टुकड़ों को एक दूसरे में पिरोकर कंठी बनाई जाती थी। यह भारी एवं कई लड़ियों वाली होती थी। **डोरा**-यह कंठी से हल्का, तथा एक ही लड़ का होता था। इसमें एक छोटी सी मूर्ति लगी होती थी जो लड़ के नीचे लटकती रहती है। **फूल**-किसी इष्ट देव की सोने की मूर्ति को धागे (लच्छा) में पिरोकर इसे गले में पहना जाता था। इसे अधिकांश में भोपा पुजारी कुल की देवी-देवता के स्मरणार्थ पहनते थे। **गुलबन्द**-यह पांच सात गुलाब आकार के सोने के बटन होते थे जिन्हें रेशम के धागे में पिरोकर गले में पहना जाता था। **हाल या निम्बोली**-यह दिखने में लच्छे की तरह चौड़ा होता था परन्तु यह लच्छे से थोड़ा लम्बा और नीचे की ओर लटकता हुआ होता था। **जुगनी**-यह अर्ध चन्द्रमा के आकार का आभूषण था जो कि गले में मध्य भाग में पहना जाता था यह मोतियों से गूंथा जाता था। **मंगलसूत्र**-यह महिलाओं का प्रमुख सुहागसूचक आभूषण है जो विवाह के समय पहना जाता है। आभूषण के बीच में एक पेडेन्ट होता है तथा दोनों तरफ काले मोती लगे होते थे। **झालरा**-चांदी या सोने की लड़ों वाला आभूषण जिसमें घुघरिया लटकी रहती थी झालरा कहलाता है। मोदलया, दुगदुगी आदि बाहों में पहने जाने वाले आभूषणों को बांह कलाई, हथेली तथा हाथ की अंगुलियों के अनुसार बांटा गया है। **बाजूबन्द**-निम्न जातियां की स्त्रियों में यह अत्यधिक प्रचलित है पहले तो उच्चवर्गीय महिलाएं भी इसे बड़े चाव से धारण करती थी। यह सोने व चांदी दोनों धातुओं का बनता है। **अणत**-तांबे की लड़ की एक मोड़ पर ही सोने का पात (सत्) चढ़ाकर उस पर खुदाई की जाती थी। यह भी टड्डे की जगह पहना जाता था। **टड्डा**-तांबे की लड़ को तीन बार मोड़कर उसके ऊपर सोने का पात चढ़ाकर इसे बनाया जाता था। **बट्टा**-बाजूबंध के आगे पहनने का आभूषण है। **चूड़ा/चूड़ियां**-सभी सौभाग्यवती महिलाएं सदैव कलाई को पास पहने रहती हैं। यह हाथी दांत, लाख या कांच की बनी होती हैं। बहुत सी धनवान महिलाएं सोने-चांदी की चूड़ियां पहनती हैं।

जिन पर नक्काशी की हुई होती है या फिर नगीने लगे होते हैं। **बाहु**-यह दिखने में चूड़ जैसा होता था लेकिन आकार में उससे छोटा होता था। **कड़ा**-कड़ा गोल आकार की चूड़ी थी जो कलाई में पहनी जाती थी। यह एक भारी चूड़ी थी जो विभिन्न धातुओं (चांदी, तांबा) से बनी होती थी और इसका वजन तीन से चार तोला था। यह पूर्णतया सोना, चांदी मिश्रित धातु का बना होने से इसे सुविधानुसार खोल या पहना जा सकता था। इनके अतिरिक्त पूंजी या पोंछ, गोखरू, कांकणी, तोरे बंगड़ी, बिलिया, नागरी या नोगरी, बहेल, हथफूल, गजरा आदि हाथ के गहने प्रचलन में हैं।

अंगुलियों के आभूषण

अंगूठी-कई तरह की और कई नाप की अंगुठियां जिन्हें अंगुलियों में पहना जाता था। जो कि सोने या चांदी की बनी होती है। **हथफल**, **हथपान** व **खड़दावण**-हथेली के पृष्ठ भाग में पहना जाने वाला सोने या चांदी की घूघरियों वाला फूल जो सांकलियों के आधार पर अंगुलियों और पहुंचे से संबंधित होता है। **छाप**-इसे हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है।

पैर के आभूषण

कड़ा-पांवों में पहना जाने वाला ठोस एवं सादा आभूषण, जिसके मुखभाग चपटे एवं गोल होते हैं। कड़ा का कंडी कहलाते हैं। **रमझोल/पायल**-पांवों में घूघरियों वाला आभूषण जिससे चलते समय छम-छम की ध्वनि निकलती है, रमझोल या पायल कहलाते हैं। **आंवला सेंवटा**-आंवला ठोस चांदी का बना होता था। कड़ों के साथ सेवटा भी पहना जाता था। **टट्टा**-यह छड़ की तरह होता था। प्रत्येक पांव में पहनी जाती थी। जबकि टट्टा काफी भारी होता है। **नेवरी**-यह एक प्रकार की पायल थी जिस पर नक्काशी की हुई होती थी। **तोड़ा**-सीको को परस्पर गूंथ कर बनाया गया एक प्रकार का आभूषण तोड़ा कहलाता है। **जेहर**-पांव में पहनने के तीन छल्ले होते थे जिसमें पहले छल्ले को चूड़ा कहते थे जिससे दो आधे खोखले छल्ले जुड़े होते थे। **फोरली**-ऐसी अंगुठियां जिन पर तारों से लच्छी या गुच्छी गूंथकर फूलों की आकृति बना दी जाती थी। **बिछिया**-पांव के अंगूठे में पहनने वाले आभूषण को बिछिया कहा जाता है।

इस प्रकार स्त्रियों के अनेक आभूषण होते हैं जो राज्य अभिलेखागार में संग्रहित रियासतों के काल की बहियां में सम्मिलित हैं।

नवाबी वैभव की प्रतीक : टोंक की संकटग्रस्त स्थापत्य संपदा

हेमन्त मीना

ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप राजस्थान में नवम्बर 1817 में एक मुस्लिम रियासत टोंक की स्थापना हुई, जिसका प्रथम नवाब अमीरखां का बनाया गया। रियासत टोंक राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, इसी कारण टोंक को राजस्थान का नवाबों का शहर, राजस्थान का लखनऊ आदि नाम से जाना जाता है।

टोंक रियासत के प्रथम नवाब अमीरखां का जीवन नवाब बनने से पूर्व युद्धों में व्यतीत हुआ परन्तु 1817 में नवाब बनाए जाने के बाद अमीरखं ने अपना जीवन बिना किसी युद्ध के शान्ति से गुजारा और अपना समय टोंक शहर के विकास और विस्तार में लगाया। 1818 ई. में अमीरखां ने अमीरगढ़ (टोंक में अमीर खां द्वारा निर्मित किला) और उसके आसपास और शहर के चारों ओर सुन्दर इमारतों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया। अमीरखं द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों में जामा मस्जिद व चाहे कलां (बड़ा कुआं) का महत्वपूर्ण स्थान है।

चाहे कलां का निर्माण अमीरखां ने जामा मस्जिद के निर्माण से पूर्व करवाया था, ताकि मस्जिद निर्माण में लगने वाले पानी की आपूर्ति इस कुएं से की जा सके। यह कुआं जामा मस्जिद के प्रवेश द्वारा के दाहिनी ओर स्थित है जो वर्तमान में सूखा हुआ है। इसके चारों तरफ निर्माण कार्य के कारण इसका मूल स्वरूप खो चुका है। प्राचीन समय में जहां यह कुआं दूर से ही दिखायी देता था, वहीं आज यह चारों तरफ निर्माण कार्य (दुकानें) होने की वजह से यह कुआं अपना मूल स्वरूप खो चुका है।

चाहे कलां के निर्माण के बाद जामा मस्जिद का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और यह जामा मस्जिद अमीरखां के शासनकाल में ही लगभग 4 वर्षों में बनकर तैयार हो गयी। अमीरखां द्वारा निर्मित यह जामा मस्जिद राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में एक है और स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। इस जामा मस्जिद में चारों दिशाओं में चार भव्य मीनारें बनाई गयी हैं जो अपनी ऊंचाई व सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चारों मीनारें मीलों दूर से ही दिखाई देती थी और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। इस मस्जिद में चार भव्य दरवाजे बनाए गए हैं जिनकी विशेषता यह है कि ये दरवाजे मुगल शैली पर निर्मित किए गए हैं।

मुगल स्थापत्य की बात हो और उसमें गुम्बज का प्रयोग ना हो तो कुछ कमी सी खलती है। इस जामा मस्जिद की मुख्य इमारत में 3 गुम्बजों का निर्माण करवाया

गया है। ये तीनों गुम्बज उसी प्रकार बनाए गए हैं जैसे दिल्ली व आगरा में शाहजहां व अन्य मुगल बादशाहों ने वहां की इमारतों में बनवाए हैं। मस्जिद के इबादतखाने में प्रवेश करने पर तीन बड़े दरवाजे दिखाई देते हैं जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। मस्जिद की दीवारों पर सोने व मीनाकारी का कलात्मक कार्य किया गया है। मस्जिद में मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषता छज्जों का भी प्रयोग किया गया है जो काफी सुन्दर बनाए गए हैं। इन छज्जों पर ईरानी व मुगल शैली के फूल-बूटे व गुलदस्तों की चित्रकारी की गयी है। टोंक की यह जामा मस्जिद उस समय में और आज की अपनी स्थापत्य कला के कारण मुस्लिम समाज व पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। वर्तमान में इस मस्जिद में एक मदरसा भी चल रहा है। वर्तमान में टोंक शहर के विस्तार व नई रिहायशी व व्यावसायिक इमारतों के निर्माण व मस्जिद परिसर में अतिक्रमण के कारण मीनारें अब दूर से नहीं दिखाई देती और मस्जिद अपना प्रारम्भिक स्वरूप खो चुकी है।

जब नवाबी स्थापत्य की बात हो और उसमें हवेलियों व कोठियों की चर्चा न की जाए तो यह एक बेमानी सी होगी। टोंक के प्रथम नवाब से लेकर अन्तिम नवाब व उनकी बेगमों ने टोंक शहर में विभिन्न हवेलियों व कोठियों का समय-समय पर निर्माण करवाकर इस शहर को सुन्दर बनाया। यहां बनी हवेलियों व कोठियों की प्रमुख विशेषता यह है कि अधिकांश का निर्माण बगीचे बनाकर उनके मध्य या किनारे पर किया गया है जो उनको प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान करती थी। टोंक के नवाबों ने शहर के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए नजर बाग, मोती बाग, गुलजार बाग, बाग बंद, फिरोज बाग, गुलजारे, इब्राहिम आदि बाग बनवाए थे। इन्हीं बगीचों में टोंक की प्रमुख हवेलियां व कोठियां स्थित थी जैसे बड़ी हवेली, सा. अहमद खां, गोल हवेली, मरजीना बेगम की हवेली, हवेली नवाब साहब (यह हवेली आराइश के काम के लिए प्रसिद्ध है), कोठी ईदगाह बाग, कोठी गुलजार बाग, मछली भवन, सुनहरी कोठी आदि।

इन सभी हवेलियों व कोठियों में सुनहरी कोठी अपने स्थापत्य तथा पच्चीकारी, मीनाकारी के काम के कारण विश्वभर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कोठी का निर्माण प्रथम नवाब अमीरखां के शासनकाल में शुरू हुआ था और चौथे नवाब इब्राहिम अली खां के शासनकाल में पूर्ण हुआ। रत्न, कांच व सोने की झाल देकर बनाई गयी यह कोठी 'नजर बाग' के मध्य में स्थित है। इस कोठी में छोटे-बड़े 10 द्वार हैं। तीन द्वार पश्चिम की ओर, तीन पूरब की ओर, दो दक्षिण की ओर तथा दो उत्तर की ओर हैं। सभी दरवाजों पर रंगीन मीने व कांच के काम किए हुए लकड़ी के किंवाड़ लगे हुए हैं। पश्चिमी द्वार को शाहनशीन (मुख्य द्वार) का दर्जा

प्राप्त है। जिस पर दूसरे द्वारों की अपेक्षा अधिक सोने व मीना का बारीक काम है। इस कोठी की दोनों मंजिलों की छतें गहरे गुलाबी रंग की हैं, जिस पर भी सोने व मीना के गुलदस्ते बनाए गए हैं तथा बीच-बीच में शीशे भी जड़े हैं और छत के बीचो बीच स्वर्णिम थाल के आकार का पुष्प है। कोठी की दीवारों पर छः बड़े-बड़े शीशे सुनहरे फ्रेम में आमने सामने जड़े हुए हैं तथा इन शीशों के नीचे बड़े कांच के टुकड़ों से पेच वर्क किया गया है। शीशे पूरी कोठी में इस प्रकार जड़े गए हैं कि शीशमहल न होते हुए भी यह शीशमहल सी प्रतीत होता है।

कला केन्द्र जयपुर में संगमरमर कलाओं के ऐतिहासिक विकास के उत्तरदायी सहायक कतिपय कारक

डॉ. आशा कुमारी सिंह

भारत के 36 राजकुलों में कच्छवाहा भी एक प्रसिद्ध कुल है जो अपनी वीरता के लिए विख्यात रहे हैं। प्रारम्भिक कच्छवाहा शासकों ने ढूंढाड़ एवं आमेर में अपने राज्य स्थापित किए। मध्यकालीन राजस्थान की पृष्ठभूमि में आमेर ने एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। राजा जयसिंह द्वारा नवनिर्मित जयपुर की स्थापना के बाद कच्छवाहा शासक एवं आमेरवासी जयपुर स्थानान्तरित हुए। देश के अन्य भू-भागों से भी कलाकारों तथा कारीगरों को जयपुर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया गया। इनके आगमन से जयपुर शासकों के संरक्षण में कला और संस्कृति के विकास की एक सम्पन्न एवं अनवरत प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ, जिसके अन्तर्गत ब्लू पॉटरी, मीनाकारी, चित्रकारी, स्थापत्य कला, मूर्तिकला का विकास हुआ। इन्हीं कलाओं में संगमरमर कला का भी विकास हुआ, जिसके लिए जयपुर विश्वविख्यात रहा।

जयपुर में 50 मिलियन टन से भी अधिक संगमरमर जमा है। जयपुर के भैंसलाना, बनेठी, पंचपहाड़ी में काला धारीदार संगमरमर पाया जाता है। सैण्डकोटड़ा, रसोयवाला, सिंहपुरी, कालजपुरी एवं डोगेटा में सादा सफेद संगमरमर, ओनेक्स किस्म (हल्दी नीली किस्म) आकृति का मिलता है। जयपुर में एक मुख्य किस्म का संगमरमर आंधी क्षेत्र में पाया जाता है जिसे पिस्ता (पिस्ताचियो) संगमरमर के नाम से जाना जाता है। इसमें डोलोमाइट की कुछ मात्रा विद्यमान होती है। यह हल्की क्रीम पृष्ठभूमि में हरे वण के डोलोमाइट की उपस्थिति के कारण इसे सामान्यतः पिस्ताचियो संगमरमर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में उत्तम किस्म की इण्डो-इटालियन संगमरमर पाया जाता है, जो इटली के सतवारियो संगमरमर के समान होता है। जयपुर

में प्राप्त इन संगमरमर का उपयोग स्थापत्य कला, विशिष्ट सजावटी वस्तुओं एवं मुख्यतः मूर्तिशिल्प के निर्माण हेतु किया जाता है।

संगमरमर शिल्प, स्थापत्य तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परम्परागत रूप से मुगल काल में पत्थर-तराशों (संगतराशों) की तीन श्रेणियों का उल्लेख मिलता है-संगबार (जो खुली खानों में काम करते थे), मुनाबबतकार और नक्काशवीस। बाबर ने दावा किया कि आगरा में उसकी इमारत के निर्माण में 680 व्यक्तियों ने केवल पत्थर-तराशों के रूप में काम किया जबकि सीकरी, बयाना, धौलपुर में प्रतिदिन 1491 पत्थर-तराश नियुक्त किए गए। अकबरनामा के अनुसार आगरा के कले के निर्माण में लगभग प्रतिदिन 3000 से 4000 तक शिल्पकारों, मजदूरों और दूसरे कारीगरों ने काम किया। जयपुर कला सृजन एवं निर्माण में भी इन वर्गों की सहभागिता रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। फरमान, मंसूर एवं निशान पुराअभिलेख से ज्ञात होता है कि जयपुर के संगमरमर और कारीगरों को मध्यकाल में मध्यकालीन शासकों द्वारा कला क्षेत्र में उपयोग किया गया। समकालीन कलाकारों एवं कारीगरों का भी वर्तमान में संगमरमर क्षेत्र में विशेष सहयोग रहा है।

अठारहवीं शताब्दी से जयपुर की मूर्तिकला के विकास में मूर्तिकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवधि में अनेक मूर्तिकार कला साधनारत रहे। इनमें से मुख्यतः कालू, स्पोलाल, मूधर, महमूद रजा सिलावट रहे जिनके दस्तूर कौमवार में उल्लेख उपलब्ध है। इनके अलावा मालीराम उस्ताद, जिनका जन्म 1880 ईसवी में हुआ था, भी ख्यातिलब्ध हुए।

जोधराज गौड़ कृत 'हम्मीर रासो' में चित्रित सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन

डॉ. रणजीतसिंह चौहान

'हम्मीर रासो' की रचना अलवर के नीमराणा ठिकाने के जागीरदार ठाकुर चन्द्रभान के राज्याश्रित कवि जोधराज गौड़ ने वि.सं. 1785 की थी। इस ग्रंथ में कवि ने रणथम्भौर के चौहान वीरवर हम्मीरदेव की शरणागत-रक्षा व शौर्य का वर्णन किया है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में कुल 969 पद हैं। कवि ने इस कृति के प्रणयन में विशुद्ध इतिहास के प्रस्तुतिकरण की भावना के साथ काव्यत्व का बड़ी दक्षता से निर्वाह किया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कुल में उत्पन्न चन्द्रभान का वर्णन करते हुए कवि ने अपना परिचय दिया है। इस काव्य का नामकरण 'हम्मीर रासो' सार्थक है क्योंकि

इसमें हम्मीर का चरित्र मुख्य रूप से और विस्तृत रूप से वर्णित हुआ है। साथ ही हम्मीर की वंशावली भी दी गई है। अतः हम्मीर एवं उसके वंशधरों से सम्बन्धित ऐतिहासिक काव्य का नामकरण 'हम्मीर रासो' उपयुक्त है। चौहान राजपूतों में हम्मीर एक ऐसा विराट चरित्र हुआ है जिसका नाम संसार में सर्वत्र व्याप्त है। भारत में तो 'हम्मीर हठ' सम्बन्धी कहावत भी बड़ी प्रसिद्ध है—'तिरिया तेल हम्मीर हठ चढे न दूजी बार।'

इस ग्रंथ में इतिहास तत्वों की अपेक्षा काव्य तत्व अधिक है। इतिहास की प्रायः उपेक्षा की गई है। इसके कथानक में हम्मीर के पूर्व जनम का प्रसंग भी पर्याप्त विस्तार से वर्णित है। हम्मीर रासो के साहित्यिक अनुशीलन में रासो काव्य की सभी विशेषताओं जैसे—लौकिक-अलौकिक, ऐतिहासिक-कपोल कल्पित, वस्तु वर्णन एवं कथा-सौन्दर्य, शृंगार और वीर रस, अलंकार और छंद योजना आदि का समावेश मिलता है। वहीं हम्मीर रासो में तत्कालीन प्रचलित धार्मिक विश्वास, रूढ़ियां, सामाजिक प्रथाएं एवं परम्परागत धारणाओं का विवरण भी मिलता है। इसमें तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक इतिहास के साथ समाज में प्रचलित सांस्कृतिक तत्वों को भी प्रस्तुत किया गया है।

जोधराज गौड़ ने अपने 'हम्मीर रासो' में चार वर्णों का उल्लेख किया है। इस रासो में क्षत्रिय वर्ण के स्थान पर क्षत्रिय जाति शब्द का प्रयोग भी हुआ है। ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। 'हम्मीर रासो' में भी मुहूर्त-शोधन एवं ग्रह-नक्षत्रादि की स्थिति पृष्ठाने के लिए ज्योतिषी ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। 'हम्मीर रासो' से ज्ञात होता है कि क्षत्रियों के प्रतिहार, परमार और चौहान कुलों की उत्पत्ति, दुष्ट-दलन के निमित्त आबू पर्वत पर वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ से मानी जाती थी।

लोक विश्वास-इस रासो में ईश्वर के कर्तापन या भाग्यवाद का भी चित्रण दर्शाया गया है। यथा—

*जा विधि रची हात है सोई,
जस अपजसै लेहुं किन कोई।*

रासो में शिवभक्त महाराज हम्मीर देव को यह वरदान मिलते चित्रित किया गया है कि तुम चौदह वर्ष पर्यन्त तक शाह अलाउद्दीन से निर्भय होकर युद्ध कर सकते हो। इस अवधि में तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। खानपान, वेश्यावृत्ति, नैतिकता, आभूषण, जल-क्रीडा आदि का वर्णन भी है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण में तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। इस रासो का सारा वातावरण मूलतः आन की रक्षा और प्रण-पालना की पूर्ति में आत्म बलिदान करने की बलवती भावना से मंडित है। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि रासो परम्परा में जोधराज कृत 'हम्मीर रासो' का अपना

विशिष्ट स्थान रहा है। इस प्रकार यह रासो राजस्थान के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के प्रत्येक पहलु पर प्रकाश डालने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

एक नवीन पुरातात्विक स्थल बुगिया का सर्वेक्षण व प्रारम्भिक उत्खनित् भग्नावशेष

राजेन्द्र कुमार वर्मा

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की श्रीविजयनगर तहसील में वर्तमान घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र के दायीं ओर 2 किमी. की दूरी पर स्थित बुगिया गांव से सैन्धव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुआ है। यह पुरातात्विक क्षेत्र छोटे-बड़े सात गांवों (बुगिया, जैतसर, 6 बी.जी.डी., 7 जी.बी., 4 जी.बी., जोहड़ी, धौगानपुर) के मध्य फैला हुआ है। यह सात गांव के मध्य का सभ्यता स्थल पूर्व दिशा में पुरातात्विक स्थल कालीबंगा से 60 किमी. तथा पश्चिम दिशा में भारत पाक सीमा से लगभग 80 किमी. की दूरी पर है। इसका विस्तार 20.89029^० उ. अक्षांश तथा 73.81488^० पूर्वी देशान्तर में स्थित है। कालीबंगा के विपरीत यह स्थल घग्घर नदी के उत्तरी तट पर विद्यमान है। इस स्थल पर एक बड़े भवन के होने का प्रमाण मिला है। यह भवन एक बड़े टीले में दफन है जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देता है जो आंधी तूफान में मिट्टी में दब जाता है। इस स्थल पर प्रारम्भिक रूप से तीन टीलों से मिले साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कालीबंगा के लगभग समकालीन है। इस स्थल क्षेत्र को निम्न चार भागों में बांटा जा सकता है—(अ) दक्षिणी-पश्चिमी गुहा टीला या मन्दिर टीला, (ब) मध्य-पूर्व थेहड़ी टीला या पीर टीला, (स) उत्तरी-पश्चिमी टीला, (द) कब्रिस्तान की विस्तृत भूमि।

इस बुगिया स्थल के एक भाग मध्य पूर्व के थेहड़ी टीले या पीर टीले का एक हिस्सा काटने से निकले भिन्न-भिन्न प्रकार के मृदभांड जो बिल्कुल कालीबंगा के प्राक् हड़प्पा कालीन मृदभांडों से मिलते हैं क्योंकि इस स्थल से भी कालीबंगा की भांति प्राक् हड़प्पा कालीन मुट्टाकार मृदभांड और कच्ची ईंटों के अवशेष मिले हैं जो किसी स्थल पर प्राक् हड़प्पा कालीन स्थल होने का प्रमाण देते हैं। इस स्थल का फैलाव क्षेत्र कालीबंगा से भी बड़ा है। इस स्थल से चाँक निर्मित लाल पक्की हुई मिट्टी के अनेक मृदभांड मिले हैं और संकरे मुंह वाले छोटे-बड़े आकार के मटकों के टुकड़े मिले हैं और मृदभांडों के टुकड़ों पर अनेक लाईनदार अलंकरण युक्त डिजाइन मिले हैं। पक्की मिट्टी के विशेष आकृति वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं जो गोल आकार के

पक्की मिट्टी के मनके की तरह तथा चपटे भी हैं। इस स्थल से मिले दो चक्र जिसमें एक के छिद्रों में राख भरी थी दूसरा साधारण प्रतीत होता है जो एक प्रकार की मुद्रा, खिलौना, या मुहर जैसा प्रतीत होता है। एक चक्र जिसके छिद्रों में राख भरी थी जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह वर्तमान की तरह पूजा स्थल पर अगरबत्ती लगाने की तरह काम आता होगा और दूसरा बीच में छिद्र के साथ साधारण प्रतीत होता है। कालीबंगा व हड़प्पा में जैस्पर और सेलखड़ी पत्थर से बने मनके या माला मिले हैं उसी तरह का पत्थर बुगिया स्थल से भी मिला है।

बुगिया स्थल पर एक विशेष प्रकार का चपटा घिसा हुआ पत्थर मिला है जो अनाज को पीसने या अनाज को आपस में मिलाने के काम आता था। इस प्रकार का पत्थर मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है जिसे अवतल चक्की सा सालन पत्थर, सिलबट्टे आदि का नाम दिया गया था उसी प्रकार का पत्थर बुगिया से भी मिला है। बुगिया स्थल से एक आंगन के फर्श में लगी पकाई हुई मिट्टी की अलंकरण युक्त ईंटें मिली हैं जिसका साईज अलग-अलग है। इनमें से ऊपरी 2.5 : 11 : 12 सेमी. अनुपात की है। इसी तरह की दूसरे साईज 2.5 : 11 : 24 सेमी. अनुपात की है। इन ईंटों पर इनको पकाने से पूर्व हाथ की अंगुलियों से सीधी व आड़ी-तिरछी लाईनें बनी हैं। इस स्थल से एक 4 फीट व्यास का कुआं मिला है जिसका चबूतरा पक्की ईंटों से निर्मित है। इस कुएं के अन्दर के गोल घेरे में भी पक्की ईंटें लगी हैं जो सामान्यतः 11 : 5.5 : 6 सेमी. आकार की है जिसकी एक तरफ की चौड़ाई कम और दूसरे की अधिक चौड़ाई आसानी से कुएं का गोल घेरा बनाने में सहायक है। कुएं के चबूतरे की दीवार व कुएं का ऊपरी भाग जिसे सुरक्षा के लिए बंद किया गया। बुगिया पुरातात्विक स्थल में कुएं के नजदीक अग्निकुंड है जिसमें ढेर सारी राख तथा कोयले के अवशेष भी मिले हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा तंदूर या चूल्हा हो। एक बड़ा कुण्ड तथा उसमें बड़ा राख तथा कोयलों का ढेर मिला है। कुएं के पास में पशुओं की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पशु बलि भी दी जाती होगी। इस स्थल से कुएं के नजदीक सीप का बहुत बड़ा ढेर मिला है। सीप का यह ढेर जहां तक कुएं व अग्निकुंड के आसपास मिला है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है यह नदी का किनारा होगा या नदी की बाढ़ आई होगी। पुरातात्विक स्थल के उत्तरी भाग में 25 बीघा भूमि में फैला कब्रिस्तान मिला है। इस भूमि पर कई बार खेती करने का प्रयत्न किया गया परन्तु पानी लगने के बाद इन कब्र के अन्दर किसान या पशु धंस जाते थे। इस कारण यह भूमि लम्बे समय से खाली पड़ी है। यह भूमि भारत के प्रसिद्ध पहलवान मेहरदीन के नाम आवंटित हुई थी। कई वर्षों से यह भूमि खाली पड़ी है।

साहित्य में इतिहास के संदर्भों का उल्लेख

ममता चौहान

साहित्य और इतिहास में प्रारंभ से घनिष्ठ एवं अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। साहित्य मानवीय चेतना व मानव-मन की अभिव्यक्ति है वहीं इतिहास मानव-समाज के विकासक्रम का वर्णन प्रस्तुत करता है। इतिहास अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है अतीत की ओर उन्मुखता जहां हमें भावनात्मक रूप से बांध कर अपने कर्तव्य से विमुख बनाती है वहीं दूसरी ओर पुनरुत्थान के लिए भी प्रेरित करती है। अतीतोन्मुख हमें पुनरुत्थानवादी बनाती है तो भविष्योन्मुखता सर्जनात्मक एवं क्रियाशील बनाती है। इतिहास का संबंध मनुष्य एवं मानव समाज व उसके क्रियाकलापों रीति-नीति उपलब्धियों से होता है। वस्तुतः मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः ऐतिहासिक घटनाएं समय विशेष के अलावा परिवेश मनुष्य की आशा-आकांक्षा, आचार-विचार, नियम-विनियम निर्णय, क्रिया-प्रतिक्रिया-गतिविधियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करती हैं।

साहित्य का आधार मनुष्य है, साहित्य का समाज से और सामाजिक जीवन से गहरा संबंध है जहां इतिहासकार के पास तिथिकालक्रम एवं तरह-तरह के आंकड़े होते हैं उसी के आधार पर इतिहासकार मानव के अनुभवों व उसकी उपलब्धियों को ही तथ्यात्मक स्वरूप में लिपिबद्ध करता है।

हिन्दी साहित्य का आदिकाव्य 'पृथ्वीराज रासो' में ऐतिहासिक घटनाक्रम की इतनी प्रधानता है कि उसे इतिहासग्रंथ मान लिया गया है किन्तु आज तक इसकी प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का प्रश्न हल नहीं हो पाया है। प्रेमाख्यान काव्य के प्रतिनिधि सूफी कवि जायसी ने अपने प्रबंध काव्य 'पद्मावत' में पद्मावती एवं राजा रत्नसेन की विरह-मिलन की कथा को आधार ऐतिहासिक कथाक्रम व ऐतिहासिक चरित्र तत्कालीन चित्तौड़ नरेश राजा रत्नसेन व सिंहलद्वीप राजकुमारी पद्मावती को ही माना है। कृष्णभक्त कवि सूरदास ने अपने काव्य 'सूरसागर' में ऐतिहासिक चरित्र महापुरुष महाभारत व गीता में वर्णित कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्य 'सूरसागर' की रचना की और सगुण भक्ति के साथ ही कृष्ण कंस युद्ध व अन्याय पर न्याय की विजय दिखाकर कृष्ण के लोकरक्षक रूप को प्रस्तुत किया।

रामकाव्य परंपरा के भक्त कवि तुलसीदास ने भी अपने महाकाव्य 'रामचरितमानस' में पौराणिक ऐतिहासिक इतिवृत्त रामकथा को ही विभिन्न काण्डों में प्रस्तुत कर हमें तत्कालीन रामराज्य के आदर्श समाज रीति-रिवाजों, प्रथाओं, राम-रावण

युद्ध और ऐतिहासिक महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनगाथा को अभिव्यक्ति दी।

रीतिकालीन राष्ट्रकवि 'भूषण' ने भी अपने काव्य शिवराज भूषण, छत्रशाल दशक, शिवा बावनी में ऐतिहासिक पुरुष तत्कालीन जननायक महाराज शिवाजी, राजा छत्रशाल के शौर्य, वीरता, पराक्रम का अत्यन्त सजीव व मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करने के साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता, कट्टरता, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति के वर्णन एवं शिवराज द्वारा दिल्ली शासक की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करने का भी साक्ष्य देते हैं। इस प्रकार वे ऐतिहासिक तथ्यों का भी निरूपण अपने काव्य में करते हैं।

'विशाखा' नाटक का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी के आरम्भिक अंश से निर्मित किया है और तत्कालीन कश्मीर शासक नरेन्द्र देव कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, समकालीन राजवंशों व उनकी शासन नीतियां भी वर्णित है। 'अजातशत्रु' नाटक में मगध, कौसल, कौशाम्बी तीन प्रमुख केन्द्रों मगध में बिम्बसार और अजातशत्रु का गृह-कलह, बिम्बसार का बौद्धधर्मग्रहण करना आदि ऐतिहासिक घटनाक्रम को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में 326 ई. से 306 ई. तक की भारतीय राजनीति व घटनाओं तथा भारत पर सिकन्दर के आक्रमण (326 ई.पू.) तथा मगध में नन्दवंश के पराभव एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के राजा बनने व चाणक्य की राजनीति आदि सभी ऐतिहासिक तथ्यों व घटनाक्रम को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। 'विराटा की पद्मिनी' नाटक में बुन्देलों की आनबान, शौर्य-पराक्रम, वीरता, साहस और बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी है। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई नाटक में तो इतिहास को इतनी सजीवता से उभारा है कि वह ऐतिहासिक डाकुमेन्ट्री हो गया है। 'मृगनयनी' उनका सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है इसमें पन्द्रहवीं शती के अंतिम चरण में ध्वंस बर्बरता अराजकता व सामन्ती जीवन की झांकी प्रस्तुत की है।

राजस्थानी लोकगीतों में सोलह संस्कार

डॉ. हंसा स्वामी

राजस्थानी लोकगीतों में संस्कार-गीतों का प्रारंभ गर्भाधान संस्कार से ही हो जाता है। गर्भाधान के पश्चात् हर माह जच्चा-बच्चा की दशा और तीसरे माह से लेकर सातवें तक कभी भी पुंसवन यानी गोद-भराई का संस्कार भी सम्पन्न करवाया जाता है। गीतों में प्रसूता के गर्भधारण पश्चात् प्रति माह की मनोदशा का वर्णन देखने

योग्य है। शारीरिक एवं मानसिक उद्वेलन के पलों में उसे किस महीने में कौनसी चीज चाहिए, इसकी ओर भी संकेत किया गया है। इसी दौरान पुंसवन संस्कार भी सम्पन्न करवा दिया जाता है और प्रसव-वेला में प्रसूता को दाई की आवश्यकता होती है, अतः वह कहती है—

*सदा ऐ सुरंगा जी नार, आप बिरंगा क्यूं रे खड़्या जी राज,
लाज सरम री बात मारूजी, काई रे कैवां जी राज....
कसमस दूखै छै पेट, पींड्या धण री दरद करै जी राज,
स्यार रमंता जी स्याम पासा भंवरजी दूर करो जी राज,
जे कोई देवर-जेठ, दाई माई नै खबर करो जी राज.... ।*

कर्णछेदन-संस्कार प्रायः वर्ष भर पश्चात् सम्पन्न करवाया जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर वातावरण अनुकूल होने के कारण अनेक बालकों का कर्ण-छेदन संस्कार सम्पन्न होता है। इस अवसर पर गाए जाने वाले कतिपय गीतों में से एक के अंश इस प्रकार हैं—

*पीव्या सा सोना, उजव्या सा मोती अँ लालाजी रँ सोहैला
इण सोनै की बाळी बनवाना, लाला के कान छिदादयो जी ।*

यज्ञोपवीत-संस्कार के गीत भी अद्यावधि प्रचलित हैं। यज्ञोपवीत संस्कार को आयु, बल व तेज को प्रदान करने वाला बताया गया है। उसे विद्याध्ययन हेतु गुरु के पास भेजा जाता है। इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संबंध में गीत इस प्रकार है—

*दादोजी नानणवायो, माताबाई कात्यानी सूतजी,
बना पैरो म्हारा कंवर कन्हैया ।
जनेऊ पैरो, ब्राह्मण होज्यो जी, बना पंडित बण रँ आवो जी बना ।*

अन्नप्राशन-संस्कार के अन्तर्गत बालक को छह महीने पूर्ण होने पर पहली बार मां के दूध के अतिरिक्त भोजन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में बच्चे को दूध-बताशे एवं अन्य प्रकार के भोजन दिये जाने संबंधी गीत गाए जाते हैं। चूड़ाकरण-संस्कार के अन्तर्गत बालक का मुंडन-संस्कार किया जाता है और किसी देवी-देवता के जात-झडूला की यात्रा करके वहीं मुंडन-संस्कार सम्पन्न किया जाता है। विवाह-संस्कार के अन्तर्गत अनेक गीत गाए जाते हैं, जिनमें देवी-देवताओं, बना-बनी, भात, बधावा, रातीजोगे आदि के गीत गाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर वर-पक्ष के बरात में जाने के बाद घर में टूटीया होता है, उनके भी गीत गाए जाते हैं तथा बरात को विदा करते समय समठूणी के गीत, सीठणा तथा इससे पूर्व कामण आदि के गीत गाए जाते हैं। विवाह-गीतों की एक सुदीर्घ परम्परा रही है और सभी समाजों में विवाह संस्कार के

विभिन्न गीत गाए जाते हैं। अंतिम-संस्कार गीतों में 'हरजस' गाए जाते हैं। इन्हें मृत्युगीत भी कहा जाता है।

राजस्थान की पाग-पगड़ियों का ऐतिहासिक वैभव

डॉ. अल्पना दुभाषे

मारवाड़ के (जैसलमेर का क्षेत्र) इतिहास में पाग-पगड़ियों का विशिष्ट योगदान रहा है और पहचान भी। समय के बदलाव ने पगड़ियों के रंगों, पहनावे और स्तर को समाज में अपनी पहचान बनाई यह ऐतिहासिकता विशिष्ट व अनूठी है।

हर जाति, प्रदेश व समाज स्तर की पगड़ियां अलग-अलग होती थी। इसलिए पगड़ी के रंग, आकार एवं कपड़े से व्यक्ति की पहचान की जाती थी। वर्तमान समय में पगड़ी का महत्व नगण्य रह गया है किन्तु परम्परागत आधार पर पगड़ी फिर भी सांस्कृतिक धरोहर ही मानी जानी चाहिए। विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले 'बनड़ा' गीतों या कुछ ऐसे गीतों जैसे जला, उमराव गीतों (खंगार) आदि में भी पगड़ियों की विधाओं के नाम ज्ञात होते हैं। कई मांगलिक अवसरों पर सजी हुई पगड़ियों का वर्णन भी तत्कालीन अलंकरण की विधाओं को दर्शाता है। इनेस लुप्त परम्पराएं तथा अलिखित मान्यताएं उजागर होती हैं। पगड़ी, उसकी सजावट, प्रतिष्ठा एवं सम्मान तथा मानवीय संवेदनाएं दर्शित होती है। पाग अथवा पगड़ियों का इतिहास अनेक मर्मस्पर्शी घटनाओं व दृष्टान्तों में से परिपूरित है। उदाहरण के तौर पर रजवाड़ी गीत जिसे 'गांधण' कहा जाता है। जिसमें पत्नी अपने पति के वियोग में उसकी पगड़ी से आंसू पोंछ रही है।

घर जावो गांधण आपणै
ढोला फेंटा सूं आंसू पूछिया।
म्हाने लीधा ए हिवड़े लगाये
सिरदारा, साथै म्हाने लेता चालोजी।

क्षत्राणी स्वामीनिष्ठा का धर्म वीर पति के पीछे सती होना रहा तो वीर क्षत्रिय का धर्म देशभक्ति व स्वामिनिष्ठा के लिए आत्मोसर्ग के लिए तैयार रहना और युद्ध यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देना। एक उपमान प्रचलित है-वह राजपूत क्या जिसके शरीर पर घाव नहीं, बिना इंद्रधनुष के बादल, तिलक लगाये बिना ब्राह्मण, बिना साफा (पेंच) बांधे दूल्हा अच्छे नहीं लगते।

बदल ज्यूं सुरधनुष विण, तिलक बिना दुजपूत
बनों न सोयै मोड़ बिना घाव बिन राजपूत।

समाज की व्यवस्था में कई अलिखित मान्यताएं और परम्पराओं ने किंवदंतियों का रूप ले लिया। सामान्य बोलचाल ने पगड़ी से बहुत सी कहावतें व मुहावरे बन गये। वर्तमान में पगड़ियों का प्रचलन भले ही कम हुआ हो, किन्तु कहावतों व मुहावरों की झलक पगड़ी में लोकप्रियता व लोकमान्यता को दर्शाता है।

बिना लूण रा रांधे साग, बिना पेच का बांधे राग

बिना कंठ का गावै राग, न साग न पाग, न राग।

मनुष्य के जीवन-दर्शन का बोध कराने वाली कहावतों की तरह ही पगड़ी ने भी कुछ मुहावरों को प्रचलन में किया है। इनसे मनुष्य के कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध भी होता है। पगड़ी के कारण कुछ कहावतें प्रचलन में आ गईं जो निम्नांकित हैं—

1. पगड़ी उछलना-किसी की इज्जत से खेलना।
2. पगड़ी बेच घी न्ही खाईजै-कितनी भी विपदा या गरीबी आ जाने पर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाया जाना।
3. पगड़ी की लाज-मान सम्मान की रक्षा करना।
4. पगड़ी ठोकरों में-किसी की आन-बान को ठोकर में मिलाना तथा मर्यादा खत्म करना।
5. पाग के पेंच ढीले होना-किसी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाना।
6. पाग चिथड़ा होना-किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ना अथवा आर्थिक स्थिति खस्ता होना।
7. सवा सेर सूत-पगड़ी के पर्यायवाची के रूप में सवा सेर सूत प्रयुक्त होता है।
8. पगड़ी या पाग रा वारणा-पाग पर बलिहारी हो जाना। घरों में बुजुर्ग महिलाएं अपने पुत्रों, दामादों या पोतों को आशीर्वाद देते समय अपने हाथों को कानों पर लगाकर 'वारणा' लेती हैं यह अप्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है कि पगड़ी की शान बनी रहे।
9. मांगी हुई पगड़ी और उधार का जस-अपने काम का यश स्थायी होता है, दूसरे के यश को अपना बताना अस्थायी होता है उसी तरह मांगी हुई पगड़ी भी लौटानी तो पड़ेगी ही।
10. पगड़ी बदल भाई-शत्रुता को मित्रता और विश्वास के सूत्र में बदलना भी एक सराहनीय उदाहरण है। जोधपुर के महाराजा विजयसिंह एवं गुलाम अली खां से उनकी रिश्तेदारी पगड़ी बदल भाई के कारण बनी।
11. पाग रो पेंच मरदानो-जिस व्यक्ति के आचार-विचार से गम्भीर पौरुष/पुरुष

दिखाई दे और जिसकी पाग के आंटे सलीकेदार हों यह ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है।

12. पाग में जितने आंटे हैं उतने ही पेट में-बहुत चालाक व्यक्ति।
13. पाघड़ी बराड़-जागीरदारी प्रथा के समय लिया जाने वाला कर।
14. पोतीय बंध-गांवों में जागीरदार अपनी जागीर के प्रतिष्ठित चौधरियों और प्रमुख व्यक्तियों का पगड़ी बांधकर सम्मान करते थे।
15. पाग दस्तूर-पिता के स्वर्गवास पर 12वें दिन सबसे बड़े पुत्र को पगड़ी बांधकर सभी अधिकार एवं उत्तरदायित्व संभलवाये जाते हैं।
16. पाघड़ी पनो-पगड़ी की लम्बाई अधिक व चौड़ाई कम होती है इसलिए यदि किसी खेत का आकार भी ऐता होता है तो उसे पाघड़ी पने का खेत कहते हैं।

धीरे-धीरे अंग्रेजों का शिकंजा दृढ़ हुआ परिणाम स्वरूप क्रमशः युद्ध कम हुए तथा धर्म व देश भक्ति की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने की प्रवृत्ति का लोप होने लगा। पगड़ी व पुरुषार्थ का भी बंध टूटने लगा। शादी-ब्याह अथवा अन्य महत्वपूर्ण उत्सवों पर पगड़ी सिर की शोभा व ठाठ बाट दिखाने का केवल अंग मात्र रह गई। क्रमशः यह पगड़ी वेशभूषा का अंग भी ना रही किन्तु बहुत से लोग पगड़ी की महता को पुनर्प्रतिष्ठित करने की चाह आज भी रख रहे हैं।

स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कवि ने दो पंक्तियां लिखी है-

दे दे नगारा चढ गया ओ रे सरिया
कोई जानिया ने पेंचा बंधाय।

व्यंग्य में कहा गया है क बरात जाने को तैयार हो गई किन्तु किसी को भी पगड़ी बांधनी नहीं आती। जन की बोली में पगड़ी की प्रतिष्ठा की प्रतीक, पवित्रता के लिए गंगा नदी, पर्वतों में हिमालय, अत्याचार के लिए तैमूर, सत्यवादिता के लिए हरिश्चन्द्र, पराक्रम के लिए राणा प्रताप, बलिदान व त्याग के लिए गांधीजी आदर्श के तौर पर कहे जाते हैं।

पराजित व्यक्ति हाथ में अपनी पगड़ी लेकर विजेता के सम्मुख उपस्थित होता था अर्थात् मैंने पराजय स्वीकार कर ली है मेरी लाज आपके हाथ में है। पगड़ी, प्रतिष्ठा की सूचक होने से जमीन पर नहीं रखी जा सकती। उसे लांघने का तात्पर्य है कि सामने वाले का व्यवहार शिष्ट व सुसंस्कृत नहीं है। 'पगड़ी बंध न्योत' से तात्पर्य होता है कि घर के सभी पुरुषों का सामूहिक भोज में आमंत्रण है। यह कहावतें आज भी प्रचलन में हैं।

ग्रामीण पर्यटन एवं राजस्थानी इतिहास और संस्कृति : सम्भावनाएं तथा महत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन ललित पंवार

गौरव भूमि राजस्थान सतरंगी छटा वाला प्रदेश यहां कुम्भा का स्थापत्य वहीं सांगा का स्वाभिमान जहां प्रताप का शौर्य और भामाशाह का दान, मीरा की भक्ति व पन्ना का बलिदान, पद्मिनी का सौन्दर्य व हाड़ी रानी का अभिमान इन्हीं से झलकता है। मेवाड़ का मान वहीं मारवाड़ में इधर अरावली का सुरम्य दीदार तो उधर रेतीले ढोरो में लोककलाकारों की थाप तथा कंठ से निकली मधुर स्वर लहरियां और गांवों में नाचती कठपुतलियां अनायास ही पर्यटकों को आकर्षित करती है।

पर्यटन मानव जीवन परम्परा का आरम्भ से ही अभिन्न अंग रहा है। मनुष्य जन्म से ही ज्ञान-पिपासु रहा है। उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है क वह हर नये स्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक परिदृश्य का अवलोकन, समीक्षा एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। इसका प्रतिफल ही पर्यटन है। पर्यटन की उत्पत्ति, वृद्धि एवं विकास मानव अधिवास एवं सभ्यता व संस्कृति के इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है।

‘टूरिज्म’ शब्द ‘टूर’ से लिया गया है, जो लैटिन शब्द ट्यूरनस है उसका प्रयोग सर्वप्रथम 1643 ई. में किया गया, जिसका अर्थ है-जगह-जगह या स्थान-स्थान पर घूमते हुए पुनः आ जाना। यहां यह बात भी अत्यन्त रोचक है कि टूर एक हिब्रू शब्द है जो कि हब्रू शब्द टोराह से लिया गया है, जिसका अर्थ है अध्ययन ज्ञानार्जन या खोज अर्थात् यात्री किसी विशेष स्थान पर जाकर खोज करता हुआ अपनी जिज्ञासा को शांत करता है।

संस्कृत साहित्य में पर्यटन ‘अटन’ से लिया गया है, जिसके तीन अर्थ हैं—

1. परायतना-आमोद एवं ज्ञान के लिए भ्रमण।
2. देशाटन-अर्थलाभ के लिए भ्रमण।
3. तीर्थाटन-धार्मिक स्थलों का भ्रमण।

राजस्थानी भाषा में पर्यटन के लिए घुमक्कड़ी, टहलना, घूमना इत्यादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका अर्थ है-‘अन्य स्थान पर जाना।’

वस्तुतः सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने आदि के उद्देश्यों से जो यात्राएं की जाती हैं उसे पर्यटन कहते हैं तथा इन यात्रियों को पर्यटक कहते हैं। पर्यटन देश-विदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी प्रदान करने की

ऐसी क्रिया है जिससे भिन्न-भिन्न लोगों से मेल-मिलाप ही नहीं होता बल्कि व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान भी अनायास ही प्राप्त करता है जो अन्य किसी स्रोत से नहीं मिल सकता। वास्कोडिगामा, कोलम्बस, मार्कोपोलो, ह्वेनसांग आदि शिखिसयतों मन की जिज्ञासा को पर्यटन से ही शांत कर पाये।

अब पर्यटन अपनी विशिष्टताओं के आधार पर उद्योग का रूप ले रहा है, इसे धुआं रहित उद्योग, अध्ययन कक्ष रहित शिक्षण, विधि रहित एकीकरण, तकलीफ रहित चातुर्य और भरमार में राजस्व के रूप में समझा जा सकता है। अब रूबरू करवाता हूँ आपको पर्यटन के अनछुए पहलू ग्रामीण पर्यटन से। भारत की रीढ़ यहां के गांव हैं। आज भी देश की अनुपम धरोहर को हमारे गांवों में भारतीय संस्कृति-सभ्यता का वास है। शहर का शोर प्रदूषण गांवों में नहीं है, वहां सुकून और शांति तो है ही साथ ही ग्रामीण स्थापत्य व प्राकृतिक सौन्दर्य हस्तशिल्प, दस्तकारी, हथकरघा, दूर तक फैले खेत खलिहान और उनमें गूंजती लोक स्वरलहरियां आज भी मनुष्य की सहजता के गान का भान कराती हैं। व्यस्तता के इस दौर में गांव की मस्ती और सहजता किसी स्वप्न से कम नहीं लगती। स्वप्न भी ऐसा जिसे चाहे तो आंखों में थोड़े प्रयास से बसा सकते हैं, साथ ही—आज भी इतिहास में ऐसे अनेक पहलू हैं जो छोटे से गांव से शुरू होकर दूसरे किसी छोटे गांव में समाप्त हो जाते हैं और काल की रेतीली मिट्टी उसे ऐतिहासिक दृष्टिपटल से ओझल कर देती है।

जैसे मेवाड़ के वीर महाराणा सांगा को सब जानते हैं, लेकिन जहां वो मृत्यु के बाद दफन हुए उस गांव को कोई नहीं जानता, क्योंकि वह दौसा जिले का छोटा-सा गांव बसवा था। इसी तरह शेरशाह सूरी के इतिहास से सभी भलीभांति परिचित हैं, लेकिन 'मुट्ठी भर बाजरे के बदले दिल्ली सल्तनत खो देता' इस कथन के साक्षी गिरी बाबरा सुमेल जैसे गांव इतिहास में धूमिल हो गये। मशहूर प्रेमी लैला व मजनूं को सदैव इतिहास में स्थान मिलता लेकिन उनकी कब्र एक छोटे-से गांव में है उसे कहीं स्थान नहीं मिलता। भक्त शिरोमणि मीरा का तारतम्य चित्तौड़ के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी जन्मस्थली पाली जिले का छोटा-सा गांव कुड़की है, इसका कहीं नाम ही नहीं आता।

इतिहास के गर्भ में ऐसे ढेरों रहस्यात्मक उदाहरण हैं जिन पर अभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि नहीं पड़ी है और उन्हें मौलिक प्रासंगिकता नहीं मिलती है। ऐसे तथ्यों, स्थलों व निर्जीव गवाहों का मैं इतिहास व पर्यटन के साथ तारतम्य स्थापित करना चाहता हूँ और शोध के इस मार्ग पर नवीन आयाम खड़े करना चाह रहा हूँ और इसे राजस्व व रोजगार प्राप्ति में सहायक बनाना चाह रहा हूँ।

पर्यटन में यदि सरकारी प्रयास देखे जायें तो राजस्थान सरकार द्वारा 1956 में

पर्यटन वभाग की स्थापना की गई। सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में जयपुर, कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर, सरिस्का, भरतपुर व सर्वाईमाधोपुर के दर्शनीय स्थलों के विकास पर 52 लाख रुपये खर्च किये गये। 1989 में राज्य पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया तब से यहां निरन्तर प्रगतिशील है। 1 अप्रैल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन किया जो आज भी व्यापक स्तर पर विस्तृत हो रहा है।

मण्डोर स्थित राजाओं के देवल

डॉ. मीनाक्षी खंगारोत

समाधि-स्थल का स्थापत्य राजपूत समाज की एक महत्वपूर्ण पद्धति एवं रीति है। जो इनकी कला-परम्परा का प्रतिनिधित्व करती है। 7वीं शताब्दी से उदित राजपूत स्थापत्य देश के विशाल भू-भाग में फैला हुआ है। 1200 ई. से 19वीं सदी तक राजपूत कला, सौंदर्य एवं आध्यात्मिकता की दृष्टि से राजमहल, हवेली, राजप्रासाद के नमूने आसानी से उपलब्ध नहीं, किन्तु इनके अतिरिक्त दूसरी प्रकार की स्थापत्य प्रचुर रूप से प्राप्त है। वास्तव में राजपूत स्थापत्य कला नागरिक स्थापत्य से प्रारम्भ हुई तथा धार्मिक समाधि स्मारकों के स्थापत्य के साथ समाप्त हुई।

इन्होंने अपने मृत व्यक्तियों के अवशेषों पर विशाल स्मारक खड़े किये। जब इन्हें भारतीय समाज व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान मिल गया तो इन्होंने बड़ी दृढ़ता से भारतीय धर्म, संस्कृति एवं परम्पराओं को अपनाया और स्मारक निर्माण की दोहरी परम्पराओं से युक्त होकर राजपूती शासकीय वर्ग के लोगों के विशाल स्मारक बनवाये इन्हें 'छतरियां' कहा जाता है। कालान्तर में इन समाधि स्मारकों को विशाल, सुन्दर, कलात्मक एवं आकर्षक बनाया जाने लगा। जैसे कि इनके मंदिर एवं राजमहल थे। वास्तव में कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारतीय स्थापत्य का अध्येता या लेखक इन समाधि स्मारकों की उपेक्षा कर देंगे, जो मुस्लिम कला के तत्वों को भी अपने आप में समाहित किये हुए हैं। किन्तु सही सत्य है कि इन विशाल व गरिमामय समाधि स्मारकों की ओर कला-मर्मज्ञों का ध्यान बहुत कम गया है।

वास्तव में छतरी के स्वरूप का विकास वैदिक टीलों का ही विकसित स्वरूप है तथा छतरी के मूल स्वरूप के प्रतिनिधि लकड़ी के बने आच्छादन है। भील, मीणा व मेव अपने मृतकों के अवशेषों के गाड़ने के स्थान पर इस प्रकार के आच्छादनों का निर्माण करते थे। राजपूताने में राजपूतों द्वारा मृतक स्मारक बनाने की परम्परा और स्मृति को संजीवित रखने के लिए चबूतरे निर्माण करवाने की कला के कारण प्रायः

राजाओं के श्मशानगाह विविध आकार प्रकार और स्वरूपों वाली छतरियों से भरे पड़े हैं। छतरियों की रचना शिल्प में प्रायः समानता दिखाई देती है। इनमें प्रायः एक वर्गाकार चबूतरा बनाया जाता है। जिस पर एक छोटा वर्गाकार या गोलाकार चबूतरा होता है तथा इस पर गोलाई से 4, 6, 8 या 12 खम्भों पर आधारित बुम्बज लगे होते हैं। ये गुम्बज मंदिरों के सभामंडप पर बने गुम्बदों के समान ही होते हैं तथा इसके खम्भे विभिन्न कोणीय आकृतियों तथा गोलकृतियों में बने होते हैं। गुम्बद के ऊपर आमलक भी बनाया जाता है। इनकी छतें प्रायः सादी होती थी, किन्तु कभी-कभी छतों में विभिन्न आकृतियां भी उकेरी जाती थी। यही नहीं छतरी से सम्बन्धित व्यक्ति की आकृति से युक्त पाषाण पट्टिका भी अंकित की जाती थी, जिसके अधोभाग पर लेख उत्कीर्ण होता था।

मण्डोर बाग में स्थित राजाओं के स्मारक देवल कहलाते हैं। ये राव मालदेव से लेकर महाराजा तख्तसिंह (वि.सं. 1500 से वि.सं. 1930) के हैं। इनमें से कुछ स्मारक तो तत्कालीन स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। महाराजा जसवंतसिंह, अजीतसिंह और तख्तसिंह के देवल बहुत सुन्दर हैं जसवन्तसिंह का देवल अत्यन्त विशाल एवं भव्य है। ये सभी देवालय आकृतियों में हैं, जिन्हें दूर से देखने में मंदिरों का भ्रम होता है। मंडोर स्थित प्रमुख देवल और निर्माण करवाने वाले शासकों के नाम निम्न हैं—

1. महाराजा अजीतसिंह का देवल 1791.
2. महाराजा जसवन्तसिंह का देवल का निर्माण 1720 ई. राजा अजीतसिंह
3. राजा गजसिंह का देवल निर्माण 1649 ई. राजा जसवन्तसिंह
4. सिखवाला राजा सूरसिंह का देवल निर्माण 1622 ई. राजा गजसिंह
5. मोटा राजा उदयसिंह का देवल निर्माण 1611 ई. राजा सूरसिंह
6. राजा मालदेव का देवल निर्माण 1519 ई. मोटा राजा उदयसिंह

अजीतसिंह के देवल के प्रस्तरों की घड़ाई ऊपर से प्रारम्भ की गई है तथा बाद में इन्हें चबूतरे पर जड़ दिया गया। यह कार्य इतनी सुन्दर विधि से प्रारम्भ किया गया कि समस्त देवल पत्थरों में गुंथा हुआ दिखाई देता है। तीन मंजिला यह देवल शिखर बंद है। इनमें अलंकरण स्तम्भ, सभा मण्डप, अर्ध मण्डप तथा गर्भगृह आदि बने हुए हैं। प्रथम और द्वितीय मंजिल की बाहरी दीवारें, मूर्तियों से आवृत है। सभी दीवारों पर 36 इंच गुणा 11 इंच आकार की मूर्तियां खुदी हैं तथा संख्या में 48-48 है। इनमें विभिन्न मुद्राओं में देवी-देवताओं, स्त्री-पुरुषों, पशु एवं प्राकृतिक दृश्यों का अंकन है। देवल के मुख्य मण्डप के अन्दर 8 नर्तकियों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां हैं इनके हाथ में बांसुरी, ढोलकी, पक्षी, इकतारा आदि हैं और वे नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में हैं। इनके बीच में एक बड़ा फूल बना है। देवल का मण्डप दो मंजिला है। मुख्य भाग में

9 खम्भे हैं। मण्डप के ऊपर आधे पहिये की आकृतियां बनी है।

जसवंतसिंह जी का देवल-जसवंतसिंह जी का जन्म संवत् 1683 की माघ बदि 4 को हुआ था। इनका राज्य तिलक संवत् 1694 की आषाढ बदि 7 को हुआ। यह देवल 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। पहले चबूतरे से देवल के मण्डप के अन्दर पहुंचने के लिए सामने ओर दाएं-बाएं तीन तरफ से 6 सीढ़ियां बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी के दोनों तरफ और देवल के मण्डप के बाहर की तरफ 8 खम्भे हैं। प्रत्येक द्वार के ऊपर 1 छोटी किन्तु तीन छतरी की बारादरियां 8 खंभों पर टिकी है। सामने से देखने पर कुल कंगूरे की 17 आकृतियां बनी हुई है। सामने से देवल के अन्दर जाने के लिए 14 सीढ़ियां बनी हुई है। देवल का मण्डप दो मंजिला है। ऊपर की द्वितीय मंजिल में जाने के लिए एक तरफ 18 सीढ़ियां बनी है। इस देवल के अन्दर के भाग में कुल 42 खंभे बने हैं जिन पर कुछ जगहों पर बारीक काम किया है। खंभों के ऊपर दीपक रखने या रोशनी के लिये स्थान बना हुआ है जो अलग से पत्थर को निकालकर 3 घेरों का घेर कर बना है। मुख्य द्वार के सामने मण्डप के अन्दर एक छोटा-सा कमरा बना है इसके दोनों तरफ 2 गुणा 4 फीट के आले बने हैं, इन पर भी बारीक नक्काशी का काम किया हुआ है नीचे जमीन पर दोनों तरफ शंख की आकृति व पास में फूलों की लम्बी टहनी साथ में बंद फूलों को उकेरा गया है। देवल के गर्भगृह की तीनों बाहरी दीवारों पर 4 कलात्मक खिड़कियां बनी हैं। इन पर कमल के बेल बूटे बने हैं। ये तीनों दिशाओं में बनी है। जो 4 पतले-पतले खंभों पर टिकी है। देवल के मुख्य शिखर के चारों तरफ 4 शेरों की आकृतियां बनी हुई है, जिनका मुंह खुला है। देवल के पीछे 3 हाथियों की आकृति बनी हुई है, जो सूंड नीचे किये हुए हैं। इसको बाहर से देखने पर तीन खिड़कियां देवल के तीनों तरफ बनी है।

गजसिंह जी का देवल-इनका जन्म संवत् 1676 की कार्तिक सुदि 8 को हुआ था। इनका राज्य तिलक संवत् 1686 की आसोज सुदि 8 को और देवलोक गमन संवत् 1694 की जेठ सुदि 3 को आगरे में हुआ।

इस देवल में जाने के लिए एक ही रास्ता बना है, यह तीन ओर से बंद है। यह देवल भी 3 फुट ऊंचे चबूतरे बना है व अन्दर जाने के लिए 10 सीढ़ियां बनी हैं। इसके द्वार पर बारकी चैन की आकृति बनी है, जिसके नीचे की तरफ अन्तिम सिरे पर उल्टे फूल की आकृति बनी है। यह द्वार खंभों पर टिका है। इन खंभों के नीचे गुम्बद की आकृति, फिर खिले फूल व लम्बी-लम्बी सादी आकृतियां दी गई हैं। इसके मण्डप के अन्दर कुल 14 खंभे हैं। जिसका गुम्बद कुछ नीचे है, जो 15 घेरों में घिरा है व कुल 10 मेहराब है। इस मण्डप के छत के अन्दर की तरफ बीच में लम्बा खिला हुआ फूल लटका है। इसके चारों तरफ फूल की पत्तियां व फूल के खाली खांचे बने हैं। मण्डप

के अन्दर मुख्य कमरेनुमा जगह के दोनों तरफ कलात्मक आले हैं, इन पर बेल-बूटों का काम किया हुआ है। इसके द्वार के नीचे बीच में शंख, लम्बी पतली डंडी व फूल की आकृतियां बने हैं। कमरे के मुख्य द्वार के एक तरफ गणेश की आकृति व इसके चारों तरफ चौड़ बोर्डर (बेल-बूटों का) जिसके बाहर दोनों तरफ तिकोनी आकृति के कुल 12 फूल बने हैं। कमरे के द्वार के बाहर छत पर मुख्य में एक बड़ा उभरा फूल बना है। कमरे के प्रवेश द्वार के ऊपर मुख्य भाग पर तीन खिड़कीनुमा आकृतियां बनी है जिनके बीच में फूल व चारों तरफ छोटे-छोटे खंभे व इनके ऊपर चार शिखर बने हैं और उभरी हुई आकृति है। इनके बीच में दोनों ओर खंभे, फूल व एक मंदिरनुमा सीढ़ियों की आकृतियां बनी हैं। इस कमरे के द्वार के दोनों तरफ 2 गुणा 2 आकार के कलात्मक आले हैं, जिनके 4 उभरे हुए शिखर हैं, जो दो-दो खंभों पर टिके हुए हैं व इन पर पत्तियों व नीचे फूलों की आकृति बनी है। बाहर से देखने पर 12 उभरे हुए कंगूरों की आकृति बनी दिखाई देती है। मुख्य द्वार पर नीचे से देखने पर कमलनुमा कली व इसके बाद छोटे-छोटे कंगूरे बने हैं।

महाराजा सूरसिंह का देवल व अन्य कलात्मक छतरियां-इनका जन्म संवत् 1627 वैशाख वदि 15 को हुआ इनका राज्याभिषेक संवत् 1651 सावन बदि 12 को हुआ। इनका देवलोक गमन संवत् 1676 भाद्रपद बदि 9 को हुआ।

देवल बनाने के लिए पहले एक 3 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया, जिस पर एक अन्य 4 फीट ऊंचाई के चबूतरे को बनाया, जिस पर देवल का निर्माण किया गया है। देवल में ऊपर जाने के लिए कुल 8 सीढ़ियां बनी हैं। देवल के मुख्य मण्डप के कुछ ही अवशेष बचे हैं व यहां एक खुला कलात्मक चबूतरा दिखाई देता है, जिस पर मोर की आकृति बनी है व मोर को पत्थर पर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यह देवल एक के ऊपर एक 6 शिखरनुमा आकृति लिए बना है व मुख्य शिखर पर कलश बना है। पहले बड़ा शिखर फिर छोटा फिर इससे छोटा शिखर बना है। बीच में दोनों तरफ छोटे-छोटे शिखर बने हैं। इस देवल में एक कलात्मक द्वार बना है जिसके दोनों तरफ कलात्मक आले 2 गुणा 2 आकार के बने हैं। जो 2-2 खंभों पर बना है। यहां जो कमरा बना है इसके द्वार के बीच में ऊपर गणेश की आकृति बनी है दोनों तरफ 6-6 उभरे पिलर व बीच में एक चौकोर फूल बना है। इस द्वार से अन्दर जाने वाले रास्ते पर नीचे फेल व शेर की आकृति व जमीन पर कलश व लम्बी डंडी वाली कमल की कलियां बनी हुई हैं। इस देवल के दाएं व बाएं तरफ कलात्मक खिड़कियां बनी हैं। इस देवल के अन्दर मध्य स्थान में सफेद पत्थर की जालीनुमा छोटी छतरी बनी है जो पूजा स्थल रहा होगा। यह तीन तरफ से बंद व एक तरफ से खुला है। राजपूत कालीन यह छतरी पारदर्शी इमारत का अनूठा नमूना है।

उदयसिंह जी का देवल-यह भी जमीन में 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसके अन्दर जाने के लिए 5 सीढ़ियां बनी हैं। दोनों तरफ बैठने का स्थान 2 फुट ऊंचा बना है। तोरण द्वार के बीच में चौकोर फूल की आकृति व कुल पिलर अन्दर 6, 11 गोल घेरों से घिरा मुख्य गुम्बद व 10 खिड़कियों से घिरा हुआ है। इनके बीच में बड़ा फूल व दोनों तरफ छोटे फूल बने हैं नीचे से देखने पर प्रत्येक दो पिलरों के बीच की जगह में। सामने कमरे के बीच में गणेश व इसके चारों तरफ बड़ा बॉर्डर फूलों 2 इंच का तथा इसके ऊपर छोटे-छोटे 13 गणेश व दो फूल 4 आकृतियां दो-दो जोड़ों में बनी है इसके चारों तरफ बेल-बूटे व कमल की कलियों की आकृति व पिलर के तरफ दो नृत्य की मुद्रा में और बीच में एक फिर दो आकृति बनी है नीचे गणेश बने हैं। दोनों तरफ पिलर के पास 2 गुणा 2 के छोटे आले हैं। कलात्मक नहीं परन्तु बहुत साधारण बने हैं।

मालदेव जी का देवल-यह भी जमीन से 4 फुट ऊंचा बना है, अन्दर जाने के लिए तीन सीढ़ियां बनी हैं। वर्तमान में 4 पिलर सामने से दिखते हैं तोरण द्वार के बीच फूल 6 पत्तियों वाले फूलों के गुच्छे बने हैं। तीन शिखरनुमा दो-दो खिड़कियां देवल के तीन तरफ बनी हुई हैं। कमरे के पास पिलर पर एक ही आकृति बनी है। तोरण द्वार तीन खंभों पर टिका है। ऊपर एक खुला बड़ा आला बना हुआ है। बीच-बीच में कई छोटी-छोटी छतरियां बनी हैं। जिनके पिलरों की संख्या 8 है वह इन 8 खंभों पर टिकी हुई है। 8 ही इनके शिखर व मुख्य शिखर पर खिले फूल की पत्तियां व कमरे के नीचे शंख व फूल की कलियों की आकृति बनी है।

राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियां

डॉ. सुशीला मीणा एवं डॉ. संगीता आर्य

साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान जितना ललित कलाओं के क्षेत्र में भी उसकी उपलब्धियां उतनी महत्वपूर्ण रही है। राजस्थानी चित्रशैलियों का भारत की चित्रकला के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। भारतीय चित्रकला को जो समृद्धि प्राप्त हुई उसमें राजस्थान की चित्रकला का अमूल्य योगदान, सभी कला समीक्षकों ने एक स्वर में स्वीकार किया है।

राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप, जो सामंजस्य के फलस्वरूप बन पाया था, मेवाड़ शैली में पाया जाता है, बल्लमिपुर के गुहिल वंशीय राजाओं के साथ ये कलाकार वहां सर्वप्रथम मेवाड़ आये उन्होंने अजन्ता परम्परा को

प्रधानता देना शुरू किया। इस शैली के चित्रों में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। पुरुषों और स्त्रियों की आकृति में लम्बे नाक, गोल चेहरे, छोटा कद और मीनाक्षी आंखें रहती हैं। पुरुषों की वेशभूषा में जहांगरी पटका, अटपटी पगड़ी और चाकदार जामा रहता है जो मुगलों का प्रभाव है। गुंबजदार मकानों को बनाना मुगली शैली का प्रभाव है। पहाड़ी दिखावों में फारस-कला जो गुजरात कला के साथ यहां आई, इस शैली के चित्रों में आम तौर से कदली वृक्षों का चित्रण स्थानीय परम्परा पर आधारित है।

मेवाड़ की भांति मारवाड़ पर भी अजन्ता परम्परा का विकसित रूप मण्डोर के द्वार की चित्रकारी में देखा जा सकता है। मारवाड़ शैली में लाल, पीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। इस शैली में सामाजिक जीवन के हर पहलू के चित्र अठारहवीं शताब्दी से ज्यादा मिलने लगते हैं। उदाहरणार्थ पंचतंत्र तथा शुकनासिका चरित्र आदि में कुम्हार, धोबी, मजदूर, लकड़हारा, चिड़ीमार, सुनार, सौदागर, पनिहारी, ग्वाला, माली, किसान आदि से संबंधित जीवन की घटनाओं का चित्रण मिलता है। अठारहवीं शताब्दी के चित्रों में सुनहरी रंग का प्रयोग मुगली ढंग से खूब किया गया है।

मारवाड़ी शैली से ही संबंधित बीकानेर शैली भी है जिसका समृद्ध स्वरूप अनूपसिंह के राज्यकाल में आता है। इस शैली में पंजाब की ममल का प्रभाव भी देखा गया है।

राजस्थान के बूंदी शैली के भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है जो प्राचीन महलों की चित्रशालाओं में आज भी अंकित है। इन चित्रों में पटोलाक्ष नुकीली नाक, मोटे गाल, छोटा कद और लाल पीले रंग की प्रचुरता स्थानी विशेषताओं की द्योतक है। इनमें गुंबज का प्रयोग और बारीक कपड़ों का दिखावा मुगली है। स्त्री की वेशभूषा मेवाड़ी शैली की है। चित्रों में बाग, फव्वारे, फूलों की कतार, तारों की रातें आदि का समोवश मुगली ढंग से किया जाने लगा।

किशनसिंह के नाम पर प्रसिद्ध राज्य किशनगढ़ के शासक आरंभ से ही मुगलों से मिल गये थे। इस कारण उनको मुगल दरबार में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ और उनकी कला एवं संस्कृति पर यथेष्ट मुगल प्रभाव पड़ा। नागरीदास की शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा चित्रकला से रुचि और अपनी प्रेयसी बनी-ठनी से प्रेम का बड़ा हाथ रहा है। किशनगढ़ शैली के विषय विविध हैं और तत्कालीन लोक भावनाओं को भली भांति प्रतिबिम्बित करते हैं। मुख्य विषय है आखेट और दरबार के दृश्य, राधा और कृष्ण, गीत गोविन्द, भगवत पुराण, बिहारी चन्द्रिका पर आधारित चित्र, शिव चित्र, अन्तःपुर, रंगमहल, स्नानागार, रानियों की केलि क्रीड़ा, नायिका भेद, राधा के

रूप में बनीठनी, संगीत तथा नृत्य के दृश्य, प्रेमी और प्रेमिकाओं के चित्र, रात्रि दृश्य, कृष्ण लीला आदि। किशनगढ़ की चित्रकला शैली में चटक और मिश्रित रंगों का प्रयोग, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग, सुन्दर और कोमल स्त्री आकृतियां, मेवाड़ शैली के समान पशु पक्षी, कोमल, बारीक और भावपूर्ण रेखाएं, सुन्दर वृक्षों के पत्ते, पुष्टि मार्ग के अनुसरण आदि हैं।

जयपुर शैली में मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। यहां के चित्रों में रास मण्डल, बारहमासा, गोवर्धन धारण, गोवर्धन पूजा आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। पोथीखाने के आसावरी रागिनी के चित्र और उसी मण्डली के अन्य रागों के चित्रों में स्थानीय शैली की प्रधानता दिखाई देती है। अठारहवीं सदी की भागवत में रंगों की चटक मुगली है। चित्रों में द्वारिका का चित्रण जयपुर नगर की रचना के आधार पर है और कृष्ण अर्जुन की वेशभूषा मुगली है। जयपुर शैली के आभूषणों में मुगली प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। स्त्रियों की वेशभूषा में मुगलीपन अधिक है। चेहरों की चिकनाहट और गौरवर्ण फारस शैली के अनुकूल है। पोथीखाना के स्टेण्डों पर लगे हुए चित्रों में फकीरों को भिक्षा देती हुई स्त्रियां, कुरान पढ़ती हुई शाहजादी, जहाज आदि के चित्रों में जयपुर शैली का अच्छा प्रदर्शन है।

मेवाड़ में होते हुए भी नाथद्वारा शैली अपनी विलक्षणता लिए हुए है। इस शैली का प्रारंभ 1671 से होता है। जब श्रीनाथजी की मूर्ति ब्रज से यहां लायी गई। तभी से इनके साथ आये हुए ब्रजवासी चित्रकार श्रीनाथजी के प्रागट्य की छवियां बनाने लगे। नाथद्वारा वैष्णव सम्प्रदाय का तीर्थ बन गया, जिससे यहां के चित्रों में वैष्णव धर्म के आचार्यों के चित्र बनने लगे। कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों की मांग बढ़ जाने से वे अधिक बनाए जाने लगे। नाथद्वारा शैली में स्थानीय आधार के साथ राजस्थान तथा अन्य उत्तरी भागों की शैलियों का समुचित समावेश किया गया है। जिसने नाथद्वारा शैली को जन्म दिया। स्थानीय चित्रकारों के घरानों तथा मोतीमहल के चित्रों में श्रीनाथजी, यमुना स्नान, आंख मिचौनी, हिण्डोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट आदि उत्सवों के चित्र विशेष रूप से अठारहवीं शताब्दी के बड़े रोजन चित्र हैं। कुछ चित्रों का ठाठ जयपुर पोथीखाने के चित्रों और कुछ ठाठ सरस्वती भण्डार उदयपुर और कुछ के ठाठ अलवर तथा जोधपुर के चित्र संग्रहालयों में मिलते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में नाथद्वारा शैली ने व्यवसायी कला की ओर करवट बदली जिससे इस शैली में एक नया परिवर्तन आया।

मध्यकालीन जैसलमेर के इतिहास का क्रमिक अध्ययन

डॉ. खाखूराम गेंवा

जैसलमेर नगर नाम के राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हुई थी। यह राज्य जो लगभग 1156 ई. में स्थापित हुआ, अपने लम्बे जीवनकाल में अनेक उतार-चढ़ाव देखकर अंत में 1949 ई. में स्वतंत्र भारत में विलीन हो गया। इस राज्य पर यदुवंशी भाटी राजपूत राजा शासन करते थे। डॉ. हरिवल्लभ माहेश्वरी 'जैसल' का मानना है कि 'प्रचलित परम्परानुसार सूर्यवंश में मेवाड़ के क्षत्रिय व चन्द्रवंश में जैसलमेर के क्षत्रिय समूचे जगत् के मुखिया माने जाते रहे हैं।' भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण जैसलमेर राज्य में मध्य एशिया से सिंधु के रास्ते होने वाले समस्त मुस्लिम आक्रमणों का सामना कर मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसलमेर के शासकों को 'उत्तर भड़ किंवाड़ भाटी' की पदवी देने का कारण यही रहा है।

हरिसिंह भाटी ने जैसलमेर की स्थापना व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए लिखा है- 'रावल दुसाजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज जैसल को लोद्रवा की राजगद्दी पर बैठने के उनके पैतृक अधिकार से वंचित करके छोटे पुत्र राजकुमार विजयराज लांजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया इसलिए युवराज जैसल अपने साथियों के साथ तन्कोट और सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गये। लुद्रवा से दूर रह कर वर्षों तक जैसल सुअवसर की प्रतीक्षा करते रहे, किन्तु जब रावल विजयराज लांजा के देहान्त पर उनके युवराज भोजदेव रावल बन गये, लुद्रवा की राजगद्दी पर शीघ्र अधिकार करने के लिए उन्हें गजनी के शासक से सैनिक सहायता का आग्रह किया। युद्ध में अपने युवा भतीजे रावल भोजदेव के प्राणोत्सर्ग के पश्चात् वह अपना लक्ष्य करके लुद्रवा के रावल बने। अनेक मूल्य निरूपण में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लुद्रवा सामरिक दृष्टि से भाटियों की राजधानी के लिये उपयुक्त नहीं था और वहां का किला भी शक्तिशाली शत्रुओं के आक्रमण झेलने में इतना सुदृढ़ नहीं था। इसलिए उन्होंने नये किले व नगर की स्थापना के लिए अपने राज्य में अन्य उपयुक्त स्थान का अन्वेषण करवाया और इस प्रकार वि.सं. 1212 (सन् 1156 ई.) में उन्होंने वर्तमान जैसलमेर किले की नींव रख कर नगर की स्थापना की।

भोजदेव की मृत्यु के उपरान्त जैसल लोद्रवे का शासक बना। रावल जैसल के काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण तथा जैसलमेर नगर की स्थापना है। इसके पश्चात् रावल शालिवाहन द्वितीय (सन् 1168-1190 ई.) जैसलमेर के रावल बने और रावल बीजल सन् 1190 में ये पिता के रहते रावल बन

गये थे। परन्तु बाद में मारे गये। इसी क्रम में रावल केलन (सन् 1190-1218 ई.), रावल चाचगदेव (सन् 1218-1242 ई.), रावल करण (सन् 1242-1283 ई.), रावल लखनसेन (सन् 1283-1288 ई.) जैसलमेर के रावल हुए। रावल पूनपाल (सन् 1288-1290 ई.) को जैसलमेर की राजगद्दी से पदच्युत किया गया। पूगल राज्य के संस्थापक रावल रणकदेव इनके पड़पौत्र थे। रावल जैतसिंह (प्रथम) (सन् 1290-1293 ई.) रावल पूनपाल के स्थान पर रावल बने। रावल मूलराज (द्वितीय) (सन् 1293-1294 ई.) के समय जैसलमेर का पहला और भाटियों का दूसरा शाका हुआ। रावल दूदा जसोड़ (सन् 1295-1305 ई.) पिछले शासकों के भाटी वंश में से नहीं थे। यह जसोड़ भाटी थे। इनके समय जैसलमेर का दूसरा शाका हुआ। सन् 1305 से 1316 ई. तक जैसलमेर खालसे रहा। रावल घड़सी (सन् 1305-1361 ई.) वापिस जैसलमेर के राजवंश के वंशज गद्दी पर आ गये। इसी क्रम में रावल केहर (1361-1396 ई.), लखनसेन (1396-1427 ई.), बरसी (1427-1448 ई.), चाचगदेव (1448-1467 ई.), देवीदास (1467-1524 ई.), जैतसी (द्वितीय) (1524-1528 ई.), लूणकरण (1528-1551 ई.), मालदेव (1551-1561 ई.), हरराज (1561-1577 ई.), भीम (1577-1613 ई.), कल्याणदास (1613-1631 ई.), मनोहरदास (1631-1649 ई.), रामचन्द्र (1649-1650 ई.), सबलसिंह (1650-1659 ई.), महारावल अमरसिंह (1659-1702 ई.), महारावल जसवंतसिंह (1702-1707 ई.), महारावल बुधसिंह (1707-1709 ई.), तेजसिंह (1709-1710 ई.), सवाईसिंह (1710-1718 ई.), अखैसिंह (1718-1762 ई.), मूलराज (तृतीय) (1762-1820 ई.), गजसिंह (1820-1845 ई.), रणजीतसिंह (1845-1863 ई.), बेरीसालसिंह (1863-1891 ई.), शालीवानसिंह (तृतीय) (1891-1914 ई.), जवारसिंह (1914-1949 ई.), गिरधरसिंह (1949-1950 ई.), रघुनाथसिंह 1950 से 1982 ई. तक जैसलमेर के रावल रहे। इसके पश्चात् ब्रजराजसिंह वर्ष 1982 से जैसलमेर के रावल पद पर पदस्थापित है।

बात साहित्य में उल्लिखित मध्य युगीन बीकानेर के सामाजिक जीवन के प्रमुख लक्षण

गोपाल कृष्ण व्यास

मध्यकालीन बीकानेर की सामाजिक व्यवस्था का आधार सामन्तवाद था। समाज श्रेणीमूलक था। इसके प्रमुख अंग थे-सामन्त-साधन सम्पन्न, समृद्ध, सम्मानीय लोक-समूह जिसके अंग प्रधानतः राजपूत और ब्राह्मण महन्त व राजपुरोहित थे।

विनीत समुदाय के अन्तर्गत आते थे-वैश्य और शूद्र-श्रमिक जातियां अर्थात् कृषक और कारीगर। पृथक्त्व सामाजिक लाक्षणिक चिह्न सामन्त में द्रष्टव्य थे जबकि सामाजिक-सांस्कृतिक गति का सूत्रपात और इसका सामर्थ्यपरक अनुमोदन विनीत समुदाय करता था। जातिमूलक संयुक्त परिवार की सामाजिक शृंखला में साधारण मनुष्यों का जीवन समृद्ध तो नहीं लेकिन रंगीली व संतोषमयी था। भाई-बहिन के भावनामयी प्रेम, सास-ससुर के वात्सल्य, पति के प्यार की झांकी चारण साहित्य से मिलती है। इसके साथ-साथ ससुराल में नव वधू की व्यथा : सास, ननद, जिठानी के व्यंग्य बाणों की वर्षा, पति व सौत क कठोर व्यवहार के भी हमें दर्शन होते हैं।

सम्भ्रान्त परिवारों में बहु विवाह का प्रचलन था जबकि निम्न वर्गों में बहुत कम। सम्भ्रान्त परिवारों में दास-दासियां, उप-पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा के संकेत चिह्न थे।

शकुन के पीछे लोगों में पुण्य भावना संचरित थी जैसे दिशाशूल बुधवार को घर से परदेश न जाना, मंगल शनि को दाढ़ी व बाल न कटवाना। भला और बुरा स्वप्न भविष्य का सूचक मानना। गोठ-आनन्द भोज-भुजाई सम्मिलित भोजन। इस अवसर पर मदिरा, अफीम, भांग जिसमें कई सूखे मेवे डाले जाते थे, का उपयोग होता था। डूम, ढाढी लोगों का व्यवसाय ही गायन था। कलावंत जांगडिया, औलंग आदि शब्द इनके लिये इस्तेमाल में आते थे। वाद्य यंत्र थे, नक्कारा, करनाल, तंदूरा, बीणा, ढोल, तुरही, शहनाई, रबाब, त्रिडोरिया वाली सारंगी। लोकगीत बहुत प्रचलित थे। नाटक, अभिनय, तमाशों, बाजीगर, नट के करिश्मों के प्रति लोगों में रुचि थी। बात साहित्य में भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि का भी विवरण मिलता है।

जन साधारण धर्मभीरू था। भाग्य पर विश्वास करने वाला अनेक देवी-देवताओं का उपासक, शकुन में निष्ठा रखने वाला, पुजारियों के प्रभाव से ग्रसित, मन्दबुद्धि वाला, इच्छानुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता थी। प्रमुख इष्टदेव थे-शिव पार्वती, लक्ष्मीनारायण-सीताराम, राधाकृष्ण, नृसिंह, लक्ष्मी, देवी जिसे दुर्गा, भवानी, माता, महाशक्ति कहा गया। इससे स्पष्ट है कि मूर्ति पूजा सर्वत्र प्रचलित थी। शिव की आराधना अनिष्ट से बचने, पार्वती की पूजा चिर स्वाग की रक्षा हेतु, देवी-पूजन मातृत्व शक्ति को उद्भूत करने, लक्ष्मी पूजन सम्पदा के आह्वान के उद्देश्य से प्रायः करते थे। चारणों में कई शक्ति के अवतार हुए, जिनमें करणीजी ने बड़ी ख्याति हासिल की। जीजी डामी को अवतार माना गया।

विकसित स्थितिमयी तथा सघन थे। खाद्यान्न, वस्त्र, मेवे, केशर, कस्तूरी, चन्दन, मूंगा, तलवारें, इत्र, जवाहरात, सोना चांदी का क्रय विक्रय प्रचलित था। व्यापारिक वर्ग में विणजारा, बोहरा, मोदी विशिष्ट स्थान रखते थे। विणजारा सौदागर

को कहते थे, वे अपना माल बैलों की पीठ पर लाद कर घूमते-फिरते विक्रय करते थे। इनमें कई धनवान थे। साख का प्रबंध करने वाले, सिक्कों का अदला बदला, मुद्रा का विनियोग करने वाले वणिकों को बोहरों, सर्राफ कहा जाता था। ब्याज पर वे रुपया उधार देते, साहूकारी बीमा करते, हुंडी का लेन देन, मुद्रा प्रसारण कार्य की देख रेख इनके व्यवसाय के अंग थे।

सिक्कों में प्रमुख थे-अशर्फियां, रुपया, टका, फादिया, पीरीजी, दाम आदि। व्यवसायों के दो प्रमुख वर्ग थे-सामान्य व्यवसायी जैसे लोहार, भिश्ती, मोची, कुम्हार, पशुपालक, स्वर्णकार, गंधी, बुनकर, जौहरी, बढ़ई आदि। दूसरा वर्ग था-कर्मचारी कामदार, मुनीम, बेलदार, खवास, धोबी, ज्योतिषी आदि। बड़े व्यापारियों, उच्च राज्य कर्मचारियों का जीवन खुशहाल था, साधारण व्यापारी व कर्मचारी जीवन निर्वाह करते थे। व्यवसायों का सम्बन्ध किसी जाति से नहीं रह गया था। राजपूत भी कृष करते थे। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषकों के दो वर्ग प्रधान थे-भूमिहर और भूमिहीन। भूमिहर किसान अपनी कृषि भूमि का स्वामी था, प्रभुत्व अधिकारी नहीं। जाट, अहीर प्रमुख कृषक समुदाय था। खेत की निराई के लिये मजदूर काम में लिये जाते थे। खेती कभी-कभी सूअरों द्वारा खराब की जाती थी।

पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की चित्रकला में सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन (7वीं शती से 12वीं शती)

घनश्याम देवड़ा

राजस्थान में कलात्मक प्रवृत्ति विशिष्ट रूप से प्रचलित थी और उसका संबंध भारतीय कला से घनिष्ठ था। कोटा जिले के आलणियां, दर्रा, बैराठ तथा भरतपुर जिले के वैर नामक स्थानों के शैलाश्रयों में आदिम मानव द्वारा उकेरे गये रेखांकन और मृदभाण्डों की कलात्मक उकेरियां इस प्रदेश की प्रारम्भिक चित्रण परम्परा को उद्घाटित करती हैं। प्रारम्भिक राजस्थानी चित्रकला में जैन, अपभ्रंश शैली के चित्रण स्वरूप लोक कला की रूक्षता, मोटापन, रेखाओं का भेदसम्पन्न और हावभावों का स्थैर्य ही इसकी विशेषता बन गयी है।

राजस्थान, जहां पहले सही चित्रकला अच्छे विकसित रूप में थी। अजन्ता परम्परा से प्रभावित होने से न बच सकी। इसने राजस्थान की मौलिक विधि के साथ मिलकर एक नवीनता उत्पन्न की जिसके चित्रित नमूने तो उपलब्ध नहीं हैं परन्तु इसके चिह्न मण्डोर द्वार के गोवर्धन धारण में, बाडौली तथा मेवाड़ के नागदा गांव की

मूर्तिकला में स्पष्ट दिखाई देता है। इस कला की विशेषता ध्यान के एक निश्चित रूप में अंगों व मुद्रों की अकड़ में देखी जाती है। इस शैली को अनेक नामों से पुकारा जाता है। क्योंकि इस शैली के अन्तर्गत अनेक जैन ग्रंथ चित्रित किये गये और माना गया कि इन्हें जैन साधुओं ने बनाया था इसीलिए इसे जैन शैली कहने लगे किन्तु इन ग्रंथों को अजैन चित्रकारों ने भी तैयार किया था और अनेक जैन अजैन ग्रंथ, जैसे बालगोपाल स्तुति, दुर्गासप्तशती, गीतगोविन्द आदि चित्रित किये गये थे।

5वीं शती से 12वीं शती तक का काल राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण युग था। अतः जहां अन्य कलाओं के साथ चित्रकला भी अवश्य विकसित हुई। 8वीं से 10वीं शताब्दी से तत्कालीन राजस्थान का दक्षिणी भाग गुजर्त्रा प्रदेश का ही भाग था, जहां पश्चिमी भारतीय कला गुजरात शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई और आगे चलकर इसी परम्परा ने संसार प्रसिद्ध राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

सातवीं सदी से प्रचलित कला शैलियों में देव, यक्ष एवं नाग शैली के आधार को स्पष्ट करते हुए 17वीं सदी के तिब्बती बौद्धकला इतिहासकार लामा तारानाथ ने बताया कि पूर्व क्षेत्र में देव शैली, मध्य क्षेत्र में नाग शैली व पश्चिमी क्षेत्र में यक्ष शैली का बाहुल्य रहा है। पोथी चित्रण की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश सर्वाधिक समृद्ध है। जैसलमेर के प्राचीन भण्डारों में जो सचित्र ग्रंथ उपलब्ध हैं वो कला के इतिहास में बेजोड़ है इनमें 1060 ई. के दो ग्रंथ क्रमशः 'ओध निर्युक्ति वृत्ति' एवं 'दस वैकालिका सूत्र चूर्णि' पश्चिमी भारतीय कला के दीप स्तम्भ है।

अजमेर व पाली में चित्रित तिथियुक्त कुछ ग्रंथ मिले हैं उनमें पंचाशिका प्रकरण वृत्ति 1150 ई. पाली प्रदेश प्रकरण वृत्ति 1155 ई. अजमेर, कवि रहस्य 1159 ई. अजमेर और दशवैकालिक सूत्र 12वीं शताब्दी पाली मुख्यतः अलंकरण बने हुये थे, ये सभी ग्रंथ जैसलमेर ज्ञान भंडार में है। खरतरगच्छ पट्टावली एवं पृथ्वीराज विजय में दिये गये वर्णन के अनुसार चित्रकला का व्यापक प्रसार था। पृथ्वीराज के महल में चित्र मंडप बना हुआ था जिसमें रामायण एवं कई वृत्त चित्र, शिकार के दृश्य चित्रित किये हुए थे। तिलोत्तमा के वृत्त चित्र को देखकर पृथ्वीराज आश्चर्यचकित रह गया था। इस चित्र मंडप का उल्लेख समकालीन फारसवी ग्रंथों एवं प्रबंध चिंतामणि में किया गया है। इनमें वर्णन है कि अजमेर विजय के बाद जब मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज के महल में गया और वहां शिकार के दृश्यों महलों में चित्रित हुए देखे तो अत्यन्त नाराज हुआ। इससे स्पष्ट है कि यह दृश्य उसकी धर्मभावना के विरुद्ध है।

जैसलमेर के भण्डार में अनेक काव्य पट्टिकाएं उपलब्ध हैं जो ताड़पत्र के ग्रंथों के रक्षार्थ कवर के रूप में काम ली जाती रही है इन पट्टिकाओं पर गहरे रंग से

ज्यामितिक आकारों, फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों तथा मानव की आकृतियां कलात्मक ढंग से अंकित की गई है। कमल, हाथी, बतख, हंस, शेर, हिरण, जिराफ आदि का अंकन विशेषतः हुआ है। इन पट्टिकाओं के चित्रण को अजन्ता एलोरा की परम्परा से जोड़कर देखा जा सकता है। राजस्थानी चित्रकला के रूप और रंगों का पूर्वाभास इन पटलियों में निरखा जा सकता है।

11वीं से 12वीं शताब्दी में गुजरात से लेकर मालवा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान मरुप्रदेश आदि में जैन धर्म का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर था इसलिए कला में जैन धर्म के कथानकों को विशेष आधार बनाया गया। जिनदत्तसूरी के खरतरगच्छा का विस्तार भी उसी समय हुआ इस दृष्टि से जैन ग्रंथों का सैकड़ों की तादाद में आन्दोलन के रूप में सुलेखन एवं चित्रांकन हुआ जिनमें कल्पसूत्र, कालिखा, धर्मकथा, नेमिनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, महावीर स्वामी चरित्र, न्यायतीर्थ टीका, औधनिर्युक्ति, दशवैकालिनक आदि प्रमुख विषय रहे हैं। इन ग्रंथों चित्रों को जैन शैली के नाम से अभिहित किया गया है।

मुगलकालीन मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति (1500 से 1770 ई.)

कैलाश सोनगरा

आलोक्य काल में भारत देश में मुगलों का राज्य स्थापित हो गया था। मुगलों ने धीरे-धीरे देश के अन्य राज्यों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। दिल्ली का बादशाह उस समय अकबर था। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर तथा जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां आया, तब तक मारवाड़ राज्य मुगलों के अधिकार में हो गया। मारवाड़ के शासकों का क्रम निम्नानुसार से रहा—राव सातल, राव सूजाजी, राव बाघाजी, राव गंगा, राव मालेदेव।

मालदेव के समय में बाबर की (सन् 1530) मृत्यु के बाद दिल्ली में हुमायूँ शासन कर रहा था। वह गुजरात के बहादुरशाह और शेरशाह के वरुद्ध युद्ध में लड़ा था। यह देखकर मालदेव ने अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई। सन् 1531 में उसने भाद्राजून के सीधल राठौड़ वीरा को पराजित कर वहां अपने पुत्र रत्नसिंह को अधिपति बना दिया। बाद में मेड़ता के वीरमदेव के राज्य को लेने का प्रयत्न किया लेकिन वीरमदेव ने उससे समझौता कर लिया। जब वीरमदेव समझौते के अनुसार भाद्राजून गया तब पीछे से नागौर के खान को कहकर मेड़ता पर सन् 1534 में आक्रमण करा

दिया। मौका देखकर मालदेव ने नागौर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। नागौर के खान ने मालदेव से समझौता कर अपने अधिकार के 21 गांव हरसोलाव सहित मालदेव को दे दिये। वीरमदेव ने गुजरात के सुल्तान के सेनापति शमशेर-उ-मुल्क को हराकर अजमेर पर कब्जा कर लिया। मालदेव ने वीरम से अजमेर की मांग की लेकिन उसने मना कर दिया। इससे मालदेव मेड़ता के वीरमदेव से नाराज था। उसने मेड़ता पर आक्रमण कर वीरमदेव को अजमेर भगा दिया। एक वर्ष बाद मालदेव ने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। वीरमदेव तंग आकर दिल्ली शेरशाह के पास चला गया। मालदेव ने सिवाणा पर भी अधिकार कर लिया और जालोर के सिकन्दरखां को बन्दी बना लिया। सांचौर के चौहानों को भी पराजित कर गुजरात की ओर राधनपुर तथा खाबड़ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने सन् 1540 तक चाकसू, फतेपुर, टोडा, लालसोट, मलारणा आदि पर भी अधिकार कर लिया। सन् 1542 तक वह अपनी शक्ति की चरम सीमा तक पहुंच गया।

दिल्ली में सन् 1556 में हुमायूँ की मृत्यु हो जाने पर अकबर राजगद्दी पर बैठ गया था। वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में लगा था। उसने हरमाड़े के युद्ध के पश्चात् ही सन् 1557 में हाजीखां पर आक्रमण कर उसे जैतारण की ओर भगा दिया। मुगल सेना वहां भी पहुंच गई। मालदेव मुगल सेना से युद्ध करना नहीं चाहता था अतः उसने हाजीखां का साथ छोड़ दिया। जैतारण पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल सेना ने मेड़ता को भी अपने अधीन कर लिया। सन् 1562 की 7 नवम्बर को मालदेव का देहान्त हो गया।

मालदेव के 22 पुत्र थे, लेकिन उसकी इच्छानुसार उसका छठा पुत्र चन्द्रसेन उसके राज्याधिकारी बने। इस प्रकार अपने बड़े भाइयों का अधिकार छीनकर राजगद्दी पर 31 दिसम्बर 1562 को बैठने के कारण पांचों बड़े भाई उससे नाराज हो गये। मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम तब मेवाड़ में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। वह सोजत पहुंच कर लूटमार करने लगा। दूसरे भाई रायमल ने दूनाड़ा में उपद्रव आरम्भ कर दिया। तीसरा भाई उदयसिंह ने गांगाणी और बावड़ी पर अधिकार कर लिया। जब चन्द्रसेन ने अपने भाइयों के विरुद्ध सेना भेजी तब राम और रायमल अपनी-अपनी जागीरां से भाग गये। उदयसिंह युद्ध में घायल होकर लोहावट चला गया।

मारवाड़ के शासक राव मालदेव की मृत्यु के बाद साम्राज्यिक शक्ति के प्रतिरोध का नेतृत्व उसके पुत्र चन्द्रसेन ने किया। कर्नल टॉड ने इस समय की मारवाड़ की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि 'राजा मालदेव की मृत्यु के पश्चात् मारवाड़ राज्य के इतिहास का एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। वहां के शासन और सम्मान में अनेक परिवर्तन हो गए।मारवाड़ में जहां पर राजपूतों का पचरंगा फहराता था वहां

पर अब मुगलों का झण्डा फहरा रहा था। इस परिस्थिति को समझने हेतु हमें मालदेव के उत्तराधिकारी चन्द्रसेन के जीवनवृत्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना होगा।

अकबर राजपूत राजाओं से मैत्री सम्बन्ध बनाने के लिए नवम्बर 1569 में नागौर पहुंचा। वहां उसके 50 दिन रहते उससे मिलने बीकानेर और जैसलमेर के राजा आये। राव चन्द्रसेन और उसके भाईराम और उदयसिंह भी वहां पहुंचे। नागौर के दरबार का वातावरण देखकर चन्द्रसेन समझ गया कि अकबर राजपूत राजाओं में फूट डालना चाहता है, अतः वह दरबार से चला गया। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामसिंह को अवश्य अकबर के पास छोड़ दिया। अबुल फजल और बदायूनी का मत है कि नागौर में राव चन्द्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली लेकिन बाद की परिस्थितियां यह नहीं बतलाती हैं। इस घटना के बाद अकबर ने भाद्राजून पर आक्रमण करने सूबेदार खान कला को भेज दिया जा स्पष्ट बतलाता है कि चन्द्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके विपरीत अकबर ने चन्द्रसेन के भाइयों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसने उदयसिंह को समावली के गूजरों को दबाने के लिए भेज दिया और रायसिंह को अपने पास रख लिया। सन् 1572 में जोधपुर का शासन प्रबंध बीकानेर के रायसिंह को सौंप दिया।

मुगल शक्ति को आंककर चन्द्रसेन भाद्राजून छोड़कर सिवाण चला गया। भाद्राजून पर मुगल सेना का अधिकार हो गया। चन्द्रसेन ने मौका देखकर आसरलाई (जैतारण परगना) व भिणाय (अजमेर जिला) के गांवों में लूटमार कर कुछ धन इकट्ठा किया, तब अकबर ने बीकानेर के शासक रायसिंह को 1573 में चन्द्रसेन को सिवाणा से निकालने को भेजा। चन्द्रसेन सिवाणा से पीपलोद चला गया और लुक छिप कर मुगल सेना पर आक्रमण करता रहा। जब मुगल सेना का ज्यादा ही दबाव बढ़ तो वह मेवाड़ की ओर चला गया। मुगल सेना न सोजत पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में चन्द्रसेन वापस सोजत के पास सरवाड़ में आ डटा लेकिन वहां से मुगल सेना ने उसे भगा दिया। चन्द्रसेन हरियाली में जा रहा और वहां सेना इकट्ठी कर सोजत पर कब्जा कर लिया। बादशाह ने जब और सेना भेजी तब चन्द्रसेन सारण की पहाड़ियों में चला गया जहां उसका अचानक देहान्त 1581 में हो गया। इस प्रकार अकबर चन्द्रसेन को अपने अधीन करने की इच्छा पूरी नहीं कर सका। चन्द्रसेन महाराणा प्रताप की भांति ही स्वतंत्रता प्रेमी था।

मोटा राजा उदयसिंह-राव चन्द्रसेन का भाई उदयसिंह जो बाद में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उदयसिंह सन् 1583 में जोधपुर की राजगद्दी पर बैठा वह जोधपुर का पहला शासक था, जिसने बादशाह की अधीनता स्वीकार कर मुगल मनसबदारी प्राप्त की। बादशाह ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। बादशाह ने उसे

लाहौर की सुरक्षा हेतु नियुक्त कर दिया था और वहीं 1595 में उसकी मृत्यु हो गई।

सूरसिंह-इनका जन्म वि.सं. 1627 में हुआ था। यह मोटा राजा उदयसिंह का छठवां पुत्र था। इनका राजतिलक अकबर के कर कमलों द्वारा हुआ, दक्षिण में उपद्रवी हब्शी अमर चम्पू का दमन किया, उस समय बादशाह ने इन्हें 'सवाई' राजा का विरुद प्रदान किया था।

महाराजा गजसिंह-महाराजा गजसिंह का जन्म संवत् 1652 को कार्तिक सुदि 8 गुरुवार, 30 अक्टूबर 1595 ई. को हुआ। इनका राजतिलक 1618 ई. में बुरहानपुर में किया गया। तब ही उन्हें तीन हजारी जात, दो हजार मनसब और राजा की उपाधि स सम्मानित किया गया। उन्हें जोधपुर, जैतारण, सोजत, सिवाणा, सातलमेर, पोकरण आदि परगनों की जागीर भी प्रदान की गई। गजसिंह भी ज्यादातर दक्षिण में सम्राट के पास युद्ध कार्य में ही लगे रहे। बादशाह ने प्रसन्न होकर सन् 1623 में पांच हजारी जात और चाह हजार का मनसब प्रदान कर उन्हें शाहजादा खुर्रम के विरुद्ध भेजा था।

महाराजा जसवंतसिंह-जोधपुर के महाराजा गजसिंहजी के द्वितीय पुत्र जसवंतसिंह का जन्म वि.सं. 1683 की माघ सुदी 4 को बुहरानपुर में हुआ था, शुक्रवार, मई 25 1638 ई. को बादशाह शाहजहां ने जसवंतसिंह को टीका प्रदान किया था, शाहजहां ने महाराजा जसवंतसिंह को जो हिन्दुस्तान के राजाओं में श्रेष्ठ और फौज, सम्मान तथा रौबदार में प्रथम था और जिसे बादशाह सल्तनत का मजबूत स्तम्भ समझता था, 'महाराजा' का खिताब दिया गया। जसवंतसिंह शाही सेना के साथ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में पठानों के उपद्रवों को समाप्त करने में क्रियाशील थे तथा 28 नवम्बर 1678 को जमरूद में उनकी मृत्यु हो गई।

महाराजा अजीतसिंह-जसवंतसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीतसिंह का जन्म फरवरी, 1679 में हुआ। बादशाह जसवंतसिंह से द्वेष रखता था, अतः उनकी मृत्यु के बाद बालक महाराजा को जोधपुर राज्य का शासक घोषित नहीं किया। उसने फरवरी, 1679 में जोधपुर में मुगल अधिकारी नियुक्त कर दिये और मारवाड़ को अपने अधिकार में कर लिया। जोधपुर का प्रबन्ध ताहिरखां को सौंप दिया। सोजत और जैतारण में भी शाही अधिकारी नियुक्त कर दिया। बालक महाराजा को बादशाह ने अपने पास रखना चाहा, लेकिन राठौड़ सरदारों ने इसे उचित नहीं समझा, अतः वे उसे चालाकी से सिरोही ले गये और वहां छिपा कर रखा। राठौड़ों ने मारवाड़ में मुगल सत्ता स्वीकार नहीं किया और वे राठौड़ सरदार दुर्गादास के नेतृत्व में मुगल सेना से बराबर लड़ते रहे। सोजत, डीडवाण, रोहट आदि स्थानों पर मुगल सेना ने अधिकार कर लिया था, लेकिन राठौड़ 28 वर्ष तक संघर्ष करते रहे और मुगलों को चैन नहीं लेने दिया। राठौड़ों ने मेवाड़ के महाराजा से सहायता लेकर मुगल सेना का सामना किया।

राठौड़-मुगल संघर्ष ने राठौड़ सिसोदियों के मध्य एकता का सूत्रपात किया। मुगलों को मेवाड़ में महाराणा राजसिंह के नेतृत्व में और मारवाड़ में राठौड़ों की छापामार युद्ध नीति का सामना करना पड़ा। मुगल राठौड़ संघर्ष 1707 तक चला।

फिर धीरे-धीरे अन्य परगने मेड़ता, पाली, सोजत आदि पर भी अधिकार कर लिया गया। बादशाह बहादुरशाह ने विवश होकर अजीतसिंह से मेल कर लिया और उन्हें महाराजा की पदवी के साथ मनसब आदि दे दी।

जब फरूखसियर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब अजीतसिंह काफी शक्तिशाली हो गये। उन्होंने जोधपुर पर नियुक्त शाही अधिकारियों को निकाल बाहर किया। बादशाह ने उनको दण्ड देने के लिये हुसैन कुली खां को एक बड़ी सेना के साथ मारवाड़ भेजा। अजीतसिंह ने हुसैन कुली खां की शर्तों के अनुसार संधि कर ली। बाद में जब दिल्ली दरबार के सैय्यद बंधुओं और बादशाह के बीच अनबन हो गई, तब अजीतसिंह दरबारी षडयंत्र में सम्मिलित हो गये जिसके कारण फरूखसियर की हत्या कर दी गई। सन् 1719 तक अजीतसिंह भारत का एक प्रमुख राजपूत राजा बन गये। नये बादशाह मुहम्मदशाह के समय मुगल दरबार के षडयंत्र चलते रहे। इसी के फलस्वरूप अजीतसिंह की हत्या उसके ही पुत्र बख्तसिंह ने 1724 में कर दी जब वे अपने महलों में सो रहे थे। इस प्रकार 1500-1700 ई. की कालावधि में मारवाड़ के महाराजाओं का जीवन परिचय तथा उनकी राजनीतिक परिस्थितियां तथा मुगलों से उनका सम्बन्ध इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होती है। अब हम तत्कालीन आलोच्यकाल के मारवाड़ के साथ सम्बन्धित अन्य राज्यों तथा उनके प्रमुख शासकों की जानकारी तथा उनसे मारवाड़ के सम्बन्धों की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

अलवर राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं : अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर एक परिदृश्य

विनोद पूनिया

इस पत्र में अलवर अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोतों पर तत्कालीन अलवर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के इतिहास को जानने का प्रयास किया गया है। उक्त शोध पत्र के मूल स्रोत अभिलेखागार में उपलब्ध फाईलें हैं। इन फाईलों को मत्स्य रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह फाईलें 1900 के पश्चात् शुरू होती हैं। फाइलों की भाषा अंग्रेजी व हिन्दी है व इन फाईलों में करीब 4 साईज के टंकित व हस्तलिखित पत्र हैं। इन फाईलों को बस्तों में बांध कर रखा गया है। बीते

एक वर्ष में इन बस्तों व फाईलों को नये सिरे से क्रमांकित किया गया है।

बस्ता क्र. 34 की फाईल नं. 34, 1940 से पता लगता है कि राज्य द्वारा अस्पतालों के अधीक्षक के रूप में हमेशा लन्दन से पढ़े लिखे चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था जैसे डॉ. ई. किन्फ जो एमबीबीएस व डीडीईएम लन्द से, उन्हें जनाना अस्पताल का अधीक्षक बनाया गया था। ऐसे ही उन्हीं चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल ऑफ टोपिकल मेडिसन की डिग्री होती थी। (बस्ता नं. 5 फाईल संख्या 8 साल 1938) भारतीयों की नियुक्ति भी इन स्रोतों से परिलक्षित होती है जैसे कि बंगाल से पढ़े श्री भट्टाचार्य को राज्य द्वारा पेटोलोजिस्ट के रूप में अलेक्जण्डर अस्पताल में नियुक्त किया गया था। (बस्ता नं. 37 फाईल नं. 5) इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा अस्पतालों में नियुक्त मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए अजमेर व लाहौर भेजना व कोर्स के पास होने के पश्चात् उनका इन्क्रीमेंट लगाना का नियम बनाया गया था। (बस्ता नं. 5 फाईल सं. 10 साल 42) इसके अतिरिक्त फाईलों से पता चलता है कि राज्य में बढ़ती शिशु व मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा नये 3756 रु. की लागत से मातृ शिशु केंद्र खुलवाया गया व स्वस्थ प्रसव की जानकारी के प्रसार के प्रयास किये गये। (बस्ता सं. 5 फाईल 9 साल 1942) राज्य के द्वारा टीबी के प्रकोप को देखते हुए राजधानी में भारत सरकार के टीबी संस्थान से सम्बन्ध स्थापित कर राजधानी में नया टीबी अस्पताल व किशनगढ़ व टप्पूकड़ा में डिस्पेन्सरी खुलवायी गयी। इसके साथ एलेक्जण्डर हास्पिटल में आंखों का विभाग भी खुलवाया गया। (बस्ता क्र. 24 फाईल नं. 21)

अभिलेखीय स्रोतों के माध्यम से एक नवीन तथ्य भी प्रकाश में आया है जो कि राज्य की मनोस्थिति को दर्शाता है। अस्पताल में बीमार मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेन्स वेन का प्रयोग किया जाता था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उसे निःशुल्क न करके उसकी दरें निश्चित कर दी गयी। जिसमें पक्की सड़कों पर तीन आना प्रति मील व कच्ची सड़कों पर चार आना प्रति मील मरीज से लेना निश्चित किया गया। (बस्ता नं. 21 फाईल नं. 37 1939)

मत्स्य रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य में हैजा की बीमारी फैल गयी थी जिसमें करीब 1676 लोग ग्रसित हुए। उक्त हेतु राज्य सरकार द्वारा जांच निर्धारित की गयी जिसकी रिपोर्ट से पता चला कि राज्य में पाण्डूपोल व जगन्नाथ जी के मेलों में जो लोग गये थे उनसे ये बीमारी फैली है। राज्य द्वारा मेलों में सभी मिठाई बेचने वाले खुले व कटे फल बेचने वालों को पाबन्द किया कि वे अपने भोज्य पदार्थों पर लोहे की जाली ढके। (बस्ता नं. 26 फाईल नं. 17 1942)

जोधपुर प्रजामण्डल के अमर पुरोधा - जय नारायण व्यास

डॉ. देवाराम

युग पुरुष वे ही कहलाते हैं जो समय की धारा को मोड़कर जन-सामान्य के लिए भविष्य का सुगम मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। लोकनायक जयनारायण व्यास ऐसे ही स्वप्न दृष्टा, धुन के धनी और साहसिक योद्धा थे। जोधपुर की जनता को राजशाही और सामन्तशाही के जुल्मों से मुक्ति दिलाने के साथ ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान किया तथा एकीकृत राजस्थान के स्वप्न को साकार रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जोधपुर में सन् 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष श्री चान्दमल सुराणा तथा मंत्री पद पर श्री जयनारायण व्यास नियुक्त किये गये। इस सभा ने मारवाड़ रियासत में 80 तोले के बजाय एक सौ तोले का सेर रखने, धान की निकासी रियासत के बाहर न करने तथा मादा पशुओं को बाहर न भेजने सम्बन्धी मांगों को लेकर शान्तिमय ढंग से पृथक-पृथक आन्दोलन किये। इन तीनों आन्दोलनों के प्रमुख कार्यकर्ता सर्वश्री चान्दमल सुराणा, जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराणा, किस्तूरकरण जोशी, प्रतापचन्द सोनी और दुर्गाशंकर श्रीमाली थे। इन तीनों आन्दोलनों में मारवाड़ हितकारिणी सभा को सफलता मिली जिससे राज्य की आंखों में ये सभी नेता खटकने लगे, इनमें श्री चान्दमल सुराणा, श्री प्रतापचंद सोनी और श्री किस्तूरकरण जोशी को तो राज्य सरकार ने रियासत से देश निकाला तक दे दिया। शेष नेता श्री जयनारायण व्यास, श्री आनन्दराज सुराणा, श्री बच्छराज तथा अन्य नेताओं को दस नम्बरिया घोषित कर उन पर पाबन्दी लगा दी गई कि वे रोज सिटी पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी दें। जोधपुर शहर से बाहर रियासत में यदि अन्य कहीं जाये तो रात्रि को वहां के पुलिस थाने में जाकर सोयें। उनकी हर गतिविधि पर राज्य ने कड़ी नजर रखने की व्यवस्था कर दी।

श्री जयनारायण व्यास ने सर्वप्रथम सुधारवादी आन्दोलन में सक्रिय होकर जनता का विश्वास प्राप्त किया। फिर मारवाड़ की जनता को राजशाही व जागीरदों के शोषण से मुक्ति दिलाने के उपायों पर विचार करने लगे। सन् 1933 के अन्त में अजमेर जेल से रिहा होने के बाद व्यासजी ने अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद् से पुनः सम्बन्ध स्थापित किया और सन् 1934 में ब्यावर में राजपूताना देशी राज्य प्रजापरिषद् का प्रान्तीय कार्यालय स्थापित किया। व्यासजी की मान्यता थी कि भले ही हम भौगोलिक और ऐतिहासिक (रियासतें) दृष्टि से अलग-अलग इकाइयां हैं परन्तु

जनता की समस्याएं राजपूताना की सभी रियासतों में एक-सी हैं अतः उनका समाधान भी एक से कार्यक्रम से खोजना चाहिए। राजतंत्र को समाप्त कर लोकराज की स्थापना करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सन् 1930 से 1938 तक मारवाड़ रियासत में अनेक नेताओं में सर्वश्री अचलेश्वरप्रसाद शर्मा 'मामा', रणछोड़दास गट्टाणी, छगनराज चौपासनीवाला, अभयमल जैन, मानमल जैन, पुरुषोत्तमप्रसाद नैयर, गणेशीलाल व्यास 'उस्ताद', भंवरलाल सर्राफ तथा फतहराज जोशी आदि राजनीतिक कार्यों में सक्रिय थे। व्यासजी इन्हें समय-समय पर सलाह और मार्गदर्शन देते रहते थे।

इण व्यासजी लोकप्रिय सरकार बनाने हेतु संघर्ष पथ पर अग्रसर होने लगे थे। रियासत के सभी नेता और कार्यकर्ता आन्दोलन के लिए कटिबद्ध थे। व्यासजी को अंदेशा था कि इस आन्दोलन में कहीं हिंसात्मक संघर्ष न हो जाय क्योंकि जागीरदार भी अपने अस्तित्व के लिए संशुभिकित थे। कुछ तो इस विचार के भी थे कि आजादी के बाद भारत की केन्द्रीय सरकार मारवाड़ लोक परिषद् का सहयोग करेगी। अतः कोई बीच का रास्ता निकल जाय तो राहत मिल सकती है। परन्तु ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकी। केन्द्र ने वी.पी. मेनन के सहयोग से महाराजा हनुवंतसिंह को समझा-बुझाकर व्यासजी के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल गठित करा दिया।

व्यासजी ज्योंही जोधपुर रियासत के मुख्यमंत्री बने उन्होंने सर्वप्रथम जागीरी समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया। जहां गैर कानूनी लागें ली जाती थी। उनको खत्म करने हेतु कदम उठाये गये। राज्य की आय की अधिकांश राशि महाराजा के निजी खर्च में लगायी जाती थी। अतः वित्त मंत्री श्री द्वारकादास पुरोहित को निर्देश दिये गये कि वे इस पर पुनर्विचार कर रिपोर्ट तैयार करें। यद्यपि व्यासजी का तत्कालीन जोधपुर रियासत के मुख्यमंत्री रहने का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर देने के कारण कुछ ही महीनों रहा फिर भी वे जितने समय तक मुख्यमंत्री रहे उनके मंत्रिमण्डल के साथियों ने जनता के हित में अनेक कार्य किए।

बड़वा ज्ञान की पोथी

डॉ. राजेन्द्रनाथ पुरोहित

राजस्थानी भाषा के ग्रन्थों की श्रेणी में भाट-बड़वा की पोथियों का विशेष स्थान है। पुराहित संग्रह, उदयपुर के अन्तर्गत बही आकार में संधारित अप्रकाशित "बड़वा ज्ञान की पोथी" मेवाड़ के इतिहास की जानकारी के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। महाराणा स्वरूपसिंह के शासनकाल वि.स. 1910 में बक्षी रघीराम द्वारा लिपिकृत इस बही की लिपि देवनागरी तथा भाषा राजस्थानी (मेवाड़ी)

है तथा 78 पत्रों से युक्त है। इस बही में मेवाड़ के शासकों की हाल हकीकत तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। पोथी में बह्मा से महाराणा जवानसिंह तक के शासकों का ऐतिहासिक विवरण :- रानियां, पुत्र-पुत्रियों के नाम, प्रमुख युद्धों का विवरण तथा निर्माण कार्यों का उल्लेख हैं। वंशावलियों के संदर्भ में मेवाड़ के शासक बापारावल एवं गुहिलोत वंशीय शासकों की चौबीस शाखाओं की विगत, रामपुरा के चन्द्रावत शासकों की वंशावली तथा चूंडाजी के वंशजों के ठिकाने :- सलूमबर, भैंसरोड़गढ़, चावंड, साटोला, कुराबड़, आसीन्द, बम्बोरा, थाणा, लूणदा, बेगूँ, अठाणा, आमेट, कोशीथल, जीलोलां, ताल, लसाड़िया, नाणदा, पीथावास, लसाणी, बेमाली, भटवाड़ा, देवरिया के सरदारों की वंशावलियां, महाराणाओं से प्राप्त सम्मान, तलवारबंदी की हकीकत तथा सरदार द्वारा बड़वाओं को प्रदत्त दानपुण्य, लाखपसाव, सिरोपाव-सम्मान उल्लेखनीय हैं। बड़वा ज्ञाना, महाराणा जवानसिंह (1828-1838 ई.) का समकालीन व्यक्ति था जो वि.स. 1890 (1833 ई.) में स्वयं महाराणा की सेवा में उदयपुर उपस्थित हुआ था। पोथी में राजा गुहादित्य (गुहिल) से विगत हाल मिलता है। बापा रावल की विगत में रावल जी का नागदा नगरी में गौचारण, हारीतराशि की सेवा, एकलिंगेश्वर के दर्शन तथा विधान से मंदिर की स्थापना तथा कुलदेवता के सम्मान का बड़वा ने बखान किया है। एकलिंगनाथ के प्रताप से बापारावल ने चित्तौड़ के राजा मोरी से युद्ध कर चित्तौड़ का राज्य लिया, तब से मेवाड़ राज्य के स्वामी एकलिंग जी तथा राणाजी दीवान कहलाए। बापारावल के पुत्रों के विषय में बड़वा लिखता है कि खुमाण ने आहाड़ की ऊजड़ी-नगरी को फिर से बासाया तथा एकलिंग जी के मन्दिर में निर्माण कार्य करवाया। कलोजी ने केलवा ग्राम बसाया, पीपाजी ने पीपाड़ा ग्राम बसाया, भीमजी ने भीमल ग्राम बसाया तथा भादुजी ने भटेवर ग्राम बसाया। राणा भुवन सिंह के हाल में ऊंदरी ग्राम के भील तथा पानरवा ग्राम के भील का उल्लेख, महाराणाओं की राज्याभिषेक परम्परा में प्रमुख भूमिका के रूप में किया गया है। राणा गढ़लखमण सिंह ने केलवाड़ा में बाणमाता के मन्दिर का निर्माण करवाया। राणा हमीर सिंह ने सोनगरा बणवीर से युद्ध कर चित्तौड़ का राज्य लिया। राणा हमीर ने केलवाड़ा में हमीरसर तालाब बनवाया तथा रूपनारायण का मंदिर बनवाया। महाराणा कुंभा के आलोक में बड़वा लिखता है कि कुंभाजी ने कुंभश्याम का मंदिर, कीर्तिस्तंभ तथा कुम्भलगढ़ का किला बनवाया। राणाकुंभा ने लाख पसाव में बड़वा लालदास को 1 घोड़ा, कड़े मोती, सिरोपाव तथा सरसाग्राम का ताम्रपत्र दिया। महाराणा सांगा, बादशाह बाबर से तीसरी बार युद्ध में विजयी रहे तथा बादशाह के नगारे-निशान छीन लिये। सांगाजी ने बड़वा रतनसिंह को वि.सं. 1570 में लाख पसाव अन्तर्गत 1 हाथी, 1 घोड़ा, सिरोपाव, कड़े-मोती तथा छपरी ग्राम का ताम्रपत्र दिया। महाराणा उदयसिंह के हाल में

बड़वा लिखता है कि राणा ने वि.स. 1610 में उदयपुर नगर बसाया तथा वि.स. 1616 में उदयसागर का निर्माण करवाया। उदयपुर स्थापना तिथि के संदर्भ में राजरत्नाकर ग्रंथ के पश्चात यह ग्रन्थ एक मात्र स्पष्ट ऐतिहासिक स्रोत है। राणी सोलंकिनी सज्याकुंवर (शक्तिसिंह की माता) ने उदयसागर की पाल पर यह प्रह्लादराय का मन्दिर बनवाया तथा राणी भट्टियाणी धारबाई (जगमाल की माता) ने उदयपुर में 'भट्टियाणी चोहट्टा' बसाया। महाराणा उदयसिंह ने वि.सं. 1622 में लाख पसाव अन्तर्गत बड़वा विट्ठलदास को 1 हाथी, सुन्दरगज, 16 घोड़े, सिरोपाव तथा कड़े-मोती प्रदान किये। महाराणा प्रताप के संदर्भ में बड़वा, प्रताप के एक प्रमुख सहयोगी कामदार 'घोरजी भटनागर' का उल्लेख करता है। प्रताप के वित्तिय सहयोगी के रूप में 'घोरजी' का नाम एक नवीन सूचना है। प्रताप ने वि.सं. 1632 में लाखपसाव अन्तर्गत बड़वा विट्ठलदास को हाथी दतुलगज, घोड़ा चंवरबद, सिरोपाव, कड़े-मोती प्रदान किये। राणा अमरसिंह ने उदयपुर में 'अमर महल' का निर्माण करवाया तथा ऊँटाला के युद्ध में विजयी रहे। राणा कर्णसिंह ने वि.स. 1682 में तीसरी बार जनाना महल (रावला) में निर्माण कार्य करवाया, युवराजकाल में सूरतशहर को लूटा, मालवा से दण्ड वसूल किया तथा सौरमजी में रूपयों का तुलादान किया। राणा जगतसिंह ने वि.सं. 1703 में मांधाता ऊँकारेश्वरजी की यात्रा की तथा स्वर्णतुलादान किया। पुरोहित रामाजी की देखरेख में जगन्नाथराय का मंदिर बनवाया। राणा राजसिंह ने राजनगर शहर बसाया, राजसमुद्र सरोवर बनवाया तथा देबारीद्वार का जीर्णोद्धार करवाया। राणा राजसिंह ने फाल्गुन सुद 7, वि.स. 1719 को उदयपुर-चित्तौड़ राजमार्ग पर 'बोहरा गणेश जी' का मंदिर बनवाया। उदयपुर नगर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर 'बोहरा गणेश' की निर्माण तिथि के संदर्भ में यह तथ्य एक मात्र प्रमाण है। राणा जयसिंह ने जयसमुद्र का निर्माण करवाया तथा वि.स. 1744 में सरोवर की नींव रखी गयी तथा राणा ने जयनगर बसाया। वि.स. 1752 में राणा जयसिंह ने लाखपसाव अन्तर्गत हाथी रतनगज, घोड़ा अबलख, कड़े मोती, सिरोपाव बड़वा खेतसी को प्रदान किये। राणा अमरसिंह (द्वितीय) की पुत्री चन्द्रकुंवर का विवाह आम्बेर के राजा जयसिंह से हुआ, जिनसे भांजे माधोसिंह का जन्म हुआ। राणा संग्रामसिंह (द्वितीय) ने लाखपसाव अन्तर्गत वि.स. 1769 में बड़वा परसराम को हाथी रतनगज, घोड़ा अबलख तुर्की, कड़े, मोती तथा सिरोपाव प्रदान किये। राणा प्रतापसिंह (द्वितीय) ने वि.सं. 1809 में लाखपसाव अन्तर्गत बड़वा मयाराम को हाथी 1, घोड़ा कुमेत, कड़े मोती, सिरोपाव तथा स्वर्णमाला प्रदान किये। राणा अरिसिंह के संदर्भ में बड़वा लिखता है कि राणा अरिसिंह का वि.स. 1829 में स्वर्गवास हुआ। बूंदी के हरामखोर अजीत सिंह हाड़ा ने अमरगढ़ मुकाम पर हत्या की। राणा अरिसिंह ने वि.स. 1826 में लाख पसाव अन्तर्गत हाथी, घोड़ा नीला, कड़े मोती तथा सिरोपाव बड़वा ऊमेदराम को प्रदान किये। राणा भीमसिंह ने वि.स. 1873 में

तीसरी बार बड़वा बेणीराम को 'टाकरदा' ग्राम का ताम्रपत्र प्रदान किया। राणा जवानसिंह ने वि.स. 1890 में बड़वा ज्ञाना के उदयपुर आगमन के अवसर पर चंपाबाग डेरे पर ज्ञाना को हाथी गजमाणक, घोड़ा तिलकसुन्दर, सिरोपाव-3, सरशोभा-1, सरपेच-1 तथा निज खर्च हेतु 500 रूपये प्रदान किये। अतः 'बड़वा ज्ञाना की पोथी' मेवाड़ के इतिहास की जानकारी के संदर्भ में एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है।

बीकानेर राज्य के आर्थिक इतिहास लेखन में

पुरालेखीय स्रोतों की भूमिका :

'ऊन रे लूंकारा री बही' के विशेष संदर्भ में

डॉ. राजेन्द्र कुमार

बीकानेर राज्य की स्थापना काल से ही यहां इतिहास लेखन की विभिन्न परम्पराएं देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ख्यात, बात, वचनिका, तवारीख तथा गजत आदि साहित्यिक रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जिनकी रचना मध्यकाल के दौरान विभिन्न विषयों को आधार बनाकर की गई। बीकानेर राज्य अपनी मरुस्थलीय पृष्ठभूमि के कारण कृषि कार्य के क्षेत्र में सदैव पिछड़ा हुआ रहा है। इसलिए यहां के प्रशासन एवं लोगों ने व्यापार-वाणिज्य को अधिक प्रोत्साहन दिया। बीकानेर के व्यापार वाणिज्य में ऊन का व्यापार मुख्य स्थान पर रहा है। राज्य की अधिकांश जनता ऊन व्यवसाय में संलग्न थी अर्थात् यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन ऊन का व्यवसाय रहा है। इसके व्यापार से सरकार को भी बड़ी आय होती थी।

अतः बीकानेर के तत्कालीन आर्थिक इतिहास को समझने के लिए ऊन व्यवसाय से सम्बद्ध गतिविधियों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से बीकानेर की तत्कालीन जगता बहियां, सावा बहियां एवं जमा खर्च बहियां महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। लेकिन 'ऊन रे लूंकारा री बही' का महत्व इनकी तुलना में इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस बही से तत्कालीन बीकानेर राज्य के स्थानीय स्तर के ऊन उत्पादनकर्ताओं एवं व्यापारी वर्ग की विस्तृत जानकारी मिलती है जो कि अन्यत्र किसी भी समकालीन रिकॉर्ड्स में उपलब्ध नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में बीकानेर के 18वीं सदी के आर्थिक इतिहास लेखन में उक्त बही की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित व संरक्षित 'ऊन रे लूंकारा री बही', नं. 53, 18वीं सदी के बीकानेर राज्य का एक अमूल्य पुरालेखीय दस्तावेज

है। यह बही राजस्थानी भाषा व मुड़िया लिपि में लिखी गई है। जो वि.सं. 1844 (1787 ई.) के वर्ष काल से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराती है। जैसा कि बही के शीर्षक से विदित है कि यह बही ऊन लूंकारों या अन्य ऊनी उत्पादों से जुड़े व्यापारिक लेन-देन का लेखा-जोखा है। बही में वर्णित लूंकार शब्द से अभिप्राय ऊन से बने मोटे वस्त्र से है, जो ओढ़ने के काम आता है तथा इकरंगा होता है। इस पर कशीदा नहीं होता है। ये लूंकारे सफेद, काले व लाल रंग के ही बनते थे तथा कई लूंकारों पर भिन्न रंग की किनारी भी बनाई जाती थी। लूंकार बीकानेर राज्य में सर्वाधिक निर्माण किए जाते थे तथा अधिक प्रचलन में भी थे। ऊनी लूंकारों का उपयोग प्रायः सामान्य जन द्वारा किया जाता था, यद्यपि लूंकार अच्छी किस्म के भी बनते थे, जो शाही परिवार या अमीर लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाते थे। जिसका वर्णन बीकानेर राज्य की तत्कालीन जगात बहियों, सावा बहियों तथा जमा-खर्च बहियों में देखने को मिलता है।

ऊन रे लूंकारा री बही का महत्व आर्थिक इतिहास लेखन में इसलिए अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह बीकानेर राज्य में होने वाले ऊन व्यापार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्मता से प्रकाश डालती है। इसमें उल्लेखित विभिन्न जानकारी को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत भलीभांति समझा जा सकता है।

ऊन उत्पादक वर्ग-यह बही तत्कालीन समय में बीकानेर राज्य के अन्तर्गत ऊन का उत्पादन करने वाली विभिन्न जातियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। इस बही के अनुसार बीकानेर राज्य के आस-पास के लगभग सभी गांवों व कस्बों में कूटीर धन्धों के रूप में ऊन का उत्पादन किया जाता था। इन क्षेत्रों में निवास करने वाली निम्न जातियां, यथा-भांभी, रेगर, खटकी एवं ओली आदि विशेष रूप से ऊन का उत्पादन करती थी। इसके अतिरिक्त राजपूत, ब्राह्मण आदि उच्च जाति वर्ग द्वारा भी ऊन उत्पादन करने का उल्लेख मिलता है। ऊन रे लूंकारा री बही में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो चंड-मेघवालों द्वारा वृहद् स्तर पर ऊन का उत्पादन व व्यवसाय करने की पुष्टि करते हैं।

उत्पादन क्षेत्र-बीकानेर राज्य में ऊन का उत्पादन बड़े स्तर पर होता था और 18वीं सदी में यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इस बही से ज्ञात होता है कि राज्य के लगभग सभी गांवों में छोटे-छोटे रूप में अवश्य होता था। इस बही में बीकानेर के मगरा, नाली, पूगल, सूरपुरा, लूणकरणसर क्षेत्र के अनेक गांवों के बारे में उल्लेख मिलता है। उनके अतिरिक्त सूरतगढ़, चूरू, राजगढ़ आदि का उल्लेख भी वर्णित है। उक्त क्षेत्रों से सम्बद्ध दर्जनों गांवों के नामों का इस बही में वर्णन है।

करारोपण-ऊन रे लूंकारा री बही में लूंकारों व कम्बलों के लेन-देन का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध है। इनके लेन-देन पर राज्य द्वारा जगात वसूली की जाती थी। जिसकी विस्तृत जानकारी इस बही में उपलब्ध है। इसके अनुसार बीकानेर राज्य में एक ऊनी लूंकार थान पर 37 दाम जगात स्वरूप वसूले जाते थे। इसके अतिरिक्त एक कम्बल थान पर 1 टका 25 दाम जगात प्राप्त की जाती थी। इसकी पुष्टि करने वाले अनेक तथ्य इस बही में मौजूद हैं।

ऊन व्यवसाय से सम्बद्ध व्यापारी वर्ग-इस बही से 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ऊन व ऊनी उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारी वर्ग के बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त होती है। इस बही के गहन विश्लेषण के बाद इसमें उल्लेखित व्यापारियों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, यथा-थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी एवं दलाल आदि।

रामस्नेही सन्तों के परची साहित्य का ऐतिहासिक महत्व (सींथल-खेड़ापा के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. हरीश कुमार

राजस्थान में प्रवर्तित विभिन्न सन्त सम्प्रदायों में रामस्नेही सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्गुणमार्गी सन्त परम्परा का अनुसरण करते हुए इन सन्तों में 'भक्तमाल' और 'परची' लिखने की परम्परा रही है। भक्तमालों में सन्तों, भक्तों की जीवन गाथाएँ संकेतों में लिखी मिलती है जिनका विस्तार आगे चलकर टीकाकारों के द्वारा हुआ जबकि परचियाँ स्वयं ही विस्तृत जीवनी का वर्णन करती हैं। परची साहित्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सन्तों का जीवनवृत्त परची में विस्तार-पूर्वक वर्णित होता है। परची लेखन में रामस्नेही सन्त परचीकारों ने इन विभिन्न पक्षों का उल्लेख भी किया है। अतः जहाँ एक ओर तत्कालीन राजा महाराजाओं एवं ठिकानेदारों के साथ इन सन्तों के आपसी सम्बन्धों का वर्णन मिलता है। वहीं दूसरी ओर उस समय की राजनैतिक घटनाओं एवं सामाजिक स्थितियों की पर्याप्त जानकारी प्रायः इन परचियों में उपलब्ध होती है। इस सम्प्रदाय में परची साहित्य की सर्जना प्रारम्भ से ही होती रही है अतः परची साहित्य का विपुल भण्डार वाणी साहित्य में उपलब्ध है। हरिरामदास, रामदास, दयालदास, पूरणदास, अर्जुनदास, परसराम, सेवगराम, राघोदास, फूलांबाई आदि के जीवनवृत्त पर अलग-अलग परची-ग्रन्थ वाणी-साहित्य में प्राप्त होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बालकदास द्वारा विरचित 'जन-प्रभाव-परची' अत्यन्त

ही महत्वपूर्ण है। इस परची में वि.सं. 1883 दयालदास के गुजरात से रामत (देशाटन) करते हुए खेड़ापा आगमन तक का वर्णन मिलता है।

इस परची की सर्वछन्द सं. 1747 है तथा यह 15 अध्यायों में विभक्त है। सन्तों के जीवनवृत्त को जानने में ऐसी परचियों की उपयोगिता महत्वपूर्ण है साथ ही तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विशद वर्णन भी इस परची में मिलता है। परचीकार ने विभिन्न घटनाओं से सम्बद्ध तिथि संवत आदि का उल्लेख कर इसे और भी अधिक प्रामाणिक बना दिया है। सम्प्रदाय से सम्बन्धित गुरुपरम्परा, शिष्य समुदाय, प्रमुख शिष्य एवं उनके स्थानों का संक्षिप्त परिचय, पीठ स्थापना आदि के साथ-साथ राजस्थान में पड़े भयंकर अकाल का वर्णन भी परचीकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार दयालदास रचित 'श्री परची जी' में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सं. 1813 में मराठा सरदार मारवाड़ में लूटपाट करते हुए मेलाणा ग्राम की ओर बढ़े उस समय रामदास जी वहीं साधनारत थे। ग्रामवासी भयभीत हो गाँव छोड़कर भागने लगे तब रामदास जी ने गाँव के ठाकुर नाहरसिंह को अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य का बोध करा उसे प्रेरणा दी, जिससे उत्साहित होकर वह अपने कुछ साथियों के साथ मराठा सेना के सामने क्षत्रियोचित धर्म की रक्षार्थ उनसे युद्ध करने के लिए पहुँच गया। इसे देख मराठा सरदार बड़े प्रभावित हुए। उन्हें जब पता चला की इसमें इतना उत्साह सन्त रामदास जी की प्रेरणा से आया है, तो वे सभी रामदास जी के दर्शन करने आये।

इस प्रकार प्रत्येक परची में तत्कालीन शासक वर्ग से इन सन्तों के सम्बन्धों को उल्लेखित किया गया है। विशेष बात यह है कि अधिकांश साहित्य अभी भी अप्रकाशित एवं अनालोचित है अतः साहित्य एवं इतिहास के विद्वानों की दृष्टि से दूर ही है।

List of Members

Founder Members

Late Dr. A.L. Srivastva	Late Shri N.R. Khadgawat
Late Dr. S.P. Srivastva	Late Dr. Dasharatha Sharma
Late Shri R.S. Kapur	Late Shri N.N. Acharya
Shri L.P. Vaisya	Late Prof. G.N. Sharma
Late Dr. M.S. Jain	Late Dr. R.P. Vyas
Late Rao Narayan Singh Of Masooda	

Patrons

Shri G.C.Kanungo, Managing Director, Alcobex Ltd., Jodhpur
 Shri S.R. Mehta, Mehta Vanaspati Products, Chittorgarh
 Shri Hemendra Singh, Banera, District Bhilwara
 Dr. S.S. Bhandawat, Bhandawat Foundation, Manak Chowk, Jodhpur
 Dr. Nagendra Singh, Justice, International Court Of Justice, The Hague
 United Books Traders, Ratanada, Jodhpur

Life Members

The Bank Of Rajasthan(Ltd.), Jaipur
 Shri K.K. Purohit, Jodhpur
 Dr. Manohar Singh Ranawat, Natnagar Sodh Sansthan, Sitamau
 Professor Mananori Sato, Faculty Of Economics, Asia University, Tokyo-
 Iso-(Japan)
 Professor D.C.Shukla, 'Parijat'c-38, Krishna Nagar, Pali Road, Jodhpur
 Shri Om Prakash Mohta House, 29-Srand Road, Calcutta
 Shri Mullapudi Timmragugaru, Tanuka {Andhra Pradesh}
 Shri Prasanna Mal Mohnot, 67, Mahaveer Nagar, Pali
 Shri C.P. Mathur, E-27, Chanakya Place (I), Pankha Rad, New Delhi-
 110059
 Shri Sajjan Singh Ranawat, Udaipur
 Dr. V.K. Trivedi, 26, Shanti Nagar, Sirohi
 Dr. Arvind Parihar, Dept. Of History, JNV University, Jodhpur
 Dr. B.L. Upmanyu, Lecturer In History, SD Govt. College, Beawar
 Dr. Girish Nath Mathur, 1 Gh 41, Gayatri Nagar, Hiran Magri, Sector-
 5, Udaipur

Dr. Ishwar Singh Ranawat, Research Officer, Pratapsodh
Pratisthan, Udaipur

Dr. J.K. Ojha, Near Post Office, Kanore, Udaipur

Dr. M.R. Choudhary, Dept. Of History, JNV University, Jodhpur

Dr. Manorama Upadhyaya, 128, Nehru Park, E Road, Sardarpura, Jodhpur

Prof. Meena Gaur, 19-Gokul Nagar, Near Bohra Ganesh Temple, Udaipur

Dr. Mohabat Singh Rathore, Research Office, Pratap Sodh Pratisthan,
Udaipur

Dr. Mrs. Shashi Arora, Head, Dept. Of History, Govt. College, Kota

Dr. N.K. Upadhyay, Lecturer In History, Govt. College Ajmer, Ajmer

Dr. Pramila Singhvi, Pranjal, Sector 3, Hiran Margi, Udaipur

Dr. S.C. Agarwal, 99, Shatri Nagar, Ajmer

Prof. S.K. Purohit, Behind Bannath Temple, Sukhanand ki Bagechi,
Siwanchi Gate, Jodhpur

Prof. S.P. Vyas, Asop ki Pole, Near Juni Mandi, Jodhpur

Dr. S.S. Bais, C-217, Krishna Nagar, Pali Road, Jodhpur

Prof. Vinita Parihar, B-16, Shatri Nagar, Jodhpur

Dr. Mrs. Digvijay Bhatnagar, E 27, University Qtrs., Durga Nursury
Road, Udaipur

Dr. Mrs. Usha Purohit, Lecturer In History, Mahila Mahavidyalaya,
Jodhpur

Mr. C.S. Sharma, Lecturer In History, Govt. College, Sheoganj

Mr. Dinesh Rathi, Hariom Bhawan, Bada Bas, Mathania, Jodhpur

Mr. F.K. Kapil, Secretary, Jaya Kapil Poort Nyas, Pakon Ka Bas, Jodhpur

Dr. Raju Ram, V & P Rarod, Via Asop, Jodhpur

Mrs. Kamla Jain, 26, Sharda Nagar, Near Bohra Ganesh Temple,
Udaipur

Mrs. Pawan Maru, C/O Manish Agency, Kala Khet, Mandsore,
Mandsore (M.P.)

Mrs. Shashi Kala, C-71, Dharam Narayan Ka Hatha, Paota, Jodhpur

Prof. G.S.L. Devra, 10 G 8, 'Parijat', SFS Mahaver Nagar, Extn.III,
Kota

Prof. V.K. Vashishtha, 195-B, University Marg, Bapu Nagar, Jaipur

Prof. Nilima Vashishtha, 195-B, University Marg, Bapu Nagar, Jaipur

Dr. Usha Shah, Govt. College Pali, Pali-Marwar

Dr. Shobhagya Goyal, C/O Ram Goyal, Advocate, H.M. Mohalla, Ghaseti
Bazar, Ajmer

Dr. Hukum Chand Jain, 19, Basant Vihar Special, Kota

- Prof. K.G. Sharma, Deptt. Of History, University Of Rajasthan, Jaipur
Mrs. Tara Jain, W/O U.C. Jain, G-34, Shastri Nagar, Jodhpur
Dr. Seema Garg, Opp. 107, Vallabhbari, Kota
Dr. Usha Vyas, 1 Gha Sabarmati Clny., Kota
Mrs. Nidhi Sharma, D-299, Ktps, Sakatpura, Kota
Mrs. Seema Gupta, A-9, Gayatri Vihar, Police Line, Kota
Dr. Karuna Joshi, 150, Pwd Quarter, New Colony, Dungarpur
Dr. Shankar Goyal, 41, Sardar Club Scheme, Jodhpur
Dr. Anila Purohit, 'Kamla Kunj', 5th D/76, Hudgo, J.N. Vyas Colony,
Bikaner
Dr. Meghna Sharma Paliwal, Asst. Prof. Deptt. Of History, Maharaja
Ganga Singh University, Bikaner
Dr. Neelam Sharma, Near Water Works, Old City, Kishangarh
Dr. Satish Kumar Trigunayat, B 48 A, Jawahar Nagar, Bharatpur
Dr. Pushpa Dullar, 52- Arvind Niwas, Banasthali Vidyapeeth, Basasthali
Ms. Urmila Parihar D/O Shri Mool Chand, Behind Adarsh Vidya
Mandir, Sheoganj, Sirohi
Dr. Alok Kumar Gupta, Lecturer In History, R-398, Padam Vilas,
Bharatpur-321001
Dr. Sharda Sharma, E-47, Khaturia Colony, Bikaner
Dr. Meenakshi Sharma, Shri Ram Swaroop Bohra, 12- Inder Nagar,
Sunderwas, Udaipur
Ms. Iti Mograkaran Singh Mogra, C/O Phool Chand Mehta, 382/B, Ashok
Nagar, Moksh Marg, Udaipur
Dr. Neelam Gaur, Near Govt. Hospital, Von Girls College, Hanumangarh
Town
Dr. Anita Kwadia, Meera Girls College, Udaipur
Ms. Pratibha, A-342, Chandvardai Nagar, Ajmer
Dr. (Mrs.) Nirmal Kashyap, House No. 30, Type III, MD university,
Rohtak
Dr. Sushila Shaktawat, 21 Ghati magri, Penariyon ki Madri, Holi Chowk,
Udaipur
Avinash Parek, Savitri Villa, Kishan Hostel, Sardarsaheer, Churu
Dr. Aashish Chouhan, Aashish Sadan, Godon Ka Chowk, Jodhpur
Ms. Shikha Choudhary Charan Singh Girls Hostel, Tilak Nagar, Bikaner
Dr. Anju Suthar, 3/46, New Officer's Colony, Opp. Police Line, Barmer
Mahendra Chudhary, Stadium Road, Nehru Nagar, Barmer
G.S. Gupta, 4/267, Malviya Nagar, Jaipur-302017

Dr. Dinesh Bhargava, R-399, Padam Villa, 1 G.P. Office, Bharatpur-321001

Sowrabh Sharma, 8-Bapuji Marg, opp.State Motor Garge, 22-Gogam, Jaipur-01

Kailash Songara, 2 Sa 35, UIT Colony, Pratap Nagar, Jodhpur

Om Prakash Bhati, D-137, Kirti Nagar, P.Mandore Mandi, Jodhpur

Dr. Aruna Soni, 'Aashirwad', Near Ladnun Bus Stand, Naya Bas, Sujangarh

Dr.Mukesh Harsha, Harsho ka Chowk, Bikaner

Dr. Mahendra Purohit, Joshiwada, Bikaner

Dr. V.N. Singh, South Extn. Pawanpuri, Bikaner

Rajshekhhar Purohit,3/18, Mukta Prasad Nagar, Bikaner

Dr. Jagdish Narayan Ojha, Barah Guward Ka Chowk, Nahtaniyo ki Saray Ke Pas, Bikaner

Mrs. Champa Agarwal, Sona Devi Sethia Girls' College, Sujangarh

Dr. Prabhat Swami, N.M.P.G. College, Hanumangarh

Gyarsi Swami, Vill.Tedi via Jaswantgarh, T.Ladanun, Nagaur

Dr. Nayna Acharya, 72-Amarnath Bhawan, opp. M.G. Hospital, Jodhpur

Mrs. Sonal Purohit, C/o Sunil Bora, Near Tapi Baori, Nathawaton Ki Gali, Jodhpur

Dr. Nidhi Srivastava, Sona Devi Sethia Girls' College, Sujangarh

Dr. Vikram Singh Gundoj, 160, Teacher's Colony, Chopasani, Jodhpur

Mrs. Santosh Vyas, Principal, Sona Devi Sethia Girls' College, Sujangarh

Ms. Asha Bhargava, Vice-Principal, Sona Devi Sethia Girls' College, Sujangarh

Dr. Anju Jain, w/o Jatan Kumar Jain, Mertawari, Nagaur

Mrs. Darshana Joshi, Rai Bahadur Gali, Daga Chowk, Bikaner

Dr. Pradeep Singh Rathore, Govt. College Dhorimanna, Barmer

Ms Rashami Meena, Asst. Prof., Department of History, JNV University, Jodhpur

Nand Kishore Bhutra, Jaiselmerion ki Gali, Navchowkiya, Jodhpur

Dr. T.V.Vyas, Nathawaton ki Bari, Near Nyon-ka-Bar, Navchowkiya, Jodhpur

Dr. Anil Purohit, 21/143, Chopasni Housing Board, Jodhpur

Dr. Sadhna Meghwal, W/o Dr. B.R. Meghwal, IPS, JH-7, Bhaghat ki Kothi Extn. Scheme, Jodhpur

Dr. Sajjan Poswal, 97-A, Gali No. 3, Krishna Nagar, Bajrang Nagar, Kota

Vijesh Gandhi, Foz-ka-Bada, Dungarpur-314001

- Ms Anuradha Srivastava, Govt. Girls College Pali, Pali
Rajni Sharma, C-211, Gautam Marg, Hanuman Nagar, Jaipur
Dr. Pushpa Sharma, 1262/12, Near Durga Temple, Shastri Nagar,
Krukhshetra
Dr. Ramji Lal Kohli, Aman Vihar, Behind Gas Godam, Dausa
Dr. Sunita Mehta, C/o Rakesh Mehta, C-3, Sir Pratap Colony, 5-Batti
Circle, Ratanada, Jodhpur
Ms Nirmala Meena
Savita Choudhary
Reenu Meena, 85, Bhagwati Nagar 1st ,Kartarpura, Jaipur
Dr. Preeti Sharma, 4, Vivekanand Niwas, Banasthali Vidyapeeth,
Banasthali
Dr. Sulekha Shekhawat, opp. Khuchaman College, 13 Venkatesh Nagar,
Kuchaman City
Dr. Neekee Chaturvedi, 3-Da-14, Jawahar Nagar, Jaipur-302004
Dr. Manju Gupta, 24/59, Swarn Path, Mansarowar, Jaipur
Dr.(Mrs.) Vibha Upadhyaya, B-38, Prabhu Marg, Tilak Nagar, Jaipur-
04
Mrs. Bindu Tiwari, Deptt. Of History, SD Govt. College, Beawar
Dr. D.P. Goswami, 131, Shastri Nagar, Beawar Road, Ajmer
Mrs. Minakshi Deviratam, 2, Virendra Nagar, Near Mandore, Jodhpur
Dr. Ravindra Tailor, 79-B, Munot Nagar, Out Side Nehru Gate, Beawar
Virendra Sharma, 54-A, Jawahar Nagar, Near Glass Factory, Tonk
Road, Jaipur
Dr. Anita Surana, D-19-B, Meera Marg, Bani Park, Jaipur-302016
Dr. Anuradha Mathur, C/o Mukesh Bhargav, F/5, Gandhi Nagar, UIT
Colony, Ajmer-305001
Dr. Smita Mishra, 284- Arya Nagar, Scheme No.1, Alwar-301001
Dr. Rakesh Kumar Sharma, E-327, Ambedkar Nagar, Alwar-301001
Dr. Satyendra Sharma, H-30, Shastri Nagar, Meerut City(U.P.)
Mrs. Meera Ambesh, D-79, Hasan Khan Mewat Nagar, Alwar-301001
Dr. Tafique Hussain, E-26, Civil Line, Shriganganagar-355001
Surendra D.Soni, Lecturer in History, C/o Prem Khandelwal, Advocate,
Shiv Mandir, Naya Bas, Churu 331001
Dr. Jyotsana Vyas, Plot no. 150, Patrakar Colony, NPH Road, Jodhpur
Dr. B.N.Benjamin, 934, Faith Cottage, 9th D Road, Sardarpura, Jodhpur
Yogwati Pareek, 2243-A, Sec-3, Faridabad-121004
Dr. Alpanas Dubhashe, III, Ganga Nagar, AB Road, Dewas (M.P.)

- Rajesh Panwar, C/o Ambica cosmetics, Shop No. 271, Ganpati Plaza,
KEM Road, Bikaner
- Sushil Kumar Moyal, Near Ramdeo Temple, Outside Jassusar Gate,
Bikaner
- Gopal Krishna Vyas, Near Samta Bhawan, Chabili Ghati, Bikaner
- Dr. K.R. Motsara, Kamla Sadan, Sir Chotu Ram Marg, Maharaja
Jhujarmal Nagar, Hanumangarh Road, Sangaria
- Dr. Tamanna Singh, Kamla Sadan, Sir Chotu Ram Marg, Maharaja
Jhujarmal Nagar, Hanumangarh Road, Sangaria
- Dr. Shilpa Mehta, R-4, AbhayBagh, Sardarpura, Udaipur
- Dr. Ambika Dhaka, H.No. 67, Bajrang Niwas, Near Durgapura Ral.
Station, Jaipur
- Rakesh Kumar Yadava, VPO- Sirohe, The. Khetri, Jhunjunu
- Dr. Pranay Dev, 2 D 23, Housing Board Colony, Jhalawar
- Sunita Sawmi, Swami Mohalla, Inside Jasussar Gate, Bikaner
- Sharmila Swami, 6 B 04, JNV Colony, Bikaner
- Dr. Suman Dhakha, 224, Dr. Rajendra Prasad Nagar, Near Rani Sati
Nagar, 200 Feet Bypass, Ajmer Road, Jaipur
- Dr. Archana Kalra, 56, Pratap Nagar Colony, Near Glass Factory, Tonk
Road Jaipur
- Shri Harphool Singh, H.No. 67, Bajrang Vihar, Near Durgapura Rly.
Station, Jaipur
- Dr. Rahul Tripathi, 94/4, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur
- Meena Bhaskar, VPO- Ghassu via Khudi Badi, Sikar
- Sukharam, C/o H.R. Choudhary, 23, Lavkus Nagar 1st , Tonk Fatak,
Jaipur
- Dr. Kulwant Singh Shekhawat, A-17, Marudhar Vihar, Khatipura, Jaipur
- Mahendra Jalwaniya, 23/29, Chopasani Housing Board, Jodhpur
- Dr. Vishnu Prasad Sharma, Plot no.4, Patel Nagar, Gopalpura Bypass,
Jaipur
- Dr. Vidhi Sharma, 7, Janakpuri II Exetension, Imli Fhatak, Jaipur
- Smt. Rekha Jorwal, ARG-40, Near Collector Residence, Alwar
- Dr. Rakhi Yadav, B-2/493, Chitrakoot Scheme, Jaipur
- Jayantilal Khandelwal, 634 B, Brkat Nagar, Tonk Fhatak, Jaipur
- Dr. Sangeeta Sharma, B-141, Kirti Nagar, Near Gopalpura Bypass,
Jaipur
- Dr. Anuradha Rathore, A-5, Shastri Nagar, Opp. SBI, Jaipur
- Rajesh Arya, Plot no.-147, Shripuram Colony, Gurjar ki Thadi, New
Sanganer Road, Jaipur

- Dr. Alok Kumar Chaturvedi, 82/139, Near Giri Marg, Mansarovar, Jaipur
Dr. Gyaneshwar Meena, Ganesh Colony, Udai Mode, Gangapur City,
Swaimadhapur-322201
Rajeshwari Devi Rathore, HH's Flat No. 5, C Scheme, Tilak Marg,
Jaipur
Mrs. Sarika Kaul, 408, Ground Floor Lane No. 2 Raja Park, Jaipur -
302004
Dr. Ankan Garg, 41/6 Near Varun Parth, Mansarovar, Jaipur - 302020
Dr. Geeta Singh, 44, Vardhaman Nagar-B, 200 Feet Bypass, Ajmer
Road, Jaipur
Ms Twinkle Sharma, Lecturer History, Govt. Lohiya College,
Dr. Kalpana Sharma, 2 CH 14, Sector 5, Shanti Nagar, Hiran Magri,
Udaipur
Kamal Singh Kothari, Kothari Sadan, Chacha Nehru Marg, Behind The
Fort, Churu-331001
Dr. Tarun Pratap Yadav, 307, Pragati Nagar, Nagla Battu Road, Meerut
Dr. Amrita Choudhary, E-205, Shiv Park, Amba Bari, Jaipur
Dr. Jeewan Singh Kharakwal, 18, Prem Nagar, C Block, Near Arihant
Vatike, Roop Sagar Road, Udaipur
Rahul Pareek, Ward No.13, Cheta Kheri, Chhapar, Churu
Dr. Madan Lal Meena, Bagwala Kuwan, P.Hasampur, T.Neem-ka-
Thana, Sikar
Dr. Vineet Godhal, Agrasena Colony, Opp. BPRV Mandir, Near Power
House, Delhi Darwaja, Kotputli, Jaipur
Bhagwan Singh Sekhawat, 70-71 Shiv Shakti Nagar, Out Side
Mahamandir 3rd Pole, Paota, Jodhpur
Bhawani Singh Rajpurohit, In Side Siwanchi Gate, Jodhpur
Dr. Suresh Kumar Choudhary, A-4, Krishna Nagar, New Pali Road,
Jodhpur
Bharat Deora, III /B, Sector-2, University Staff Colony, Residency Road,
Jodhpur
Lalit Kumar Panwar, III/F-19, Sector-2, University Staff Colony,
Residency Road, Jodhpur
Dr. Peeyus Bhadviya, D-16, Adarsh Nagar, University Road, Udaipur
Dr. Harish Chandra, 311, Ashapura Valley, Near New High Court,
Pali Road, Jodhpur
Dr.T.C.Bairawa, 22 Mahaveer Nagar II, Durgapura, Jaipur

Members

- Bhagwana Ram, VPO 2 TTD (Thethar), Tehsil Suratgarh, District Sriganga nagar-335804
- Pramod Kumar, V.Bhagwan, P. Deidas, T.Nohar, District-Hanumangarh
- Rajendra Kumar Verma, Ward No. 14, 4 JSD Jaitsar, Srivijyannagar, Sriganganagar-335702
- Dr. Krishna Kant Sharma, 65/1, Panchasheel Colony, Gali No. 08, Garh Road, Meerut
- Ms Kavita Sharma, V&P Shailli Kheeratpur, Barabanki (U.P.)
- Abhiranjan Kumar, RZ-D-119, Ground Floor, 30 feet road, Sitapuri, Part I, New Delhi-110045
- Dinesh Kumar, 102, Kapoorthala, Civil Lines, Lakhimpuri-Kheri (U.P.)
- Ms Zahida Shabnam, C-257, Hans Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302017
- Sudha Arya, S-2, Veenita Enclave, Sec-03/50, Chhitrakoot, Jaipur
- Dr. Shahanshah, H.No.04 -Chch-37, Vigyan Nagar, Kota
- Dr, Narsingh K. Pardeshi, 30 VeerSavarkar Nagar, pimprala,Jalgaon, Maharastra
- Dr. Manoj Sharma, 27, Vijay Bari, Path no.04, Dher Ka Balaji, Jaipur
- Persis Lotika Dass, Joyce Villa, 10 Domes Compound, Jaipur Road, Ajmer
- Sunita Kumari, Gautam Buddha-1211, Banasthali University, Banasthali
- Dr. Shailesh Tomar, H.No. 7/705, Shanti Puram, GAlI No. 03, Nehru Road, Baraut (U.P.)
- Suresh Chandra Jangid, 1476, Harchand Lala Ka Rasta, Subhash Chowk, Jaipur-302002
- Rao Ganpat Singh , Kanakgarh, V&P. Chitalwana, Via Sanchore-343041
- Dr. Rajendra Singh A. Rathore, A/304, Devnandan Home,Chandkheda, Ahmedabad, Gujarat-382424
- Dr. Manisha Parmar, A/304, Devnandan Home,Chandkheda, Ahmedabad, Gujarat-382424
- Dr. Namami Shankar Acharya, Kote Gate, Inside Joshiwada, Bikaner
- Dr. Hansha Swami, Inside Jassusar Gate, Bikaner
- Dr. Udai Singh Deora, 124, Adarsh Nagar, Sirohi

- Nirmala Daiya, Rajeev Nagar, Sector A, Near BJS, Jodhpur
Yasvir Singh, Near Satyam Dharam Kanta, Old Jhajjar
Road, Ch. Dadri, Haryana
- Urmila Sharma, 23, New Mordern Complex Bhuwana, Udaipur
Dr. Deva Ram, Government Bangur College, Pali
Dr. Kumar Ram Krishna, B-176, Jawahar Park, Devli Road, New
Delhi-110062
- Rakesh Kumar Dubey, H.No.168, Nehiyan, Varanasi (U.P.)
Pankaj Chandak, opp. Soni Building, Nehru Nagar Barmer
Meenakshi, 9, UIT Colony, Jhanwar Road, CHB, Jodhpur
Ms Kanika Bhanot, IB-25, JN Vyas Colony, Bikaner
Prof. Shiv Kumar Bhanot, IB-25, JN Vyas Colony, Bikaner
Dr. Hemendra Choudhary, 17-18, Madav Colony, Kalki Mate Road,
Udaipur
- Dr. Rajendra Nath Purohit, C/o V-5/45, Vrandavan Nagar, Bohra
Ganesh, Udaipur
- Dr. Priya Darshi Ojha, 2/2 ShivNagar, opp. SBI Bank, South
Sunderwas, Udaipur
- Vikram Jha, A-23, Kusum Vihar, Jagapturup
Manoj Kalyana, Flat No. R-204, Radhey Krishna Apartment, Sector-
4, Udaipur
- Dr. Perna Maheshwari, A-20, Karni Nagar, Pawanpuri, Bikaner
Dr. Asho Gadi, Shiv Marg, V&P Dabla-345001
Zafar Ullah Khan, Ploto. 42-43, Sharwati Bhawan, Jager School,
Near Udhyog Nagar, Jholowara, Jaipur
- Dr. Narah Narayan Singh Rai, Department of History, Maharaja
Ganga Singh University, Bikaner
- Ms Soniya Sharma, Quarter No. 57, Chankya Nagar, Lal Sagar,
Jodhpur
- Nitin Goyal, 17-C-Block, Near Mata Gosari School, Raisingh Nagar,
Sriganganagar
- Vinod Kumar Poonia, AB-75, Nirman Nagar, Near DCM, Ajmer
Road, Jaipur
- Dr. Girija Shankar Sharma, Near Alakh Sagar Well, Bikaner
Dr. Meenakshi Khangarot, 2, Gopal Marg, Mandore, Jodhpur
Mohammad Farooq Chouhan, Jagman Well, Inside Kasaiyon ki Bari,
Bikaner-334005
- Mrs. Rajni, 29 Ashok Marg, Savitri Chouraha, Ajmer

- Anurag Vijay, Research Scholar, Govt. College, Kota
Dr. Rajendra Kumar, 5-KH-16, Duplex Colony, Bikaner
Vikram Singh Amrawat, MD GramSewa Mahavidyalaya, Sadra-382320, Gujarat
Dr. Asif Hussain, Behind Talkies, Choti Sadri, District-Pratapgarh
Dr. Sanjay Kumar, Near Pandey Nursery, Pushkar, District-Ajmer
Ankush Arora, House No.1535/38, Adarsh Nagar, Ajmer
Bhavik Kumar Lombhai Chavada, M D Gram Sewa Mahavidyalaya, Sadra-382320
Dr. Indra Vishnoi, 25 Civil Lines, Bikaner
Dr. Bhanwar Singh, Krishna Kunj, CC Road, Indra Colony, Barmer
Dr. Santosh Kumar Gadhveer, AD-7, Mahveer Nagar, Barmer
Dr. Dileep Kumar Garg, A-165, Jawahar Nagar, Bharatpur
Dr. Anil Kumar Verma, 20 Deep Nagar, Khondari, Agra
Dr. Shanta Rani Sharma, 402/III, Kirti Apartment, Mayur Vihar Etn. Delhi
Dr. Rajesh Kumar, Deputy Director (Research), ICHR, 35, Ferozshah Road, New Delhi
Dr. Sumestha, C/o Dr. Rajesh Kumar, ICHR, 35, Ferozshah Road, New Delhi
Jayanti Kumar Jakhar, 34, Asha Vihar, Ajmer Road, Jaipur
Professor K.L. Mathur, 17E/384, C.H.B., Jodhpur
Dr. M.R.Gadhveer, Behind College, Mahaveer Nagar, Barmer
Rajendra Kumar Shah, 108/35, Dadhich Nagar, O/s Mahamandir, Jodhpur
Vimal Kumar Koli, Main Market, Laxman Garh Road, Kathumar, Alwar
Dr. Phool Singh Sahariya, E-195, Ambedkar Nagar, Alwar
Neeraj Kumar Mahavar, Raj Bajar, Near High School, Ward No.11, Bandikui, Dausa
Dr. Balveer Choudhary, 31-32, Vakil Colony, Near RTO Office, Jodhpur
Dr. Rachna Chaitanya, C-233, Saraswati Nagar, Jodhpur-342005
Ms Kanchan Lawaniya, Department of History, AMU, Aligarh
Rajesh Babu, C/o S.L.Meena, Department of Physics, JNVU, Jodhpur
Dr. Khakhu Ram Genwa, V&P Roopsi, Jaisalmer
Kamlesh Gagarh, Govt.College Pali, Pali

- Dinesh Kumar, 42, Hisar Road, Bahu Mandi, Haryana
Achala Ram Choudhary, K.D. College, Guda Malani, Barmer-344031
Dr.Chandra Shekhar Kachawaha, Govt. Dungar College, Bikaner
Dr.Pukhraj Arya, 9/350, C.H.B., Jodhpur
Dr.Shobhag Mathur, Opp. Nehru Park Main Gate, Sardarpura,
Jodhpur
Khevara Ram, C/0 Shri G.R. Choudhary, B-37, Krishna Nagar,
Jodhpur
Dr. Harish Kumar, 42, Mahaveer Colony, Near K B School, Jaliya
Road, Beawar
Anil Marmit, Village Parlia, Post Kundi, Tehsil Atru, District Barmer
Maroof Ahmed, 35 A, III flooe, Bharat Nagar, New Delhi-25
Dr.Pratibha Shankhala, F-1, Vardhaman Colony, Golf Course
Scheme, Jodhpur
Hema Rajak, Mardul Vihar, House No.106, Vikas Nagar, Indore
Ghanshyam Deora, 121, Fateh Bagh, Mandore, Jodhpur
Ms Veena, AD-7, Mahaveer Nagar, Barmer
Gyanchand, Ad-7, Mahaveer Nagar, Barmer
Satya Narayan Sharma, G-71 B, Shastri Nagar, Jodhpur
Dr.K.N. Vyas, Banawaton Ki Gali, Jalap Mohalla, Jodhpur
Prof.Pushpinder Kaur Dhilllo, H.No.4288, Phase -2, Urban State,
Patiala
Prof.Kulbir Singh Dhillon, H.No.4288, Phase -2, Urban State, Patiala
Dilip Kumar, Devidas STD, Near Patwar Ghar, V&P
Tinwari, District Jodhpur
Professor Neelam Kausik, Dept. of History & Culture, M.L.V.
Shramjivi College, Udaipur
Mamta Chouhan, H-185, UIT Colony, Pratap Nagar, Jodhpur
Dr. Natwar Lal Mathur, 276 Shiv Phool Sadan, K.N.Nagar, Jodhpur
Ms Nusrat Yasmeen, I-24, Muradi Road, Batla House, Jamia Nagar,
New Delhi
Dr.Shilpi Gupta, 702, Ramnarayan Awasi, Banasthali Vidyapeeth,
Banasthali
Hemant Meena, Hemant Bhawan, Jannat BHawan, Newai, Tonk
Pooja Negi, A-158, Mahesh Nagar, Jaipur
Dr. Asha Kumari Singh, 111, Ramkrishna Niwas, Banasthali
Vidyapeeth, Banasthali

Shyamlal, Ashik Colony, Gali No.02, Ram Sagar, KMU, Jodhpur-342007

Dr. Tej Singh Mawai, H/A Anuchhaya Colony, BhaBha Nagar, Rawatbhata, Kota

Dr. Vijay Singh Mawai, Circuit House Road, Aml Mod, Sanjay Colony, Sawaimadhopur

Ms Pooa Luliwal, 5, University Teacher's Flat, Near PWD Office, Jodhpur

Suraj Soni, Near Teja Temple, Maderna Colony, Jodhpur

Dr. Anshul Sharma, D-2, Ganesh Marg, Bapu Nagar, Jaipur

Deepak Choudhary, A-58-59, Nand Puri Colony, Jaipur

Mamta Yadav, A-58-59, Nand Puri Colony, 22 Godown Jaipur

Ram Ratan Latiyal, Village Khakarki, Tehsil Merta City, Nagaur

Dr. Ranjeet Singh Chouhan, 7 H 31, Kudi Bhagtasani, Jaipur

Rukhamani, F-1/7, west Patel Nagar, Circuit House Road, Jodhpur

Ram Chandra, F-1/7, west Patel Nagar, Circuit House Road, Jodhpur

Dr. Jagruti Upadhyaya, 128, Madhu Kunj, Nehru Park, Sardarpura E Road, Jodhpur

Dr. Mamta Rokana, 165, Gayatri Nagar-I, Maharani Farm Durgapura, Jaipur

Dr. Manisha Choudhary, Department of History, Delhi University, Delhi

ISSN 2321-1288

RAJASTHAN HISTORY CONGRESS

RAJHISCO



PROCEEDING VOLUME XXIX

MAHILA P.G. MAHAVIDYALAYA,
JODHPUR

NOVEMBER - 2014

Editorial Board takes no responsibility for inaccurate misleading data, opinion and statement appeared in the articles published in this Proceeding. It is the sole responsibility of the contributors. No part of this Proceeding can be reproduced without the written permission of the Secretary, who also holds the copyright © of the 'Proceeding Rajasthan History Congress'.

- ❑ *Published by :*
Prof. S.P. Vyas
Secretary, Rajasthan History Congress
Department of History
J.N.V. University, Jodhpur

- ❑ *To be had from :*
Sh. P.M. Mohnot
Hony. Treasurer, Rajasthan History Congress
67, Mahaveer Nagar, Pali

- ❑ ISSN 2321-1288

- ❑ Price :
Rs. 250/- only

- ❑ *Printed at :*
Jangid Computers, Jodhpur

Preface

I feel honoured and proud, to present before the readers and scholars, the proceedings of 29th session, organized by Mahila P.G. Mahavidyalaya, Jodhpur on 8-9 November 2014. In placing the learned, scholarly papers, chronology has been adhered to, as far as possible. A number of papers of outstanding merit were presented in this session, breaking new ground and adding new research areas and elements to the history and culture of Rajasthan.

I extend my thanks to all those who have made the publication of this proceeding possible. I humbly acknowledge the guidance of Prof. P.R. Arya. I appreciate the hard-work and sincere efforts of Dr. Manorama Upadhyaya, Dr. Tejendra Vallabh Vyas, Dr. Anil Purohit, Dr. Jyotsana Vyas, Dr. Ravindra Tailor, Ms. Nayana Acharya in the publication of the proceeding. Thanks are also due to Mr. Bhanwarlal Suthar and Mr. Sunil of M/s. Jangid Computers for the printing of the proceedings.

(Prof. S.P. Vyas)

Secretary
Rajasthan History Congress

सचिव प्रतिवेदन

भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे इतिहास विशेषज्ञ, इतिहास के अध्येता, देवियों एवं सज्जनों। हम सभी के लिये यह अत्यन्त हर्ष का विशय है कि राजस्थान इतिहास कांग्रेस, वर्ष-प्रतिवर्ष विकास को प्राप्त करता हुआ, आज अपने 29वें सोपान पर आ पहुँचा है। 'शेर-ए-राजस्थान' श्री जयनारायण व्यास की जन्मभूमि, कर्मभूमि तथा सूर्यनगरी के रूप में विख्यात, जोधपुर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व 28वाँ अधिवेशन जयपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था। मैं आप सभी के समक्ष 29वें अधिवेशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

दिनांक 08 नवम्बर 2014 को प्रातः 10:30 बजे आयोजित 29वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी.के. लोहरा ने कहा कि राजस्थान इतिहास कांग्रेस के संयोजकों को मैं बधाई देता हूँ क्योंकि आज नवीन इतिहास लेखन की आवश्यकता है। इतिहास हमारी भविष्य की नींव है। हम अपने अतीत को भुलाकर हमारे भविष्य को अच्छा नहीं बना सकते। इतिहास हमें भविष्य के लिए तैयार करता है।

इससे पूर्व 28वें अधिवेशन के अध्यक्ष प्रो. एस.एन. दुबे ने प्रो. इनायत अली जैदी को अध्यक्ष पद सौंपा। प्रो. इनायत अली जैदी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में राजस्थान एवं मुगल भारत के समवर्ती विकास पर प्रकाश डाला।

यह मेरे लिये अत्यन्त गर्व का विषय है कि इस भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 250 प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रथम तकनीकी सत्र का आयोजन 'प्रो. गोपीनाथ शर्मा स्मृति व्याख्यान' के रूप में हुआ। मुख्य वक्ता प्रो. मनोहरसिंह राणावत ने रघुवीर पुस्तकालय में प्राप्त राजस्थानी ऐतिहासिक हस्तलिखित ग्रंथों एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्थान में स्थित फारसी हस्तलिखित ग्रंथों, मुगल स्रोतों, राजस्थानी ख्यातों, बातों, वंशावलियों में अवस्थित ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण सामग्री का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। दो दिवसों में कुल नौ तकनीकी सत्र आयोजित किये गए जिनमें राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति के विविध आयामों, स्रोतों तथा नवीन क्षेत्रों पर गहनता से चर्चा की गई।

दिनांक 9/11/2014 को दोपहर 12:45 पर आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये :-

1) सर्वप्रथम जयपुर में आयोजित 28वें अधिवेशन के प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सचिव प्रो. एस.पी. व्यास तथा समिति सदस्यों द्वारा डॉ. के. जी. शर्मा तथा समस्त सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

2) समिति सदस्यों द्वारा 28वें अधिवेशन के अध्यक्ष प्रो. एस.एन. दुबे के प्रति हार्दिक आभार प्रकट किया गया तथा करतल ध्वनि से 29वें अधिवेशन के अध्यक्ष प्रो. सैयद इनायत अली जैदी का स्वागत किया गया। समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उनके अध्यक्षीय उद्बोधन को सराहा गया।

3) 28वें अधिवेशन की समिति बैठक में डॉ. सुरेश अग्रवाल द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि राजस्थान इतिहास को केन्द्र में लाने हेतु 'हेरिटेज ऑफ इंडिया विद् स्पेशल रेफरेन्स टू राजस्थान' को राजस्थान के कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यक्रम के रूप में लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था।

29वें अधिवेशन की कार्यकारिणी समिति ने डॉ. सुरेश अग्रवाल को अधिकृत करते हुए कहा कि वे प्रस्ताव बनाकर कार्यकारिणी सदस्यों को भेजें तथा सदस्यों को यदि आवश्यक लगे तो वांछित संशोधन कर सचिव के माध्यम से उसे सरकार तक भिजवाया जाए। प्रो. इनायत अली जैदी द्वारा इस प्रस्ताव को सराहा गया।

4) राजस्थान की पुरा सम्पदा की रक्षा हेतु प्रस्ताव लाया गया। प्रो. बी.एल. उपमन्यु ने कहा कि जिस किसी व्यक्ति को कोई पुरासंपदा दिखे, वह तत्काल प्रभाव से इसकी सूचना भारतीय पुरातत्व विभाग को प्रेषित करे अथवा राष्ट्रीय अभिलेखागार को सूचित करे।

इस संबंध में डॉ. मीना गौड़ का प्रस्ताव था कि सदस्य इसकी सूचना कार्यकारिणी अथवा सचिव-कार्यालय को प्रेषित करे ताकि आधिकारिक रूप से इसकी सूचना तत्संबंधी विभाग को दी जा सके।

डॉ. शशि देवड़ा ने यह प्रस्ताव रखा कि सूचना राज्य अभिलेखागार, बीकानेर को दी जावे तथा इसकी घोषणा जनरल हाऊस में कर दी जावे।

5) सभी सदस्यों का यह प्रस्ताव था कि शोध-पत्र किसी भी अधिवेशन के पूर्व प्राप्त कर लिये जावें तथा प्रत्येक सदस्य को इस बात हेतु बाध्य किया जावे कि वह समय पर अपना शोध-पत्र भेजे। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक सदस्य का यह उत्तरदायित्व हो कि वह पता बदलने की सूचना अनिवार्य रूप से सचिव-कार्यालय को देवे अथवा राजस्थान इतिहास कांग्रेस की वेबसाइट पर प्रेषित करे। प्रत्येक सदस्य अपना ई-मेल आई.डी. भी प्रेषित करे ताकि सम्पर्क आसान हो सके।

6) समिति सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि इस अधिवेशन में प्रो. जैदी द्वारा स्क्रीनिंग के अपनाये गये तरीकों को अगले अधिवेशन से लागू किया जाये। प्रो. शशि देवड़ा ने कहा कि पत्र-प्रस्तुतिकरण के समय ही सत्र अध्यक्ष उस पर छपने योग्य है अथवा नहीं, ऐसी टिप्पणी लिखें तथा यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता हो तो इस आशय का उल्लेख भी किया जाये। प्रो. विनीता परिहार ने यह सुझाव दिया कि युवा शोधार्थियों को आधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

7) डॉ. एस.पी. व्यास द्वारा अधिवेशन दिवस को दो दिवसीय की जगह तीन दिवसीय करने का प्रस्ताव रखा गया किन्तु प्रो. मीना गौड़ तथा प्रो. विनीता परिहार का यह सुझाव था कि इसके स्थान पर सत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाये। प्रो. शशि देवड़ा का यह मानना था कि सत्रों में युवा शोधार्थियों को अधिक समय दिया जावे जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले।

8) राजस्थान इतिहास कांग्रेस हेतु स्थाई भवन पर परिचर्चा की गई। डॉ. अनिला पुरोहित का प्रस्ताव था कि इस हेतु सांसद कोटे से सहायता ली जाये।

प्रो. एस.पी. व्यास का यह सुझाव था कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति तथा सिंडीकेट सदस्यों से इस संबंध में बात कर विश्वविद्यालय परिसर में भूमि मांगी जावे तथा अन्य स्थान से अनुदान प्राप्त कर ऑफिस-कक्ष का निर्माण किया जावे। यह परिसंपति विश्वविद्यालय की रहेगी। समस्त सदस्यों ने इस हेतु प्रयास करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

9) 30वें अधिवेशन हेतु प्रो. एस.पी. व्यास द्वारा प्रो. शीरिन मूज़वी का नाम प्रस्तावित किया गया। समिति सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति अथवा इतिहास कांग्रेस से जुड़ावे लिये हुए हो। इसके बाद प्रो. ठाकरान, प्रो. प्रतिभा जैन तथा प्रो. बी.एस. गुप्ता के नाम पर विचार किया गया। सर्वसम्मति से प्रो. ठाकरान के नाम पर सहमति हुई तथा उनकी अस्वीकृति की स्थिति में प्रो. प्रतिभा जैन को अध्यक्ष बनाने हेतु पत्र भेजा जाये।

10) 30वें अधिवेशन को आयोजित करने का प्रस्ताव प्रो. मीना गौड़ ने (सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर) रखा। इस हेतु उन्हें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से विशेष धन्यवाद दिया गया तथा इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।

11) डॉ. अनिला पुरोहित द्वारा स्वर्गीय प्रो. आर.पी. व्यास के इतिहासज्ञ के रूप में तथा राजस्थान इतिहास कांग्रेस को उनके योगदान को देखते हुए उनकी स्मृति में व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। समिति सदस्यों से इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए, सचिव प्रो. एस.पी. व्यास को व्याख्यान हेतु स्कॉलर चुनने हेतु अधिकृत किया गया।

12) 29वें अधिवेशन के सफल आयोजन हेतु प्रो. एस.पी. व्यास, डॉ. मनोरमा उपाध्याय, डॉ. तेजेन्द्र वल्लभ व्यास, डॉ. अनिल पुरोहित तथा महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया उनके प्रयासों की सराहना की गई।

अन्त में कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष प्रो. इनायत अली जैदी के प्रति आभार प्रकट किया गया।

दिनांक 9 नवम्बर, 2014 को आयोजित हुए समापन-समारोह के मुख्य वक्ता प्रो. जी.एस.एल. देवड़ा का हृदय से आभारी हूँ कि आपने शोध में किन तत्त्वों की आवश्यकता है तथा शोधार्थी किस प्रकार का सृजन करें, इस पर प्रकाश डालकर हम सभी को नवीन दिशा प्रदान की है। साथ ही राजस्थान इतिहास कांग्रेस को समुन्नत बनाने हेतु आपने जो सुझाव दिये हैं, उनके पालन का हम प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ।

मैं डॉ. मनोरमा उपाध्याय को एक अत्यधिक सफल आयोजन हेतु अपना आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही डॉ. तेजेन्द्र वल्लभ व्यास, डॉ. अनिल पुरोहित, सुश्री नयना आचार्य, डॉ. ज्योत्सना व्यास, सुश्री मंजु चौहान, सुश्री डिम्पल प्रजापत तथा महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण को बधाई देता हूँ कि आप सभी के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप ही इस 29वें अधिवेशन का सफल आयोजन संभव हो सका है। मैं महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर की प्रबंध समिति एवं संचालन समिति के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

प्रो. एस.पी. व्यास

सचिव,

राजस्थान इतिहास कांग्रेस

अनुक्रमणिका

1.	Presidential address by Dr. Inayat Ali Zaidi	...	1
2.	Professor Gopinath Sharma Memorial Lecture Rajasthani Historical Manuscripts in Raghubir Library & Their Historical Importance -Dr. Manohar Singh Ranawat	...	25
3.	The Pichhavaais of Nathdwara : History and the Present -Suresh Chandra Jangid	...	41
4.	Wells: Some Reflections on the lifeline of desert state -Nitin Goyal	...	45
5.	Socio - Religious Aspects Gleaned From Inscriptions of Parmaras of Bhinmal -Dr. Yasvir Singh	...	53
6.	Parables in the Kuvalayamala of Uddyotana Suri, the Jaina Preceptor par excellence -Shanta Rani Sharma	...	57
7.	Zakhirat-ul-Khawanin an Important Source for the History of Rajput Bureaucracy -Prof. Pushpa Sharma	...	63
8.	<i>Garhi</i> : Definition and Significance -Maroof Ahmad	...	67
9.	Religio-Cultural Route from Agra to Ajmer in Mughal India -Dr. Nusrat Yasmeen	...	73
10.	Little Known Omal-Somal Devi Temple at Saledipura -Dr. Ambika Dhaka	...	80
11.	Meera Bai : An Epitome of Spirituality and Women's Liberty for Mahatma Gandhi -Dr. Hukam Chand Jain & Persis Latika Dass	...	85
12.	System of Agricultural Credit in the Territories of Hadouti (C. 1670-1800) -Narayan Singh Rao	...	93
13.	A study of the nature and extent of grazing taxes in Marwar During 18th century -Kanchan Lawaniya	...	103

14.	Efforts for the Rehabilitation of the Peasantry and Proliferation of Agriculture in the Desert State of Bikaner during the latter 18 th and early 19 th Century A.D. -Prof. K.L. Mathur	...	116
15.	Strategy and Defence in India: A Case Study of the Fort of Bharatpur and Its Siege in 1805 -Dr. Anil Kumar Verma	...	126
16.	Opium Policy of the British and the Kotah State -Dr. Nidhi Sharma	...	135
17.	The Pali Plague (1836) and the Preventive Measures -Prof. Vinita Parihar	...	142
18.	Role of Rajasthan's Revolutionary Pratap Singh Barahat in the Freedom Movement of India -Dr. Peeyush Bhadviya	...	147
19.	Socio-Economic Impact of Famines in Ajmer-Merwara during British Rule -Dr. Suresh Chand Agrawal	...	151
20.	Harbilas Sardar – A Standout Performer in the Legislative Arena (1924-1934) -Dr. Ankush Arora	...	158
21.	Walkerkrit Rajputra Hitkarini Sabha in Rajputana States : Objectives, Social Regulations and Impact (1888-1949 A.D.) -Prof. V.K. Vashishtha	...	168
22.	The Ambivalence in Ram Singh's Photographic Feminine Representations -Prof. Preeti Sharma	...	180
23.	Depiction of Rajasthani Folk deities in folk literature -Dr. Jagriti Upadhyaya	...	188
24.	चिह्नित (आहत) मुद्राओं पर सूर्य के स्थान पर श्रीराम का अंकन (प्रचलन काल 600 ईसवी पूर्व से 200 ईसवी पूर्व) —जफर उल्लाह खां	...	197
25.	पूर्वमध्ययुगीन राजस्थान की सामाजिक व्यवस्था के विविध पक्षों का पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत आधारित मूल्यांकन —डॉ. अरविन्द परिहार	...	206
26.	सूत्रधार मण्डन द्वारा प्रस्तुत सरस्वती के द्वादश स्वरूपों का विवेचन —डॉ. दिनेश कुमार	...	210

- | | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 27. | सिद्ध संत जसनाथजी 1482 ई.-1506 ई.
—डॉ. संतोष जैन एवं डॉ. तारा जैन | ... | 214 |
| 28. | सिद्ध जसनाथ जी और जसनाथी-सम्प्रदाय
का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
—प्रो. शिव कुमार भनोत | ... | 218 |
| 29. | पारम्परिक चिकित्सा विधियों में वीर कल्लाजी
(शिव शक्ति धाम, खेरवा गद्दी) का महत्व
—आसिफ हुसैन | ... | 224 |
| 30. | मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थल मोगेराई
—डॉ. भंवरसिंह भाटी | ... | 228 |
| 31. | उमरकोट-जोधपुर सम्बन्ध
—पंकज चाण्डक | ... | 233 |
| 32. | बीकानेर राज्य के केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध, कल्याणमल-
अकबर सम्बन्धों के विशेष संदर्भ में : एक पुनरावलोकन
—सुश्री कनिका भनोत | ... | 239 |
| 33. | मध्यकालीन राजपूताने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था
—डॉ. सुरेश कुमार चौधरी | ... | 249 |
| 34. | मध्यकाल में महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में
बीकानेर के राजवंश की स्मृतियां
—डॉ. नरसिंह परदेसी बघेल | ... | 253 |
| 35. | नैणसी कृत मारवाड़ रा परगनां विगत में कृषि
(परगना पोकरण के विशेष संदर्भ में)
—डॉ. अनिल पुरोहित | ... | 260 |
| 36. | 17वीं शताब्दी में मेवाड़ का साहित्यिक विकास
—डॉ. श्रीमती उषा पुरोहित | ... | 267 |
| 37. | ठिकाना (ग्राम) थाणा (अलवर राज्य के साथ सम्बन्ध)
—डॉ. अंशुल शर्मा एवं दीपक चौधरी | ... | 271 |
| 38. | शहर पनाह : उदयपुर के पोल
—प्रो. मीना गौड़ | ... | 276 |
| 39. | राजस्थान में मंदिर स्थापत्य : ओसियां व आबू के विशेष संदर्भ में
—ममता यादव | ... | 281 |

40.	मेवाड़ का कंठहार : अंबिका मंदिर, जगत के कतिपय वैशिष्ट्य —डॉ. शिल्पी गुप्ता	...	285
41.	सैनिकों की आराध्य देवी-तनोट माता : एक ऐतिहासिक अध्ययन —डॉ. अशोक गाड़ी	...	291
42.	झालावाड़ राज्य का परम्परागत जल संसाधन प्रबन्ध डॉ. प्रणव देव	...	298
43.	मेवाड़ में मुद्राओं का पुनर्गठन - महाराणा स्वरूपसिंह कालीन मुद्राओं के संदर्भ में —डॉ. दिलीपकुमार गर्ग	...	303
44.	पण्डित जनार्दन राय नागर : एक व्यष्टि अध्ययन —प्रो. (डॉ.) उर्मिला शर्मा	...	311
45.	मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा का विकास- शिलालेखों के आलोक में —मोहम्मद फारूक चौहान एवं डॉ. शारदा शर्मा	...	316
46.	सिरोही जिले के प्रमुख शिलालेख —डॉ. उदयसिंह डिंगार	...	325
47.	अलवर राज्य की स्थापत्यकला महाराजा विनयसिंह (1826 ई. से 1857 ई.) के विशेष सन्दर्भ में —डॉ. फूल सिंह सहारिया एवं विमल कुमार कोली	...	330
48.	जयपुर में ताज़ियेदारी की परम्परा एवं इतिहास —ज़ाहिदा शबनम	...	336
49.	जयपुर की मीनाकारी हस्तकला के तकनीकी पक्ष —पूजा नेगी	...	343
50.	बिलाड़ा संग्रह और उसका ऐतिहासिक महत्व —डॉ. नीलम आज़ाद	...	346
51.	मालाणी प्रदेश-एक भौगोलिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य —पुष्पा कुं. भाटी	...	353
52.	महाराजा अभयसिंह के काल का डिंगल साहित्य —डॉ. दिनेश राठी	...	358

53. महाराजा मानसिंह की महारानी तीजा भटियाणी की सरकार तालके
हथ बही में परवाने की नकलें : एक अध्ययन
—डॉ. विक्रमसिंह भाटी ... 363
54. पुरालेखीय अध्ययन में मारवाड़ की
18वीं सदी की कर व्यवस्था
—डॉ. ताराचन्द बैरवा ... 375
55. महारावल के मराठों से सम्बन्ध
—प्रो. नीलम कौशिक ... 384
56. 19वीं शताब्दी की राजनैतिक जानकारियों का स्रोत :
कानोड़ ठिकाने की एक अप्रकाशित पट्टा बही
—डॉ. प्रियदर्शी ओझा ... 395
57. स्वतंत्रता आन्दोलन में भोगीलाल पण्डया का योगदान
(भीलों एवं हरिजनों में जागृति तथा डूंगरपुर प्रजामण्डल
आन्दोलन के विशेष संदर्भ में)
—डॉ. सुखवीरसिंह बैस ... 402
58. राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के दौरान हुए
जन आन्दोलनों के सम्बन्ध में कुछ विचारणीय प्रश्न
—डॉ. गिरिजा शंकर शर्मा एवं डॉ. चेतना मुद्गल ... 410
59. 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राजपूताना में
सामाजिक चेतना का विकास
—डॉ. भरत देवड़ा ... 417
60. प्रवासी भारतीयों की समस्याओं के संदर्भ में अजमेर की
प्रवासी पत्रिका का योगदान
—डॉ. राकेश कुमार दूबे ... 421
61. महाराजा गंगासिंह के काल की शिक्षण व्यवस्था
—डॉ. जगदीश नारायण ओझा ... 426
62. स्वामी गोपालदास और चुरू की पुत्री पाठशाला
—डॉ. योगवती पारीक ... 430
63. दक्षिणी राजस्थान में रचनात्मक कार्यक्रम
(डूंगरपुर-बांसवाड़ा के संदर्भ में)
—डॉ. हेमेन्द्र चौधरी ... 436

64. पश्चिमी राजपूताना में प्रचलित बेमेल-विवाह तथा उन्मूलन हेतु गैर शासकीय प्रयास (19वीं तथा 20वीं शताब्दी)
—डॉ. सुमेष्ठा ... 443
65. आधुनिक राजस्थान की भू-प्रशासनिक व्यवस्था में 'भौमिया वर्ग' का योगदान : अजमेर-मेरवाड़ा के विशेष सन्दर्भ में
—वीरेन्द्र शर्मा ... 457
66. मारवाड़ में कुटीर उद्योग संस्थान (केन्द्र) : एक अध्ययन
—मंजु चौहान ... 464
67. भील जनजाति की सांस्कृतिक विरासत-पर्व एवं त्यौहार
—डॉ. (श्रीमती) दिग्विजय भटनागर ... 474
68. राजस्थान की देशीय बैंकिंग : कार्य प्रणाली एवं ऋणी-ऋणदाता सम्बन्ध में राज्य की भूमिका (1750 ई.-1870 ई.)
—डॉ. कुलवन्त सिंह शेखावत ... 482
69. सुजागनढ़ के गाड़ोलिया लुहारों का सांस्कृतिक विकास
—डॉ. अरुणा सोनी ... 486
70. ओसियां मन्दिरों की शैव मूर्तियां
—डॉ. रवीन्द्र टेलर ... 490
71. राजस्थानी गजल परम्परा : ऐतिहासिक स्रोत
—डॉ. (श्रीमती) अनिला पुरोहित एवं डॉ. (श्रीमती) इन्द्रा विशनोई... 495
72. 18वीं शताब्दी में मारवाड़ में नाप एवं तोल का विवरण- एक अध्ययन
—डॉ. विमलेश राठौड़ ... 500
73. मध्यकालीन जैन शिलालेखों में वर्णित महिलाओं की स्थिति
—डॉ. तेजेन्द्र वल्लभ व्यास ... 504
74. मारवाड़ की रानियों द्वारा निर्मित जलाशय (राणीमंगा भाटों की बही के विशेष संदर्भ में)
—डॉ. ज्योत्सना व्यास ... 509

SUMMARY / सारांश

75. Baba Ramdevpir-Ramshah Pir
—Dr. Manish Parmar & Dr. Rajendra Singh Rathore ... 512

76.	A Historical Overview of Relationship of Rajput and Charan castes in Rajasthan -Dr. Bhanwar Singh Rathore	...	512
77.	Gandhian Strategy and Tactics: An Overview -Vikram Jha	...	514
78.	Rajput Origin of Phulkian States of Patiala, Nabha and Jind -Kulbir Singh	...	517
79.	बीकानेर क्षेत्र में प्रवासी मारवाड़ी समुदाय द्वारा देवालय निर्माण —डॉ. प्रेरणा माहेश्वरी	...	518
80.	मध्यकालीन राजस्थान में शिक्षा व साहित्य का विकास मेवाड़ तथा बीकानेर के सन्दर्भ में —प्रमोद कुमार	...	519
81.	प्राचीन इतिहास में जल एवं जल प्रबन्धन का महत्व —अनुराग विजय, डॉ. एच.सी. जैन एवं प्रो. आर.के.वर्मा	...	520
82.	बीकानेर राज्य के रियासत कालीन सिक्के, मुद्राएं व उनकी विशेषताएं —राजेश पंवार	...	522
83.	मध्यकालीन राजस्थान में साहित्य का सृजन हाड़ौती, प्रतापगढ़ और मारवाड़ के संदर्भ में —भगवाना राम	...	523
84.	मेवाड़ में महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव एवं राष्ट्रीयता —राजेश बाबू	...	525
85.	मारवाड़ में प्रजामण्डल आन्दोलन —सूरज सोनी	...	527
86.	राजस्थानी काव्य में वर्णित महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन —डॉ. संतोषकुमार गढ़वीर	...	528
87.	बीकानेर राज्य का परम्परागत चर्म उद्योग एवं व्यवसाय (18वीं एवं 19वीं सदी के विशेष सन्दर्भ में) —डॉ. राजशेखर पुरोहित	...	529
88.	आधुनिक जयपुर के निर्माता महाराजा रामसिंह द्वितीय —मीना भास्कर	...	530

89. जैसलमेर राज्य में शिल्पकला, शिल्पकार एवं चित्रशैली
—खेवरा राम ... 533
90. राजस्थान में प्रचलित स्त्रियों के आभूषण (सुहागिनों के संदर्भ में)
—हेमा रजक ... 535
91. नवाबी वैभव की प्रतीक : टोंक की संकटग्रस्त स्थापत्य संपदा
—हेमन्त मीना ... 540
92. कला केन्द्र जयपुर में संगमरमर कलाओं के ऐतिहासिक
विकास के उत्तरदायी सहायक कतिपय कारक
—डॉ. आशा कुमारी सिंह ... 542
93. जोधराज गौड़ कृत 'हम्मीर रासो' में चित्रित
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन
—डॉ. रणजीतसिंह चौहान 543
94. एक नवीन पुरातात्विक स्थल बुगिया का सर्वेक्षण व
प्रारम्भिक उत्खनित् भग्नावशेष
—राजेन्द्र कुमार वर्मा ... 545
95. साहित्य में इतिहास के संदर्भों का उल्लेख
—ममता चौहान ... 547
96. राजस्थानी लोकगीतों में सोलह संस्कार
—डॉ. हंसा स्वामी ... 548
97. राजस्थान की पाग-पगड़ियों का ऐतिहासिक वैभव
—डॉ. अल्पना दुभाषे ... 550
98. ग्रामीण पर्यटन एवं राजस्थानी इतिहास और संस्कृति :
सम्भावनाएं तथा महत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन
—ललित पंवार ... 553
99. मण्डोर स्थित राजाओं के देवल
—डॉ. मीनाक्षी खंगारोत ... 555
100. राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियां
—डॉ. सुशीला मीणा एवं डॉ. संगीता आर्य ... 559
101. मध्यकालीन जैसलमेर के इतिहास का क्रमिक अध्ययन
—डॉ. खाखूराम गेंवा ... 562

102. बात साहित्य में उल्लिखित मध्य युगीन बीकानेर के सामाजिक जीवन के प्रमुख लक्षण —गोपाल कृष्ण व्यास	...	563
103. पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की चित्रकला में सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन (7वीं शती से 12वीं शती) —घनश्याम देवड़ा	...	565
104. मुगलकालीन मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति (1500 से 1770 ई.) —कैलाश सोनगरा		567
105. अलवर राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं : अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर एक परिदृश्य —विनोद पूनिया	...	571
106. जोधपुर प्रजामण्डल के अमर पुरोधा - जय नारायण व्यास —डॉ. देवाराम	...	573
107. बड़वा ज्ञान की पोथी —डॉ. राजेन्द्रनाथ पुरोहित	...	574
108. बीकानेर राज्य के आर्थिक इतिहास लेखन में पुरालेखीय स्रोतों की भूमिका : 'ऊन रे लूंकारा री बही' के विशेष संदर्भ में —डॉ. राजेन्द्र कुमार	...	577
109. रामस्नेही सन्तों के परची साहित्य का ऐतिहासिक महत्व (सीथल-खेड़ापा के विशेष संदर्भ में) —डॉ. हरीश कुमार	...	579
List of Members	...	581

RAJASTHAN HISTORY CONGRESS
PROCEEDING VOLUME XXIX

ISSN 2321-1288

RAJASTHAN HISTORY CONGRESS

RAJHISCO



PROCEEDING VOLUME XXIX

MAHILA P.G. MAHAVIDYALAYA,
JODHPUR

NOVEMBER - 2014

AVAILABLE FOR SALE

**PROCEEDINGS OF THE
RAJASTHAN HISTORY CONGRESS**

All Back Volumes below are priced at 120/- Each

Session No.	Place of Session	Year
1.	Jodhpur	1967
2.	Jaipur	1968
3.	Udaipur	1969
4.	Bikaner	1970
5.	Ajmer	1971
6.	Beawar	1973
7.	Pali	1974
8.	Ajmer	1975
9.	Kota	1976
10.	Udaipur	1977
11.	Jaipur	1978
12.	Jodhpur	1979
13.	Sirohi	1982
14.	Bikaner	1984
18.	Jodhpur	2001
19.	Sheoganj	2001
20.	Udaipur	2004
21.	Jodhpur	2005
22.	Jodhpur	2007
23.	Bikaner	2008
24.	Sujangarh	2008

All Back Volumes below are priced at 250/- Each

Session No.	Place of Session	Year
25.	Jodhpur	2009
26.	Pali	2010
27.	Ajmer	2011
28.	Jaipur	2014

**PLEASE PLACE ORDERS WITH
SECRETARY, PERMANENT OFFICE,
RAJASTHAN HISTORY CONGRESS,
DEPARTMENT OF HISTORY,
JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR**